(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का पैंतालीसवां दिवस [संख्या : 30

बुधवार,

8 अप्रेल, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 1992)

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के स्वास्थ्य केन्द्र

626. **श्री मनोहरसिंह इन्दा** (शेरगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितने उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा कितनी एड-पोस्ट हैं ? ग्रामवार-सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कितने पद चिकित्सकों के, कितने कम्पाउण्डर्स के, कितने नर्सेज के एवं कितने ए. एन. एम. के राजकीय मानदण्ड से स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) उक्त क्षेत्र के कुल कितने अस्पतालों में कितने समय से चिकित्सकों, कम्पाउण्डर्स व ए. एन. एम. के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इनको भरने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। शेष पदों पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर पदस्थापन करना सम्भव होगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री मनोहर सिंह इन्दा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा 1990–91 से 16 डाक्टर्स के पद खाली पड़े थे। क्या इस बीच में डाक्टरों को नहीं लिया गया ? अगर लिया गया तो देहात में इतने पद क्यों खाली रखे गये, उसका क्या कारण है ? 1990–91 में कितने डाक्टर्स का स्थानान्तरण शेरगढ़ से बाहर किया गया ? इसके क्या कारण हैं, स्पष्ट करें। अब प्रशिक्षित डाक्टर्स कब उपलब्ध होंगे ? अगर नहीं होंगे तो क्या ये पद खाली ही रहेंगे, मंत्री महोदय स्पष्ट करें। क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर में डाक्टर्स के पहले 7 पद थे ? अगर थे तो दो पदों को कम क्यों किया गया ? इसका भी कारण स्पष्ट करें। क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत मिलने पर आपने कितने डाक्टर्स के खिलाफ जांच की कार्यवाही की क्योंकि आप सदन में और बाहर घोषणा करते हैं कि मैं 15 दिन में निपटारा कर दूंगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने उस दिन बताया था, 2,717 पद पिछले दो वर्षों में भरे हैं और लास्ट में तो अभी जिसकी 10 अप्रेल अन्तिम तिथि है जोइन करने की, ऐसे 333 डाक्टर्स का पोस्टिंग किया गया है। आज तारीख 8 अप्रेल है, 10 अप्रेल उसकी अन्तिम तिथि है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक प्रक्रिया तो यह करते हैं कि जो लोग जो जोइन नहीं करते हैं अथवा जोइन करते के एक दिन बाद ही चले जाते हैं, उनकी नौकरी को हम समाप्त कर देते हैं और फिर दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है। यह प्रक्रिया जारी है।

जहां तक आपने डाक्टर्स के बारे में कहा है, प्रशिक्षण का सवाल नहीं है। अभी 333 लगाने के बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से 400 की अतिरिक्त सूची हम 10 अप्रेल के बाद, जोइन करने के बाद कितने पद रिक्त रह गये, उस दृष्टि से मंगाने वाले हैं और उनकी नियुक्ति हम 30 अप्रेल तक कर देंगे। 30 अप्रेल तक की नियुक्ति के बाद डाक्टर का कोई पद खाली नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी यह कठिनाई आ रही है, अभी स्थानान्तरण की बात कही उन्होंने, जिनके स्थानान्तरण हुए हैं, मैंने उनकी सूची दी है और उन सब स्थानान्तरित डाक्टर्स को हमने जो पद रिक्त पड़े हैं, उसकी दृष्टि से भरा है। इसके बाद भी कठिनाई हो सकती है कि डाक्टर जोइन करके नहीं आये। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे आदत में सुधार आना संभव होगा।

जहां तक पैरा-मेडिकल स्टाफ की बात है, डाक्टर्स के विषय में तो मैंने 30 अप्रेल कर दी, पेरा-मेडिकल स्टाफ के विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ए. एम. एम. की जून तक वैकेन्सी निकलेगी, उस समय हम उन पदों को भरेंगे। मेल नर्स जो कम्पाउण्डर हैं ग्रेड नं.–2, ये भी जुलाई में इम्तहान देकर परीक्षा पास करके आयेंगे, तब उनको रख देंगे। अगर आपके ध्यान में कोई प्रशिक्षित मेल नर्स सैकण्ड या ए.एन.एम. आये जिसको नौकरी की जरूरत हो, जो ट्रेण्ड हो तो बताये, उनको लगा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

देंगे और बाकी अभी इस दृष्टि से उसमें कोई कठिनाई दूर नहीं कर सकते हैं।

श्री मनोहर सिंह इन्दा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वालेसर में पहले 7 डाक्टर लगे हुए थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह जो आपने कहा है कि 7 डाक्टर लगाये थे, ऐसा नहीं था। दो डाक्टर अतिरिक्त वहां लगे हुए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 5 डाक्टर्स ही होते हैं। जब मैंने स्पष्ट इन्स्ट्रक्शंस जारी किये कि कोई भी डेपुटेशन पर नहीं रहेगा, इसलिये उन दो डाक्टर्स को हटाया गया। 7 पोस्ट नहीं हैं, मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं।

श्री मनोहर सिंह इन्दा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान में अभी 6 डाक्टर कार्यरत हैं, क्या आप एक को हटायेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक को वहां से लेकर जहां खाली जगह है, वहां लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र सिंह पूछ रहे हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहूंगा, शेरगढ़ से निर्वाचित सदस्य से मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी बिल्कुल लगता हुआ है। एक विशेष समस्या उन इलाकों में है कि जो चिकित्साधिकारी ग्रामीण अंचलों में पोस्टेड होते हैं, सप्ताह में मुश्किल से एक-दो दिन वहां रहते हैं, बाकी दिन अप-डाउन करते हैं या आते ही नहीं है। जहां तक पैरा-मेडिकल स्टाफ का सवाल है, माननीय मंत्री महोदय ने प्रयास किये हैं कि पोस्टिंग करने के, परन्तु डेपुटेशन की प्रथा चली आ रही है। ग्रामीण अंचलों में जो कम्पाउण्डर या ए. एन. एम. पोस्ट हुई, वह किसी न किसी माध्यम से कोई तिया-पांचा करके जिला मुख्यालय या उपखण्ड मुख्यालय में आने का प्रयास करते हैं। इसलिये ग्रामीण क्षेत्र को हरदम....

श्री अध्यक्ष : वह तो आर्डर दे दिया, डेपुटेशन हटा रहे हैं। डेपुटेशन को बन्द कर दिया है।

श्री जितेन्द्र सिंह : डेपुटेशन की प्रथा चल रही है। मैं जैसलमेर क्षेत्र में आपको गिना सकता हूं कि 5–7 डेपुटेशन पर अभी चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हटा रहे हैं। श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसी तरह जैसलमेर और बाड़मेर जिला भी हैं। इन क्षेत्रों में ए. एन. एम. और मेल नर्स, ये दोनों पोस्टें बड़ी संख्या में खाली पड़ी हैं। यह जिस तरह की नीति अभी आप लेकर के चल रहे हैं, उस तरह तो यह लम्बे समय तक वेकेन्सीज चलती रहेगी। इसकी वजह यह है कि वहां जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, वहां आपने ट्रेनीज की संख्या को नहीं बढ़ाया तो यह संख्या

Page No. 4

(श्रीमती मदन कौर)

हमेशा के लिये बढ़ती जायेगी। 50-60 निकलेंगे और 100 की फिर वेकेन्सी हो जायेगी। इस प्रकार यह तो लम्बे समय तक वेकेन्सी चलती रहेगी। इसलिये जरूरत इस बात की है कि वहां जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, वहां ट्रेनीज की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये। तो क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक सवाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में निश्चित रूप से बहुत चिन्तनशील है कि कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, इधर-उधर चले जाते हैं। इसलिये मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि हमने पिछली बार यह प्रतिबन्ध लगाया है कि जो ए. एन. एम. जिस जिले में ट्रेनिंग लेंगे, उनकी पोस्टिंग वहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वह संख्या बढ़ाने की बात कह रहे हैं।

श्रीमती मदन कौर : वहां संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लेट मी कम्प्लीट। उसी को बता रहा हूं। इसलिये एक कारण जो यह रहा है कि उसके कारण वहां जो रिक्तता है, चले जाते थे, वह बन्द हो गया। इसलिये भरने में यह सहायक हो गया।

दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि अब हमने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देने के लिये रखा हुआ है, लगाया हुआ है जो उस जिले के रहने वाले हैं। यहां इसलिये भी बढ़ोतरी हुई है।

तीसरी बात आपने कही संख्या बढ़ाने के बारे में। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी लिमिटेशन है। अभी बढ़ाना वित्तीय दृष्टि से और वहां की स्थिति में सम्भव नहीं है। तीन कदम में से दो कदम हम ले रहे हैं, तीसरे कदम पर भी सरकार विचार कर रही है। अभी कुछ स्पष्ट कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जिन डाक्टर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट किया जाता है, जो दूरदराज गांव हैं, वहां पोस्टिंग तो हो जाती है लेकिन वे मेनिपुलेट करके वापस अच्छी जगह लग जाते हैं।

आप ना भले ही करें लेकिन आपके आने के बाद ये डाक्टर्स ज्यादा लगाये गये हैं। यह बात सही है कि डाक्टर्स ज्यादा लगे हैं लेकिन जो शिकायत पहले अप-डाउन करने की, वहां नहीं रहने की, एक बार पोस्टिंग हो जाने के बाद वापस कैंसिल कराने की थी उसमें रत्ती भर आपने कोई सुधार नहीं किया है। यदि हां, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में एक बार लग जाते हैं अगर वह दो साल से पहले किसी तरह से मेनि-पुलेट करके ट्रांसफर करवा लेते हैं, तो क्या पदोन्नति के अन्दर आप उनके खिलाफ रिमार्क्स लिखेंगे ताकि उनके प्रमोशन पर इफेक्ट पड़े ? नम्बर एक। नम्बर दो,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

क्या यह सही है कि आज से 4 साल पहले पीपाड़ सिटी के अन्दर एक कम्पाउण्डर्स की ट्रेनिंग का स्कूल खुला हुआ था लेकिन वह वहां नहीं चल रहा है. वह जोधपुर में चल रहा है। वहां खोलने का मकसद यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर लोग ए. एन. एम. की ट्रेनिंग लें। लेकिन मेनिपुलेट करके उसे जोधपुर के अन्दर स्थानान्तरित कर दिया है। बीसियों प्रयास किये लेकिन अभी तक जोधपुर में वह चल रहा है। वहां ए. एन. एम. लग जाती हैं वह गांवों में जाती नहीं हैं, वह दिक्कत है। उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में डाक्टर्स और नर्सेज का रेशियो क्या हैं और सरकार इस रेशियो को बदलने के लिए क्या काम कर रही है ? आप नये-नये मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, डाक्टर्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं और ट्रेंड पैरा मेडिकल स्टाफ की जितनी आवश्यकता होनी चाहिए उतने आप तैयार नहीं कर रहे हैं इसलिए यह समस्या न केवल जोधपुर जिले में हैं बल्कि पूरे राजस्थान में है। तो आल इण्डिया मेडिकल काउंसिल का पैरा मीटर है उसमें डाक्टर और नर्सेज का रेशियो होना चाहिए और राजस्थान में वह रेशियो क्या है ? कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लुणी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ट्रेनिंग स्कूल की चर्चा की, उसकी तो सूचना मेरे पास नहीं है. क्योंकि यह इस विषय से सम्बन्धित सवाल नहीं है और जो सूचना उन्होंने चाही है वह मैं उनको निश्चित रूप से मुहैया करवा दूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, मैंने पीपाड़ सिटी के अन्दर आपको निवेदन किया था, आपकी जानकारी में हैं, पीपाड़ सिटी में जब आप पधारे थे साल-डेढ़ साल पहले कहा था फिर आपकी जानकारी में कैसे नहीं है ?, मंत्री महोदय आप यह कह सकते हैं कि आपने लिखा होगा लेकिन आपकी चली नहीं होगी। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें यह हुआ है कि आपने सूचना दी है उसकी जानकारी मंत्री महोदय ने अभी तक अपने कार्यालय से नहीं ली है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह डेढ़ साल पहले की घटना मुझे याद नहीं है....

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय वहां पधारे थे, आपको मालूम है, मैंने आपसे निवेदन किया था और आपके लोगों ने भी आपको कहा था।

श्री अध्यक्ष : आपने तो कहा होगा, पर मैं कह रहा हूं कि इनको भी मालूम होगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक बार मंत्री महोदय को लेटर देने के बाद हम अपेक्षा करते हैं वह ध्यान रखेंगे। यह जरूरी नहीं है, वह भूल जाते हैं बार-बार

(श्री रामसिंह विश्नोई)

और एक प्रश्न को 20 बार यहां विधान सभा में पूछ कर समय खराब करें यह अच्छी बात थोड़े ही है। जो भी काम होते हैं, आपको मालूम है कि गांवों में इसलिए नहीं जाते हैं कि वह शहरों के होते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप विराजिए तो सही। जहां तक आपने कहा कि तबादला मेनिपुलेट करके करवा लेते हैं, राज्य सरकार इस बारे में बहुत कड़ी है, यह मेनिपुलेशन की बात बहुत कम हो गई है, समाप्त प्रायः हो गई है। मैं चाहता हूं माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : रास्ता निकालने वाले भी बहुत होशियार हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए वह रास्ता निकालें, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस अधिकारी के द्वारा मेनिपुलेट होकर जहां ऐसे तबादले करवा दिये जाते हैं उस अधिकारी के विरुद्ध निश्चित रूप से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

मैं आपके माध्यम से निवेदन और करना चाहता हूं कि अप-डाउन की प्रथा, पूरे समय नहीं रहने की प्रथा है यह निश्चित रूप से एक बड़ी लम्बी आदत की बीमारी है....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी खुद मेनिपुलेट करेंगे उनका क्या होगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विराजिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब तो सुनिए। मंत्रीजी वैसे ही बहुत विस्तार से बताने वाले हैं और सदन की वजह से क्यों जाते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहुत बड़ी लम्बी बीमारी, आदत पड़ी हुई बीमारी को दूर करने में माननीय सदस्यों का पूरा-पूरा सहयोग चाहिए और उस सहयोग की दृष्टि से....

श्री अध्यक्ष : मेनिपुलेट करने में सहयोग ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसको रोकने की दृष्टि से।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, रोकने की दृष्टि से।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि सी. एम. एण्ड एच. ओ. को इस प्रकार की शिकायत जाती है कि फलां व्यक्ति अप-डाउन करते हैं, इस बीच में मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 225 हमने यहां पर ए. पी. ओ. कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी एक बात सुनिये। आप जो कह रहे हैं, आपकी सिनसियोरिटी में किसी को शक नहीं है लेकिन जो आप कह रहे हैं उतना अभी नहीं हो रहा है शिकायत यह है। जिस बात की घोषणा आप बाहर भी करते हैं, हाउस में भी करते हैं उसमें किसी को किंचितमात्र भी शिकायत

(श्री अध्यक्ष)

नहीं है, आप कर रहे हैं लेकिन माननीय सदस्यों की जो भावनाएं हैं वह यह है कि जिस लगन से, जिस उत्साह से आप बात कर रहे हैं उतना हो नहीं पा रहा है इसलिए वह और तेजी से हो। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। हो गया सवाल।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, सहयोग करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है....

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, एम. एल. एज. मंत्रीजी से सम्पर्क करते हैं तो मंत्रीजी सीधा कह देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है परन्तु अधिकारी मेनिपुलेट करते हैं, एम. एल. एज. को तो मंत्रीजी मना कर देते हैं कि कुछ नहीं होगा लेकिन अधिकारी मेनिपुलेट करते हैं उनका क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : बैठिए। इस सत्र के बाद सारे माननीय सदस्य केवल कमेटियों में लगे रहेंगे, कोई आपके पास ट्रांसफर के लिए नहीं आयेंगे। रात और दिन कमेटियों में यहां पर लगे रहेंगे और जरूरत होगी तो वहां बुला लेंगे आपके स्टाफ को। नैक्स्ट।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, वह रेशियो तो बता देते, डाक्टर्स और नर्सेज का रेशियो क्या है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इस प्रश्न से सम्बन्धित है क्या?

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं माननीय मंत्री महोदय से धौलपुर जिला जो डाकूग्रस्त क्षेत्र है जिसमें ए. एन. एम. (फिमेल नर्सेज) हैं, उनको 10–15 किलोमीटर दूर ड्यूटी पर जाना पड़ता है, वहां पर साधनों की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए वह अपनी ड्यूटी पर पहुंचने में असमर्थ रहती हैं उनके लिए आप क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष : यह विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ का सवाल है, आपने बताया, ठीक है।

श्री दलजीत सिंह : यह तो जनरल है साहब।

श्री अध्यक्ष : यह जनरल नहीं है, पढ़िए आप सवाल को। नैक्स्ट।

श्री किशनाराम।

विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ हेतु पेयजल व्यवस्था

885. **श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सालासर पुनलसर ग्राम में पेयजल हेतु ओपन बोरिंग हुआ था? क्या उसका टेस्टिंग हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त प्रकरण की जांच के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो जांच कब से प्रारम्भ हुई और उसके क्या परिणाम रहे?

(श्री किशनाराम नाई)

(3) डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से ओपन बोरिंग हुए हैं ? क्या वे सभी चालू हैं ?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार पेयजल हेतु नये कुएं कहां-कहां खुदवाने का विचार रखती है ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) संदर्भित दो ग्रामों में स्थित खुले कुओं में एक-एक बोरिंग किया गया था । अब तक टेस्टिंग नहीं किये जाने के कारणों का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट "क" में किया गया है ।

(2) जांच हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ड्रिलिंग क्षेत्र को निर्देश दिये गये हैं ।

(3) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में खुले कुओं में बोरिंग सम्बन्धित वांछित सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है । उपरोक्त सभी स्रोत कार्यरत हैं ।

(4) संदर्भित क्षेत्र में वर्ष 1992-93 में ग्राम सडू, बेरासर, ढाणी शिवरान, नोडिया, लखासर एवं मोजास में एक-एक नलकूप बनाना प्रस्तावित है । क्षेत्र में खुले कुए बनाना प्रस्तावित नहीं है ।

(विवरण एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें ।)

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सालासर ग्राम करीब 15 वर्ष पहले नया बसा है और डूंगरगढ़ से करीब 7 किलोमीटर दूर है । वहां पर पहले गांव की तरफ से ओपन वैल बना हुआ था । एक व्यक्ति ने उसका पंचायत से पट्टा बनवा लिया और ग्रामवासियों को उसमें से पानी लेने से मना कर दिया । इस सम्बन्ध में काफी मुकदमेबाजी हुई और अभी भी वह मुकदमा चल रहा है लेकिन जवाहर रोजगार योजना के तहत हमने ओपन वैल बनवा लिया है जिसकी बोरिंग भी 6 महीने पहले विभाग द्वारा हो चुकी है । उसमें मोटर लगाई जानी अत्यावश्यक है । वहां पर पहले मोटर विभाग की ओर से लगी हुई थी लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उसे निकालने नहीं दिया । अतः इस सम्बन्ध में विभाग पुलिस व्यवस्था करे और कुएं को चालू करें ताकि गाँव वाले जो 10 साल से दुखी हैं उनको पीने के लिए पानी मिल सके । मेरा यह सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव ठीक है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मुझे देनी चाहिए थी वह तो माननीय सदस्य ने दे दी है ।

श्री अध्यक्ष : वह तो सुझाव दे रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात सही है कि जिस समय इसकी योजना बनी उस योजना में जो आलरेडी खुले कुएं में मोटर पम्प लगी हुई थी वह हमारे विभाग की थी इसलिए योजना में उसको सम्मिलित नहीं किया गया खर्चे के हिसाब से, इसलिए उसकी कमी रही है । अब माननीय सदस्य को यह बता देता हूं कि "30 जिले 30 काम" में उस कुएं में से वापस पम्प निकालना तो मुश्किल है, कोर्ट में चला गया है

Page No. 9

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो यह तय किया है कि नये पम्प लगाकर उसको चालू कर दिया जाय। इस वर्ष में दो कुएं बनाये हैं जिनमें दोनों में यह समस्या है। यह पम्प लगाया है प्राइवेट कुएं पर पानी देने के लिए, अब वह व्यक्ति यह कहता है कि आपको हम पम्प वापस नहीं देंगे तो, या तो हम मुकदमा लड़ें या यह हो सकता है कि नया पम्प लगा दें तो अच्छा यह है कि मुकदमा भी लड़ते रहेंगे लेकिन फिर भी नया पम्प लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं और इस नये वर्ष में निश्चित रूप से दोनों नये पम्प लग जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री किशनाराम नाई : इस गर्मी से पहले इसकी व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, पहले ही कर देंगे।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 1992)

रजोपा से ढीपरी (चम्बल) सड़क निर्माण स्वीकृति

255. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में रजोपा ढीपरी (चम्बल) सड़क जो स्टेट हाई-वे नम्बर 19 का भाग है, के निर्माण हेतु वर्ष 1984 में 27 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी उक्त मार्ग पर निर्माण नहीं होने का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

(2) क्या सरकार जनहित में स्वीकृत राशि खर्च करने तथा सड़क को पूर्ण बनाने हेतु शीघ्र और धनराशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी, हां। सड़क निर्माण पूर्ण न होने के निम्न कारण हैं :—

(अ) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण मिट्टी का कार्य विभिन्न टुकड़ों में ही किया जा सका।

(ब) सड़क निर्माण का कार्य सिंचित क्षेत्र में है जहां पर नहर बन्दी के समय को छोड़कर बाकी समय रिसाव के पानी का भराव रहता है इस कारण सामान के परिवहन तथा मिट्टी के कार्य में बाधा आई।

(स) नहरी क्षेत्र होने के कारण निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिक वर्ग का बहुत कम संख्या में उपलब्ध होना।

(द) संवेदक द्वारा कार्य धीमी गति से किया जाना।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण सड़क निर्माण कार्य को वांछित गति नहीं दी जा सकी। इसके लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं पाया गया।

Page No. 10

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(2) जी हां। सरकार स्वीकृत राशि खर्च करने का विचार रखती हैं। शेष सड़क कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करना सरकार की प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, 1984 में 27 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी इस सड़क पर और आज 8 साल बाद भी उक्त सड़क नहीं बन पाई और नहीं बनने के जो कारण बताए हैं वह एकदम असत्य हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले यह तो पूछ लो कि कितना खर्चा हुआ है।

श्री हीरालाल आर्य : तथ्यों से परे है, मनगढंत है, बेबुनियाद है।

श्री अध्यक्ष : पहले यह पता कर लीजिए कि 27 लाख में से कितना हो गया, यह पहले पूछ लीजिए। आपको पता है क्या, बताया है क्या ?

श्री हीरालाल आर्य : आप बता दो तो।

श्री अध्यक्ष : पहले यही पूछो, दूसरा भी पूछ लेना। पहले इसका जवाब आ जाएगा तो आपकी सुविधा होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1984-85 से 1988-89 तक ठेका देने के पहले और बाद में सड़क पर जो कार्य हुआ वह निम्न प्रकार है।

श्री अध्यक्ष : खर्चा पूछ रहे हैं वह तो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 20,27 लाख और इसमें से 6.73 लाख स्वीकृत राशि में से शेष बचे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़क का निर्माण बताया गया है इसमें खर्चा, इस पर मिट्टी का कार्य तो 1978-79 में ही हो गया था सिंचित क्षेत्र के तहत इसलिए मिट्टी का जो खर्चा बताया गया है वह एकदम गलत है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। दूसरा, मेरा निवेदन है कि इसमें जो आपने कारण बताएं हैं कि मिट्टी अवाप्ति के कारण से यह रुका पड़ा है और सिंचित क्षेत्र होने की वजह से वहां पर पानी का रिसाव है। पानी का रिसाव बिल्कुल नहीं होता। तीसरा, वहां मजदूर भी उपलब्ध हैं तो यह कारण भी सही नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आपने आठ साल तक सड़क नहीं बनाने के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है इससे इसमें मिली-भगत और भ्रष्टाचार की साफ बू आती है।

मेरा निवेदन है कि इस सड़क की जो स्वीकृत राशि है वह आप कब तक खर्च कर देंगे ? यह सड़क जो सम्मानपुरा तक बन सकती थी इसको कब तक बना देंगे और जो बाकी सड़क है वह भी आपके सभी मापदण्ड पूरे करती है। यह स्टेट हाइवे है, यह धार्मिक स्थान को जोड़ती है, यह इण्टरस्टेट सड़क है। इसलिए इस बाकी सड़क के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराने की आप क्या शीघ्र व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : घर की बात है हां भर लीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 20.27 लाख रुपया जो व्यय होना मैंने 1984 से 1989 तक बताया है उसमें जीरो से दो किलोमीटर तक डामर का काम हुआ है, चार पुलियाएं और 9 वाटर कोर्स उसमें सम्मिलित हैं। इसमें 7.25 लाख रुपया लगा है। अब आप काम में भ्रष्टाचार की बात कहेंगे तो शायद आप कहेंगे कि हुआ है। 1978-79 में विभागीय सूचना के अनुसार इस पर मिट्टी डालने का काम पी. डब्ल्यू. डी. या किसी फैमिन या आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत नहीं हुआ। अगर आपने यह कहा है कि मिट्टी डालने का काम 1978-79 में हुआ है तो यह विरोधाभास है और मैं इसकी जांच कराऊंगा। जांच में यह पाया गया कि उस पर काम हुआ है तो जो अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि दो किलोमीटर तक यह सड़क सम्मानपुरा तक जाती है वहां विभागीय स्तर पर कार्य हुआ है मिट्टी का, इसमें 1.71 लाख रुपया लगा है उसके बाद जो कार्य ठेके में दिया गया....

श्री अध्यक्ष : कुल लम्बी कितनी है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लम्बी 18 किलोमीटर है।

श्री अध्यक्ष : दो किलोमीटर हुई है अभी तो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी पूरी बात सुन लीजिए। इसलिए जिस भ्रष्टाचार की उन्होंने कही है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1984 से निर्माण कार्य में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार की बात आएगी इसकी पूरी-पूरी जांच होगी और दोषी अधिकारियों को निश्चित रूप से दण्डित किया जाएगा। जहां तक सम्मानपुरा का सवाल है जो राशि बची है 6.73 लाख, इसके आधार पर सम्मानपुरा तक साढ़े पांच किलोमीटर सड़क नहीं बन सकती। हमको रिवाइज एस्टीमेट करने पड़ेंगे। मैंने आज ही कहा है कि रिवाइज एस्टीमेट करिए और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आगामी एक वर्ष तक सम्मानपुरा निश्चित रूप से सड़क से जुड़ जाएगा।

एक बात और, माननीय सदस्य ने यहां चिन्ता की है कि 18 किलोमीटर सड़क है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सदस्य को, कि हमने जो प्रायोरिटी बनाई है सड़कों की मुझे ऐसा लगता है कि यह इण्टर-स्टेट रोड है, उसमें कहीं कच्ची सड़क रहे, कहीं ग्रेवल की सड़क रहे राज्य सरकार इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रायोरिटी में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख दिया हैं और जब कभी पैसा आएगा पहली प्रायोरिटी पर इस सड़क को जोड़ने की व्यवस्था करेंगे। नहीं आएगा तब तो कुछ नहीं कर सकते यह मेरा कहना है।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, यह अन्तर्राज्यीय सड़कों की बात कर रहे हैं। यह अपना रेवदर और गुजरात का एरिया मिल रहा है, उसका क्या होगा ?

Page No. 12

(12)

श्री अध्यक्ष : सम्मानपुरा की बात हो रही है आपकी नहीं है....(व्यवधान)

नैक्स्ट, श्री रतनाराम चौधरी।

जैतपुरा जालौर की नदी पर पुल का निर्माण

886. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैतपुरा जिला जालौर की नदी पर काफी समय से पुल के निर्माण का मामला विचाराधीन है ? क्या यह भी सही है कि सड़क जालौर, सिरोही दोनों जिलों को जोड़ती है तथा गुजरात को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है ? यदि हां, तो सरकार इस पुल को प्राथमिकता देकर कब तक बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है यह महत्वपूर्ण मार्ग वर्षा के दिनों में आवागमन के लिए बन्द हो जाता है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां। इस पुल के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं एवं स्वीकृति आने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) जी हां।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जालौर, सिरोही और बाड़मेर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है। उसमें माउण्ट आबू तीर्थ स्थल है। यह महत्वपूर्ण सड़क होते हुए भी करीब बीस साल पहले दोनों किनारों तक पक्की डामर सड़क बनी हुई थी। सिर्फ पुलिया बनाना ही बाकी है और वहां नदी में रपट तक नहीं बनी हुई है। बरसात में सड़क बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है। दो-दो महीने आवागमन बन्द हो जाता है। इतनी महत्वपूर्ण सड़क होते हुए अभी तक पुलिया का भी निर्माण नहीं हुआ है। कब तक यह निर्माण हाथ में लिया जाएगा ? कब तक सैण्ट्रल की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएंगी, इसकी स्पष्ट तारीख निश्चित करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को। मैं भी मानता हूं बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है और इन्हीं दो साल में याद आई इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इस सड़क व पुल की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, यह बात सच है यह बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है। इस वर्तमान सरकार ने 12-2-1991 के दिन जो राजस्थान में 13 प्रमुख पुल हैं, इन 13 प्रमुख पुलों को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा है। मैं चाहूंगा माननीय सदस्य और कांग्रेस के माननीय सदस्य इसमें सहयोग करें और इसकी स्वीकृति केन्द्र सरकार से जितनी जल्दी करायेंगे हम इस सड़क को बनाने की पूरी व्यवस्था करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं और इस पुल के लिए 165 लाख रुपये की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार ने 12-2-1991 को जो 13 पुल की योजना बनाकर केन्द्रीय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सरकार को भेजी है उसमें चार तो इण्टर-स्टेट ब्रिजेज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनकी कुल लागत 9 करोड़ 50 लाख है। उसी प्रकार इकानोमी की दृष्टि से जिस प्रकार की सब बातें रहती हैं, जिस प्रकार की फसल पैदा होती है, उसका ले जाना होता है, गुजरात से भी कान्ट्रेक्ट होता है उसी दृष्टि से 9 पुलों की योजना हमने और बनाकर भेजी है जिसके लिये 23 करोड़ 35 लाख रुपये चाहिये। राज्य सरकार लगातार केन्द्र सरकार से यह प्रयत्न कर रही है कि वह जितनी जल्दी स्वीकृति हमको प्रदान करेगी उसमें जो प्रायोरिटी 4 और 9 कुल 13 की है जैसे-स्वीकृति होगी उसको कराने की व्यवस्था हम कराते चले जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार यह भी विचार कर रही है कि पुल निगम बैंक गारन्टी देने की स्थिति में आये तो वह भी कुछ अपने रिसोर्सेज फाइनेन्शियल डिस्ट्रीब्यूटर से इस प्रकार ले और उन पुलों को बनाये और टोल टैक्स से उसकी वसूली करें। राज्य सरकार इस योजना पर विचार कर रही है क्योंकि उनके यहां से स्वीकृति नहीं आये तो इस दृष्टि से इसको पूरा करने की स्थिति बन सकेगी।

एक माननीय सदस्य : इसमें सरकार को गारन्टी देने में क्या आपत्ति है।

श्रीमती मदन कौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जितने भी पुल निर्माण के सम्बन्ध में सवाल पूछे हैं इस सैशन में, हर सवाल का यही जवाब आया है कि हमारे पास पैसा नहीं है, भारत सरकार को भेजा है। जब आपके पास पैसा नहीं है पुल निर्माण के लिये तो फिर ब्रिज डवलपमेंट कार्पोरेशन के बने रहने का औचित्य क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलों के निर्माण के लिये दो वर्षों में बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई है कई पुल बिफोर टाइम बन कर तैयार हो गये हैं और बनने वाले पुल टाइम शिड्यूल्ड से चल रहे हैं। असीमित तो नहीं हो सकते, अगर केन्द्र सरकार स्वीकृत कर देगी तो हम भी बजट में से पैसा निकाल कर मुहैया करायेंगे। स्वीकृति के लिये उनको सब प्रकार के पैरामीटर्स देखने होते, क्योंकि पैसा इसमें नहीं है वहां पर सब प्रकार की टैक्निकल स्वीकृति करने में उनको करना पड़ता है वह कर रहे हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या इसका शिलान्यास स्वर्गीय सुखाड़िया जी पूर्व मुख्य मंत्री ने रखा था और उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऐसे तो कई मैं बता सकता हूं। लूणी नदी के पुल का शिलान्यास मोहनलाल जी सुखाड़िया ने भी रखा था और शिवचरण जी माथुर ने रखा था और मुझे भी कहा कि शिलान्यास कर जाओ। ऐसे शिलान्यास मैं नहीं करूंगा।

श्री रतनाराम चौधरी : मेरा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा है और यह बात सही है लक्ष्मी चन्द जी की कि सुखाड़िया जी मुख्य मंत्रीजी थे उस वक्त लुहारू नवाब जो पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर थे उस समय शिलान्यास किया हुआ वहां रो रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप पुल बना दीजिये।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, पुल बनाने के लिये आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको सुझाव देना चाहती हूं कि जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण जगह हैं वहां आप कॉज वे बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते ? एक भी काज-वे नहीं बनाया आपने।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब आप इसको महत्वपूर्ण मानते हैं बाड़मेर, जालौर और सिरोही, तीन जिलों की मुख्य सड़क है, तीस साल से डामर सड़क बनी हुई है और मामूली टुकड़ा है, करीब आधे किलोमीटर है। इसमें पुल के ऊपर तो दो-तीन करोड़ रुपया खर्च होगा आप रपट बना दें इससे दो फुट ऊंची तो मेरे ख्याल से टैम्परेरी समाधान हो सकता है और बाद में जब भी पुल केन्द्र सरकार से मंजूर हो उस समय आप पुल की कार्यवाही कर दें, यह काम तो आप कर ही सकते हैं। आप खड़े होकर कह दीजिये कि हम कॉज वे बना देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सामान्य कॉजवे तो, रपट तो बनी हुई है।

श्री रतनाराम चौधरी : नहीं बनी हुई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिराजो आप, पूरी बात कर लेने दें, यह बात निश्चित है कि जो व्यवस्था हुई है उस व्यवस्था के अनुसार पानी बहुत दिन वहां रहता है उसके लिये लो लेवल ब्रिज, अगर लो कोस्ट पर बनेगा तो निश्चित रूप से सरकार भी एस्टीमेट करवायेगी, उसका पर्यवेक्षण करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कॉजवे बना दिये जाये। मैं समझता हूं आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि पुलों के ऊपर टोल टैक्स लगता है और काज वे पर टैक्स नहीं लगता है। अगर काज वे जहां बन गया वहां पुल बनने के साथ ही उसका सारा इनवेस्टमेंट बेकार जाता है यदि आप इस बात के लिये तैयार हो कि उन पर भी टोल टैक्स लगा दिया जाये तो सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : टैक्स पहले लगा दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : निश्चित रूप से लगाइये, आप लगाओ, आप लगा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपसे इजाजत ले रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप लगा दो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री श्रीकिशन सोनगरा।

प्रश्न संख्या 887

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मोहनलाल चित्तौड़िया (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरे पास चश्मा नहीं है मेरी ओर से शिवजीराम जी प्रश्न पूछेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चश्मा मेरा ले लो।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपके चश्मे से उल्टा दिखेगा।

अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

888. श्री मोहन लाल चित्तौड़िया (कपासन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जुलाई, 1988 को परिवादी श्री मुकेश कुमार बाल्मिकी निवासी एयरपोर्ट के सामने सांगानेर, जयपुर में "अनुसूचित जाति के साथ पक्षपात व मिथ्या साक्ष्य गढ़कर झूठा फंसाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत" प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारियों को प्रेषित किया था ?

(2) क्या यह प्रार्थना पत्र राज्य मंत्री विधि एवं न्याय विभाग ने पत्र संख्या 2599 दिनांक 4-7-1988 के द्वारा उप महानिरीक्षक, पुलिस, जयपुर रेंज जयपुर को कार्यवाही के लिये प्रेषित किया था ?

(3) इस पर क्या कार्यवाही की गई और दोषियों को क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) इस पत्र पर कार्यवाही कराने एवं की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिये परिवादी के कितने एवं किन-किन माध्यमों से स्मरण पत्र प्राप्त हुए ?

(5) क्या सरकार दोषियों को तुरन्त दण्डित कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री शान्ति लाल चपलोत) : (1) जी नहीं। दिनांक 1-7-88 को परिवाद पुलिस अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया था।

(2) जी हां।

(3) पुलिस उप महानिरीक्षक जयपुर रेंज द्वारा पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर के माध्यम से परिवाद की जांच करवाई गई। संबंधित अभियोग सं. 1/86 व 171/86 थाना सांगानेर में अभियुक्त मुकेश कुमार बाल्मिकी साक्षियों के पक्षद्रोही होने के कारण न्यायालय से बरी हुआ। अभियोगों में पुलिस अधिकारियों द्वारा झूठा फंसाने का आरोप सही नहीं पाया गया।

(4) दिनांक 1-7-1988 के परिवाद में प्रार्थी द्वारा उसके विरुद्ध खोली गई हिस्ट्रीशीट बन्द कराने की प्रार्थना की गई थी जिसके लिये प्रार्थी मुकेश कुमार बाल्मिकी ने राज्य मंत्री, आयुर्वेद विभाग, राज्य मंत्री चुनाव विधि एवं न्याय विभाग, मंत्री राजस्व भूमि सुधार, मंत्री इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, श्री नरेन्द्र बुढानिया सांसद, श्री मदन महाराज विधायक के द्वारा अग्रेषित किये हुये परिवाद प्रेषित करवाये।

Page No. 16

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

(5) जी नहीं। परिवाद में उल्लेखित आरोप जांच से सही नहीं पाये गये। ऐसी स्थिति में कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता है।

श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : क्या यह सही है कि मुकद्मा नम्बर 1/86 के चश्मदीद गवाह श्री जगदीश ने चालान होने से पूर्व ही अपने रजिस्टर्ड पत्र दि. 22/1/86 के द्वारा जांच अधिकारी द्वारा उसमें बिना पूछताछ किये ही मन गढ़न्त व फर्जी बयान दर्ज करने की शिकायत ए. एस. पी., एडीशनल एस.पी., डीवाई. एस. पी. सर्किल थाना प्रभारी को की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि जो चोटें पुलिस ने मुल्जिम के आना बताई थी उससे मेडिकल अधिकारी ने इन्कार किया था ? यदि हां, तो चालान क्यों पेश किया गया ? क्या यह भी सही है कि मेडिकल करने का समय जांच अधिकारी एवं मेडिकल अधिकारी ने अलग-अलग बताया है ? यदि हां, तो दोनों में से कौनसा है ? क्या यह भी सही है कि नेहरू लाल गवाह ने जांच अधिकारी द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराने की बात कही थी ? क्या यह भी सही है कि उनके विरुद्ध मुकदमों की संख्या बढ़ाने के लिये ही चालान पेश किया गया था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ति लाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेडिकल के बारे में और जांच के सम्बन्ध में कहा है कि गवाह के बयान बिना पूछे लिये गये, ऐसा कोई फाइल से ज्ञात नहीं हुआ है। जो बयान मुल्जिम के गवाह ने दिये हैं उसी के अनुरूप गवाहियां हुई है, उसी के अनुरूप साक्ष्य लेकर जब चालान किया गया तो कोर्ट में गवाह पक्षद्रोही हो गये, होस्टाइल हो गये, उस वजह से यह लोग बरी हो गये।

श्री शिवजीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि चश्मदीद गवाह श्री जगदीश ने चालान होने से पूर्व ही अपने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 22-1-86 के द्वारा जांच अधिकारी द्वारा उसके बिना पूछताछ किये ही मनगढ़न्त, फर्जी बयान दर्ज करने की शिकायत ए.एस.पी. एडीशनल एस. पी. और थाना अधिकारी और सम्बन्धित डीवाई. एस. पी. को की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष : उससे क्या फर्क पड़ेगा ? चालान पेश हो गया। गवाही खिलाफ चली गई।

श्री शिवजीराम : उनका चालान बाद में पेश हुआ और मेरे पास रजिस्टर्ड ए. डी. की रसीदें हैं।

श्री अध्यक्ष : पुलिस तो ज्यादा से ज्यादा चालान ही करेगी।

श्री शिवजीराम : बाद में हुआ है चालान।

श्री अध्यक्ष : अब बाद में हुआ या पहले हुआ। पुलिस ने अपना काम कर दिया, चालान पेश कर दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : उन्होंने मना कर दिया। पुलिस ने फंसाने के लिये मनगढ़न्त बयान बना कर, असत्य गवाही से किसी को भी फंसा सकते हैं चाहे उसने बयान ही नहीं दिये जों, पक्षद्रोही होने का सवाल क्या है जब कोई किसी के खिलाफ गवाही देगा तो वह कोर्ट में भी दे सकता है।

श्री शिवजीराम : उसको फंसाने के लिये ऐसा किया गया है। उसने एफिडेविट दे रखा है उससे पहले। यह उसका एफिडेविट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सवाल पूछ लूं। आम तौर से हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए आदमी फितरतन शैतान और बदमाश होना चाहिये, 110 में चालान तब पेश होता है अदालत के अन्दर जब आदमी का चाल-चलन एक लम्बे समय तक खराब रहा हो। (व्यवधान) कहीं कानून में 3 केसेज नहीं लिखा हुआ है, nowhere is it mentioned about three cases. कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस आदमी के खिलाफ जब आपने हिस्ट्रीशीट खोली। इस आदमी के खिलाफ कितने केसेज आपके यहां पैंडिंग इन्वेस्टीगेशन थे, गैर तफतीश में थे, उनकी संख्या बताने की कृपा करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे बयान जो लिये जाते हैं वे धारा 161 के तहत लिये जाते हैं। इसमें किसी प्रकार के दस्तखत तो नहीं कराये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने पूछा कितने मुकदमें इसके खिलाफ थे? सन् 1984 से 1987 तक इसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हुए जिसमें 307 के मुकदमें भी थे, 392 रोबरी के भी हैं, और 323 के भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इसके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोली गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हीरालाल इन्दौरा।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 1992)

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

89. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा-एवं स्वास्थ्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में कौन-कौन से उपकरण कब से खराब पड़े हैं? उक्त खराब पड़े उपकरणों की सूची मय तारीख जब से खराब पड़े हैं, सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों को गत दो वर्षों में योजना मद से कितनी राशि आवंटित की गई? आयुर्विज्ञान महाविद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल को पी. जी. आई. (पोस्ट ग्रेजुएट

Page No. 18

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

इंस्टीट्यूशन) बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) योजना मद में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को गत दो वर्षों में आवंटित राशि में से कितनी व्ययगत (लैप्स) हुई ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) :—

(1) राज्य के विभिन्न आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में खराब पड़े उपकरणों की कालेज वार सूचना परिशिष्ट (1) पर है ।

(2) गत दो वर्षों में योजना मद में आवंटित राशि की सूचना कालेजवार निम्न प्रकार से है :

	वर्ष	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)
1. मेडिकल कालेज, जयपुर	1989-90	275-00
	1990-91	265·51
2. मेडिकल कालेज, अजमेर	1989-90	141·00
	1990-91	139·00
3. मेडिकल कालेज, बीकानेर	1989-90	40·00
	1990-91	81·00
4. मेडिकल कालेज, उदयपुर,	1989-90	66·47
	1990-91	202·61
5. मेडिकल कालेज, जोधपुर	1989-90	281·14
	1990-91	229·00

(3) सवाई मानसिंह अस्पताल को पी. जी. आई. (पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट) बनाने के सम्बन्ध में योजना आयोग की अनुमति नहीं मिलने से इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका ।

(4) योजना मद में गत दो वर्षों में आवंटित राशि में से व्ययगत (लैप्स) राशि की सूचना कालेजवार निम्न प्रकार से है :—

	वर्ष	व्ययगत राशि (लाख रुपयों में)
1. मेडिकल कालेज, जयपुर	1989-90	—
	1990-91	—
2. मेडिकल कालेज, अजमेर,	1989-90	18 39
	1990-91	—
3. मेडिकल कालेज, बीकानेर	1989-90	—
	1990-91	—
4. मेडिकल कालेज, उदयपुर	1989-90	—
	1990-91	37·13

Page No. 19

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

5. मेडिकल कालेज, जोधपुर	1989-90	—
	1990-91	—

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीन प्रश्न माननीय मंत्रीजी से करना चाहता हूं। एक तो यह है मेडिकल कालेज, अजमेर में 18·39 लाख रुपये लैप्स हुए हैं और उदयपुर में 37.13 लाख रुपये लैप्स हुए हैं। योजना मद में जो राशि आवंटित की गई, उसके लैप्स होने के क्या कारण है? दूसरा, यहां पर खण्ड तीन में माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि एस. एम. एस. अस्पताल को पी. जी. आई. बनाने के बारे में प्लानिंग कमीशन से परमीशन नहीं मिली। परमीशन के लिए विभाग से कब-कब कोशिश की गई और किस प्रकार कोशिश की गई। क्या प्लान बजट के अ॰ कोशिश की गई या डाइरेक्ट की गई, यह बतावे? तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, उपकरणों की जो सूची दी है मेडिकल कालेजेज की, उसको देखने से बहुत अफसोस होता है कि 1986 से लेकर वैरियस 78 उपकरण वैरियस कालेजेज में खराब पड़े हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण उपकरण हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 से लेकर आज तक 6-6 साल तक, बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो खराब पड़े और कहीं-कहीं तो यह लिखा गया है, कई उपकरणों के बारे में तो "डेट नोन नॉन" पता ही नहीं वे कब से खराब पड़े हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें कि 1986 से लेकर आज तक विभिन्न मेडिकल कालेजेज में उपकरण खराब पड़े हैं, उनके क्या रीजन्स हैं। एक तो आपकी मनी लैप्स हो रही है। दूसरा, आपके उपकरण खराब पड़े हैं। यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज अजमेर में 1989-90 में 18·39 लाख रुपये लैप्स हुए, यह सच बात है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें से 6·89 लाख रुपये की राशि उपकरण क्रय नहीं किया जा सका इसलिए लैप्स हो गई और शेष राशि कुछ निर्माण कार्य होना था वहां उपकरण को रखने के लिए इसलिए हो गई। अब यह उपकरण नहीं खरीदा गया और यह नहीं आया, इसकी निश्चित रूप से जांच कराऊंगा। उधर मेडिकल कालेज उदयपुर में 37·13 लाख रुपये की राशि 1990-91 में लैप्स हो गई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने प्रश्न के खण्ड (4) में देखा होगा कि 1989-90 में 66·47 लाख रुपये केवल उनको दिये जाते थे, जबकि और कालेजेज में कहीं 275, कहीं 141 तो कहीं 281 लाख रुपये तक थे, केवल बीकानेर ही ऐसा था जिसमें 40 लाख रुपये दिये जाते थे, हमारी सरकार आई, हमने 40 लाख की राशि बढ़ाकर 81 लाख कर दी, जिसके लिए शायद मुझे निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमान् कल्ला

Page No. 20

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

साहब। उदयपुर में इसी प्रकार से 66 लाख रुपये थे....

श्री अध्यक्ष : इतने उदार नहीं है कल्ला साहब।

श्री दिग्विजय सिंह : आप किससे धन्यवाद मांग रहे हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसको 66 लाख से एकदम 202 लाख कर दिया, उसका कारण यह था माननीय अध्यक्ष महोदय कि कुछ ऐसी चीज खरीदनी थी उनको, यह ध्यान नहीं था कि केवल 90 प्रतिशत पैसा उपकरण के लिए जमा कराना पड़ता है 90 प्रतिशत जमा करा दिया, 10 प्रतिशत वहां रह गया और इसलिए यह जो बची राशि है 37.13 लाख क्योंकि मैंने इसकी जांच की क्योंकि मेरी सरकार के समय में हुआ इसलिए 10 प्रतिशत की राशि के कारण वह नहीं हुआ है, कुछ और पैसा है इसकी भी मैं निश्चित रूप से जांच करा लूंगा। बाकी इसमें से कितना पैसा बचा है।

पी जी. आई. का जहां तक सवाल है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले प्रतिवर्ष पी. जी. आई. के लिए लिखा जाता रहा किन्तु मैंने भी शायद डिमान्ड्स के दिन इस बात की चर्चा की थी कि आज एस. एम. एस. अस्पताल इतना क्राउडेड इंस्टीट्यूशन है कि जब तक सराउंडिंग में ऐसे इंस्टीट्यूशन्स स्थापित नहीं हो जाय कि वहां केवल रेफरल वाला व्यक्ति पहुंचे जब तक मैं सिद्धांत रूप से पी. जी. आई. बनाने के पक्ष में नहीं हूं इसलिए राज्य सरकार पहले इस सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगी हुई है ताकि उसका भार कम हो जाय और केवल रेफर्ड केसेज ही एस. एम. एस. में चले जाय और यह जो बात इसलिए कही, इस बारे में मैंने राज्य सरकार की नीति को स्पष्ट कर दिया है (व्यवधान) बिल्कुल, जब तक निश्चित रूप से चारो ओर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो जाय, तब तक पी. जी. आई. बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार उत्सुक नहीं है। उसका कारण भी मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं। तीसरी बात, यहां जो उपकरण के बारे में कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर गत दो सालों से लगातार राज्य सरकार बहुत चिन्तातुर है। मैंने अपने स्तर पर भी तीन बार इस प्रकार की बैठक ली है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी इस प्रकार की मोनेटरिंग दो बार विभाग की है, प्रश्न उपस्थित यह होता है कि किन बातों के लिए उपकरण दिये गये। जैसे मैं अगर एस. एम. एस. कालेज जयपुर की बताऊं, इसमें 26 उपकरण है किन्तु 26 में से 10 ठीक हो गये 16 आज काम नहीं कर रहे हैं। ये 16 उपकरण है, जबकि 187 कुल उपकरण है। इसमें कुछ वे है जो आउट डेटेड हो गये हैं किन्तु अभी तक आउट डेटेड नहीं बनाया जा सका। कुछ रीति नीति के अनुसार, कुछ फाइनेंस के नर्म्स है उसके अनुसार फिर कुछ ऐसे हैं जो आब्सोल्यूट हो गये, जिनकी ओर इस प्रकार की बात आ गई कि जिनकी प्रक्रिया चालू हो गई है। मैं यह भी मानता हूं, मैं इस बारे में संकोच नहीं करता कि निश्चित रूप

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

से इस सारी व्यवस्था में एक ओर जिन फर्मस से उस चीज को खरीदते हैं वह फर्म ठीक करने नहीं आती। वह फर्म उसकी एसेसरीज को सप्लाई नहीं करती है, वह फर्म उसमें सुधार के लिए जो चीजें चाहिए, वह चीज नहीं लाती। राज्य सरकार इस बारे में प्रयत्नशील होने के पश्चात् तथा राज्य सरकार ने क्या रीति-नीति बनाई है वह चाहें तो वे पेपर में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं कि सुधार कार्य में आने वाली जो परेशानियां हैं उनको दूर करने में राज्य सरकार ने किस नीति का निर्धारण किया है जिसका प्रयास कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़कर बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि गत दो वर्षों के बारे में मैंने जो जानकारी चाही थी, इनको 1990-91 व 1991-92 की जानकारी देनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने 1989-90 और 1990-91 की जानकारी दी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मार्च में सवाल आया था, क्या करते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो 1990-91 की जानकारी दी है उसमें अजमेर में 139 लाख, जयपुर में 265.51 लाख, उदयपुर में 202.61 लाख और जोधपुर में 229 लाख रुपए और बीकानेर को सिर्फ 81 लाख रुपए, जिनको मंत्रीजी ने गोद ले रखा है। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं आपने बजट आवंटन का क्या आधार रखा और 1991-92 में बीकानेर को क्या दिया? दूसरा, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यह कहते हैं कि मेरा विभाग बड़ा एफिसियेंट है....

श्री अध्यक्ष : आप धन्यवाद तो देंगे ही नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या धन्यवाद दूं, 81 लाख रुपया देकर आपने बीकानेर के साथ निश्चित रूप से राजनीतिक भेदभाव किया है। बीकानेर का मेडिकल कालेज हर साल गोल्ड मेडलिस्ट देता है और जयपुर के बाद उसका दूसरा नम्बर है जिसको पांचवें स्थान पर रखा है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य में कैंसर के मरीज हरियाणा, बिहार, उत्तरप्रदेश से आते हैं। आज बीकानेर का कोबाल्ट थैरेपी जयपुर का कोबाल्ट थैरेपी और जोधपुर का कोबाल्ट संयंत्र लगभग 6-8 महीनों से बेकार पड़ा है और चिकित्सा मंत्री सो रहे हैं। मेरा आरोप है कि आज कैंसर के मरीज आपको बददुआयें दे रहे हैं दुराशीष दे रहे हैं सी. टी स्केन यहां पर पिछले एक साल से मानसिक अस्पताल में खराब पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : आप कितने भी जोर से बोलें तो यह आवाज बीकानेर नहीं पहुंचेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, अध्यक्ष महोदय। मैं आपके

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : अखबारों के माध्यम से पहुंचेगी, इनकी आवाज से नहीं पहुंचेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कुल कितने संयंत्र हैं, और उसमें से कितने खराब हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले ये कहते हैं उसके बाद ये ऊपर देखते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा तो ऊपर वालों में विश्वास है, आपका नहीं है गृहमंत्री जी। आप ज्यादा प्राउडी हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऊपर से मतलब पत्रकारों से मत लेना, ऊपर कुछ और है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऊपर एक तो अध्यक्ष हैं और एक पत्रकार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं और ऊपर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : और ऊपर भी देखता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऊपर अल्लाह है नीचे खुदा है।

श्री अध्यक्ष : आप तो उसको देखते हैं कि नहीं, पता नहीं लेकिन वह जरूर आपको देख रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो आपको ही ऊपर वाला समझते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां मेडिकल कॉलेजेज में मैचिंग ग्रान्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, सब जगह मिलते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से बीकानेर मेडिकल कॉलेज को 75 लाख रुपये दिए। क्या आपने मैचिंग ग्रान्ट उसको 75 लाख रुपये दी? इसी तरीके से सारे राजस्थान के ग्लुकोज संयंत्र बंद पड़े हैं। उनको आप कब तक शुरू करेंगे? साथ ही साथ मैं यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ आप यह कहते हैं कि एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज है उसको आपने पी. जी. आई. इसलिए नहीं बनाया क्योंकि प्लानिंग कमीशन नहीं चाहता और एक तरफ आप अभी-अभी सदन में यह बताते हैं कि राज्य सरकार की नीति नहीं है। तो फिर आप प्लानिंग कमीशन को क्यों दोष देते हो? आप प्लानिंग कमीशन में भेजिए, हम सब लोग जोर लगाकर राजस्थान के एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज को जो हमारा प्रेस्टिजियस कॉलेज है इसको पी. जी. आई. बनाने का प्रयास करेंगे। बनाना आप नहीं चाहते और दोष प्लानिंग कमीशन को देना चाहते हैं। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसलिए आप इसको प्लानिंग कमीशन को तथ्यों के साथ कब तक भेज देंगे, उसका उत्तर आने के बाद एक और सप्लीमेंटरी करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता था कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य 40 लाख को

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बढ़ाकर जो 81 लाख किया है उस पर धन्यवाद देंगे ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल आधा घन्टा और बढ़ा दिया जाय ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो इस पर दे दो कि 1991-92 में हमनें इसको 125 लाख कर दिया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दूसरों की तुलना में क्या दिया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अजमेर का 117 लाख ही रह गया है, आपका 125 लाख हो गया है । कुछ तो दे दो । (व्यवधान) यह सही है कि महाविद्यालयीय चिकित्सालयों में उनसे संबंधित अस्पतालों में उपकरणों के संधारण की स्थिति पूर्णतया संतोषप्रद नहीं है । समय-समय पर इस विषय में मैं चर्चा करता रहता हूं, निर्देश भी दिए हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी हाल ही में विभागीय समीक्षा के समय इस पर चर्चा की है । इससे सभी सहमत होंगे कि उपकरण ठीक रहें और निरन्तर काम में आते रहें किन्तु जो उपकरण खराब हुए हैं उनके विषय में मैं कहना चाहता हूं । कुछ आइटम जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं और उनकी मरम्मत अब संभव नहीं है और न उन पर पैसा लगाना उपयोगी होगा । कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जिनके स्पेयर पार्टस या उपकरणों का निर्माण कम्पनियों द्वारा बन्द कर दिया गया है इसलिए उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती । उपरोक्त दोनों प्रकार के उपकरणों को खारिज करने की व्यवस्था की जा रही है, एक समयबद्ध कार्यक्रम इसके लिए बनाया जा रहा है । यह भी अनुभव किया गया है कि प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक कभी-कभी उपकरणों की मरम्मत एवं संधारण के लिए जितनी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है उतनी उनमें निहित नहीं होती है जिससे समयबद्ध संधारण की व्यवस्था नहीं हो सकती । कई बार संबंधित विभागाध्यक्ष एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीधे सम्पर्क से व्यवस्था कराने का प्रयत्न किया जाता है और इस कारण समय पर सूचना नहीं मिलती और समय पर व्यवस्था नहीं हो पाती । इस संबंध में व्यवस्था की जा रही है कि प्रधानाचार्यों और अधीक्षकों को अधिक वित्तीय, प्रशासनिक पावर का डेलिगेशन किया जाय और संबंधित विभागाध्यक्षों को इस विषय के लिए निर्दिष्ट किया जाय कि वे उपकरण के खराब होते ही उन्हें अवगत करायें एवं यह भी सूचित करें कि उपकरण की मरम्मत की व्यवस्था कहां और कैसे की जा सकती है । जो उपकरण अभी तक खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाकर यह व्यवस्था की जाय कि भविष्य में उनके लिए रेट कान्ट्रेक्ट किया जाकर उनका संधारण नियमित रूप से होता रहे । अभी तक यह अनुभव किया जा रहा है कि जब नये उपकरण क्रय किए जाते हैं तो उसके क्रय के समय संधारण की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकती ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, हो गया । एक सवाल और ले लें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो लाइन और हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तो उत्तर पूरा दिया ही नहीं। एक तो मैचिंग ग्रान्ट का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : और सवाल हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक सवाल और माननीय सदस्य का आ जायेगा। फिर प्रश्नकाल खत्म हो जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह व्यवस्था की जा रही है कि जब भी नये उपकरण क्रय किये जाय उस समय ही मरम्मत की व्यवस्था की जाय। (व्यवधान) ताकि हम उन विक्रेता फर्मों की दया पर निर्भर नहीं रहें।

श्री अध्यक्ष : मेरी सुनना ही नहीं चाहते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह भी अनुभव किया जा रहा है कि कई बार ऐसे आदर्श भी लिए जाते हैं जिनकी कम्पोनेंट उपलब्ध होना संभव नहीं होता। हम उनके बारे में व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बच्चों के अस्पताल की मैंचिंग ग्रान्ट कब देंगे और कोबाल्ट थैरेपी राजस्थान में सब जगह खराब हैं इनको कब तक ठीक करा देंगे और प्लानिंग कमीशन को पी. जी. आई. का मामला कब तक भेज देंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोबाल्ट की जयपुर में व्यवस्था की गई है। उसको एक-दो महीने में प्रारम्भ करा दिया जायेगा। बाकी जगह व्यवस्था हो रही है। यहां तक कि जयपुर, कोटा और अजमेर में भी खरीदने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री चुन्नीलाल।

कृषि उपज मंडी समिति, खंडार (सवाई-माधोपुर) द्वारा सड़क निर्माण

889. **श्री चुन्नीलाल** (खंडार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई-माधोपुर द्वारा कृषकों की सुविधा हेतु पंचायत समिति, खण्डार व पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर में किन-किन गांवों को मंडी से जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों का निर्माण अब तक पूर्ण न होने का क्या कारण हैं ?

(3) उक्त सड़कों को कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

कृषि मंत्री (श्री रामनारायण विश्नोई): (1) गांवों की सूची जिनको मण्डी से जोड़ने हेतु पंचायत समिति खण्डार व पंचायत समिति सवाईमाधोपुर की सड़कों का निर्माण कराया गया वे निम्न प्रकार हैं :–

(श्री रामनारायण विश्नोई)

पंचायत समिति खण्डार

1. नयापुरा से तलावड़ा	2. भूरी पहाड़ी से श्यामपुरा
3. चकेरी से श्यामपुरा	4. छान से बरेना सवाई माधोपुर

पंचायत समिति सवाई माधोपुर

1. टोंक रोड़ से सवाईगंज	2. भगवतगढ़ से नीदड़दा
3. भगवतगढ़ से चौथ का बरवाड़ा	4. जयपुर रोड़ से सेलू गेगोर पार्ट- I व पार्ट-II

(2) उक्त सड़कों में से निम्न सड़कों का कार्य हो गया है:—

1. टोंक रोड़ से सवाईगंज 2. भगवतगढ़ से चौथ का बरवाड़ा

निम्न सड़कों का कार्य आदेश वर्ष 1992 में दिया गया है जिनमें अवधि पूर्ण नहीं है:....

1. नयापुरा से तलावड़ा 2. भगवतगढ़ से निदड़दा 3. जयपुर रोड से सेलू गेगोर पार्ट--I व पार्ट--II

शेष सड़कों में ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य करने के फलस्वरुप कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(3) उक्त सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 1992--93 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष पंचायत समिति खण्डार और सवाई माधोपुर में कृषि उपज मण्डी के द्वारा जिन सड़कों का कार्य करवाया जा रहा है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो भूरी पहाड़ी से श्यामपुरा सड़क आपने हाथ में ली है तो उक्त सड़क से क्या काश्तकारों को लाभ मिल जायेगा और श्यामपुरा को जोड़ने में कितना टुकड़ा शेष बाकी रह जाता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। हां, बता दीजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, भूरी पहाड़ी से श्यामपुरा पांच किलोमीटर की सड़क की लम्बाई थी और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति 7.25 लाख खर्च करने की दी गई थी। इसमें 4-8-89 को कार्यालय का आदेश दिया गया था। वर्तमान स्थिति यह है कि दो वेयर्स की कन्सोलीडेशन की जा चुकी है। आगे कार्य के लिए मेटेरियल कलेक्शन का कार्य प्रगति पर है। कार्य की धीमी गति ठेकेदार को बार-बार चेतावनी दी जा रही है। जून 1992 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है

(श्री रामनारायण विश्नोई)

और निश्चित रूप से ही इस सड़क के बनने से ग्रामीण इलाकों को सुविधा प्राप्त होगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के आयुर्वेदिक औषधालय

887. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर (पूर्व : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत दस वर्षों में आयुर्वेदिक विभाग के अन्तर्गत कितने औषधालय खोले गये तथा क्या उन वर्षों में अधीनस्थ कार्यालयों के मन्त्रालयिक कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई ?

(2) कितने औषधालय खोलने पर अतिरिक्त मन्त्रालयिक कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये जा सकते हैं ? क्या उसके अनुरूप पद स्वीकृत किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत दस वर्षों में आयुर्वेदिक विभाग के अन्तर्गत 1038 औषधालय खोले गये एवं उन वर्षों में अधीनस्थ कार्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों के वरिष्ठ लिपिक केडर में 7 एवं कनिष्ठ लिपिक केडर में 31 की बढोतरी की गयी।

(2) औषधालय खोलने पर अतिरिक्त मंत्रालयिक कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत किये जाय ऐसा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं। आर्थिक संकोच के कारण अतिरिक्त पद सृजित नहीं किये जा सके।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

1405. श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चूरू शहर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा आवासीय कालोनी स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो उक्त आवासीय कालोनी हेतु अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(2) उक्त आवासीय कालोनी का निर्माण कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है तथा आवासों का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1991 में चूरू शहर हेतु सामान्य पंजीकरण योजना आरम्भ की गई। इस योजना के तहत कुल 180 आवेदन प्राप्त हुए है।

(2) चूरू शहर हेतु भूमि प्राप्त करने के प्रयास जारी है। भूमि प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर आवंटन किया जाना सम्भव होगा।

विश्वकर्मा क्षेत्र, जयपुर में सड़क निर्माण कार्य

1406. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(1) विश्वकर्मा क्षेत्र, जयपुर के रोड़ नं. 12 से बैनाड़ रेल्वे स्टेशन तक के सड़क निर्माण का कार्य किस-किस ग्राम पंचायत की मांग पर एवं सिफारिश पर जनसाधारण की सुविधा हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था ?

(2) क्या इस सड़क के निर्माण कार्य के वर्क ग्रार्डर पंचायत समिति द्वारा दे दिये जाने के पश्चात् प्राधिकरण ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है ? यदि हां तो कब ?

(3) क्या प्राधिकरण ने इस कार्य के लिए करीब 6 लाख रु. ड्राफ्ट के जरिये पंचायत समिति ग्रामेर को दे दिये हैं ?

(4) इस निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक को हटाकर स्वीकृति कब तक दे दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार सरकार उक्त कार्य को जनसाधारण की सुविधा की दृष्टि से शीघ्र प्रारम्भ करने का अविलम्ब ग्रादेश प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सरपंच ग्राम पंचायत माचैड़ा पंचायत समिति ग्रामेर के पत्र दिनांक 1-1-90 विकास अधिकारी पंचायत समिति ग्रामेर के पत्र क्रमांक : 1 1469 दिनांक 6-1-90 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद् जयपुर के पत्र क्रमांक 06/2/142 दिनांक 26-1-90 की मांग एवं सिफारिश पर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया।

(2) इस सड़क का निर्माण कार्य शिकायत प्राप्त होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिनांक 12-4-91 एवं पत्र क्रमांक : 1090 दिनांक 31-8-91 को विकास अधिकारी पंचायत समिति ग्रामेर को पत्र लिखकर रुकवा दिया गया था उक्त निर्माण न कराने के लिये स्थाई रोक है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण ने विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेर को 5.76 लाख रु. का चैक सं. 132151 दि. 18-3-91 को भिजवाया गया था।

(4) इस सड़क का निर्माण कार्य शिकायत की जांच करने पर शिकायत सही होने के कारण नहीं करवाया गया।

(5) जी नहीं।

भीलवाड़ा नगर विकास, न्यास द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए भू-आवंटन

1407. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने सन् 1985 से फरवरी, 1992 तक भवन निर्माण के उपयोगार्थ किन-किन व्यक्तियों व संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिये किस-किस क्षेत्रफल की भूमि किस-किस दर पर किन-किन बस्तियों में किस किस तिथि को किन-किन नियमों के अन्तर्गत आवंटित की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा वर्ष 1985 से फरवरी 1992 तक 25 धार्मिक/सामाजिक व राजकीय एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं को नगरीय भूमि निस्तारण नियम, 1974 में नियम 18 व 19 के अन्तर्गत भूमि का आवंटन किया गया है सूची परिशिष्ट क-1 एवं क-2 पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर की रामनगर कालोनी में स्थित प्रजा सत्संग केन्द्र

1408. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर स्थित रामनगर कालोनी शास्त्री नगर, पानी की टंकी के पास में जे. डी. ए. की भूमि पर प्रज्ञा सत्संग केन्द्र के नाम से कोई संस्था काबिज है ?

(2) क्या उक्त संस्था को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन पर सत्संग केन्द्र बनाने की अनुमति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो स्वीकृति के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इसमें अभी कोई निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उसकी स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दी गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन पर पूर्व से ही शिव मंदिर स्थापित है और उसकी आड़ में उक्त केन्द्र द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर शिव मंदिर में प्रज्ञा सत्संग केन्द्र अंकित केन्द्र कर इसमें आवास बना रखा है ?

(5) क्या यह भी सही है कि स्थानीय नागरिकों ने लिखित में कोई शिकायत सरकार को भी की है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है ?

(6) क्या सरकार उक्त प्रकार की अनाधिकृत कार्यवाही को उचित समझती है ? यदि नहीं, तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, पार्क के दक्षिणी भाग में प्रज्ञा सत्संग केन्द्र ने बिना छत का कमरा निर्माण कर रखा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है।

(4) पार्क में पूर्व से ही मंदिर स्थापित है। पार्क की दीवार पर प्रजा सत्संग केन्द्र का नाम अंकित है वर्तमान में वहां कोई निवास नहीं करता है।

(5) राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बीकानेर की आवासन मंडल की मुक्ता प्रसाद कालोनी

1409. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर आवासन मण्डल की मुक्ता प्रसाद कालोनी की जमीन बाबत काश्तकारों के मामलों पर निर्णय लिये गये हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो कितने काश्तकारों के मामले कोर्ट में लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस कालोनी हेतु ग्राम चकगर्वी के जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई वे सम्वत् 2000 से 2024 तक निरन्तर काबिज थे मगर उन्हें खातेदारी अधिकार नहीं प्रदान किये गये थे और उपनिवेशन क्षेत्र घोषित करने के पश्चात् इन काश्तकारों को बजाय खातेदार मानने के भूमि आराजी राज करदी गई ? यदि हां, तो ऐसे काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल द्वारा मुक्ता प्रसाद कालोनी हेतु जो भूमि उप निवेशन विभाग से खरीदी उसका कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपनिवेशन विभाग ने प्राप्त नहीं किया था और नहीं उस वक्त उस भूमि पर काबिज काश्तकारों से कब्जा लिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के बावजूद निर्माण कार्य करवा रहा है ?

(5) सरकार ऐसे काश्तकारों को जो चार पीढ़ियों से उस भूमि पर काबिज हैं तथा गैर कानूनी बेदखल कर दिये गये हैं उनको राहत देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) बीकानेर आवासन मण्डल ने मुक्ता प्रसाद ग्राम चकगर्वी की जमीन उप निवेशन विभाग से क्रय की थी। उक्त जमीन का कब्जा उप निवेशन विभाग ने आवासन मण्डल को 12-7-84 को सौंपा था। आवासन मण्डल के खिलाफ निम्न व्यक्तियों ने राजस्व मण्डल, अजमेर एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर में मामले दायर कर रखे हैं :—

(1) श्री रमन लाल, बनाम, राज. आवासन मण्डल, राज्य सरकार

(2) श्री सरदार खां, बनाम, नगर विकास न्यास, राजस्थान आवा. मण्डल

(3) श्री मनीराम, बनाम, राज. आवासन मण्डल

(4) श्री भंवर लाल, बनाम, राज. सरकार, राज. आवासन मण्डल

(5) श्रीमती अंगूरी बनाम, नगर विकास न्यास, राज. आवासन मण्डल

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(6) श्रीमती उर्मिला, बनाम, नगर विकास न्यास, राज. आवासन मण्डल

(7) श्री प्रेम रतन, बनाम आवासीय अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल

(8) श्रीमती मोहनी देवी, बनाम, आवासीय अभियन्ता, राज. आवासन मण्डल

(9) श्री मोहन राम, बनाम, नगर विकास न्यास, राज आवासन

(2) जी नहीं।

चकगर्वी राजस्व तहसील बीकानेर का एक राजस्व ग्राम था जो सम्वत् 2024 में उप निवेशन में आया। मुक्ता प्रसाद कालोनी में चकगर्वी की जो भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा आवासन मण्डल को सौंपी गई है उस पर काश्तकार निर्बाध रुप से काबिज नहीं थे और आवंटित रकबा रेकार्ड में आराजीयात मास्टर प्लान क्षेत्र में होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। यही कारण है कि उक्त भूमि आराजीयात राज मानकर मण्डल को आवंटित की है। काश्तकारों की सूची संलग्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी नहीं।

उप निवेशन विभाग द्वारा आवासन मण्डल को दिनांक 12-7-84 को कब्जे में दी गई भूमि रिक्त कृषि भूमि थी भूमि अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि थी। अतः काश्तकारों से कब्जा करने का प्राप्त प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(4) जी नहीं।

(5) मण्डल ने उक्त भूमि उपनिवेशन विभाग से क्रय की थी अतः मण्डल द्वारा किसी काश्तकार को बेदखल नहीं करने के कारण राहत देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

हाथी बाबू का हत्था, जयपुर में सड़क तथा नाली निर्माण कार्य

1410. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हाथी बाबू का हत्था (स्टेशन रोड़, जयपुर) में अधिकांशतः अनुसूचित जाति और जन-जाति के परिवार निवास करते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में सड़कें और नालियां नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में यहां के निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार इस बस्ती के निवासियों से गृह कर लेती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्ती में विकास कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो इस प्रकार का टैक्स वसूलने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) अनुमानित रूप से इस क्षेत्र में कोई 250 परिवार निवास करते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लगभग 70 परिवार हैं।

(2) उक्त कालोनी में सड़कें बनी हैं, किन्तु नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे यहां के निवासियों को कठिनाई है।

(3) गृहकर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत एक अनिवार्य कर है, जो इस क्षेत्र के निवासियों से भी लिया जाता है।

(4) इस क्षेत्र में सड़कें बनी हुई हैं। यहां का विकास कार्य कच्ची बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत तीन वर्ष पूर्व जनहित में करवाया गया था। वर्तमान में बस्ती हेतु कोई विकास योजना विचाराधीन नहीं है, क्यों कि यह बस्ती प्राधिकरण की नियमित बस्ती नहीं है, अपितु प्राइवेट बस्ती है।

बीकानेर में नगर परिषद् द्वारा पुराने वार्डों में नाली निर्माण कार्य

1411. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नगर परिषद् बीकानेर के पुराने वार्ड संख्या 1 से 20, 25, 26, 27 तथा 33, 34, 35 में नालियों के निर्माण की क्या योजना है ? उक्त वार्डों की नालियां कब तक बनां दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

नगर परिषद् बीकानेर के पुराने वार्ड संख्या 1 से 20, 25, 26, 27 तथा 33, 34, 35 में नालियों के निर्माण की प्रस्तावित योजना का विवरण संलग्न है। नगर-परिषद् अपने आय स्रोतों के अनुसार प्रस्तावित नालियों के निर्माण को आवश्यकतानुसार वर्ष 1992-93 में निर्माण करा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

तोड़ी गई नगर परिषदों के कर्मियों को नियुक्ति

1412. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तोड़ी गई नगर परिषदों में नियुक्ति दिलाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में किसी भी नगर परिषद् को नहीं तोड़ा गया है।

नगर परिषद्, बीकानेर में सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पद

1413. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मनीराम सियाग)

(1) नगर परिषद्, बीकानेर में कुल कितने पद सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त चले आ रहे हैं ?

(2) क्या नगर परिषद्, बीकानेर में जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि और स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार सफाई कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो कितने कर्मचारी और चाहिए तथा सरकार उनकी नियुक्तियां कब तक करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर मेहतर श्रमिक संघ व सामाजिक न्याय व क्षमता मंच ने बीकानेर के दौरे के दौरान माननीय मुख्य मंत्री को इस संबंध में ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 नगर परिषद् बीकानेर में स्वीकृत बजट के अनुसार 1065 सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ।

(2) नगर परिषद् बीकानेर की जनसंख्या वर्ष 1981, स्टाफिंग पैटर्न व परिषद की आर्थिक स्थिति के अनुसार 1065 कर्मचारियों के लिए बजट प्रावधान स्वीकृत हैं । परिषद् की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर 123 पद भरने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

(3) जी हां । इसको ध्यान में रखते हुए बजट वर्ष 1992-93 के बजट में 1188 सफाई कर्मचारियों के पदों का प्रावधान रखे जाने का प्रस्ताव है ।

नगर पालिका, प्रतापगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को दुकानों का आवंटन

1414. श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर पालिका, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के लिए अब तक कितनी दुकानें बनाई गईं और किस-किस को आवंटित की गईं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या नगरपालिका प्रतापगढ़ ने वर्ष 1991-92 में नये लाइसेन्स जारी कर भूमि या गुमटियां आवंटित की हैं ? यदि हां, तो किन-किन नियमों के तहत किन-किन व्यक्तियों को ? क्या ये लाइसेन्स सही जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, प्रतापगढ़ द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 45 दुकानें बनाई जिनको दुकानें आवंटित की गई हैं । उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । नेहरू रोजगार योजना में स्वरोजगार योजना में चयनित एक व्यक्ति श्री बरदीचन्द/नारायणगिरी को

(श्री रखबचन्द मीणा)

नगर पालिकातहबाजारी व अतिछाजन उप नियम के अन्तर्गत 4 × 4 भूमि को लाइसेन्स पर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

गंगापोल (जयपुर) के बाहर की आवासीय कालोनीज में सड़क-नाली निर्माण कार्य

1415. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर की गंगापोल बाहर की आवासीय कालोनियों में मीना कालोनी को छोड़कर सरकार द्वारा किसी भी कालोनी में सड़क, नाली, रोड लाइट आदि जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई। यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार शान्ती कालोनी, जयन्ति कालोनी, शंकर कालोनी, नरवरपुरी गणेश कालोनी, बजरंग कालोनी, कन्हैया नर्सरी आदि क्षेत्रों में शीघ्र सड़क व नाली निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उपरोक्त कालोनियों में पानी निकास की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो प्राथमिक रुप से इनमें गन्दा पानी निकास के लिए नालियां आदि बनवाकर कोई व्यवस्था करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गंगापोल बाहर आवासीय कालोनीयों फकीरों की डूंगरी, छक्ष्मीनारायण पुरी, मण्डी खटीकान, सीतारामपुरी, ईदगाह, कालोनीयों में सड़क व नाली, बिजली इत्यादि कार्य करवाया गया है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण केवल अनुमोदित योजनाओं में वित्तीय राशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराने का विचार रखता है।

(3) उपरोक्त कालोनीयों में वर्तमान में पानी निकास स्थल ढलान के अनुसार प्राकृतिक रूप से हो रहा है।

नगरपालिका, सुमेरपुर में कर्मचारियों की पदोन्नति

1416. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नगर पालिका, सुमेरपुर में पिछले पांच वर्षों में कितने कर्मचारियों को किन-किन पदों से किन-किन पदों पर पदोन्नतियां दी गई? सूची मय पदोन्नति की तिथि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पदोन्नतियां स्वीकृत पदों या रिक्त पदों पर दी गई? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पदोन्नतियां प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी (कर्मचारी) वांछित योग्यता रखते हैं? यदि हां, तो योग्यता के मानदण्ड क्या हैं? पदोन्नति प्राप्त करने वाले

(श्री गुलाबसिंह)

अभ्यर्थियों की वांछित योग्यता की प्रामाणिकता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका, सुमेरपुर में पिछले पांच वर्षों में जिन कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई थी उन की सूची मय पदोन्नति की तिथि के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगरपालिका द्वारा पदोन्नति पैटर्न में स्वीकृत पदों पर की गई थी। सूची सदन की मेज रख दी गई है।

(3) पदोन्नति वांछित योग्यता रखने वाले वरिष्ठतम कर्मचारियों को दी गई है। योग्यता का विवरण सदन की मेज पर रखे जाने वाली सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

बरनाला (बामनवास) की जलदाय योजना

1417. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम बरनाला, तहसील बामनवास में जलदाय योजना कब प्रारम्भ हुई? अब तक इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय हुई?

(2) क्या यह सही है कि टंकी बने हुए दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त गांव में पानी नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक उक्त गांव के निवासियों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बरनाला रामसिंहपुरा, जिसमें ग्राम बरनाला भी सम्मिलित है, पर कार्य वर्ष 1989-90 में प्रारम्भ हुआ था। इस योजना पर अब तक 9.26 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(2) वर्तमान में हैण्डपम्पों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। क्षेत्रीय योजना के कार्य पूर्ण कर शीघ्र जल उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे है।

बागीदौरा में स्वीकृत हैण्डपम्प

1418. श्री सोमा (बागीदोरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1991-92 में बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति थी?

(2) कहां-कहां एवं कितने हैण्ड पम्प लगाये गये? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संदर्भित अवधि में बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत 10 हैण्ड पम्प लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) :

(2) सभी स्वीकृत 10 हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

"तीस ज़िले तीस काम योजना" के तहत जहाजपुर में पेयजल योजना

1419. श्री शिवजीराम, (जहाजपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जहाजपुर की शहरी जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो इससे किस-किस वार्ड को पेयजल उपलब्ध होगा ? क्या इस योजना से पूरे नगरपालिका क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पूरे नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(2) तीस जिले तीस काम योजना में जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी पेयजल योजना को लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें । इन योजनाओं के कार्य की क्या प्रगति है ? क्या 31 मार्च, 1992 तक राशि का उपयोग कर लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि तीस जिले तीस काम योजना में अखेपुरा (रोपां) पाइप लाइन एवं जालमपुरा पेयजल योजना को शामिल किया गया है ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई ? क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता की हठधर्मिता के कारण इन कार्यों का वर्क आर्डर नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । स्वीकृत संवर्धन योजना में वितरण व्यवस्था वार्ड संख्या 1 से 11 तक ही सीमित है । वार्ड संख्या 12 व 13 में 21 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं । इन दो वार्डों में नगरीय आधारभूत सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला समन्वयक भीलवाड़ा द्वारा नलकूप, भूतल जलाशय निर्माण इत्यादि हेतु कार्यवाही की गई है ।

(2) संदर्भित कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है । 31 मार्च, 1992 तक स्वीकृत राशि 5.65 लाख रु. के विरुद्ध 2.32 लाख रु. की राशि का उपभोग किया गया है । राशि में बचत के कारणों का उल्लेख परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 7 में उपलब्ध है ।

(3) जी हां । रोपां से पाइप लाइन विस्तार का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । जालमपुरा योजना के अन्तर्गत जलाशय निर्माण के आदेश दे दिये गये हैं । कार्य प्रगति में न होने के कारणों का उल्लेख परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें ।)

36

उदयपुर में चिकित्सा केन्द्रों पर रिक्त पद

1420. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर में कहां-कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एडपोस्ट, रेफरल अस्पताल कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद वर्तमान में कहां-कहां कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त चिकित्सालयों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त अस्पतालों में एक्सरे मशीन एवं मेटाडोर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? उदयपुर में वर्तमान में एक्सरे मशीन व मेटाडोर कहां-कहां हैं एवं कहां-कहां खराब पड़ी हैं ?

(6) क्या सरकार खराब पड़े उक्त उपकरणों को ठीक करवाने एवं जिन स्थानों पर वर्तमान में सुविधायें नहीं हैं वहां उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला उदयपुर में कार्यरत एवं रैफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एडपोस्टों की सूची संलग्न है।

(2) रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। पेरा मेडिकल के रिक्त पद प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव होगा।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) की सेवाएँ, रोग निदान हेतु एक्सरे तथा लेबोरेटरी सेवाएँ, रोगियों को लाने व ले जाने हेतु रोगी वाहन तथा रोग निवारण सेवाएँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामान्य चिकित्सा रोग निरोधक टीकाकरण सेवाएँ, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ तथा एडपोस्टों पर सामान्य चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है।

(5) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्सरे तथा रोगी वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है। उदयपुर जिले में उपलब्ध एक्सरे एवं रोगी वाहनों की सूची संलग्न है। वर्तमान में कोई एक्सरे मशीन व मेटाडोर वाहन खराब नहीं है।

(6) कोई उपकरण खराब नहीं है। समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

चिकित्सा केन्द्रों पर दवाइयों का आवंटन

1421. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों राजकीय चिकित्सालयों/मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों पर कितनी-कितनी राशि की दवाइयां सप्लाई करती है या इसके लिए उन्हें कितनी राशि दी जाती है ?

(2) क्या यह सप्लाई जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार क्या इस व्यय में वृद्धि करने का विचार है ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/राजकीय चिकित्सालयों/मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों को दवाइयों के लिये दी जाने वाली राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुये दवाइयों के अपर्याप्त होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

श्री गंगानगर में आत्महत्या के प्रकरण

1422. श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) :—क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में पिछले 6 वर्ष में कितने व्यक्ति जहरीली दवाई पीने, जलने व आत्महत्या के प्रयत्न के कारण अस्पताल में भर्ती करवाये गये व उनमें से कितनों की मृत्यु हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले में गत 5 वर्षों में दुर्घटनाग्रस्त होने पर कितने व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुए और उनमें से कितनों की मृत्यु हुई ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में पिछले पांच वर्षों में जहरीली दवाई पीने, जलने व आत्महत्या के प्रयत्न के कारण भर्ती करवाएं गए व मृत्यु की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) गत पांच वर्षों में श्री गंगानगर जिले में दुर्घटना ग्रस्त होने पर अस्पतालों में भर्ती हुए एवं मृत व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

कोटा, बांरा तथा झालावाड़ में नवसृजित चिकित्सा केन्द्र

1423. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में कोटा, बांरा एवं झालावाड़ जिले में कहां-कहां पर

(श्री हीरालाल आर्य)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, डाक्टर डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट प्रथम व द्वितीय ग्रेड खोली गयीं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार पीपल्दा क्षेत्र के बिनायका, तलाब, लुहावद तथा नीमोला में डाक्टर डिस्पेन्सरी तथा रामपुरा धाबाई, दुर्जनपुरा (कोटा) जलोदा तेजाजी, माल बमोरी तथा मटवाडा (बारां) एवं चाणदा खुर्द, बाबई तथा बलबन, मोहनपुरा (बून्दी) में एडपोस्ट खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) पीपल्दा क्षेत्र (बून्दी) के मोहनपुरा में उच्चीकृत उपकेन्द्र (एडपोस्ट) स्वीकृत कर दिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर डिस्पेन्सरी खोलने की कोई योजना नहीं है । योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर व स्थान की उपादेयता के आधार पर अन्य स्थानों के साथ इन पर भी विचार करना सम्भव होगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—10 देखें)

महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा के मृत इन्डोर पैशेन्ट्स

1424. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के माह फरवरी तक मेटरनिटी सर्जिकल, मेडीकल तथा अन्य यूनिटों में कितने-कितने रोगी अलग-अलग महीनों में भर्ती हुये और उनमें से कितनों की उपचार के दौरान मृत्यु हुई तथा मरने के पीछे क्या-क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

70 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की निशुल्क चिकित्सा

1425. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री एवं स्वास्थ्य यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माननीय चिकित्सा मंत्री जी की इस घोषणा के बाद कि 70 वर्ष से ऊपर की आयु के रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जायेगी, इस आयु सीमा के वृद्ध व्यक्तियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क औषधि वितरण हेतु क्या व्यवस्था की गई ?

(2) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में अब तक कितने वृद्धों को निःशुल्क औषधि लाभ प्रदान किया गया व उस पर कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालयों में 70 वर्ष से ऊपर की आयु के रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश परिपत्र दिनांक 9-1-1991 द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं और यथा सम्भव निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) निःशुल्क औषधि वितरण हेतु पृथक से रिकार्ड नहीं रखा जाता। अतः इस पर कितना व्यय हुआ, उत्तर देना संभव नहीं है।

डीडवाना (लालसोट) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन हेतु भू-आवंटन

1426 श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डीडवाना का भवन बनाने के लिए जिलाधीश दौसा द्वारा खसरा नं. 1519 की चरागाह भूमि में से भूमि आवंटित की जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त भूमि का आवंटन कब किया गया?

(2) भूमि आवंटन के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा भवन का कार्य करवाने की स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी?

(3) क्या सरकार आवंटित भूमि पर शीघ्र कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश महोदय दौसा के आदेश क्रमांक आर/18ए/264/91/647-654 दिनांक 10-2-1992 द्वारा यह आवंटन किया गया है।

(2) भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं है, प्रस्तावित भूमि ग्राम डीडवाना से दूरी पर है व मुख्य सड़क से 100 मीटर की दूरी पर है। रास्ते में अनाधिकृत निर्माण हैं इसीलिये भवन का कार्य करवाने की स्वीकृति फिलहाल नहीं दी गयी है।

(3) उपर्युक्त भूमि के बारे में अन्तिम निर्णय हो जाने के पश्चात् ही भवन निर्माण कराना संभव हो सकेगा।

पाली जिले में आर. एम. पी. डिग्रीधारी डाक्टर्स के विरुद्ध शिकायत

1427. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने राज्य में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर (आर.एम.पी.) की डिग्री कब से बंद की है?

(2) भारत के किस-किस प्रदेश द्वारा प्रदत्त आर. एम. पी. डिग्रीधारी राजस्थान में प्रेक्टिस कर सकते हैं?

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

(3) क्या पाली जिले में किसी आर. एम. पी. डिग्रीधारी डाक्टर के विरुद्ध वर्ष 1991–92 में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य में कभी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर्स (आर. एम. पी) को कोई डिग्री नहीं दी गई।

(2) जानकारी के अनुसार आर. एम. पी. की कोई डिग्री नहीं होती है अपितु योग्यता के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सा-भ्यास के रजिस्ट्रेशन हेतु गठित मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन किये जाने पर रजिस्टर्ड व्यक्ति (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर) प्रेक्टिस कर सकता है।

(3) जी हां। पाली जिले से तीन व्यक्ति जो अपने आप को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स (आर. एम. पी.) बतलाते हैं के विरुद्ध विभाग को वर्ष 1991 92 में शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी जांच की गई प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. श्री विजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री रमाशंकर मालिक विश्वकर्मा क्लीनिक पाली के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

2. श्री तुलसीराम जोशी पुत्र श्री राम चन्द जोशी मालिक आरोग्य दवाखाना, पाली के बारे में न्यायिक कार्यवाही हेतु सूचना प्राप्त की जा रही है अन्तिम निर्णय विचाराधीन है।

3. श्री पोपट पटेल मालिक पटेल मेडिकल स्टोर, मारवाड़ जंक्शन पाली बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान से 'बी' श्रेणी में पंजीकृत वैद्य है।

उपरोक्त क्रम संख्या एक व्यक्ति के विरुद्ध ड्रग्स एवं कोस्मेटिक अधिनियम के अन्तर्गत बिना वैद्य लाइसेन्स औषधि संग्रह किये जाने पर न्यायिक कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं तथा क्रम संख्या दो पर अंकित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का निर्णय विचाराधीन है। क्रम संख्या 3 के मामले में आयुर्वेद विभाग ही कार्यवाही करने हेतु सक्षम है।

पिण्डवाड़ा में स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण

1428. श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) एवं

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र आबू, पिण्डवाड़ा में, पिण्डवाड़ा स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे मशीन, लेबोरेटरी की स्थापना

(श्री प्रभूराम गरासिया)

व महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। लेबोरेटरी सेवा उपलब्ध होने पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर लगाना संभव होगा।

जालौर की सिटी डिस्पेन्सरी

1429. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(1) क्या यह सही है कि जालौर में एक "सिटी डिस्पेंसरी" स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या डिस्पेंसरी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है? यदि हां, तो कब से तथा किस स्थान पर? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब यह डिस्पेंसरी कब तक कार्य प्रारम्भ कर देगी?

उत्तर

(1) जी, हां। जालौर में "सिटी डिस्पेंसरी" की स्वीकृति दिनांक 31-3-92 को जारी की गई।

(2) जी नहीं।

(3) "सिटी डिस्पेंसरी" हेतु भवन उपलब्ध होने पर डिस्पेंसरी चालू की जा सकेगी।

पी. डब्ल्यू. डी. फर्नीचर स्टोर, जयपुर में अग्निकाण्ड

1430. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दीपावली 1991 की रात पी. डब्ल्यू. डी. फर्नीचर स्टोर, जयपुर में आग लग गई थी? यदि हां, तो उसमें सरकार का अनुमानित कितना नुकसान हुआ?

(2) क्या यह सही है कि वहां दीपावली की रात उस दिन स्टोर कीपर, एक कनिष्ठ अभियन्ता श्री रामखिलाड़ी मीणा व गार्ड ड्यूटी पर थे?

(3) पी डब्ल्यू. डी. फर्नीचर स्टोर में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियंता, स्टोर कीपर यहां कब से कार्यरत हैं? क्या इनके घर पर पी. डब्ल्यू डी. स्टोर का फर्नीचर चैक किया गया है कि उनके यहां कितना सरकारी फर्नीचर, पर्दे वगैरह लगे हुए हैं? क्या उक्त फर्नीचर का सरकारी लैजर में कोई लेखा जोखा है?

(4) क्या सरकार यह नहीं मानती कि उक्त अग्नि काण्ड में इन अधिकारियों का हाथ है तथा फर्नीचर की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी फर्नीचर स्टोर के कार्य तथा फर्नीचर वितरण में लैजर में एण्ट्री नहीं करना उक्त अग्नि कांड का कारण नहीं है?

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(5) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई जांच करवाई गई है तथा क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को सजा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के फर्नीचर स्टोर में आग नहीं लगी थी, यह आग ऑफिस के पिछवाड़े के खुले परिसर में लगी थी। आग से हुई क्षति का अनुमान लगाने हेतु विभाग द्वारा कमेटी का गठन किया गया है जिसकी जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने पर क्षति ज्ञात होगी।

(2) दिनांक 5-11-91 को दीवाली के दिन राजकीय अवकाश पर कार्य प्रभारी श्रमिकों की छुट्टी नहीं थी इसके कारण श्री राम खिलाड़ी मीणा कनिष्ठ अभियन्ता करीब सायं 3.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित थे। तथा रात को श्री गुंगासिंह, चौकीदार खुले यार्ड में ड्यूटी पर उपस्थित था एवं श्री बल्लू II फराश फर्नीचर स्टोर में मुख्यालय पर ड्यूटी पर उपस्थित था।

(3) फर्नीचर स्टोर में वर्तमान में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है :—

1. श्री डी. पी. खण्डेलवाल, 11-3-91 से सहायक अभियन्ता
2. ,, रामखिलाड़ी मीणा, 1-2-91 से कनिष्ठ अभियन्ता
3. ,, के. डी. टांक, 2-9-81 से स्टोर कीपर

उक्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में श्री रामखिलाड़ी मीणा, कनिष्ठ अभियंता को फर्नीचर स्टोर से जारी किये गये फर्नीचर की सूची "क" संलग्न है। जिसकी प्रविष्टी फर्नीचर स्टोर के उनके व्यक्तिगत खाते में की हुई है।

(4) सम्बन्धित अग्नि काण्ड की जांच पुलिस विभाग द्वारा एवं विभागीय जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथ्य सामने आयेंगे। फर्नीचर सम्बन्धित जो भी खरीद फरोख्त की जाती है वह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है। खरीद किये गये सामान की समय-समय पर स्टोक लेजर में पूर्ण प्रक्रिया के साथ प्रविष्टियां की जाती है। जारी किये गये सामान का स्टाक लेजर भी पूर्ण कर लिया गया है।

(5) हां, पुलिस विभाग एवं विभागीय जांच कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

सड़क व नाली निर्माण के लिए राशि का विशेष प्रावधान

1431. श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1991-92 में सरकार द्वारा सड़क व नाली निर्माण हेतु विशेष प्रावधान किया गया ? यदि हां, तो तद्विषयक कितनी राशि स्वीकृति की

(श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास)

गई ? इसमें से कितनी-कितनी राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग व स्वायत्त शासन को दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस स्वीकृति राशि में से जोधपुर मुख्यालय को कितनी राशि आवंटित की गई और उस राशि का उपयोग जोधपुर जिला मुख्यालय द्वारा कहां-कहां पर किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में राज्य सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों के नगर परिषद क्षेत्रों के अन्तर्गत सड़कों के विकास/मरम्मत कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से 304.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालय के अलावा नगरपालिकाओं में सड़क निर्माण मरम्मत कार्य हेतु 204.30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी।

(2) सम्पूर्ण रुपये 25.00 लाख की स्वीकृति नगर परिषद् क्षेत्र जोधपुर में सड़कों के विकास कार्यों के लिए थी। उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग नगर परिषद् क्षेत्र जोधपुर शहर में संलग्न सूची "अ" में दर्शाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

अटरू तहसील में सड़क निर्माण कार्य

1432. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अटरू तहसील में मेरमा चाह से कुन्जेड़ व डडवाड़ा से आटोंन गांव को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितने-कितने किलोमीटर की ?

(2) क्या उक्त स्वीकृत सड़क गांवों को जोड़ देगी ? यदि नहीं, तो शेष बची दूरी की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मेरमा चाह से कुन्जेड़ सड़क की स्वीकृति 7.50 किमी तथा डडवाड़ा से आटोंन सड़क की स्वीकृति 4 कि.मी. की जारी की है।

(2) जी नहीं। शेष बची दूरी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में दिया जाना सम्भव नहीं है।

निवाई बाई पास रोड से लकड़ी की बल्लियों की चोरी

1433. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निवाई बाई पास पर वृक्षारोपण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 12 पर लकड़ी की बल्लियां लगाकर फैंसिग की गई थी ? यदि हां, तो उक्त फैंसिग कब की गई

Page No. 44

(44)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

और किस नाप की कितनी बल्लिया लगाई गई ?

(2) क्या चोरी गई बल्लियों की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ? रिपोर्ट कब दर्ज हुई और अन्तिम रिपोर्ट कब लगाई गई ? दोनों रिपोर्टों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दूसरी बार 10-2-1992 को 3500 बल्लियां चोरी जाने पर उसकी सूचना पुलिस को दी गई थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट थाने में क्या उसी दिन दर्ज करली गई थी ? यदि हां, तो प्राथमिक रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता आये दिन बाई पास की प्रगति का कार्य देखने जाते थे ? यदि हां, तो क्या उनका ध्यान कभी चोरी जाने वाली बल्लियों की ओर गया या सारी बल्लियां एक बार में ही चोरी गई ? क्या उसमें उन्होंने निरीक्षण के दौरान चोरी गई बल्लियों के बारे में टिप्पणी लिखी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त कैंसिंग दिनांक 22-8-1990 से दिनांक 30-3-1991 की अवधि में लगाई गई जिसमें 2 मीटर लम्बी लगभग 18,000 बल्लियां लगायी गयी थी।

(2) जी, हां। दिनांक 19-9-91 को चोरी गई लगभग 1600 बल्लियों की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना निवाई में दर्ज कराई गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है। पुलिस द्वारा दिनांक 27-9-91 को इस मामले की अंतिम रिपोर्ट लगाई गई जिसकी प्रति परिशिष्ट–"ख" संलग्न है।

(3) दूसरी बार दिनांक 9-2-1992 तक चोरी गई कुल 3500 बल्लियां (जिनमें पूर्व की उपरोक्त 1600 बल्लियां भी सम्मिलित है) की रिपोर्ट उक्त पुलिस थाने में दिनांक 10-2-1992 को कनिष्ठ अभियन्ता निवाई द्वारा दी गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट–"ग" संलग्न है। उक्त पुलिस थाने ने इस पूरे प्रकरण को एक ही मान कर दुबारा रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी।

(4) जी, हां। सारी बल्लियां एक बार में चोरी नहीं गई। मिट्टी का कार्य करते समय कुछ बल्लियां गिर गई थी और कार्य के दौरान बल्लियां चोरी चली गई। निरीक्षण के दौरान चोरी गई बल्लियों के ध्यान में आने पर पुलिस में उक्त प्रकार से रिपोर्ट दर्ज करवायी गई। चूंकि कार्य स्थल पर ही पुलिस में रिपोर्ट कराने सम्बन्धी निर्देश दे दिये गये थे, निरीक्षण टिप्पणी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गयीं।)

मेनाल (बेगूं) में मिडवे का निर्माण कार्य

1434. श्री भंवरलाल जोशी (माण्डलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(भंवरलाल जोशी)

(1) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मेनाल तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ पर निर्माणाधीन मिडवे का कार्य स्वीकृत योजना एवं बजट के अनुसार चल रहा है ? यदि हां, तो विभाग को इसके लिए कितनी राशि मिली ? अब तक उसमें से कितनी राशि खर्च हुई तथा उससे कितना कार्य हो चुका है और अब कितना कार्य कितनी लागत का शेष है ?

(2) यह कार्य कब तक पूरा होने का अनुमान है ?

(3) क्या यह सही है कि मेनाल मिडवे के प्रारूप एवं बजट में स्वीकृति के बाद कोई परिवर्तन अथवा राशि से कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्या और उसके क्या कारण है ?

उत्तर

(1) मेनाल तहसील बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ में कैफेटेरिया निर्माणाधीन है। यह कार्य भारत सरकार के पर्यटन विभाग से प्राप्त 3.72 लाख रुपये की स्वीकृति के अन्तर्गत किया जा रहा है। कार्य स्वीकृत योजना एवं बजट के अनुसार चल रहा है। इस कार्य के लिए भारत सरकार से 3.72 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार से 1.20 लाख रु. की राशि की स्वीकृति प्राप्त होनी है। अब तक इस कार्य पर 4.10 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है। भवन में फर्श की घिसाई, रंग, सफेदी इत्यादि का कार्य लगभग 60,000 की राशि का शेष है।

(2) यह कार्य माह मई के अन्त तक पूर्ण होने के अनुमान है।

(3) स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रारूप एवं बजट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सड़क निर्माण हेतु अवाप्त कृषि भूमि का मुआवजा

1435. श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ा-मीम) एवं

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सड़क निर्माण में अवाप्त काश्तकारों की भूमि (चाही प्रथम एवं द्वितीय नहरी बारानी एवं उजड) प्रत्येक की किस्म की मुआवजा राशि दी जाती है ? यदि हां, तो मुआवजा राशि देने के वर्ष 1986–87 से 1991–92 तक क्या-क्या मानदण्ड और प्रावधान रहे हैं ? प्रत्येक किस्म की भूमि का पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दौसा में वर्ष 1985 से 1991–92 तक विभाग द्वारा दौसा सैंथल सड़क निर्माण वास्ते भूमि अवाप्त की थी ? अन्तिम एलाइमेन्ट के समय का मानचित्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़क हेतु अवाप्त भूमि के मुआवजे का काश्तकारों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो भूमि की किस्म

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(चाही प्रथम एवं द्वितीय नहरी तथा बंजड़) प्रत्येक की मुआवजा राशि की दर क्या रही तथा कब-कब, कितने-कितने हिस्सों में कितना-कितना प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया, नाम सहित काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि काश्तकारों की अवाप्त भूमि का मुआवजा विभाग के मानदण्डों एवं नियमों में नहीं दिया गया है ? ऐसे में बापी गांव के कितने काश्तकारों ने आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है ? उक्त गांव के काश्तकारों की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है और अब कब तक उनको भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि अप्रोच सड़क का निर्माण राज-पत्र में प्रकाशित कार्यवाही के बाद ही किया जाता है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र दौसा की सड़कें उक्त वर्षों में किस-किस की कितनी-कितनी राज-पत्र में कब-कब प्रकाशित हुई ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1986-87 से 1991-92 तक मुआवजा राशि भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 4(1) की विज्ञप्ति के समय किस्मवार भूमि की बाजार दर के आधार पर दी जाती रही है। प्रत्येक किस्म की भूमि के मुआवजा राशि का विवरण वह भूमि कहां स्थित है एवं किस उपयोग में आ रही है यह ज्ञात होने पर ही दिया जा सकता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र दौसा में विभाग द्वारा दौसा सैंथल सड़क मार्ग पर बापी ग्राम के निकट बाण गंगा नदी पर एक पुल की सम्पर्क सड़क बनाने हेतु वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई। इस सम्पर्क सड़क के अलाइन्मेन्ट का मानचित्र एवं अवाप्त की गई भूमि की सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" संलग्न है।

(3) उपरोक्त सम्पर्क सड़क हेतु अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान अधिकांश काश्तकारों को कर दिया गया है जिनका विवरण परिशिष्ट "ग" संलग्न है। भूमि की किस्म मुआवजा राशि की दर तथा मुआवजा राशि भुगतान का प्रतिशत भी संलग्न परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है।

(4) काश्तकारों की अवाप्त भूमि का मुआवजा नियमों के अन्तर्गत ही दिया गया है एवं तय शुदा मुआवजा राशि के विरुद्ध किसी भी काश्तकार ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। जिस राशि का भुगतान शेष है उसे संलग्न परिशिष्ट "ग" में दर्शाया गया है। इस शेष भुगतान को भी लगभग एक माह में कर दिया जायेगा।

(5) सड़क के निर्माण कार्य की भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् ही हाथ में लिया जाता है। विधान सभा क्षेत्र दौसा में उक्त वर्षों में सड़कों पर भूमि अवाप्ति

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की कार्यवाही की गई उसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "घ" में सलग्न है।

(मानचित्र तथा सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला सवाई माधोपुर के औषधालय

1436. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाई माधोपुर जिले में कितने औषधालय कहां-कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन आयुर्वेद औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं ? यदि हां, तो कितने औषधालय ऐसे हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं, सरकार उन औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में 178 आयुर्वेदिक, 9 युनानी व 3 होम्योपैथिक चिकित्सालय व औषधालय स्वीकृत हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट–1 में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सवाई माधोपुर जिले में स्वीकृत व संचालित 178 आयुर्वेद औषधालयों में से 57 औषधालयों में परिचारक के पद सृजित नहीं हैं तथा 13 औषधालयों में परिचारक के पद रिक्त हैं। इनकी सूची परिशिष्ट–2 में सदन की मेज पर रखें दी गयी है।

(3) जिन औषधालयों में परिचारक का पद सृजित है और वर्तमान में रिक्त है, उन्हें जून, 1992 तक भर दिया जावेगा।

जहां परिचारक के पद ही सृजित नहीं है वहां वित्तीय साधनों के अनुसरण में क्रमशः पद सृजित कर नियुक्त करना संभव हो सकेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

पंचायत समिति मकराना के गांवों का विद्युतीकरण

1437. श्री मोहनलाल (परबतसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर की पंचायत समिति मकराना में कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा अब कितने ग्राम शेष हैं ?

(2) वर्ष 1990–91 व 1991–92 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ?

(3) शेष रहे ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जिला नागौर की पंचायत समिति मकराना में कुल 108 ग्राम हैं, जिनमें से मार्च, 1992 के अन्त तक 102 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका हैं। 6 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं।

(2) पंचायत समिति मकराना में वर्ष 1990--91 तथा 1991–92 में क्रमशः 3 एवं 2 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

(3) पंचायत समिति मकराना के मार्च, 1992 के बाद रहे अविद्युतीकृत 6 ग्रामों में से 3 ग्राम क्षेत्र में चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं तथा 3 ग्राम विद्युतीकरण हेतु किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। योजना मद में उपलब्ध राशि के अनुसार वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम बनाया जाता है। अतः योजना में स्वीकृत सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करना संभव नहीं हो पाता है।

सौर ऊर्जा से जलने वाली रोड लाइट्स

1438. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का किस-किस रूप में कितना प्रयोग हो रहा है?

(2) प्रान्त भर में सौर ऊर्जा से जलने वाली कुल कितनी रोड लाइट्स लगवायी गयी हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन लाइट्स के बन्द होने के मुख्यतया क्या कारण होते हैं तथा उनकी दुरुस्ती के लिए क्या कार्यवाही की जाती है?

(4) क्या यह सही है कि बहुत छोटी-छोटी गड़बड़ियों के कारण बन्द होने वाली लाइट्स को सुधारने के लिए दूर-दूर से मिस्त्री बुलाये जाते हैं, जिन पर विभाग का काफी खर्च आता है?

(5) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मिस्त्रियों को प्राथमिक प्रशिक्षण देकर छोटी-मोटी गड़बड़ियों को स्थानीय स्तर पर ही सुधरवाने की व्यवस्था करेगी?

(6) प्रान्त भर की सभी लाइट्स को चालू करवाने का काम सरकार कब तक पूरा करवा लेगी?

(7) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी और लाइट्स लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी, कहां-कहां और कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा से संचालित लाइटों, पानी गर्म करने के संयन्त्र, सोलर कुकर के रूप में संलग्न प्रपत्र "अ" के अनुसार प्रयोग किया जा रहा है।

(2) प्रान्त भर में सौर ऊर्जा से चलने वाली 5401 रोड लाइटें लगायी गई हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

जिलेवार सूची संलग्न प्रपत्र "ब" तथा "स" पर उपलब्ध है।

(3) अधिकांश लाइटें बैट्री की खराबी के कारण बन्द होती हैं इसके अलावा ट्यूब रोड व इन्वरटर के कार्य क्षमता की सीमा होती है। मुख्यतः इन्हीं कारणों से लाइटें खराब होती हैं। ऐसी लाइटों की दुरुस्ती हेतु स्थानीय युवकों को रील के द्वारा प्रशिक्षित कराया गया है एवं इसका दायित्व पंचायत समिति का है। इस सम्बन्ध में प्रसारित आदेश की प्रति प्रपत्र "द" पर उपलब्ध है।

(4) कई मामलों में उचित देखभाल एवं सुरक्षा के अभाव में लाइटों में बड़ी खराबी आ जाती है जिसको रील के माध्यम से ठीक कराया जाता है।

(5) उक्त व्यवस्था 1988 से लागू की हुई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "द" संलग्न है।

(6) 7 जिलों की लाइटों को ठीक करवा दिया गया है। शेष का कार्य प्रगति पर है।

(7) जी नहीं। अब इन लाइटों के स्थान पर पूरे ग्राम को विद्युतीकृत करने के लिए सोलर पावर पैक के तहत घरों में कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक टी.वी., सोलर वाटर पम्प आदि लगाये जायेंगे।

(सूचियां एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

अजमेर नगर में विद्युत की खपत

1439. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में अजमेर नगर की विद्युत मांग कुल कितनी है ?

(2) क्या 220 के. वी., जी.एस.एस., मदार स्थित ग्रिड सब स्टेशन पर लगे 20/25 एम. वी. ए. के ट्रान्सफार्मर्स अजमेर शहर की मांग की पूर्ति करने में सक्षम है ?

(3) क्या अजमेर दुग्ध डेयरी के पास 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस ग्रिड का कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान अजमेर नगर की कुल अनुमानित मांग लगभग 25–28 एम.वी.ए. है।

(2) 220 के. वी. मदार स्थित जी. एस.एस. पर 20/25 एम. वी. ए. एवं 7.5 एम. वी. ए के ट्रान्सफारमरों द्वारा अजमेर शहर को विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिसकी वर्तमान क्षमता अजमेर शहर की मांग के अनुसार विद्युत भार लेने के लिये सक्षम है।

(3) अजमेर दूध डेयरी के पास 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन अभी प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि नसीराबाद 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन 31 मार्च को चालू हो गया

Page No. 50

(ऊर्जा मंत्री)

है। अतः अन्य 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन दुग्ध डेयरी के पास बनाने की आवश्यकता नहीं है।

मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) के ग्रामों में विद्युतीकरण

1440. श्री भंवरलाल जोशी (मांडलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में गत नवम्बर में हुये उप चुनाव के दौरान विद्युतीकरण के लिए खम्बे डलवाये गये थे जो अभी तक वहां पड़े हुये हैं जैसे—ग्राम नया नगर, जलेरी, कांमा भाटखरला, खडीपुर आदि में ? यदि हां, तो क्या ये ग्राम विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो इनके स्वीकृति आदेश सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चरण नम्बर 1 में वर्णित ग्रामों के डिमाण्ड नोटिस जारी कर राशि जमा कराने की कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो इन ग्रामों में विद्युत् कब तक सप्लाई कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जनता में सरकार के प्रति उत्पन्न असंतोष को दूर करने के लिये तुरन्त विद्युतीकरण प्रक्रिया शुरू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

उत्तर

(1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नयानगर, जलेरी, कांमा व खडीपुर में 11 के. वी. लाइन खेंच कर ये विद्युतीकृत घोषित किये गये हैं। ग्राम भाटखरकला जन गणना पुस्तिका में अंकित नहीं है। ग्राम नया नगर, खडीपुर एवं कांमा में विद्युत् कनेक्शन जारी करने हेतु ग्रामों में पोल डाले गये हैं। मण्डल के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार यह ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं। प्रति संलग्न है।

(2) ग्राम खडीपुर में विचाराधीन घरेलू आवेदन पत्रों के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं। ग्राम नया नगर व कांमा के विचाराधीन घरेलू आवेदनों पर तकमीना बनाने का कार्य प्रगति पर है। ग्राम जलेरी में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। मांग पत्र राशि जमा कराने के पश्चात् आवेदक द्वारा मण्डल नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(3) उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण है। जिन ग्रामों में आवेदन प्राप्त हो गये है उन्हें मण्डल नियमानुसार लाइनों का कार्य कर कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया की जा रही है। जिन ग्रामों में आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं उनमें आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् मण्डल नियमानुसार कनेक्शन देने की प्रक्रिया की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उप मुख्य अभियन्ता, विद्युत मण्डल, उदयपुर पर गबन का आरोप

1441. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल, उदयपुर के उप मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध विद्युत मण्डल द्वारा एक जांच की गई थी जिसमें 28·50 लाख रुपये के गबन के आक्षेप थे ? यदि हां, तो उस जांच का उद्देश्य क्या था तथा इस जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उपलब्ध सूचना के अनुसार विद्युत मण्डल के उदयपुर के वर्तमान उप मुख्य अभियन्ता श्री गोवर्धन सिंह राठौड के विरुद्ध 28·50 लाख रुपये के गबन के कोई आक्षेप नहीं थे। अलबत्ता इनके विरुद्ध जब वे 1972–73 व 1973–74 में अधिशाषी अभियन्ता (कन्सट्रक्सन), उदयपुर के पद पर कार्य कर रहे थे, सामान की खरीद में अनियमितताओं की एक शिकायत थी जिसकी जांच की जाकर मामला मण्डल के समक्ष रखा गया था तथा मण्डल के निर्णय के अनुसार आदेश दिनांक 14 जून 1983 द्वारा इन्हें दण्डित किया जाकर इनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई थी।

नगर कापरेन (बून्दी) में वोल्टेज की समस्या

1442. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर कापरेन (बून्दी) में वोल्टेज की समस्या है ? यदि हां, तो सरकार ने सुधार के लिए क्या कोई कदम उठाये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कापरेन क्षेत्र में 11 के. वी. विद्युत लाइन के स्थान पर 33 के. वी. विद्युत लाइन परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। लोड के बढ़ जाने के कारण एक 33/11 के. वी. सब स्टेशन घाट का बराना की कार्य प्रगति पर है तथा सब स्टेशन स्थापित होने के बाद इससे निकलने वाले 11 के. वी. फीडर से कापरेन को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के बाद कापरेन बून्दी में वोल्टेज में और अधिक सुधार हो जायेगा।

(2) वर्तमान में इस सन्दर्भ में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में सहायक प्रोफेसर्स के पदों हेतु साक्षात्कार

1443. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा वर्ष 1991-92 में सहायक प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई

(श्री सांवरमल)

थी ? यदि हां, तो साक्षात्कार में योग्य पाये जाने के लिए क्या मानदण्ड रखा गया है एवं प्राप्त आवेदनों में से विभिन्न विभागों में कौन-कौन से आवेदक साक्षात्कार के योग्य पाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा N. E. T. परीक्षा पास होना आवश्यक नहीं है ? यदि हां, तो कब तक के लिये ?

(3) उक्त सहायक प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए कब तक साक्षात्कार ले लिए जायेंगे तथा चयन का क्या मानदण्ड रखा जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। साक्षात्कार योग्य पाये गये आशार्थियों के लिये रखे गये मानदण्ड की प्रति संलग्न है। विभिन्न विभागों में साक्षात्कार योग्य आशार्थियों की सूची बताया जाना सम्भव नहीं है, चूंकि आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 24·4·92 है।

(2) इस परीक्षा के होने या न होने की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 25·24 92 के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। साक्षात्कार में निर्धारित योग्यता ही मानदण्ड का आधार होता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

फसल बीमा योजना

1444. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान में फसल बीमा लागू है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या फसल बीमा योजना किसानों के व्यापक हित में थी ? यदि हां, तो फसल बीमा समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार जनहित में फसल बीमा योजना पुनः लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में फसल बीमा योजना लागू नहीं है। पूर्व में रबी 85-86 व खरीफ 86-87 में यह योजना लागू की गई थी जो सीमित संसाधनों एवं इस पर होने वाले अधिक व्यय को ध्यान में रखकर बन्द कर दी गई।

(2) फसल बीमा योजना किसानों के व्यापक हित में है लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति इसके व्यय को वहन करने में असमर्थ थी, इसलिए फसल बीमा योजना बन्द की गई।

(3) अभी तक राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि कब से फसल बीमा योजना लागू कर दी जायेगी।

राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी वरिष्ठता सूची

1445. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ने पत्रांक प. (ग्रुप-1-ग) नियु./79/28988-20047 दिनांक 7-6-1979 के द्वारा अजमेर खण्ड पूर्व की मण्डी समितियों के कनिष्ठ लिपिकों/नीलाम लिपिक आदि की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी एवं चयन मण्डल ने क्र. सं. 1 से 47 तक अंकित कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक/नीलाम लिपिक/नीलामकर्त्ता संवर्ग से क्रमानुसार वरिष्ठ लिपिक/पर्यवेक्षक कनिष्ठ लेखाकार पदों पर पदोन्नति किये जाने की सिफारिश की थी?

(2) यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों को क्र. सं. 1 से 47 पर अंकित सूची में पदोन्नतियां किस-किस पद पर कब-कब दी गई? पूर्ण सूची मय वरिष्ठता सूची के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान ने कार्यालय आदेश क्रमांक प. (ग्रुप-1-ग) नियु./79/47915-95 दिनांक 16-10-1979 के द्वारा क्रमांक 1 से 47 पर अंकित कर्मचारियों नेशनल प्लेसमेंट में पदोन्नति हेतु अनुमोदन किया?

(4) क्या यह सही है कि उक्तानुसार पदोन्नतियां नहीं दिये जाने के फलस्वरूप निदेशक, कृषि विपणन के आदेश दिनांक 2-9-2986 द्वारा प्रकाशित सीकर खण्ड की वरिष्ठता सूची में अंकित कर्मचारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली और विभाग ने मजबूरन उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-2-1979 के क्रम में नोशनल प्लसमेंट का लाभ दिया गया? यदि हां, तो तत्संभित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रश्न के भाग (1) से (4) के क्रम में वर्ष 1973 तक नियुक्त कनिष्ठ लिपिक संवर्ग के कितने कर्मचारी उच्च न्यायालय के आदेश की भावना के अनुरूप नोशनल प्लेसमेंट से पदोन्नति के पात्र हैं तथा उन्हें अब कब तक अपेक्षित पदोन्नतियां दे दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) प्रश्न के भाग (5) में उल्लेखित कितने कर्मचारी नोशनल प्लेसमेंट के अन्तर्गत 29-6-1980 से 28-6-1983 तक वरिष्ठ लिपिक एवं 29-6-1983 से पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के योग्य हैं एवं उन्हें अब कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर ने आदेश क्रमांक प./ग्रुप-1-ग/नियु./79/28988–29047 दिनांक 7-6-79 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक/नीलाम लिपिक/नीलामकर्त्ता संवर्ग की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की थी एवं चयन मंण्डल ने क्र सं. 1 से 47 तक की वरिष्ठता सूची में से 31 कर्मचारियों को ही पदोन्नति करने की सिफारिश की थी। वरिष्ठता सूची क्र. सं. 1 से 16 एवं क्र. सं 18 व

(कृषि मंत्री)

29 की वरिष्ठ लिपिक के पद पर क्र. सं. 1 से 10 एवं 13, 18 व 29 को वरिष्ठ लिपिक से पर्यवेक्षक/कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति किये जाने की सिफारिश की थी।

(2) जिन कर्मचारियों की क्र. सं 1 से 47 तक अंकित सूची में पदोन्नतियां दी गई है उनका विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है। वरिष्ठता सूची की प्रति परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(3) कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान जयपुर से आदेश क्रमांक प. /ग्रुप-1-ग/ नियु./79/47915-95 दिनांक 16·10·79 के द्वारा क्रमांक 1 से 47 पर अंकित कर्मचारियों में से 31 कर्मचारियों को नोशनल प्लेसमेंट में पदोन्नति देने का अनुमोदन किया है। प्रतिलिपि संलग्न है।

(4) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27·2·89 के अनुसरण में नोशनल प्लेसमेंट का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक निकृवि/म. स./89/18550-56 दिनांक 3·6·89 की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(5) कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में ऐसे कितने कर्मचारी पदोन्नति योग्य हैं के बारे में परीक्षण के उपरान्त ही विदित हो सकेगा। अत: ऐसे मामलों में परीक्षण कर यदि नियमानुसार उचित होगा तो पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

(6) जो कर्मचारी परीक्षण के उपरान्त वरिष्ठ लिपिक एवं पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के योग्य पाये जायेंगे, उनके प्रकरणों के सम्बन्ध में पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार विचार किया जायेगा।

(प्रतियां एवं सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिहनगर में सड़क निर्माण

1446. श्री रामस्वरूप मेघवाल (रायसिहनगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर श्री गंगानगर में कृषि उपज मण्डी द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 में कुल कितनी सड़कें एवं कौन-कौन सी पक्की सड़कों की स्वीकृति दी गई ?

(2) उपरोक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी व कौन-कौन सी सड़कें पक्की बन चुकी हैं ?

(3) उपरोक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कें अब तक अधूरी हैं और कब तक पूरी कर दी जायेंगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर (श्री गंगानगर) में कृषि उपज मण्डी समिति रायसिंहनगर द्वारा वर्ष 1989-90 व 1990-91 में निम्नलिखित 4 सड़कों की स्वीकृति दी गई :–

(कृषि मंत्री)

क्र. सं.	सं. सड़कों के नाम	लम्बाई (कि. मी.)	राशि (लाखों में)
1.	सं. सड़क 66 एन.पी. से 65 एन. पी.	2·50	8·75
2.	सं. सड़क 41 एन.पी. से बल्लेवाल	3·00	10·50
3.	सं. सड़क रायसिंहनगर रिड़मलसर सड़क से 16 पी. एस.	1·00	3·50
4.	सं. सड़क रायसिंहनगर रिड़मलसर सड़क से 15 पी. एस.	0·50	1·75

(2) उपरोक्त में से निम्नलिखित 2 सड़कें पक्की बन चुकी हैं :–

1. 41 एन. पी. से बल्लेवाल
2. 66 एन. पी. से 65 एन. पी.

(3) उपरोक्त स्वीकृत 4 सड़कों में से निम्नलिखित 2 सड़कें अधूरी हैं जिनके वर्ष 1992-93 तक पूरी होने की संभावना है :–

1. रायसिंहनगर से रिड़मलसर सड़क से 16 पी. एस.
2. रायसिंहनगर रिड़मलसर सड़क से 15 पी. एस.

कृषि उपज मण्डी समिति, बांदीकुई में ठेका प्रणाली पर रखे गये व्यक्ति

1447. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990–91 में कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई में ठेके प्रणाली पर व्यक्ति रखने हेतु कितने व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई ?

(2) उक्त स्वीकृति के बाद सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बांदीकुई ने कितने व्यक्तियों को ठेके प्रणाली पर रखा ?

(3) क्या उक्त सचिव ने स्वीकृति के बाद भी अधिक व्यक्तियों को ठेके प्रणाली पर रख कर मण्डी, के बांदीकुई कोष से बिना किसी स्वीकृति के भुगतान किया ? यदि हां, तो दोषी सचिव के खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में कृषि विपणन निदेशालय द्वारा निम्न प्रकार से व्यक्ति ठेके पर रखने की स्वीकृति दी गई है। पत्र क्रमांक प. 3(115) निकृवि/26757–58 दिनांक 31·5·90 द्वारा बांदीकुई की गौण मण्डी फल एवं सब्जी हेतु 140/– रुपये प्रतिमाह पर जल व्यवस्था को ठेके पर करवाने की वर्ष 1990–91 की स्वीकृति दी गई। पत्र क्रमांक प. 3 (115) म. स./61858–59 दिनांक 18·12·90 द्वारा वर्ष 1990–91 में निम्न प्रकार स्वीकृति दी गई :—

(कृषि मंत्री)

1. चौकीदारी व्यवस्था	2 व्यक्ति
2. जल व्यवस्था	2 व्यक्ति
3. सफाई व्यवस्था	2 व्यक्ति

(2) निदेशालय की स्वीकृति के बाद निम्न प्रकार से व्यक्ति ठेके पर रखे गये :-

1. दिसम्बर, 1990	20 व्यक्ति
2. जनवरी, 1991	20 व्यक्ति
3. फरवरी, 1991	20 व्यक्ति
4. मार्च, 1991	15 व्यक्ति

(3) जी हां। अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में तत्कालीन सचिव से स्पष्टीकरण चाहा गया है। इस सम्बन्ध में शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर में कृषि मण्डी समिति द्वारा अतिरिक्त गोदाम का निर्माण

1448. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको से अनुमोदित दिल्ली बाई पास रोड़ बनाई गई आवासीय कालोनी को बन्द कर नाले के पास एक अतिरिक्त गोदाम कृषि मण्डी समिति द्वारा बनाया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट उल्लेख करने के बावजूद भी मण्डी समिति द्वारा एक अतिरिक्त गोदाम नाले के सहारे बनाया गया है जिससे इस कॉलोनी का दिल्ली बाई पास रोड़ बन्द हो गया है?

(3) क्या इसके बदले मण्डी समिति ने मण्डी के पश्चिमी दक्षिणी भाग से सीधा रोड़ बनाने की अनुमति नहीं दी? यदि हां, तो क्यों?

(4) जब उक्त नाले से रोड़ बन्द किया गया है तो इस तरफ रोड़ हेतु प्राधिकरण के प्रस्तावों को क्यों अस्वीकार किया गया? क्या बिल्कुल अन्तिम छोर से मण्डी साइड से रोड़ बनाने देने का अन्तिम निर्णय मण्डी ने लिया है एवं क्या साइड दीवार तोड़ने पर सहमत है? यदि नहीं, तो क्या क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है? क्या इससे शांति भंग नहीं होगी?

(5) क्या पश्चिमी भाग के मुख्य रोड़ के बन्द दो दरवाजों को खोला जाना तय किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि मण्डी ने अपनी सीमा से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर पश्चिमी भाग के अन्तिम छोर को घुमाकर अनावश्यक बढ़ाया है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमण को हटाकर मण्डी के अन्तिम छोर की दीवार को सीधी करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्राधिकरण द्वारा मण्डी को आवंटित भूमि पर ही दुकान एवं गोदामों का निर्माण कराया गया है।

(कृषि मंत्री)

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता। प्राधिकरण द्वारा मण्डी समिति को कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं। दरवाजे सुरक्षा की दृष्टि से बन्द किये गये हैं।

(6) जी नहीं। मण्डी द्वारा आवंटित भूमि पर ही निर्माण कार्य करांये गये हैं। कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

विलेटा (थाना रामगढ़) में दर्ज हत्या का मामला

1449. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि मामा उर्फ इन्द्रा जाति राजपूत की हत्या ग्राम विलेटा (थाना रामगढ़) में की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस संबंध में दिनांक 8-6-1990 को सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि दिनांक 8·6·90 को थाना रामगढ़ (जिला अलवर) पर प्राप्त सूचना पर मर्ग नं 9/90 अन्तर्गत धारा 174 जाप्ता फौजदारी दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी। बाद में दिनांक 29·6·90 को मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मुकदमा नं 89/90 दर्ज किया जाकर, बाद अन्वेषण जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर अभियोग का चालान न्यायालय में 4 मुल्जिमान के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा चुका है।

उदयपुर नगर में ट्रैफिक पुलिस के पद

1450. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) एवं **श्री चुन्नीलाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर नगर में ट्रैफिक पुलिस के कुल कितने पद सृजित हैं ?

(2) क्या उदयपुर नगर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और पुलिस मुख्यालय उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उदयपुर नगर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिये ट्रैफिक पुलिस थाना बनाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को कब भेजा गया था और इस प्रस्ताव को मुख्यालय जयपुर द्वारा स्वीकृत करने में क्या अड़चनें आ रही हैं ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में ट्रैफिक पुलिस में 1 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 2 सहायक उप निरीक्षक, 15 हैड कानि. एवं 94 कानि. के पद सृजित हैं।

(गृह मंत्री)

(2) उदयपुर नगर की यातायात पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु यातायात बल में वृद्धि हेतु उप महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज से दिनांक 4-2-92 को प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, जयपुर में प्राप्त हुए हैं। जिनके अनुसार यातायात बल में वर्तमान स्टाफ के अतिरिक्त, पुलिस उप अधीक्षक-1, उप निरीक्षक-1, सहायक उप निरीक्षक-2, हैड कानि.-3 व कानि.-15 के पद और स्वीकृत करने के प्रस्ताव हैं। पुलिस मुख्यालय पर अन्य रेंजों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर विचार किया जायगा।

(3) उदयपुर नगर में यातायात पुलिस थाना अलग से बनाये जाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ने दिनांक 6-5-91 को पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किये थे जो पुलिस मुख्यालय में विचाराधीन है।

डकैत से मुठभेड़ में उप निरीक्षक, पुलिस की मृत्यु

1451. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्व श्याम लाल तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस की किस डकैत से मुठभेड़ में किस थाने एवं किस जिले की सीमा में मृत्यु हुई थी ?

(2) क्या उसे सम्मान दिया ? उसके आश्रितों को क्या सहायता दी ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उसे सम्मान नहीं मिला व आश्रितों को सहायता न मिलने का कारण उसके परिवार में कोई पैरवी करने वाला न होना था ?

(4) मुठभेड़ किस तारीख एवं माह/वर्ष में हुई ? मृतक की उस वर्ष उम्र क्या थी ? मृत के परिवार जनों की सहायता एवं हर्जाने के रूप में कितनी-कितनी राशि दी गई ?

(5) मृतक जिस जिले अथवा तहसील का निवासी था ? क्या सरकार ने उस जिले तहसील में किसी और को कोई भूमि पट्टे पर दी ? यदि हां' तो मृतक पुलिस कर्मी बहादुर व गरीब परिवार का होते हुये भी उसे जमीन व अन्य सहायता सम्मान क्यों नहीं दिये गये ?

(6) विगत दो वर्षों में पुलिस पदक प्रदान करने के मानदण्ड क्या हैं ?

उत्तर

(1) स्व. श्री श्याम लाल तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी सरमथुरा की मृत्यु, रामविलास नामक डकैत से मुठभेड़ में हुई थी। यह मुठभेड़ थाना सरमथुरा क्षेत्र में, सरमथुरा-बाड़ी रोड़ पर हुई थी। उस समय यह थाना जिला भरतपुर में था और अब जिला धौलपुर में है।

(2) स्व. श्री श्यामलाल का दाह संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया था एवं परिवार को 1500/– रु. की तत्कालिक सहायता दी गई थी। मृतक की स्त्री को पूर्ण वेतन-पेंशन 630/–

(गृह मंत्री)

रु. प्रतिमाह दी गई एवं ग्रेच्युटी के 5040/– रुपये दिये गये थे। मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राजकीय सेवा दिये जाने के नियमों के अन्तर्गत मृतक के बड़े लड़के को बालिग होने पर दिनांक 20-9-87 को राजकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।

(3) स्व. श्री श्यामलाल जी को पूरा सम्मान दिया गया है। उनकी पत्नि को पूर्ण वेतन-पेंशन व उनके ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सेवा में मृतक आश्रितों के नियमों के तहत दिनांक 20-9-87 को नियुक्ति दी गई है।

(4) मुठभेड़ दिनांक 18-11-79 को हुई थी। उस वक्त स्व. श्यामलाल की उम्र 44 वर्ष 2 माह थी। मृतक के परिवारजनों को प्रश्न के भाग 2 के अनुसार सहायता दी गई थी।

(5) स्व. श्री श्यामलाल उ. नि., भूड़ा दरवाजा कस्बा डीग, जिला भरतपुर का मूल निवासी था। उस जिला/तहसील में समय-समय पर लोगों को भूमि पट्टे पर दी है। मृतक की विधवा को 25 बीघा भूमि आवंटन का प्रकरण जिला कलेक्टर, भरतपुर के यहां विचाराधीन है। अन्य सहायता व सम्मान प्रश्न के भाग 2 के अनुसार दिया गया।

(6) पुलिस पदक प्रदान करने के लिए 15 वर्ष की बेदाग सेवा एवं सराहनीय तथा योग्यता पूर्ण कार्य का होना आवश्यक है।

ग्राम बिलौची (जयपुर) की सूरज देवी हत्या काण्ड

1452. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या दिनांक 10-9-1991 को ग्राम बिलौची पुलिस स्टेशन हरमाड़ा जिला जयपुर में श्रीमती सूरज देवी पत्नी स्व. श्री नारायण लाल जी की गले की नस दबा-कर एवं दोनों पांव काट कर हत्या की गई थी? यदि हां, तो हत्यारे पकड़े गये या नहीं? इस संबंध में पुलिस द्वारा क्या जांच की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम बिलौची में इस प्रकार का यह पांचवां हत्याकाण्ड है? यदि हां, तो ऐसे हत्यारों को पकड़ने के लिये पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त हत्याकाण्डों में किसी की भी गिरफ्तारी न होना यह दर्शाता है कि इनकी जांच सही ढंग से नहीं की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी जांच सी. आई. डी. से कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने प्रारम्भिक जांच में कुछ लोगों को संदेह में पकड़ा था, पर उन्हें बाद में छोड़ दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(5) श्रीमती सूरज देवी व अन्य हत्याओं के हत्यारों को पकड़ने के लिये सरकार

Page No. 60

(श्री भंवरलाल)

अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 10-9-91 को श्रीमती सूरज देवी की हत्या के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 147/91 धारा 302/406 भा. द. स. के अन्तर्गत थाना हरमाड़ा जिला जयपुर नगर में पंजीबद्ध कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। अभी तक के अन्वेषण से अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया है। अन्वेषण जारी है।

(2) जी नहीं। ग्राम बिलोंची में इस प्रकार की हत्या का यह प्रथम अभियोग है, जिसका अन्वेषण जारी है।

(3) स्थानीय पुलिस द्वारा गहनता से अन्वेषण किया जाकर अभियुक्तों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रार्थना पत्र सी. आई. डी. से जांच का पेश होगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।

(4) जी नहीं संदेह जनक व्यक्तियों से केवल पूछताछ की गई थी। उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया।

(5) इस अभियोग के अभियुक्तों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

भीलवाड़ा में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों पर ज्यादतियों संबंधी दर्ज मुकदमें

1453. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1991-92 में भीलवाड़ा जिले के विभिन्न पुलिस थानों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाली ज्यादतियों को लेकर किन-किन व्यक्तियों की ओर से मुकदमें दर्ज हुये ?

(2) दर्ज मामलों में चालान किस-किस धारा में प्रस्तुत हुए जिनमें एफ. आर. लगी उसके पीछे क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1-1-91 से 29-2-92 तक जिला भीलवाड़ा में विभिन्न थानों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर होने वाली ज्यादतियों को लेकर कुल 240 व्यक्तियों द्वारा अभियोग पंजीबद्ध कराये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित कर दिया गया है।

(2) कुल दर्ज 240 अभियोगों में से 152 अभियोगों में चालान प्रस्तुत किये गये तथा 69 अभियोगों में अनुसंधान से मामला झूठा पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट अदम वकुआ में दी गई। अभियोग में मुल्जिमान का पता नहीं चलने से अंतिम प्रतिवेदन अदमपता मुल्जिमान में दी गई तथा 6 अभियोगों में बाद अनुसंधान अंतिम रिपोर्ट अदम सबूत में दी गई। 12 अभियोग अन्वेषणाधीन पुलिस है। इस संबंध में विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम धनवाड़ा (भरतपुर) का खचेरी ब्राह्मण हत्याकाण्ड

1454. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धनवाड़ा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में दिनांक 26-6-90 को खचेरी ब्राह्मण की हत्या की गई ? इस हत्याकाण्ड में अब तक किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मुस्तगीस के आवेदन के बावजूद भी नामजद हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में पंजीबद्ध अपराध संख्या 182/90 धारा 147, 148, 302 भारतीय दण्ड संहिता थाना कुम्हेर में किसी भी अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोग अन्वेषणाधीन है।

(2) अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों के द्वारा घटना में लिप्त नहीं होने के प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। अभियोग का अन्वेषण वृत्त अधिकारी भरतपुर द्वारा किया जा रहा है।

नागौर-जयपुर बस सेवा

1455. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की द्रुतगामी बस जयपुर से नागौर वाया नारायना, परबतसर मकराना चलती थी, जो अब बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है एवं परबतसर उप-खण्ड मुख्यालय है जिससे नागौर व जयपुर के लिए सीधी बस सेवा नहीं होने से मकराना की जनता व जन प्रतिनिधि ने इस को पुनः चालू करने की मांग की है ? क्या सरकार जनता की सुविधा के लिए उक्त मार्ग पर बस को पुनः शुरु करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर से नागौर वाया-नारायना-परबतसर-मकराना–खाटू-तरनाऊ मार्ग का तरनाऊ से नागौर तथा परबतसर से जयपुर तक का भाग ही राष्ट्रीयकृत है शेष भाग-तरनाऊ से परबतसर तक वर्तमान में राष्ट्रीय कृत नहीं है। निगम द्वारा उक्त मार्ग पर एक अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर द्रुतगामी बस सेवा दिनांक 4-7-89 से 5-10-89 तक संचालित की गई थी लेकिन उक्त मार्ग के निजी वाहन मालिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 27-9-89 प्राप्त कर लेने के कारण बस सेवा का संचालन बन्द करना पड़ा।

(2) जी हां. माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश पुनः अनुज्ञापत्र स्वीकृति के विरूद्ध नहीं था और बस संचालन बन्द किया जा चुका था, इस कारण स्थगन आदेश दिनांक 27-9-89 स्वतः ही

(यातायात मंत्री)

निष्प्रभावी हो गया था। निगम द्वारा सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अजमेर के समक्ष अस्थाई अनुज्ञापत्र पुनः स्वीकृति हेतु तीन आवेदन पत्र दिनांक 23-10-89 को प्रस्तुत कर दिये गये। यह अभी तक लम्बित है। अनुज्ञा पत्र स्वीकृत होने पर वाहन संचालन प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

भेड़ व ऊन फैडरेशन में खरीद फरोख्त की सक्रियता

1456. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पिछले 5 वर्ष से भेड़ व ऊन फैडरेशन ने कोई जानवर या ऊन का क्रय या विक्रय नहीं किया तथा नहीं कोई अन्य कार्य किया ?

(2) क्या यह सही है कि फैडरेशन द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है फिर भी राज्य सरकार फैडरेशन के प्रसाशनिक खर्चों का वहन कर रही है ?

(3) क्या सरकार उक्त फैडरेशन को बन्द कर जानवरों व ऊन के क्रय विक्रय का कार्य विभाग को पुनः सौंपने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1987-88 से 1991-92 तक फैडरेशन ने 148 क्वि. ऊन क्रय की तथा पिछले स्टॉक सहित 868 क्वि. विक्रय की।

मेंढे क्रय इसलिये नहीं किये गये क्योंकि फैडरेशन के पास मेंढें निर्यात हेतु आयातक उपलब्ध नहीं थे एवं खाड़ी के देशो में अन्य देशों से कम कीमत पर जानवर (मेंढें) भेजे जा रहे थे। इस कारण भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ एवं फैडरेशन द्वारा भी मेंढे क्रय विक्रय का कार्य नहीं किया गया। फैडरेशन द्वारा पिछले 5 वर्षों में 4016.462 मै टन टिण्ड मीट भारतीय सेना को सप्लाई किया गया एवं वर्तमान में भी सप्लाई जारी है।

(2) जी नहीं। फैडरेशन द्वारा भारतीय सेना को डिब्बा बन्द मॉस सप्लाई किया जा रहा है जिससे फैडरेशन के प्रशासनिक खर्चों की पूर्ती हो रही है।

(3) राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन विभाग के माध्यम से फैडरेशन का मूल्यांकन करवाया जा रहा है। जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्ति होने के पश्चात, फैडरेशन का विभाग के साथ विलय पर विचार किया जावेगा।

सैनिक कल्याण बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण

1457. श्री हजारीलाल (खेतड़ी) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सैनिक कल्याण बोर्ड में कार्यरत अनेक कर्मचारियों को पिछले अनेक महिनों का वेतन भुगतान नहीं

(श्री हजारीलाल)

किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। इनके वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष सितम्बर, 1991 में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपिकगणों का स्थानान्तरण किया गया था ? उनमें से किन-किन लिपिकगणों के स्थानानातरण रद्द किये गये तथा क्या रद्द किये गये स्थानान्तरणों के लिये पूर्व स्वकृति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये सरकार जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है।

(3) जिन लिपिकगणों का नीति विरुद्ध स्थानान्तरण रद्द किया गया है क्या सरकार उनका पुनः स्थानान्तरण करने का इरादा रखती है ?

(4) क्या सैनिक विश्राम गृह जयपुर में बागवान का स्वीकृत पद है ? यदि हां, तो स्वीकृत आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि भीमसिंह नामक व्यक्ति को सैनिक विश्राम गृह जयपुर में बागवान के पद पर नियुक्ति दी गई है तथा क्या इसके लिये चैयरमेन की पर्व स्वीकृति प्राप्त की गई है ? यदि नहीं, तो क्या जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 1991 से श्री छाजूराम शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां पांच कर्मचारियों को पिछले महीनों से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। जिन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नही हो रहा है उनकी सूची मय पूर्ण विवरण के (परिशिष्ट 'क') सदन की मेज पर रख दी गई है। इनके वेतन का भुगतान सम्बन्धित प्रकरण राज्य सरकार एवं न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। माह सितम्बर, 1991 में किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(3) किसी लिपिक गण का नीति विरूद्ध स्थानान्तरण रद नहीं किया गया है।

(4) जी हां। सैनिक विश्राम गृह, जयपुर में बागवान का पद दैनिक मजदूरी पर सृजित है। स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। श्री भीमसिंह को सैनिक विश्राम गृह, जयपुर में 21-9-91 से बागवान के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति करने से पूर्व चेयरमैन की पूर्व स्वीकृति नियमानुसार आवश्यक नहीं है। नियुक्ति करने के लिये सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड स्वयं सक्षम है।

(सैनिक कल्याण राज्य मंत्री)

(6) जी हां। श्री छाजूलाल शर्मा, च. श्रे. कर्मचारी माह अक्टूबर, 91 से बिना पूर्व अनुमति एवं अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छिक रूप से अनुपस्थित रहा और इसका प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन होने के कारण श्री छाजूलाल शर्मा का वेतन स्वेच्छिक अनुपस्थित के कारण नहीं दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में हाल ही में निर्णय दिया गया है। जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

सचिव, सैनिक बोर्ड के पद पर नियुक्ति

1458. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड के पद पर भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाती है? यदि हां, तो इस पद पर नियुक्ति हेतु उम्र आदि के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सितम्बर, 1991 में इस पद पर चयन हेतु साक्षात्कार लिये गये थे? यदि हां, तो कितने सैन्य अधिकारियों ने इस पद के लिये आवेदन किया? कितनों की उम्र नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा में थी और किन-किन के आयु सीमा अधिक होने के कारण आवेदन निरस्त किये? कितनों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) उक्त चयन के लिये निर्धारित उम्र से अधिक उम्र रखने वाले किन-किन व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया तथा उसके क्या कारण थे? ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या सचिव के पद पर कार्यरत ब्रिग्रेडियर पी. के. गुप्ता की उम्र चयन के समय निर्धारित आयु 55 वर्ष से अधिक थी, लेकिन श्री गुप्ता का आवेदन-पत्र रद्द न कर अन्य अधिक उम्र वाले अधिकारियों के आवेदन रद्द किये गये? यदि हां, तो श्री गुप्ता की नियुक्ति नियमों में नहीं आने पर भी किस कारण से की गई?

उत्तर

(1) जी हां। सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड के पद पर नियुक्ति के लिये आयु आदि की निर्धारित शर्तों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। सितम्बर, 1991 में इस पद हेतु कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं हुआ था।

(3) उक्त चयन हेतु माह सितम्बर 91 में कोई साक्षात्कार नहीं हुये। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां। साक्षात्कार हेतु प्राप्त किसी आवेदन-पत्र को रद्द नहीं किया

(सैनिक कल्याण राज्य मंत्री)

गया। उक्त पद हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को श्री गुप्ता नियमों के अनुरूप निर्धारित आयु सीमा एवं अन्य सभी वांछित अर्हताएं रखते थे। चयन बोर्ड की सिफारिश एवं योग्यता सूची में प्रथम स्थान होने के आधार पर ब्रिग्रेडियर पी. के. गुप्ता की नियुक्ति की गयी थी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।

निजी मेडिकल स्टोर खोलने के नियम

1459. श्री जियालाल बंशीवाल (दौसा), **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) एवं **श्री राजपाल सिंह शेखावत** (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में निजी मेडिकल स्टोर खोलने के क्या नियम हैं? मेडिकल स्टोर खोलने के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या-क्या हैं?

(2) क्या यह सही है कि बिना डी. फार्मा. के डिप्लोमा किये ही मेडिकल स्टोर का लाइसेन्स मिल जाता है?

(3) क्या सरकार 5 या 6 वर्ष का अनुभव रखने वालों को मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेन्स देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्व में अनुभव के आधार पर ही उक्त लाइसेन्स जारी कर दिया जाता था? यह प्रथा कब से समाप्त की गई? डी. फार्मा. के आधार पर ही लाइसेन्स देने सम्बन्धी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ड्रग्स एवं कोस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत सृजित नियमावली, 1945 के नियम 61–64 एवं 65 में लाइसेन्स प्राप्ति हेतु जो शर्तें निर्धारित की गई है वे सूची 'क" के अनुसार है। उक्त अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत सृजित नियम भारत सरकार द्वारा बनाये गये हैं जो सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू हैं जिनमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र के लिये कोई भिन्नता नहीं है। मोटे तौर पर औषधि विक्रय हेतु निम्नांकित सुविधाओं का होना आवश्यक है :—

1. औषधि के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था।
2. जिन औषधियों को "कोल्ड प्लेस" में रखा जाता है उनके लिये रेफ्रीजरेटर, डीप फ्रीजर इत्यादि की व्यवस्था।
3. कुछ विशिष्ठ श्रेणी की औषधियां जैसे शिड्यूल एक्स के अन्तर्गत है, उनके रख-रखाव की अलग से ताले चाबी की व्यवस्था करना।
4. जिन औषधियों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर्स के नुस्खे पर डिस्पेन्स किया जाता है उन औषधियों के विक्रय हेतु योग्य व्यक्ति (क्वालीफाइड परसन) की सेवाएं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

योग्य व्यक्ति के अनुमोदन हेतु निम्नांकित आवश्यकताएं हैं :—

(क) फार्मेसी की डिग्री अथवा डिप्लोमा।

(ख) किसी फार्मेसी कौन्सिल द्वारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट।

(ग) दिनांक 31-12-69 से पूर्व किसी लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित।

(2) जी नहीं। औषधि विक्रय हेतु लाइसेन्स आवेदनकर्त्ता के लिये वर्तमान नियमों के अनुसार "योग्य व्यक्ति" ही मेडिकल स्टोर का लाइसेन्स प्राप्त कर सकता है।

(3) जी नहीं। क्योंकि वर्तमान नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। "योग्य व्यक्ति" को लाइसेन्स अनुभव के आधार पर दिनांक 31-12-69 तक किये जाने का प्रावधान था जो कि ड्रग्स एवं कोस्मेटिक्स अधिनियम में भारत सरकार द्वारा संशोधन किये जाने पर समाप्त हो गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 9 मार्च, 1992)

अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के स्वीकृत पद

372. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधीनस्थ न्यायालयों में कितने हिन्दी आशुलिपिक ग्रेड-I एण्ड II के पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कितने आशुलिपिक ग्रेड वाइज कार्यरत हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त सूची में से कितने आशुलिपिक स्थायी हैं और कितने अस्थायी ? क्या स्थायी करने की कोई प्रक्रिया है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के ग्रेड I के 82 व ग्रेड II के 389 पद स्वीकृत हैं। इनमें से ग्रेड I के 67 तथा ग्रेड II के 340 आशुलिपिक कार्यरत हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) उपयुक्त सूची में से 6 आशुलिपिक ग्रेड I तथा 20 आशुलिपिक ग्रेड II के कार्यरत हैं तथा क्रमशः 61 व 320 आशुलिपिक अस्थाई हैं।

स्थायी करने की प्रक्रिया है जिसके अनुसार राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

व्यवस्था

शून्य काल का स्थगन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है ...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पांइट ऑफ ऑर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी व्यवस्था सुन लीजिए कि कल हाउस में माननीय सदस्यों की सबकी यह राय थी कि बिजली पर चर्चा लम्बे समय पर करवाई जाय और उसको ध्यान में रख कर आज शून्य काल बिल्कुल नहीं रखा है और मेरी व्यवस्थाओं के तुरन्त बाद जो बिल्स हैं वह आप लेकर दिन भर बिजली पर ही चर्चा करेंगे । यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, राजस्थान की जनता के लिए भी, सरकार की दृष्टि से भी और माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी । इसलिए आज जो शून्य काल है वह नहीं होगा । यहां तक कि नियम 295 के प्रस्ताव हैं, अभी मेरे पास कुल 45 आये हैं, इन 45 नियम 295 के प्रस्तावों को मैं पढ़ा हुआ मानता हूं । इनके उत्तर आपको मिल जायेंगे ।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें ।)

दल परिवर्तन अधिनियम के तहत कार्यवाहियां संविधान के अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य विधान मण्डल की कार्यवाही

माननीय सुरेन्द्र व्यास ने एक पत्र देकर एक सवाल पूछा है । वह कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उस पर बोलने की जरूरत नहीं है कि कल जो चर्चा हुई उस चर्चा में यह विषय आया कि एन्टी डिफेक्शन एक्ट के अन्तर्गत जो कार्यवाही है वह सदन की कार्यवाही के समान समझी जायेगी । इसलिए सदन में वह पिटीशन्स के बारे में कोई बात पूछना चाहते थे । इसके बारे में मेरा निवेदन है कि एन्टी डिफेक्शन एक्ट की धारा 6 इस बात का उल्लेख करती है कि इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के सम्बन्ध में इस पैरा के उप पैरा एक के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वह यथास्थिति अनुच्छेद 182 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियां या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान मण्डल की कार्यवाहियां हैं । यह केवल आर्टिकल 212 से सम्बन्धित है और 212 आर्टिकल यह कहता है—

(1) The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

(2) No Officer or Member of the Legislature of a State in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in the Legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers.

तो यह प्रोसीडिंग्स केवल आर्टिकल 212 के लिहाज से है, सदन में चर्चा करने के लिए नहीं है । आर्टिकल 212 के कारण इसमें जो कुछ भी कार्यवाही होगी उसमें

(श्री अध्यक्ष)

कोर्ट्स इन्टरफियरेन्स नहीं करेगी, उनको रोकने के लिए यह है, सदन में इसकी चर्चा नहीं होगी। न तो एन्टी डिफेक्शन एक्ट, कांस्टीट्यूशन की टेन्थ शिड्यूल यह बात कहती है और न आर्टिकल 212 कहता है इसलिए अपनी जो भी बात वह मुझे पूछना चाहें, चैम्बर में पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा।

समितियों के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

आप बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप?

श्री लक्ष्मीलाल : मेरा पाइंट आॅफ आॅर्डर यह था सर....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपकी व्यवस्था....

श्री लक्ष्मीलाल : पाइंट आॅफ आॅर्डर सर....

श्री अध्यक्ष : देखिये, जब बिजनस नहीं हो तो पाइंट आॅफ आॅर्डर नहीं होता है। वैसे ही पूछ लिया करें। यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से सम्बन्धित याचिका की विशेषाधिकार समिति को सुपुर्दगी

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि एन्टी डिफेक्शन लॉ की प्रोसीडिंग्स आपके कक्ष की कार्यवाही है और सदन में उसकी चर्चा भी नहीं होती, मैं इस बात को निश्चित रूप से समझता हूं। 27 मार्च, 1991 को आपने यहीं पर निर्णय सुनाया था। गत जो विधान सभा का बजट सेशन हुआ था उसमें माननीय सदस्यों ने आपसे यहां आग्रह किया था और उस आग्रह के परिणामस्वरूप आपने तत्काल उस पर एक्सपीडिसियस ली, फैसले को लिख कर यहां सुनाया था। अब मेरी कठिनाई क्या है अध्यक्ष महोदय कि मैंने एक पिटीशन दायर की है। आपने अपने विवेक से उसको लम्बित कर दिया, कमेटी को दे दिया। माननीय राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने एक याचिका दायर की। अध्यक्ष महोदय, मेरे विवेक से वह मेन्टेनेबल नहीं नहीं है। आपने उस बात को, अच्छा, आप कक्ष की बात कहते हैं अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को जानते हैं कि मैं मौखिक रूप से आपसे कई दफा विनम्र प्रार्थना कर चुका हूं कि राजेन्द्र सिंह राठौड़ की प्राइमाफेसी पिटीशन मेन्टेनेबल नहीं है, बियोण्ड दी स्कोप आॅफ टेन्थ शिड्यूल्ड है। लेकिन आपने उसको भी कमेटी को सुपुर्द कर दिया। अब अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बाहर कोई बात कहूं, फिर मैं कोई अपराध का दोषी हो जाऊंगा। तो मैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह चाहता हूं, सिर्फ सदन के सामने....

श्री अध्यक्ष : हां....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं आपकी इतनी-सी अनुमति चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं। विराजिए। मैं आपकी बात समझ गया। मैं बता दूं तो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक सेन्टेन्स। मुझे सिर्फ आप यह अनुमति दे दें कि जो पिटीशन मेरी, डाक्टर चन्द्रभान की और राजेन्द्र सिंह की, उसके सिर्फ तथ्य, कोई उसमें इन्फरेन्सेज नहीं दूंगा श्रीमन, जो तथ्य हैं वह सदन के सामने वर्णित कर सकूं क्योंकि मेरी यह निश्चित मान्यता है कि अगर एन्टी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के अन्दर मैं कोई गलती करता हूं और दण्ड का भागी होता हूं और सदन उसका काग्नीजेंस लेता है तो निश्चित रूप से राजस्थान विधान सभा का सदन उस कार्यवाही को सदन की कार्यवाही मानता है अन्यथा तो अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिए, बिराजिए। अब बैठिये। ऐसा है कि यदि मैं यह अनुमति देता हूं कि आपने जो पिटीशन दी है उसका उल्लेख यहां करें ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : फैक्ट्स कह दूं।

श्री अध्यक्ष : हां, मतलब वही हुआ ना कि उसमें जो तथ्य दिये हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, फैक्ट्स।

श्री अध्यक्ष : आखिर क्या यह उल्लेख करना चाहते हैं जिसका मैं जवाब आपको बिना कहे ही दे रहा हूं कि पिटीशन को मैंने विशेषाधिकार समिति को भेजा है। इस बारे में मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि पहले तो हमारे नियमों में यह प्रावधान है कि प्रारम्भिक जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए। अभी जब स्पीकर्स कान्फ्रेंस हुई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तो उसमें हमने यह निर्णय लिया कि स्पीकर के बारे में, स्पीकर पर जब यह चार्ज लगता है कि वह आर्बिट्ररी काम करता है तो अपनी सेफ्टी के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की पिटीशन इनवेरिएबली विशेषाधिकार समिति को प्राथमिक रिपोर्ट के लिए भेज दी जानी चाहिए ताकि डाइरेक्टली स्पीकर पर यह चार्ज नहीं लगे कि, उन्होंने आर्बिट्ररली कोई डिसीजन ले लिया। उनकी प्रारम्भिक रिपोर्ट आने के बाद जो प्रक्रिया है, वह होगी और यह निर्णय चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने लिया है और नियमों में इसका प्रावधान है और यह तय किया है कि इस प्रावधान का उपयोग मैं नहीं कर रहा हूं तो पार्लियामेंट के स्पीकर पाटिल साहब भी यही कर रहे हैं और आपको मैं याद दिला दूं कि एक सवाल, जब आपके जाखड़ साहब स्पीकर थे उस समय आसाम के केवल एक आदमी ने लिखित में इस्तीफा दिया था पार्टी से, लिखित में पार्टी छोड़ी थी, उस पर एन्टी डिफेक्शन का मामला चला, उसको भी, जिसमें कोई एवीडेंस की जरूरत नहीं हो, वह खुद मंजूर कर रहे थे, उसको भी उन्होंने विशेषाधिकार समिति को रेफर किया था। इसलिए यह विशेषाधिकार समिति को रेफर करने की प्रक्रिया, जो नियम में है उसको हमें पालन करना चाहिए। यह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का डिसीजन है ताकि स्पीकर पर किसी प्रकार का यह चार्ज नहीं लगे। इसलिए इस हद तक वो है। बाकी इसकी चर्चा यहां करने की कोई बात नहीं है। सनाढ्य साहब, आप क्या बोल रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसी बिंदु पर।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें बहस की गुंजाइश ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं और नहीं बोलूंगा अध्यक्ष महोदय, जो आपने विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द की है, अध्यक्ष महोदय, एक तथ्य पर गौर करना पड़ेगा। विशेषाधिकार समिति तथ्यों की जांच करके आपके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्या तथ्य की जांच करेगी। मेरी पिटीशन के अन्दर रामनारायण....

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। मैंने इसीलिए जाखड़ साहब का दिया था कि जिसमें सदस्य खुद पार्टी छोड़ रहा है और उसके खिलाफ एन्टी डिफेक्शन हुआ है कि इसने पार्टी छोड़ दी इसलिए दूसरी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता। अब उसमें क्या तथ्य थे, उसमें कौन-सी एवीडेंस लेनी थी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने तो नहीं कहा जाखड़ साहब करते हैं वह सही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, वह मगर उन्होंने....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैंने तो यह नहीं कहा कि जाखड़ साहब करते हैं वह सही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ना-ना, ऐसा नहीं, जब यह....

श्री सुरेन्द्र व्यास : जाखड़ साहब भी गलत करते होंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय जाखड़ साहब भी गलत कर सकते हैं। अगर नियम का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : अब आप....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : इसलिए आप एन्टर में, अब एक बात, एक बात करके डिबेट को मत करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास: नहीं अध्यक्ष महोदय, देखिए, एक बहुत बड़ा अन्याय है। जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री शिवजीराम के साथ हुआ है। माननीय राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने जो अपनी याचिका प्रस्तुत की है और जो अखबारों की कटिंग लगाई है....

श्री अध्यक्ष : आप जजमेंट दे रहे हैं इस पर ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं नहीं दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी राय दे रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : फिर ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैंने आपसे मौखिक रूप से निवेदन किया था, आपके कक्ष में प्रार्थना की थी....

श्री अध्यक्ष : तो मैं आपको इतना कह चुका, इसके बाद भी अब क्या रह गया....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, दो माह हो गये उसको।

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये। हो गया। आप बोलिये सनाढ्य साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, दो माह से ऊपर हो गये।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय....

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के उप-कुलपति के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को समिति को सुपुर्द

श्री अध्यक्ष : श्री सनाढ्य साहब आपको क्या कहना है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में तीन माननीय विधायकों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर कृषि विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में एक ज्ञापन दिया कि वहां अनियमितताएं हो रही हैं। यहां के विधायकों ने प्रिवलेज मोशन मूव किया और मैंने भी एक प्रिवलेज मोशन मूव किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सदन में एग्रीकल्चर के दिन जिस तरह की चर्चा हुई और उसमें कृषि मंत्रीजी ने जिस तरह का जवाब दिया उस जवाब के कारण से अधिक हमारी मानहानि हुई। उनको तो इन्होंने ईमानदारी का और सब तरह का सर्टिफिकेट दे दिया लेकिन ये जो एम. एल. एज. हैं इन एम. एल. एज. की जिस तरीके से अवमानना की गयी है और जिस तरीके से दो-दो कोड़ी के लोग इस तरह से अगर लोग एम. एल. एज. के बारे में इस तरह की चर्चा करने लग जायेंगे तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा क्या रहेगी ?

श्री परसादीलाल मीणा : किसको कह रहे हैं ? मंत्रीजी को कहा है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। अगर इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया....

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको एडमिट कर लिया है और मैं इसको विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए भेज रहा हूं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : धन्यवाद।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो-तीन प्रिवलेज मोशन दिये हैं उनके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : उस बारे में दे दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एडजर्नमेन्ट मोशन दिया हुआ है और आपने बताया भी नहीं कि कौन-कौन से एडजर्नमेन्ट मोशन हैं।

श्री अध्यक्ष : आज जितने भी दिये सब को रिजेक्ट कर दिये हैं। किसी का भी जवाब नहीं आ सकता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, फिर बोलने का अवसर दीजिए दो मिनट....

श्री अध्यक्ष : बिजली पर बोलने का अवसर खूब मिलेगा आपको।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सबमीशन करना चाहती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (उप-मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय मैंने एक व्यवस्था का सवाल उठाया था और मैंने दो-तीन बार आपसे आग्रह भी किया था और आपने आश्वस्त भी किया था कि इस सत्र के दौरान आप व्यवस्था दे देंगे। जो दो माननीय सदस्यों के विरुद्ध यह सवाल उठाया था और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ लिखकर दिया है और मुझे मालूम पड़ा है कि श्री नत्थीसिंह और डा. चन्द्रभान के विरुद्ध में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके निष्कासन के लिए आपको पत्र लिखकर दिया है। मुझे मालूम हुआ है कि राजस्थान के पार्टी के अध्यक्ष श्री सम्पतराम जी ने भी आपको लिखकर दे दिया है कि यह दो माननीय सदस्य जनता दल के अब सदस्य नहीं है। तो आप व्यवस्था दें माननीय अध्यक्ष महोदय। एक भ्रम पूरे राजस्थान में फैल रहा है। माननीय सदस्य जो बात यहां कहते हैं वह जनता दल के नेता के नाम से छपती है। तो मैं अध्यक्ष जी आपसे आग्रह करूंगा कि आपने मुझे आश्वस्त भी किया था। आज ही व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जो स्थिति है मैं सदन को बताना चाहता हूं। मेरे पास जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बोम्मई का पत्र आया था। उस पत्र की अनुपालना में मैंने यहां के अध्यक्ष और जो माननीय सदस्य श्री सम्पतराम जी हैं उनको पत्र लिखा था और उन्होंने अपने पत्र में इस बात की पुष्टि की है कि श्री नत्थीसिंह और डा. चन्द्रभान को पार्टी से निकाला गया है। उनका कहना है कि श्री नत्थीसिंह जी की जगह जनता दल के जो उप-नेता हैं वह नेता माने जायेंगे। इस पर मैंने श्री नत्थीसिंह जी और डा. चन्द्रभान को नोटिस दिया है कि इस बारे में उनका क्या स्पष्टीकरण देना है। उन्होंने कल 15 दिन का समय मांगा है और सम्पतराम जी को भी समय देने में आपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने उनको 15 दिन का समय दिया है। जवाब आने पर मैं इसका निर्णय करूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे सबमिशन करना है। जब सबके सबमिशन सुने हैं तो मेरा भी सबमिशन सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आज तीन तो बिल पास करवायेंगे और उसके बाद आर. एस. ई. बी. पर चर्चा होगी और आर एस. ई. बी पर बहुत महत्वपूर्ण हमें चर्चा करनी है क्योंकि पिछले कई सालों से आर. एस. ई. बी. पर बहस नहीं हुई है और जून में यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी का इरादा हो जब कि राष्ट्रपति के चुनावों के लिए वोट करवाने का एक-आध

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

दिन असेम्बली बुलाने का हो तो मेरा सबमिशन है कि उस समय आप इस आर. एस. ई. बी. पर चर्चा करवालें तो ज्यादा अच्छा होगा वरना आज चर्चा पूरी नहीं हो पायेगी। सदन बुलाने का मन है कि नहीं यह बतायें पहले ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मामला तो मुझे मंत्रि-मण्डल में रखना पड़ेगा। मेरे अकेले के हाथ की बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये आप हंसी में मत टालिये हर बात को। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि यह इरादा हो तब तो जून तक इन्तजार करें।

श्री अध्यक्ष : जब तक इरादा स्पष्ट नहीं होगा। आपने कह दिया कि केबिनेट डिसीजन होगा और यह सही बात भी है। हाउस बुलाने के लिए केबिनेट डिसीजन करती है। श्री लक्ष्मीचन्द जी आप क्या कह रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालत सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत निर्देश संख्या 5 के अन्तर्गत दो नोटिस मैंने आपको पेश किये थे। उनका जवाब 48 घण्टे में मिलना चाहिए था। कल विधान सभा एडजर्न हो रही है और मुझे उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : जवाब बाद में मिल जायेगा।

सुश्री पुष्पा जी।

शासकीय वक्तव्य

प्रश्न संख्या 484 के सन्दर्भ में शाही रेलगाड़ी से आये पर्यटकों को हुई परेशानी के सम्बन्ध में मा. पर्यटन मंत्री द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट

सुश्री पुष्पा जैन (पर्यटन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23 मार्च, 1992 को विधान सभा में प्रश्न संख्या 484 के उत्तर के बाद आप द्वारा दिये गये निर्देशानुसार (होली के अवसर पर शाही रेलगाड़ी से आये पर्यटकों के लिये बस के नहीं जाने से पर्यटकों को हुई परेशानी के सम्बन्ध में) जांच रिपोर्ट पेश है :

"जयपुर शहर में शाही रेलगाड़ी के पर्यटकों को सुधारने के लिए राजस्थान ट्रेवल सर्विस (राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) को वर्ष 1992-93 के लिए अनुबन्धित कर रखा है।

दिनांक 16 मार्च, 1992 को होली के दिन शाही रेलगाड़ी जयपुर आ रही थी। उस दिन धुलंडी होने के कारण ठेकेदार ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम को सूचित किया कि वह उस दिन बसें सप्लाई करने में असमर्थ रहेगा। बसों के टूट-फूट की सम्भावना है। ठेकेदार को स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अनुबन्ध के अन्तर्गत उसका बसें सप्लाई करने का दायित्व है एवं वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो सकती है अतः यह सुनिश्चि करे कि उसकी बसें निर्धारित समय पर रेल्वे स्टेशन पहुंच जाये। यह सही है कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद ठेकेदार ने दिनांक 19-3-92 को रेल्वे स्टेशन बसें नहीं पहुंचायी।

(सुश्री पुष्पा जैन)

राजस्थान ट्रेवल सर्विस से सम्पर्क करने पर कोई उत्तर नहीं मिला और न ही अन्य कोई व्यवस्था हो सकी। अतः मजबूरी में पर्यटकों को उपलब्ध टैक्सी एवं आटो रिक्शा के द्वारा होटल रामबाग ले जाया गया जहां पर उन्होंने होली के आमोद-प्रमोद में भाग लिया व भोजन किया। इसी दौरान विशेष प्रयास कर एक बस उपलब्ध करवायी गयी जिसके द्वारा पर्यटकों को शेष निर्धारित कार्यक्रम सम्पन्न करवाया गया व रात्रि 9 बजे वापिस शाही रेलगाड़ी चित्तौड़गढ़-उदयपुर के लिए रवाना की गई। इन अव्यवस्थाओं से हुई असुविधा के लिए पर्यटकों से निगम की ओर से क्षमा मांगी गई।

राजस्थान ट्रेवल सर्विस द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1992 को अनुबन्ध का उल्लंघन कर रेल्वे स्टेशन बसें नहीं पहुंचाने को राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा काफी गम्भीरता से लिया गया है क्योंकि शाही रेलगाड़ी के पर्यटकों को असुविधा होने के साथ-साथ निगम की छवि भी धूमिल हुई है।

अतः राजस्थान ट्रेवल सर्विस को कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि क्यों न उनकी धरोहर राशि में से दण्डित राशि वसूली की जाय और भविष्य के लिए उन्हें क्यों नहीं ब्लैक लिफ्ट किया जाये।

दिनांक 19 मार्च, 92 को शाही रेलगाड़ी के पर्यटकों के जयपुर प्रवास काल के दौरान परिवहन व्यय की अधिक राशि भी राजस्थान ट्रेवल सर्विस से वसूल की जावेगी।

अतः आपके अवलोकनार्थ एवं सदन की जानकारी हेतु वस्तुस्थिति प्रस्तुत है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि स्वास्थ्य निरीक्षक जो युवा हैं जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी हैं उन की 300 दिन से लगातार हड़ताल और धरना चला आ रहा है और पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बार उनका धरना तुड़वाया था। मेरा नम्र निवेदन है कि 300 दिन से लगातार धरना चला आ रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी घोषणा करे कि उनको रोजगार देंगे या नहीं देंगे। मैंने 131 के लिए भी लिखा था और 295 में भी लगा रखा है····

श्री अध्यक्ष : आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपने अपनी ड्यूटी कर दी। यह मामला निराक्षकों का और स्वास्थ्य मंत्री जी का है वह अपने आप कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। युवा हैं सारे और 300 दिन हो गए····

श्री अध्यक्ष : आपने वकालत कर दी।

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, युवा हैं 300 दिन हो गए····

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी वकालत कर दी····

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके बारे में सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है। कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है....

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : 300 दिन हो गए उनके धरने को आखिर। रोजगार का मामला है और 300 दिन हो गए और उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। नियम 131 में मैंने लिखकर दिया और नियम 295 में मैंने लिखकर दिया। आपने एक भी व्यवस्था नहीं दी मुझे। आज हजारों बेरोजगार बैठे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री जीतमल जैन।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति (ख) का तृतीय प्रतिवेदन

श्री जीतमल जैन (सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख') : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति प्राक्कलन समिति (ख) 1991-92 सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग (चम्बल क्षेत्र) से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (ख) 1987-88 के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा। (अनुपस्थित)

विधायी कार्य—श्री भंवरलाल शर्मा प्रभारी मंत्री,

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। विधेयक जनमत जानने हेतु नहीं रख रहे हैं आप। आप रख रहे हैं, रखिये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक माह हेतु जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया। (अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रस्तुत बिल में वैसे तो कोई बहुत ज्यादा इन्होंने संशोधन नहीं किया है। केवल जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण और "छोटा परिवार", मांग का संवर्धन करना, यह इन्होंने धारा 98 "ग" के स्थान पर "फ" नाम का एक सब सेक्शन जोड़ कर नगरपालिका का, जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार कल्याण और छोटा परिवार रखने के लिए भी कर्तव्यों में कर्तव्य बताया है लेकिन मैं इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

महोदय, क्योंकि नगरपालिका से सम्बन्धित बिल आ रहा है तो सदन में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कि आप राजस्थान में नगरपालिकाओं की स्थिति क्या है ? आज जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर, किसी भी नगरपालिका की, नगर परिषद की स्थिति देख लीजिए, सफाई नहीं हो रही है। जगह-जगह कचरे के ढेर मिलेंगे और सूरसागर जैसे अनेक, तख्त सागर और नाना प्रकार के गन्दगी के साम्राज्य वाले और गन्दगी के ड्रेनेज के तालाब हर शहर में आपको मिलेंगे। इनको हटाने के लिए राज्य सरकार ने सीवरेज की स्कीम, ड्रेनेज की स्कीम नहीं बनाई। उपयुक्त तो यह रहता कि राज्य सरकार ने जैसे पहले सिवरेज की स्कीम बनाई थी, विश्व बैंक····

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्लाजी, इसमें विराम और विराम चिन्ह का तो संशोधन है और आप नगरपालिकाओं पर बोल रहे हैं। इसमें संशोधन यह है कि यहां कोमा लगेगा, यहां फुल स्टॉप की जाय, यहां तथा लिखा जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल चुका हूं लेकिन अब मैं नगरपालिकाओं की स्थितियों के बारे में तो बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : नगरपालिकाओं की स्थिति से मतलब नहीं है। इसमें कोमा, फुल स्टॉप लगना नहीं चाहिए, इस पर बोलिये। जनमत जानने के लिए भेजा जाय कि इस पर कोमा और फुल स्टॉप लगाया जाय कि नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जब किसी बिल में आता है तो मैं आपको अभी सुझाव दूंगा और क्या-क्या संशोधन होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह सुझाव मैं तब मानूंगा कि जब बिल में कोई सब्स्टेंशियल क्लाज होगी। इसमें कोई क्लाज नहीं है। कामा, फुल स्टॉप का मामला है। हो गया आपका।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में अब क्या है ? इसमें आप और बोल लेना। अभी तो आपको दिनभर बोलना है, बैठिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन)····

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, या तो मुझे पारण के वक्त में दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन विधेयक प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 विचारार्थ लिया गया। प्रस्ताव करिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, कम से कम बिल जब आया है तो हमारा बोलने का राईट है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : राइट है आपका, मानता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी परिवार कल्याण और जनसंख्या नियन्त्रण के सम्बन्ध में संशोधन ला रहे थे तो इनको कतिपय और संशोधन

(12·24 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

करने चाहिए थे। आज प्रदेश में, चुंगी की समस्याओं के बारे में राज्य सरकार ने कई बार घोषणायें की कि हम चुंगी को माफ कर देंगे, चुंगी को समाप्त कर देंगे, राज्य में चुंगी के कारणों को हम डिविजनल हैड क्वार्टर और जिला स्तर पर एक समान कर देंगे, इसके बारे में आपने क्या किया ? मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने से पहले आपको इस एक्ट में यह प्रावधान करना चाहिए था कि हम चुंगी की दरों को समान कर देंगे अथवा राजस्थान में नगरपालिका और नगर परिषद जो चुंगी वसूल करती हैं उसको हम कम्पलीट समाप्त कर देंगे। लेकिन इसके बारे में आपने इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, पहले मनोरन्जन कर जो लिया जाता था उसका एक हिस्सा नगर परिषद और नगरपालिका को दिया जाता था लेकिन यह सारा का सारा पैसा वित्त विभाग, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ले लेता है। नगर परिषद और नगरपालिकाओं को एक पैसा नहीं मिलता है जिसके कारण से नगर परिषदों की हालत बहुत खराब है। वह प्रकाश व्यवस्था करने में, सड़क निर्माण करने में, नालियों के निर्माण करने में पूरी तरह असफल रही है इसलिए इस एक्ट के माध्यम से आपको यह प्रावधान करना चाहिए था कि मनोरंजन कर, जो पहले नगर परिषदें वसूल करती थीं वह पैसा नगर परिषदों को मिलना चाहिए और इस अमेण्डमेण्ड के साथ आपको वित्त मंत्रालय से यह सारा का सारा पैसा वापस लेने का अधिकार लेना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सरकार ने वसूली कब से प्रारम्भ की है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वसूली कब से प्रारम्भ की है, आप वित्त मंत्री हैं, आप ज्यादा जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपसे पूछ रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वित्त मंत्री अभी आप हैं इसलिए आपको ज्यादा मालूम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके राज में, आज के 10-12 वर्ष पहले से सरकार ने वसूल करना शुरू किया। आपको जानकारी नहीं हो तो बता दूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो आप इसको वापस नगर परिषद को दीजिए। नगर परिषद को अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब, आपने जो गलती की, यह स्वीकार करिये, मैं ठीक करता हूं उसको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कोई गलती नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सरकार ने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इस विभाग का मंत्री नहीं रहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही है कि मनोरंजन कर की वसूली राज्य सरकार कांग्रेस के जमाने से कर रही है, यह हकीकत है। लेकिन आपने इधर से कई मर्तबा मांग की थी कि नगर परिषदों को मनोरंजन कर का वाजिब हिस्सा जो मिलना चाहिए वह आप दे रहे हैं क्या आज की तारीख में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप नहीं दे रहे हैं। आप बैठे-बैठे कह रहे हैं। आप कृपया खड़े होकर सदन में कह दीजिए। जो म्युनिसिपैलिटी का वाजिब हिस्सा कानूनन् उनको मिलना चाहिए, क्या आप उनको प्रदान कर रहे हैं? सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है। आप इधर से मांग करते थे। आप इधर बैठकर बहुत जोरदार ··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस के राज में व्यवस्था थी वही चल रही है। अब कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके जमाने में व्यवस्था गलत थी तो मैं उनको आश्वासन देता हूं कि इसमें सुधार करूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कांग्रेस के शासन में 5 रुपए प्रति व्यक्ति म्यूनिसिपैलिटी के जनसंख्या के आधार पर दिये जाते थे उसको 10 रुपए किये गये और लम्बा समय हो गया, इसको आप कम से कम 20 रुपए करिये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कुछ करती तो है नहीं और खामख्वाह कांग्रेस शासन में क्या हुआ, उन बातों को छोड़िये, आप क्या कर रहे हो ? आप इस पर ध्यान दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये, इनसे जानना चाहता हूं, आपने कहा था हम चुंगी की दरों को

(श्री बुलाकीदासकल्ला)

समाप्त कर दें, राज्य में चुंगी समाप्त कर देंगे। इसके बारे में मथुरा दास माथुर की कमेटी आयी, उस कमेटी की रिपोर्टों को, सिफारिशों को आप कब तक इम्प्लीमेण्ट कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आज उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं क्या ? मथुरा दास माथुर की कमेटी की रिपोर्ट को आप स्वीकार करते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने इसको अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है। मैंने मथुरा दास माथुर कमेटी को अभी पढ़ा नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पढ़ा नहीं तो बोलते क्या हो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : लेकिन आप यह कह रहे हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं नहीं कह रहा। आप यह पढ़ कर बोलते महाराज। बिना पढ़े ही यहां भाषण दे रहे हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मथुरा दास माथुर-कमेटी, कम से कम मैं सत्यवादी तो हूं। मैंने यहां यह नहीं कहा कि मैं इसको पढ़ कर आया हूं लेकिन आपने कहा है कि मैं इसको पढ़ कर आया हूं लेकिन आपने कहा है कि मैं चुंगी को समाप्त कर दूंगा राजस्थान में, उसका क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं चुंगी को और आपको सब को समाप्त करूंगा, कोशिश कर रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे को तो समाप्त नहीं कर सकोगे आप। मेरे को समाप्त करने पर फिर कल सुरेन्द्रजी ने माफी मांगी, आपके खिलाफ प्रिविलेज आयेगा मेरे को समाप्त करने पर और माफी मांगनी पड़ेगी आपको····(व्यवधान)····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माफी से काम नहीं चलेगा, जेल के सीखचों के अन्दर होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी बोल चुके हैं कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप मुख्य मंत्रीजी होकर, सदन में सदन के नेता होकर प्रोटेक्ट इनको देने से रहे। कभी तो आप कहते हैं मैं नोटिस देने वाले को फाड़ दूंगा, कभी बोलने वाले को आप समाप्त कर दूंगा, मुख्य मंत्रीजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : व्यक्तिशः नहीं, व्यक्तिशः तो आपको भगवान करे आपकी 500 वर्ष की उम्र दे, ऐसी क्या बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : चुंगी को समाप्त कर देंगे आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने जो गलतियां की उनको सुधार करूंगा मैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कभी म्यूनिसिपैलिटी का मिनिस्टर ही नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार में तो थे न।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप किस को समाप्त करेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय — (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलो, बहुत हो गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर की सूरसागर की समस्या के बारे में आप प्रश्न उठाते थे। अब यह कहेंगे, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वहां ड्रेनेज का सिस्टम बनाया, सीवरेज स्कीम बनाई, उपाध्यक्ष महोदय, सूरसागर ...

श्री उपाध्यक्ष : सूरसागर में कहां चले गये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लेकिन राज्य सरकार ने दो वर्ष में, राज्य मंत्री कोलायत के हैं, कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में आता है सूरसागर और वहां के राज्य मंत्री के होने के बावजूद सूरसागर की समस्या अभी तक वहीं मुंह बाये खड़ी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो मंत्री हो कर वहां कूड़ा ही कूड़ा डाला है। हम तो उसको उठवा रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब आप तो अनर्गल बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, जब नगर परिषद का और नगरपालिका का आप बिल लेकर आये तो नगर परिषदों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो? आप हमेशा यह कहते हैं नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन और बनाना चाहिए, आप म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, इनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए क्या कोई वित्त आयोग राज्य का बनाने के लिए तैयार हैं? आप इसके लिए कोई वित्त आयोग बनाइये जो समय-समय पर प्रति व्यक्ति जो राज्य सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है उसको बढ़ा कर देने में, राज्य सरकार क्या इसका विचार रखती है? और म्यूनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनकी चुंगी समाप्त करने के बाद उसका अल्टरनेटिव साधन क्या होगा? इसके बारे में एक स्थाई व्यवस्था हो तब जाकर के नगर परिषदें और नगर पालिकाएं मजबूत होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों से बेरोजगारी बढ़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिजली पर चर्चा है, विधेयक भी पास करने हैं काफी बोल चुके हैं आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल के बारे में आप बिना चर्चा कर कहेंगे तो क्या अख्तियार देंगे। यह बिना चर्चा के यों ही पास कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा करें आप।

श्री यदुनाथ सिंह : इससे बदनामी होगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे व्यवधान नहीं डालें कृपया।

श्री दिग्विजय सिंह : कल्ला साहब, चर्चा करो आप जरूर लेकिन चर्चा तो बिल पर करो जो आया है। सूरसागर की बात कह रहे हैं, वह कह रहे....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं उसी के बारे में कह रहा हूं ।

श्री दिग्विजय सिंह : हां तो आप उसी पर करलो चर्चा, वह बैटर है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा यह होता कि इस बिल को लाने से पहले राज्य सरकार नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों की स्थिति के बारे में विचार करती । आज जो उनकी आय है उस आय से तो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं चुका सकती । ऐसी स्थिति में मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप वित्त आयोग की तरह राजस्थान में ना बना सकें तो कम से कम हाउस की एक कमेटी बनाइये ताकि नगरपालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए, उनकी वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे, इस पर विचार हो । हाउस टैक्स की वसूली नहीं हो रही है । हाउस टैक्स कई जगह लगाया है वह गलत लगाया है । एक-एक चीज के लिये तीन-तीन, चार प्रकार के कर देने पड़ते हैं । इन सभी स्थितियों के बारे में हाउस की एक कमेटी बन कर नगरपरिषदों नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के बारे में राय दे और उसके अनुसार नगरपालिकाओं को, नगरपरिषदों को आत्मनिर्भर बनाने का उपाय किया जाना चाहिये तब जाकर सड़क, नाली और प्रकाश का सुव्यवस्थित प्रबन्ध कर सकेंगे । अन्यथा आज नगरपरिषदें जो व्यवस्था कर रही हैं उसके अनुसार शहर सड़ रहे हैं, उनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है । आज जयपुर की स्थिति आप देख सकते हैं, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर की स्थिति देख सकते हैं । सारे शहर सड़ रहे हैं । वहां सफाई करने वाला कोई नहीं है । जो कर्मचारी आज से बीस साल पहले थे वही कर्मचारी वहां पर हैं । जनसंख्या बढ़ गयी लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी. उसको बढ़ाने की आवश्यकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये इसमें उपयुक्त संशोधन करने के लिए इस विधेयक को आप वापस लें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बोलें ।

श्री रामकिशन : नहीं साहब, मेरा इसमें संशोधन था । मैं तो एक मिनट में ही एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन तो आया हुआ नहीं रिकार्ड पर तो ।

श्री रामकिशन : नहीं, नहीं, है ना रिकार्ड पर । कैसे नहीं है ? सर्क्यूलेट हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : खैर, आप बोल जाइये इस स्टेज पर, बोल जाइये आप ।

श्री रामकिशन : हां-हां, वह स्टेज खुली हुई है, साहब ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनी-सी बात कह रहा था कि मंत्रीजी ने संशोधन किया है कि नगर परिषदों के जो कर्तव्य होंगे उनमें परिवार नियोजन भी शामिल किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आपका है। यह विषय तो आपका है।

श्री रामकिशन : हां। मैं फिर आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कर्तव्य तो शामिल कर दिया लेकिन इस कर्तव्य को पूरा करने के लिये नगर-परिषदों के पास साधन क्या हैं? यानि आप किस तरह से कोशिश करेंगे कि नगर परिषद्, नगरपालिकाएं अपने इस कर्तव्य को पूरा करें। इस बात को आपने इसमें डिफाइन किया नहीं है कहीं। जो मौजूदा स्थिति है नगरपरिषदों की, आप अक्सर जानते हैं, आप तो इस विभाग में पूरी तरह से रहे हैं और इस संस्था से जुड़े हुए भी रहे हैं, कई नगरपालिकाओं के पास तो इतने साधन भी नहीं हैं कि वह सफाई और रोशनी के अपने कर्तव्य को भी पूरा कर सकें। तो मैं इस संशोधन का विरोधी नहीं हूं। संशोधन बहुत अच्छा है, समयानुकूल है और होना भी चाहिये। लेकिन इसमें सवाल यह है कि इसके लिये क्या कोई एक्स्ट्रा साधन होंगे और किस तरह की एक्टीविटीज अपने हाथ में लेंगे। एक सवाल तो आपको यह साफ करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह है कि आपने नगरपरिषदों के लिये कर्तव्यों की सूची में इस काम को डाला है तो जो और स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं राजस्थान की, क्या उनके कर्तव्यों को दुबारा तय करते वक्त आप इस क्लाज को डालने की कोशिश करेंगे? चाहे वह आपसे सम्बन्धित नहीं सही लेकिन एक स्वायत्त-शासी संस्था थी और उसके कर्तव्यों में इसको जोड़ा गया है तो इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि जो दूसरी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनको भी इस कर्तव्य को पूरा करने के लिये उन पर भार डालना चाहिये। इस सम्बन्ध में तो मुझे इतनी सी बात कहनी है।

एक सवाल आपसे खास तौर पर निवेदन है, प्रसंग नहीं है, सीधी बात भी नहीं है लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, नगर परिषद्, नगरपालिकाओं की हालत पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिये। आज हमारे राजस्थान की 20–22 पर्सेन्ट आबादी शहरों में आ गयी है और पुराने शहर तो एक तरह से नरक बन गये हैं। सफाई की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है और मैं यह नहीं मानता कि राज्य सरकार को उसकी चिन्ता नहीं है। राज्य सरकार भी जानती है और जो राज्य सरकार में लोग बैठे हुए हैं वह तो पूरी तरह से मामले से जानकार हैं। लेकिन आखिर हालत सुधारने के लिए क्या किया जाय। इधर चुंगी समाप्त करने का प्रस्ताव है। आप इसकी दूसरी कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। खैर, यह भी मैं मानता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मौजूदा जो शहरीकरण हो रहा है, गांवों से लोग शहरों में आ रहे हैं, दो दिक्कतें हो रही हैं आजकल शहरों में। एक तो बढ़ रही है आबादी और दूसरा हो रहा है शहरीकरण। और शहरीकरण इस तेजी से हो रहा है कि करीब-करीब ऐसा लगता है कि इस शताब्दी के अन्त में हमारे गांव आधे की बड़ी संख्या शहरों की हो जायगी। तो उस दृष्टि से आपको कोई प्लान करना चाहिये अन्यथा यह शहर हमें जहां आकर्षण के केन्द्र थे वह रोग केन्द्र बनते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जो

(श्री रामकिशन)

छोटे-मोटे इनके पास साधन भी हैं, नगर-पालिकाओं, नगर परिषदों के, तो आप देखते हैं उनका बड़ा दुरुपयोग होता है, वहां कोई सुनवाई होती नहीं है।

आज अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। अतिक्रमण के लिये आपने बड़ा सख्त कानून बनाया लेकिन आपको यह भी जानकारी करनी चाहिये कि क्या इस कानून का कहीं पालन हो रहा है, इस पर कहीं थोड़ी बहुत अमल ही हुआ है। मैं तो भरतपुर की बात कह सकता हूं, लोगों ने सड़कों पर मकान बनाना शुरू कर दिया है। सड़कों को भी घेर लेते हैं और लोगों के दिमाग में कोई डर नहीं है। बिल्कुल डर नहीं है, सरकार कुछ कर पायेगी। कानून बना और कानून की मंशा के अनुसार अगर सरकारी अफसर काम करें तो निश्चित तौर पर हम शहरों को सुधार सकते हैं लेकिन आफिसर्स की हालत यह है कि उस बात पर तवज्जोह दे नहीं पाते। इसी प्रकार से नगरपालिकाएं और नगर विकास न्यास, यह दोहरी संस्थाएं हो गयी हैं। अब मैं इन संस्थाओं की मैरिट्स पर बहस नहीं कर रहा हूं लेकिन दिक्कत क्या है कि नगर विकास न्यास जब अपनी जमीन बेचते हैं तो उसका कुछ पर्सेन्टेज तय है कि वह नगरपरिषदों को देंगे? लेकिन आप हिसाब मिलाकर देख लीजिये। असल में इन नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष तो हैं कलक्टर आम तौर पर और प्रशासक वगैरह होते हैं या तो आर. ए. एस. होते हैं या नगरपरिषद् सर्विस के लोग होते हैं। तो कलक्टर के सामने वह इतना भी नहीं कह सकते कि जमीन की बिक्री का जो पैसा आया है उस पैसे को दे दें जिससे नगर-परिषद् में सफाई वगैरह की व्यवस्था करा सकें।

मैं भरतपुर की ही मिसाल देना चाहता हूं। मुझे जानकारी मिली है, भरतपुर म्युनिसिपैलिटी के नगर विकास न्यास पर 35 लाख रुपये बकाया है। अब नगर-परिषद् की हालत यह है कि वहां रोशनी है नहीं, लाइट का प्रबन्ध है नहीं और कलक्टर होते हैं अध्यक्ष, मैं किसी एक कलक्टर की बात नहीं कह रहा हूं, सिद्धान्तः बात कह रहा हूं कि कलक्टर के सामने यह कमिशनर की हिम्मत नहीं है नहीं है कि वह अपने पैसे को मांग ले। तो इसमें आपको कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे उनके हिस्से की रकम उनको मिलती जाय और जिससे वह सफाई वगैरह का काम करते रहें। क्योंकि नगर विकास न्यास बस्तियों को बनाने के बाद उसको म्यूनिसिपैलिटी को दे देता है और म्यूनिसि-पैलिटी उसकी सफाई वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं करा पाती। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन उदयपुर के संबंध में मुख्य मंत्रीजी को दिया था। मुख्य मंत्री जी को वहां जो जमीन थी म्युनिसिपैलिटी की, वह न्यास ने ले ली। न्यास ने व्याव-सायिक प्लाट जिनको नीलामी द्वारा बेचना चाहिये था, 48 रुपये वर्ग गज पर बेच दिये। अब लाखों रुपये की इनकम म्यूनिसि-पैलिटी को होती लेकिन बड़े लोगों के दबाव में आकर वह सब काम नहीं हो पाते। मैं उसमें समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आप यह कहेंगे जो संदर्भ हैं उस पर बोलें, मैं केवल संकेत दे रहा हूं कि अव्यवस्थाएं बढ़

(श्री रामकिशन)

रही हैं, राज्य सरकार को जो काम करना चाहिये, कर नहीं पा रही है। एक इसी तरह की समस्या, उपाध्यक्ष महोदय, और है और वह है आबादी बढ़ रही है। उसके साथ-साथ सफाई कर्मचारी भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि आमदनी नहीं है, उसकी इजाजत मिलती नहीं तो इस पर सरकार को कोई विचार करना चाहिये सफाई की व्यवस्थाओं पर, सफाई के उपकरण लेने के लिए नगर-परिषदों को कोई लोन वगैरह देना चाहिये। उस तरह के कर्मचारी तो अब बैठे नहीं रहे।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, इन नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों में ओवर-सिर्यस की जगह खाली पड़ी हैं, ड्राइवर्स की जगह खाली पड़ी हैं, ड्राफ्ट्समैन की जगह खाली पड़ी हैं। कोर्ट्स में कुछ लोग गये थे, ला डिपार्टमेंट ने राय भी दी थी और आपने सन् 1990 में विज्ञापन भी निकलवा दिया लेकिन आज तक भर्ती नहीं की जाती। नतीजा यह हो रहा है कि सरकारी अफसरों ने अपने लोगों को भर रखा है। पहले तो लगाते हैं उनको एडहाक बेसिस पर और फिर उनको कर देते हैं रेगयूलर। तो आपको भी बाईपास कर जाते हैं। आपकी इच्छा है, कई बार शायद आपने इच्छा भी व्यक्त की है कि भर्ती की जाय लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। तो इन सवालों पर, मंत्रीजी, आपको ध्यान देना चाहिये क्योंकि इसका संदर्भ बहुत सीमित था, इसलिये मैं विस्तार से बात नहीं करके मैं इसी बात से बात समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं, मंत्रीजी, जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उन पर यथार्थता से ध्यान देंगे और जो समस्याएं हैं उनका गहरा अध्ययन करने के बाद कोई निराकरण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें आ तो गयीं, उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहां आ गयीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आगे और है। तीन-चार विधेयक हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर मेरी बात आ जाती तो मैं नहीं बोलती, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में बाधा नहीं डाल रहा हूं लेकिन हमारी एक समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या समस्या है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, हम पश्चिमी राजस्थान के हैं, हमारे महत्वपूर्ण दो मुद्दे हैं, अकाल और बिजली।

डा. हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको ओवर होने दें उसके बाद।

डा. हरिसिंह : नहीं, अभी इतना है जिसका कोई जवाब ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

सूचना

विधान सभा परिसर में मुजरिम

डा. हरिसिंह : इस विधान सभा परिसर में एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसकी पुलिस को तलाश है।

यह सरकार मुल्जिम को पकड़वायेगी या प्रोटेक्शन देगी। आप कहो तो मैं नाम बता दूं, आप कहो तो चैम्बर में नाम बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी को बता दें। (व्यवधान) एक मिनट उजला जी।

डा. हरिसिंह : संगरिया चैक पोस्ट पर अफीम ले जाते हुए पकड़े गये, उसके दो साथी पकड़े गये, वह बच गया। पुलिस को उसकी तलाश है। वह इस विधान सभा परिसर में मौजूद है। यह सरकार भ्रष्टाचार की बात करती है, यह सरकार न्यास की बात करती है। इस सरकार के मंत्रियों में भ्रष्टाचार है। यह सरकार भ्रष्टाचार को प्रोटक्शन दे रही है, मुल्जिमों को प्रोटेक्शन दे रही।

श्री उपाध्यक्ष : यहां विधान सभा परिसर में कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यह बाहर का मामला है।

डा. हरिसिंह : बाहर का कैसे हैं ? एक मुल्जिम....

श्री उपाध्यक्ष : यहां कोई गिरफ्तार किया जायेगा ?

डा. हरिसिंह : एक मुल्जिम, यहां विधान सभा परिसर में बैठा हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : ना, मुल्जिम होगा तो भी यहां मुल्जिम नहीं है।

डा. हरिसिंह : और जिसकी पुलिस को तलाश है। जिसका नाम मैंने बता दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : हाउस में थोड़ी, मुल्जिम तो मुल्जिम ही है। यहां वह कैसे मुल्जिम नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में कोई गिरफ्तार किया जायेगा क्या ?

श्री परसादीलाल मीणा : आप कैसे कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में कोई गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : कैसे नहीं पकड़ा जा सकता है किसी को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि चेम्बर में आकर बात कर लो।

श्री परसादीलाल मीणा : वह तो भाग जायेगा इतनी देर में।

श्री उपाध्यक्ष : आपने स्वयं कहा है।

डा. हरिसिंह : जिस मुल्जिम की तलाश पुलिस को है, वह विधान सभा परिसर में बैठा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने इनको भगाने के लिए ही यहां चर्चा की है क्या ?

डा. हरिसिंह : मैंने भगाने के लिए चर्चा की है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे बता दो ना कहां बैठा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बताओ ना।

डा. हरिसिंह : आप उसकी नाकाबन्दी कर दीजिए। आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, आप मुल्जिम को पकड़ना चाहते हैं तो। मुल्जिम को तो गवर्नमेंट संरक्षण दे रही है और गवर्नमेंट यह कह रही है कि हम सब न्याय कर देंगे, सब देख लेंगे. मगर इससे क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : अब डा. साहब इनफोर्मेशन आ गई है।

डा. हरिसिंह : मुल्जिम को कमरे में संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी क्या कह रही हैं ? आप बिराज जायें इंदलिया साहब। इंदलिया जी क्या कह रहे हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां कह दिया विधान सभा परिसर में मुल्जिम बैठा है। आपका इशारा मेरी तरफ है, किसकी तरफ है ? आप ऐसे जनरल कैसे कह सकते हैं ? आपने कह दिया यहां बैठा है, मैं समझ रहा हूं मेरे लिए कह रहे हैं।

डा. हरिसिंह : रामप्रसाद वाकड़ अफीम की तस्करी में भाग गया, दो पकड़े गये और माननीय कासनियां जी के चेम्बर में अभी मैं देखकर आया हूं. बैठा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है विराजिये आप। (व्यवधान) आप विराजिये।

विधेयक पर विचार

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं यह चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अकाल का वक्त है और हम सब पश्चिमी राजस्थान के लोग चाहते हैं कि बिजली पर, जब बिजली का पहले पेश किया हुआ है तो उस पर पहले विचार-विमर्श होना चाहिए। आज अकाल है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह ले लिया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : ले लिया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी बहुत जल्दी लिया जायेगा इंदलिया साहब। बैठो। (व्यवधान) बहुत जल्दी लिया जायेगा।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : जल्दी क्या ले लिया जायेगा। इनके तो साफ-सफाई, फलाना, ढिमका करते रहते हो, समय खा जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी पूरा कीजिए उजला जी। इंदलिया जी बिराजें।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह तो महत्वपूर्ण मामला है। हमारे यहां अकाल पड़ा

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

हुआ है । पानी कुओं में आ गया । कुएं खुदे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब इसको लिया जा रहा है बहुत जल्दी ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : लिया क्या जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : कार्यसूची में जिस प्रकार है, उसी के अनुसार लिया जायेगा । बहुत जल्दी लिया जायेगा । यह विधेयक भी आवश्यक होता है, इनको भी पारित कराना है ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : प्रथम प्रायोरिटी उसकी थी । परसों का पेश किया हुआ है उसको तो दे दिया पीछे और दूसरा ले जाकर....

श्री उपाध्यक्ष : आप अब तय कर लीजिए, मत बोलिये 5 मिनट में हो जाता है । बहुत जल्दी ले रहे हैं । बिराजिये अब ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह महत्वपूर्ण मामला है, उसको तो आपने....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात मैंने सुन ली है । बहुत जल्दी लिया जा रहा है । उजला जी सदन की मंशा को जल्दी पूरा किया जाये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्री महोदय संशोधन लाये हैं, मैं उसकी प्रशंसा करती हूं । क्योंकि पिछली बार सरकार ने 1975 में जब इमरजेंसी लागू की उस समय इस उद्देश्य को गलत तरीके से लागू करने का प्रयास किया था, वह जनता ने अस्वीकार किया था । आपने प्रस्ताव दिया है कि वहां पर इसके आधार पर यदि परिवार नियोजन के इस उद्देश्य को लागू कर दिया गया हैं तो कुछ सुविधाएं भी आप प्रदान करते हैं, इसकी प्रशंसा करती हूं लेकिन मुझे खेद है कि नगर निगम की स्थापना किये जाने के बारे में जयपुर नगर और बड़े नगरों में सरकार ने घोषणा की थी, अभी तक उसका कहीं से भी कोई प्रारम्भ होता नजर नहीं आ रहा है । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हाईकोर्ट ने जयपुर नगर परिषद् के चुनाव कराने के बारे में फैसला दिया था, जिस को गत दिसम्बर मे पूरा कर लिया जाना था, न तो वह किया गया और करीब 20 साल हो गये हमारे यहां कोई चुनाव नहीं हुए । प्रशासक महोदय आते हैं और मनमानी होती है, इच्छानुसार करते हैं । कोई इन पर नियन्त्रण होता नहीं । दिक्कत यह है कि जयपुर नगर तो राजधानी है, उसकी स्थिति भयंकर रूप से खराब है । जो अतिक्रमण का कानून यहां पास किया गया है, उसके आधार पर भी कार्य नहीं हो रहा है और सुबह ही प्रशासक महोदय अपनी पूरी टीम के साथ निकलते हैं । चाहे किसी का बरामदा तोड़ते हैं, चाहे किसी को उठा देते हैं, किसी का सामान पड़ा होता है तो ले जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात उजला जी इस हाउस में इसी सैशन में 10 बार आपने कही है । समय-समय पर कह चुकी हैं आप इस बात को ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने जो बात नहीं कही, वही मैं कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका बिल के साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है। आप रिपीटेशन करती हैं बार-बार।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी सलाह से मुझे थोड़ी बोलना है। मुझे जयपुर की दिक्कत के बारे में बोलना है, जो मैं बोल रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जयपुर की दिक्कत के बारे में बोलिये। और माननीय सदस्यों ने भी जो बातें रखी हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मेरा टाइम बांध दीजिये। मैं उतने टाइम में बोल लूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी पूरा कीजिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि विकास शुल्क के बारे में सरकार ने खुद तय किया है कि 25 रुपये विकास शुल्क लेकर के कृषि भूमि की बस्तियों पर नियमन कर देगी तो प्रति व्यक्ति जो भी पैसा देना है, कम से कम 25 रुपया सरकार दे। जो अभी तक 10 रुपये है। ऐसी कोई व्यवस्था हो सके तो वह भी नगर परिषद् के बारे में विचार करते वक्त कहना जरूरी है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि कम से कम 25 रुपया प्रति व्यक्ति विकास शुल्क के हिसाब से आप पैसा दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर नगर में स्पेशल कहीं से ट्रीटमेंट प्लाण्ट लाकर लगा दिया, अब वहां पर उसकी गन्दगी से लोग भयंकर रूप से परेशान हैं। कल हम बिल पास करेंगे। यह बिल पास करेंगे तो वह लोग कहेंगे कि हमारे बारे में आपने चर्चा क्यों नहीं की कि सारा इलाका मक्खी, मच्छर और गंदगी से सड़ रहा है। मंत्री महोदय, जयपुर के रहने वाले हैं, खेद की बात है ध्यान देते नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी सरकारी कर्मचारी, जो नगर परिषद् के कर्मचारी हैं, उनकी भविष्य निधि....

श्री उपाध्यक्ष : कई बार उठा चुकी हैं। अब बिराजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी तक भी नगर परिषद् का कोई भी भवन नहीं है तो इन सारे मामलों पर सोचते वक्त मंत्री महोदय यह भी सोचें कि इन विषयों का भी आपको चिन्तन करना है और आने वाले समय में या तो कोई संशोधन लायेंगे, या कैसे काम करेंगे, यह बताइये। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये। माननीय मंत्री महोदय। माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, उसका तो सभी ने स्वागत किया है और यह आवश्यक भी था। लेकिन साथ-साथ कुछ नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में यहां बातें रखी हैं, उनका जवाब देना मैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उचित समझता हूं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यू. आई. टी. को 15 प्रतिशत नगरपालिका को देना पड़ता है, तो मेरी जानकारी है कि वह करीब-करीब सभी नगरपालिकाओं को मिल गया है। लेकिन यदि किसी नगर-पालिका को यू. आई. टी. से 15 प्रतिशत पैसा नहीं मिला है तो निश्चित रूप से से उनको हम तुरंत दिलवा देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर में भी नहीं मिला है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह सब दिलवा देंगे, जिसको भी यह पैसा नहीं मिला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जब से आए हैं तब से नहीं मिला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं हमारे समय में तो मिला है। दो साल से नहीं मिला।

श्री दिग्विजयसिंह : यही यह कह रहे हैं कि आप आये तब से नहीं मिला।

श्री भंवरलाल शर्मा : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चुंगी समाप्ति की बात की है और सूरसागर की सफाई की बात की है, मेरी समझ में नहीं आता है कि आपके पूरी जानकारी की बात है कि सूरसागर सफाई के मामले को कितने महत्वपूर्ण तरीके से लिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं इसके बारे में चिन्ता की है, मीटिंग ली है, निर्देश दिये हैं, पैसा दिया है और काम भी चालू हो गया लेकिन फिर भी....

श्री परसादीलाल मीणा : तसल्ली नहीं मिली।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब इनको पता नहीं होगा, एक, दो दिन की बात है। यानि इनके नगर में काम हो....

श्री कालीचरण सराफ : यह साहब अखबारों में नाम छपवाने के लिए बोलते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुंगी समाप्ति के बारे में सरकार का बहुत पहले से विचार था और हम इस मामले में पहले से ही ध्यान दे रहे थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्णय किया था, वह रिपोर्ट भी मैंने सदन में रख दी है। किसी भी माननीय सदस्य का उसमें कोई सुझाव नहीं आया कि उसमें क्या किया जाये। बल्कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यह कह दिया हमने पढ़ा ही नहीं। अब इतना महत्वपूर्ण विषय था, आज ही आने वाला था। कमेटी की रिपोर्ट आपके पास रखी है। कम से कम आप पढ़कर कुछ कहते तो सरकार को दिशा तो मिलती। वह एक ऐसा गहन विषय है, उस पर जरूर चर्चा हो रही है और कुछ निर्णय भी उस पर जरूर लिया जायेगा, जैसा भी होगा। जहां तक नगर निगमों का सवाल है, इसमें निवेदन करना चाहूंगा जयपुर नगर निगम, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि नगर निगम बनाने की सरकार की पूरी योजना है। सरकार ने इसके लिए कानून बना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिया और मेरी इच्छा यह थी, सरकार की इच्छा यह थी कि इसी विधान सभा में हम उसको लाकर पेश कर देते। लेकिन थोड़ी दिक्कत यह आ गई कि उसका अंग्रेजी का तो प्रारूप बन गया, जो एक्ग्र में अंग्रेजी में है। उसका हिन्दी अनुवाद नहीं हो सका और ला डिपार्टमेंट ने यह कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं होगा, हम इसका अनुवाद नहीं कर सकते, इसलिए वह विधान सभा में पेश नहीं हो सका। बाकी वह करीब-करीब तैयार है और जहां तक चुनावों का सवाल है, मैं समझता हूं नगर पालिकाओं के चुनाव तो सरकार ने करा ही दिये है यह जो चुनाव नहीं हुए हैं, जहां नहीं हो रहे हैं वह हाई कोर्ट के निर्देश के कारण रूके हुए हैं, हमारे कारण कोई रुके हुए नहीं है और मेरी यह भी मान्यता है कि जहां-जहां नगरपालिकाओं के चुनाव हो गये.... और वहां जो चुने हुये नगरपालिकाओं के अध्यक्ष काम कर रहें हैं मैं उनको बधाई देता हूं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने नगरपालिकाएं सम्भाली, जहां साल-साल भर से, आठ-आठ महीनों से तनखाह देने के लिये काम आप छोड़ गये थे उन्होंने उनको चुकाया है और आज भी विकास कमी काम कर रहे हैं फिर अगर हम उनकी प्रशंसा नहीं करें तो यह न्याय नहीं होगा। वह निश्चित रुप से पूरे मनोवेग से लग रहे हैं और जहां-जहां नगरपालिका के चुने हुए आये हैं वहां उनके मुकाबले में काम ज्यादा हुआ है और ज्यादा होगा और जहां नगरपालिका के चुनाव नहीं हुये, मेरी यह मान्यता है कि जब तक चुने हुये लोग वहां की नगरपालिका में नहीं आते तब दायित्व चुने हुये लोग निभाते हैं उतना सरकारी अधिकारी निभा नहीं पाते। उसके दो कारण है। एक तो हम उनको अधिक हार्ड ड्यूटी लेते हैं और पार्ट टाइम काम करते हैं और फिर उनके दूसरे काम कई लगे रहते हैं और चुना हुआ जो व्यक्ति होगा है वह शहर का, नगर का होता है उसके मन में भी पीड़ा होती है। इसलिये बढ़िया उपाय तो यह है कि सभी चुनाव हो जायें और हम कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से सारा निपट जाय तो हम जल्दी चुनाव करवायेंगे। इन नगरपालिकाओ के बारे में आप कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं करते। यह में निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के आने के बाद कच्ची बस्ती सुधार कार्यक्रम के लिये हमने 1990-91 में दो करोड़ रुपये दिये, 1991-92 में ढाई करोड़ रूपये दिये और 1992-93 में तीन करोड़ रूपये दिये हैं। जो सामान्य व्यक्ति बाहर से आकर रहते हैं। रैनबसेरा के लिये उनको स्थान नहीं मिलता है। रेनबसेरे के लिये 1990-91 में 13 लाख रूपये दिये, 1991-92 में 20 लाख रूपये और 1992-93 में 20 लाख रूपये दिये हैं। सफाई उपकरण की जो कमी आप अनुभव कर रहे हैं उस कमी को पूरा करने के लिये 1990-91 में 30 लाख रुपये दिये हैं, 1991-92 में 45 लाख रूपये और 1992-93 में 50 लाख रूपये दिये हैं।

अग्निशमन के लिये भी। 1991-92 में 18 लाख रूपये दिये थे और 1992-93 में 15 लाख दिये हैं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भंगी कष्ट मुक्ति कार्यक्रम के लिये 1990-91 में 129 लाख, 1991-92 225 लाख और 1992-93 में 225 लाख रूपये दे रहे हैं। और जो कर्मचारियो को वेतन नहीं मिल रहा था उसके लिये 4 करोड़ रूपये सरकार ने दिये हैं। कहीं कहीं तो 12 महीनों से 18 महीनों से इस प्रकार की तनख्वाह बाकी थी। तो 4 करोड़ रुपये देकर स्थिति बनायी है ताकि लोग कम से कम काम करें, विकास का काम कर सके। तो जहां तक मैं समझता हूं कि अनुदान देने का या सहायता देने का सवाल है। सरकार ने किसी प्रकार की कोई कोताई नहीं की है बल्कि नगरपालिका अपने बलबूते पर खड़ी हो जाय और आर्थिक संकट से बाहर निकल कर आ जाय उसके लिये इतनी सरकार ने, इतनी सारी व्यवस्था हमने की है और भविष्य में नगरपालिका सफलतापूर्वक चले उसके लिये सरकार पूरा मनोवेग से उसे चलायेगी। अभी जो मैंने संशोधन किया है वह केवल परिवार नियोजन में भी नगरपालिका का दायित्व रहे पूर्ण कर्तव्य के साथ वह मेरा संशोधन है। मैं समझता हूं उस पर किसी माननीय सदस्य को आपत्ति भी नहीं है और यह आवश्यक भी था। तो पास करने के लिये मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, एक प्रश्न है कि उसके लिये सेन्टर ने आपको हिदायत दी है कि यह एक ड्यूटी मानी जाय। पहले ड्यूटी थी एक ड्यूटी आपने और जोड़ दी फैमली प्लानिंग की। जो कर्मचारियों की आपने ड्यूटी एनजोइन की है उसमें क्या सेन्टर ने कोई फ़ाइनेन्शियल प्रोविजन किया है? दूसरी बात, सेन्टर ने आपसे यह कहा है कि डेट फिक्स कर दो। जो नाइट साइल उठाते हैं शहरों में उसके लिये डेट फ़िक्स कर दो। कोई डेट एनेक्टमेण्ट भी करो आप ताकि यह प्रथा है यह समाप्त हो जाय। इसके लिये सेन्टर ने हिदायत दी है। उसके बारे में आपका क्या कहना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आप खुद भी समझते हैं, भंगी कस्ट मुक्ति का प्रश्न इतना आसान तो नहीं है। उसके लिये बहुत धन चाहिये, बहुत बड़ी योजना चाहिये लेकिन सरकार इस पक्ष में है कि जल्दी से जल्दी इस भंगी कष्ट मुक्ति से लोगों से पीछा छूट जाय और इसके लिये विचार करके कोई न कोई कानून लाने का विचार करते हैं। जहां तक आपने कहा कि केन्द्र से कोई धन नहीं मिला है। यह तो हमारे संसाधनों से इसको करना पड़ेगा।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया। माननीय श्री परसरामजी मदेरणा, सभापति, जन लेखा समिति, 1991-92 समिति के चार प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन
जन लेखा समिति का 67 वां, 68 वां एवं 70 वां प्रतिवेदन

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सभापति, जन लेखा समिति, 1991-92 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

समिति का 67 वां प्रतिवेदन
समिति का 68 वां प्रतिवेदन
समिति का 69 वां प्रतिवेदन

और समिति का 70 वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गंगारामजी चौधरी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे। राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार
राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य (अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 1992 को जनमत जानने लिये परिचालित किया जाय इस सम्बन्ध में संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। यह मूल अधिनियम 1954 में बना और इसकी धारा 13 (क) का संशोधन करने के लिये राज्य सरकार ने इस विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ काश्तकारों ने ऐसे अंतरण कर दिये थे जिसके लिये जिलाधीश की परमिशन नहीं ली गयी थी और जिसके कारण 1989 और 1990 में तीन बार संशोधन किये थे उस समय में इसकी मियाद तीन वर्ष छह महीने की थी, अब इसको 5 वर्ष छह महीने करने का प्रावधान किया गया है। मैं इस संबंध में आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इसमें आगे भी 2-3 बार संशोधन हुये हैं। इसकी अवधि को क्यों नहीं या तो आप 10 वर्ष कर दें या उसकी अवधि आपने निर्धारित करते हुये उसके बाद फिर अंतरणों को समाप्त किया जाय। दूसरा, उपनिवेशन से संबंधित इस विधेयक को लेकर आये हैं तो काश्तकारों की कई समस्याएं हैं जैसे 15 (3ए) की समस्या है। इस बारे में राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। इसी तरह से हमारे बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरु, गंगानगर, जैसलमेर के जो काश्तकार हैं जो वर्षो से भूमिहीन है, अकाल से पीड़ित हैं, अभाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे काश्तकारों को वर्षों से जमीन राज्य सरकार नहीं दे रही है। समय-समय पर भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके बारे में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कभी कोई निर्णय नहीं किया जाता है और गत दो वर्षों में जमीन का आवंटन नगण्य हुआ है और जो हुआ है उसमें भी जो संबंधित अधिकारी हैं वे काश्तकारों का राजस्थान के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र तक नहीं देते जिसके कारण प्रदेश में और काश्तकारों, इस पश्चिमी राजस्थान के जो काश्तकार हैं वह आन्दोलित हैं उसमें रोष है। उसके लिये आप कोई समयबद्ध कार्य-क्रम बनाये राजस्थान के इन काश्तकारों के लिये, आवंटन की विशेष सुविधा दीजिये ताकि हमारे यहां जमीन पर्याप्त मात्रा में है। इन्दिरा गांधी नगर का पानी हमारे पास आ चुका है लेकिन भूमिहीन काश्तकारों को जमीन देने में आपने दो वर्षों में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जिसके कारण आज उपनिवेशन क्षेत्र में काश्तकार परेशान है। इसी तरह से जिन-जिन स्थानों में कुछ जगह सेटलस आये हैं, पोंग डेम के आवंटी भी वहां पर रह रहे हैं लेकिन उनकी जमीनों को लोग दूसरे राज्य के बाहर के प्रदेशों के लोग कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में इस समस्या का अस्थाई समाधान करने के लिये आप कोई योजना बनायें, वहां के क्षेत्र का दौरा करें। मैं जानना चाहूंगा कि आपने उपनिवेशन क्षेत्र का कितनी बार दौरा किया है क्या आप माननीय राजस्व मंत्रीजी उपनिवेशन मंत्रीजी हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (पशुपालन राज्य मंत्री) : गये हैं। दौरा किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्व मंत्री गये होंगे, उप निवेशन मंत्रीजी का मैंने कभी दौरा सुना नहीं। दो-तीन दिन में उपनिवेशन का दौरा नहीं हो सकता है पूरे एरिया को समझ भी नहीं सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : समझदार आदमी तो एक घंटे में समझ जाता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कम से कम एक हफ्ते का दौरा करना चाहिये उपनिवेशन मंत्रीजी को एक महीने में तब जाकर के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर की समस्याओं के बारे में समझ पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसको थोड़ा संक्षिप्त कीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक चीज को रिपीट नहीं की मैंने। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी व्यवधान करेंगे····

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान नहीं है, आगे बिजली पर बहस करवानी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं भी काश्तकारों की बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप समाधान करें और आपसे नहीं हुआ तो आप सदन के सदस्यों की कमेटी बनायें जिसके माध्यम से इसका समाधन करिये। अभी बरसिंहसर पलाना लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कुछ विस्थापित हैं, उनको आपने आश्वासन दिया कि आपको नहरी क्षेत्र में जमीन आवंटित कर देंगे। वह भूमिहीन हो गये उनकी भूमि को राज्य

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सरकार ने अधिग्रहण कर ली। आपने उसके बारे में क्या निर्णय लिया ? उनको कब तक भूमि आवंटित कर रहे हैं ? इन जिलों के लोगों को राज्य सरकार जमीन आवंटित करती है तो सबसे पहले उस गांव के व्यक्ति को उसके बाद पड़ौसी के गांव को फिर उस तहसील को उसके बाद उसके जिले और उसके बाद पड़ोसी जिलों को प्राथमिकता देते हैं। इस आवंटन में इस प्रकार की प्राथमिकताओं का खुल्लम-खुला उल्लघंन हो रहा है और हमारे बीकानेर जिले की और पश्चिमी राजस्थान के जिलों के काश्तकारों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। लोग फर्जी सर्टिफिकेट देकर बाहर के लोग आवंटित करवा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी जानकारी में लाना चाहता हूं, लोग अलग-अलग नाम, गलत नाम लिखवा कर गलत सर्टिफिकेट देकर के जमीन आवंटित करवा रहे हैं। उनकी क्या आप जांच करवायेंगे। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस एक्ट के लाने से पहले आप खुद इन बिन्दुओं पर विचार करके इस बिल को लाते तो ज्यादा उचित

(1.00 अपराह्न)

होता। ताकि भूमिहीन काश्तकारों को जमीन मिलती। उपाध्यक्ष महोदय, एक समस्या और है, कुछ लोग बिना हस्ताक्षर करके पत्र लिख देते हैं कि अमुक काश्तकार खेत में नहीं है, वह शहर में मजदूरी करने आ गया उसकी भूमि को बेनामी और बिना हस्ताक्षर की शिकायतों के आधार पर आप खारिज कर रहे हैं। जो खुद काश्त करते हैं वे लोग नहर में पानी नहीं होने से, अकाल और अभाव होने से शहर में मजदूरी करने आते हैं लेकिन वास्तव में काश्तकार हैं ऐसे लोगों की जमीनें खारिज की जा रही हैं। ऐसे जो आवंटन खारिज किये गये हैं उनको वापस देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी आप बोलेंगे क्या ?

माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री कल्लाजी ने कुछ सुझाव दिये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा 13 (ए) के पहले सब क्लॉज में एक छोटा सा अमेण्डमेण्ट हम ला रहे हैं इसका लाभ कुछ ऐसे कृषकों को मिलेगा जिन्होंने धारा 13 का उल्लंघन करके कलक्टर की स्वीकृति लिये बिना अपनी भूमि बेच दी थी। खातेदारी अधिकार प्राप्त लिये थे लेकिन भूमि बेच दी थी। उन खातेदारों को रेगूलराइज करने के लिए पहले 1983 में कानून बना था उसमें कुछ समय दिया हुआ था वह समय बढ़ते-बढ़ते 31-12-90 को अवधि समाप्त हो गयी लेकिन हमें जानकारी मिली है कि अब भी कई काश्तकार रह गये हैं जिन्होंने भूमि खरीद ली लेकिन उनका नियमन नहीं हुआ। इसलिए इस मांग को देखते हुए इस समय को बढ़ाना सरकार ने जरूरी समझा और इसलिए इस संशोधन के जरिये जो पांच वर्ष 6 महीने की अवधि बढ़ाने का प्रावधान कर रहे हैं उसका असर यह होगा कि 31-12 92 तक खरीदने वाला प्रार्थना-पत्र दे सकता है और नियमन करा सकता है बशर्ते

(श्री गंगाराम चौधरी)

धारा 42 का उल्लंघन नहीं हुआ हो यानि शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति है और अन्य को भूमि बेच दी है उसको यह सहूलियत नहीं है। अदरवाइज ट्रान्सफर रेगूलर हो तो उसको इस धारा के तहत रेगूलराइज कर दिया जायेगा कुछ फीस लिये जाने का प्रावधान इस एक्ट के अन्दर मौजूद है।

माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दो। मैं अर्ज करूं कि अभी थोड़े दिन पहले राज्य सरकार ने निर्णय लिया था, माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि अब ऐसे बेचान के लिए जिला कलक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बेचान की रजिस्ट्री बिना कलक्टर की स्वीकृति के करा सकता है। इसलिए इस समय को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग रह गये हैं उम्मीद है कि 31-12-92 तक वह अपने प्रार्थना-पत्र दे देंगे और नियमन के अधिकारी हो जायेंगे।

जैसलमेर के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने के बारे में जिक्र किया गया है। 15 ए ए ए में पहले ही मुख्य-मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी थी, मैं पुनः दोहरा देता हूं कि 15 ए ए ए में केबिनेट ने एक संशोधन अप्रूव कर दिया है। हाउस में वह नहीं आ सका, कुछ और सलाह करनी थी उसके कारण से।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : धारा 15 ए ए ए के साथ धारा 19 ए ए ए भी बता दो।

श्री गंगाराम चौधरी : दोनों साथ हैं। धारा 19 में भी संशोधन कर दिया है। 15 ए ए ए का जिक्र कर दूं। जैसलमेर के काश्तकारों के लिए नहीं बल्कि राजस्थान नहर यानि इंदिरा गांधी नहर में रहने वाले वह काश्तकार जिनका 1955 में रिकार्ड में नाम दर्ज था गैर खातेदार की हैसियत से या उस समय सैटलमेण्ट नहीं हुआ, जो पहला रेगूलर सैटलमेण्ट 1962 से 72 तक होता रहा है जैसलमेर के कई इलाकों में, उस रिकार्ड के आधार पर यदि किसी का नाम दर्ज है गैर खातेदार की हैसियत से तो वह सीलिंग सीमा तक खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो जायेगा और उसमें किसी को प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सुओ मोटो काश्तकार दर्ज हो जायेगा। पूरे इंदिरा गांधी नहर इलाके में यह प्रावधान लागू होगा।

श्री परसराम मदेरणा : सारे में नहीं जैसलमेर में ही होगा, रिकार्ड जहां नहीं है। सैटलमेण्ट हुआ है यह तो वह 45 गांव आये हैं जो बीकानेर में हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं यह अर्ज कर दूं कि इसमें जैसलमेर शब्द या कुछ भी नहीं लिखा है। बीकानेर और दूसरे हिस्से में जो काश्तकार हैं, जैसलमेर रियायत के बाहर के जो काश्तकार हैं उन्होंने पहले ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं जैसलमेर की भूतपूर्व रियासत के बीकानेर जिले के 45 गांव को और जैसलमेर जिले के दूसरे गांवों को यह लाभ मिलेगा यह बात सही है लेकिन अगर ऐसा कोई काश्तकार रह गया है, और इलाके में कोई है तो

(श्री गंगाराम चौधरी)

इसके अन्तर वह भी पात्र हो जायेगा। अब उससे किसी तरह की शास्ती या राशि या एक मुरब्बे के बाद मुरब्बे की कीमत अब तक ले रहे थे वह नहीं लेंगे। धारा 19 की जो बात आयी धारा 19 में भी संशोधन प्रस्तावित है। प्रावधान जो पहले से है वह यह है कि खुद काश्त भूमि का यदि कोई उप कृषक है, 1955 से वहां काबिज है और अब तक खातेदारी नहीं मिली है, पहले समय दिया था प्रार्थना पत्र देकर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता था या सुओ मोटो भी अधिकारी को यह अधिकारी यह अधिकार था कि वह बिना प्रार्थना-पत्र लिये भी खातेदारी रिकार्ड में ले ले। बहुत से कृषक रह गये उनको समय देने के लिए भी इसमें संशोधन किया गया है, 31-12-92 तक वह भी प्रार्थना-पत्र दे सकेंगे। यह प्रावधान भी विधान सभा पास कर देगी तो लागू हो जायेगा, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय आवंटन के सम्बन्ध में माननीय कल्ला साहब ने कुछ बातें कही हैं। यहां से चार मंत्रियों की एक टोली गयी थी, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने सारी जानकारी करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है उसके आधार कुछ निर्णय लेने जा रहे हैं। उसमें मुख्यतः यह है, हम वहां पर गये, मंत्रियों की टोली गयी तो पता लगा कि विशेष आवंटन के जो पहले के प्रावधान हैं उससे कुछ बाहर के लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं। पहले यह प्रावधान था कि यदि 10 वर्ष से राजस्थान में रहता है और राजस्थान का मूल निवासी है उसका प्रमाण-पत्र मिल जाये तो वह आवंटन का अधिकारी हो जायेगा। उस सम्बन्ध में कुछ और शर्तें भी हैं लेकिन अब यह आवश्यक समझा गया है कि 10 वर्ष की अवधि वाला प्रावधान नहीं रखा जाय क्योंकि उसमें आसानी से बाहर का आदमी भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस अवधि को कुछ और बढ़ाया जाय, 10 वर्ष नहीं, 1971 या 1955 के समय में राजस्थान का मूल निवासी है तो इस आवंटन का अधिकारी होगा, इस पर सरकार विचार कर रही है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, अब तक एडवाइजरी कमेटी सलाहकार समिति की सलाह से विशेष आवंटन करने का प्रावधान नियमों में नहीं था। साधारण आवंटन का तो है लेकिन विशेष का नहीं है इसलिए भी गड़बड़ियों की गुंजाइश रहती है। हम प्रावधान कर रहे हैं कि विशेष आवंटन भी सलाहकार समिति की सलाहकार समिति की सलाह से किया जायेगा। यह दो मोटे रूप से संशोधन करने जा रहे हैं इससे गड़बड़ी की आशंका माननीय सदस्यों को है, मैं समझता हूं कि हम कुछ दूर कर पायेंगे।

मूल निवासी का जैसा मैंने निवेदन किया, उसका यह होगा। उपाध्यक्ष महोदय, बाहर के लोग आ करके जमीन काश्त कर लेते हैं या जबरन बैठ जाते हैं या अलाट करा लाते हैं इसी की रोकथाम के लिए हम कर रहे हैं। हमने एक चीज और की है कि आवंटन का अधिकारी

(श्री गंगाराम चौधरी)

वही गरीब माना जाएगा जब उसकी रिपोर्ट पुलिस से इस प्रकार की आ जाय कि वह एन्टी नेशनल एक्टीविटीज में इन्वाल्व नहीं है। यह रिपोर्ट हम प्राप्त करेंगे। इससे भी हमें कुछ सहूलियत मिलेगी और अवांछनीय तत्व इस भूमि का आवंटन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

बरसिंहसर के विस्थापितों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा। सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है कि बरसिंहसर के विस्थापितों को उन शर्तों पर भूमि का आवंटन कर दिया जायगा जिन शर्तों पर सरकार ने महाजन फील्ड फायरिंग के विस्थापितों को किया है। महाजन फील्ड फायरिंग के विस्थापितों के लिए जो शर्तें रखी, कीमत रखी, उसी आधार पर हम उनको आवंटन कर देंगे। इनके लिए अलग से भूमि आरक्षित करनी है जो सरकार द्वारा एकाध दिन में निर्णय लिया जाकर भूमि आरक्षित करके बरसिंहसर के विस्थापितों को इस आधार पर वहा बसा दिया जायगा।

प्राथमिकता के उल्लंघन की बात कही गयी वह मैंने पहले से कहा उसी के साथ जुड़ गया है। जहां तक बिना हस्ताक्षर खारिज करने वाली बात है कि बिना हस्ताक्षर के कोई दरखास्त दे दे और साधारण तौर पर खारिज करने की बहुत बरसों से शिकायतें आ रही है, मैं मानता हूं इस बात को। अब तक अलाटमेंट करने वाला अधिकारी और अलाटमेंट खारिज करने वाला अधिकारी, कुछ शर्तों के भंग करने पर, एक ही था। वैसे अगर अलाटमेंट अनियमित हो तो उसका अधिकार कालोनाइजेशन कमिश्नर को है लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर को यह दोनों अधिकार है इससे कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और सरकार इस पर विचार कर रही है। मिलीभगत से या अधिकारी पूरा अवसर न दे करके कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं अलाटमेंट खारिज करने के लिए, इसलिए हम इस बारे में कुछ सोच रहे हैं कि अलाटमेंट करने वाला अधिकारी आवटंन की शर्त भंग होने पर अलाटमेंट खारिज न कर सके, खारिज करने के लिए दूसरा अधिकारी हो। ऐसी कुछ व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि सारे निर्णय लेने के बाद इस सम्बन्ध में काफी कुछ समस्याओं का हल हो जायगा। सदन से निवेदन है कि जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने पेश किया है वह खारिज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

प्रभारी मंत्रीजी पारित करने का प्रस्ताव करेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां जी ।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन मंत्रीजी ने बताया कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में स्थानीय भूमि हीन आदमियों को अलाटमेंट किया जायगा, उनका करेक्टर वेरीफिकेशन, वगैरह की खास जांच होगी कि वह एन्टीनेशनल न हो । यह एन्टी नेशनल और नेशनल, वफादारी का तय आप किस से करायेंगे । पहले जब यह सरकार विपक्ष में बैठती थी कांग्रेस सरकार पर इल्जाम लगाया था कि इस इन्दिरा गांधी नहर एरिया में दस हजार पाकिस्तानी आदमियों ने जगह ले ली । मंत्री महोदय, आप लोकल हैं, आप किसान है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वह दस हजार आदमी आपने निकाल दिये या वह गलत इल्जाम था ? और यही आपकी जो रिपोर्ट है आप उसको बेरीफाई करोगे नहीं एस. डी. ओ. और तहसीलदार की वेरीफाई किया मानोगे नहीं, जो स्थानीय इन्टेलीजेंस है उसका बेरीफाई किया मानेंगे, वह बड़े बड़े आदमियों के रिश्तेदार और बहुत प्रभावशाली आदमियों की जमीन को वहां काबिज की नीयत से गरीब शिड्यूल्ड कास्ट्स या जाट या मुसलमान जैसे सारे लोगों को एन्टी नेशनल बना करके रख देंगे और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यह हमारी शंका है । उन भूमिहीन आदमियों को आप महरूम रखोगे ।

नम्बर दो, विशेष आवंटन में राज्य सरकार राज्यादेशों से आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों को तो जमीन अलाट कर रही है लेकिन वहां के गरीब भूमिहीन को एक को भी राज्यादेश से अलाटमेंट नहीं हुआ । तो मेरी आपसे बहुत अदब के साथ अर्ज है कि यह जो एक मनगढ़न्त इल्जाम है । इस बहाने से पहले भी लोगों को महरूम रखा, खूब शिकायतें हुई, आप और चतुर्वेदी जी उन शिकायतों को वहां जांच करके आये । तो मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि वहाँ आपने कितने पाकिस्तानी प्रमाणित किये और किये हैं तो उनको क्यों नहीं किकाला ? और अगर जब नहीं साबित हुए तो यह किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं अल्पसंख्यक लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनको जमीन न देना जो शहरी लोग चाहते हैं, वह हमेशा अखबारों के माध्यम से यह प्रचार करते हैं और गवर्नमेंट जान बूझकर उन लोगों को उनके हकूक से वंचित रखना चाहती है । मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस हरकत से आप गरीब लोगों को बचायें और असल भारत के मूल निवासी को भूमि से महरूम न बनायें ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें एन्टी नेशनल

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

वर्ड डिफाइन नहीं है। तो जब तक हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे या कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं हो जावे किसी आदमी के बारे में तो उससे पहले कैसे मानेंगे। उसका कोई आधार होना चाहिये और ज्यूडिशियल आधार होना चाहिए, उसके बाद यह किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा मैंने पहले कहा था जो अवांछनीय तत्व हैं या जो एन्टी नेशनल एक्टीविटीज में इन्वाल्व हैं, उनकी पुष्टि तो हमारे यहां की इन्टेलीजेंस, पुलिस विभाग ही करता है। जो प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं आवंटन अधिकारी को, उन प्रार्थना पत्रों को पुलिस के पास भेज दिया जाता है, पुलिस विभाग उनका वेरीफिकेशन करके जिनके करेक्टर के बारे में क्लोयरेंस दे देता है उनको अलाटमेंट हो जाता है और जिनके बारे में उनकी यह राय होती है यह एन्टी नेशनल है, उनको ही अलाटमेंट से अलग किया जाता है। मैं यह निवेदन कर दूं कि अब तक ऐसा नहीं के बराबर हुआ है। कोई अगर एन्टी नेशनल एक्टीविटीज में इन्वाल्व है, मैं यह निवेदन कर दूं....

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, कल को अगर वह एन्टाइटल नहीं होगा वेरीफिकेशन होने के बाद में, उसके ऊपर खातेदारी कन्फर नहीं की जायगी प्रकार का कोई ला में प्राविधान है क्या? या आपके वेरीफिकेशन परपज के लिए एक्स्ट्रानियस कंसीडरेशन से आप ऐसा करेंगे?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रशासनिक आदेश हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ला में ऐसा प्रावधान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूर है कि सन् 1984-84 में एक दफा जैसलमेर में जब जांच हुई थी तब कुछ ऐसे लोग मिले थे जो पाकिस्तान के रहने वाले थे या जो एन्टी नेशनल एक्टीविटीज में इन्वाल्व थे या जो कम उम्र के बच्चे थे उन्होंने मूछें लगा करके आवंटन करवा लिया था, उनके आवंटन अवश्य खारिज करने की कार्यवाही की गयी है, उसके बाद इस वक्त में ऐसा नहीं है।

माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों को जमीन आवंटित की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह चार्ज तो बिल्कुल गलत है। हमने मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य को वहां आवंटन नहीं किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपके पास लिस्ट है क्या जिन्होंने ऐसे मूंछे लगा ली?

श्री गंगाराम चौधरी : हां, सरकार के पास वह लिस्ट मौजूद है, इस वक्त मेरे पास नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपको जानकारी है क्या?

श्री गंगाराम चौधरी : जानकारी है, वह कार्यवाही चल रही है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, गुलाम मुस्तफाजी ने जैसा कहा, यह परिभाषित किया जाना कोई सम्भव नहीं है। यह तो पुलिस खुद ही तय करेगी कि कौन एन्टी नेशनल है ओर कौन नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, न तो कोई टिनेन्सी एक्ट का अमेण्डिग बिल यहां पर विचाराधीन है। 15 एएए की बात बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने धुप्पल में उठा दी और उसके बाद दूसरे मैम्बर बोलने लगे, आपने भी ठोककर जवाब दे दिया। बिल कालोनाइजेशन का है, इसलिए नागौर से आने वाले माननीय सदस्य को तो क्या है कि आजकल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ढाढ़ी बढ़ा रहे हैं और नेशनल-वेशनल, इण्टरनेशनल, कई प्रकार की बातें यहां ले आये। ये फालतू बातें हैं इसलिए you should confine yourself to the Bill.

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : इन्होंने कहा ये कर रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिल को पारित किया जाय।

श्री केदारनाथ शर्मा : यह 13 सब सैक्शन (ए) में जो प्रोविजो हैं, आप डेट को एक्सटेण्ड कर रहे हो, मगर ऐसे भी बेचान हुए हैं जिनमें खातेदार को राइट एक्रू नहीं हुए, केवल इकरारनामे में ट्रांसफर हो गये हैं। उनके बारे में आपका यह अमेण्डमेण्ट साइलेण्ट है। जिन खातेदारों को राइट एक्रू हो गये उन्होंने कलक्टर की बिना मंजूरी बेच दिये और फिर आपने पैनल्टी लगा दी। उनको आपने वैलिड कर दिया, यह तो ठीक है। आपने डेट एक्सटेण्ड कर दी, 1992 कर दी, वह भी अच्छा किया। मगर जिन लोगों को खातेदारी राइट एक्रू नहीं थे और जिन्होंने इकरारनामे से अपनी जमीनों का बेचान कर दिया, ऐसे भी हजारों केस हैं। उनके बारे में आपका क्या है ?

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही, हमारा एक सब सैक्शन और है धारा 13 (1) (ए), उसमें यह प्रावधान किया हुआ है। जिस आदमी ने खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये और इकरारनामे से बेच दिये, उनके रेगुलराइजेशन का प्रावधान है। उसका समय पहले जरूर खत्म हो गया था, लेकिन हमने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल कर दिया। एक्ट में अमेण्डमेण्ट लाने की आवश्यकता नहीं थी, उस सैक्शन में पहले ही यह प्रावधान था कि राज्य सरकार जब चाहे समय बढ़ा दे। राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए समय बढ़ाने का सर्कुलर जारी कर दिया। वह तारीख भी 31-12-1992 है।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992, प्रभारी मंत्री विचारार्थ रखने के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार
अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन)
विधेयक, 1992

श्री रतनलाल जाट (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, बोलेंगे क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : बहुत जल्दी में।

श्री उपाध्यक्ष : इसको पारित कराने की सदन की भावना है।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे बड़ा अफसोस है कि शासक दल के लोग बिल को बिना विचार पास करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 में इन्होंने नाम परिवर्तन का प्रस्ताव किया है। धारा 1, धारा 2 के खण्ड 4 में तथा धारा 3 की उप धारा 1 में जहां-जहां अजमेर विश्वविद्यालय का नाम है वहां महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बहुत प्रशंसा की बात है, इसको कर देना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कहां विरोध कर रहा हूं ?

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय का नाम करने का प्रस्ताव किया है। इस सम्बन्ध में तो कहीं कोई एतराज नहीं है। इसमें सिर्फ एक बात है जो हम खण्डवार संशोधन के समय विचार करेंगे कि महर्षि दयानन्द का पूरा नाम महर्षि दयानन्द सरस्वती था। इसको संशोधित रूप में नाम परिवर्तन करने का मेरा सुझाव है। सब लोग उनको महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम से जानते हैं। उन्होंने जब देश की आजादी का आन्दोलन चल रहा था उस समय धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार का आन्दोलन चलाया था। निश्चित रूप से सारा देश उनके प्रति श्रद्धानत है। महर्षि दयानन्द और भी कई ऋषियों और सन्तों का नाम है। उनको लोग महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम से ज्यादा जानते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि रोहतक में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय है। दो विश्वविद्यालयों का एक जैसा नाम न हो इसलिए इसका नाम महर्षि दयानन्द सरस्वती विद्यालय किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जब अजमेर विश्वविद्यालय की बात आती है तो दूसरी बातों के बारे में भी इनको कुछ सुधार करना चाहिए। आज अजमेर विश्वविद्यालय के रिजल्ट्स बहुत देरी से आ रहे हैं। अभी तक परीक्षाओं का कोई अता-पता नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : पर्चे आउट हो गये, इसका क्या मतलब है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिवेल्यूएशन के रिजल्ट जो अक्टूबर में आउट हुए थे....

श्री उपाध्यक्ष : इससे कहां सम्बन्ध है ? कल्ला साहब, कहां जा रहे हो आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें मुझे रोक थोड़े ही सकते हैं इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह देता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं आप उसमें कहां जा रहे हो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिवेल्यूएशन के रिजल्ट आने के बाद उनके ला कालेजेज एडमिशन नहीं हो रहे हैं। डूंगर कालेज और अजमेर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जितने भी कालेजेज हैं उनमें रिवेल्यूएशन के रिजल्ट 4-4 महीने देरी से आने के बाद विद्यार्थियों के प्रवेश नहीं होने से विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। उन समस्याओं के बारे में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर यूनिवर्सिटी जब बनायी गयी थी उस समय कुछ सुझाव भी थे कि यूनीवर्सिटी विदाउट फैकल्टी नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के साथ फैकल्टी को जोड़ना चाहिए और अजमेर सम्भाग के जितने भी कालेजेज हैं उनका एफीलिएशन उसके साथ कर देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में 1987 तक केवल तीन यूनिवर्सिटी थीं, लेकिन 1987 के बाद कांग्रेस शासन ने कोटा, अजमेर और बीकानेर में तीन विश्वविद्यालय बनाये। इन विश्वविद्यालयों के बनने के बाद इनको आगे बढ़ाने में यह राज्य सरकार दो वर्षों में बिलकुल असफल रही है। इनको विश्वविद्यालयों का संवर्द्धन करना चाहिए था, इनको आगे बढ़ाना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों के बारे में विचार कर राज्य सरकार अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को नये ढंग से लायेगी। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। संक्षेप में कह दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पुनः प्रशंसा करती हूं सरकार की, जैसा उन्होंने कहा था कि खुद लायेंगे, तो वे लाये हैं। मुझे इसका बड़ा हर्ष है। इसको तत्काल रूप से पास करें, मैं सदन से आग्रह करूंगी कहीं कोई कमियां--खामियां हों विश्व-विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में तो माननीय मन्त्री महोदय सक्षम हैं, करें।

श्री उपाध्यक्ष : लक्ष्मीनारायण जी। लम्बा मत कीजिए, प्रशंसा कर दीजिए। सभी कह रहे हैं पास कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक जो नाम परिवर्तन हेतु पेश किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की, जिस वक्त देश में....

श्री उपाध्यक्ष : यह भाषण कहां आ गया ? इतना लम्बा मत कीजिए ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : बाल विवाह, सामाजिक अशिक्षा, सती प्रथा जैसे आडम्बर और कुरीतियां फैली हुई थीं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां है ? यह परिवर्तन में नहीं है ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें इंण्टेरफियर, हस्तक्षेप नहीं करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं करूंगा । क्यों नहीं करूगा ? इतना लम्बा मत कीजिए आप । हाउस के माननीय सदस्यों का भी समय जा रहा है ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप हमें बोलने का मौका दीजिए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय का नाम रखने के लिए पेश किया गया है, यह स्वागत योग्य है । यह मैं कहना चाहूंगा कि जिस वक्त यह देश सामाजिक कुरीतियों....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत आगे चले गये आप ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अन्य प्रकार की बाल विवाह, सती प्रथा जैसे मामलों में देश रूढ़िवादी प्रथा में थी उस वक्त महर्षि दयानन्द ने पुनरूत्थान किया और जाग्रति कायम की । उनके दिये हुए दिशा-निर्देश के कारण उनकी यादगार के लिए अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय होना स्वागत योग्य है और इसका हम समर्थन करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्री जी ।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी रखने बाबत जो बिल पेश किया गया है, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 1987 से पहले....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पारित करने का प्रस्ताव कराओ ।

श्री रतनलाल जाट : सीधे ही पारित करना होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अजमेर

श्री बुलाकीदास कल्ला : जवाब तो देने दीजिए इनको जो मुद्दे उठाये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया थोड़ा सहयोग कीजिए आप भी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या सहयोग दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं न ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो मुद्दे उठाये हैं उनका जवाब भी नहीं दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : अब सभी सदस्यों की भावना का आदर (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : आगे 2-3 स्टेज होंगी।

प्रश्न यह है कि अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड 2, श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जो अजमेर विश्वविद्यालय का नाम संशोधन करने जा रही है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शायद ही हिन्दुस्तान के अन्दर कोई दो मुख्य विश्वविद्यालय एक नाम के हों। जब एम डी. यूनिवर्सिटी या महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय का नाम आता है तो दिमाग में एकदम रोहतक का नाम आ जाता है। तो मेरा संशोधन है कि विधेयक के खण्ड 2 (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के स्थान पर अभिव्यक्ति "महर्षिदयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय प्रतिस्थापित की जाय। कि इसको महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय कर देंगे तो हमारा आइडेंटीफिकेशन हो जायेगा अजमेर के नाम से। इसमें कोई बुराई नहीं है और सरकार को इसके ऊपर अड़ना नहीं चाहिये, इसका स्वागत करना चाहिये। इसको महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम से पारित किया जाय और इस बिल में खण्ड दो में, चार-पांच में जहां जहां भी महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय है उसकी जगह महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय कर दिया जाय तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम से कोई विश्वविद्यालय देश में नहीं है जब कि महर्षि दयानन्द के नाम से रोहतक विश्वविद्यालय आपके पड़ोस में है। वह भी उसी तरह का विश्वविद्यालय है जिस तरह का अजमेर का है। उससे भी कालेजेज एफीलियेटेड हैं, काफी सारे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि हमारे अजमेर की अलग छाप बने इसलिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय इसका नाम रखना चाहिये। मैं तो यही संशोधन सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इसको मान लेती है तो कोई बहस की आवश्यकता नहीं है। चूंकि अजमेर में है इसलिये अजमेर आगे जोड़ दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो अजमेर नाम से ही होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, इसी तरीके से इस विश्वविद्यालय का पूरा नाम "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर" कर दिया जाय और धारा एक में धारा दो के (ग) और धारा तीन की उप धारा (1) में जहां-जहां यह नाम आया है, वहां यह संशोधन कर दिया जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसमें मेरा भी यही प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव नहीं है। जो प्रस्ताव रखते हैं, वे ही बोल सकते हैं। आपका नाम इसमें नहीं है। आगे आयेगा आपका नाम। संशोधन में नहीं है, आगे आ जायेगा। आपका नाम है, मैं बुला लूंगा आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं होगी यदि वे मान लें। सरस्वती नाम आ जाय तो आवश्यकता ही नहीं होगी। अच्छा रहेगा।

श्री जुबेर खां : अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसका स्वागत कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को बोलने दो आप पहले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कानूनन एक से दो विश्वविद्यालय हो भी नहीं सकते।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : जो मैंने प्रस्ताव दिया है उसको मान लिया जाय, स्वीकार किया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या, आपको याद होगा, आपने ही सुझाव दिया था कि दयानन्द के साथ महर्षि जोड़िये तो वे आपके प्रस्ताव को ही लाये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह बात इसलिये कह रही हूं कि एम. डी. यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के नाम से रोहतक में यूनिवर्सिटी है इसलिये मैं निवेदन कर रही हूं कि महर्षि....

श्री कालीचरण सराफ : जवाहरलाल नेहरू के नाम से कितनी यूनिवर्सिटीज हैं ?

श्री जुबेर खां : वह अलग-अलग हैं। कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी है। (व्यवधान) वह अलग-अलग है। जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी दिल्ली में अलग है, जबलपुर में अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सरस्वती पर भी आपत्ति है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई आपत्ति नहीं होगी। आप बिराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है, उसमें

श्री उपाध्यक्ष : वह आगे आयेगा। आपको मैं आगे बुला दूंगा।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अभी एक नाम से अधिक विश्वविद्यालय के बारे में बताया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसे उदाहरण हैं, एक ही व्यक्ति के नाम से एक से ज्यादा विश्वविद्यालय इस देश के अन्दर कार्यरत हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने तो दीजिये आप।

श्री जुबेर खां : इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। इसको स्वागतयोग्य बता रहे हैं। आप तो इसको संशोधित रूप से जोड़ दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। माननीय मदेरणा साहब बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्रीजी, संशोधन केवल यह है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी नाम रखा जाय इस यूनिवर्सिटी का। महर्षि दयानन्द के नाम से कई विश्वविद्यालय देश भर में हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है सरस्वती का शब्द इसके साथ जोड़ने में....(व्यवधान) आप सुनिये. आप समझ नहीं रही हैं क्योंकि आपको सरस्वती से कोई लेना-देना नहीं है। सरस्वती उसके मुखारबिन्द पर होती है जो प्रकाण्ड विद्वान होता है। महर्षि दयानन्द चार वेदों के ज्ञाता थे....(व्यवधान) आप समझेंगे नहीं ऋषि दयानन्द को जो बोले सो अभय। आप कुछ नहीं जानते अभी।

श्री दिग्विजय सिंह : हम तो आपके सुझाव को मानते हैं। (व्यवधान) हम तो यह सुझाव मान रहे हैं कि "सरस्वती" शब्द को जोड़ दिया जाय। हम तो मान रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय पुलिस मंत्री जी थर्ड डिग्री मैथड इस्तेमाल करने की जानकारी है। यह मामला सरस्वती मंदिर का है। इसमें आपका क्या लेना देना। यू आर. माइल्स अवे।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, से निवेदन कर रहा हूं।(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आर्डर लाइये सदन में। आप पहले बोल लें उसके बाद उत्तर दे देना। बीच में क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों का जो सुझाव है इसके अन्दर "सरस्वती" जोड़ दिया जाय, तो सरकार इस "सरस्वती" शब्द को मान रही है, स्वीकार कर रही है।

श्री परसराम मदेरणा : अमेंडमेंट ओरली असेप्ट होते हैं। मैंने कम से कम 100 बिल पायलेट किये होंगे इस सदन में। अमेंडमेंट ही नहीं होता है. अमेंडमेंट हमेशा माना जाता है, मंत्रीजी। (व्यवधान) हम तो यह सोच रहे थे कि डाक्टरेट, सरस्वती कुछ है आपके पास, ट्रेजर है। किन्तु इस समय आपका ट्रेजर खाली दिखता है। आप इसको मान लीजिये।

श्री रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, रामगढ़ से आने माननीय

(श्री रतनलाल जाट)

सदस्य श्री जुबेर खां, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने, पूरे हाउस ने "सरस्वती" शब्द जोड़ने के बारे में जो संशोधन पेश किया है, उसको स्वीकार किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री जुबेर खां, श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 यही है। श्री जुबेर खां।

श्री दिग्विजय सिंह : कांसीक्वेंशल है।

श्री जुबेर खां : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 4 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय" के स्थान पर "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री जुबेर खान, श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-5 (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-5 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री जुबेर खां, श्री बुलाकीदास कल्ला सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड–6 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-6 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री जुबेर खां, श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–घ—अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें भी संशोधन है। नाम अधिनियमन सूत्र संशोधित होंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : यह जितने भी कांसीक्वेंशल अमेंडमेंट हैं, आपको यह वर्ड डालना है। यह सब बिल में डाल दीजिये।

श्री रतनलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड–1 में अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-1 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि संशोधित रूप में स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1–अधिनियमन सूत्र, नाम आदि संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री रतनलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर विश्व-

(श्री रतनलाल जाट) :

विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

अजमेर, विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय आपको भी बहुत-बहुत बधाई है। आप ही लाये थे प्राइवेट मैम्बर बिल के रूप में।

श्री उपाध्यक्ष : हां, सबसे पहले मैंने ही इसे बिल के रूप में रखा था।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो आपकी तरफ से लड्डू बंटने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरी तरफ से श्रीमती उजला अरोड़ा खिलायेंगी।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991–प्रभारी मंत्री, श्री भंवर लाल शर्मा विचारार्थ लिए जाने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकी दास कल्ला।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय, इसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह मूल अधिनियम, 1959 में बनाया गया था और अब इस अधिनियम की धारा 24 में नई धारा 24 (क) अन्तःस्थापित की जा रही है जिसमें यू. आई. टीज. के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की शक्ति राज्य सरकार अपने पास ले रही है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार गजेटेड आफिसर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान से स्थानान्तरण करे तो मैं समझता हूं कि शायद इसमें दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उन्हें वहां रहने का स्थान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन जो लोग चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, सेमी परमानेन्ट लोग हैं उनको उदयपुर से बीकानेर, जोधपुर से उदयपुर उदयपुर से अजमेर, अजमेर से जोधपुर राजनीतिक बदले की भावना से स्थानान्तरण करने की शक्ति अपने हाथ में लेने जा रही है इसका

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मैं घोर विरोध करता हूं। राज्य सरकार जो कानून बनाती हैं, वेलफेयर स्टेट का यह कसेप्ट होता है कि उसके द्वारा लोगों का कल्याण हो। जन कल्याण सम्बन्धी वह कार्य करे लेकिन यह काम तो वह करती नहीं है। सरकार इस विधेयक में परिवर्तन करके स्थानान्तरण करने की शक्ति अपने हाथ में ले रही है यह मैं समझता हूं कि राजस्थान के उन लोगों, जो नगर विकास न्यास में वर्षों से सेवा कर रहे हैं, के साथ घोर अन्याय है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने धारा 74 की उप-धारा (1) में भी एक खण्ड नया जोड़ा है जिसमें भी स्थानान्तरण की शक्ति अपने पास लेने की बात कह रही है। राज्य सरकार 2 वर्षों में नगर सुधार न्यास विधेयक में कोई अच्छा सुधार लाती, अच्छा संशोधन करती तो उसका हम स्वागत करते लेकिन केवल स्थानान्तरण करने की शक्ति लेने के लिए जो विधेयक में इन्होंने संशोधन किया है वह निश्चित रूप से निन्दनीय है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब आप इस विधेयक में संशोधन ही करना चाहते हैं तो राज्य में कांग्रेस की सरकार थी उस समय यह निर्णय लिया गया था कि नगर सुधार न्यास जितनी जमीन बेचेगा उनका 15 प्रतिशत हिस्सा नगर पालिका और नगर परिषदों को दिया जायेगा, इसके सम्बन्ध में प्रशासनिक आदेश को आप एक्ट में कहीं डालते, तो आपका मैं स्वागत करता।

दूसरा, आपने यू. आई. टीज. का गठन किया। यू. आई. टीज. में हमेशा जन-प्रतिनिधि होते थे और कांग्रेस ने यहां तक किया था कि जो-जो माननीय सदस्य उस क्षेत्र से आते हैं, चाहे पक्ष के थे या विपक्ष के थे उन सभी को यू आई. टीज. में मैम्बर बनाया था लेकिन आपने किसी भी जन-प्रतिनिधि को पूरे राजस्थान में वहां मनोनीत नहीं करके, मैं समझता हूं, प्रजातन्त्र के साथ धोखा-धड़ी की है, प्रजातन्त्र का आपने अनादर किया है। आज जो यू.आई. टीज. में सदस्य चुने गये हैं वह अपराधी किस्म के लोग हैं, वह ऐसे लोग हैं जो दिन-रात भ्रष्टाचार कर रहे हैं. यू. आई. टी. की जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, यू आई. टी. की जमीनें बेच रहे हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा यू. आई. टीज. को बना दिया है।

इसी तरीके से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने इन पिछले 2 वर्षों में स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत कितनी जमीन आवंटित की? बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने कितनी जमीन आवंटित की है?........ (व्यवधान)....आप ऊपर गाइड नहीं करें, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, कृपा करके आप सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं सुन रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इन 2 वर्षों में कच्ची बस्तियों का क्या सुधार किया? जो जमीनें नगर विकास न्यास द्वारा बेची जाती हैं 200–300 रुपये गज, जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हैं, जो मेहनतकश मजदूर हैं, ऐसे लोगों को जमीनें देने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाये ? आज कृषि भूमि जो है वह जगह-जगह बिक रही है, हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटीज का शहरों के आस-पास एक वीसियस सर्किल बना हुआ है, जमीनों को बेच रहा है और यह माफिया सारे राजस्थान में बढ़ रहा है लेकिन इसको आपने कोई चैक नहीं किया। यू.आई.टीज. के द्वारा जमीनें नीलामी के द्वारा नहीं बेचने से, जमीनें आवंटित नहीं करने से यह समस्या खड़ी हो गयी है। इसलिए आपको चाहिए कि कच्ची बस्तियों का आप नियमन करें, सुधार करें। जुलाई, 1989 तक जिन लोगों ने कच्ची बस्तियों में एक निश्चित सीमा तक 200-225 गज का जो कब्जा कर रखा है उसको नियमित करने के बारे में आपने कोई कार्यवाही नहीं की। स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत उनको पट्टे नहीं

उपाध्यक्ष महोदय, जब जयपुर का 250वां वर्ष मनाया गया था तब राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये नगर विकास न्यास को यहां पर रंगमंच बनाने के लिए दिये थे वह पैसा आज जे. डी. ए. के पास है। जयपुर में रंगमंच नहीं बना। बीकानेर में जब बीकानेर का 500 वां वर्ष मनाया जाने वाला था उस समय नगर विकास न्यास बीकानेर को लगभग 20 लाख रुपये की राशि देने की तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। उसमें से 6 लाख रुपये बीकानेर नगर विकास न्यास को दिये गये हैं बाकी 14 लाख रुपये अभी तक दिये जाने हैं। यह रंगमंच दोनों जगह कब तक बन जायेंगे ? अजमेर में भी रंगमंच नहीं बना।

नगर विकास न्यास का प्रमुख काम यह है कि वह जमीन बेच कर जो आय प्राप्त हो उससे नगर सुधार करे। पिछले 2 वर्षों में नगर सुधार की जगह नगर विनाश के काम किये जा रहे हैं और जो योजनाएं बननी चाहिए, लोगों को पट्टे मिलने चाहिए, जमीनें आवंटित होनी चाहिए यह काम नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में यू. आई. टीज. बिलकुल असफल रही हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर विकास न्यास पिछले 2 वर्षों में जो कार्य कर रहा है उनसे धक्का पहुंचा है। मैं आपको बीकानेर का उदाहरण दूं, कहना चाहूंगा कि 75 लाख रुपये का सामान वहां पर खरीदा गया–जीप, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, कुछ ट्रेक्टर ट्राली वगैरह खरीदे गये 75 लाख रुपये की मशीनरी खरीदी गयी ? जो मसले यू. आई. टी. के पास विचाराधीन हैं वह चाहे अजमेर का हो, उदयपुर का हो, जोधपुर का हो, बीकानेर और जयपुर का मामला हो, जो जो मामले आपके पास पेंडिंग हैं उनको क्या समयबद्ध कार्यक्रम बना कर निपटाने का विचार रखते हैं ?

कांग्रेस शासन में प्रशासन शहरों की ओर एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसके अन्तर्गत. उपाध्यक्ष महोदय, हर वार्ड में कैम्प लगे थे और कैम्पों में जिन-जिन लोगों की यू. आई. टीज. से सम्बन्धित समस्याएं थीं उनका तत्काल निदान करवाया गया था लेकिन इन दो सालों में ऐसा कोई कार्यक्रम राज्य सरकार ने नहीं दिया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माननीय मंत्रीजी एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। क्योंकि जयपुर में हवामहल क्षेत्र आपका है यहां पर तो कुछ काम आपने करवाये हैं, सड़कें बनी हैं और अजमेरी गेट के पास भूमिगत पार स्थल बनाने का प्रयत्न किया है लेकिन अम्बाबाड़ी में लोग बस से टकरा कर मर गये उनके लिए आपने क्या किया ? मालवीय नगर में रेलवे फाटक वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है, 22 गोदाम वाले रेलवे फाटक पर पुल बनाने का काम जो मंजूर हो चुका था वह अधर-झूल में लटका हुआ है। यू. आई. टी. और जे. डी ए. के माध्यम से जो काम होने चाहिए वह अभी तक आपने पूरे नहीं किये। आप आपने निर्वाचन क्षेत्र के ही मंत्री नहीं हैं आप पूरे राजस्थान के मंत्री हैं इसलिए पूरे राजस्थान को ध्यान में रखते हुए आप यू. आई. टीज के माध्यम से समयबद्ध कार्यक्रम बनायें और इसमें जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किये जायं और लक्ष्य निर्धारित करके एक वर्ष में कम से कम 2000–2000 लोगों को, जिनके पास आवासीय भूमि नहीं है, जिनके पास रहने के लिए छप्पर नहीं है, आप मकान दीजिए, भूमि अलाट कीजिए और इसके साथ-साथ जिन कच्ची बस्तियों में 50-50 साल से लोग रहे हैं उनका नियमन कीजिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक मामला आता है, मुक्ता प्रसाद एक कालोनी है उसके पास में पचास साल से माली जाति के लोग वहां पर काबिज थे, उन काबिज लोगों को आपके विभाग ने बेदखल कर दिया और बेदखल करने के बाद न तो उनको जमीन के बदले में जमीन दी, न उनको यू.आई.टी. ने कोई जमीन दी और उनकी जमीन के ऊपर आज मकान बनाये जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में मैं चाहूंगा कि आप यू. आई टी. एक्ट में संशोधन करके जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए जमीन देने का प्रावधान करें।

श्री दिग्विजय सिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह इसलिए कर रहा हूं, मैं कल्ला साहब को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, कल्ला साहब खुद हमको कई दफा ज्ञान देते रहते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट पर नहीं बोलना चाहिए जो विषय है उसी पर बोलना चाहिए तो आज का जो बिल है उसका स्कोप कितना सा है, शायद आपने पढ़ा ही नहीं होगा। जो बातें आप कह रहे हो ना....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए परिचालित का है, इसमें स्कोप पूरा पढ़ा है। यू. आई. टी. के बारे में बोल सकते हैं कि क्यों जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। नहीं, गृह मंत्री जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही थी कि थर्ड डिग्री के बारे में ज्यादा जानने लग गये हैं आज कल।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो मुद्दे मैंने रखे हैं इनको देखकर एक काम्प्री-हैंसिव बिल यदि आप लाते और उससे राजस्थान की जनता को कोई लाभ मिलता, कच्ची बस्तियों का नियमन होता, उनका

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सुधार होता, वहां नाली, प्रकाश की व्यवस्था करते तो अच्छा रहता। कम से कम आप यह तो करिये। खिलाड़ियों के लिए कोई इण्डोर स्टेडियम आपने नहीं बनाये, रंगकर्मियों के लिए कोई रंगमंच नहीं बनाया, न कोई स्वीमिंग पुल बनाया, बनाया भी तो अपने घर के पास बना लिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप पूरा करें। आपने काफी बोल लिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सारे कार्यक्रम बनाने के लिए आप कोई काम्प्रीहैसिव बिल लाते तब तो जाकर, उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बिल का समर्थन करते। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए इसके लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उजला जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, नेक्स्ट स्टेज पर बोल जाइए। एक ही वक्ता हैं अब आप।

श्री रामकिशन : एक निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर यह बोलेंगी, पहले उजला जी का राइट है।

श्री कालीचरण सराफ : कल्ला साहब ने ओवर ब्रिज की बात कही। इनको यह पता नहीं जितने ओवर ब्रिज बनते हैं रेलवे के उसमें केन्द्रीय सरकार का पैसा लगता है, राज्य सरकार क्या करेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको पता ही नहीं, आप सदन को गुमराह करते हैं.... (व्यवधान)....जे. डी. ए. ने पूरा पैसा दिया हुआ है और आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। आप दोषी हैं इसके।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष जी, उजला जी, इसलिए नहीं बोलती हैं कि उन्हें बोलना है, इस सदन को ज्ञान देना है। सदन की शोभा ही जब है जब उजला जी बोलें। यह तो इसलिए बोलती हैं बाकी उन्हें बोलने की कोई बात नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सिफारिश कर रहे हो क्या।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर कह दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर ही कह रही हूं। मैं यू. आई. टी. के बाहर नहीं जाऊंगी। मैं यू. आई. टी. के अन्दर-अन्दर ही बात करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : दो बजे बिजली वाली बहस शुरू करना चाह रहे हैं सभी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे बोलने के टाइम ही टाइम की दिक्कत होती है क्या? मुझे बड़ी आपत्ति है इस बात की। जब मैं बोलने खड़ी होती हूं टोका-टोकी इधर से, टोका-टोकी उधर से और आसन से टोका-टोकी होती है तो फिर कौन बचाव करेगा।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी, मंत्री महोदय जो यह संशोधन लाये हैं मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इसके पक्ष में हूं लेकिन मैं चाहूंगी कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या जिनकी आय बहुत कम है उनका स्थानान्तरण न किया जाय। इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान आप करें। घर यहां से ले जाकर वहां बसायेंगे तो वह दो घरों का खर्चा नहीं चला पायेंगे। इसको आप अपने ढंग से देखेंगे और इस बात को मेन्शन करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस समय यह चर्चा हुई थी नगर सुधार न्यास के सम्बन्ध में तो यह हुआ था कि यह अपना कुछ प्रतिशत वहां की नगरपालिकाओं को देंगे। लेकिन देखा यह गया है कि अभी तक भी पर्याप्त पैसा जितना देना चाहिए था वह नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने वाले हैं वह बतलायेंगे।

हमारे जयपुर नगर में एक गाड़ी जयपुर विकास प्राधिकरण की रात्रि में सफाई के सम्बन्ध में जो चलती है, दिखाई जरूरी देती है, काम भी कुछ कर रही है लेकिन एक गाड़ी पर्याप्त नहीं है। जयपुर नगर परिषद् को अच्छी मात्रा में उन्हें पैसा देना चाहिए था। जयपुर विकास प्राधिकरण के पास पैसे की कमी नहीं है। जैसा कि मंत्री महोदय खुद यहां स्वीकार कर चुके हैं।

मैं कुछ बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगी। जिस समय नगर सुधार न्यास या जयपुर विकास प्राधिकरण बना उस समय 56 संशोधन हम यहां लाये थे। उस समय विपक्ष में जो बैठे हैं उनकी सरकार थी। उन संशोधनों के बाद भी काफी संशोधन बीच-बीच में लाये गये हैं। लेकिन खेद की बात है कि जन प्रतिनिधियों को हटाने का जो संशोधन मंत्री महोदय ने, कहना चाहिए, अप्रकट रूप में स्वीकार किया है यह अच्छी बात नहीं है। जो वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि थे, न केवल शहर के विधायक थे, जयपुर जिले की जहां सीमा मिलती है वहां तक के विधायक थे, प्रधान थे। इसमें जयपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधीश, उप जिलाधीश वगैरह भी सदस्य बनाए जाने चाहिए थे। मन्त्री महोदय वहां के अध्यक्ष थे और मुख्य मंत्री उसके पूर्व अध्यक्ष थे। उस स्थिति में पता नहीं किस प्रकार से परिवर्तन लाया गया है। फिर यह कहा गया कि कुछ सदस्यीय समिति बना करके सलाहकार समिति बनाई जायगी, वह भी अभी तक नहीं बनी। सलाहकार के सम्बन्ध में जहां भी लोग जन प्रतिनिधियों से टकराते हैं अपने-अपने इलाके के दिक्कतें बताते हैं। अब जन प्रतिनिधि की राय भी वहां न मानी जाए, मैं समझती हूं, अच्छी बात नहीं है। असन्तुलित तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है यह मेरा आरोप है। पांच कान्सटीट्यूएन्सी तो सीधे-सीधे जयपुर की हैं, कुछ गांव उसमें आते हैं, उन गांवों में भी असन्तुलित रूप से पैसा लगाया है। कुछ काम किये गये हैं, मैं यह नहीं कहती काम नहीं किये गये लेकिन जो काम किये गये, अधूरे पड़े हैं। निर्णय ले लिया गया, काम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में एक तो आपको सुनकर दुख होगा कि रेवेन्यू कैम्प लगे, मेरे इलाके के गांवों में रेवेन्यू कैम्प के माध्यम से कुछ लोगों को जमीन दी जाती है ताकि अस्थाई रूप से वह खेती

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बाड़ी कर लें। जिनके पास जमीन नहीं होती उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र जयपुर विकास प्राधिकारण का चाहिए था वह भी नहीं दिया गया। पांच साल से जो भी अधिकारीगण वहां रेवेन्यू कैम्प के लिए जाते हैं केवल बस्ता बांधकर जाते हैं और बस्ता बांधकर ले आते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया। ग्रामीणों के साथ जो इस प्रकार की परेशानी पैदा की जा रही है वह इनकी इनकम का सोर्स है। जो थोड़ी बहुत आय हो सकती थी खेती से वह भी उनकी नहीं, पेट भरने लायक भी उनको नहीं। इस मामले में मैंने कई बार यहां चर्चा की है लेकिन उसको नहीं माना गया।

मान्यवर, जैसे ही अतिक्रमण का कानून आया है तो लगता है कि अतिक्रमण करने का लोगों को ठेका दे दिया गया है। आप देखेंगे, नेहरू बाजार, बापू बाजार में लोगों ने दुकानें बनायीं. यह सत्य है चुनाव के दौरान बनी थीं और कांग्रेस की सरकार ने अतिक्रमण कराया था लेकिन हम उसको यूं का यूं रखें या टाउन प्लानिंग के आधार पर परमिशन दिलाने की बात करें वह सरकार की ओर से जरा भी आगे बढ़कर काम नहीं किया जा रहा है। बरामदों की बात थी. बरामदों का क्या करना है? नियमन करें। एक-एक दुकान फ्री में एक-एक दुकानदार को दे रखी है वह तो दुखदायी नहीं लगती सरकार को लेकिन जो फुटपाथ पर बैठते हैं उनको उठाने की बात सरकार करती है। यह दोहरी नीति जो अतिक्रमण के सम्बन्ध में है, मैं चाहूंगी कि सरकार स्पष्ट करेगी या नहीं करेगी, अनियमितताएं होती रहेंगी या रोकी जायेंगी?

मैं निवेदन करना चाहूंगी, गरीब लोगों के लिए आपने क्या इस क्षेत्र में योजनाएं बनवायी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी, बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी, मेरी बात पूरी करकर अभी बैठ जाती हूं। आपको मैं क्या बताऊं, राम बाग सर्किल पर एक फव्वारा था, उस फव्वारे को ही उखाड़ दिया गया, सर्किल को हटा दिया गया। हम सर्किल को आगे बढ़ाने की बात...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जयपुर में यू. आई टी. है क्या?

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय. यह क्या भाषण है? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका मन-पसन्द भाषण नहीं दे रही, मैं मेरी बात कह रही हूं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी.. (व्यवधान)....नेटपेक के कार्यक्रम को वहां लागू किया। हमने यहां पर सर्वे कराया लेकिन खेद की बात है कि दिल्ली, बम्बई का नेटपेक कुछ और होता है, जो नेटपेक का कार्यक्रम यहां लागू किया जा रहा है वह बिल्कुल अव्यावहारिक है। जो फुटपाथ काट करके....

(2.00 म. प.)

Page No. 116

116

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

फुटपाथ काट कर ऐसे कर लिये कि वहां से जो ट्रक और बस निकलेगी वह सीधी की सीधी दुकानों में घुसेगी। आये दिन वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी इस पर मुझे उत्तर देने वक्त बतायेंगे कि इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेण्डमेंट बिल प्रस्तुत किया है उसमें यह व्यवस्था चाही है कि एक कर्मचारी का, एक यू. आई. टी. से दूसरी यू. आई. टी. में स्थानान्तरण किया जा सकता है। ऐसे कई विषय मेरे सामने आये कि एक कर्मचारी किसी यू. आई. टी., में काम करता है उसकी इच्छा यह है कि वह दूसरी यू. आई. टी. में चला जाये ताकि उसको सुविधा मिले। हम मजबूर होकर, सारे संकटों के समझने के बाद उसका ट्रान्सफर नहीं कर सकते। कभी-कभी काम की एफीशियेंसी के हिसाब से भी आवश्यकता पड़ती है तो उस हिसाब से हमने यहां बिल पेश किया है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि कोई सरकार ऐसी बता दें और कोई ऐसा विभाग बता दें जिसमें ट्रांसफर नहीं होते हों ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ट्रान्सफर खाली उनकी इच्छा से ही करेंगे, यह जोड़ दीजिये कि ट्रान्सफर एम्पलाई की इच्छा से ही करेंगे। पावर्स खुद लेना चाहते हैं ट्रान्सफर की या उनकी इच्छा से करना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनकी इच्छा से भी करेंगे और हमारी इच्छा से भी करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बतायें फिर कर्मचारियों की सुविधा की बात मत कीजिये, प्रशासनिक सुविधा की बात कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फिर तो स्थानान्तरण राजनैतिक बदले की भावना से होंगे उसका हम विरोध करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं दोनों ही बात कर रहा हूं। मैंने दोनों बात निवेदन की हैं कर्मचारी की सुविधा भी इसमें निहित है और सरकार की प्रशासनिक स्थिति भी निहित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जितनी भी सरकारें हैं इन सरकारों में जो विभाग हैं उनमें ट्रान्सफर नहीं होते क्या ? यही आपको कहा है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि स्थानान्तरण राजनैतिक आधार पर होंगे। अभी आपकी जो मानसिकता बनी हुई है यह कम से कम हमारे ऊपर मत थोपिये। आप करते होंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारे वक्त में तो हमने यह अधिकार लिया नहीं था।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपके विचार होते होंगे। मैं आपकी पीड़ा भी समझता हूं, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों बोलते रहते हैं। आपने कहा कि बीकानेर में कोई काम नहीं हो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रहे हैं, यू. आई. टी. कुछ नहीं कर रही है। वहां चोर बैठ गये हैं, यह कोई भाषा है आपकी बोलने की। जब आप बैठे थे तब तो ईमानदार बैठते थे, आप लोग तो····

श्री बुलाकीदास कल्ला : अगर हमारे वक्त में कुछ हुआ है तो आप हमें बताइये। मैं चैलेन्ज देता हूं आपको। हमारे वक्त में कोई भी विभाग में गड़बड़ी हुई है तो मैं आपको बताता हूं कि बीकानेर में ममता नगर ये अभी स्वीकृति दी गई है···· (व्यवधान) मैं पारित होगा तब बोलूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि क्या घपला हुआ है।···· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस प्रकार का आरोप लगाना मैं समझता हूं, उचित नहीं है। हर एक किसी को आप चोर कहें, भंवरलाल कोठ्यारी जिसको राजस्थान जानता है उसकी-ईमानदारी के लिये और आप चोर बताते हैं। यह कोई अच्छी बात थोड़े ही है। मैं उन शब्दों का जवाब नहीं देना चाहता आपको जो अपने बोले। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिम्पल सा अमेण्डमेंट है, इनोसेंट अमेण्डरेट है, आपको भ्रम है कि राजनैतिक ट्रान्सफर करेंगे यह तो मैं समझता हूं कि आपका सोच ठीक नहीं है। अपने कुछ समस्याओं की ओर जिक्र किया और यह भी कहा है कि यह समस्यायें बहुत पुरानी है, आप बाद में कहना भूल गये कि दो साल में समस्याओं को कुछ नहीं निपटाया गया तो आप जब बिराजमान थे तब क्यों नहीं करके गये, उनको, आप 1971···· (व्यवधान) आपके पास कोई समस्या नहीं थी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका प्रयोजन है (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर सुधार किये ही जाते रहेंगे और करते रहेंगे। अमेण्डमेंट हजारों होते हैं, एक दिन में सारे हो जाते है क्या ? जब आवश्यकता होती है होते रहते हैं अगर आपको लगता है कि कोई अमेण्डमेंट होना आवश्यक है।

(2·04 अपराह्न)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है यह बिल कि बड़ा इनोसेंट है और यह प्रशासनिक सुधार के लिये और कर्मचारियों के हित के लिये भी हम लाये हैं। इसमें न कोई राजनैतिक भेदभाव है, न राजनैतिक दृष्टि से किसी को हम देने वाले हैं, करने वाले हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह बिल सरकार की प्रशासनिक क्षमता के लिये, सुधार के लिये और कर्मचारियों के हितों के लिये आवश्यकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाएं ?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : मैं आपका मुख बन्द करने आया हूं । मैं देख रहा हूं कि आप ही आप बोल रहे है ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया गया ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वित्तीय विवरण आय व्यय अनुमान के ऊपर, श्री रामनारायण विश्नोई ।

राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान पर विचार

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण आज व्ययक अनुमान वर्ष 1991-92, 1992-93 पर विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री राजपालसिंह ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की एनर्जी का प्रश्न आता है । वर्तमान स्थिति में भी और वर्तमान सन्दर्भों में, एक विकास की तस्वीर अपने दिमाग में खड़ी हो जाती है चाहें सिंचाई की बात कर लें, चाहे आप खेती की बात कर लें, चाहे औद्योगिकरण की बात कर लें । विद्युत के बिना विकास सम्भव नहीं है । किन्तु दुर्भाग्य से राजस्थान के पास न तो कोयला है, न राजस्थान के पास पानी है, राजस्थान खनीजों में इतना रिच होने के बावजूद भी राजस्थान के पास ऊर्जा की उत्पत्ति के अपने साधन बहुत सीमित है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हालत तो यहां तक है कि हमने पानी के सोर्सेज को कम्पलीटली टेप कर लिया और उसमें फुल्ली एक्सप्लाइट कर दिया, डाउन चम्बल हाइडल एरिया के अलावा हाइडल एरिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जिसको हमने एक्सप्लाइट नहीं किया उसके बावजूद हमारी इन्सटाल्ड केपेसिटी बढ़ नहीं पाई । राजस्थान विकास की दौड़ के कारण, उसके कारण भी काफी पिछड़ा है लेकिन मैं इस बात की बधाई देना चाहता

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हूं अध्यक्ष महोदय, मण्डल को और सरकार को कि राज्य में किसी भी परियोजना की सन्तुष्टि नहीं होते हुये, किसी भी परियोजना की ग्रान्ट नहीं होते हुये, किसी भी परियोजना पर काम न चलने की स्थिति में होने के बावजूद 1991-92 के अन्दर बिजली की उपलब्ध में रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1990 में 1 लाख 11 हजार 44 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराई गई, 1991-92 में 1 लाख 29 हजार मिलियन यूनिट जो कि 16 प्रतिशत ज्यादा थी और 40 वर्षों में सर्वाधिक थी, उसकी उपलब्धता कराई गई। बिना किसी परियोजना में नये काम शुरू होने के बावजूद जिस तरह का विकास, जिस तरह की उपलब्धता विद्युत मण्डल ने राजस्थान के उपभोक्ताओं को कराई है यही कारण था कि राजस्थान में इस दरमियान कोई कटौती लागू नहीं हुई। राजस्थान के लिये इन्डस्ट्रियल एरिये के अन्दर 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की कटौती कोई अजीब बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर, इण्डस्ट्रियल एरिये के अन्दर कटौती करने के बावजूद 8 घण्टे तक ब्लाक में पानी दे सकते, गत वर्षों के अन्दर न कटौती इण्डस्ट्रियल सैक्टर में की गई और 8 घण्टे खेती को पानी भी दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि रावत भाटा में एक यूनिट, आलमोस्ट बन्द होने के बावजूद कोटा थर्मल के अन्दर उत्पादन बढ़ा। कोटा थर्मल में तीन हजार मिलियन एकड का उत्पादन 3730 मिलियन यूनिट हो गया। कांग्रेस के जमाने के अन्दर कोयला दूर से आने लगा, कोयले की किस्म गिर गई, कोयले की कमी हुई, कोटा थर्मल पावर का प्लांट लोड फैक्टर गिर गया, कोटा थर्मल पावर का 43 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर गिर गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस बात के लिये सराहना करना चाहूंगा कि उनके प्रयास से स्थिति बदली। कोयला पास की खानों से आने लगा, कोयला अच्छी किस्म का आने लगा और प्लांट लोड फैक्टर 43 प्रतिशत पहुंच गया था उस प्लांट लोड फैक्टर को 86 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है। आर. एस. ई. बी. को आम तौर पर कार्यकुशल नहीं माना जाता। उसके अन्दर गई बार बिजली के उत्पादन के अन्दर कोस्ट आफ प्रोडक्शन में कमी आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आग्जिलरी कंजम्पशन 10·77 प्रतिशत हो गया। ईंधन आयल के उपभोग का स्तर 6·65 मिली लीटर पर किलोवाट हो गया। इसमें कुल उत्पादन की लागत 102·5 पैसा प्रति यूनिट हुई जबकि केन्द्रीय सरकार का अंता-तापी योजना के अन्दर 110 नया पैसा प्रति यूनिट था। इस तरह से इफेक्टिव कोस्टिंग करके, कोस्ट को मिनिमाइज करके आर. एस. ई. बी. ने अपनी एफीशियंसी को बढ़ाया। मैं इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय को कि राजस्थान की परियोजनाएं दिल्ली के अन्दर बहुत लम्बे समय से पड़ी है, चाहे सूरतगढ़ की हो, चाहे बरसिंगसर की हो। सूरतगढ़ और बरसिंगसर की परियोजना पर काम शुरू हुआ। बरसिंगसर में भूमि अवाप्त हो गई है, सूरतगढ़ के

120

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अन्दर मण्डल बड़ी तेजी से काम कर रहा है। भारत हैवी इलैक्ट्रिक लिमिटेड को 15 करोड़ रुपये के आर्डर भी दिये गये हैं। वहां 250-250 मेगावाट की दो यूनिट का काम बड़ी तेजी से शुरू हुआ है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, 1987 के अन्दर पलाना एम. ओ. यू. के अन्दर आ गया, नैवली लिग्नाइट मीमो आफ. एम. ओ. यू. के अन्दर आ गया, उसको उनसे निकलवाया गया और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की अणु परियोजना थर्ड, 8वीं योजना में पूरा हो जायेगा, फोर्थ भी पूरा हो जायेगा और कोटा थर्मल स्टेज तीन का कमीशन टाइम से पहले हो पायेगा लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश की इन्सटाल केपैसिटी 2721 मेगावाट हो और जिसके अन्दर इन्सटाल केपैसिटी को बढ़ाने की सम्भावनाएं काफी कम हों, न केवल यह हो बल्कि स्थिति यह हो कि एक दशक पहले जो बिजली हमें उपलब्ध होती थी, जो हाइड्रो थर्मल मिक्स थी वह 67 × 37 था, अब वह रिवर्स हो गया। आज की तारीख में 35 × 65 का हाइड्रो थर्मल मिक्स है। इसके अलावा यह हुआ कि थर्मल एनर्जी हाइड्रो एनर्जी से महंगी होती है। पहले हमारे मिक्स के अन्दर थर्मल-एनर्जी का योगदान कम था, हाइड्रो एनर्जी का योगदान ज्यादा था। आज की तारीख में थर्मल एनर्जी का योगदान ज्यादा है। थर्मल एनर्जी की हाइड्रो एनर्जी पर बढ़ती हुई डोमीनंस से कीमत बढ़ती है और कीमत बढ़ने का उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है। ऐसी स्थिति के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि आज की तारीख में बिजली के अन्दर 2 लाख से अधिक कुओं को कनेक्शन देने के लिए एप्लीकेशंस पेंडिग पड़ी हैं, 10,000 से अधिक इण्डस्ट्रियल कनेक्शन के प्रार्थना पत्र पेंडिग पड़े हैं.... (व्यवधान) पी. एच. ई. डी. की परियोजनाएं इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है कि बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान की वर्तमान स्थिति के अन्दर वर्तमान मांग की पूर्ति करने के लिए अगर हम 2 लाख कुओं पर कनेक्शन देना चाहें तो हमें 2,000 मेगावाट बिजली चाहिये। अगर हम पी. एच. ई डी. की परियोजनाओं को पूरा करना चाहे तो 105 मेगावाट एनर्जी चाहिये और अगर हम इण्डस्ट्रियल सैक्टर के अन्दर पड़ी हुई 10,000 प्रार्थना पत्रों को पूरा कर उनको कनेक्शन देना चाहें तो हमें 250 मेगावाट एनर्जी चाहिये। इस तरह से कुल मिला कर वर्तमान स्थिति के अन्दर वर्तमान मांग जो पेंडिग पड़ी हुई है हमारे सामने, उस मांग की पूर्ति के लिए 2355 मेगावट चाहिये। यह स्थिति तो तब है माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारी इंसटाल केपैसिटी होनी चाहिये थी, उसके बराबर हमारी इंसटाल केपैसिटी एस्टेब्लिश कर ली। डिमांड और सप्लाई के बीच लगातार गेप बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेफिसियट पीक डिमांड के अन्दर 1990-91 में 25.2 प्रतिशत थी, 1991-92 के अन्दर 31.4 प्रतिशत थी, 1992-93 के अन्दर 36.8 प्रतिशत हो गई। पीक डेज के अन्दर पीक डिमांड हमारी लगातार ग्रो कर रही है और डिमांड सप्लाई

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

के बीच गेप बढ़ रहा है। यह प्रोस्पेक्टिव गेप 1993-94 और 1994-95 में और बढ़ता चला जायेगा। यह हालत है। नोर्मल डेज में भी इसका गेप लगातार बढ़ रहा है। 1990-91 में 17·4 प्रतिशत था जो 1994-95 तक 40 प्रतिशत हो जायेगा। इस बढ़ते हुए गेप को कैसे मीट आउट करेंगे। आर. एस. ई. बी. की तरफ देखिये। तो आर. एस. ई. बी की हालत खराब है। मार्च, 1991 के अन्दर आर. एस. ई. बी. के ऊपर 744·94 करोड़ रुपये का क्यूम्यूलेटिव लोस है। दिल्ली से दबाव बढ़ रहा है कि तीन प्रतिशत के फायदे में लाइये। अब तीन प्रतिशत का फायदा कैसे लाइये। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सैक्टर के अन्दर सब्सिडी दीजिये, हाउस होल्ड सैक्टर के अन्दर सब्सिडी दीजिये····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अब मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महदोय, इस मामले में, खेतों के अन्दर 70 पैसा प्रति यूनिट हमें नुकसान हो रहा है, डोमेस्टिक एरिया में 49 पैसा प्रति यूनिट नुकसान हो रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर 44 पैसा हर यूनिट का हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में आर. एस ई बी. से यह उम्मीद करना कि वह फायदे में आ जाय, सम्भव नहीं था। राज्य कि सरकार ने ऐसी स्थिति के अन्दर कुछ ऐसे कदम उठाये जो हिन्दुस्तान में पहली बार हुआ है। राजस्थान की सरकार ने 613 करोड़ रुपये का अपना लोन आर. एस. ई. बी. का था, उसको इक्विटी में कन्वर्ड कर दिया, उसका 50 प्रतिशत इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। 148 करोड़ रुपये के लगभग जिस पर ब्याज हमारा बनता था, उसको राइट आफ कर दिया। इससे आर. एस. ई. बी. की हालत में सुधार हुआ है लेकिन इस तरह के इलाजों से बीमारी का इलाज हो पायेगा; ऐसा लगता नहीं। आप लोन को इक्विटी के कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस लोन को इक्विटी में कन्वर्सन के बाद में क्वासी बैलेंसशीट में बदलाव होगा, वह क्वासी चेंज होगा। ऐसे बदलाव से आभास तो यह होगा कि वह बदलाव है लेकिन वास्तव में बदलाव नहीं है। इस क्वासी चेंज से आर. एस. ई. बी. की स्थिति में सुधार होगा नहीं। आर. एस. ई. बी. की स्थिति तो तब सुधरेगी जब या तो हम मोह से बाहर निकल जाय कि हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में देनी पड़ेगी, डोमेस्टिम सैक्टर में देनी पड़ेगी, गलियों में प्रकाश में देना पड़ेगा। यहां पर हमें इस बात को तय करना पड़ेगा कि बिजली जो कंज्यूम करते हैं, जो सेक्टर बिजली का कंज्यूम करता है, उस सेक्टर को बिजली का पैसा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर से हम बराबर पैसा लेते हैं तो प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दीजिये। कुछ और इन्तजामात कीजिये लेकिन इस तरह से आर. एस. ई बी. को लगातार घाटे में डाल कर आप बिजली की स्थिति को और गड़बड़ायेंगे, प्रदेश के विकास को और रोकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाहर निकलने की जरूर कोशिश हुई है। मुझे खुशी इस बात की है नोन प्लान एक्सपेंडीचर आर. एस. ई.

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

बी. का घट रहा है। हमने इस बार वार्षिक योजना में 27 प्रतिशत का प्रावधान रखा है बिजली के सेक्टर में, 2950 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है 8 वीं प्लान के अन्दर। इस बार हमारे राजस्व में वृद्धि हुई है 26 प्रतिशत, प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है 16 प्रतिशत, अवेलेबिलटी में वृद्धि हुई है 16 प्रतिशत लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अवेलेबिलिटी में वृद्धि हुई 16 प्रतिशत, राजस्व में वृद्धि हुई 26 प्रतिशत और राजस्व में वृद्धि हुई जब उपभोक्ताओं पर दबाव डाला, उपभोक्ताओं पर भार डाला, प्राइसेज बढ़ाई है, प्राइसेज बढ़ाने के बाद में जिस प्रकार से रिर्टन आई है। राजस्व में वृद्धि इस तरह से 26 प्रतिशत की आई है, 16 प्रतिशत अवेलेबिलिटी बढ करके, सन्तोषजनक स्थिति नहीं है लेकिन यह सारी स्थिति के अन्दर अगर देखा जाय कि दोषी कौन है, सच पूछा जाय तो क्या स्थिति है राजस्थान की। राजस्थान विकास के लिए झगड़ता रहेगा, विकास के लिए लड़ता रहेगा और राजस्थान का विकास कभी तो बिजली के कारण नहीं होगा, कभी सिंचाई के कारण नहीं होगा, राजस्थान अपने स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन कर नहीं सकता। इस के अन्दर जिम्मेदारी न केवल हमारी सरकार और आर. एस. ई. बी. के मेल फंक्शनिंग की है, इसमें कुछ जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार है, निर्णयों की भी है। सेन्ट्रल पूल से हमें कोटा अलाड होता है, सेन्ट्रल पूल से एनर्जी जो राजस्थान की होती है, उसका फार्मूला बहुत इजी है। सेन्ट्रल पूल से एनर्जी अलाट होने का फार्मूला इस बात पर निर्भर करता है कि गये 5 साल तक आपके वेटेड एनर्जी कंजम्शन क्या रहा। आपको सेन्ट्रल प्लान में क्या असिस्टेंस मिलती रही किसी प्रोजेक्ट के कमीशन होने के पिछले 5 साल के अन्दर। इसका मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रहा कि जिस प्रदेश में बिजली की खपत कम है, जिस प्रदेश को सेन्ट्रल प्लान में असिस्टेंस कम मिलती है, जो पहले से पिछड़ा हुआ है, जो पहले से गरीब है, जो पहले से राष्ट्रीय औसत में पीछे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थिति के अन्दर किसी राष्ट्र और किसी राज्य को इस बात से नापा जाता है कि पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कंजप्पशन क्या है। राजस्थान नेशनल एवरेज में काफी पीछे है। एक ऐसा प्रदेश जो नेशनल एवरेज में पीछे है और नेशनल एवरेज तक बढ़ना चाहता है, वहां तक आना चाहता है तो केन्द्र की ड्यूटी है कि अपनी मजबूती से उस राज्य को नेशनल एवरेज के बराबर लाये और इस प्रकार का फार्मूला बनाये। सेन्ट्रल असिस्टेंस में जो प्लान करके, गये 5 साल में आपका कंजम्पशन क्या हुआ, इस बात का प्लान कर आपने विकसित राज्यों के बीच में और अविकसित राज्यों के बीच गेप तो बढ़ा दिया। इस गेप को घटाना पड़ेगा, इस फार्मूला को बदलना पड़ेगा और इस फार्मूले को बदलने के लिए पूरी असेम्बली का दबाव डालना पड़ेगा और इस दबाव से केन्द्र कमजोर नहीं होगा। केन्द्र की मजबूती तो इसी बात में है कि अविकसित राज्यों को विकासशील राज्यों के बराबर लाये। अविकसित राज्यों को

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कम से कम नेशनल एवरेज तक पहुंचायें। यही हालत रावी व्यास नदियों के बारे में है। रावी व्यास नदियों के बारे में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक समझौता हुआ। समझौते में इस इस मामले को रेफर करना था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को हमने रेफर नहीं किया। रेफर क्यों नहीं किया, यह पता नहीं। अभी 1080 मेगावाट की क्षमता के अन्दर राजस्थान जिसका हिस्सा 536 मेगावाट होता

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं लिखने में भूल गया। आप 20 मिनट बोल गये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, एक बात सुनिये। जो कुछ भी पार्टियों की तरफ से नाम आये हैं उनमें जिनके 131 के दिये हुए हैं उनको 2 मिनट दे रहा हूं क्योंकि कई तो कॉमन नाम हैं लेकिन पहले से जो 131 आये हुए हैं पार्टी ने नाम दे दिया। पार्टी ने नाम दिया और उनका 131 नहीं है तो उनको मैं पीछे लगा रहा हूं। इसलिए बोलने वाले बहुत होंगे, 39 तो इनके नाम हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : थोड़ी उदारता रखें।

श्री अध्यक्ष : उदारता से ही तो नाम दे रहा हूं, सबको बुला रहा हूं। आखिर टाइम लिमिट भी तो करिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हमारा कहां नम्बर है यह कैसे पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी बता रहा हूं नम्बर का पता चलेगा। मैं चाहता तो यह था कि आपका नम्बर बाद में लूं, सुमित्राजी को पहले लेऊं क्योंकि सुमित्राजी का नाम 131 में है, गोपालसिंह जी खण्डेला का नाम है। मैं इनका नाम पहले चाहता था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा तो आप बाद में दे दीजिए क्योंकि जो-जो नहीं बोलेंगे वह बात में बोल दूंगी। इसलिए पहले औरों को बोलने दें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी उदारता है। (व्यवधान) अब आप समाप्ति कीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 536 मेगावाट हमारा क्लेम्ड है उसमें 3 परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और उन 3 परियोजनाओं के लिए राजस्थान का हिस्सा 131 से 171 मेगावाट बनता है लेकिन राजस्थान को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को हिस्सा देने के बारे में कोई गम्भीर नजर नहीं आ रही है वरना समझौता 1984 का है और आज 1992 चल रहा है। इतने लम्बे समय तक समझौते के बावजूद सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेजा जाना चाहिए था लेकिन वह मामला नहीं भेजा

Page No. 124

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गया और राजस्थान का हिस्सा दूसरे राज्य ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1000 करोड़ रुपए की गैस जल रही है। उस गैस को जी. आई. एल. को बेचा जाय। बेचे जाने की दर क्या हो? यह फर्टीलाइजर से यूज किया जाय या किस इलाके में यूज किया जाय? जो गैस टेप की जा सकती थी, जिव गैस की एनर्जी के अन्दर कन्वर्जन किया जा सकता था जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूज की जा सकती थी उस प्रोडक्शन की तरफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय. राजस्थान ने लगातार अपने प्रपोजल भेजे हैं। धौलपुर का भेजा है, चित्तौड़ का भेजा है, कोटा थर्मल की नैक्स्ट स्टेज का भेजा है प्रपोजल जाते हैं और दिल्ली में छुप जाते हैं। राजस्थान जैसे प्रदेश पहले बिजली के लिए लड़ता है, फिर सूखे से लड़ता है फिर पानी के लिए लड़ता है और अपने विकास के लिए तरसता है। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके विकास की दौड़ में शामिल होना चाहता है। राज्य के द्वारा भेजी गई परियोजना कभी पर्यावरण के नाम पर रोक दी जाती है, कभी फोरेस्ट के नाम पर रोक दी जाती है और दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पास में कोई कंसोलिडेटेड सेप में या कंकरीट सेप में प्रोजेक्ट को पास या रिजेक्ट करने की नीति तय नहीं है। अभी कल-परसों एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, एनर्जी के लोग आये, पर्यावरण के लोग नहीं आये। एक इंटीग्रेटेड सेप के अन्दर कमेटी बननी चाहिए जो प्रपोजल बनाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि कोटा थर्मल का थर्ड स्टेज का प्लान 180 करोड़ का ओरिजनल था अब बढ़कर वह 403 करोड़ का हो गया। सूरतगढ़ का ओरिजनल जो 493 करोड़ का था वह 1048 करोड़ का हो गया। चित्तौड़ का जो 451 करोड़ का था वह 1000 का हो गया। माण्डलगढ़ का 599 करोड़ का था वह बढ़कर 1600 करोड़ का हो गया। इस तरह से राजस्थान की जो योजनायें हैं उन योजनाओं पर दिल्ली में ध्यान नहीं दिया गया। कब तक केन्द्रीय सरकार इन अविकसित राज्यों की

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तरफ अलोटमेंट का फार्मूला बदलकर अनयूज्ड गैस को यूज्ड कर और परियोजनाओं को लम्बित न रखकर परियोजनाओं को जल्दी निपटावे तब तक राजस्थान जैसे राज्य के विकास के लिए एनर्जी का मिलना सम्भव नजर नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के 1991-92 व 1992-93 के आय-व्ययक अनुमानों पर सदन में चर्चा हो रही है उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान दिलाऊंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष जी को धन्यवाद दो।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्षजी को तो धन्यवाद हमेशा ही देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991-92 में 700 गांवों का और 25 हजार कुओं का लक्ष्य रखा गया था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात कह कर चले जाते हैं। यह जो मुद्दे उठाते हैं उनका कोई जवाब दें, उसमें कोई शंका हो। ये बोलकर चले जाते हैं, मैं इनको रोज नोट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वो जवाब सुनने के लिए आ जायेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो थैला उठाकर चले जाते हैं बोलने के बाद।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा समय खराब कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई जाये, कोई आये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन बिजली जैसे मुद्दे पर जहां राजस्थान के लोगों को काफी परेशानी है वहां सत्ता पक्ष का इस तरह से उदासीन होना इस बात का परिचायक है कि वह इस समस्या के प्रति कितनी गंभीर है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी नोट कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो मंत्रियों के अलावा कोई मंत्री ही नहीं है यहां पर।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : केवल मंत्रीजी हैं बाकी का देख रहे हैं क्या हाल है।

श्री अध्यक्ष : आप लोग खाना खा आये, वह खाना खाने के लिए गये होंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : गये कोई नहीं, अभी आ रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय. मैं कह रहा था कि 1991-92 में 700 गांवों के लक्ष्य के मुकाबले बिजली बोर्ड के प्रगति प्रतिवेदन में बताया है कि हमने 570 गांवों का विद्युतीकरण किया है। 25 हजार कुओं का लक्ष्य था उसमें 12996 कुओं का लक्ष्य अब तक प्राप्त किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने 12996 कुएं बताये हैं उसमें तुरन्त प्राथमिकता योजना के कुएं भी शामिल हैं। इन्होंने वर्ष के शुरू में जो कृषि नीति बनाई और उस नीति के मुताबिक जिन लोगों को विद्युत कनेक्शन देने थे, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, इन्होंने कुछ बिन्दु तय किये हैं। उसमें से पहला बिन्दु उन प्रार्थियों जिनका डिमाण्ड नोट 31 मार्च, 1991 तक जारी हो चुका था उन डिमाण्ड नोट की राशि अनुग्रह अवधि में जमा करवा दी गई, को ही दिये जायेंगे। दूसरा बिन्दु यह तय किया था कि ऐसे विद्युतीकृत गांवों में जहां पूर्व में कोई कनेक्शन नहीं है विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की अवस्था में दो कनेक्शन प्रत्येक ग्राम में दिये जायेंगे।

(श्री परसादीलाल मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मण्डल ने अपनी नीति तय कर दी उसके अनुसार इन्होंने अधिशाषी अभियंताओं को निर्देश दे दिये और उन निर्देशों में इन्होंने कहा कि जिस गांव का विद्युतीकरण कर दिया और उसमें एक भी कनेक्शन नहीं दिया है उन गांवों को हम 2-2 कनेक्शन देंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आपने 25 हजार कुओं के लक्ष्य निर्धारित किये थे। क्या ऐसे कुओं के लक्ष्य उनमें शामिल थे जिनका विद्युतीकरण कर दिया लेकिन वहां पर आपने एक भी कनेक्शन नहीं दिया। कितने गांवों के लक्ष्य आपने निर्धारित किये थे उनमें से कितने गांवों को आपने कनेक्शन दिये ? मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि मेरा एक प्रश्न था उसकी जानकारी में इन्होंने बताया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत बोर्ड द्वारा गांवों का विद्युतीकरण करने के बाद में भी कई गांवों में अब तक एक विद्युतीकृत कनेक्शन भी जारी नहीं किया ? तो इन्होंने कहा कि, जी हां, ऐसे विद्युतीकृत गांवों की जिनमें अब तक एक भी कनेक्शन जारी नहीं किया गया है अधिशाषी अभियन्तावार सूची मुझे दी है उसमें उन्होंने बताया है 3792 है। 28 फरवरी को आपके विभाग ने मुझे उत्तर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि विद्युत मण्डल द्वारा एक साल में कितने गांवों को कनेक्शन देने की बात थी। इनमें से आपने नहीं दिये, जो आदमी नीति के मुताबिक थे उनको भी कनेक्शन नहीं दे सके। 31 मार्च, 1991 तक जिन लोगों का पैसा जमा हो गया जिनके एल. फार्म लग गये उनको कनेक्शन देने की इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और माननीय मंत्रीजी की तो वहां पकड़ नहीं है। इनको पता ही नहीं है हमारे ही नहीं है हमारे बोर्ड में क्या हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा इन्होंने गांव के कनेक्शन देने की बात तो दूर उन गांवों की जो लाइनें थी, उनके ट्रांसफार्मर थे उनको भी इन्होंने उखाड दिया और आज इनके कागजों में गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और आज गांवों में कुछ भी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे पास सहायक अभियन्तावार सूची है। सोजत सिटी में 46 ऐसे गांव हैं जिनमें एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। पाली में 52 गांव हैं जिनमें एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। इस प्रकार की हालत है और हम राजस्थान के 1991-92 के आय-व्ययक पर क्या विचार कर रहे हैं ? आपने गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया। क्या आपके डिपार्टमेंट ने किया ? राजस्थान विद्युत मण्डल में आपने इतनी फौज लगा रखी है, वह फौज क्या कर रही थी ? गांवों के विद्युतीकरण के नाम पर वो लोग यहां पर एयर कण्डीशन में बैठकर राजस्थान विद्युत मण्डल को अनाथालय बना दिया है।

वहां पर ऐसे-ऐसे लोगों की नियुक्तियां कर दी गई है अध्यक्ष महोदय, जो अनाथाश्रम है, अनाथाश्रम की तरह यह राजस्थान विद्युत मण्डल को चला रहे हैं, उनके चेयरमैन रिटायर्ड आर. सी. दवे और एक मिस्टर प्रभाकर, अकाउन्ट्स ऑफिसर रिटायर्ड, यह जो 16-17 लोगों की सूची

(श्री परसादीलाल मीणा)

है. इन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को किसानों की प्रगति के लिए, गांवों के विकास के लिए, गांव में बिजली लगाने के लिए कृषि नीति तैयार कर दी और उस नीति के ऊपर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन्होंने कृषि नीति तय की, उसी के अन्दर इन्होंने एक औद्योगिक नीति भी तय की। किसान को तो इन्होंने कह दिया, उद्योग नीति में इन्होंने कहा है कि सर्विस लाइन की लागत ब्याज सुक्त अग्रिम के रूप में जमा करानी होगी। यह अग्रिम राशि उनके मासिक बिल राशि के 33 प्रतिशत की सीमा तक मासिक उपभोग बिलों में समायोजित की जायेगी। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से, क्या किसानों को एडवांस में बिजली लगाने का अधिकार नहीं है. क्या किसानों को, राशि जो एडवांस जमा कराई जाय उसकी क्षतिपूर्ति करने का मण्डल का विचार नहीं है? आप उद्योगपतियों को क्यों कर रहे हैं? उद्योगपतियों में बड़े-बड़े पैसे वालों का दबाव है, बड़े पूंजीवादी लोगों का दबाव है। आज मण्डल में किसी किसान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आज इसलिए वहां पर कागजों में गांव का विद्युतीकरण कर दिया जाता है और वहां पर गांवों में कनेक्शन देने के नाम पर जीरो रिजल्ट रहता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपनी कृषि नीति जारी की थी उसके मुताबिक इन्होंने कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं दिये हैं। इनके सहायक अभियन्ता ने, अधिशाषी अभियन्ता ने पैसे खा-खाकर बीस-बीस हजार रुपये, दस-दस हजार रुपये खाकर एक-एक कनेक्शन दिये हैं। इन्होंने उन गांवों को डिमाण्ड नोटिस नहीं निकाले, कनेक्शन देने की बात तो दूर. अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उन गांवों के डिमाण्ड नोटिस भी नहीं जारी किये हैं जिन गांवों का इनको विद्युतीकरण करना था, अपनी नीति के मुताबिक करना था उनमें एक भी डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं किया है। तो आखिर इस पैसे का जो यहां बजट रखा गया, उसका क्या हुआ? माननीय विद्युत मंत्रीजी, आपने कहा था कि एक नीति के मुताबिक, मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि लालसोट में आपकी नीति के मुताबिक 496 लोगों को कनेक्शन देने थे. मैंने पूछा था कि वर्ष 1991-92 में निर्धारित लक्ष्यों में से कितने प्रतिशत, उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिये गये, शेष कृषि कनेक्शन के प्रार्थियों की सूची मेज पर रख दी है उसमें इन्होंने बताया है कि वर्ष 1991-92 में निर्धारित लक्ष्यों में से 13.56 प्रतिशत उपभोक्ताओं को 15 फरवरी, 1992 तक विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। अब अध्यक्ष महोदय देख लीजिए, 13 प्रतिशत उपभोक्ता, जिनको इस साल 496 में से कनेक्शन देने थे, यह इनके बोर्ड की हालत है और नये गांव की तो हालत यह है कि चार-चार, पांच-पांच साल से मेरे इलाके में गांव का विद्युतीकरण कर दिया, लाइन खींच दी, ट्रांसफार्मर रख दिया, एप्लीकेशन रख दी पर कनेक्शन नहीं करते हैं। इनके सहायक अभियन्ता समय पर, जब जून में आपकी यह नीति जारी हो गई थी, मैं पूछना चाहता हूं कि सहायक अभियन्ता और आपके अधिशाषी अभियन्ता ने जब यह सूची जारी कर दी तो आपने डिमाण्ड नोटिस कब निकाले? आपने

(श्री परसादीलाल मीणा)

फरवरी में निकाले । जनवरी में जब यहां विधान सभा में प्रश्न लगे माननीय सदस्यों के, जब आपने डिमाण्ड नोटिस निकालने शुरू किये । मैं कहना चाहूंगा, सात-आठ महीने तक आपके सहायक अभियन्ता और आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था । मैं कहना चाहूंगा कि आज गांवों में यह हालत है कि लोगों को बीस-बीस हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं । एक तुरन्त प्राथमिकता योजना विभाग ने चालू की थी इसके तत्कालीन चेयरमैन भण्डारी ने, मैं उस नीति को ठीक मानता हूं । मैं पहले भी कह चुका हूं कि भण्डारी ने यह बात की थी कि तीन महीने में उस आदमी को कनेक्शन देंगे जो पैसा जमा करायेगा, आज पैसे से भी काम नहीं होता है । आज उतने ही पैसे खर्च हो रहे हैं जितने उसको लाइन के और खम्भों के देने पड़ते थे । आज इनके सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता को उतने ही पैसे देने पड़ रहे हैं जितने उसको तुरन्त प्राथमिकता योजना में देने पड़ते थे । उसको कनेक्शन तो मिल जाता था, वह अपनी कमाई करते थे । आज कृषि को भी हम उद्योगों की तरह मानेंगे, आज हम जो उद्योगों को रियायत देते हैं उस तरह यदि हम किसानों को रियायत देंगे तो आज कृषि से हमारे गांवों का विकास होगा, हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में आज विशेषकर किसान का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है । आज किसानों की यह हालत है, मैं मेरे इलाके की बात बताऊं आपको कि वहां 1989, 87, 88 और 90 तक के लोगों ने एल. फार्म लगा रखे हैं, 1989-90 में जिनके जोब आर्डर लाइन खींचने के जारी कर रखे हैं, एक किसान की आज लाइन नहीं खींची है और माननीय मंत्रीजी, आप खुद यह देख लीजिए, मेरे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में आपने क्या कहा है, जो वर्ष 1990-91 में विचाराधीन थे, उसकी एक लाइन पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं—कुल 596 कनेक्शन देने थे इनमें से 20 कनेक्शन दिनांक 21-1-92 तक दे दिये गये हैं । आपने 20 कनेक्शन दिये हैं, अब आपने पचास की संख्या कर दी होगी । कहां पांच सौ और कहां बीस कनेक्शन । आप मंत्री महोदय, अपने विभाग में, अपने अधिशाषी अभियन्ताओं को, आज मैं आपको गारण्टी से कहता हूं कि इन्होंने जितने भी डिमाण्ड नोटिस निकाले हैं, जितने भी कनेक्शन किये हैं, जिन्होंने पैसे दिये हैं उसको इन्होंने कनेक्शन दिये हैं, बाकी के बिना पैसे देने वाले लोग हैं जिनके आज जोब ऑर्डर हैं, जिनके एल. फार्म लगे हुए हैं, आज उनके डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा हुए दो-दो, तीन-तीन साल हो गये पर आपके सहायक अभियन्ता और अधिशाषी अभियन्ता वहां कनेक्शन देने की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके मार्फत कहना चाहूंगा, मेरा इनके ऊपर चार्ज है कि आपने मंत्री महोदय, एक्स. ईएन., दौसा को यह तो टेलीफोन कर दिया ठेकेदार के कहने से कि फलां गांव की जो 1981 की फाइलें हैं उनको आप डिमाण्ड नोटिस जारी करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें । मैं मंत्री महोदय, आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने यह कहा होता—1989 के लोग, 1988 और 1987 और 1990 के जिनके

(श्री परसादीलाल मीणा)

एल-फार्म लगे हुए हैं उनको कनेक्शन देने की कार्यवाही करते तो मैं आपको धन्यवाद देता। मैं आपको क्या कहूं, जिस आदमी को + + + ही नहीं, जिस मंत्री को यह ही पता नहीं कि इस साल कोई

(2 38 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

डिमाण्ड नोटिस नहीं निकाले जायेंगे जो पुराने 31 मार्च, 1991 तक के डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा है उन्हीं को कनेक्शन दिया जायेगा। आपको थोड़ी-बहुत तो अपने विभाग की जानकारी लेनी चाहिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : इनका पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह इन्होंने कहा है कि इस मंत्री को तो + + + ही नहीं है....

श्री परसादीलाल मीणा : हां, + + + नहीं है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह असंसदीय शब्द है, इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री सभापति : असंसदीय शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाय।

डा. चन्द्रभान : इसमें काहे का असंसदीय है।

श्री परसादीलाल मीणा : असंसदीय कहां है श्रीमन्। + + + ही नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं? असंसदीय थोड़े ही है, कौन कह रहा है? इनको जानकारी नहीं है। पहली बार चुन कर आये हैं। क्या संसदीय है, क्या असंसदीय है, पता ही नहीं उनको।

डा. चन्द्रभान : इसमें क्या असंसदीय है श्रीमन्?

श्री रामसिंह विश्नोई : अक्ल शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापतिजी की व्यवस्था हो गई है, अब आप उसको चैलेन्ज कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप जबरन व्यवस्था करवाना चाह रहे हैं। मेरे को दुःख है, मेरे को तकलीफ है किसानों की, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं। आपके मंत्री को + + + नहीं हैं, मैं फिर कह रहा हूं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह दूसरा आरोप है, यह आसन के ऊपर आरोप है कि मैं कह रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : किसी के इशारे पर इन्होंने कैसे कह दिया कि इनके डिमाण्ड नोटिस निकाले जायं? मैं कहना चाहूंगा कि वहां के सहायक अभियन्ता ने

+ + + शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

सारे काम-काज छोड़ कर वहां डिमाण्ड नोटिस के लिए....

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, माननीय + + + है, यह भी रिकार्ड पर आ जाय श्रीमन्।

श्री परसादीलाल मीणा : सारी कार्यवाहियां पूरी कर दी। मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि उन्होंने किस आधार पर यह कार्यवाही की।

श्री अनंग कुमार जैन :....कि माननीय सदस्य + + + है। इसलिए आप इस प्रकार के कमेन्ट्स करेंगे। माननीय सदस्य एकदम + + + है इसलिए ऐसे ही कमेंट्स करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आगे आप भी कर देना ना।

श्री अनंग कुमार जैन : + + + आदमी तो ऐसे ही बोलेगा, और कैसे बोलेगा। यह भी असंसदीय नहीं है। जब मंत्रीजी में + + + नहीं है तो माननीय सदस्य + + + हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : हां, नहीं है। हां, तो हो गया ना, कह दिया।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय मंत्री के लिए यह शब्द कहां तक उचित है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कोई असंसदीय शब्द है? + + + को + + + कहना असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषा पर थोड़ा संयम रखें।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय....

श्री सभापति : अगर जी कहने से काम चल जाय तो गाली देने की क्या आवश्यकता है?

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, यह तो किसानों के प्रतिनिधि हैं, अब इनमें बुद्धि कम भी हो सकती है, आपको माइन्ड नहीं करना चाहिए। इनकी राजनीति आप तो जानते ही हैं।

श्री सभापति : अच्छा, आप बिराजिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप में सब बुद्धि है बाकी किसी में ही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अगर वह बोलेंगे और बुद्धि का परिचय दे देंगे तो हम मान लेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, मेरे को इस बात की तकलीफ है कि इनकी कृषि नीति के मुताबिक विभाग के अधिकारियों ने कनेक्शन जारी नहीं किये हैं। मैं यह जानना चाहूंगा, अगर माननीय मंत्रीजी में योग्यता होगी, क्षमता होगी तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें जिन्होंने इनकी नीति के मुताबिक कनेक्शन नहीं दिये। इनके जो वर्ष के लक्ष्य थे जिस

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

पंचायत समिति के, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, जब लालसोट की यह हालत है तो राजस्थान की भी यही हालत होगी। इस नीति के मुताबिक जिन अधिकारियों ने कनेक्शन जारी नहीं किये, "एल" फार्म लगे हुए हैं, जिनके जोब आर्डर जारी किये हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय, आपके अधिकारी इस इंतजार में रहते हैं कि मैं लाइन खींचने का आदेश जब दूं जब किसान पैसा देगा। मैं आपको जानकारी दूंगा, लालसोट के सहायक अभियन्ता और उसके सी. सी. बाबू से किसानों ने वहां पर गिरेबान पकड़ कर कम से कम दस हजार रुपयों की वसूली की है और आज वहां खुला भ्रष्टाचार का अड्डा लगा हुआ है। जो पैसा देगा उसका काम होगा और जो पैसा नहीं देगा उसका कोई काम नहीं होगा और उसका मंत्री, सरकार या एम. एल. ए. कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और आज किसान को मजबूर किया जा रहा है। सभापति महोदय, वह पैसा दें, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, 1989–90 के जिनके जोब आर्डर लाइन खींचने के हो गये, आज तक उनकी लाइन नहीं खींची जा रही है। माननीय मंत्री महोदय ने गत वर्ष मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में यह कहा था कि जिन लोगों के कनेक्शन मार्च, 1985 तक के विचाराधीन हैं हम उनको 1992 के अन्त तक कनेक्शन दे देंगे। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि आज 1981 तक के लोग, आज 1985 तक के लोग, आज 1978 के लोग भी इस प्रतीक्षा में है कि हमको डिमाण्ड नोटिस कब जारी होगा, हमको कनेक्शन कब मिलेगा। इस तरह जो आय-व्ययक विवरण मण्डल ने रखा है इस पर क्या हम से चर्चा करवाना चाहते हैं, इसमें सारा भ्रष्टाचार है। आपने इस राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को अनाथाश्रम बना रखा है।

आपने जितने अधिकारी लगा रखे हैं, मि. प्रभाकर अकाउन्ट्स आफिसर रिटायर्ड, मि. भौमिक अकाउन्ट्स आफिसर, मि. जितूरी, सेवा निवृत्त एस. ई. इसके अलावा आपके जो दिल्ली में बैठे हैं आपने उनके लिए दिल्ली में 50 हजार रुपये का बंगला रेस्ट हाउस के नाम पर दे रखा है। इन अधिकारियों का क्या करेंगे आप? किसानों के पैसों का आज बिलकुल खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार है। कोई मि. पुरी सेवा निवृत्त एस. ई. है क्या आपके डिपार्टमेंट में और कोई इन्जीनियर नहीं है जो आपका काम कर सके। आपने रिटायर्ट लोगों के लिए अनाथ आश्रम क्यों बना रखा है? मेरा आपसे निवेदन है कि आप बोर्ड के द्वारा किसानों का भला करना चाहते हैं, आप भी किसान जाति के हैं और आपको किसानों के दुःख-दर्द की तकलीफ नहीं है। आपने जोधपुर हाई कोर्ट में वकालत की है। ठीक है धीरे-धीरे आपमें किसानों की तकलीफें दूर करने की हिम्मत है, आपमें क्षमता है तो आप दूर करने की कोशिश करें। श्री पन्नालाल, उप-सचिव रिटायर्ड, श्री एस. के. चौधरी, सेवानिवृत्त सतर्कता एस. पी. आपने आज एस. पी. को भी विजिलेंस में लगा रखा है वह भी एक रिटायर्ड को लगा रखा है। क्या बात है? इसमें सारा भ्रष्टाचार है। जो रिटायर्ड लोग हैं उनको बोर्ड की,

(श्री परसादीलाल मीणा)

उनको किसानों की, उनको किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। न वह बोर्ड की परवाह करते हैं, न राजस्थान की जनता की और न राजस्थान के किसानों की परवाह करते हैं। आपने वहां सेक्रेटरी तो बैठा रखा है आई. ए. एस. और उसके ऊपर एक बैठा रखा है + + + चेयरमैन। आप क्या करेंगे उस + + + चेयरमैन का? मैंने कहा था भण्डारी चेयरमैन थे आप क्यों नहीं सीनियर आई. ए. एस. को चेयरमैन लगाते? क्यों नहीं आप किसी सीनियर इन्जीनियर को, जो कार्यरत हैं उसको चेयरमैन लगाते? आप राजस्थान के किसानों के हितों की रक्षा तभी कर सकते हैं, भण्डारी ने कनेक्शन दिये चाहे तुरन्त योजना में दिये। आज पैसे देकर भी किसान कृषि करना चाहता है। चाहे पैसा कितना भी लग जाये कनेक्शन में नहीं तो वह पैसा तुरन्त योजना के बोर्ड में जमा हुए थे, बोर्ड ने जितने भी ट्रान्सफार्मर्स खरीदे थे और गांवों का विद्युतीकरण करने की प्लानिंग थी....

श्री रामसिंह बिश्नोई : माननीय सदस्य आप क्या मानते हैं बोर्ड का चेयरमैन टेक्नीकल होना चाहिए ?

श्री परसादीलाल मीणा : टेक्नीकल आदमी ठीक रहता है। माननीय सदस्य आप बहुत पुराने हैं। जो पृथ्वीसिंह जी चेयरमैन थे आप उनके बारे में पूरे राजस्थान में जाकर पूछ लीजिए कि उनका बोर्ड को चलाने का कितना अनुभव था। आप ऐसे टेक्नीकल इन्जीनियर लगाइये। अगर सरकार टेक्नीकल को नहीं लगाये तो किसी सीनियर आई. ए. एस. को लगाइये मगर इन + + + को तो बोर्ड से मुक्त करिये। इन + + + को क्यों बैठा रखा है? करोड़ों रुपया साल का इनके ऊपर खर्चा होता है। यह + + + राजस्थान को + + + बनाकर रहेंगे। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपने दो-दो कनेक्शन की बात कही वह पूरी नहीं हुई....

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : ....आपने 1991 तक की जो बात कही वह पूरी नहीं हुई। आपने विद्युतीकरण के मामले में 3792 गांवों की बात कही आप जवाब देकर बतायें कि इन गांवों के कनेक्शन क्यों नहीं हो सके। आप क्या करना चाहते हैं फिर इस बोर्ड का? ऐसे बोर्ड को बंगाल की खाड़ी में फेंक दें। क्या करेंगे इस बोर्ड का? हम चाटे क्या? जो एक गांव को भी कनेक्शन नहीं दे सके। आज सारे पैसे को भ्रष्टाचार में खा गये। आज किसानों की हालत देखिये। आप मेरे साथ चलिये कम से कम दस लोगों के पैसे तो आपके ए.ईएन. से और आपके स्टाफ से मैंने दिलाये हैं। मैंने उनके गिरेबान पकड़े हैं। उनसे पैसे वसूल किये हैं। इस तरह मे भ्रष्टाचार के अड्डे आपने किसानों के लिए खोल रखे हैं। आप नीति निर्धारित कीजिए। आप एक पालिसी तय कीजिए कि इतने दिन में जोब

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

आर्डर निकलने के बाद, इतने दिन में 'एल' फार्म भरने के बाद किसानों को कनेक्शन नहीं मिलते हैं वह भ्रष्टाचार का रास्ता दिखाते हैं। किसानों को मजबूर होकर अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। उसी का नतीजा है कि आज बोर्ड को + + + बना रखा है। इनके बिजली विभाग के इन्जीनियर आज हर कदम पर डिमाण्ड नोटिस निकालने पर पैसा, "एल" फार्म के बाद जॉब आर्डर पर पैसा, किसानों को लाइन खींचने पर पैसा—आखिर किसान पैसा कहां से देगा? और पैसा नहीं देने के बाद भी इनका काम नहीं होगा तो उससे अच्छा है तुरन्त प्राथमिक योजना में किसान सीधा पैसा दे। उसको दो महीने, में तीन महीने में, चार महीने में कनेक्शन तो मिल जायेगा। तुरन्त योजना तो आपने बन्द कर दी।

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने एक विद्युत नीति जारी की थी आपके पुराने किताब में कि अविद्युतीकृत गांवों में जो किसान अपने खर्चे पर एल. टी. लाइन का खर्चा लेकर पूरे गांव के लोग कनेक्शन लेना चाहेंगे तो उन गांवों में हम कनेक्शन देंगे। इस विद्युत नीति के मुताबिक हजारों लोगों ने, हजारों गांवों के किसानों ने अविद्युतीकृत लाइन के पैसे देकर उन्होंने अपने पैसे जमा करा दिये और आपके मण्डल के जो नये चेयरमैन साहब आये उन्होंने नीति बनाई है, और उन्होंने यह कहा है कि अविद्युतीकृत गांवों के अन्दर तुरन्त प्राथमिक योजना के अन्तर्गत कनेक्शन देने की योजना समाप्त कर दी गयी है। मैं सभापति महोदय, जानकारी लेना चाहूंगा कि उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने पैसे जमा करा दिये? एप्लीकेशन लगा दी और लाइनों का पैसा खुद देने के लिए तैयार हैं, ट्रान्सफार्मर का पैसा खुद देने को तैयार हैं फिर आप कनेक्शन क्यों नहीं देते जब कि वह गांव आपकी स्कीम में सेंक्शन्ड हैं....

श्री सभापति : समाप्त करिये माननीय सदस्य....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं सभापति महोदय, 5 मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : 20 मिनट हो गये। बहुत लम्बी सूची है।

श्री परसादीलाल मीणा : अगले वाले माननीय सदस्य 25 मिनट बोले थे। मैं 5 मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : आपको 20 मिनट हो गये।

श्री परसादीलाल मीणा : कहां हो गये?

श्री सभापति : बिल्कुल।

श्री परसादीलाल मीणा : 5 मिनट और सही उसमें क्या लगता है आपका?

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

समापति महोदय, मैं मेरे इलाके की दो तीन बातें मंत्री जी को कहना चाहूंगा। मेरे वहां पर आज 235 ऐसे "एल" फार्म लगे हुए हैं 1980–90 के लोगों के जिनको कनेक्शन की बात तो दूर उनसे कभी आज तक यह भी नहीं पूछा कि आपके पैसों का क्या हुआ? 132 जो लालसोट से बननी थी दिसम्बर, 1991 तक जिसका कार्य पूर्ण होना था आज उसकी लाइन भी नहीं खींची गयी है। जिस तरह 133 जो बगड़ी और रामगढ़ पसवारा में सब-स्टेशन बनना था समापति महोदय, आज उसका भी काम नहीं हो रहा है। आज किसानों की हालत यह कर दी इन्होंने कि आज गांवों में कोई भी यह नहीं कह सकता है कि मुझे बिना पैसे कनेक्शन मिला है। अगर एक भी आदमी से आप कहलवा दें तो आप जो कहें वह सजा भुगतने को तैयार हूं। उस से किसी न किसी स्टेज पर आज पैसा लिया जाता है। माननीय सचेतक महोदय कह रहे हैं, वह हाथ खड़ा कर रहे हैं....

श्री समापति : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री परसादीलाल मीणा : समापति महोदय, एक दिन मैंने कहा था अपने बजट भाषण पर कि राजस्थान में 700 गांव ऐसे हैं जहां एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने मुझे इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी। मैं बताना चाहूंगा आपको अगर जानकारी नहीं हो, इलाके के बारे में पता नहीं हो तो यह कापी मेरे पास से ले जाइये, इसमें सूची है, 3792 गांवों में एक भी कनेक्शन आपके मण्डल ने नहीं दिये हैं....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय समापति जी, यह तो मेरी इनसे बात हो गयी थी।

श्री परसादीलाल मीणा : बात क्या हो गयी? आपने क्यों हाथ खड़ा कर दिया? आपको जानकारी नहीं है किसानों की। आप अपनी बात करिये। मैं माननीय समापति महोदय, कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने इसी सदन में यह घोषणा की थी....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : समापति महोदय, मुख्य सचेतक महोदय कह रहे हैं कि मेरी इनसे बात हो गयी थी तो न तो आप इतने सुन्दर हैं, न आप विद्युत मंत्री हैं फिर ऐसी कौनसी बात है जिससे आपकी और इनकी बात हो गयी थी?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इनसे बात हुई थी समापति महोदय, इसमें चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को क्या आपत्ति है? क्या बात हुई थी? क्या पता क्या बात हुई थी? मतलब क्या है? ....(व्यवधान)

श्री समापति : माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : समापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहूंगा जहां गत साल इसी सदन में यहां घोषणा की थी कि हम किसानों की एक सलाहकार समिति गठित करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपने एक भी

(श्री परसादीलाल मीणा)

जगह आज तक क्या एक भी कमेटी गठित की? आज किसान एक्स. ई. एन. से या किसी से जाकर यह कहेगा, किस मीटिंग के जरिये कहेगा कि हमारे गांव में कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, हमारे गांव में बिजली नहीं जा रही है, हमारे गांव में यह भ्रष्टाचार हो रहा है कि यह लोग पैसा मांग रहे हैं। आपने क्यों नहीं कमेटियां गठित की? आपने यहां बहुत जोरदार घोषणा की थी कि हम सारे राजस्थान में ऐसी सलाहकार समितियां बनायेंगे। आज बिजली की चोरी हो रही है, मैं मानता हूं। आज 60 पर्सेन्ट बिजली की चोरी गांवों में होती है। वह आज बिजली बोर्ड के कारण होती है। इन्होंने तीन-तीन और चार-चार साल से लोगों के पैसे जमा कर लिए और उनको कनेक्शन नहीं दिये। उनको उल्टे नुकसान हो रहा है आज उन लोगों के पैसे जमा हैं वह लोग सरे आम कहते हैं कि हमको कनेक्शन सरकार दे नहीं रही है और हम डाइरेक्ट मोटर चलायेंगे····

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी नीति के अनुसार जो आपने कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया उनकी पूर्ति नहीं हुई उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें जिन्होंने आपके बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया····

श्री सभापति : आप बिराजिये। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, विद्युत पर सदन में विचार हो रहा है। लम्बे अर्से के बाद माननीय मंत्री महोदय ने हाउस में बिजली के मुद्दे को को पेश किया है। सभापति महोदय, काफी लम्बे अर्से के बाद इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार हो रहा है। खास तौर से सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में बिजली की बहुत कमी रही है, लम्बे अर्से से पश्चिमी राजस्थान की उपेक्षा भी बरती गयी है और बरती जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में सिचाई के कुएं हैं पिछले लम्बे अर्से से लोगों ने अपने खेतों में खोद रखे हैं और बिजली का उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है। सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में सदियों से अकाल पड़ रहा है और वहां का किसान इस अकाल की मार से कमजोर है फिर भी इस राज की मंशा को देखते हुए वहां के काश्तकारों ने अपने खुद की मेहनत से तीन सौ, सांढे तीन सौ फुट के नीचे, धरती के नीचे मीठे पानी को ऊपर लाकर सरकार के सुपुर्द कर दिया है कि आप हमारे कुओं को बिजली दें। सभापति महोदय, अगर कुओं को समय पर बिजली मिल जाय और 2 साल पहले से ही यह सरकार दे देती तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अकाल को हम घायल कर सकते थे, कमजोर कर सकते थे लेकिन सभापतिजी, मुझे खेद है कि बीकानेर जैसे जिले को नाम मात्र ही कनेक्शन पिछले साल दिये गये हैं। उससे पिछले साल तो कोई कनेक्शन दिया ही नहीं गया। उससे पहले तो बिल्कुल जीरो है। मैं चाहूंगा कि आज बीकानेर जिले की चारों तहसील में, पूरी नोखा तहसील में धरती के नीचे

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

अधिक मात्रा में मीठा पानी है। वहां लोग, काश्तकार रात-दिन राकेट की तरह कुएं खोदने पर लगे हुए हैं। मैं मंत्रीजी, आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपकी सरकार ने आने के बाद जीवनधारा के तहत इन कमजोर लोगों को, खास तौर से हरिजनों को, पिछड़ी हुई जाति के और 28 बीघा के नीचे काश्तकार को जीवन-धारा और दूसरी योजना के तहत पैसे दिये जा रहे हैं। जिसके लिये वहां का काश्तकार आपका आभारी है लेकिन साथ ही साथ सभापतिजी, काश्तकार आपका आभारी जरूर है लेकिन वह रात और दिन मेहनत करके, हमारे तो वहां सुमित्रा जी, जाटणियां औरतें घुंघट कर रखा है और रात-दिन हाथ में गेंती रखती हैं और कुओं में काम कर रही हैं। सभापति महोदय, मेरे इलाके में औरतों ने अपने जेवरात, घर वालों को कह दिया है कि यह जेवर अटाले में रख दो लेकिन धरती के नीचे का जो पानी मीठा है उस पानी को ऊपर लाकर पश्चिमी राजस्थान को हरा-भरा करेंगे।

मुख्य मंत्रीजी से मैं चाहूंगा कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों के लोगों की आपके प्रति बहुत आशा है। लोगों में धीरे-धीरे निराशा आ रही है। 2 साल से वहां काश्तकारों को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है। मंत्रीजी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों को आपने पिछले 2 सालों में कितने कनेक्शन कुओं के लिए दिये हैं? यह आप अपने जवाब में बिल्कुल साफ करेंगे?

सभापतिजी, बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के कुछ गांव में बहुत मीठा पानी है। लगभग डेढ़ सौ, दो सौ फुट के नीचे 34 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं उन 34 गांवों में, पूरी नोखा तहसील के नीचे बहुत बढ़िया मीठा पानी है और सरकार की सहानुभूति रही, किसान के प्रति सरकार जागरूक रही तो हम निश्चित रूप से इस अकाल को रगड़ कर छोड़ देंगे और इसको समाप्त कर देंगे। (व्यवधान) सरकार को नहीं, अकाल को, आप चाहते हो सरकार को। सुमित्राजी, सपना लो सरकार को रगड़ने का।

सभापति महोदय, नागौर जिले की पट्टी पानी की कुछ तो खराब है और बाकी के गांवों में, तहसीलों में बहुत मीठा पानी है। ट्यूब वैल से वहां खुदाई हो रही है नोखा के कुछ भाग में। सभापति महोदय, ट्यूब वैल खुदे हैं, छोटा-सा एरिया है, 8-10 गांव हैं, सादुड़ा, चिताड़ा, सारोड़ा भोजास आदि, वहां ट्यूब वैल में, मुख्य मंत्रीजी, सिर्फ 30 हजार रुपये लगते हैं। 30 हजार में 8 घण्टे में, गुजरात की एक प्राइवेट एजेंसी है जो 8 घण्टे में ट्यूब वैल खोद कर काश्तकार को दे देती है। बिजली नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप नागौर, बीकानेर और चूरू जिले में, सरदारशहर का कुछ भाग को छोड़ दो, तारानगर छोड़ के बाकी के सारे जिले की धरती के नीचे मीठा पानी है। खास तौर से बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील, इसकी धरती के नीचे बहुत बढ़िया पानी है और

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

काश्तकार रात-दिन युद्ध स्तर पर कुएं खोद रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, विद्युत मंत्री जी, आपको जागरूक रहना है। आपका लगाव गांव से और इस इलाके से है। आपका इलाका हमारे से जुड़ा हुआ है। आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान है लेकिन ज्ञान होते हुए भी आप अगर काश्तकार को लाभ नहीं दे सकोगे तो विद्युत मंत्रीजी, आपका नाम लिस्ट में उसी जगह जोड़ा जायेगा जहां 40 सालों में दूसरे मंत्रियों का जुड़ा हुआ है।

नागौर के बाद जैसलमेर जिला है। जैसलमेर जिले में सभापतिजी, कुछ ऐसा एरिया है, राठी वगैहरा गांव, इतना अथाह पानी है, समुद्र है वहां। अगर राज्य सरकार 15-20, 30-40 ट्यूब वैल सामुहिक तौर पर खोद कर, नहर बना कर आगे पानी दे तो वहां की पानी की इतनी क्षमता है सभापतिजी, जो काश्तकार इलाके में कामयाब हो सके।

इसके बाद आपका बाड़मेर है। बाड़मेर का ऐसा इलाका है जिसकी धरती के नीचे बहुत मीठा पानी है। एक तो है चौहटन। चौहटन में करीब सवा सौ ऐसे गांव हैं, चौहटन तहसील बाड़मेर में जिसकी धरती के नीचे बहुत अधिक और मीठा पानी है लेकिन सभापतिजी, बिना बिजली के हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, आपका बाकसर थाना, उसमें 50-60 गांव में आपके बाड़मेर में उस थाने के अधीनस्थ जिसकी धरती के नीचे खूब मीठा पानी है। धोरीमन्ना है, उसमें भी बहुत से ऐसे गांव हैं, गुढ़ामालानी है, 50 गांव ऐसे हैं जिसकी धरती के नीचे, गंगारामजी, बहुत मीठा पानी है और आप वहां के जागरूक प्रतिनिधि हैं, सारे बैठे हो लेकिन सरकार से आज तक 40 साल में बिजली हम नहीं ले सके जिससे आज हमारे इलाके में भूख है, आज कमजोरी है और अकाल छाया हुआ है। मैं चाहूंगा इस सरकार से कि पश्चिमी राजस्थान के काश्तकारों को कुओं पर जितना भी अनुदान दें जितना भी हो लोन दें और बिजली जो है वह प्राथमिकता के आधार पर दें। सभापतिजी, अगर कोई जागरूक सरकार होती 40 साल में तो आज राजस्थान में अकाल नाम की कोई चीज आपको ढूंढने से नहीं मिलती। चारे की कोई कमी नहीं होती लेकिन सरकार जयपुर के ईर्द-गिर्द है, चौमूं और सीकर के आगे सरकार नहीं जा सकती। राजस्थान का क्षेत्रफल, पश्चिमी राजस्थान खूब लम्बा-चौड़ा इलाका है। पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है लेकिन उस सीमा की तरफ किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया और मुझे आशा है कि यह सरकार कुछ करेगी। दूसरा, जैसलमेर के पश्चिमी भाग में जहां पाकिस्तान बोर्डर के पिलर हैं, सभापति महोदय, वहां करीब 18 और 20 किलोमीटर सीमा से लेकर एक पट्टी है पानी की, इतना अथाह पानी है ऊपर छाले का पानी है, उसको अगर उपयोग में लिया जाय तो हजारों बीघा, हजारों एकड़ में वहां खेती हो सकती है लेकिन सभापति महोदय, गांव के लोगों के लिए बिजली का बजट नहीं है। जो 40 साल तक सरकार रही है वह टाटा, बिड़ला, डालमिया और

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

भूतपूर्व राजाओं को, उनके लिए उनकी बिजली है। आज मेरे हिसाब से लगभग एक अरब 80 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है बड़े-बड़े उद्योगपतियों, फैक्ट्रियों के पास। मैं चाहूंगा सभापतिजी, मंत्री महोदय, जिन करोड़पति लोगों में, उद्योगपतियों में एक अरब रुपया बकाया है उनसे तुरन्त प्रभाव से वसूली कर के और वह रुपया अगर पश्चिमी राजस्थान के काश्तकारों को बिजली के लिए देंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे और इस अकाल को समाप्त कर सकेंगे यह बात मैं मानता हूं सभापति महोदय, कि जब तक हमारा दरसिंगसर,

(3.00 म. प.)

सूरतगढ़, सत्तासर, डी. के. डी. से जब तक पावर हमको नहीं मिलेगी तो बिजली की वहां कमी है, यह मैं मानता हूं लेकिन बिजली पर आपको ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिये। मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा, आजकल भारत सरकार जो कांग्रेस की है उनका अपना अच्छा ताल्लुकात है, उनसे हमारा धर्मेला भी है, हम उनको सहयोग कर रहे हैं, वह हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके, मुख्य मंत्रीजी, जब आप जाओगे एक दो दिन में....(व्यवधान) दोनों का ही है, आपका भी है, हमारा भी है। तो, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से, जब आप प्रधान मंत्रीजी के पास जाओगे तो राजस्थान के गरीबों की आवाज उन तक यह जरूर पहुंचाना कि दिल्ली में बन रहे नाच घर फाइव स्टार होटल एक दो साल के लिये बंद कराइये ताकि पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिये उस धन से धरती के नीचे का पानी ऊपर आयेगा और राजस्थान में हरियाली होगी, अकाल को हम समाप्त कर देंगे और हम प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नत्थी सिंह जी।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, बिजली को क्रांति का और परिवर्तन का वाहक माना गया है। राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहां पानी की कमी है, न नहरें हैं, न दूसरी बात है, यहां चाहे कृषि हो, चाहे पेयजल का सवाल हो, चाहे उद्योगों का सवाल हो, सबके लिये बिजली की आवश्यकता है। आज एक दृष्टिकोण और चल रहा है। अभी यहां पर कहा गया, हमारे विद्युत मंडल बहुत घाटे में हैं। उन घाटों को दूर करने के लिये सरकार ने कुछ कहा है कि हमने 613 करोड़ में से आधा इक्विटी में बदल दिया, ब्याज माफ कर दिया। लेकिन एक बात जो चल रही है, जो उपभोक्ता हैं, चाहे वह किसान हों, चाहे और हों, उनसे पूरा पूरा कास्ट जब तक वसूल नहीं होगा, तीन पर्सेन्ट के फायदे में जब तक आयेंगे नहीं तब तक हम विद्युत मंडलों को सुदृढ़ आधार तो दे नहीं सकते और हमारे प्रदेश की सेवा कर नहीं सकते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में हमने कई बार वह बात उठाई है लेकिन मैं इसे दोहराना नहीं चाहता, केवल

(श्री नत्थी सिंह)

इशारा करना चाहता हूं, ठीक है, आप अगर इसी सिद्धान्त को मान कर चलते हैं कि बिजली का, सिंचाई का और दूसरे संसाधनों का जब खर्चा होता है उसका पूरा व्यय उपभोक्ता से लिया जायगा, किसानों से लिया जायगा तो क्यों हिम्मत नहीं करते कि वह किसान जो पैदा करता है, रोज जो घाटे में रहता है, रोज ओलों की मार सहता है, रोज प्राकृतिक प्रकोप सहता है कभी दाम नहीं मिलते, उनको भी पूरा-पूरा आप देंगे कि उनको सही-सही दाम मिले, लाभकारी मूल्य मिले। यह हम कहते नहीं। नीति कोई एकतरफा नहीं चल सकती है, दुतरफा चलेगी। आज हमारी सरकार का सोच चाहे यहां बैठी सरकार है राजस्थान में भैरोंसिंहजी शेखावत की, चाहे दिल्ली में बैठी है सरकार, एकतरफा सोच हो रहा है। वह सोच क्यों हो रहा है? इस सबके ऊपर बाहर का जो कर्जा ले रहे हैं हम, बाहर से विदेशी दबाव है, उनकी जो शर्तें हैं उसके सामने हम नत मस्तक हो रहे हैं घुटने टेक रहे हैं। इसलिये अपने यहां के उत्पादक, अपने यहां के मेहनतकश, अपने यहां के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को नजरंदाज करके हम इस तरह की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस सारी स्थिति पर आप गंभीरता से विचार तो करें। आज हमारे यहां 31 पर्सेन्ट की कमी बतायी गयी है। हमारी जो मांग है और विद्युत की सप्लाई है, 1994-95 तक कहा गया है कि यह कमी 44.9 प्रतिशत हो जायगी। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे पास 31 पर्सेन्ट की कमी है, जो हमारा नार्दन ग्रिड है उसमें कमी 19.6 प्रतिशत का एवरेज है, आल इंडिया में जो कमी का एवरेज है वह 17 प्रतिशत का है। लेकिन एक बात को और ध्यान रखिये आप। एन. डी. सी. की जब मीटिंग हुई, उन्होंने जब प्लानिंग कमीशन को अपनी रिकमण्डेशन भेजी तब मांग की थी कि सारे देश में 31,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाना चाहिये। लेकिन जो एक प्लान मंजूर हुआ प्लानिंग कमीशन का, उसमें केवल 24,668 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है, 6 प्रतिशत की कमी हुई है। जो 6 प्रतिशत की कमी आल इण्डिया स्तर पर है वह तो सब तरह से बढ़कर 23 की होगी, नार्दन ग्रिड में है 19.6 प्रतिशत वह 34 तक हो जायगी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को और सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो हम सोचते हैं कि 1994-95 में वह कमी 44.9 प्रतिशत की होगी, वह 44.9 प्रतिशत की न होकर 67 प्रतिशत की कमी होगी। उसको हम कैसे पूरा करेंगे, इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिये। अब एक बात इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने कही है। उन्होंने अपने बजट भाषण के 26 वें पैरा में कहा है कि राज्य की जनता, किसानों एवं उद्योगों में बढ़ती हुई बिजली की मांग तथा राज्य एवं मंडल के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हमारे पास तीन महत्वपूर्ण विकल्प होंगे। एक तो यह कि हम कुछ हद तक

(श्री नत्थी सिंह)

विद्युत उत्पादन का निजीकरण करें, दूसरा यह कि हम विदेशी स्रोतों में सहायता प्राप्त करें और तीसरा विकल्प यह है कि मंडल अपने आन्तरिक स्रोतों से संसाधन विकसित करें। भारत सरकार का भी दबाव है कि हम मंडलों को तीन ही पर्सेन्ट रिटर्न अपने फिक्स्ड असेट्स पर प्राप्त कर सकें। यह सब महत्वपूर्ण मसले हैं, इस पर राय चाहने की बात कही गयी है। तो मैं कहना चाहता हूं, निजीकरण आप करेंगे। ठीक है, आपने निजीकरण किया भी है। चित्तौड़ में भी आपने निजीकरण किया था। 1988 में आपने बिड़ला साहब को दिया और आज तक क्या हुआ ? जो फिजीबल रिपोर्ट तक नहीं आई, पिछली बार आपने कहा, फिजीबल रिपोर्ट आ रही है। 1988 से आज 1992 है, चार वर्ष हो गये। आपने बरसिंहसर का कहा है, नवेली को दिया है। वहां भी कोई प्रगति नहीं है। आपके पास एक सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ में हमने पिछली बार अखबारों में पढ़ा कि जो केन्द्र के ऊर्जा राज्य मंत्री है श्री कल्पनाथ राय, उन्होंने कहा, हमने साढ़े तेईस करोड़ रुपये सूरतगढ़ के लिये राजस्थान सरकार को दे दिये है। आपने अभी अपने बजट भाषण में कहा है कि हमने 50 करोड़ का प्रावधान किया है। लेकिन आपने किया क्या है ? आपने तीन इंजीनियर लगाये हैं। इसको पूरा क्यों नहीं कर सकते ? आप 700 इंजीनियर लगाकर इस काम को पूरा करें, इससे बिजली बनायें। केवल एक कोटा में आपने कहा है, हमने बिजली का उत्पादन बढ़ा लिया और कहां तक हुआ है। हमारी प्रगति रही कहां है, मैं पूछना चाहता हूं।

एक दूसरी बात जो निजीकरण की बात आप कह रहे हैं, उसके सम्बन्ध में एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, स्थिति हमारी क्या है आज और उस पर आप देखें कि इसको आप कहां ले जाना चाहते हैं। निजीकरण में आयेंगी मल्टी नेशनल्स, जहां से आप लाना चाहते हैं पैसा। मल्टी नेशनल्स को लाना चाहते हो, उनको वह तीन पर्सेन्ट का भी रिटर्न नहीं चाहिये। आज कोई भी देश में विद्युत मंडल तीन पर्सेन्ट के लाभ में नहीं आ पाया, माइनस तीन पर जरूर चल रहे हैं। लेकिन वह जो बाहर की कम्पनियां हैं वह तो चाहती हैं 17 प्रतिशत मार्जिन हमको मिलना चाहिये। 17 प्रतिशत मार्जिन दोगे तो क्या हालत करना चाहते हैं हमारे किसानों की, उद्योगों की और दूसरे डोमेस्टिक परपजेज के लिये जो आती है। वह दोगे। वह तो आयेंगी नहीं। 17 प्रतिशत आप दे नहीं पाओगे। तो फिर किस तरह से यह होगा ? मैं कहना चाहता हूं, आज जरूरत इस बात की है कि आपके पास जो साधन हैं उन साधनों से भी आप विद्युत उत्पादन का काम इस मंडल में जितने इंजीनियर हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार है, यहां कहा गया, उनको कसिये। आज किसान परेशान है, उपभोक्ता भी परेशान है, यह तो आपकी व्यवस्था का दोष है। आज आपके यहां क्या स्थिति है ? एक तरफ किसान है, एक तरफ डोमेस्टिक उपभोक्ता है, एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ आपके मंडल के कर्मचारी हैं। किसान परेशान हैं, उपभोक्ता परेशान हैं आपकी नीतियों से। आपने जो कनेक्शन

(श्री तरथी सिंह)

के लक्ष्य दिये, पूरे कर नहीं पाये। आपने तुरन्त दाम योजना भी चला दी, उसमें भी आप सफल नहीं हुए। पिछली बार मैंने एक सवाल रखा था उस सवाल के जवाब में कहा गया कि हमने इन दोनों को मिला दिया है और इसकी इस तरह पूर्ति करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, किस तरह से आप राहत देना चाहते हैं। आज निजीकरण के नाम पर एक जो हवा चल गयी है इस देश में, उसमें ही सब कुछ करेंगे। मैं कहता हूं, आपके यहां आज आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से आपके विद्युत मंडल इंजीनियर एसोसियेशन का, कोई ध्यान नहीं दे रहे। उनकी एक मांग यह है कि विद्युत का उत्पादन बढ़ना चाहिये। बढ़ नहीं रहा है। हम से काम लो, हम से कराओ, निजी उसमें क्यों जाते हो। उस पर बात नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ बाहर के लोगों को कर रहे हो जिसका हमने फल देखा है, न चित्तौड़ में है, न बरसिंहसर में है, कहीं भी हम आगे नहीं बढ़े। उसके बाद भी हम निजीकरण की बात कर रहे हैं। क्यों निजीकरण की बात कही जा रही है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, यह जो बाहर से कर्ज आते हैं, मैंने पूछा था इस सदन में, 300 करोड़ का विश्व बैंक से जो ऋण मिल रहा है, क्या शर्तें हैं हमें बताओ तो सही। आपने खुद ने भी, मुख्य मंत्रीजी ने, हमने सबने एक बात कही है, विदेशों से किसी तरह के सौदे होते हैं उनमें बड़ा फैक्टर होता है किट बैक्स का। किट बैक्स के जरिये गड़बड़ियां होती हैं, वह मल्टी नेशनल्स आयेंगे, भ्रष्टाचार वह फैलायेंगे और हमारे आर्थिक तंत्र पर कब्जा करेंगे। इस ओर भी हमें सावधान रहना है। इसलिए हमारे पास जो हाथ मौजूद हैं, हमारे पास जो कुशलता मौजूद है, उसका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्यों नहीं अपने इंजीनियर्स के जरिये से हम अपनी इन विद्युत योजनाओं का निर्माण, संचालन कराना चाहते हैं? इसमें कमी क्यों है? इस बात पर दो इंजीनियर्स आपके आन्दोलन कर रहे हैं, उनसे बैठकर आप बात भी नहीं करना चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्थिति क्या होने वाली है, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई की स्थिति जो 1948 में इसके अन्दर थी, यह विद्युत मंडल नो प्रोफिट नो लॉस के आधार पर चलते थे और 1-4-85 को 3 पर्सेन्ट प्रोफिट की बात कही गई। लेकिन आज तक कोई नहीं आया।

एवरेज जो हिन्दुस्तान में 14.8 प्रतिशत घाटे की स्थिति है। टैरिफ की क्या स्थिति है? आप कहते हो किसान पर, डोमेस्टिक पर, इण्डस्ट्री पर बढ़ाने की बात कहते हो, उसकी स्थिति क्या है? सभापति महोदय, मार्च, 1985 में एग्रीकल्चर की बिजली आपकी 21 पैसे में मिलती थी आज 42 पैसे में मिलती है। दुगुनी हो गई। इण्डस्ट्री में 55 पैसे में मिलती थी, आज डेढ़ रुपये में मिलती है और 17 परसेण्ट का आप सरप्लस और लेना चाहते हैं। इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी जब विपक्ष के नेता थे, हमने किसान संघर्ष समिति की तरफ

(श्री नत्थी सिंह)

से आन्दोलन चलाया था, आज वह सारी बातें हम भूल गये ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी मैं अपनी बात कहूंगा, थोड़ी देर लगेगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही। निजीकरण में आपने दे दिया, आपको मुनाफा 17 पर्सेन्ट का देते हैं तो सभापति महोदय, बिजली में आप किसान को भी ढाई रुपये तक की यूनिट में ले जाओगे। कहां जा रहे हो आप ? कहां ले जाना चाहते हो ? दूसरी बात की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जो बात कहते हैं कि हम से बाहर लायेंगे और निजीकरण वालों से काम करायेंगे. यह हिन्दुस्तान टाइम्स के दिल्ली एडीशन में 30-3-92 में कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। उन आंकड़ों में एक तो यह है किस तरह से बनाया गया है, यह वाई रेट्रोस्पेक्टिव रेट से हुआ है, वह रिहन्द का बनाया गया है। उस पर कोस्ट पर यूनिट आया एक रुपये 10 पैसे और कंसट्रक्शन कोस्ट प्रोजेक्ट का आया एक लाख 68 हजार प्रति किलोवाट। सिंगरोली में पब्लिक सैक्टर में हुआ है, अपने लोगों के द्वारा हुआ है, उसमें खर्चा आधा है कोस्ट पर यूनिट केवल 65 पैसे और पर किलोवाट जो खर्चा आया है, वह आया है 7 हजार दो सौ रुपये और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों में जो खर्चा आता है, वह पर यूनिट कोस्ट आयेगा 8.65 और एक किलोवाट पर आयेगा 32 हजार। किस तरह से आप इससे फायदा करना चाहते हो ? मैं कहना चाहता हूं रिहन्द में एक लाख अड़सठ हजार, 16 हजार 8 सौ है वह। तो इस तरह से हम तरक्की नहीं कर सकते। दूसरा, आप अपने इंजीनियर्स से काम करायेंगे, रिहन्द में आपको सामग्री मिलेगी, सामान मिलेगा और उस सामान को आपके लोग लगायेंगे तो आपके देश की तरक्की होगी। आज बाहर के लोग बुलाओगे, वह रिहन्द को डाउन कर देंगे, पीट देंगे और बाहर से अपनी मशीनरी लायेंगे, बाहर से सामान लायेंगे, हिन्दुस्तान को एक तरह से पीछे धकेलेंगे, इस बात पर आप सही तौर से सोचिये। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आखिर-कार हम जो इस संबंध में बात कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश की हालत क्या है ? हमारे प्रदेश में दो तरह की बात हमारे सामने है। एक तरफ जैसे हम कहते हैं गांवों में बिजली का खंभा तो पहुंच गया, बिजली जली नहीं। इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर गांव गिना दिये, बिजली मिलती नहीं। गांवों में तो हालत यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं मिलती। उनको रात में बिजली नहीं मिलती और फिर आप कह दें ठीक है अब की बार आठ घंटा बिजली दे देंगे। लेकिन कुल मिलाकर बिजली का अकाल हमारे विशेष तौर से ग्रामीण सैक्टर के लोग भुगतते हैं और इसमें कहा गया कि चोरी होती है, तो उसका कारण भी आप खुद हैं। आप नीति बनाइये। जितना दे सकते हैं, करिये। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं दूसरी बात, जनता जो किसान है, उपभोक्ता है, उद्योग है, उनका जहां आपको ध्यान है, वहीं आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि

(श्री नत्थी सिंह)

आपके जो कर्मचारी हैं, उनको भी आप संतुष्ट रखें। यहां एक सवाल आया था, सवाल यह आया कि बहुत धरने हुए हैं, बड़े दिनों से बिजली के इंजीनियर्स के धरने चल रहे हैं, यहां एक सवाल आया उनकी दूसरी मांग है। पहली मांग तो उनकी थी कि हमारे इंजीनियर्स से बनवाओ, निजीकरण मत करो। यह जो फैशन चल गया है, उसमें खतरे ही खतरे हैं, लेकिन एक दूसरी बात उन्होंने कही थी कि समान काम, समान वेतन। उन्होंने कहा था सारे हिन्दुस्तान में टाइम स्केल है, आज उनको 20-20 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता, यहां जवाब दिया गया, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा में मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, क्या यह सरकार का जवाब सही था? इन्होंने जवाब दिया कि नहीं हमारे इंजीनियर्स सिंचाई के, हमारे इंजीनियर्स पी. डब्ल्यू. डी. के हमारे इंजीनियर्स पी. एच. ई. डी. के. उनको जो सुख सुविधा मिलती है, उन सुख सुविधाओं से ज्यादा आर. एस. ई. बी. के इंजीनियर्स को मिलती हैं। क्या आर. एस. ई. बी. के इंजीनियर्स का एक सा काम है? आज पिटते हैं, इंजीनियर्स। सप्लाई कम है, लोड नहीं है, आ नहीं रहा है, यह पिटते हैं, रात दिन काम करते हैं लेकिन उनका काम अगर है तो दूसरे जो स्टेट के इलेक्ट्रिक सिटी बोर्डस हैं, उनका जैसा काम है। इसीलिए उनकी पे स्केल्स का, उनकी मांगों के बारे में जब आप बात करते हो, उनके साथ समानता करिये और फिर देखिये। जहां यू. पी. का आप सबसे कम मानते हैं, हरियाणा हमारे पास में है, उसके हिसाब से करिये। सबसे कम है हमारे यहां, है ही नहीं हमारे यहां! एक बात कही जाती है सैक्टर के बारे में। बहुत कहने लगे हैं मुख्य मंत्रीजी। कहने लगे हैं योजनाएं सैक्टर को दे दो, अन ऑर्गनाइज्ड सैक्टर का ध्यान नहीं रखो। अनआर्गनाइज्ड सैक्टर को तो हम यह दे रहे हैं। किसान को क्या देना चाह रहे हैं? गरीब को क्या देना चाहते हैं? बेरोजगार को क्या कहना चाहते हैं? सैक्टर के साथ भी जब औरों को कर रहे हो आप तो इनके साथ भी आपको न्याय करना चाहिए। हो क्या रहा है? न्याय नहीं कर रहे। आपने कहा उनकी एसोसिएशन का एक अध्यक्ष है, उसको भेज दो पंजाब में। व्यास प्रोजेक्ट पर भेज दो। यह लोकतंत्र है और यह तो वह सरकार है जो हमारे जनता दल के साथ सरकार में आपका समर्थन था और साझीदार थे। हमने कहा था जो काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी हैं, उनको सारे कारखानों में, सारे प्रोजेक्ट्स में सह भागीदारी, भागीदारी होनी चाहिए। आज उल्टी ही बात कर रहे हैं। बातें नहीं करना चाहते, उन लोगों का आप दमन करना चाहते हो और दमन के जरिये दबाना चाहते हो, यह जनतांत्रिक तरीका नहीं है। आप सामने बैठकर बात करिये। आप नहीं करेंगे बात और क्यों? मैं सही कहता हूं जो अभी हमारे माननीय परसादीलाल जी कह रहे थे कि क्या जरूरत है आपको जो रिटायरमैंट पर आ गये लोग, उनको दुबारा लगाया है। चाहे चेयरमैन हो, चाहे अकाउंटस आफिसर हो। आज यही चर्चा का विषय है 200 करोड़ की खरीद होती है। आप

Page No. 144

१५५

(श्री नत्थीसिंह)

दो आदमी तो यह ले आये और 13 आदमी और ले आये, उनकी क्या विशेष योग्यता थी। क्यों लिये हैं ? क्यों लिये हैं ? क्या उनकी उपादेयता थी कि बोर्ड को बहुत जरूरत है। कोई विशेष योग्यता होती तो बात समझ में आती। मर्जीदानों को ले लिया। यह बात गलत है। एक तरफ तो इस तरह की बात है और दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों से बात नहीं करें, यह दोनों बात साथ-साथ नहीं चल सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिरकार यह बिजली का महकमा है। यह हमको प्रकाश देना है, यह तरक्की की तरफ ले जाता है, यह परिवर्तन की लहर लाती है वहां इसमें सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सुरक्षा के लिए क्या ध्यान रखते हैं आप ? इसी सम्बन्ध में एक सवाल उठाया गया था कि जो एल-फार्म देने का काम है, वह किस तरह से किसके जरिये से कैसे दिये जायें, सुरक्षित कैसे रहें और उस पर 15 जनवरी 1979 से एल फार्म के वितरण पर सम्पूर्ण नियंत्रण विद्युत निरीक्षक का हो गया। लेकिन जब 15 मार्च, 1990 के नवभारत टाइम्स में खबर निकली कि शेखावत और जोशी के नाम से भी नकली बिजली के कनेक्शन दे दिये गये, तब हमारी मंत्री महोदया, जो आज बोलेंगी उन्होंने उसकी जांच का भी आदेश दिया, पता नहीं इसका क्या हुआ। आखिरकार नकली एल फार्म संस्थाएं चल क्यों रही हैं उस पर आपका नियंत्रण है क्यों नहीं। इसके पीछे कारण क्या हैं भ्रष्टाचार के सिवाय और कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं आवासन मंडल की निर्देश पुस्तिका के क्रम संख्या, 3 पर यह लिखा हुआ है।

'L' form will be made available to the allottees on the date of possession.

मैं जानना चाहता हूं यह जो आपके आवासन मंडल ने 8 अक्टूबर, 1991 तक एक लाख 531 मकान आवंटित किये, आपने सबको एल फार्म दिये या नहीं दिये। नहीं दिये तो क्यों नहीं दिये। आखिरकार कब और क्यों यह संस्थाएं चलती क्यों हैं ? यहां एक दूसरी अंतिम बात,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपकी घंटी बज रही है, मैं कहना चाहता हूं कि हमने कई बार इस बात को उठाया है। चाहे इनके तार गिर जायें, कुछ भी हो जाये आदमी करंट से मर जायें, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है बार-बार कहने के बावजूद भी कि उनको तत्काल मुआवजा दिया जाये, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तो कोई जिम्मा ही नहीं है। बिल्कुल निरंकुश बना दिया गया है, अनुत्तरदायी बना दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह से जो उनकी नेगलीजेंसी से होता है, जो सफर्र हैं जो उसका नुकसान उठाता है, उसको तुरन्त राहत मिलनी चाहिए और इसका दायित्व होना

(श्री नत्थीसिंह)

चाहिए । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने जो बात कही है, क्या उनके हकों की रक्षा करने के लिये आप तैयार हो ? उस वक्त आप कहते हैं कि हम मजबूर हैं। हम कहते हैं कि फसल बीमा की योजना लाओ । उसके लिये साधन नहीं है । साधन अपना नहीं है और आप उन पर दोष डाल देते हैं लेकिन उनकी मदद नहीं करना चाहते, उनको पैरों पर खड़ा नहीं होने देते । सुनियोजित ढंग से जब तक आपकी योजना होगी नहीं, सुनियोजन का अभाव रहेगा इस तरह से आप कोई मण्डल में, कार्य में सफल नहीं हो सकते । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा गुजांइश की जरूरत है । एक तरफा सोचना नहीं चाहिये । नीति के साथ कैसे बिजली की समस्या का समाधान करें इस तरह से सोचेंगे तभी हम समस्या का समाधान कर सकेंगे । आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री जोगेश्वर गर्ग ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : माननीय सभापति महोदय, यह एक निर्विवाद सत्य है कि अपना प्रांत बिजली की दृष्टि से संकटग्रस्त, समस्याग्रस्त था । उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जो नये लोग उपभोक्ता बनना चाहते हैं उनकी लाइन भी लगातार लम्बी होती जा रही है उसके मुकाबिले में हमारे पास उन्हें देने के लिये बिजली बहुत कम है । पिछले वर्षों में आजादी के बाद 40-45 सालों में लाइनें तो बहुत बिछायी गयी, कनेक्शन बहुत दिये गये पर उन उपभोक्ताओं को हम देंगे क्या ? उसके लिये उत्पादन बढ़ाना चाहिये उसकी चिन्ता जितनी करनी चाहिये थी उतनी नहीं की गयी । उसके कारण आज यह स्थिति बनी है कि लोग थाली लगाये बैठे हैं और उसमें परोसने के लिये हमारे पास खाद्य सामग्री नहीं है । ऐसी हालत हो गयी है कि गरीब किसानों ने अपनी सारी पूंजी लगा कर कनेक्शन लिये और टकटकी लगाये, आश लगाये बैठे रहते हैं पर बिजली नहीं आती । आती हैं तो लो वोल्टेज में आती है, कट जाती है । इस प्रकार से उनको बहुत परेशानी होती है । तो मूल समस्या इसकी उत्पादन की है और उसकी तरफ पिछली सरकारों को जितना ध्यान देना चाहिये था नहीं दिया । मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने अपने कार्य काल में उत्पादन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया । जो योजनाएं वर्षो से बस्तों में बंद पड़ी थी उनको वापस पुनर्जीवित किया, उन पर वापस चर्चाएं शुरू की केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया और अपनी कुशलता से लगभग वह सारी योजनाएं एक-एक करके स्वीकृति के निकट पहुंच रही हैं और वह जब स्वीकृत हो जायेगी और वह योजनाएं चालू होंगी तब जाकर इस प्रांत में बिजली की कमी समाप्त होगी और बिजली की दृष्टि से हम एक रिच स्टेट में आ सकेंगे । ऐसा मेरा विश्वास है । इन प्रयासों के लिये और इन योजनाओं के लिये दूरदर्शितापूर्वक कार्य के लिये राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्रीजी निश्चित् रूप से बधाई के पात्र हैं ।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उत्पादन के साथ-साथ बिजली के उपभोग की जो प्रणाली है उसको भी सुधारना होगा। जहां जितनी आवश्यक है उतनी ही बिजली खर्च हो, उससे ज्यादा खर्च नहीं हो अनावश्यक खर्चा नहीं हो लीकेज नहीं हो। उन सब को रोकने के लिये जो एक बहुत बड़ा विभाग बना हुआ है, विद्युत निरीक्षणालय। उसकी गतिविधियों को और गति देनी होगी, उसकी कार्य पद्धति को और अधिक सुधारना होगा और उसमें कार्यरत अधिकारियों को और अधिक चुस्त बनाना होगा। मुख्य रूप से जो काम है, बिजली की दुर्घटनाओं को रोकना, बिजली की चोरी को रोकना, मीटर में खराबियों के कारण बोर्ड को नुकसान होता है उसको रोकना, उसकी जांच करना। इन सारे कामों पर जितना ध्यान निरीक्षाणलय को देना चाहिये था उतना नहीं दिया। पूर्व में इस पर चर्चाएं हुयी हैं, याद होगा इस सदन को, 20 जुलाई, 1990 का दिन जब इस विवाद पर विस्तृत चर्चा हुयी थी और इस विवाद के जो मुखिया थे, प्रेम नारायण माथुर उन्होंने अपने कार्य में ढील बरतने के आरोप गम्भीरता से लगे थे उसके बाद उन पर राज्य सरकार ने कार्यवाहीं की। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी। पर, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, बिजली मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के व्यक्तियों के कारण यह इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों का इलाज होना चाहिये....

एक माननीय सदस्य : इलाज आयुर्वेदिक या एलोपैथी हो ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : उनके तो बिजली के झटके लगने चाहिये, उनका वही इलाज सबसे बढ़िया हो सकता है। तो उस विभाग को और अधिक गतिशील बनाया जाय तो हम बहुत सारी बिजली की चोरी को रोक सकते हैं। सभापति महोदय, मेरी मान्यता है कि बिजली की चोरी होती है उसमें अधिकांश चोरी में या तो बोर्ड के कर्मचारी खुद करते हैं या वह खुद अपनी मिलीभगत से दूसरों से करवाते हैं। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिये इसके बिना बिजली की चोरी रुक नहीं पायेगी और जो महत्वपूर्ण बिजली हम बड़ी मुश्किल से पैदा करके सप्लाई करते हैं उसको अनावश्यक जाया होने से रोका जा सकेगा।

सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने जिले में बिजली की स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बिजली मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जिले में भू-जल की कोई कमी नहीं है, कुओं में पर्याप्त पानी है और इसलिये वहां कुओं से सिंचाई का काम बहुत अधिक होता पर बिजली के कनेक्शन नहीं होते हैं तो उन्हें महंगी बिजली, महंगे भाव से डीजल पम्प लगाने पड़ते हैं, महंगा डीजल लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनकी जो खेती की प्रोडक्शन कास्ट आती है वह बहुत ज्यादा

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आ जाती है और पर्याप्त लाभ किसानों को नहीं मिल पाता उसके लिए आवश्यक है सस्ती खेती करने के लिये बिजली उपलब्ध हो। सभापति महोदय, लोग बिजली की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त कनेक्शन नहीं मिल पाते। जितने 132 के. वी. के स्टेशन होने चाहिये थे उतने नहीं है। पिछले दो-तीन सालों में द्रुतगति से कार्य होने के कारण रानीवाड़ा में 132 के. वी. का काम, लाइन का काम पूरा हो गया है. सांचौर में 132 के. वी का स्टेशन बनाने के लिये लाइन लग गयी है, जी. एस. एस. का काम शुरु होने वाला है, उम्मेदपुरा का काम शुरू हो गया है लाइन लगने का। इसके साथ-साथ मेरे विधान क्षेत्र में सायला 132 के. वी., जी. एस. एस. स्वीकृत है, स्कीम बनी हुयी है लेकिन अर्थाभाव में उसका काम शुरू नहीं किया गया है उसके लिये मैं विशेष रुप से माननीय बिजली मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाय। मेरे क्षेत्र में इस समय 24.8 मेगावाट का लोड है। वह इतना बड़ा लोड है उसके लिये 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाना बहुत जरूरी है। अभी भी लगभग दो हजार प्रार्थना पत्र लम्बित है. पंक्ति में लोग खड़े हैं और दो हजार लोगों के प्रार्थना पत्रों पर यदि विचार किया जाय तो बहुत सारे लोग इन्तजार में बैठे हैं कि हमको कनेक्शन मिले। उसके लिये नया जी. एस. एस. बनाना बहुत आवश्यक है, इसी के साथ-साथ 33 के. वी. भी आवश्यक है। किलोरी का स्वीकृतशुदा पड़ा है, उसका काम शुरु करवाया जाना चाहिये और बालोतरा में सायला के पास में एक नया जी. एस. एस. बनाया जाना चाहिये इसके साथ ही उम्मेदाबाद और केशरणा में दो 33 के. वी. के जी. एस एस. हैं उन दोनों को जालोर से जोड़ रखा है जिसके कारण उस लाइन पर बहुत ज्यादा लोड हो गया है। मेरा सुझाव है कि उम्मेदाबाद और केशरणा को मण्डवला से जोड़ा जाय क्योंकि मण्डवला लाइन पर बहुत ज्यादा लोड है वहां पर सिर्फ दो ही जुड़े हुए हैं पर उसमें से एक बालोतरा की तरफ से जोड़ा गया है वहां मण्डवला अकेला रह गया है। इसलिए उम्मेदाबाद और केशरणा को 25 के. वी. जी. एस. एस. को मण्डवाला से जोड़ा जाय ताकि सायला लाइन पर लोड कम हो जाये। उससे बालोतरा में जी. एस. एस. आराम से बन सकेगी। ऐसा मंत्री महोदय से आग्रह है। मंत्री महोदय इसका परीक्षण करवाकर निश्चित व्यवस्था करायें। सायला क्षेत्र में आई. पी. एस. स्कीम के तहत स्वीकृत शुदा जो कार्य है उन सब कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाय ताकि उस क्षेत्र में बिजली की समस्या हल हो सके। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि ट्रान्सफार्मर जो होते है उनमें से जो जल जाते हैं उनकी जगह दूसरे अलाट करने का जो सिस्टम है उसमें सुधार करें। पिछले साल 1990 में जालोर जिले में बाढ आयी थी तो बहुत ज्यादा ट्रान्सफार्मर एक साथ जले थे। जुलाई की बाढ़ से जले, रिप्लेस हुए, अगस्त की बाढ़ में फिर जले। 70-80 ट्रान्सफार्मर जले एक ही

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

डिवीजन में जले। गई साल भी 1991 में भी 43 ट्रान्सफार्मर एक डिवीजन में जले थे। रिप्लेसमेण्ट का अभी जो तरीका है वह यह है कि एक्स. ईएन. को मिलता है और वह ए. ईएन. को अलाट है उसमें अनावश्यक विलम्ब होता है। एक्स. ईएन. से ए. ईएन. तक जाने में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। इसके साथ-साथ यह भी हो जाता है कि एक कड़ी बीच में और जुड़ जाती है उसके कारण सभापति महोदय, कहीं-कहीं कुछ अफसर लोग एक्स. ईएन. और ए. ईएन. लोग ट्रान्सफार्मर रिप्लेस करने में चोरी छुपे भ्रष्टाचार करते है।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

उन लोगों को एक मौका और मिलता हैं इसमें एक कड़ी और जुड़ जाती है। मेरा कहना है कि सीधे ट्रान्सफर ए. ईएन. को मिले और सब डिवीजन वाइज मिले। इसके साथ-साथ बिजली कनेक्शन मिलते हैं उनका भी कोटा निर्धारित करने के बाद वह भी ए. ईएन. तक मामला निपट जाना चाहिए। एक्स. ईएन. तक मामला नहीं भेजा जाय तो काम जल्दी हो सकता है और उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा मिल सकेगी।

सभापति महोदय, मैं जो कम्प्यूटर से बिल बन रहे हैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कम्प्यूटर से काम होता है तो सामान्य धारणा यह है कि अच्छा होता है लेकिन दुर्भाग्य है कि बिजली के जो बिल कम्प्यूटर से बन रहे हैं उनमें बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं जो बिल भुगतान हो गया है उसका पैसा भी नये बिल में जुड़कर आ जाता है और मीटर रीडिंग भी गलत आ जाती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इन बिलों को कैसे दुरूस्त किया जाय। सोचें। कम्प्यूटर में यदि गड़बड़ी है तो उसको ठीक करे नहीं मैं न्यूभाव से बनाया जाय आजकल बिल में तो गड़बड़ियों की बहुत शिकायत आ रही है इसको दुरुस्त करने की व्यवस्था की जाय। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर की तरफ विशेष ध्यान दें। मंत्री महोदय उपभोक्ता की दृष्टि से ऐसा क्षेत्र है जो विभाग को बहुत कमाई देता है बोर्ड को भी उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सभापतिजी, गला बैठ रहा है, इसलिए क्षमा चाहता हूं।

सभापति जी, 1990-91 में जब बजट की मीटिंग हुई थी तब हमने आपसे निवेदन किया था कि एक तो तुरन्त योजना समाप्त करने की और दूसरी थी वह थी आई. ए. एस. को हटाकर टेक्निकल आदमी लायें। मैं आपकी सराहना करता हूं माननीय मंत्रीजी आपने हमारी मांग को स्वीकार किया। आप इस तुरन्त योजना को तुरन्त करें। चूंकि इसमें बड़े-बड़े लोगों के ही कुओं को कनेक्शन मिलता था। 25 हजार से 60 हजार तक वह जमा करा

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

सकता था। आज हालत यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, बड़े शहरों में जनसंख्या बढ़ गयी है इसलिए बड़े-बड़े धनाढ्य लोग गांवों में जमीन लेकर फार्म बना रहे हैं और उनकी कोई परवाह नहीं होती है। पचास हजार में कनेक्शन लेने में।

दूसरी बात पूरे एक साल तक एक आई. ए. एस. अधिकारी को आपने अध्यक्ष बनाया। उनको यह पता नहीं था कि मुझे किस किस्म का कौन सा पावर का ट्रान्सफार्मर खरीदना है। उन्होंने 63 के. वी., 25 के. वी, 100 के. वी. का ट्रान्सफार्मर खरीद लिये और जो खरीदना चाहिए था ई. एच. वी. का वह नहीं खरीदा। अगर वह ट्रान्सफार्मर नहीं खरीदा जाता है तो छोटे ट्रान्सफार्मर की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए आज हालत यह हो कि हमारे जितने ट्रान्सफार्मर फूंके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस दरमियान गलत ट्रान्सफार्मर खरीदे गये थे। मंत्री महोदय, मैं इस संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरे साथी कुछ माननीय सदस्यों ने यह आक्षेप लगाया है कि एक टेक्निकल आदमी जो रिटायर हो गया उसको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। मेरा इसमें दूसरा मत है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो इंजीनियर की कोई उम्र नहीं होती है जो टेक्निकल आदमी है उसको निश्चित तौर पर उस टेक्निकल पद पर बैठाना चाहिए। जैसे अभी-अभी पी. डब्ल्यू. डी. में सेक्रेटरी लोहारिया को बनाया। इसी तरह से पी. एच. ई. डी. इरिगेशन में भी और जहां भी टेक्निकल काम हो वहां पर टेक्निकल आदमी को अध्यक्ष या सेक्रेटरी बनाना चाहिए।

मैं कह चुका हूं कि जिस तरह भारत सरकार को आज वित्तीय मामलों में मनमोहन सिंह की आवश्यकता है उसी तरह इस राजस्थान में टेक्निकल आदमी की इस बोर्ड को बहुत भारी आवश्यकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं आज चेयरमैन की बडाई की बात नहीं करता हूं, लेकिन इस पद पर कोई टेक्निकल रहे, उसकी ऐज से कोई मतलब नहीं है और दूसरी बात यह कि जब तक वह काम कर सकता है उसकी टेक्निकल फिटनेस है निश्चित तौर पर उनको काम करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि बिगड़े हुए काम को जो एक आई. ए. एस. ने बिगाड़ा था उस काम को एक साल में आपके मण्डल ने ठीक किया है। आप यह कहेंगे मण्डल की तारीफ कर रहा हूं। तारीफ की बात नहीं। मुझे पता है कि जब चेयरमैन आई. ए. एस. को बनाया था तो चार घण्टे 1990-91 में बिजली मिली थी पर पिछले वर्ष में हो सकता है कि बिजली की थोड़ी कमी से 8 घण्टे बिजली सप्लाई नहीं की लेकिन मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर राजस्थान में 8 घण्टे बिजली सप्लाई की गयी है।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह बात सही है कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। उन गांवों में बहुत से गांव महरूम रह गये। या तो वहां पर सामान की वजह

150

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

से या कोई वजह से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन गांवों को विद्युतीकरण में ले लिया गया है उनका अगले अप्रेल में पूरा विद्युतीकरण कर दिया जाय। यह सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है जो हमारे यहां के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करती है वह यह है कि चन्द ए. ई. एन. और जे. ईएन. जो गड़बड़ करते हैं या पैसा खाकर कनेक्शन देते हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। जो मैरिट लिस्ट बनाई जाती है, डिमाण्ड नोटिस निकाले जाते है कुओं पर कनेक्शन देने के लिए उनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। होता क्या है कि वहां से डिमाण्ड नोटिस इश्यू करते हैं और चस्पा दिखा देते हैं और फाड़ कर फेंक देते हैं। अगर उनको प्रायरटी को खत्म करना होता है तो दूसरे, तीसरे को डिमाण्ड नोटिस भेज देते हैं और यही कारण है सबसे बड़ा कि जो ए. ईएन. और जे. इएन. होते हैं जो कनेक्शन को सैंक्शन करने के लिए अधिकृत होते हैं बड़ी भारी बेइमानी करते हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो डिमाण्ड नोटिस या प्रायरटी की लिस्ट बनें जिसके नाम से डिमाण्ड नोटिस इश्यू हुआ हैं उसके खुद के जब तक दस्तखत न हो जाएं तब तक उस कनेक्शन को निरस्त न किया जाए। मेरा एक यह भी निवेदन है कि अगर उस किसान के कुएं में पानी सूख गया है और पानी के लिए नया कुआं खोदने में दो चार छः महीने लग सकते हैं या उस कुएं को ठीक करने में लग सकते है तो उसको यह सुविधा होनी चाहिये कि वह कनेक्शन को काटने के लिए एप्लाई कर दे और उसके बाद जब पानी आ जाए तो उसके कुएं को तुरन्त रीकनेक्शन दिया जाना चाहिये, मंत्री जी यह मेरा आपसे सुझाव है। मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में चाहे हिन्दुस्तान में विशेषतः राजस्थान में विद्युत के उत्पादन की भारी कमी है। विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं यह उनके सोचने की बात है लेकिन यह बात निश्चित है कि जितना उत्पादन हो रहा है, मांग उससे कहीं अधिक बढ़ रही है। अगर हम हमारे सब किसानों को कनेक्शन दें तो आज जो हमारी बिजली उत्पादन है उससे कहीं अधिक हमारी वितरण प्रणाली को आगे बढ़ाना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे गांवों के किसान हैं उनकी 80 से, 85 से, 82 से प्रायरटी लिस्ट पैन्डिग है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी उनके कुओं की एप्लीकेशन्स पैन्डिग पड़ी हैं उनको इस साल चाहे आपको ज्यादा कनेक्शन देने पड़े, वह आपको देने चाहिये और 31 मार्च तक जो विद्युत मण्डल ने कुओं के टार्गेट निश्चित किए थे उन टार्गेट्स को निश्चित तौर पर पूरा करना चाहिये। सभापति महोदय, मैं इस संदर्भ में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यूनियन्स हैं, सही बात तो यह है कि वह अपनी कुछ गलत बातें मनवाना चाहती है और उनके अध्यक्ष या उनका जो भी प्रभारी है उन्होंने अभी पिछले महीने फरवरी, मार्च में बड़ा भारी प्रदर्शन

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

किया था कि हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल के नाम पर करोड़ों रूपया उन्होंने लोगों से चन्द किया और हुआ क्या। जयपुर में आये....

श्री हेतराम बेनीवाल : करोड़ों रुपया ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : हां, लाखों करोड़ों रूपया चन्दा किया क्योंकि अलवर में हमारे पास भिवाड़ी भी है, अलवर में एम. आई. एरिया है, तीन-तीन इण्डस्ट्रियल एरिया है वहां से बहुत पैसा आया है और हुआ क्या, जो हड़ताल की बात कही थी वह फेल हो गई चन्दा उनके पास रह गया। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि किसी अधिकारी को सजा देनी हो तो उसको पंजाब ट्रांसफर कर दिया जाता है मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में कोई अधिकारी जाएगा और जिस अधिकारी की तरफ इनका इशारा था वह अधिकारी तो हाइकोर्ट में भी चला गया वहां से भी उसको स्टे नहीं मिला, आखिर जाते क्यों नहीं। इस लिए गड़बड़ करते हैं और इनको व्यक्तिगत काम होते हैं। मैं आपसे इस संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अगर हड़ताल होती तो राजस्थान का क्या होता। इस लिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, उत्पादन और वितरण यह सबसे बड़ी हमारी समस्या हैं। जितना हमारा उत्पादन है उससे कहीं ज्यादा हमारा वितरण है। आज जो हालात है हमारे ट्रांसफार्मस बहुत अधिक मात्रा में जल जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि बिजली में फ्लकचुयेशन आता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब तक फ्लकचुयेशन का हल नहीं करेंगे, यह ट्रांसफार्मर्स जो छोटे-छोटे दुकान दारों से, छोटी फर्मों से, खरीदे जाते हैं वह तुरन्त जल जाते हैं। मैं बहरोड़ की मिसाल दूंगा कि इस वर्ष सैंकड़ों ट्रांसफार्मस एक साथ जल गये....

(3.44 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किसानों ने आन्दोलन भी किया था। इस लिऐ मेरा आपसे निवेदन है कि यह ट्रांस-फार्मरस अधिक नहीं फुंके इसकें लिए आपको व्यवस्था करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक कार्यसूची हमको अभी वितरित की गई है और इसमें तीन विधेयकों को पुरःस्थापित करने के लिए सम्बन्धित प्रभारी मंत्री जी यहां पर यह प्रस्ताव लाये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे काम्प्रीहेन्शन के बियाण्ड है। आज इस सत्र का आखरी दिन है और आखरी दिन इस तरह से तीन-तीन बिल का इन्ट्रोडक्शन के लिए लाना इस बात का द्योतक है कि एडवांस में राजस्थान की सरकार इस सदन को यह सूचना देनी चाहती है....

(3.45 म. प.)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री परसराम मदेरणा)

कि हम यह बिल्स लाये हैं और अगर यह बिल्स यहां पर लाये हैं और पारित कराने है तो अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि इन बिल्स को पास कराने के लिए दो तीन दिन के लिए सत्र को बढ़ाया जाना चाहिये अन्यथा यह होगा कि आप एडवांस में सावरन राइट का इस बात का इन्टीमेशन ले रहे हो। आज सत्र का सत्रवसान हो रहा है सत्रावसान के समय बिल लाकर के हम आर्डिनेंस लाना चाहते हैं। इसका मतलब आप असेम्बली को बाइपास करना चाहते हैं, इसका मतलब जो असेम्बली का सावरनराइट है उन पर आप कुठाराघात करना चाहते है और लेजिस्लेशन करने का जो इस सदन का प्रथम अधिकार है उस अधिकार से इस सदन को वंचित करना चाहते है। मैं ऐसा नहीं समझता कि कभी भी पहले पिछले 40 साल के इस विधान सभा के इतिहास में आखरी दिन जो सकुंलेशन के जरिये इन्टीमेशन दी कि हम इन बिल्स को यहां पर पुरःस्थापित कर रहे है और हम पारित नहीं कराना चाहते हैं तो यह सरकार इस सदन का क्यों लाफिंग स्टाक बनाना चाहती है, मेरी समझ के बाहर की बात है और सदन के साथ-साथ विशेषज्ञों का और इस लिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पाईट ऑफ आर्डर उठाया है। इस सम्बन्ध में आपसे हम व्यवस्था चाहते है।

श्री अध्यक्ष : आपका यह कहना सही है कि बिल पेश करने के बाद आर्डिनेंस लाने का सवाल नहीं है जब तक बिल वापस विदड्रा नहीं कर लें। जब तक बिल हाउस में पैन्डिंग रहेंगे, विदड्रा होने के बाद ही आर्डिनेंस ला सकते है। यह कभी नहीं हो सकता कि बिल पैन्डिंग हो और आर्डिनेंस ले आये। अभी मुझे सरकार ने सूचित किया है कि यह पास कराने के लिए नहीं, पुरःस्थापित करने के लिए उनका विचार था लेकिन सरकार अब पुरःस्थापित भी नहीं कर रही है....

श्री परसराम मदेरणा : पुरःस्थापित के लिए आया है....

श्री अध्यक्ष : वह अब पुरःस्थापित नहीं कर रहे है।

श्री परसराम मदेरणा : फिर, अध्यक्ष महोदय, यह सकुंलेट क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : सकुंलेट करने के बाद यह निश्चित किया है पुरःस्थापित नहीं करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी अनुमति से हुआ होगा। ऐसे तो सकुंलेट नहीं हो सकता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपके मन की भावना टेलिपैथी से पहुंच गई....

श्री अध्यक्ष : दूसरा बुलेटिन भी आपको मिल जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : टैलीपैथी में तो आप माहिर हैं। अगर टैलीपैथी स्पीकर साहब के पास चहुंच गई....

श्री अध्यक्ष : It was avalid point of order. The point of order was valid.

(श्री अध्यक्ष)

और इसलिए यदि बिल पेश होता तो आर्डिनेंस लाने का सवाल ही नहीं था या पास होना चाहिये वरना आर्डिनेंस लाने का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता यह जब तक वह इसकी विथड्रा नहीं करते और विथड्रा बिना हाउस से हो नहीं सकता....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आर्डिनेंस लाने की सूचना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डिनेंस नहीं ला सकते।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एप्रीहेन्शन है। हो सकता है सरकार इसमें सलेक्ट कमेटी बनाना चाहती हो। पुरःस्थापित करने के बाद ही तो सलेक्ट कमेटी बनायी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह कुछ नहीं था। असल में सरकार का क्या उद्देश्य है, सरकार बताएगी लेकिन कानूनी पोजीशन यही है कि बिल पेश करने के बाद जब तक उस बिल को विथड्रा नहीं किया जाय तब तक आर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी टेलीपैथी फ्लक्चुएट करती है, मंत्री महोदय, या आपके विचार क्या हैं, आपकी इण्टेंशन क्या है यह अध्यक्ष महोदय को पता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : मुझे बता दिया गया है कि पुरःस्थापित नहीं कर रहे हैं। बुलेटिन जारी हो रहा है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (अनुपस्थित)।

श्री रामेश्वरदयाल यादव।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विद्युत मण्डल पर चर्चा हो रही है और उस चर्चा में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। मैं बता रहा हूं, एक तो अभी साढ़े चार बजे खेल मंत्रीजी एक स्टेटमेण्ट जो मैंने कहा था, देंगे। और, 50 आदमी बोलने वाले हैं, मेरे पास सब मिलाकर 50 की सूची और आठ आदमी बोल लिये हैं। इसलिए बोलते समय थोड़ा समय का ध्यान देखें। इम्पोर्टेण्ट पाइण्ट उठाइये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आदमी नहीं माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। सॉरी।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अब तक माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं ..

श्री अध्यक्ष : सदस्य आदमी नहीं हैं, मुझे आज पता चल गया।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : इस चर्चा में कुछ सुझाव दिये जाते हैं, कुछ आरोप लगाये जाते हैं और कुछ अनियमितताओं की बात होती है। यह स्वाभाविक है। मेरा कहना, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि निश्चित तौर से हमें वास्तविकता की जानकारी सदन को देनी चाहिए। जब वास्तविकता की बात पर हम आते हैं तो मैं यह सन्तोष व्यक्त करना चाहूंगा कि गत वित्तीय वर्ष में, अगर लम्बे समय से तुलना करें तो, विद्युत की सप्लाई राजस्थान में

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

सन्तोषजनक रही है। भले ही सरकार ने या विद्युत मण्डल ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया हो लेकिन शायद सरकार या विद्युत मण्डल इसमें सफल नहीं हो पाया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विद्युत मण्डल में आपने अच्छे अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं। आई. ए. एस. के मुकाबले टेक्निकल व्यक्ति को आपने चेयर-मैन अपाइण्ट कर रखा है। इन सारी बातों के बावजूद अगर हम कनेक्शन देने की गिनती को देखें तो जहां सरकार ने बजट में 25 हजार कनेक्शन राजस्थान में देने का वायदा किया था वहीं मात्र लगभग 13 हजार कनेक्शन अगर रिलीज होते हैं तो निश्चित तौर से एक सोच का विषय है। गांवों में चर्चा होती है, यहां भी हम चर्चा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी जैसे पहले इफैक्टिव थे काम करने में, अब काफी बुड्ढे हो गये इसलिए राज चलाना शायद उनके बस का रोग नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान विद्युत मण्डल के चेयरमैन रिटायर्ड पर्सन हैं। एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने शायद दुबारा मण्डल में आने का निवेदन भी नहीं किया था, लेकिन उनकी काबलियत को मद्दे नजर रखते हुए राज-स्थान सरकार ने उनकी सेवाएं पुनः राज-स्थान में लेकर राजस्थान विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति और राजस्थान की विद्युत सप्लाई की स्थिति को सुधारने का काम किया है। जैसी मुख्य मंत्रीजी के बारे में चर्चा है, हो सकता है दवे साहब के बारे में भी ऐसी चर्चा हो कि काफी बुजुर्ग हैं, जो काम्पीटेंस आफ वर्क उनकी आज से 10 साल पहले थी वैसी आज नजर नहीं आती, इन कनेक्शनों की अगर हम तुलना करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को निश्चित तौर से चिन्तित होना चाहिए कि जो टार्गेट हमने बजट में दिये उनको हम 31 मार्च तक क्यों नहीं पूरा कर सके। इसके मायने हमने वर्क का मानिटरिंग नहीं किया, इसके मायने हमने कोई मन्थली टार्गेट फिक्स नहीं किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम जहां एक अप्रेल से 31 मार्च तक कनेक्शन देने का काम करते हैं, उसको मात्र जनवरी में ही शुरू करते हैं। 9 महीने तक हम कोई काम ही नहीं करते। यह सारी व्यवस्था को देखने की बात है, उसमें सुधार करने की बात है।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा-सा माननीय सदस्य ने....

श्री अध्यक्ष : आप जवान हैं, आपको बुड्ढा नहीं बता रहे हैं वे। इसलिए वे आपको सलाह दे रहे हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सदस्य को शायद कुछ भ्रम हो गया है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय मंत्रीजी, मेरे को कोई भ्रम नहीं है। अगर आपको भ्रम है तो मेरे पास यह सारी इन्फार्मेशन है। जो रिकार्ड आपने दिया है....

श्री अध्यक्ष : इन्फार्मेशन दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए क्या इन्फार्मेशन दे रहे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : या तो यह रिकार्ड अधूरा है, जैसी कैलाशजी मेघवाल बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : आप क्या इन्फार्मेशन दे रहे हैं ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस दफा ग्रामीण विद्युतीकरण की कुओं का लक्ष्य 25 हजार का दिया गया था। आपने यह भी कहा कि 13 हजार कनेक्शन ही दिये गये हैं। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि 25 हजार कनेक्शन इस दफा दे दिये गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री रामनारायण विश्नोई : आपकी 13 हजार की बात गलत है। आप इसी आधार पर आगे फिर बहस करें।

श्री अध्यक्ष : वे रिपोर्ट के आधार पर बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्रीजी ने कहा कि हमने 25 हजार कनेक्शन दे दिये। जो भी कुल मिलाकर स्थिति है कि हमने राजस्थान में 25 हजार कनेक्शन दे दिये। आपने जो रिकार्ड हमारे सामने पहले प्रस्तुत किया है उसके अन्दर आपने जनवरी तक 12996 कनेक्शन दर्ज किये। इसके मायने हम यह समझें कि आपने दो माह में 12 या 13 हजार कनेक्शन और देने का काम किया है ? ये आंकड़े, माननीय अध्यक्ष महोदय, सही नहीं हैं, विश्वसनीय नहीं हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : ये सही है, पैसे लेकर दिये हैं एक ही महीने में।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : ये दो महीने में नहीं दे सकते। इसलिए, माननीय विद्युत मंत्रीजी, बीच में इण्टरवीन करके इस बात का जो प्रयास आपने सदन में जो किया है कि हमने 25 हजार कनेक्शन दिये हैं, मेरा आपसे सुझाव है कि आपको जो सूचना विभाग से मिली है उस पर आप पुनर्विचार करें, उसको और देख लें और अपने जवाब में इसको और स्पष्ट करें।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने भी वही रास्ता अपना लिया है जो पिछली सरकार ने अपना रखा था। विद्युत के मामले में जैसे पिछली सरकार कहा करती थी कि हमने मिनिमम चार्ज खत्म कर दिया, लेकिन जब 31 मार्च नजदीक आता था तो उस आर्डर को विथड्रा कर लेते थे। इसी सरकार ने सदन में घोषणा की, सदन के बाहर घोषणा की कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, हमने किसानों के मिनिमम चार्ज को खत्म करने का काम किया है। मेरा प्रश्न, विद्युत मंत्रीजी, आपसे यह है कि जब वर्ष का अन्त होने वाला था आपने वापस मिनिमम चार्ज लगाने का काम क्यों किया ? अभी 6–7 रोज पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हिण्डौन गया। हिण्डौन और महुआ के काश्तकारों ने जैसे ही मुझे अवगत कराया, मैंने कहा, मिनिमम चार्ज खत्म होना

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

चाहिए। वहां किसानों और इंजीनियरों के बीच मतभेद हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप रोजाना आदेश जारी करते हैं। चाहे बोर्ड के अधिकारी हों, चाहे सरकार में बैठे लोग हों, उनका एक ही काम है, रोजाना कोई न कोई आदेश जारी करते हैं। आई. पी. एस. योजना में आपने बार-बार इस तरह के आदेश जारी किये। पिछले 31 मार्च के 6–7 रोज पहले मैम्बर, टैक्निकल ने एक आदेश जारी कर दिया कि आई. पी. एस. के जो डी. एन. जारी हुए हैं उसके पैसे जमा नहीं किये जायं। या तो उन्होंने स्पष्ट आदेश नहीं किये या उनके आदेश को राजस्थान विद्युत मण्डल के इंजीनियर्स ने समझा नहीं। एक वायरलैस मैसेज भेज दिया, माननीय विद्युत मंत्रीजी, आपको जानकार अचम्भा होगा कि राजस्थान के किसान डिमाण्ड नोट लिये घूम रहे हैं और पैसा जमा नहीं हो रहा है। इसी सरकार ने सदन में कहा था कि आई. पी. एस. के कनेक्शन नये नहीं देंगे, दुबारा रजिस्टर नहीं करेंगे नाम। लेकिन जिन्होंने एक हजार रुपये जमा करा दिये, जिन्होंने सिक्योरिटी जमा करा दी उनको हम कनेक्शन देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन किसानों के डिमाण्ड नोट जारी हो गये उनके पैसे जमा करने के बारे में जो रोक लगायी है मैम्बर टैक्निकल ने, उस आर्डर को आप विथड्रा कीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आपको जानकारी नहीं हो तो 5-3-1992 का यह जो आदेश है उसको मंगवा लीजिए और उस आर्डर को विथड्रा कर लीजिए। वर्ना राजस्थान के हजारों किसान, जिनके हाथ में डी. एन हैं, पैसा जमा कराने से महरूम रह जाएंगे। 30 दिन निकल जाएंगे और उनको कनेक्शन नहीं मिल पाएंगे।

(4.00 म. प.)

मिनिमम चार्जेज के बारे में मैं कह रहा था, आप वर्ष की शुरूआत में यह घोषणा कर दीजिये कि अगले साल मिनिमम चार्जेज लेंगे या नहीं लेंगे और उसको फालो-अप पूरे साल कीजिये। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सर्विस लाइन या वन पोल के जो कनेक्शस हैं, उसके बारे में सरकार की क्या मंशा है ? यह निश्चित है कि प्रायोरिटी के कनेक्शन को ही कनेक्शन मिलने चाहिये लेकिन यह बात भी सही है, जहां एक तरफ विद्युत मण्डल और विभाग चोरी की बात करता है, मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान में जो वन पोल-टू पोल के कनेक्शंस हैं, या 100 मीटर तक के कनेक्शन हैं या सर्विस कनेक्शन हैं, उनको निश्चित तौर से आपको जनरल कनेक्शन के साथ प्रायोरिटी पर लेकर कनेक्शन देना चाहिये। वरना क्या होगा कि आवश्यकता जब पड़ेगी किसान को या किसी भी उपभोक्ता को, वह इस बात का प्रयास करेगा कि कम से कम पैसा खर्च हो, वह बिजली की चोरी करेगा और बिजली बोर्ड को नुकसान होगा और किसान की जेब से 250 रुपये का जो मन्थली बिल है, उसकी एवज में विद्युत मण्डल का कोई कर्मचारी 250 के मुकाबले 200-300 रुपये वसूल करेगा। मेरा एक यह सुझाव है कि आप इस साल की नीति निर्धारण करते वक्त यह ध्यान रखे कि वन पोल-टू पोल या

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

सर्विस कनेक्शन या 50 मीटर, 100 मीटर, जहां से लाइन गुजर रही है, उसके नीचे कुएं हैं, ऐसे अगर कनेक्शंस हैं तो उसको एग्जामिन करवा लीजिये। हां, यह हो सकता है कि आप नई एप्लीकेशंस नहीं लें लेकिन जो 1982 से पेंडिंग फार्म्स हैं, उनमें एस्टिमेट बनाकर देख लें, 100 मीटर से कम है, 200 मीटर है या 150 मीटर या 50 मीटर के हैं या सर्विस कनेक्शन है, सरकार कोई नीति निर्धारित करें और अगर उनको कनेक्शन दिया जा सकता है तो जैसा कि प्रोविजन करते हैं कि उपभोक्ता को इतना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा प्रोविजन कीजिये। बोर्ड को भी नफा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब है उसमें सुधार होगा। मेरा आपको सुझाव है कि नीति निर्धारित करने से पहले इस पर विचार करना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो शिफ्टिंग का मामला है, एक किसान शिफ्टिंग की एप्लीकेशन देता है कि मेरे इस कुएं में पानी कम हो गया मैं दूसरे कुएं में जिसकी मेरी खातेदारी है, कनेक्शन लेना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान की शिफ्टिंग की एप्लीकेशन मूव होने के बाद उसको उतने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं जितने नये कनेक्शन के बारे में। गांवों में कहावत है कि यह तो हाई कोर्ट का केस हो गया—जितना कि जैसे 2 साल 5 साल चक्कर लगाने के बाद हाई कोर्ट से फैसला होता है, वैसे ही बिजली बोर्ड में शिफ्टिंग एप्लीकेशन के डिस्पोजल में भी उतना टाइम लगता है। इसलिये मेरी सलाह है कि आप इसमें कोई अवधि तय कीजिये कि शिफ्टिंग की एप्लीकेशन है, उसका एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में निश्चित तौर से डिस्पोजल होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि फसल के दौरान कनेक्शन नहीं काटने चाहिये किसी भी सूरत में। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में इस तरह की कोई ज्यादा शिकायत भी नहीं आयी है लेकिन यह पहले भी सरकार ने घोषणा कर रखी है कि फसल के टाइम कनेक्शन नहीं काटे जाने चाहिये और बिजली बोर्ड का जो बकाया पैसा है, उसको निश्चित रूप से वसूल करना चाहिये। मई-जून में फसल आ गई, आप खूब वसूल करें, कोई तकलीफ नहीं है, हम भी नहीं बोलेंगे बल्कि हम राजस्थान विद्युत मण्डल से इस बात के लिये कॉआपरेट करेंगे कि उसका जो बकाया पैसा है, वह मिले।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लोड रिडक्शन या लोड एडिशन की जो फाइल है, एक-एक, दो-दो साल तक पेंडिंग रहती है। मेरा निवेदन है कि विद्युत मण्डल को, राज्य सरकार को नीति निर्धारित करनी चाहिये कि लोड रिडक्शन और एडिशन की जो फाइल है, उसका निश्चित रूप से इतने दिन में इन्स्पेक्शन करके डिस्पोजल होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एक किसान ने 5 हार्स पावर के बजाय साढ़े 7 हार्स पावर का कनेक्शन करने के लिये एप्लाई कर दिया और 'एल' फार्म दे दिया। 'एल' फार्म देने का मतलब होता है कि उसने 5 के बजाय साढ़े 7 हार्स पावर की मोटर लगा ली है और कंजम्प्शन

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

चालू कर लिया है। साढ़े 7 से 5 करवाना चाहता है तो उसने मोटर लगा दी 5 की और कन्जम्प्शन कम लेना चालू कर दिया और उसको 'एल' फार्म दे दिया। वह किसान 2 साल तक घूमता रहे, जो फाइल है लोड एडिशन और रिडक्शन उसका अगर डिस्पोजल नहीं हो तो निश्चित तौर से उससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का जन्म होता है। इसलिये मंत्री महोदय आपको यह देखना चाहिये और इसमें कोई निश्चित अवधि तय करनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक एग्जाम्पल पुट-अप करूंगा आपके सामने। आज सुबह एक किसान मेरे पास आया और उसने कहा कि एम. एल. ए. साहब, मैंने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, मैं दो साल से चक्कर लगा रहा हूं कि मेरे पैसे जमा करो, मुझे बिजली बोर्ड बिल नहीं देता है, यह कहता है कि आपने कोई कनेक्शन ही नहीं ले रखा। बड़ी विचित्र स्थिति है। मेरे कहने का मतलब है कि रिकार्ड पर कोई बात ऐसी हो, अगर किसान आपके रिकार्ड को देख लें, उसकी सिक्योरिटी जमा है, आपने कनेक्शन जारी कर रखा है, अगर मिस्टेक से या कम्प्यूटर से बिल जारी नहीं होता है, वह कम से कम 10 बार 20 बार बिजली बोर्ड आता है और यह कहता है इन्जीनियर के सामने कि मेरा, साहब, देखो और इंजीनियर उसको दुरुस्त भी नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। किसान कहता है काउण्टर पर जाकर कि मेरा पैसा जमा करो। बिजली बोर्ड कहता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह के जो मामले हैं, इनको पायोरिटी पर लेना चाहिये। इससे बोर्ड को जो नुकसान हो रहा है उसमें कमी होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं अन्त में कुछ सुझाव और भी देना चाहूंगा कि जो कनेक्शन देने की प्रक्रिया है, उसमें प्रायोरिटी का जो मामला है, फर्स्ट प्रायोरिटी को डील-विद करना चाहिये। नीति निर्धारण में जो सबसे पुराना कनेक्शन है, सबसे पहले उनको मिलना चाहिये। दूसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 31 मार्च, 1992 तक जिन किसानों के पैसे जमा है, उनके लिये पहले एक नीति निर्धारित कर देनी चाहिये कि हम 30 जून तक जिनकी सिक्योरिटी जमा है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर कनेक्शन देंगे ताकि इस पीरियड में और जितना जो आपका प्रोसीजर है, उसको फालो-अप करके और जुलाई-अगस्त से नये जो डी. एन. हैं, उन्हें आप कनेक्शन देना चालू करें ताकि लोगों को किसी प्रकार से भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़े और कुछ रिकण्डेशन नहीं करानी पड़े।

एक मैं यह कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में यह समस्या नहीं है। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे क्षेत्र में जितने एस. सी. एस. टी. के टार्गेट इस साल दिये थे, वे 100% एचीव किये हैं। मेरे क्षेत्र में मुश्किल से कुछ एस. सी. एस. टी. की पेंडिंग एप्लीकेशंस हो सकती है बाकी 100% एचीवमेंट हैं। जितने फार्म एस. सी. एस. टी. के आये थे, उनको सबको कनेक्शन दिये गये हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि 31 मार्च, 1985 तक एस. सी. एस. टी. के पेंडिंग एप्लीकेशंस

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

है उनको निश्चित तौर से प्रायोरिटी पर लेना चाहिये। हम यह देखें, 2 साल-3 साल तक लैफ्ट-राइट कराते रहे, उसमें भी निश्चित रूप से सुधार करना चाहिये।

एक वन पोल-टू पोल और सर्विस लाइन के बारे में आपको विचार करना चाहिये।

एक, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आई. पी. एस. के कनेक्शन के बारे में सदन में यह कहा गया है कि जिनके पैसे जमा हैं, 1000 रुपये, उनको कनेक्शन देंगे। जो मैम्बर (टेक्नीकल) का आर्डर है, उसको आप विथड्रा कीजिये। जिनके 1000 रुपये जमा है, उन्हें आप प्रायोरिटी पर कनेक्शन दिलाने का काम करे। कुछ डिस्प्यूटेड कनेक्शन राजस्थान में ऐसे है, कानूनी मुद्दा है कि उनका डिस्प्यूट जब तक हल नहीं हो, उस क्षेत्र में कनेक्शन नहीं हो सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय यहां नहीं है लेकिन वे और मामलों में तो इण्टरवीन करते हैं लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे उनके क्षेत्र के हैं, जिनकी या तो उन्हें जानकारी नहीं है या इण्टरवीन नहीं कर पाते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप सहयोग कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं कर रहा हूं बिल्कुल। जयपुर जिले का मामला है। जैसे आप कोटा में करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शाहपुरा सब-डिवीजन के अन्दर 11 किसान ऐसे थे कि उनके नीचे वाले जो कन्जूमर थे, उन्हें कनेक्शन देने का, डी. एन. जारी करने का काम किया। वे बिजली बोर्ड में जब लैफ्ट-राइट करने के बाद मजबूर होकर अदालत में उन्होंने शरण ली। अदालत ने स्थगन आदेश जारी किया कि इन 11 एप्लीकेंट्स के बाद में जो कन्ज्यूमर्स है, उनको तब तक कनेक्शन नहीं दिये जाय जब तक उनके कनेक्शन रोके जाते हैं। शाहपुरा सब-डिवीजन में 124 किसानों के डी. एन. जारी हुए, उनके पैसे जमा हो गये, फिर 11 किसानों के कोर्ट में जाने की वजह से वे मामले रुक गये। अब पिछले वित्तीय वर्ष के अन्दर वन पोल-टू पोल की स्कीम थी नहीं। मेरा इन डिस्प्यूटेड मेटर्स को हल करने का निवेदन इसलिये है कि जब कोर्ट का मैटर्स है, 11 किसानों की वजह से 124 किसानों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि अगर ये कोर्ट में कम्प्रोमाइस के रूप में 11 किसानों को कनेक्शन दे देते और वह 124 को भी दे देते तो 135 किसानों को कनेक्शन मिल जाता और इनका टार्गेट भी पूरा हो जाता। 124 किसानों ने जो 2 साल पहले पैसे जमा करा रखे हैं, उनको आज तक पैसा जमा होने के बावजूद कनेक्शन नहीं मिले। इस तरह के डिस्प्यूटेड मैटर्स जो हैं, इनको भी हल करने के लिये निहायत जरूरी है कि आप कोई भी कनेक्शन देने की नीति निर्धारित करें उसमें ऐसे मामलों को सम्मिलित करें।

एक मैं यह कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति जब मरता है तो उसकी खातेदारी की जो जमीन है, उसके

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

सक्सेसर के नाम हो जाती है। राजस्थान विद्युत मण्डल के जो उपभोक्ता हैं, 10 साल-20 साल पहले मौत हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी के नाम से वह कनेक्शन नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव है कि मृत्यु होने पर, भूमि का विक्रय होने पर....

श्री अध्यक्ष : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन 20 मिनट हो गये हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : भूमि का बंटवारा होने पर, कोर्ट का निर्णय होने पर, ऐसे हालात के अन्दर वह कनेक्शन उपभोक्ता के नाम से कर दिये जाने चाहिए।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आगमेंटेशन स्कीम के लिए जब कंज्यूमर का भार बढ़ता है तब ही हम आगमेंटेशन स्कीम बनाते हैं जिससे एच. टी. और एल टी. लाइन जो ओवर लोडेड है, जहां पर पिछले 2–3 वर्षों में कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं वहां बोर्ड को सुओमोटो आगमेंटेशन स्कीम बनाकर उन किसानों के सारे मामले हल करने चाहिए।

मैं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत मण्डल का जो ढांचा है उसको ठीक करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह भी सलाह देना चाहता हूं कि जहां जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है इसको निश्चित तौर से दो भागों में डिवाइड करना चाहिए, इसको अलग-अलग ढंग से टेक्निकल अच्छे आदमी लगाकर डील करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे सरकार को और बोर्ड को, दोनों को फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं लास्ट में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सलाहकार समितियां पहले से बनी हुई हैं, पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव्ज का इन्वाल्वमेंट एक्स. ईएन. लेवल पर एम. एल. एज. की जो कमेटी है उसको इफेक्टिव करें।

लास्ट में यह भी कहना चाहूंगा कि उद्योगपतियों को राहत देने के लिए जिन पूर्व विद्युत मण्डल के अध्यक्ष की कई माननीय सदस्यों ने अच्छी सराहना की थी, मैं निश्चित तौर से उसकी भर्त्सना करना चाहूंगा। उस वक्त जो इण्डस्ट्रीज के उपभोक्ता थे और उनका जो आउट स्टैंडिंग अमाउण्ट था वह लाखों-करोड़ों रुपये में था, उनको एस. ई., सी. ई. लेवल पर एक कंप्रोमाइज कमेटी का गठन करके पूंजीपतियों को राहत देने का काम किया है। मेरी सरकार से सलाह है कि ऐसा आउट स्टैंडिंग अमाउण्ट वसूल करने के लिए कम्प्रोमाइज कमेटी बनाकर और उद्योगपतियों को और पैसे वालों को राहत देने की जरूरत नहीं है जितनी उनके खिलाफ आउट स्टैंडिंग अमाउण्ट है उसको वसूल किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं इन्हीं शब्दों से साथ आपने मुझे समय दिया और विद्युत मण्डल आगे अग्रसर हो अच्छी

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

नीति निर्धारित करे इन्हीं भावनाओं के साथ। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्षजी, आज जिस विषय के ऊपर सदन विचार कर रहा है वह काफी गम्भीर विषय है। न केवल किसान के लिए, न केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए, न केवल प्रान्त के लिए बल्कि मैं तो यहां तक मानता हूं कि पूरे देश के लिए है, किन्तु राजस्थान में जो कुछ भी समस्या आज हमारे सामने है वह निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर हमारे सामने खड़ी हुई है। उत्पादन में निश्चित रूप से हमने काफी क्षमता अर्जित की और हमने बिजली के क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अपना उत्पादन भी बढ़ाया है, किन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि आज भी 45 प्रतिशत बिजली के लिए हमें दूसरे प्रान्तों की ओर देखना पड़ता है, चाहे वह एन. टी. पी. सी. से लें, चाहे हम दिल्ली से लें, चाहे हम हरियाणा से लें, चाहे पंजाब से लें किन्तु टोटल जनरेशन का 55 प्रतिशत भी ऐसा नहीं है जो कि हम अपनी स्टेट में पैदा करते हों। ऐसी मेरी मान्यता है कि अगर यही स्थिति रहती है, हालांकि मानता हूं कि कोटा थर्मल पावर स्टेशन की पावर का उत्पादन या दूसरे भी क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन काफी बढ़ा है। किन्तु आज हर किसान को बिजली चाहिए, हर उद्योग को बिजली चाहिए, हर घर को बिजली चाहिए और मेरी ऐसी परिकल्पना है कि अगर यही गति आपकी बिजली उत्पादन में प्रगति करने की है तो 1994-95 तक ऐसी अभी मान्यता है, फिर भी यह बिजली की कमी 44.9 प्रतिशत तक रहेगी। यह मैं केवल मात्र आपको इस आधार पर कह रहा हूं कि अभी 4 अप्रैल, 1992 को पावर मिनिस्टर्स की दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया था कि हमारा बिजली का उत्पादन निरन्तर बढ़ते जाने के बावजूद भी 1994-95 तक भी बिजली की स्थिति यह की यही रहने वाली है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस उत्पादन को किस तरह से आगे बढ़ायेंगे? मैं यह भी मानता हूं कि हालांकि फाइनेंस के क्षेत्र में और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में भी राजस्थान ने काफी प्रगति की है, विशेष कर इन दो वर्षों में। मैं यह प्रमाण-पत्र नहीं लेना चाहता कि केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में प्रगति हुई है, किन्तु सत्य को नकारा भी तो नहीं जा सकता है, मान्यवर। यह मानेंगे कि अभी जो फाइनेंस की पोजीशन हमारे सामने है, आप इससे अन्दाजा लगा लीजियेगा कि जो बोर्ड के के अकाउन्ट में 10.20 प्रतिशत का घाटा था 1990-91 में वह 5.89 हो गया और यह भी कल्पना की जा रही है कि अगले साल तक 2.25 प्रतिशत रह जायेगा। आप मानेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कानून 1948 में बना था उस वक्त मेरे ख्याल से धारा 57 है या कितनी है, उसमें माना गया था कि टोटल असेट का 3 प्रतिशत जब तक ना मिले तब तक इस उद्योग को सही ढंग से चला हुआ माना नहीं जाना चाहिए। किन्तु आज जो निरन्तर घाटा सरकार के सामने था, जो निरन्तर बढ़ता

(श्री अर्जुनदास मदान)

हुआ घाटा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने था, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि 1989-90 के अन्दर यह 10.20 प्रतिशत से घटकर 5.89 प्रतिशत रह गया है और ऐसी कल्पना है कि यह बोर्ड 2.25 प्रतिशत 1991-92 में अपनी स्थिति कर लेगा और 3 प्रतिशत एचीव करने का भी प्रयास करेगा। किन्तु आज कोयले के निरन्तर बढ़ते हुए दाम है; जो क्वालिटी है, निरन्तर भाड़े के बढ़ते हुए दाम हैं और जिसमें ऐश की मात्रा निरन्तर बढ़ती जा रही है उस घाटे की पूर्ति कहां तक हम कर पायेंगे, कहां तक उसमें सहायक हो सकेंगे ? एक बहुत ही विचारणीय और चिन्तनीय प्रश्न है मान्यवर।

मान्यवर, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष में 613 करोड़ रुपये का जो लोन था उसको इक्विटी शेयर में बदला और उसका परिणाम यह हुआ कि 57 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का जो ब्याज के रूप में घाटा आर. एस. ई. बी. को होता था वह कम हुआ है और यह भी बहुत उपयुक्त बात है। इसके अतिरिक्त 148.51 ब्याज की राशि थी उसको भी उसने वेव आफ कर दिया और इसके अतिरिक्त अब 57.50 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष निरन्तर पड़ने वाला घाटा था उसमें भी न्यूनता लाई गई है। अब इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर दूं मान्यवर, टेरिफ है, टेरिफ निश्चित रूप से चिन्तनीय है। केवल एक उद्योग को आप छोड़ दीजिए। आज यह स्थिति है कि चाहे केवल उद्योग को छोड़ दें, चाहे मेरे घर की बिजली हो चाहे किसानों को मिलने वाली बिजली हो और चाहे किसी भी जगह पर पहुंचने वाले बिजली हो कि यह किसी जनरेटर पाइन्ट से चलते-चलते मेरे घर की ड्योढी पर आकर जब अपना मस्तिष्क झुकाती है और मेरे अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करती है तो आज भी इसकी कास्ट लगभग 1 रुपये 20 पैसे आ रही है और यह निरन्तर बढ़ने वाली कास्ट किसी भी कारण से उसमें कई कारण हैं जैसे कोटा थर्मल पावर स्टेशन है, उसके बारे में आपसे निवेदन कर दूं यह कोटा थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर जो कीमत बढ़ती चली आ रही है आप इससे अन्दाजा लगा लीजियेगा कि जो कोयला 853 रुपये मैट्रिक टन आता था आज वह हमारे पास पहुंचते-पहुंचते लगभग 1100 रुपये मैट्रिक टन पहुंचता है। यह आपको केवल मात्र एक वर्ष की दूरी के अन्तराल की बात कह रहा हूं, फ्रेट निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है, कोल कम होता जा रहा है। पहले बी. सी. एल. से सारा कोल मंगाया जाता था और आज एन. सी. एल. से मंगाया जाता है जो 15000 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आज निश्चित रूप से अन्य स्थानों पर से बिजली लेने की कोशिश तो की जा रही है किन्तु फिर भी जो कोल आ रहा है, कोल की जो क्वालिटी आ रही है उसके लिए वर्तमान ऊर्जा मंत्रीजी ने प्राइम-मिनिस्टर को भी कई बार लिखा है और 4 अप्रेल को जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि सारे ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, उसमें यह निर्धारित किया गया था और अब मेरी ऐसी मान्यता है, सारी स्टेट्स के जितने भी ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने यह माना है कि पूरे देश के अन्दर एक

(श्री अर्जुनदास मदान)

बराबर रेट रखी जाय किसानों को दी जाने वाली बिजली पर। मान्यवर, मानेंगे कि राजस्थान में इतनी खराब स्थिति है कि आज 33 और 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने के उपरान्त भी आधी तो बिजली चोरी हो जाती है। निश्चित रूप से प्रयास किये गये हैं, निरन्तर जो आउट स्टैंडिंग बिल थे वह भी कम होते चले जा रहे हैं, मात्रा कम हो रही है फ्यूल के कंजर्म्पशन में कमी आई है और उसका उत्पादन निरन्तर बढ़ता चला आ रहा है। किन्तु अगर इसे प्रकार से कीमत बढ़ती चली गई, चोरी की मात्रा पर हमने नियंत्रण नहीं किया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी ?

आप मानेंगे कि ऐसे स्थान भी हैं, ऐसे जिले हैं आज राजस्थान में, जैसा मैं आपसे निवेदन करूं कि झुन्झुनूं, सीकर, सवाई-माधोपुर, भरतपुर हैं, जहां पर बिजली की चोरी 40 प्रतिशत होती है। यानी जितना किसान लेता है, उसमें से 40 प्रतिशत पर आंखें डाल देते हैं....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य सीकर, झुन्झुनूं के किसानों के बारे में 40 प्रतिशत की चोरी के बारे में कह रहे हैं, मेरा सुझाव है कि सीकर में बिजली की चोरी के बारे में आपको कहना चाहिए कि उद्योगपति 100 प्रतिशत चोरी करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, किसान चोरी नहीं करते हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा निवेदन सुन लें। (व्यवधान)...

श्री रामेश्वर दयाल यादव : किसान चोरी नहीं करते हैं उद्योगपति चोरी करते हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें। मैं यह नहीं कहता हूं कि उद्योगपति चोरी नहीं करते हैं लेकिन जो मैं कह रहा हूं....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपने सीकर, झुन्झुनूं का कैसे नाम लिया ?

श्री अर्जुनदास मदान : मैं सीकर, झुन्झुनूं की बात कर रहा हूं....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप अपने जिले का नाम लीजिए, आपको जानकारी है तो अपने जिले की बताइये। आप सीकर, झुन्झुनूं के गांव का नाम बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चोरी होती है, किसान करते हैं, उद्योगपति करते हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : जो चोरी होती है उसके आंकड़े बोलते हैं, वह मैं बता रहा हूं साहब।

डा. चन्द्रभान : किसानों के ऊपर ही क्यों जाते हैं ?....(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : आप अब उनका टाइम समाप्त कर रहे हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : मुझे ऐसा लगता है कि जो सम्बन्धित सदस्य हैं उनकी

(श्री अर्जुनदास मदान)

आत्मा को ठेस पहुंची है। मैं तो आपको मात्र आंकड़े बता रहा हूं और यदि यह कहते भी हों कि आज कोटा, बूंदी में कम कितनी होती है तो मैं यह तो नहीं कहता कि वहां चोरी नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : कभी-कभी मदान साहब सत्यम् ब्रुयात, प्रियम ब्रयात, न ब्रयात सत्यम् अप्रियम्। ऐसा होता है कभी-कभी, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं कोई सेठों की वकालत नहीं करता....

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष जी, यह अप्रिय सत्य है।

श्री रामकरण सिंह : यह किसान के लिए जो बात कही गई है, जो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, सबको पालता है उसको चोर बताते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कहिये चोरी होती है, कौन करता है इसका यहां निर्णय थोड़े ही होगा, चोरी होती है।

श्री रामकरण सिंह : एक किसान जरा सी चोरी करता है तो उद्योग वाले बहुत सारी....

श्री अध्यक्ष : रामकरण सिंह जी मैं मान लेता हूं कि आप किसानों के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मान लिया मैंने।

श्री जगमालसिंह यादव : मैं भी हूं साहब।

श्री अध्यक्ष : हां आप भी अच्छे प्रवक्ता हैं मान लिया।

श्री जगमालसिंह यादव : यह तो बात कही है इससे न केवल माननीय सदस्य को ठेस लगी है बल्कि राजस्थान के करोड़ों किसानों के दिलों को ठेस लगी है इस तरह की बात करने से।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास में इस तरह से सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो गेप है वही लोस है, वह ट्रांसमिशन का लोस होगा या चोरी का लोस होगा। उसके लिए आवश्यक यह है मंत्रीजी कि आपके पास एनर्जी का ऑडिट होना चाहिए। एनर्जी आडिट की कोई भी प्रणाली जो भी आर. एस. ई. बी. में नहीं है तो फिर यह जो लोस आप कह रहे हैं कि झुन्झुनू में हो रहा है ट्रांसमिशन लोसेज हैं। ट्रांसमिशन और चोरी दोनों शामिल हैं उसको कोई डिफरेंट नहीं कर सकता। तो आपने यह जो आंकड़े निकाले हैं या तो आपके पास में कुछ फिगर्स होंगे और फिगर्स हैं तो इनके पास में तो हो नहीं सकते, जनरल जो है राजस्थान का तो है लेकिन एनर्जी आडिट यह करते नहीं हैं, इनको इण्ट्रोड्यूज करना चाहिए। अध्यक्ष ने भी कहा था कि एनर्जी आडिट होना चाहिए। वह अभी भी आपने बारह साल के बाद में इण्ट्रोड्यूज नहीं किया है तो मंत्रीजी आप कीजिए एनर्जी आडिट इण्ट्रोड्यूज ताकि यह जो फिगर्स हैं बिल्कुल एक एप्रोक्सीमेटली कहीं जाकर यह नहीं कि लोग पिन डाउन कर सकें कि कौनसे डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग बचे।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर मेरा तात्पर्य कभी भी यह नहीं था। मैं मानता हूं कि किसी की बुराई करने से मैं अच्छा नहीं बन जाऊंगा। बाकी मैं झुन्झुनू की चोरी की बात करता हूं तो यह मत सोचिए कि कोटा में चोरी नहीं होती, किन्तु जो आंकड़े बता रहे है, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि कभी मेरी कल्पना नहीं थी, मैं किसी की बुराई करके अपने जिले की कोई प्रशंसा करना नहीं करना चाहता हूं लेकिन चोरी चोरी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप गलत बताना चाहते हैं सदन में।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय रामप्रसाद जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप जाकर के कल आर. एस. ई. बी. में पता कर लेना कि हर जिले के क्या आंकड़े हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने तो नाम लेकर कहा है कि भरतपुर के किसान चोरी करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप किस पर ध्यान दे रहे हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है।

श्री अर्जुनदास मदान : मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी चोरी है लेकिन चोरी की मात्रा कम है इसका यह मतलब तो नहीं कि चोरी सेठ लोग नहीं करते और सेठ की चोरी तो कम्पेरेटिबली और ज्यादा है क्योंकि उसकी कीमत तो आपसे तिगुनी और चौगुनी है। अगर किसान चार यूनिट की चोरी करता है तो वह एक यूनिट किसान की चार के बराबर कर लेता है। मैं यह नहीं कहता हूं क्योंकि जिस स्टेज पर टेरिफ उद्योगपति का है, या जो टेरिफ आज किसान का है उसके बीच में तो बहुत बड़ा अन्तर है। कम से कम तिगुने और चौगुने का अन्तर है। अगर चार यूनिट किसान चोरी करता है तथा एक यूनिट अगर मिल मालिक करता है तो बराबर लोस होता है।

श्री सम्पत सिंह : अभी माननीय सदस्य बता रहे हैं कि कोटा के बी. जे. पी. कार्यालय में ही बिना मीटर के बिजली लगती है।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत फेलेसियस है आपका यह अगर टेरिफ कम होगा तो वह चोरी कम करेगा, जिसकी हायर टेरिफ होगी चोरी करने के लिए वह ज्यादा ललचाएगा।

श्री अर्जुनदास मदान : मेरे ख्याल से गाड़ी बदल रही है, कई लोग कह रहे हैं कि कोटा में....

श्री अध्यक्ष : चोरों को ज्यादा डिसकस नहीं करें यह अच्छा है....(व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : मैं मान्यवर आपसे निवेदन कर सकता हूं कि अगर कृषि की मात्रा को थोड़ा सा हटा दिया जाए और बाकी टेरिफ लगाया जाए तो मेरे पास 1974 से लेकर 1991-92 तक के आंकड़े हैं और जो भी माननीय महोदय उसको देखना चाहे देख लें। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कृषि के टेरिफ को आप अलग कर दें बाकी सब टेरिफ....

Page No. 166

166

श्री अध्यक्ष : घड़ी का आंकड़ा 13 मिनट बता रहा है।

श्री अर्जुनदास मदान : तो मेरा पोजीटिव साइड में केवल मात्र अन्तिम निवेदन है कि आप कोयला बी. सी. सी. एल. से जितना कम मंगाएंगे और उसकी अपेक्षा एस. सी. एल. या एम. एस. सी. एल. से आप जितना ज्यादा मंगाएंगे आपको उतना ही लाभ होगा।

दूसरा जैसा प्राइम मिनिस्टर महोदय ने 4 मार्च, 1992 को राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को एक पत्र लिखकर के बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में और बाजी की कार्य क्षमता के सम्बन्ध में जो सन्तुष्टि प्रकट की है उसी को आधार मानते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार फिर आप प्रधानमंत्री से निवेदन और आग्रह करें कि एक तो रेल्वे वालों के टेरिफ के ऊपर, कोयले के उत्पादन के ऊपर, कोल के खर्चे के ऊपर और चोरियां हो रही है उस पर, चाहे जो हो मैं तो कहता हूं उसके ऊपर नियन्त्रण रखें। जो ड्यूज हैं उसकी रिकवरी के लिए आपने रिकवरी सैल बनाए हैं तो जो ड्यूज हैं उनकी रिकवरी करें, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान (अनुपस्थित)।

श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, इस समय जो विद्युत के ऊपर चर्चा हो रही है मैं यह कह सकता हूं कि आज विद्युत जैसे हवा और....

श्री अध्यक्ष : रामकरण सिंहजी आपको इसलिए पहले नम्बर दिया है, आप सात मिनट ही बोलेंगे। इसलिए पहले बुलवाया है वरना आप चले जाते हो सात मिनट में पूरा कर देना आप।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जो कनेक्शन पेण्डिग हैं जिनके लिए किसान बड़ा इन्तजार करता है और इन्तजार के साथ-साथ बिजली विभाग के कर्मचारी उनसे सौदा करते हैं, वह सौदा रुकवाया जाए, पेण्डिग है आपको क्या जल्दी है, डोरी डालकर बिजली ले लो और हमें फसल के लिए दस मण अनाज दे देना या 808 मण सरसों दे देना। इस तरह का सौदा करते हैं, इस परम्परा को माननीय मंत्रीजी रोकिए। आप खुद किसान है, इन चीजों को जानते हैं।

दूसरी चीज मैं सुझाव के बतौर कहना चाहता हूं कि किसान को आप दिन को बिजली दीजिए क्योंकि गर्मी के टाइम में जब किसान खेत में जाता है तो उस समय पानी की वजह से बिलों में से सांप, बिच्छू निकलकर उनको काट लेते हैं। रात को जब वह जाता है और यदि रात को जाड़े के अन्दर जब उसको बिजली दी जाती है तो निमोनिया से मरता है। इसलिए रात को बिजली देना किसान की मौत बुलाना है इसलिए इसके लिए आप कोई भी व्यवस्था कीजिए, दिन को दीजिए। कारखाना चारों तरफ से बाउण्ड्री से घिरा हुआ होता है, मकान रहते हैं, हाल रहते हैं, न

(श्री रामकरण सिंह)

हवा लगती है, न वहां सांप आता है इसलिए कारखानों को आप रात को दीजिए और किसान को आप दिन को दीजिए, यह मेरा निवेदन है आपसे।

दूसरा, कनेक्शन आपके विभाग ने, डी. सी. करने के बाद में खुद विभाग वाले जाते हैं और डिसकनेक्शन कर देते हैं. कनेक्शन काटने के बाद, आपको आश्चर्य होगा अभी मैं सवाई माधोपुर में जब गया तो वहां किसानों ने बताया कि एक बौंली तहसील के चक्की का कनेक्शन था जिसको काट दिया गया और काटने के बाद में दस हजार का बिल दे दिया गया। डिपार्टमेंट वाले गए, मीटर उठा लाए, डोरी उठा लाए और उसके बाद में उसको बिल कैसा? ऐसा केवल एक बौंली तहसील की बात नहीं है। पूरे राजस्थान में किसानों के साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है। इसे रोकिए।

एक सबसे बड़ा अहम् मसला जो राजस्थान में अभी चर्चाएं हुई कि इतने कनेक्शन हो गए। यह बात हुई तो मुझे क्योंकि हम लोग तीन तहसील टोडाभीम, महुआ, कोटपूतली विद्युत सहकारी समितियां हैं। माननीय अध्यक्ष जी, तो वहां सब प्रकार से रूल्स रेगुलेशन ताक में रखे हैं। जो इस समय चेयरमैन महोदय हैं 1977 में वह वहां की व्यवस्था के भी एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनको इस बात को उस समय मालूम है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 40 साल से मेरे कोटपूतली में चुनाव नहीं हुए। ऐसी सोसायटी के बारे में मैं सहकारी मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस तरह के चालीस साल से इस विभाग में इतनी गड़बड़ी हो और उस सोसाइटी को आप रद्द-भंग नहीं करें यह बड़ी आश्चर्य की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय केवल दो मिनट और बोलूंगा। मैं निवेदन करता चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से, पहले भी जब सुमित्रा जी थी उस समय इन्होंने आश्वासन दिया था उसके बाद में भी यह भंग नहीं की गई और अब माननीय मंत्रीजी आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही इसके बारे में घोषणा करेंगे कि यह भंग कर दी जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि इनमें किसी भी तरह से कोई व्यवस्था नहीं, हमें आश्चर्य होता है कि इतने लोगों के कनेक्शन आज 12 साल से पैण्डिंग रहे हैं और उसका अनाप-शनाप, न वहां मीटर है, न डोरी है, न खम्भा है। किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन देने की सामग्री नहीं है तो ऐसी हालत में हमें राजस्थान से बाहर वाला क्यों बना रखा है और हमारे साथ सौतेला व्यवहार यह सोसाइटी क्यों कर रही है। आश्चर्य की बात है कि चालीस साल से चुनाव नहीं हो, इन्हीं शब्दों के

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

साथ, एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कनेक्शन वगैरह जो दिये जाते हैं, तार ढीले रहते हैं, खम्भे गिरे रहते हैं जिनसे बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं। माननीय अध्यक्षजी, न तो कोई तरह का मुआवजा देने का प्रोवीजन है न उनको ठीक कराने के लिये व्यवस्था करते हैं इसके लिये व्यवस्था की

(श्री रामकरण सिंह)

जाये। मेरे यहां पर कोटपूतली में बीस और पच्चीस कि. मी. की लम्बी दूरी पर जब बिजली दी जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। एक तो मढा और पनियाला जो नेशनल हाई-वे पर है इन दो जगहों पर सब-पावर हाउस बनाने की व्यवस्था फरमायें बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी। एक मिनट बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में खेलों का विकास एवं खिलाड़ियों को रोजगार

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार खेल विभाग के सम्बन्ध में प्रश्नकाल के दौरान आपने यह दिया था कि खेलों के बारे में सरकार क्या कर रही है, इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी दें स्टेटमेंट दें, मैं इसके लिये आपकी इजाजत चाहता हूं।

राज्य सरकार राज्य में खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। मुझे कहने में प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार ने अपने शासन काल के पिछले दो वर्षों में ही खेल-कूद एवं आधारभूत खेल ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है वह पिछले वर्षों में हुई उपलब्धियों एव विकास से बहुत ज्यादा है। राज्य में वर्तमान सरकार ने खेलों एवं खिलाड़ियों की सुध ली है जिसमें राज्य में करोड़ों रुपयों की लागत से नये स्टेडियम, तरणताल, स्कूल काम्पलेक्स एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर रखी है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खिलाड़ी प्रदेश में बेरोजगार नहीं रहने दिया जायेगा और इसीलिये पिछले एक वर्ष के दौरान ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के निम्नांकित पांच खिलाड़ियों को नियमित वेतन शृंखला में विभिन्न पदों पर एवं अन्य पांच खिलाड़ियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण के रूप में पहली बार खेल परिषद में नियुक्तियां दी है। श्री दशरथ सिंह शेखावत, कुमारी सीमा सोनी, श्री अतुल शर्मा, श्री गिरधारी सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार। मैं सरकार के इस वचन को फिर से दोहराना चाहता हूं कि राज्य सरकार राज्य में खेल एवं खिलाडियों की सुविधा के विकास में धन की कमी कभी नहीं आने देगी और इस वचनबद्धता के तहत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान खेल परिषद के लिये योजना भिन्न मद में 116.46 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया था जबकि दो वर्ष पूर्व 1989-90 में वर्तमान सरकार के शासन में आने से पूर्व खेल परिषद हेतु तत्कालीन सरकार द्वारा केवल 72 लाख रुपये की राशि का ही प्रावधान किया गया था। इस प्रकार केवल इसी मद में पहले की तुलना में लगभग 45 लाख रुपये की अधिक बढ़ोतरी का प्रोग्राम किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में यानि 1992-93 के दौरान इस राशि को और अधिक बढ़ाकर 123.90 लाख कर दिया गया है। यही नहीं आयोजना मद में जहां पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष

(श्री भंवरलाल शर्मा)

1989-90 में केवल 41.4 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया था वहीं इस सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए इसी मद में 90 लाख रुपये की राशि मन्जूर की और इसी प्रकार से केवल इसी मद में पचास लाख रुपये की राशि का और अधिक प्रावधान किया है। अब चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान इस राशि को और अधिक बढ़ाकर 112.75 लाख रुपये कर दिये गये हैं सदन को जान कर प्रसन्नता होगी कि राज्य सरकार के प्रयासों से ही भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों में सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर में 2.7 करोड़ रुपये की लागत की एक महत्वाकांक्षी खेल कूद योजना की मंजूरी दी गई है जिसमें 95 लाख रुपये की लागत से एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल एवं 1.32 करोड़ की लागत के एक इण्डोर स्टेडियम का निर्माण शामिल है। यह तरणताल देश के दूसरे तरणतालों के रूप में उभर कर आयेगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी 13 जनवरी, 1992 को किया तथा इण्डोर स्टेडियम का शिलान्यास पूर्व में ही मुख्य मंत्रीजी ने 1977 में किया था। इसके साथ ही पुल निर्माण विभाग ने जोर-शोर से इस काम को शुरू कर दिया है। उत्तरी भारत में दिल्ली के बाद जयपुर दूसरी ऐसी प्रान्तीय राजधानी होगी जहां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के इस तरणताल के बन जाने से कई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें जयपुर में ही आयोजित की जा सकेगी। इसी प्रकार कई वर्षों से चली आ रही साइकिल वेलोड्रम के निर्माण की मांग को पूरा करते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर में चालीस लाख रुपये की लागत से एक साइकिल वेलोड्रम के निर्माण का कार्य 29 फरवरी को विधिवत शिलान्यास से किये जाने के उपरान्त पुल निर्माण निगम द्वारा शुरू कर दिया गया है। राज्य में एक साइकिल वेलोड्रम बीकानेर में पहले ही मौजूद है। पंजाब के बाद राजस्थान दूसरा प्रदेश है जहां एक राज्य में दो साइकिल वेलोड्रम होंगे। राज्य के साइकिलिस्टों द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीत कर उपलब्धि हासिल करने के कारण साइकिल वेलोड्रम का निर्माण किया गया है। जयपुर की बढ़ती हुई आबादी एवं एरिये को देखते हुए विद्याधर नगर क्षेत्र में एक स्टेडियम....

श्री परसराम मदेरणा : यह वेलोड्रम वर्ड क्या है एक्चुअल ?

श्री भंवरलाल शर्मा : साइकिल वेलोड्रम।

श्री परसराम मदेरणा ; हमारे समझ में नहीं आ रही है इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि यह एरोड्रम है या वेलोड्रम ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा ; एरोड्रम वह है जिसमें हवाई जहाज चलती है और वेलोड्रम वह जहां साइकिल चलती है। जयपुर की बढ़ती हुई....

श्री अध्यक्ष : हवाई जहाज सीधा-सीधा चलता है, साइकिल गोल-गोल घूमती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जयपुर के बारे में ही है या राजस्थान के बारे में है।

श्री भंवरलाल शर्मा : राजस्थान के बारे में है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : सवाई मानसिंह मानसिंह कर रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी इसकी शुरूआत की है....

श्री अध्यक्ष : आ रहा है, आ रहा है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं वो भी निवेदन करूंगा । यह स्टेटमेंट यहां पढ़ने का मतलब यही है कि राजस्थान में जिन स्थानों पर कमी रही है, वहां माननीय सदस्यों के सहयोग से वहां भी खेल के विकास हेतु सुविधायें उपलब्ध करा सके । इसीलिये मैं यह बात आपके सामने रख रहा हूं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : राजस्थान विस्तृत है, बहुत बड़ा राजस्थान है । जयपुर से बाहर निकलिये जरा । राजस्थान में जब तक दूसरे जिलों में नहीं जायेंगे तब तक खेल का असली विकास नहीं हो सकेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप पूरा मेरा सुन लेंगे तो आपकी शंका शायद थोड़ी कम हो जायेगी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह चाहते हैं कि थोड़ी जोर से बोले आप ।

श्री नत्थी सिंह : जयपुर का छोड़ दें, आगे चलें ।

श्री हेतराम बेनीवाल : जयपुर के बाद शुरू करो आप । जयपुर को छोड़ कर ।

श्री भंवरलाल शर्मा : (व्यवधान) आ जाऊंगा उसमें क्या है । स्टेडियम जयपुर में निर्मित है, जयपुर में अगर स्टेडियम है, उसमें गुंजाइश है तो वहां की गुंजाइश के काम तो वहीं होंगे ।

श्री रामसिंह विश्नोई : जोधपुर के अन्दर 10 साल से पड़ा है स्टेडियम । दस साल से पड़ा है आप कम से कम उसे पूरा करा देते....

श्री भंवरलाल शर्मा : उसको भी अर्ज करूंगा । आप बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे बोलूंगा मैं । आई हेव नोट कम्पलीटेड ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नेशनल गेम्स कहीं आर्गेनाइज हो सकते हैं तो जयपुर में ही हो पायेंगे और राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सारी एक्टीविटीज हो सकती हो । जयपुर ही डवलप नहीं हुआ तो राजस्थान आगे कहां बढ़ेगा रामसिंहजी की जो परेशानी है वह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अभी जयपुर ही पूरा नहीं हो रहा है, जोधपुर कहां से होगा ।

श्री अध्यक्ष : हां, आपकी परेशानी दूसरी है । अब आप इनको पूरा होने दीजिये (व्यवधान) हां बोलिये आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जयपुर प्रदेश की राजधानी है, केन्द्र है । यहां अगर विकास नहीं होगा तो इसका यह अर्थ नहीं कि बाकी जगह नहीं होगा और बाकी जगह अगर नहीं हो रहा है तो उसी में मैं आपका सहयोग मांगने के लिए यह बात यहां रख रहा हूं ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जयपुर की बढ़ती हुई आबादी और दूरी को देखते हुए विद्याधर नगर क्षेत्र में भी एक स्टेडियम के निर्माण का फैसला किया गया है और इस हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण से 29 एकड़ भूमि खेल परिषद को आवंटित किये जाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इस स्टेडियम का निर्माण राज्य सरकार, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण और जयपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त सहयोग से कराया जायेगा। देश में ऐसे गिने चुने राज्य होंगे जहां की राजधानी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऐसा स्टेडियम होगा।

महिला खेलों पर भी राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पंचायत, जिला एवं राज्य स्तर की महिला खेल प्रतियोगिताओं के बाद राज्य की चुनी हुई महिला टीम राष्ट्रीय महिला खेल प्रतियोगिता में भाग लेने भेजी जाती हैं। इसी प्रकार ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों के लिए भी पंचायत, जिला एवं राज्य स्तर पर ग्रामीण खेलों की प्रतियोगिताओं के बाद राज्य की चुनी हुई ग्रामीण टीम राष्ट्रीय ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भेजी जाती है। महिलाओं के लिए पृथक से एक छात्रावास जुलाई से अजमेर में प्रारम्भ किया गया है। Now I am coming to out of Jaipur. महिलाओं के लिए एक छात्रावास जुलाई में अजमेर में प्रारम्भ किया जा रहा है जिसमें इसी वर्ष 9 साल से 14 साल की 40 चुनींदा लड़कियां और 15 से 19 वर्ष की 25 लड़कियां भर्ती की जायेगी। इन्हें एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, टेबिल टेनिस, बैडमिंटन खेलों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। अगले वर्ष इन खिलाड़ियों की संख्या 100 हो जायेगी तथा तैराकी, तीरंदाजी, टेनिस, जिमनास्टिक को भी इसमें शामिल किया जायेगा। भारत सरकार ने खेल छात्रावास बनाने के लिए 50 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है तथा 29 लाख रुपये की पहली किस्त प्राप्त भी हो गई। इसमें रहने, खाने, पुस्तकें, फीस, शिक्षा, खेल-कूद प्रशिक्षण आदि ऐसी सभी सुविधाएं निः शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। (व्यवधान)

अभी राजस्थान में चुने हुए नौकायन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए केरल भेजा जाता है क्योंकि रामगढ़ क्षेत्र में पानी नहीं होने के कारण यहां पर नौकायन केन्द्र बन्द हो गया है। भारत सरकार राजस्थान में शीघ्र ही एक क्षेत्रीय नौकायन केन्द्र खोलने जा रही है। इसके लिए हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण की एक टीम ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों का दौरा किया है। इस टीम की रिपोर्ट के बाद शीघ्र ही राज्य में नौकायन केन्द्र शुरू हो जायेगा जिससे राज्य के नौकायन खिलाड़ियों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लगभग दो वर्ष पूर्व खेल विभाग का जिम्मा सम्भालने के बाद एस. एम. एस. स्टेडियम के कायाकल्प करने की एक रूपरेखा बनाई थी और मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि आज यह कल्पना साकार हो रही है जहां लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से बास्केटबाल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वालीबाल बालीबाल काम्पलेक्स, मिनी तरणताल, जिमनेजियम टेबिल टेनिस एवं बैडमिंटन,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एथलेटिक्स ट्रेक, पेवेलियन, खेल छात्रावास एवं दक्षिण छोर पर पेवेलियन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है । इस आधारभूत खेल ढांचे के निर्माण से राज्य की खेल प्रतिभाओं को आधुनिक खेल तकनीक एवं खेल उपकरणों से प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

इस अवसर पर मैं आप सबको एस. एम. एस. परिसर में आने का निमन्त्रण देता हूं जहां खेलों की विकास की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को देखकर आपको निश्चय ही प्रसन्नता होगी और उसके लिए मैं कल ही आपको आमंत्रित करता हूं। कल प्रातः काल 8 बजे से····

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आप शहरों ही शहरों के लिए कह रहे हैं, आप गांवों के लिए क्या कर रहे हैं, यह भी बताओ ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय विधायकगण से मैं निवेदन करूंगा कि कल विधायकों के बीच में और पत्रकारों के बीच में एक क्रिकेट प्रतियोगिता है । मैं आप सबको खेल देखने के लिए, खिलाड़ियों को खेलने के लिए और सबको वहां पर लंच के लिए आमंत्रित करता हूं । आप सब वहां पधारें । (व्यवधान) आप आए । आपको आम खाने या पेड़ गिनने हैं । (व्यवधान) पधारिये । यह तो खेल है ।

माननीय सदस्यों की मांग और भावना के अनुरूप राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक जिले में एक छोटा इन्डोर स्टेडियम और तरणताल बने, जहां ग्रामीण क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशा जा सके । जिन जिलों में वर्तमान में स्टेडियम इत्यादि कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, मैं वहां से आने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कृपया इस बाबत अपने प्रस्ताव मुझे या सीधे खेल परिषद को भिजवायें ताकि राज्य सरकार जन सहयोग एवं भारत सरकार के संयुक्त सहायता से इन कामों को अंजाम दे सके ।

मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई 97 खेल निर्माण योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 5·13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है । इसमें से 3·8 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी गई है । यह 97 खेल निर्माण योजना, खेल स्टेडियम के लिए हमने यह स्वीकृति मांगी थी जिसमें केन्द्र सरकार ने 5·13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी और इसमें से 3·8 करोड़ रुपये दे भी दिये । तो आप कहते हैं केवल जयपुर में ही काम हो रहा है, ये 97 योजनाएं जयपुर से बाहर की है····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये पहले ।

श्री भंवरलाल शर्मा : 97 योजनाएं बता रहा हूं मैं आपको ।

श्री अध्यक्ष : फिर क्लेरिफिकेशन नहीं होगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : जयपुर में कितनी होंगी और बाहर कितनी होगी, इससे पता लग जायेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये बाहर की है। यह मेरे पास सूची है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, जयपुर की अकेले की आबादी 17 लाख है और आपके पूरे जिले की नहीं होगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : पूरे जिले की 30 लाख है।

श्री अध्यक्ष : बहुत से जिले हैं जिनकी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 30 लाख है लेकिन अभी तक आपने सिवाय केदारजी के कोई दूसरा खिलाड़ी उत्पन्न नहीं किया ....(व्यवधान) जयपुर में बहुत है। हम बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कल जो अपने जौहर दिखायेंगे, उनके जिले में या उनके गांव में वे जो चाहेंगे वह कर देंगे। आप जौहर तो दिखाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की है कि जो 97 योजना मैंने बताई है इसमें जयपुर भी शामिल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जयपुर शामिल नहीं है। जो 97 योजनाएं....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : चौमू भी है या नहीं इसमें। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ये जयपुर शहर से बाहर की योजनाएं हैं जो मैंने आपसे अर्ज की है। जोधपुर एवं अजमेर प्रत्येक में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किये जा रहे एस. पी. डी. ए. केन्द्रों के अलावा चित्तौड़ में एक करोड़ रुपये की लागत से एस. पी. डी. ए. केन्द्र को खोलने की मन्जूरी भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त हो गई है। ये बाहर ही हैं। विभिन्न जिलों में मौजूदा स्टेडियम के और अधिक प्रभावी उपयोग की दृष्टि से जोधपुर, अजमेर, अलवर और आबू पर्वत में स्थित स्टेडियम के रख रखाव और उपयोग के राजस्थान खेल परिषद को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है ताकि वहां कुशल और विशेषज्ञ खेल प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके। इसी प्रकार जयपुर स्थित यूनियन फुटबाल मैदान भी खेल परिषद को स्थानान्तरित किया गया है। आबू पर्वत पर राज्य के 6 फीट लम्बे खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने विशिष्ट खेल केन्द्र शुरू कर दिया है जिसमें ऐसे 40 खिलाड़ियों को प्रवेश दे दिया गया है। इसी प्रकार भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से अलवर से छात्रावास का संचालन शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक जिले में एक जिला खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाय और इसी के तहत पहले चल रहे 17 जिलों में जिला खेल-कूद केन्द्रों के 10 नये जिलों में पिछले वर्ष जिला खेल-कूद केन्द्र स्थापित किये गये हैं और शेष तीन जिलों में चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र स्थापित कर दिये जायेंगे। इस प्रकार तमाम 30 जिलों में ये केन्द्र स्थापित हो जायेंगे।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में ·· अब जो महत्व की बात है वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए और उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु राज्य के सभी पंचायत मुख्यालय पर अल्पकालिक खेल प्रशिक्षक को नियुक्त कर खेल उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे···· (व्यवधान) यह प्रसन्नता की बात है। प्रत्येक पंचायत समिति में एक व्यवस्था की जायेगी और वहां किनको रखा जायेगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं···· मैं फिर पढ़ देता हूं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी····

श्री रामसिंह विश्नोई : पंचायत समितियों में या ग्राम पंचायतों में ?

श्री भंवर लाल शर्मा : पंचायत समिति। (व्यवधान) मैं पंचायत समिति बोल रहा हूं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु राज्य के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अल्पकालिक खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर खेल उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षक को 300 रुपए मासिक का मानदेय दिया जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : वो ऐसे ही खिलाड़ी पैदा करेंगे।

डा. चन्द्रभान : 300 रुपए में आपको कहां से मिल जायेगा। 300 रुपये में तो मजदूर ही नहीं मिलता, प्रशिक्षक कहां से मिलेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप बात तो सुनें। देने की इच्छा यह है कि 10 हजार रुपए दें लेकिन देंगे कहां से ? आप व्यावहारिक बात करिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : 300 रुपए में कैसे मिलेगा। पार्टी का कोई प्रचारक तो मिल सकता है लेकिन खेल वाला नहीं मिलेगा।

श्री भंवर लाल शर्मा : अब मैं खेल वाला भी बताता हूं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे शिक्षाकर्मी आपने ढूंढे थे। (व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : ये प्रशिक्षक उसी गांव के होंगे। ये प्रशिक्षक कौन होंगे वह बताता हूं। यह प्रशिक्षण उसी गांव अथवा पंचायत समिति में रहने वाले तथा जिला एवं राज्य स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों में से ही नियुक्त किए जायेंगे। कोई भी गेम में भाग लिया हुआ हो, खेला हुआ होगा और उसी गांव का, उसी एरिया का होगा उसका होगा। 300 रुपए तो केवल मानदेय होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करने दीजिए। बोलने वालों का टाइम खराब कर रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं अनर्थ हो जायेगा साहब, ये गड़बड़ कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : बाद में आपको क्लेरिफिकेशन का टाइम नहीं मिलेगा। आप एक-एक लाइन को क्लेरिफाई कर रहे हैं

(श्री अध्यक्ष)

और फिर अंत में और कहेंगे कि क्लेरिफिकेशन करो।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि खेल के जो जानकार हैं, जो खेले हुए हैं, जो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं उन आदमियों को ही मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष : वो ही कह रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : और मैंने आपको क्या कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसे आदमी को ढूंढ लेंगे।

श्री अध्यक्ष : हो गया, आपकर, समाप्त हो गया।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे जैसा नहीं मिलेगा आपको, गलतफहमी है। मेरे जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। आपको पार्टी में तो मिलेगा नहीं और यहां पर मैं बैठा ही हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा : ये प्रशिक्षक उसी गांव अथवा पंचायत समिति में रहने वाले तथा जिला अथवा राज्य स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों में से ही नियुक्त किये जायेंगे। ये परमानेंट तो होंगे नहीं। अब वे आज भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो 300 रुपए का सामान क्रय करके उनका खेल भी जिन्दा रहे और उनका खेल का जो ज्ञान है वह वहां के गांव के खिलाड़ियों को, बालकों को मिलता रहे, इस योजना का केवल यही अर्थ है। मेरा स्टेटमेंट तो काफी लम्बा है। इसमें जिन खिलाड़ियों को हमने सम्मानित किया है, पैसा दिया है, कहां-कहां हमने अनुदान दिया है वह सब लिस्ट मेरे पास है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं दो बातों में आपका सहयोग चाहता हूं। एक तो यह कि ग्रामीण पंचायत मुख्यालय या पंचायत समिति मुख्यालयों पर जो उपकरण देंगे वहां अच्छे खिलाड़ी आप उपलब्ध करा दें हम उनको 300 रुपए देंगे। दूसरा, यह कि जहां-जहां स्टेडियम नहीं है, तरणताल नहीं है उनके प्रस्ताव भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, नैक्स्ट। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप अकेले ही लीजिए। एक मिनट ठहरिए, समय बढ़ा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

श्री नत्थी सिंह : एक घण्टा क्यों, वाद-विवाद समाप्त होने तक।

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं साहब 2–3 घण्टे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप और बढ़ा लेना, अभी एक घण्टा तो बढ़ा दीजिए। कौन मना कर रहा है ?

क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

एक घण्टे के लिए समय बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में खेलों का विकास एवं खिलाड़ियों को रोजगार

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय खेल मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम स्पोर्ट्स पर एक स्टेटमेंट दिया।

श्री अध्यक्ष : आप कल्ला जी से ज्यादा उदार निकले।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा मुझे कुछ शंकाएं हैं जो माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। एक तो खासतौर उन्होंने स्वयं ने यह कहा है कि अल्प वेतन कर्मचारी के रूप में कोचेज रखे जायेंगे। इस पर आपको और स्पेसिफाई फैसला करना होगा। स्टेट के अन्दर जो कम से कम नेशनल रिप्रजेन्ट किए हुए हैं, ऐसे खिलाड़ी जो आलरेडी किसी सर्विस में हैं या बेरोजगार हैं वे तो पार्ट टाइम के लिए काम कर सकेंगे ताकि कम से कम प्रारंभिक खेलों का ज्ञान पंचायत समिति पर दे सकते हैं। वे कोई टेक्नीकल ज्ञान तो नहीं दे पायेंगे लेकिन प्रारम्भिक तौर पर यह ठीक है लेकिन धीरे-धीरे इसकी स्थिति बढ़ती है तो आगे आपको फण्ड के आधार पर बढ़ाना चाहिए।

दूसरा, माननीय खेल मंत्रीजी, भारत सरकार को खासतौर से इस सम्बन्ध में धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 5·13 करोड़ रुपए स्टेडियम की राशि पर दिए। खासतौर से हमारी जो कठिनाइयां हैं, माननीय सदस्यों की कई समस्यायें हैं कि वे स्टेडियम की मांग अपने-अपने गांवों में, अपनी तहसीलों में और अपने जिलों में करते हैं। जो बेसिक परेशानी हो रही है, भारत सरकार की नीति है कि आधा पैसा स्पोर्टस अथोरिटी ऑफ इण्डिया देती है और आधा पैसा या तो राजस्थान सरकार उपलब्ध कराये या वहां कि नगरपालिका या वहां की पचायत उपलब्ध कराये। हमारा दुर्भाग्य यह है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है, जन सहयोग मिलता नहीं है। उस आधार पर स्टेडियम पनप नहीं पा रहे है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय विधायकों का भी सहयोग लें लेकिन नगरपालिका और पंचायत लेवल पर भी आपकी एजेंसियों को भी इसमें लें। नक्शा नहीं बना पाते, स्टेडियम के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, एक्वीजेशन कर नहीं पाते इसलिए स्टेडियम बन नहीं पाता और 50 पर्सेन्ट जनसहयोग मिल नहीं पाता और भारत सरकार की शर्त है कि 50 पर्सेन्ट आपका

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

योगदान मिले तब यह पैसा मिलता है। यह मामला आपने साफ नहीं किया इसलिए मैंने आपसे यह बात खासतौर से पूछी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक बात और रह गई, मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने वैसे ही इस क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, खासतौर से ग्रामीण महिलाओं की प्रतियोगिताओं का जिक्र आपने किया। कई बार इस प्रकार के मामले आये हैं कि ग्रामीण महिलाओं की जो नेशनल चैम्पियनशिप होती है उसमें शहरों की लड़कियों को ले जाकर उन्हीं को ग्रामीण प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाया जाता है उसका नतीजा है कि हमारे सामने नई टेलेंट्स आती नहीं है, शहरों से ही लड़कियां लाई जाती हैं। गांवों से अगर लड़कियों का सलेक्शन किया जाय तो मैं समझता हूं हमारी उपलब्धि ज्यादा होगा।

श्री अध्यक्ष : पहले पर्दे से तो बाहर निकालें फिर खेल में आ जायेंगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, अभी बहुत लोग निकल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुंझूनूं में अनपढ़ हैं और उसमें नेशनल लेवल पर खेलती हैं।

श्री अध्यक्ष : आप झुंझूनूं की बात कर रही हैं ये गांवों की बात कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं गांव की बात कह रही हूं। वह गांव की है, बिलकुल अशिक्षित है।

श्री अध्यक्ष : एकाध गांव होंगे, सारी स्थिति सबको मालूम है। आप उनको मैदान में लायें तो सही, खेलकूद की व्यवस्था अपने आप ही हो जायेगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जब दिल्ली में एशियन गेम आयोजित हुए थे तब जमवारामगढ़ रोइंग सेन्टर डवलप करने की घोषणा की गई थी। भारत सरकार ने भी इसको रोइंग सेन्टर बनाने का फैसला कर लिया था लेकिन आज हालत यह है कि जमवारामगढ़ के अन्दर पानी उपलब्ध नहीं है लेकिन हमारा रोइंग सेन्टर चला गया उसका मुख्य कारण था कि वहां पर उनको मकान उपलब्ध नहीं हुआ, जमीन उपलब्ध नहीं हुई। टूरिज्म कार्पोरेशन से भी बात चली, आई. टी डी. सी. के जो हट्स बने थे वो देने की बात थी उसमें भी कुछ संकट आया। मैं सोचता हूं अगर राजस्थान सरकार समय पर उस समय दिलवा दिये जाते या व्यवस्था हो जाती तो रोइंग सेन्टर नहीं जाता। अब मैं सोचता हूं उदयपुर बैटर स्थान रहेगा और पानी की उपलब्धता वहीं होगी। रोइंग सेन्टर सबसे बढ़िया राजस्थान सरकार को सजेस्ट करना चाहिए तो वह उदयपुर में हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल पूछ लें। आपकी अनुमति

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

से पूछ लूं। On the last day, I do not want to offend the....

श्री अध्यक्ष : आप एक सवाल पूछ लीजिए। (व्यवधान) आप बहुत पूछ चुके हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिन कोचेज को आप पंचायत समिति स्तर पर लगाने की बात कर रहे हैं उनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी ? क्योंकि मेरे कुछ पोलिटिकल एप्रीहेन्सन्स हैं इस मामले में।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आपने पूछ लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, इसको कम्पलीट कर दूं।

श्री अध्यक्ष : सवाल हो गया ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा पोलिटिकल एप्रीहेन्सन यह है कि....

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं आपने वह एप्रीहेन्सन बता दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं हाउस को बताना चाहता हूं, ध्यान में रहे और यह बात रिकार्ड में आ जाय जिससे आगे कभी बात हो सके तो हम कह सकेंगे। मेरा पोलिटिकल एप्रीहेन्स यह है कि आप क्या दलगत राजनीति के आधार पर इन नियुक्तियों को करेंगे या आपका चयन का आधार केवल स्पोर्ट्स रहेगा इसको भी आप बता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ग्रामीण अंचल के जो खेल हैं जैसे–दड़ीमार और गिली-डण्डा इनके विकास के लिए, ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भी क्या विशेष ध्यान रखेगी ? इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं.... (व्यवधान) जो 4–5 साल से बन्द पड़ा है और उसको लोग तोड़-तोड़ कर ले जा रहे हैं क्या आप उसको ठीक कराने का या बजट प्रावधान करने का इसमें रखा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। माननीय मंत्रीजी।

(5.00 म. प.)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नियुक्तियां कैसे होंगी, मैंने निवेदन किया, मैंने शर्तें बताई हैं— वह शर्त यह है कि यह प्रशिक्षक उसी गांव अथवा पंचायत समिति में रहने वाला एक शर्त, राज्य स्तर या जिला स्तर पर जो खेल चुका होगा, यह तो उसकी क्वालिफिकेशन है। अब खेल, खेल की भावना से खेला जाता है, यह नियुक्तियां भी खेल भावना से ही होंगी। आपको वहम करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : समय बतायेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तक माननीय जनार्दन सिंहजी ने कहा है, आपके सुझाव काफी ठीक हैं और उसके बाद ही अपन चर्चा करें कि खेलों में कैसे विकास किया जा सकता है और क्या हम सोच सकते हैं। आपने महिलाओं की बात की, उधर गुल्डी-डण्डे की बात की तो उपकरण तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, खिलाड़ी आप ले आइये और यही सहयोग मांगता हूं आपसे कि खिलाड़ी आखिर आयेंगे कहां से....

श्री अध्यक्ष : नहीं तो आप गुल्ली-डंडा भी सप्लाई-आराम से कर सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह करा दूंगा मैं। उपकरण मैं दिला दूंगा, बाकी खेलों में बहुत गुंजाइश है, बहुत विकास की आवश्यकता है, वह कोई बहुत जल्दी तो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि जब तक गांवों में नहीं जायेंगे, आज खेलों की प्रतिभाएं शहरों के मुकाबले गांवों में अधिक रहती हैं निश्चित रूप से, उनको जब तक तराशा नहीं जायेगा, उनको आगे जाने का मौका नहीं दें...

श्री अध्यक्ष : और जोधपुर में क्या है, जोधपुर का पूछ रहे हैं वह।

श्री भंवरलाल शर्मा : जोधपुर का स्टेडियम बन रहा है ना आपका।

श्री परसराम मदेरणा : बन रहा है लेकिन आप यह बताइये कि इन्टरनेशनल स्तर का जो आप तरण-ताल का निर्माण कर रहे हैं उसमें दूसरे उपकरण तो लेंगे लेकिन आप स्वीमिंग ड्रेस भी देंगे क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : स्वीमिंग क्या ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कास्ट्यूम, स्वीमिंग के कास्ट्यूम भी देंगे क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : और वहां प्राइवेट लोगों को उसमें खेलने के लिए अलाउ करेंगे या उसमें सिर्फ आपके जो एथलीट्स हैं उन लोगों को देंगे और देंगे तो अगर यहां जयपुर में पानी की....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसका।

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर में पानी की कमी है तो फिर इसमें....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं समझता हूं, इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह दूं कि बिना कास्ट्यूम के किसी आदमी को तरणताल में नहीं घुसने दिया जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : लेडीज को भी देंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल ।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम इसमें है, आप कहो तो मैं सुनी दूं, आपका नाम

(श्री अध्यक्ष)

सुरेन्द्र गोयल और नम्बर 16 पर है आपका नाम, सुरेन्द्र गोयल का।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सूची में उल्लिखित विधेयकों का पुरः स्थापन

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। अभी एक घण्टे भर पहले एक कार्यसूची यहां सर्कुलेट हुई, मैंने उस पर पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया था। मेरा यह दूसरा पाइण्ट आफ आर्डर है। उसके ठीक एक घंटे के बाद में राज्य सरकार ने इस कार्यसूची के द्वारा इस सदन को यह सूचित किया है कि हम उन तीन बिल्स को पुरःस्थापित नहीं करना चाहते। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार एक घंटे के बाद में कार्यसूची के सम्बन्ध में जो उसका इन्टेशन है उसमें इतना जबर्दस्त फ्लेक्चुएशन है कि किसी भी इलेवन के. वी. की लाइन पर नहीं होता। सरकार का यह एक्शन मुहम्मद बिन तुगलक का जो मानसिक डिरेलमेंट है, उसके समानान्तर यह म्यूटेटिस-म्यूटेण्डिस सप्लाई होता है। अध्यक्ष महोदय, हम बेसिकली लेजिस्लेटर हैं, हम विधायक हैं, और हम इसलिए आये हैं, हमको कानून बनाना चाहिए। पालियामेंट्री डेमोक्रेसी का बहुत इम्पोर्टेंट पिलर यह है लेजिस्लेचर और हम हैं लेजिस्लेटर, आये हैं कानून बनाने के लिए और यह सरकार उन तीन बिल्स को, यह हो सकता था महोदय, मैंने सोचा कि सरकार यह तीनों बिल्स इसलिए इन्ट्रोडयूस करा रही है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट आफ आर्डर यह है अध्यक्ष महोदय कि हमारा लॉ को लेजिस्लेट करने का यह प्रिविलेज है और उस प्रिविलेज के अन्दर हमारा यह प्रिविलेज है और यह लाकर के सरकार ने जो विथड्रा किया है, सरकार आर्डिनेंस नहीं निकालना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, उसके बाद लाइये क्योंकि इस सत्र का आखिरी दिन है। लेकिन इसमें अगर आर्डिनेंस लाना चाहते हैं और सलेक्ट कमेटी नहीं देना चाहते, मैं तो सोच रहा था यह सलेक्ट कमेटी को रेफर करेंगे ताकि बहुत गहराई से गहन अध्ययन इस पर किया जा सके, तो यह हमारा प्रिविलेज है लेजिस्लेट करने का, जो लॉ और जो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिलर है पालियामेंट्री डेमोक्रेसी के, उसके प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है और दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि लेजिस्लेचर की जो अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस है, उसका अब्रोगेट कर रही है, यह कर रही है सरकार, हमारे उस प्रिविलेज को अंडर-माइन कर रही है, उसको कोहरेज कर रही है और आप हमारे संरक्षक हैं इसलिए हमको बचाइये और हमारे पावर्स का हमें प्रयोग करने दीजिए और मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह सरकार ने आर्डिनेंस निकाला तो इसका मतलब यह होगा अध्यक्ष महोदय कि यह सरकार एक दफा इन्ट्रोडक्शन करके यह इन्टेन्शन जाहिर करके फिर आर्डिनेंस निकालती है और आर्डिनेंस इन्टर सेशन पीरियड में निकलता है, जब हाउस सेशन में नहीं हो, सरकमस्टांसेज वारण्ट करते हों,

(श्री परसराम मदेरणा)

इमरजेंसी हो, तब आर्डिनेंस निकलता है लेकिन अब इससे मालूम हो रहा है कि जो विड्रा कर रही है और सलेक्ट कमेटी को रेफर नहीं कर रही है, एक घंटे के दरम्यान ही इस इन्टर सेशन पीरियड में, इसका मतलब यह है कि सब लेजिस्लेचर्स को यह सरकार ठेंगा दिखा रही है कि हम तो प्रमोलगेट करेंगे आर्डिनेंस अन्डर आर्टिकल 213 आफ दी कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया और सब लेजिस्लेचर्स, आप देखते रहियो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मेरा निवेदन यह है, फिर आप जो चाहे कहिये। पर this is no point of order. यह मैं बता रहा हूं। अब आप कहिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह ठीक है आपकी बात। मैं इतना निवेदन कर दूं कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तो पाइन्ट आफ आर्डर यह रेज किया था कि आज क्यों सर्कुलेट किया, अभी का अभी क्यों सर्कुलेट किया। आपने यह पाइंट आफ आर्डर रेज किया है ना।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा प्रोग्राम बना हुआ था कल जोधपुर जाने का, इसलिए मैंने कहा कि दो दिन सेशन की अवधि आगे एक्सटेंड कर रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, आप अभी चले जायें जोधपुर, मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : या सलेक्ट कमेटी में ले रहे हैं। मेरा मतलब यह था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, आपने एतराज तो किया था ना।

श्री परसराम मदेरणा : एतराज यह नहीं किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया कि इस समय सर्कुलेट क्यों किया गया ? अब आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली तो आपत्ति हो गई आपको।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, आपने मेरी बात स्वीकार नहीं की है मुख्य मंत्री जी। आप चतुराई से, बहुत ही रिफाइन्ड वे में बात कहते हैं यहां पर। मुझे यह दिखता है कि आप जैसे मैच्योर पार्लियामेंट्रियन के यह नोटिस में ही नहीं था...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आगे बोल लूं, उसके बाद कह लेना।

श्री परसराम मदेरणा : अगर नोटिस में नहीं था, यह सब घपला और कैसे हुआ है, जब आपके नोटिस में आया तो अब आप यहां पर भोपालगढ़ वाले माननीय सदस्य की ओट में जो यह खेल खेल रहे हैं यह मत खेलिये—We are in Legislature आप यों—Hide and Seek.

यह मेथड क्यों रिजोर्ट कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिये। मेरी बात मैं विथड्रा करता हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपके कोर्ट में नहीं फेंकी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बिल जिस समय इन्ट्रोड्यूस किया गया आज, कि आज इन बिल्स को इन्ट्रोड्यूस किया जाय, शायद आपको इस बात की जानकारी होगा कि मैंने आपने चर्चा की थी इन्हीं बिल्स के सम्बन्ध में और चर्चा यह की थी कि हाउस में पेश करने के पहले मैं बाकी के मेम्बर्स से सलाह कर और क्या-क्या अमेण्डमेंट्स हो हो सकते हैं उस आधार के ऊपर यह बिल पेश करूंगा, आपसे अगर चर्चा नहीं होती तो मैं समझता हूं कि आप कह भी सकते हैं और इस चर्चा के आधार पर मैंने यह उचित समझा....

श्री परसराम मदेरणा : चर्चा होने के एक घंटे बाद में जब यह सर्कुलेट हो गया ना बुलेटिन तो मैंने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह मैं आपको बताउं।

श्री परसराम मदेरणा : कि मुख्य मंत्री जी ने मुझे बाहर बुलाकर बात की यहां पर खड़े-खड़े....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बात दोनों मंत्रियों को कन्वे नहीं कर पाया था....

श्री परसराम मदेरणा : तो इस तरह से इसमें माइन्ड अप्लाई कीजिए कलेक्टिवली, तो मैंने यह सोचा कि यह + + + शायद की है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, आप जो सोच रहे हैं, यह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : और जिस + + + के अन्दर आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं तो समझा यह, शायद आपने नहीं किया होगा क्योंकि एक घंटे पहले मुझे बात करें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें बहुत डिटेल में देखने की बात है और फिर इन्ट्रोड्यूज हो जाय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बताया न आपको।

श्री परसराम मदेरणा : सामान्यतः आदमी यह ही इन्फरेन्स निकालेगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह आप इम्प्रेशन गलत निकालते हैं कभी-कभी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो क्या गलत निकालता हूं, मेन्टल मेक-अप को मैं जितना जानता हूं, इस सदन में बहुत कम आदमी जानते हैं। मैं चुपचाप बैठा-बैठा, बोलता नहीं हूं।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अर्ज करूं मैंने यह देखा कि इसको सर्कुलेट करने के लिए एजेन्डा में एक सप्लीमेंट्री एजेन्डा आया है उसके पहले ही मैं आपसे बात कर लूं। मैंने दोनों मंत्रियों से कहा कि मैंने इस विषय पर बात कर ली है, आज इनको इन्ट्रोड्यूज नहीं किया जाय, सारी चर्चा हो जायेगी उसके बाद में हाउस में इन्ट्रोड्यूज होगा। आप ग्रार्डिनेंस इश्यू करने का गवर्नमेंट का राइट है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज भी राइट है।

श्री परसराम मदेरणा : नो-नो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिल इन्ट्रोड्यूज करने के बाद नहीं कर सकते.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा नहीं है, लेकिन इस सदन में....

श्री परसराम मदेरणा : राइट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राइट भी है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप सदन के नेता हैं और आप अगर यह बात कहें कि हमारा यह राइट है आर्डिनेंस....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर्डिनेंस कांस्टीट्यूशनल अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, आर्डिनेंस राइट है नहीं, आर्डिनेंस तो इन्टर सेशन पीरियड में कोई सरकमस्टांसेज आ जायं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वही तो, आर्डिनेंस तो हमेशा....

श्री परसराम मदेरणा : और पहले एडमिशन करके आप और आज हाउस बैठा हुआ है इन सेशन और आप यह बात कह रहे हैं कि हमारा राइट है, कतई राइट नहीं है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कतई नहीं है आपका राइट।

श्री परसराम मदेरणा : यह राइट आप छीन रहे हैं इस लेजिस्लेचर का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कान्सटीट्यूशन के अन्दर हाउस चल रहा है तो आर्डिनेन्स इश्यू नहीं कर सकते। बिलकुल सही है और यह भरोसा रखिये कि हाउस चलता रहेगा तो न तो आर्डिनेन्स इश्यू करेंगे और न आर्डिनेन्स इश्यू होगा लेकिन हाउस यदि एडर्जन होता है तो उसके बाद गवर्नमेन्ट को राइट है कान्स्टीट्यूशन में कि गवर्नमेंट आर्डिनेंस इश्यू कर सकती है। तो आर्डिनेंस इश्यू करने की दृष्टि से हमने इसको विथड्रा किया है यह बात नहीं है। आप लोगों से सलाह मशविरा करके कि बिल किस प्रकार का बने और बातें जो सदन में आई हैं उन बातों का भी उसमें उल्लेख किया जा सके इस दृष्टि से किया है। अब आप यह कहें कि सलेक्ट कमेटी को भेज देते और सलेक्ट कमेटी में वह बातें आ जाती। (व्यवधान) सलेक्ट कमेटी का स्कोप स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स है उसके बाहर नहीं

Page No. 184

184

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जा सकते। जितना स्कोप है उसी में बात करेंगे और उसके बाद कोई नयी चीज इन्ट्रोड्यूज करना चाहे सलेक्ट कमेटी में वह नहीं कर सकते ? इसलिए दिक्कत आयेगी। मैंने तो आपसे सलाह करके सब कुछ किया है फिर भी आपको आपत्ति है तो भगवान की ही मर्जी।....

श्री परसराम मदेरणा : आप इसको देख लीजिए। आप सलेक्ट कमेटी में भेजेंगे तो कम से कम मेरी क्या सलाह होगी इसमें, यह तो सब दूसरे मेम्बर्स का कलेक्टिव विस्डम आ जायेगा वहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी नाते मैंने आपसे कहा है। सब पार्टियों के नेताओं से टेनेन्सी बिल के बारे में विचार करके लाऊंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो यह एश्योर कर दो कि हम आर्डिनेन्स इश्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कान्सटीट्यूशन में जो अधिकार मुझे दिये हुए हैं उनका प्रयोग करूंगा।

श्री नत्थी सिंह : यह साफ है कि आर्डिनेन्स ही करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर नीयत बिलकुल साफ है कि आपने इसलिए विथड्रा किया है कि आप आर्डिनेन्स नहीं निकाल सकते थे इसलिए आपने इसको विथड्रा किया। यह बिलकुल साफ है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्री जी आप बार-बार सरकार का अधिकार, मेरा अधिकार कह रहे हैं लेकिन झगड़ा इस बात का है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कान्स्टीट्यूशन में सरकार का अधिकार है....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। गवर्नर इज सेटिस्फाइड। गवर्नर्स की पावर्स वहां पर कान्स्टीट्यूशनल हैड नहीं है। यह गवर्नर की इंडिपेन्डेन्ट पावर्स आफ दी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नर सेटिस्फाइड होंगे तो....

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नर को तो आप सेटिस्फाई करेंगे लेकिन गवर्नर की पावर्स को यहां स्नेच कर रहे हैं। हमारी पावर्स यूज अप कर ली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई किसी को पावर्स को स्नेच नहीं कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नर की पावर्स को छीन रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो। वह तो आप भेजोगे। Governor is satisfied that the circumstances exist and it is necessary to promulgate an ordinance during the inter-session period.

इन्टरसेशन आया ही नहीं। पहले ही आपने अपनी इन्टेन्शन जाहिर कर दी कि मैं तो इन्टर-सेशन बनाऊंगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्यों ने बहुत परटीनेन्ट क्वेश्चन पूछा है कि आप आर्डिनेंस तो नहीं ला रहे हैं ना ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा जो कान्स्टीट्यूशन में लिखा हुआ है वह सरकार का अधिकार है। कान्स्टीट्यूशन के बाहर नहीं जायेंगे ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, देखिये मुख्य मंत्री जी, यहां पर सवाल यह नहीं है । सवाल यहां पर यह है कि जब भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, आसन से यह व्यवस्था हो गयी थी....

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा जी आप देखिये । विराजिये । उसको इससे मत मिलाइये । आप चाहें तो इस बारे में कान्स्टीट्यूशनल पोजीशन क्या है वह मैं बता सकता हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बताइये फिर । हम यही जानना चाहेंगे । आपकी व्यवस्था से पहले मैं एक अपना सब मिशन देन चाहूंगी ।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए—"The President may issue an ordinance to enforce the provisions of a Bill introduced in and pending before the House."

This is the constitutional position.

श्री मांगीलाल जी ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने पहले रूलिंग दूसरी दी थी और जब आप रूलिंग दूसरी दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये । मैं जवाब दे रहा हूं । उस समय कान्स्टीट्यूशनल पोजीशन का सवाल नहीं था । 'इट वाज ए मैटर आफ सिम्पल ट्रेडीशन' । सामान्यतया जो आप कहते हैं...(व्यवधान) जब बात छिड़ी है तो 'लेट मी क्लियर माई सेल्फ' । मेरी बात सुन लीजिए । जब आप कहते हैं आर्डिनेन्स एक्सेप्शनल केसेज में जारी होता है । यह तो कान्सटीट्यूशन में लिखा हुआ है । 'ईवन देन' आर्डिनेन्स पर आर्डिनेंस जारी हो रहे हैं और वह बिल के एक्ट के रूप में आपके सामने आते है और रोज उनके खिलाफ आप प्रस्ताव भी देते हैं लेकिन उसके बावजूद चूंकि पावर आर्डिनेंस जारी करने का है अब उसका किस तरह से यूज करेंगे इस पर भिन्न-भिन्न समय पर ऐसी व्यवस्था हुई हैं, पार्लियामेन्ट में भी हुई हैं, आर्डिनेन्स इस तरीके से रूटिन में जारी नहीं किया जाना चाहिए उसके बावजूद भी होते हैं क्योंकि कान्सटीट्यूशन में है । अब आपने कान्सटीट्यूशनल पोजीशन तो यह है कि होना नहीं चाहिए कि बिल यहां पेश हो जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय वह तो आपने प्रेसीडेन्ट का पढ़ दिया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जब बिल पेन्डिग हो तब उसके प्रावीजन्स को एन्फोर्स करने के लिए आर्डिनेंस जारी हो सकता है या नहीं, इस पर मैंने कहा है प्रेसीडेन्ट इश्यू कर सकता है । यदि बिल हाउस के सामने पेन्डिग हो तो उसके प्रावीजन्स को एन्फोर्स करने के लिए आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं । जो काम प्रेसीडेन्ट कर सकता है वही गवर्नर असेम्बली में

(श्री अध्यक्ष)

स्टेट में कर सकता है। 'दिस इज दी कान्स्टीट्यूशनल पोजीशन'। सामान्यतया उसका मिस-यूज नहीं होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह बात सही है लेकिन ऐसा होता है तो that cannot be called against the Constitution. उसको कान्स्टीट्यूशन के विरुद्ध नहीं कह सकते आप। यह कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ नार्म्स हैं कि कान्सटीट्यूशन में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मेजारिटी पार्टी राज्य करेगी। कहीं भी लिखा नहीं है कि कान्सटीट्यूशन में कि मेजारिटी पार्टी राज करेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : आज माइनारिटी पार्टी कर रही है राज।

श्री अध्यक्ष : बहुत-सी बातें इसमें हैं। बहुत-सी बातें ऐसी हैं कि जो हमने कनवेंशन की है। आपको तो मैं और दृष्टान्त दे दूंगा कि वह बिलकुल सेपरेट चीज है। इसलिए उससे नहीं है। कान्सटीट्यूशनल पोजीशन यह हैं और मैं समझता हूं कि उस समय कान्सटीट्यूशन का सवाल नहीं था, परम्पराओं की बात थी। तो मैंने कहा कि जनरली ऐसा होता है कि बिल पेश करने के बाद में आर्डिनेन्स जारी नहीं होता है या सरकार विथड्रा कर लेती है बिल को लेकिन जब कान्सटीट्यूशन का सवाल है तो उसमें उनको अधिकार है बिल के प्रोवीजन्स को एन्फोर्स करने के लिए आर्डिनेन्स कैन बी प्रोमलगेटेड।

श्री मांगीलाल जी।

राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्यय अनुमान पर विचार

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन में विद्युत पर जो चर्चा हो रही है उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए निवेदन करूंगा। गत सरकार में बिजली की अव्यवस्थाओं से किसान, उद्योगपति और आम उपभोक्ता परेशान था। गत दो वर्षों में राजस्थान की महान् जनता ने हमको सत्तापक्ष में बैठाया। मैं माननीय मंत्री महोदय को बार-बार धन्यवाद दूंगा कि इनके प्रयासों से और हमारी सरकार के प्रयासों से किसान को लगातार 8 घण्टे बिजली दी गयी और जिससे किसान और इस प्रदेश का उत्पादन बढ़ा और उसी के अनुरूप इस वित्तीय वर्ष 1992–93 में जो 1400 करोड़ का हमारा बजट है उसमें चौथाई से भी ज्यादा इस विद्युत पर जो बजट रखा है इससे हमारी सरकार इस विद्युत व्यवस्था के प्रचार और प्रसार अनियमितताओं में सुधार करेगी। इस तरह की मंशा इस बजट से जाहिर हो रही है। मैं चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्थाओं का पिछले 42–43 वर्षों में प्रसार कम है और किस तरह से आम उपभोक्ताओं को पिछली परम्पराओं के अनुसार जो परेशानी हो रही है उसकी ओर माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर निवेदन करूंगा कि इसमें सुधार किया जाये।

उदाहरण के तौर पर जैसे किसी किसान को अपने कुएं पर कनेक्शन लेने के

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

लिए किसी गांव में विद्युत की स्वीकृति देने के बाद में कोई डिमाण्ड नोटिस होते हैं उसमें सारे चार्जेज किसानों से और ग्राम उपभोक्ताओं से वसूल किये जाते हैं पर होता उससे विपरीत है। विभाग के पास ट्रक नहीं है, विभाग के पास कोई वाहन नहीं है इसलिए चाहे 50 किलो मीटर दूर हो, वहां से किसान ही अपने ट्रेक्टर से खम्बे लाता है और मेटेरियल लाता है। किसान ही, उपभोक्ता ही उनको गाड़ता है और सारी लेबर किसान स्वयं करता है जब कि चार्जेज सरकार ले रही है। यह सारी अनियमिततायें गत कई वर्षों से चली आ रही हैं। मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही निवेदन करूंगा। विशेष तौर से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस तरह का उपभोक्ताओं के साथ जो यह हो रहा है उसको बन्द किया जाये और व्यवस्थायें सुधारी जायें।

दूसरी बात पिछले दस वर्षों से जिस तरह से इस प्रदेश में बिजली का प्रसार हुआ है उसके अनुरूप विद्युत विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का अभाव है जब अधिकारियों और कर्मचारियों का स्टाफ नहीं होता तो सारी देखरेख नहीं होगी और उससे उपभोक्ता परेशान होगा। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। आज भी वहां 50 प्रतिशत गावों में बिजली नहीं है और पांच-सात गांवों के बीच में कहीं कोई लाइनमैन नहीं है जब वहां पर किसी छोटी मोटी गलती के कारण से फाल्ट हो जाता है तो पांच पांच दिन तक वहां विद्युत व्यवस्थायें ठप्प रहती है जिससे सारे गांव को, किसानों को, उपभोक्ताओं को परेशानी होती है इसलिए मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि जब स्टॉफ की कमी है, जब अधिकारियों से जाकर मिलते हैं तो वह अपनी असमर्थता बताते हैं कि आप स्टॉफ बढ़वाइये। मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि यह जो पिछले 10 वर्षों में जिस अनुपात में बिजली का प्रचार-प्रसार हुआ है उसी के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों की भी पोस्टिंग करवायें उन क्षेत्रों में लगायें ताकि वह उपभोक्ताओं की अच्छी सेवा कर सकें।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करते हुए निवेदन करूंगा कि मेरे यहां एक घाट का बराड़ा सब स्टेशन के लिए पिछले 7 वर्षों में 3 बार वहां 33 के. वी. सब स्टेशन की मन्जूरी हुई और न मालूम क्या इसका राजनीतिक या पता नहीं प्रशासनिक कमियां हैं, या कोई व्यवस्थाए बदल रही हैं कि 3 बार वहां से चेन्ज किया गया। आज भी कई बार मुझे विधान सभा में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से, अधिकारियों से व्यक्तिगत मिलने के बाद जब यह बताया जाता है, स्वीकृत है जल्दी काम चल रहा है और

(5.21 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बहुत दुख के कहना पड़ता है कि आज दिन तक भी वह 33 के. वी. का सब-स्टेशन मंजूरशुदा है जहां काम नहीं हो रहा है और एक तरफ मेरे यहां, मैं कोटा सम्भाग का रहने वाला हूं और कोटा सम्भाग ही मेरा

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

चुनाव क्षेत्र है और दुख की बात है कि "दिया तले अंधेरा"। आज भी वहां 50 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जो आज भी अंधेरे में डूबे हैं। वहां की 10 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो तीन-तीन हजार की आबादी के हैं, तो मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि जो बिजली की व्यवस्था है उनमें स्टॉफ को बढ़ाया जाय। किसानों को, जहां उनके द्वारा ही सारी लेबर की जाय तो मैं माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान दिलाऊंगा कि ऐसे अधिकारियों को वहां उनको ट्रक और अन्य वाहन की सुविधा दी जाय ताकि वह उन किसानों की, गांवों की अच्छी सेवा कर सकें और बिजली की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत के सम्बन्ध में जो चर्चा सदन में हो रही है उसके सम्बन्ध में समय ज्यादा नहीं होने के कारण मैं खास कर मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति चाकसू और बस्सी में तुरन्त प्राथमिकता के तहत एक हजार के करीब कनेक्शन थे। सरकार की तरफ से यह आदेश होने के बावजूद तुरन्त प्राथमिकता के तहत जितने भी कनेक्शन हैं वह काश्तकारों को दे दिये जायेंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करीब आधे कनेक्शन, जितने कनेक्शन जो दिये गये, करीब 500 के करीब जो तुरन्त प्राथमिकता में दिये गये उनका 10 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में एस्टीमेट बनाया गया डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया। जिसके तहत तुरन्त प्राथमिकता के अन्तर्गत लोगों ने 50-50 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए लेकर और एक्स. ईएन. आफिस और ए. ईएन. आफिस के चक्कर काटते रहे लेकिन उनमें से आधे व्यक्ति जो तुरन्त प्राथमिकता में अभी भी कनेक्शन नहीं करवा सके हैं इसलिए मेरी आपसे मांग है कि आप तुरन्त प्राथमिकता में जो काश्तकार कनेक्शन लेना चाह रहे हैं उनके लिए 31 मार्च के बाद में तुरन्त योजना के जो कनेक्शन देना बंद कर दिया है, उनको चालू करने की स्वीकृति दी जावे और जो डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये हैं उन कनेक्शनों को भी दिये जावे। जिन गांवों में 10 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया और विद्युत लाइन, जिन गांवों के बीच में करीब 10 वर्षों से विद्युत लाइनें जा रही हैं और वह गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र इलक्ट्रिफाइड किया जावे। ऐसे 33 गांव पंचायत समिति बस्सी और 13 गांव पंचायत समिति चाकसू में आते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको शीघ्र विद्युतिकृत किया जाय।

तहसील बस्सी के ग्राम कचोलिया, जहां 33 के. वी. जी. एस. एस. जहां पर करीब 7 वर्ष से वहां का सारा सामान जाकर पड़ा हुआ है, तारबंदी हुआ पड़ा है वहां का काफी सामान चोरी हो गया है

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

लेकिन 33 के. वी. का जो जी. एस. एस. है अभी तक उसका कार्य चालू नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बस्सी तहसील के ग्राम कंचोलिया का जो 33 के. वी. जी. एस एस. जिसका करीब-करीब सामान वहां पड़ा हुआ है उसका कार्य चालू किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्षेत्र में यह अन्त्योदय में चयनित परिवार, माडा योजना के गांवों में और जीवनधारा के तहत जो कुए बनाये गये हैं, अकाल राहत के तहत जो कुए बनाये गये हैं उन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिये जायं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के बारे में यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो-राय नहीं है इसके लिए आप चाहे कोई कमेटी गठित करें या कुछ भी करें, आपके जो अधिकारीगण हैं चाहे चेयरमैन साहब को ले लीजिए, चाहे टी. एम. साहब को ले लीजिए, आपके चीफ इन्जीनियर को ले लीजिए, एस. डी. साहब को ले लीजिए मैं व्यक्तिगत किसानों को साथ में लगातार डेढ़ साल से और उनको लिखित में शिकायत कर के किसानों को साथ लाकर के कि तीन-तीन हजार या दो-दो हजार या सात-सात हजार रुपए जो विद्युत कनेक्शनों के बारे में लिये जा रहे हैं उनको रोका जाय लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में फैला हुआ है यह इसमें चेयरमैन साहब और टी एम. साहब सब लिप्त हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मैं आपको अभी कल का ही उदाहरण दूं आपको, मेरे विधान सभा क्षेत्र चाकसू के ए. ईएन. आफिस में जो कारनामे हो रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। 11 व्यक्तियों की सूची है उनमें से जो तुरन्त प्राथमिकता में हैं, मैं आपको नाम बताऊं कि ग्राम चीमापुरा के 11 काश्तकार हैं। 11 में से 4 काश्तकारों ने 7 हजार रुपएं इस आधार पर कि तुमको कनेक्शन दे दिये जायेंगे, 31 तारीख के पहले-पहले 28 तारीख के अन्दर एस्टीमेट बना कर यदि आप 11 के 11 यह एप्लीकेशन लिखकर दें कि 7-7 हजार रुपये तुरन्त प्राथमिकता के पैसे जमा कराने के अलावा रिश्वत के रूप में दिये जायं, जिनमें वहां पर राम स्वरूप शर्मा एक एल. डी. सी. हैं, प्रभुनारायण हैं, एक गणेशनारायण हैं, यह तीनों व्यक्ति जो ठेके का काम भी लेते हैं वहां चाकसू में। उन्होंने 4 काश्तकारों से 7-7 हजार रुपए लिये

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन काश्तकारों से जो सात-सात हजार रुपए लिये हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन सहायक अभियन्ता चाकसू की आप जांच करवायें और उसमें 7 तो यह हैं इसके अलावा ग्राम चीमापुरा, ग्राम नौव्रमपुरा और ग्राम देलाड़ा के और हीरापुरा के यह जो काश्तकार हैं, जिनसे यह पैसे वसूल किये हैं 3 दिन के अन्दर-अन्दर इन काश्तकारों के पैसे वापस लौटाये जायं और तुरन्त प्राथमिकता योजना में जो काश्तकार

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

रह गये हैं उनको कनेक्शन जारी करवाये जायं।

एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपके सामने कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप शीघ्र पूरा कीजिए। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक यह डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया। 1870 रुपए अधिशासी अधिकारी के यहां से स्वीकृत हो कर चला गया और फिर सहायक अभियन्ता कार्यालय से काश्तकार को कहा कि 2 हजार रुपये तुमने नहीं दिये हैं इसलिए वहां पर उसको 5870 का डिमांड नोटिस दोबारा बना दिया गया। 5870 का, और काश्तकार ने एक तरफ तो यह 1870 का उसी काश्तकार का है, एक है 5870 रुपए हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिश्वतखोरी का यह मामला है इसकी जांच की जाय और जब भी आपको बारबार शिकायत करते हैं इसकी कोई सुनवाई नहीं होती कहीं भी। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाये जायं। साथ ही मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री हीरालालजी आर्य। पूरा हो गया, बिराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब भी बोलता हूं, मैं कम से कम....

श्री उपाध्यक्ष : कम-ज्यादा का नहीं है। यहां पांच-सात मिनट दिये गये हैं। इससे ज्यादा नहीं बोलने देंगे।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मेरे क्षेत्र की कोई बात कहना चाहता हूं। आप एक मिनट बोलने का समय नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये। 40 माननीय सदस्यों को बोलना है। समय इतना-इतना ही मिलेगा। बिराजिये आप। माननीय हीरालालजी आर्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 मिनट और लूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बोलने के लिए आप अलग से निर्देश देंगे क्या, आपको नहीं बोलना है खुद को।

श्री कन्हैयालाल मीणा : यह विद्युत सप्लाई की जाती है वह चाहे आप आठ घंटा ही दें लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बिना ट्रिप के दी जाय जिससे काश्तकारों की विद्युत की मोटरें फुंके नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बातें सारी आ गयी हैं। माननीय हीरालालजी आर्य। बिराजिये मीणा साहब। कृपया बैठिये। प्लीज। माननीय हीरालालजी आर्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट भी नहीं दे रहे हैं आप मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। कह दिया आपने जो आपकी समस्या थी। बाकी जनरल बातें हैं, सारे कह रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय, पांच मिनट तो कम से कम देंगे। पांच मिनट भी नहीं दे रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। हीरालाल जी आर्य, शुरू कीजिये। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय उपायध्यक्ष महोदय, मैं दो महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। मैं नहीं बोलने दूंगा। अब बिराजिये आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत तारों की जो चोरी हो रही है उस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई नयी बात कह रहे हैं क्या आप ?

श्री कन्हैयालाल मीणा : एक अकेले विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मैं आपको बता रहा हूं, 17 जगह एक दिन में तार कटे, आज तक उन चोरों को नहीं पकड़ा गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, मीणा साहब। माननीय हीरालालजी। आप बैठिये, मैं अलाउ नहीं करूंगा। यह बोलें, नोट नहीं कीजिये आप। आप बैठिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप बोल नहीं पायेंगे। बिराजिये, नोट नहीं हो रहा है। आपने कहदी बात थी जो। अब क्या रह गया शेष।

श्री कन्हैयालाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। नोट नहीं हो रहा है। बैठ जाइये आप। माननीय मीणा साहब, सहयोग कीजिये। कृपया मीणा साहब, बैठिये। माननीय हीरालालजी आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण विकास के लिये बिजली का बहुत महत्व है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां हमेशा सूखा पड़ता है, जनता का जो मुख्य आर्थिक आधार है वह कृषि है और कृषि भी राजस्थान में अक्सर बारानी है। केवल एक मात्र सिंचाई का जो साधन है वह कुआं है। इसलिये राजस्थान जैसे प्रदेश के लिये बिजली का बहुत महत्व है। लेकिन हम देखें, राजस्थान

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)

में बिजली का जो उत्पादन है वह बहुत कम है। लोगों के लिये, जनता के लिए, उद्योग धंधों के लिये और कुओं के लिये बिजली की जो आवश्यकता है उस पूर्ति के विरुद्ध राजस्थान में पर्याप्त बिजली नहीं होने की वजह से जनता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है राजस्थान को बिजली की प्राप्ति के लिये अपने स्वयं के जितने साधन हैं उसके अतिरिक्त आस-पड़ौस के प्रान्तों पर या केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसाकि दूसरे प्रान्तों का, भारत सरकार का एक प्रसार का सहयोग रहता है, कम सहयोग रहने की वजह से बिजली राजस्थान में कम मिलती है और कई बार हमें बिजली की कमी की वजह से कई सारा नुकसान उठाना पड़ता है। राजस्थान में बिजली की जो कमी है उसका मुख्य कारण है कि यहां पर कोयला नहीं है, पानी की कमी है और बड़ी रेल लाइन की कमी होने की वजह से भी राजस्थान में बिजली उत्पादन जितना होना चाहिये उतना नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इन कमियों के होते हुए भी जो राजस्थान विद्युत मंडल है यह एक मात्र बिजली पैदा करने का संस्थान है यद्यपि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, उसके पास जो आर्थिक संसाधन हैं वह बहुत कम हैं। कमजोर होते हुए भी एक प्रकार से राजस्थान विद्युत मंडल ने जनता को, उद्योग धंधों को, कृषि के लिये कनेक्शन देने के लिये और ग्रामीण उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन देने के लिये बिजली उत्पादन करके इस कमी को पूरा किया है, उसके लिये निश्चित रुप से राजस्थान विद्युत मंडल बधाई का पात्र है। मैं उसके लिए राजस्थान विद्युत मंडल के जो कर्मचारी हैं, चैयरमेन साहब हैं उनको निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं। निर्विवादित रुप से यह बात बहुत बड़ी है कि आर्थिक साधनों की कमी होते हुए भी, हमारे पास जितने पूरे साधन होने चाहिये थे उसकी कमी के बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान की जनता को बिजली उपलब्ध करा देना, अपने आप में एक मायने रखता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साधनों की कमी संसाधनों की कमी, अर्थ की कमी के बावजूद भी राजस्थान विद्युत मंडल ने पिछले साल जो बिजली पैदा की है। 11144 मिलियन यूनिट है और इस साल पिछले साल की तुलना में 12313 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध करायी है, यह वास्तव में अपने आप में एक रिकार्ड है और राजस्थान के पिछले चालीस सालों के इतिहास में इस प्रकार की उपलब्धि वास्तव में मायने रखती है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है, जो सी. ई. ए. के अनुमानों से भी अधिक है। एक यही कारण है कि राजस्थान में हमेशा बिजली की कमी होती थी, बिजली की कमी की वजह से किसान त्राहि-त्राहि करते थे, किसानों की फसल नष्ट होती थी लेकिन इस बार पहली बार वर्षों बाद राजस्थान में बिजली की कोई कटौती नहीं हुई और किसानों को, उद्योगों का सबको पर्याप्त बिजली मिली। उसके लिये वास्तव में राजस्थान विद्युत मंडल बधाई का पात्र है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी की सूझबूझ

(श्री हीरालाल आर्य)

और इनके काम करने का जो तौर तरीका है, उससे विभिन्न प्रकार की बिजली उत्पादन की योजनाएं, बर्सिहसर परियोजना, सूरतगढ़ की ताप बिजलीघर परियोजना, पलाना की 120 मेगावाट ताप बिजली घर की योजना शुरू हो रही है उसके माध्यम से जो उत्पादन होगा उससे निश्चित रूप से आने वाले सालों में राजस्थान में जो बिजली की कमी है वह नहीं रहेगी और राजस्थान को बिजली पूरी मिल सकेगी। इसी प्रकार कोटा ताप परियोजना का तृतीय स्टेज है उस पर विद्युत मंडल तेज गति से काम कर रहा है उससे भी निश्चित रूप से और बिजली का उत्पादन होगा और बिजली की कमी दूर होगी। यद्यपि वहां पर जो तीसरी स्टेज चल रही है उसके लिये जो साधन हैं कोयला आदि, उसकी कमी है और बहुत दूर-दराज से कोयला आता है, घटिया किस्म का आता है उसके बावजूद भी उस कमी को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार ने जिस तत्परता से सूझबूझ से काम करके कोयला पास की खानों से मंगाना शुरु किया है उससे निश्चित रूप से वहां का उत्पादन बढ़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में जो ताप बिजलीघर है, 1990-91 में इस बिजलीघर का जो प्लांट लोड फैक्टर था वह केवल 40 प्रतिशत था, जो 1991-92 में बढ़कर 63 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है और 1992-93 में 70 प्रतिशत पहुंच जायगा, जो निश्चित रूप से अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और राजस्थान में जो बिजली की कमी है उसको दूर करने में निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इस वर्ष यद्यपि ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य 700 गांवों और 25 हजार कुओं को विद्युतीकृत किये जाने का था लेकिन अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जो पुस्तिका है उसके अनुरूप तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए लेकिन जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने फरमाया है कि वह लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं, इसी प्रकार से अगले साल के जो लक्ष्य तय किये हैं, 700 गांवों और 25 हजार कुओं का....

श्री उपाध्यक्ष : आर्य साहब, पूरा कीजिये जल्दी।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत मंडल जो सबसे बड़ा हमारा बिजली पैदा करने का उपक्रम है, यद्यपि यह घाटे में चल रहा है और 744.94 करोड़ रुपये का घाटा है, जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान विद्युत मंडल की हो गयी थी, लड़खड़ा रहा था और बंद होने से किसानों को, उद्योग धंधों को जो नुकसान होने वाला था, राज्य सरकार ने अपनी सूझबूझ से मदद देकर, हिस्सा राशि देकर वहां का घाटा था उसको पूरा करने का प्रयास किया है, उसके लिये राजस्थान सरकार निश्चित रुपसे बधाई की पात्र है और उसको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान में जो बिजली कमी हो गयी थी, राजस्थान विद्युत मंडल जो घाटे में चल रहा था, लड़खड़ा रहा था और नहीं चल रहा था वह वापस चलने की स्थिति में आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आर्य साहब, इसके ऊपर मेरा आपसे निवेदन है कि आखरी

(श्री उपाध्यक्ष)

दिन है, सब बोलना चाहते हैं और आप मैं आप लोगों को कुछ कहूं, रोका-टोकी भी करूं, ठीक नहीं लगता है। समय सबको बांटना है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह पहला अवसर है जब राजस्थान सरकार ने विद्युत मंडल की मदद करके उसके ब्याज का पुनर्भरण करके उसको सहायता दी है। उससे निश्चित रूप से राजस्थान विद्युत मंडल ठीक प्रकार से काम करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप धन्यवाद दे दीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : मेरे कुछ सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव पहले दीजिए। बखान क्यों करते हैं। पहले सुझाव दे दीजिए।

श्री हीरालाल आर्य : एक मिनट मेरे इलाके के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में सुझाव देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मेरे क्षेत्र की समस्या है मैं टाइम से बंधा हुआ हूं।

श्री हीरालाल आर्य : 1978-79 में इटावा पंचायत समिति का विद्युतीकरण हुआ था जो मार्च, 83 तक एक-एक गांव को बिजली मिल जानी चाहिए थी लेकिन अब तक मेरे यहां गांवों में स्वीकृत होते हुए भी विद्युतीकरण नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि अभी भी 33 गांव हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची है, बिजली पहुंचायी जाय और मेरे यहां इटावा में एक सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोला था लेकिन उसको हटा दिया गया है। अब 100 से अधिक वहां पर आयल मिल हैं कनेक्शन अधिक हैं, उपभोक्ताओं के और उद्योगों के कनेक्शन अधिक हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि नदियों को बार-बार पार करकरके सुल्तानपुर आना कठिन हो जाता है और बरसात के दिनों में तो यह बहुत ही कठिन है। इसलिए वहां की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और वहां के कन्ज्यूमर्स जो बहुत अधिक संख्या में हैं जो बहुत अधिक रेवेन्यु दे रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए वहां पर सहायक अभियन्ता कार्यालय था उसको वापस लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय नाथूराम अहारी। समानता तो रखनी ही पड़ेगी टाइम के मामले में।

श्री हीरालाल आर्य : दूसरा यह निवेदन है कि इन स्थानों पर जो विद्युत कर्मचारी हैं वह बहुत कम हैं। इसलिए मेण्टीनेंस का काम नहीं होता है। कहीं लाइन गिर जाती है तो कई दिनों तक खराब पड़ी रहती है इसलिए संख्या बढ़ायी जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग बात है, यह जनरल टाक है। कृपया सहयोग कीजिए। श्री नाथूरामजी अहारी

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली के बारे में चर्चा हो रही है। मैं भी बिजली के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। आर. एस. ई. बी. की यह पुस्तिका है उसके अनुसार अभी सरकार ने यह कहा

(श्री नाथूराम अहारी)

कि दो वर्ष में बहुत उपलब्धि कर दी है लेकिन मेरे डूंगरपुर में 856 गांव हैं और वर्तमान साल में 18 गांव लिये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 18 गांवों के हिसाब से बाकी गांवों को कितने समय में पूरा करेंगे। 10-11 साल लग जायेंगे। यह गति है। हमारे डूंगरपुर के लिए, आदिवासी एरिया के लिए, आपने जो प्रावधान रखा है कम गांवों का मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहता हूं कि यह जो इस तरह के गांव हैं, बहुत कम हैं और यह इलेक्ट्रिफाई गांवों के लिए, हमारे आदिवासी एरिया के लिए बहुत कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रफ्तार बहुत धीमी है कछुआ चाल है। इसको ज्यादा बढ़ायें और इस साल में ज्यादा से ज्यादा गांव लें।

श्रीमान् आर. एस. ई. बी. की जो योजना है उसमें जिस गांव में मांग थी एक लाइन में 10 गांव हैं और दसवें गांव में बिजली मांगी है तो दसवें गांव को देते हैं। बीच में 9 गांव छोड़ देते हैं। चाहे बड़ी आबादी का है, आबादी ज्यादा है लेकिन सीधे ले जाकर दसवें नम्बर के गांव को देते हैं। बीच वाले गांव रह जाते हैं तो इसमें भी यह प्रावधान होना चाहिए कि हम जिस एरिया या जिस दिशा में लाइन ले जा रहे हैं उस लाइन में आने वाले गांव हैं उसके आसपास के गांवों को देखते हुए ट्रान्सफार्मर लगाना चाहिए तब ही उसकी कैपेसिटी पूरी होगी नहीं तो आने वाले समय में गांव जैसे-जैसे जुड़ते जायेंगे तो उसकी कैपेसिटी कम हो जायेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरफ लाइन जाती है उस लाइन में जो भी गांव हैं उसको देखते हुए ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए।

इसके साथ-साथ आर. एस. ई. बी. की यह योजना है कि जिस गांव में लाइन मांगी है वहां तो खम्भे गाड़ देते हैं और गांव को बिजली नहीं दें तो भी इलेक्ट्रीफाई मान लेते हैं, यह गलत बात है। इससे तो केवल रिपोर्ट बनती है लोगों को फायदा नहीं मिलता है। तो इस बारे में भी प्रावधान बनाया जाय कि पांच-दस कनेक्शन मिलें तो ही इलेक्ट्रीफाई माना जाये नहीं तो नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ-साथ जहां पर लाइन पहुंचाते हैं उसमें काफी गड़बड़ियां हैं कई एक्सीडेंण्ट हो जाते हैं, कोई पशु मर जाता है, कोई आदमी मर जाता है। मरने वाले पशु या मनुष्य के लिए जो भी नुकसान होता हैं उन को मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि यह विभाग की गलती है।

श्रीमान्, मेरे एरिया में जो लाइनें बिछायी गयी है उसमें भी काफी कमी है। कई ट्रान्सफार्मर और मोटरें जल गयी है। दो तीन बार किसानों की मोटरें जल गयीं। लोग परेशान होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि एक फेस नहीं आता है तो मोटर जल जाती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में सुधार किया जाय और पाबन्द किया जाय कि इस प्रकार गरीबों के साथ आदिवासियों के साथ इस प्रकार का धोखा नहीं हो और बराबर उनको पूरे पावर की बिजली मिलती रहे, यह व्यवस्था होनी चाहिए।

(श्री नाथूराम अहारी)

बिलों में असमानता है। जैसाकि पूर्व में वक्ताओं ने भी बताया। मेरे क्षेत्र के के एक गांव धामरी में एक बिल आया था। उसमें कनेक्शन ही नहीं दिया और उसका बिल आ गया। मैंने सुना है कि विभाग ने ऐसी पॉलिसी बनायी है कि बिना कनेक्शन दिये बिल आ जाता है। मेरे समझ में नहीं आया कि बिना कनेक्शन के बिना रीडिंग के बिल कैसे आ गया। वह बार-बार रिपोर्ट करता है और कहा जाता है कि विभाग की पालिसी है। इस तरह से बिल आ जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मीटर ही नहीं लगा तो बिल कैसे आ जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पूर्व सरकार ने कुटीर ज्योति योजना किसानों के बारे में एक योजना बनायी थी गरीब और आदिवासी लोग हैं अन्त्योदय के लोग हैं चयनित लोग उनको लाइट दी गयी थी। अभी जानकारी मिली है कि इन लोगों के बिल आये हैं। यह बिल क्यों आये है जब अन्त्योदय में काश्तकार हैं और उसको बिल नहीं भरना है तो यह बिल कैसे आ गये? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि इस तरह की योजना जो गरीबों के लिए बनायी गयी है, उनके हित में बनायी गयी है लेकिन इस तरह का बिल नहीं आना चाहिए। अगर यह योजना ही बदलना चाहते हैं। कुटीर ज्योति योजना में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं आपकी नीयत में फीतूर आ गया है कि हम पैसे लेंगे तो आप पैसा ले लीजिये। एक मुश्त बिल आ गया लोग नहीं भर सकेंगे। जिनके बिल नहीं भरते हैं उनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन में हालत यह है कि कुओं में सख्त पत्थर है, कई जगह पानी पर्याप्त नहीं है। खुदाई का कार्य चालू है लेकिन कई ऐसे नदी-नाले हैं जिसमें लिफ्ट के द्वारा आदिवासियों को फ्री में बिजली देकर पानी मुहैय्या करना चाहिए। जैसे सोम नदी कडाना बेगनाटर और आपरी की नदी इस तरह की जहां-जहां भी उपलब्ध है वहां लिफ्ट लगाकर आदिवासियों को सुविधा देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री नाथूराम अहारी : इस बारे में भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप यह करिये। इसके साथ-साथ एक और निवेदन करता हूं कि मिनिमम चार्जेज नाम की चीज आदिवासियों के लिए हैं वह मरने जैसी है। उनकी हालत और खराब हो जायेगी क्योंकि उनके पास पूरा पानी नहीं है। एक-एक घण्टे के लिए पानी होता है। आप मिनिमम चार्जेज लगायेंगे तो गलत है। जितना खर्चा करे उतना चार्ज आये यह व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रूपया आदिवासियों के लिए खर्च होता है बड़े डेमों पर होता है पुलों पर होता है कोई जरूरत नहीं है। उस पानी को आदिवासी थोड़े ही लेता है। आपसे निवेदन करूंगा कि मिनिमम चार्ज आदिवासियों से नहीं लेने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। सुरेन्द्र गोयल।

श्री नाथूराम अहारी : पुरजोर से निवेदन करूंगा कि मिनिमम चार्जेज खत्म करो जय हिन्द धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली विभाग की 1990-91 और 1991-92 के आय व्ययक पर चर्चा सदन में चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है किसी भी प्रदेश का विकास और उसकी उन्नति और उसकी खुशहाली ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर करती है। प्रदेश का यह दुर्भाग्य है देश को आजाद हुए चालीस साल हो गये परन्तु आज प्रदेश ऊर्जा के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका।

माननीय महोदय, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए चाहे काश्त के रूप में, चाहे उद्योग के रुप में,चाहे बड़े उद्योग, चाहे छोटा उद्योग, छोटे उद्योग, छोटे से छोटा काम भी बिनाबिजली के नहीं हो सकता है। जिस चीज के ऊपर विकास निर्भर करता है वह आज इस प्रदेश के अन्दर नहीं है। इससे प्रदेशवासी बहुत परेशान हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से दो साल में नयी सरकार आयी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बरसिंहसर की योजना, सूरतगढ़ की योजना और गथानिया की सौर ऊर्जा की योजना मन्जूर करायी। और इस साल की योजना के आकार में से 26.6 प्रतिशत ऊर्जा पर खर्च करके यह साबित कर दिया है कि प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्रीजी बिजली के आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयत्नशील है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र जैतारण की कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैतारण के अन्दर 132 के. वी., जी. एस. एस. से बिलाड़ा जैतारण को सप्लाई मिलती है उसके अन्दर 33 के. वी, के छह सब स्टेशन है, नीबोल, प्रतिपुरा, आगेवा, जैतारण, आनन्दपुर, कालू और निमाज। इन सभी गांवों को एक ही 33 के. वी. की लाइन से बिजली की सप्लाई मिलती है और जबकि लाइन 250 से ज्यादा लोड सहन नहीं कर सकती। उसके ऊपर 450 का लोड है और इस कारण 5-5, 6-6 घंटे बिजली काश्तकारों को मिलती है। इस बार काश्तकारों को 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली और काश्तकार इस साल काश्त से महरूप रह गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चेयरमैन साहब को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि इस बार अगर उन्होंने थोड़ी सी सतर्कता नहीं बरती होती तो काश्तकारों के यहां एक दाना भी धान का नहीं होता इसलिये उन्होंने 1600 का ट्रान्सफार्मर जला, दूसरी बार 1600 का ट्रान्सफार्मर जला तो उन्होंने 3500 का दिया और सैंकड़ों ट्रान्सफार्मर 100 के, 65 के और 25 के जल गये। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि वह इस बात की जांच करायें कि 1600-1600 के दो ट्रान्सफार्मर जले वो किस कारण से जले और 200 से ज्यादा ट्रान्सफार्मर 100 के, 65 के जले हैं उनका क्या कारण है, किस कारण से जले हैं? इसकी भी जांच करायी जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां की जनता बहुत परेशान है कि एक ही लाइन से उनको सप्लाई मिलती है।

Page No. 198

198

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इस सम्बन्ध में है कि वहां पर 132 के. वी., जी एस. एस. स्थापित किया जाय, दीगोद पंचायत जमीन भी देने को तैयार है जैसाकि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि 1992-93 के अन्दर इन सब स्टेशनों को लगाने का प्रयास किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि प्रयास से ही कोई काम नहीं चलता जब तक उसकी नींव नहीं डालेंगे और उस पर काम शुरू नहीं होगा तब तक मेरा मानना है कि 132 के वी नहीं लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आने वाली फसल जब तक शुरू न हो उसके पहले 132 के., वी. जी. एस., एस. स्थापित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्दर सैंकड़ों कनेक्शन मेरे वहां के बाकी पड़े हैं जबकि साल भर से ज्यादा समय उनके पैसे जमा करवाये हो चुके हैं परन्तु अभी तक उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी बिजली का कनेक्शन दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वहां कम से कम 20 से ज्यादा सीमेण्ट फैक्टरी इस बार लग रही है अगर जल्दी से जल्दी 132 के. वी, जी एस., एस. वहां पर स्थापति नहीं किया गया तो वहां पर काश्तकार आने वाली फसल से महरुम हो जायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य लालसोट से आने वाले ने कहा बिजली बोर्ड के अन्दर चेयरमैन एक जिन्दा मुर्दा के समान है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि माननीय सदस्य जिस प्रकार की भाषा का सदन में प्रयोग किया है वह भाषा बिल्कुल इल्लीगल है। माननीय चेयरमैन साहब ने इस बार जो काम किया है, डेढ़ साल के अन्दर, वैसा कार्य शायद पिछले 40 सालों में किसी चेयरमैन नहीं किया क्योंकि इस का जो एडमिस्ट्रेशन है, जो तकनीकी पोस्ट है उससे अभी काश्तकार सन्तुष्ट है। आज बिजली विभाग के अन्दर चाहे किसी काम में ले लीजिये चाहे बिजली के उत्पादन की कमी, कोयले के क्षेत्र में ले लीजिये, चाहे रूपये की कमी, पानी की कमी, पानी की कमी तो सिर्फ कमियां नहीं केवल उलावने देने के लिये नाम है। तो ऐसी कमी वाले विभाग में चेयरमैन के पद पर बैठना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मेरे यहां 132 के. वी., जी. एस. एस. की मन्जूरी दी जाय और एक पोल और दो पोल के जो कनेक्शन है उनके अन्दर प्राथमिकता नहीं रखी जाय। वैसे जो पहले व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को रखा जाय। इतना ही मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य-सचेतक) : समय बढ़ाना है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बढ़ाइये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्यों बार-बार बढ़ाते हो, एक ही बार में बढ़ा दो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव तो आने दीजिये।

श्री नत्थीसिंह : समय में कंजूसी करते हैं। आज बिजली का मामला है उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : पूरे सन्तुष्ट हो जाइये, खूब बोलिये, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बोले कोई दिक्कत नहीं है। मैं समय बढ़ाता जाऊंगा आप बोलते जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : हां बढ़ाइये।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य-सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाता है।

माननीया श्रीमती सुचित्रा आर्य।

राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्यय पर विचार

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष जी जो तुरन्त योजना उन्होंने पहले लागू की थी उसको समाप्त किया, उसके लिये तो मैं सी. एम. साहब को धन्यवाद देऊंगी कि जिससे गरीबों को कुछ राहत मिली क्योंकि पैसे वाले लोग उस योजना का लाभ उठा कर तुरन्त अपना कनेक्शन करवा लिया करते थे और गरीब लोग इनका मुहं देखते रहते थे। इसलिये इस बात के लिये तो वह धन्यवाद के पात्र है।

अब मैं मेरे क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि मेरा क्षेत्र नोहर बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और पी. एच. ई. डी. की जो लाइनें हैं वह 30-30 किलोमीटर और 40-40 किलोमीटर की लम्बी दूरी की है। तो वहां पर डीजल पम्प से पानी पहुंचाया जाता है और उसी बीच में चोरी हो जाती है। इसलिये कई गांवों के अन्दर बिजली नहीं है और मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया और 295 के जरिये बोली, कई गांवों के बारे में मैंने बताया। आज तक जो हमारा ए. ईएन. आफिस था वह भादरा में था, नोहर में नहीं था। हमारे नोहर का जो कोटा था वह भादरा ही खाता रहता था और इसी कारण अभी जो एग्रीकल्चर के 50 कनेक्शन मिले हैं वह भादरा में ही मिले हैं, नोहर में नहीं मिले। इसलिये नहीं मिले कि भादरा का मंत्री है, मंत्री है, मंत्री के होने के कारण, उनके दबाब के कारण उन्होंने 50 के 50 कनेक्शन भादरा में ही दे दिये लेकिन नोहर को इन्होंने छोड़ दिया और सन् 1989 के बाद में एक भी कनेक्शन गांवों के अन्दर नहीं दिया और मैं उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि बिजली मंत्रीजी भी उनके प्रभाव में है जो कि हमेशा उन्हीं का काम करते रहते हैं। आप यह बताइये, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अन्दर हर प्रतिनिधि का हक है। सार्वजनिक काम के अन्दर अगर सरकार बीच में बाधा डालेगी तो यह प्रजातंत्र कभी नहीं चलेगा। प्रजातंत्र के ऊपर प्रश्नचिन्ह लग जायेगा। और इन्हीं लोगों ने यह काम किया है। अगर यह नहीं हुआ तो प्रजातंत्र की यह शाखा आप हिला

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

कर रख दीजिए तो आगे आने वाले टाइम में आपका कभी भी खड़ा होने का टाइम नहीं आयेगा। इसलिये मंत्री महोदय आप भी कान खोल कर सुन लीजिये, वह हल्का सुचित्रा का है इसलिये आपको ध्यान देना पड़ेगा और एक लाख जनता है, वोट देती है, प्रतिनिधि चुन कर भेजती है। वहां हमको कोई लालच नहीं है। हम सार्वजनिक काम करवाते हैं और हमारा हक है. हर आदमी को हक होता है। हम भीख नहीं मांगते हैं और अपना हक लेकर रहेंगे और आपको हक देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि 13 गांवों के मैंने नाम बताये थे। वहां पर सन् 1989 से खम्भे पड़े हैं, तार लगे हुये हैं लेकिन मेरे बार-बार चिट्ठियां लिखने और निवेदन करने के बावजूद भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। जो 13 गांव है उनकी मैं लिस्ट फिर बताना चाहती हूं। मत्रीजी आप भी कान खोल कर सुन लीजिये और लिख लीजिये। ढाणी चारणावाली, सुरपुरा, रायसिंहपुरा, दलपतपुरा, भोगराना, दुर्जाना, मेघाना, आपूवाला, ढाणी सहारणावाली, डूमासर, चैयनपुरा, मालीया, भगवानसर, कर्मसाना। सन् 1989 के अन्दर योजना के अन्तर्गत कागजों में तो विद्युतीकृत कर दिया लेकिन मौके के ऊपर वहां पर लाइन नहीं गयी हुई है। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि उक्त गांवों को इस योजना में तुरन्त विद्युतीकरण हो जाना चाहिये, महीने भर के अन्दर-अन्दर वरना वहां की जनता....

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ एक महीने का टाइम दे रही हों।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : बिल्कुल एक महीने ही देऊंगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम दे दिया है। ए. ईएन. आफिस की घोषणा तो कर दी है लेकिन ए. ईएन. आफिस अभी तक चालू नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : एक महीने बाद में आप क्या करेंगी ?

श्रीमती सुचित्रा आर्य : आप बैठ जाइये। बिना मतलब बीच-बीच में बोलते रहते हो। कुछ काम जो मेरे नोहर कस्बे के हैं, जो एक किलोमीटर की दूरी में हैं और अभी जो इन्होंने लिये हैं उसके अन्दर मेरे नोहर क्षेत्र का एक भी गांव नहीं है जो कि एक-एक किलोमीटर की दूरी पर 22 एन. टी. आर., 23 एन. टी. आर. नोहर कस्बे के लगते हुये हैं लेकिन एक काम इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया यह मेरे समझ में नहीं आती....

(6.00 सायं)

अब बताइये। मुख्य मंत्रीजी ने तो कह दिया लेकिन यह क्रियान्वित करेंगे तब होगा ना। जैसे कि मेरा सड़कों का मामला आया था और मुख्य मंत्रीजी ने किसी के प्रभाव में आकर काम रूकवा दिया, वैसे ही अगर आप करेंगे तो यह सार्वजनिक काम कैसे होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : हो जायेंगे।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं

201

2

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

कि बाकी जो काम बचे हुए हैं, वह अविलम्ब पूरे किये जायें, जिससे नोहर क्षेत्र में मिल सकें नहीं तो....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मिठाई खा लेंगे। मिठाई खायेंगे पड़ौस वाले। माननीय श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज बॉब कट ही बॉब कट बोलेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, शुरू कीजिए कृपलानी जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 43 वर्ष के इतिहास में दूसरी बार 1990 में किसानों की हितचिन्तक सरकार बनी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपलानी जी कृपया आसन से बात करिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बिजली के क्षेत्र में जो पिछले 40, 42 सालों से भ्रष्टाचार पूर्व सरकारों ने फैलाया था....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने मिटा दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : चाहे वह कनेक्शन के मामले हों, चाहे वह बिजली का सामान खरीद के मामले हों, हर मामले में भ्रष्टाचार के जो नये आयाम कायम किये गये थे, पिछले दो वर्ष में इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी, विद्युत मंत्री जी और चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दो सालों में जो भ्रष्टाचार में कमी हुई है....(व्यवधान)....वह अपने आपमें एक कीर्तिमान है। चूंकि राजस्थान में 430 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली की आवश्यकता होती है। उत्पादन हमारा ढ़ाई लाख यूनिट प्रतिदिन का है। बाकी बिजली हमें आस-पास के प्रदेशों से उधार लेनी पड़ती है लेकिन इन दो वर्षों में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। बरसिंहपुर, सूरतगढ़ व अन्य योजनाओं की स्वीकृति का प्रयास किया है। इनको शीघ्र प्रारम्भ करके उत्पादन बढ़ाया जायेगा, इसका हमें विश्वास है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल, और इस साल जो हमारे कनेक्शन के लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों को हमने पूरा किया है और इस वर्ष भी फरवरी तक के आंकड़े हमें बताते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम पूरा कर लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान में जो कृषि नीति है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी को अपनी तरफ से राय देना चाहूंगा। हर क्षेत्र की अलग-अलग समस्याएं होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश की तरह अस्थायी कनेक्शन प्रारम्भ किये जायें किसानों को....(व्यवधान) टैम्प्रेरी कनेक्शन की सुविधा दी जाये ताकि किसानों को फसल के समय तीन या चार महीने बिजली मिले और उनके ऊपर आर्थिक भार भी नहीं पड़े और बिजली के कनेक्शन में उनको सुविधा मिल सके, इसके लिए भी सरकार को विचार करना चाहिये।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में ट्यूबवैल की भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे क्षेत्र में कुछ गांव तो ऐसे हैं कि एक-एक गांव में दो-दो सौ, ढाई-ढाई सौ ट्यूबवैल लगे हुए हैं लेकिन कनेक्शन के अभाव में वह ट्यूबवैल जिसमें काश्तकार के 30–30, 40-40, 50–50 हजार रुपये लगे हुए हैं, कनेक्शन के अभाव में पड़े हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्यूबवैल की प्रायोरिटी को फिर प्रारम्भ कराने की आप व्यवस्था करें। साथ ही जिनके ट्यूबवैल लगे हुए हैं। एक ट्यूबवैल से यदि किसी की खेती, जैसे 5 बीघे का खेत है या 4 बीघे का खेत है, वह आस-पास के 5-6 खेतों में पिलाई कर सकता है, उसको सुविधा देनी चाहिये ताकि एक ट्यूबवैल के कनेक्शन से 5–5 काश्तकारों को राहत मिल सके। इस पर भी मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, वन पोल कनेक्शन भी फिर प्रारम्भ कराने चाहिये और री-कनेक्शन जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में पहले से ही सूखा पड़ रहा है और पानी की कमी थी इस वजह से काफी जगह काश्तकारों के कनेक्शन कट गये, यहां भी अगर कहीं पानी उपलब्ध है, कहीं बरसात अच्छी होती है और कुओं में पानी है तो जल्दी से जल्दी कनेक्शन देने की व्यवस्था करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, तुरन्त प्राथमिकता योजना जो हमारी सरकार ने प्रारम्भ की थी, काफी माननीय सदस्यों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में....(व्यवधान)....तुरन्त प्राथमिक योजना से किसी के हितों पर कुठाराघात हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से विपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि 30–30, 40-40 हजार रुपये तुरन्त प्राथमिकता योजना में किसानों के ऊपर लगे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त प्राथमिकता योजना में किसानों का पैसा जरूर लगा है। आज जिस काश्तकार का 10 साल तक कनेक्शन में नम्बर नहीं आ सकता, 8 साल तक नम्बर नहीं आ सकता, अगर उसको 20 हजार रुपये जमा कराने के बाद 2 महीने में कनेक्शन मिल जाता हो और वह इतना पैसा तो एक साल में कमा लेता है, तो उसमें क्या आपत्ति है और दूसरा जो प्रायोरिटी 1982–83 की है, वह चल ही रही है। इसलिए तुरन्त प्राथमिकता योजना को भी प्रारम्भ करना चाहिए। इसके बारे में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिए कृपलानी जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नये गांवों के विद्युतीकरण करने की सरकार हमेशा व्यवस्था करती है लेकिन इसको कठोरता से लागू नहीं किया जाता। आज भी यह हालत है कई जगह गांवों को विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है लेकिन उन गांवों में बिजली के पोल पड़े हैं, खड़े नहीं हुए और काफी गांव ऐसे हैं, जहां पर दो कनेक्शन देने की प्रायोरिटी बनी हुई है, दो कनेक्शन भी नहीं दिये गये हैं। इस पर भी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

मैं निवेदन करूंगा कि आपको ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं मेरे साथ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आपके साथ नहीं, सबके साथ कर रहा हूं। माननीय घासीलाल चोपड़ा। (अनुपस्थित) श्री फूलचन्द गुर्जर। (अनुपस्थित) श्री गोपाल सिंह खण्डेला।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरे क्षेत्र की तो समस्या रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में गलत बिलों की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। जो अंकेक्षक हैं, उन्होंने जिस तरह से अभी काश्तकारों को नोटिस दिये हैं। इस तरह के दो-दो, ढाई-ढाई हजार किसानों को नोटिस दिये हैं हमारे क्षेत्र में तो उस पर भी....

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये कृपलानी जी। आज आखिरी दिन है। सब 7–7, 8–8 मिनट बोल रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पी. एच. ई. डी. व आर.एस.ई.बी. के बीच में सामंजस्य नहीं होने की वजह से....

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह ठीक है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : गांवों में जो पनघट योजना है या जो शहरों में योजनाएं हैं, उस पर काफी....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए। कृपलानी जी बिराजिये। माननीय खण्डेला जी प्रारम्भ कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरे क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या चाहते हैं आप। (व्यवधान) नहीं आपको स्पेशल कंनसेशन दूं क्या मैं ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि 220 के. वी. ए. का सब स्टेशन खोला जाये....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप। माननीय खण्डेला जी। इनका नोट मत करिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही कहा था आज सदन का आखिरी दिन है। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : 6 महीने बाद में वापस मिलेंगे। प्लीज बैठिये आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आदिवासी की पहले करो ना आप बात।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप। माननीय खण्डेला जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : यह गलत है अगर आप अपनाओ तो भी गलत रहेगी आगे जाकर। माननीय खण्डेला जी।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बिजली की समस्या पर माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हैं चाहे उधर के हैं, कमोबेश सभी ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है। उपाध्यक्ष जी, यह बात तो सही है कि आज सारे प्रान्त के विकास का यदि आधार है और सारे विकास का निश्चित रूप से जो न्यूक्लीयस बन गया है वह बिजली है। चाहे उद्योग का क्षेत्र है चाहे फिर खेती का क्षेत्र है, और इसके साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोग के लिए बिजली की निरन्तर मांग बढ़ती ही जा रही है। इस लिए बिजली एक ऐसा विषय हो गया जिस पर सरकार को सभी और प्राथमिकताओं को छोड़कर इसके बारे में चिन्तन करना पड़ेगा, कुछ फैसले करने होंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बिजली की समस्या क्यों है, हमको यह समझने की आवश्यकता है। मांग बढ़ रही है और मांग बढ़ेगी और उसके अनुरूप यदि हमने बिजली का उत्पादन करके सप्लाई की व्यवस्था नहीं की तो व्यय इतना ज्यादा हो जाएगा कि यह केवल मांग के रूप में नहीं रह जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान उद्वेलित होगा, राजस्थान में आंदोलन होंगे। इसलिए मैं समय रहते सरकार को आगाह करना चाहता हूं, समस्या को गम्भीरता से लें। यह तो सही है कि एक दिन में सारा काम नहीं होगा लेकिन यदि हमने योजना नहीं बनाई, आने वाले समय के लिए नहीं सोचा, तो मामला गड़बड़ा जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्पादन एक साथ नहीं हो, यह बात समझ में आती है लेकिन आज विद्युत मण्डल की स्थिति, जो इस प्रदेश के अन्दर है, बड़ी शोचनीय हो गई है। आज सारे बिजली में जो खर्चा हुआ है, और उसमें ट्रांसमीशन में जो लासेस आये है वह इतनी बड़ी साइज में पहुंच गये हैं यह चिन्ता का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, 1985-86, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 मात्र चार वर्षों में विद्युत मण्डल में बिजली के ट्रांसमीशन पर 177 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक करोड़ नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह यह 177 करोड़ रुपया है और बिजली बोर्ड के खुद के मानदण्ड हैं कि 15.5 पर्सेन्ट ट्रांसमीशन लासेस समझे जा सकते हैं। आल इन्डिया एवरेज भी इसका 20 और 21 पर्सेन्ट के बीच है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान में बिजली ट्रांसमीशन के लासेस 23 और 24 पर्सेन्ट के बीच में हैं और यही कारण है कि बिजली के अन्दर 177 करोड़ रुपये तक की हानि हुई है। इस पर जब तक विद्युत

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गोपालसिंह)

मंडल सावचेत नहीं होगा, नहीं सोचेगा तब तक यह घाटा बढ़ता ही जायेगा और करीब-करीब एक चौथाई बिजली का नुकसान होता जायेगा। इसलिएं यदि हम बिजली की सप्लाई की स्थिति को सुधारना चाहते हैं उसके अन्दर इस ट्रांसमीशन की बात को हमको प्राथमिकता देनी ही होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह क्यों नहीं हुआ, यह बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने, चाहे वह फील्ड के अधिकारी हों, चाहे मुख्यालय पर बैठने वाले अधिकारी हैं उन्होंने इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वह जगह नोट नहीं की जहां पर मीटर लगाने थे लासेस नापने के लिए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कितना लास हो गया। और सीधे-सीधे यह कह दिया कि जितना उत्पादन हुआ, जितनी बिजली राजस्थान विद्युत मंडल को मिली और कन्ज्यूमरस में जितनी खपत हुई, मीटर रीडिंग में जो आया, बीच का जो डिफ़रेंस हुआ, इन्होंने सारा चोरी के नाम लिख दिया। बल्कि सच्चाई यह नहीं है, मानीनय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सारा ट्रांसमीशन लासेस में गया। हो सकता है, उदाहरण चोरी के भी हों कुछ नाजायज कनेक्शन भी हो सकते हैं। मैं यह मानकर नहीं चलता लेकिन सारा बोझ कन्ज्यूमर्स पर धर दिया, यह बात सही नहीं है, और इन्होंने कहां मीटर लगाने हैं, इसकी कभी कोई कोशिश तक नहीं, कोई लोकेशन तक तय नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं। 1990 के वर्ष के समाप्त होने के बारे में कन्ट्रोलर और आडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने कहा है विद्युत मीटरों की स्थापना में लम्बे समय की देरी होने के कारण उन बिन्दुओं की पहिचान करने में हुई देरियों की जहां पर इनकी स्थापना की जानी थी इसका कारण था सम्बन्धित कर्मियों की उदासीनता तथा गम्भीरता का अभाव। मीटर के लिए मांग पत्र भेजने तथा उनकी आपूर्ति में देरी होना.... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। 177 करोड़ रुपये के घाटे की बात मैं कर रहा था। यह यहां है। यह विद्युत मंडल के कर्मचारी चाहे फील्ड में हों चाहे यहां मुख्यालय पर बैठते हों इनको कोई चिन्ता ही नहीं है, यह इस काम के लिए गाफिल हो गये हैं। एक ही रह गया है इनके सामने कैसे हम चोरी करें, कैसे हम लोगों से पैसा ऐंठ लें। इसलिए इसके बारे में हमें फिर सोचना होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो यह नहीं चल सकेगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बिन्दु पर ही रेज करना चाहता था मैं कह रहा हूं। इसके समाधान के लिए हमें कुछ और भी करना होगा। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे वन पोल स्कीम। यह बात बिल्कुल सही है ट्रांसमीशन के लासेस को यदि हमको कम करना है, तो जहां हम वरियता एप्लीकेशन्स के आधार पर कायम किये हुये हैं प्राथमिकता दी हुई है उनके समानान्तर उसके कोटे में से कुछ, वन पोल के जो कनेक्शनस हैं उनको भी हमें प्राथमिकता देनी तय करनी होगी, यह करेंगे तो

(श्री गोपालसिंह)

हम ट्रांसमीशन लासेस कम करेंगे, यह करेंगे तो बिजली बोर्ड में बिजली की सप्लाई में जो खर्चा होता है उसमें हम कमी करेंगे। यह एक उदाहरण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर सबसे बड़ा कारण ट्रांसमीशन लासेस का यह है कि दूरदराज के इलाके हमारे राजस्थान के, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर आदि वहां के बसने वाले लोगों को बिजली देना उतना ही जरूरी है जितना यहां बैठने वाले लोगों को देना है, और जब हम उनको बिजली देने की बात सोचते हैं और कोटा से बिजली देने की बात कहते हैं तो निश्चित रूप से ट्रांसमीशन लासेस होंगे और इसका आल्टरनेट क्या हो सकता है, एक ही आल्टरनेट है कुछ स्थानीय साधन ससाधन बनें वहां से वहां तक कुछ पावर स्टेशन बनें या फिर सोलर एनर्जी के कुछ क्षेत्र वहां पर बनाये जायं। हो सकता है राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र इस इलाके का सबसे उपयुक्त स्थान हो हिन्दुस्तान के अन्दर, वहां पर साल में 360 दिन में से 300 दिन लगातार गर्मी पड़ती है वहां की एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। आज सोलर एनर्जी के सिस्टम से वहां के लोगों को बिजली दी जा सकती है। यह इतनी बड़ी लाइन और यह खर्चा बचाया जा सकता है, इतने लासेस बचाये जा सकते हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के मार्फत कहना चाहूंगा कि सोलर एनर्जी के उत्पादन पर भी बराबर ध्यान देना चाहिये। मुझे बताया गया है कि इस सम्बन्ध के अन्दर भारत सरकार को राजस्थान सरकार ने कोई योजना भेजी है लेकिन भेजने के बाद में उसको कहीं परस्यू नहीं किया गया। यह परम आवश्यकता है इस प्रदेश की, इसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपकी मार्फत फिर कहना चाहता हूं, इस पर विचार करना चाहिये कि योजना को मूर्तरूप मिले, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude your spech.

श्री गोपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बी बातें नहीं कहते हुए सीकर क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब बाकी रह गया क्या? जल्दी कह दीजिये।

श्री गोपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं ट्रांसमीशन लासेस की बात कर रहा था आज सीकर के अन्दर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में 50–50 मील की दूरी हो गई है। एक एल. टी. लाइन के ऊपर 25–30 खम्बे लगने के बाद कनेक्शन दिये जा रहे हैं उसका नतीजा यह होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि किसानों को जिनको कनेक्शन मिल गये है उनको प्रापर वोल्टेज नहीं मिलती है, दूसरे लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सीकर के उन स्थानों में जहां इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, नये सब स्टेशन जल्दी से जल्दी बनाये जायं। श्रीमाधोपुर जहां से पंचायत राज मंत्री जी रिपेजेन्ट करते हैं और उसके बाद में खंडेला, बस्सी और श्रीमाधोपुर का स्टेशन कई दिनों से विचाराधीन है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, पिछले एक साल में खंडेला

(श्री गोपालसिंह)

मैं कनेक्शन इसलिए नहीं हो सका कि वहां पर वोल्टेज की दिक्कत आ रही है और यह वोल्टेज में इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप श्रीमाधोपुर में या बुस्सी में 132 के. वी. का स्टेशन बनाएंगे। जब तक यह स्टेशन नहीं बनेगा तब तक न श्रीमाधोपुर का स्टेशन फीडर होगा न खण्डेला का स्टेशन फीड होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर केवल एक बात ही कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। किसानों की एक समस्या है। किसान बिजली का पैसा देना चाहता है लेकिन आप उसको गैर समय में, खेती के समय जब फसल पक रही होती है उस समय अगर आप तलवार लटकाते हैं तो आप राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय करेंगे। यह मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं। इसलिए सरकार ने इसकी सावधानी बरती थी और स्टेन्डिग इन्सट्रक्शन्स दिये थे, जब फसल खड़ी होगी, कोई कनेक्शन नहीं काटा जायेगा। आज दुर्भाग्य है बी. जे. पी. की सरकार के अन्दर आज जब फसल खड़ी होती है, किसानों के धड़ाधड़ कनेक्शन काटे जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री गोपालसिंह : कि इस बी. जे. पी. सरकार को किसानों के हित पर इस तरह से ठोकर नहीं मारनी चाहिये उनके इन्ट्रेस्ट्स को सेव करना चाहिये और आदेश देने चाहियें कि फसल के दौरान कोई कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मी नारायण दवे। श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर। माननीय श्री खंगारसिंह जी।....(व्यवधान) मैं ले लूंगा इनका भी नाम।

श्री खंगार सिंह चौधरी : लक्ष्मी नारायण जी की जगह मैं बोल रहा हूं, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा निवेदन है कि आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उस पर मुझे सख्त एतराज है। हमारी पार्टी के नाम दिये हुए हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर मेरा यह है कि आसन की व्यवस्था को चैलेन्ज देने की जो परम्परा बन गयी है, यह परम्परा और नियमों में कहीं भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस के सचेतक जी की आदत पड़ गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक जी, लिस्ट में जो नाम दिये हुए हैं काल अटेंशन मोशन के, उनके नाम पहले लिये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन की व्यवस्था पर निवेदन करें, रिक्वैस्ट करें, समझ में आता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनको बैठा दीजिये पहले आप। ये पाइंट आफ आर्डर की आड़ में बोल रहे हैं, इनको बैठाइये पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे पाइन्ट आफ आर्डर पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : हर बात पर काहे की व्यवस्था दें ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इस बात को रिफ्लैक्ट करता हूं कि उन्होंने प्रारम्भ यहां से किया....(व्यवधान)....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इनको बैठा दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन को एतराज नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह सदन की परम्परा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी, सहयोग कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये न नियमों को जानते हैं न परम्पराओं को जानते हैं और हर बार बीच में दखलन्दाजी करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इन्होंने गलत बात कही है, इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई वाक् युद्ध होगा क्या यहां ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं जानता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, नियम आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं।

श्री खंगार सिंह चौधरी : हम सही बात कहने वाले हैं, हम सही बात कहेंगे। (व्यवधान)....आप ऊपर से लटक कर ऊपर से आये हो, हम धरती से पैदा होने वाले हैं। प्रैक्टिल बात कहने वाला कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : खंगार सिंह जी, एक मिनट बैठिये।....(व्यवधान)....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर सत्ता पक्ष के सदस्य सदन में डिस आर्डर फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। शुरू करिये।

श्री उपाध्यक्ष : There is no disorder at all.

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो आप इनको बैठाइये पहले।

श्री खंगार सिंह चौधरी : आज राजस्थान विधान सभा में इलेक्ट्रिक पर जो बहस हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खंगार सिंह जी, आप बैठिये। मैं बुलाऊंगा आपको।

श्री खंगार सिंह चौधरी : उसके अन्दर मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप, खंगार सिंह जी, बैठिये पहले।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था है आप कैसे बैठा सकते है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठाइये इनको पहले ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : व्यवस्था आपने दी है, आपने टाइम दिया है उनको ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खंगार सिंह जी, बैठिये आप । प्लीज ।....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या है यह ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह कोई बात थोड़े ही होती है ।....(व्यवधान)

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, 131 का मेरा खुद का है........ (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इनको पहले बन्द कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं आपकी बात । आसन पैरों पर है, प्लीज को-आपरेट ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : भेदभाव नहीं होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : Please take your seat.

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले इनको सुन लीजिए आप ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को भी कुछ मर्यादाएं होती हैं । मैं सुन रहा हूं, आप तो बैठिये । कृपया विराजिये । हां, आप बोलिये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब तक काफी सदस्य बोल चुके हैं । मैंने जो लिस्ट दी थी, आसन को सब्मिट की थी अपने दल की तरफ से, उसमें सिर्फ दो आदमी बोले हैं । चौथे नम्बर पर नाम श्री बिरधाराम चौधरी का था । न जाने कौन लिस्ट तैयार करता है ? It is the most inefficient department. जो कोई तैयार करता है बहुत गलत तरीके से तैयार करता है । मेरा सरासर आरोप है इस बात का, नम्बर एक ।....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : 131 का लगा हुआ है और हम किसान के लड़के हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति के हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिये ।

डा. चन्द्रभान : आप सूची के हिसाब से बुलवाइये ।

श्री यदुनाथ सिंह : सूची बी. जे. पी. के सचेतक दे देते हैं, उस सूची से थोड़े ही चलेंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर आप यह कहते हैं कि उनको प्राथमिकता देंगे जिनके काल अटेंशन आज लगे हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : राइट । एग्रीड ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिरधाराम जी का काल अटेंशन है, मैंने नाम भी दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : नाम दिया है आपने ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : काल अटेंशन भी लगा है लेकिन आप पता नहीं किस प्रकार से नाम बुलाते है ? देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपको बहस करानी है....

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर बहस नहीं होगी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किस विषय पर बहस नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो नाम लिये तो उनको बुला लिया जायेगा । अलाउ करूंगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो बिजली विभाग पर भी बहस नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : न, न, बिजली विभाग की बहस नहीं, आप जो यह कह रहे हैं कि किसको बुलाया जाय किसको नहीं बुलाया जाय । आपने नाम दिये जो बुला दिये जाएंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बुलाया जाना चाहिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : हम बैठे हुए हैं, हमें भी आप बोलने का अवसर दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग करेंगे आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : सब बोल बोलकर घर जा रहे हैं, सब बोल-बोल कर चले गये और आप हमें नम्बर नहीं दे रहे ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, काल अटेंशन वालों को बाद में बुलाना चाहिए आपको ।

श्री उपाध्यक्ष : सबसे पहले आपके परसादीलाल जी मीणा को बुलाया । जुबेर खान जी का नाम था । नाथूराम जी अहारी को बुलाया गया । वे थे नहीं यहां पर ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे तो नहीं थे, हम मौजूद हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : घासीलाल जी चौपड़ा का नाम था, वे थे नहीं यहां पर ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुनिये । नियम यह है, परम्परा यह है कि हमारे दल का कोई माननीय सदस्य, जैसे जुबेर खान जी नहीं हैं तो आप कांग्रेस के दूसरे एम. एल. ए. का नाम ले लीजिए । यह परम्परा रही है । आप उसको छोड़कर चार नाम बुलवाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हमेशा लेते रहे है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन आज नहीं लिया आपने ।

श्री उपाध्यक्ष : आज इसमें काल अटेंशन मोशन वाली व्यवस्था कर रखी थी ।

डा. चन्द्रभान : काल अटेंशन मोशन वाले बाद में बुलाइये आप । उपाध्यक्ष महो-

(डा. चन्द्रभान)

दय, यह व्यवस्था हमेशा रही है कि काल अटेंशन वाले बाद में बोलते हैं और पहले पार्टी की ओर से जो लिस्ट दी जाती है वे। काल अटेंशन मोशन वाले बाद में बोलेंगे यह गलत है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो भी नाम दिये सबको बुला दिया जाएगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 6 बजे बाद बुलाएंगे. कौन बोलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : छः बज चुके, अब क्या छः बजे ?

डा. चन्द्रभान : पार्टी की सूची वाले पहले बोलेंगे। यह व्यवस्था थी कि काल अटेंशन वाले बाद में बोलेंगे और पार्टी की सूची वाले बाद में बोलेंगे। पार्टी की सूची वालों को आप पहले बुलाइये और काल अटेंशन वालों को बाद में बुलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : अब जो व्यवस्था दे रखी है....

(6.26 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें आप। यह अननेसेसरी यहां पर बैड ब्लड क्रीएट होता है। व्यवस्था-यहां पर है उसके ऊपर मुझे आपत्ति है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : क्या ? फर्माइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी आपत्ति यह है कि हमने कांग्रेस दल की तरफ से लिस्ट दी, हमारे दल के दो सदस्य बोले। एक जुबेर खान का नाम पुकारा गया। वे थे नहीं। होना यह चाहिए था जब जुबेर खान नहीं थे कि उनके नीचे जिस कांग्रेसमैन का नाम होता पार्टी की तरफ से उनका नाम पुकार लिया जाता। उनको नहीं पुकार कर आपने दूसरे को पुकारा। सारी व्यवस्था बिगड़ती है फिर चार आदमियों के बाद नम्बर आता है। मैंने माननीय उपाध्यक्ष जी से निवेदन किया वहां जाकर जब आसन पर वे विराजमान थे कि बिरधाराम चौधरी का मैंने नाम पेश किया है। पहले कह दिया, यहां पढ़कर सुना दिया कि उनका नाम नहीं है। उनका काल अटेंशन भी था। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष को दोहरा लाभ तो मिल नहीं सकता कि राज भी उनका और बोलें भी वे। हम लोग यहां बैठे रहें, बोलने का नम्बर हमारा नहीं आये तो हमारी सुनने वाला कौन है ? फिर हम अपनी बात कहेंगे किससे आखिर ? अगर यह दोहरा लाभ रहेगा तो लोकतन्त्र के अन्दर इस प्रकार से तो चलेगा नहीं। आप चाहे तो हम घर जायं। इस डिबेट को समाप्त कीजिए। बैटर यही है कि डिबेट समाप्त की जाय। काहे के लिए यहां बैठे हुए हैं हम सब लोग ?

एक माननीय सदस्य : इतने गम्भीर क्यों हो गये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हैल्दी डैमोक्रेसी में हैल्दी ट्रेण्डी यही है कि आप हमको अवसर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दीजिए। अगर आप हमें अवसर नहीं देंगे, आपके मंत्री, सरकार आपकी और विधायक आपके। अफसर आप से दबते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप लक्ष्मी लाल गुर्जर की बजाय बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : लक्ष्मीलाल जी नहीं तो बिरधा राम जी को आप बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय तो इतने कठोर हृदय हो जाते हैं कि वे सुनने को तैयार नहीं होते कोई बात।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये। बिरधा राम जी का नाम है, मैंने इसमें राइट लगा रखी है। बिरधाराम चौधरी, देखिये आप। क्या था, उसमें हुआ यह था कि आज दो लिस्ट हैं। एक तो जो आपने दी वह है और एक हमारे पास काल अटैंशन की है। जितने भी काल अटैंशन वाले हैं मैंने सबको राइट लगा रखा है। उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम आपने भी दिये हैं और जो काल अटैंशन में भी हैं। जिनके एड-जार्नमैण्ट मोशन हैं उनके भी सब के राइट लगे हुए हैं। उनको उसमें एडजैस्ट किया है और इस तरह से एडजैस्ट किया है कि कुछ तो काल अटैंशन वालों को आपकी लिस्ट से ऊपर नाम दिया है। आपने तो जिस क्रम से दिया था आपका क्रम नीचे दे दिया और काल अटैंशन वालों को पहले दे दिया। बिरधाराम जी का नाम भूल से रह गया है। इसमें तो है लेकिन चूंकि इस लिस्ट में नहीं था इसलिए उनको ... आप बोलिये अब, बिरधा राम जी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : क्या होता है, अध्यक्ष महोदय, कि सरकारी मुख्य सचेतक की लिस्ट अलग से आ जाती है और सारी अव्यवस्था हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : यह बहस का मुद्दा नहीं है....(व्यवधान) बैठिये, आप सब क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : सामान्यतः एडजस्टमेंट की बात की तो वैसे ही हो जाती है। उसके लिये डिबेट होने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपालनी : खंगार सिंहजी का नाम पुकार लिया था।

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मीनारायण जी बोल चुके की नहीं ? (व्यवधान) आप, लक्ष्मी-नारायण जी, पहले बोलेंगे की बाद में ? (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। बैठिये तो सही। वैसे गोपाल सिंहजी खण्डेला का नाम मैंने ऊपर दिया है और जो पार्टी की लिस्ट आयी है, उस लिस्ट में गोपाल सिंह जी नाम बिल्कुल नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : नहीं, चौथे नम्बर पर है। चौथे पर बोल चुके।

श्री अध्यक्ष : चौथे नम्बर पर है। चूंकि इनका काल-अटैंशन भी है, इसी तरह एडजस्ट किया है। अब चूंकि गोपाल सिंहजी के बाद सामान्यतः बी. जे. पी. का आयेगा। उसके बाद लक्ष्मीनारायणजी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : बी. जे. पी. का नाम बोला है। लक्ष्मीनारायणजी दबे ने मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूं गा ।

श्री अध्यक्ष : : वे नहीं बोलना चाहते ?

श्री खंगार सिंह चौधरी : उनकी एवज में मैं बोल रहा था।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सदस्य श्री खंगार सिंहजी वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्होंने यह आग्रह किया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय को....

श्री अध्यक्ष : : इनका नाम नहीं है। उनको बुलाना चाहते हैं। क्या फर्क पड़ता है? 5 मिनट बोल लेंगे। आपका नम्बर आ रहा है। बोलिये। (व्यवधान)

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है, मैं यहां 7 साल से हूं परन्तु इलेक्ट्रिसिटी पर कभी बहस नहीं हुई। मैं यह कहना चाहता था कि बजट के समय दो दिन इलेक्ट्रिसिटी पर बहस के लिये रखें जायेंगे। बड़े दुःख की बात है कि 2–4 घण्टे, जो एक काश्तकार के हित का मसला है, उस पर बहस करने के लिये यह सदन तैयार नहीं है। मुझे बहुत खेद है कि ऐसे मामले के अन्दर जिस पर देश के उत्पादन का सवाल है, देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, उस पर अगर बहस नहीं होगी तो किस पर होगी। अगर जल है और दूसरो इलेक्ट्रिसिटी है तो सब कुछ है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है तो उत्पादन कहां से बढ़ेगा, राज्य की आय कहां से बढ़ेगी। पानी और विद्युत पर ही आज देश का आधार है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने राजस्थान के अन्दर 25,000 कनेक्शन किसानों को देने थे। तुरन्त योजना के अन्दर जो कनेक्शन दो-तीन महीने में देने का वायदा किया था, वे कनेक्शन करीब डेढ़-दो साल में दिये गये। इसका यह कारण रहा और वह भी जो 25,000 कनेक्शन इस साल का जो टार्गेट था, उसके अन्दर 10,000 कनेक्शन तुरन्त योजना के, गये साल के बकाया थे, वह दिये गये। आज तक 12 साल और 11 साल के कनेक्शन लोगों के पेंडिंग पड़े हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रिसीटी में कुछ सुधार करना है और विद्युत को अच्छे ढंग से यूज करना है तो इसके अन्दर अपने को कई प्रकार के सुझाव देकर सुधारना होगा। मैं यह चाहता हूं कि इस वर्ष काश्तकार को लाइट 8–9 घण्टे बराबर, टाइम से मिली। खेती का उत्पादन अच्छा हुआ और जो पहले 40 पर्सेन्ट उत्पादन अपने यहां होता था, उसको बढ़ाकर के 65 पर्सेंट किया गया। इसके लिये मैं मंत्री महोदय को और बोर्ड को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अथक प्रयासों से लाइट का उत्पादन बढ़ाया। काश्तकार को इस साल खेती करने में राहत हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी कनेक्शन दिये गये हैं, और जो कनेक्शन देने हैं, मेरे पाली जिले में 7,000 कनेक्शन कुओं के पेंडिंग हैं। इसी प्रकार अगर सर्विस लाइन और वन पोल-टू पोल के कनेक्शंस अगर दे दिये जायं तो काफी बड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। इसके अन्दर बोर्ड का खर्चा भी कम आयेगा और इसमें बोर्ड को भी फ़ायदा

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

होगा और काश्तकार को भी जिनके कनेक्शन 10-12 साल से पेंडिंग हैं, उनको भी राहत मिलेगी। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय रामेश्वर जी प्रस्ताव दिया है, वह बिल्कुल सही दिया था, मैं उसकी पुष्टि करता हूं। यहां पर अधिकारियों पर बोर्ड का अंकुश नहीं है और अधिकारियों की इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सदस्यों ने जो कुछ भी शिकायत की है, वह करीब-करीब बिल्कुल सही है। इसके लिये बोर्ड अगर सतर्क रहे और अधिकारियों पर अंकुश रखे, तो यह काम काश्तकारों का

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सही हो सकता है। इसी प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे इलाके के अन्दर आदमी कम हैं, इस फोर्स को बढ़ायें। फोर्स को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आप इनसे काम लीजिये। जहां तक 12-12 साल से, 10-10 साल से गांव में एक ही लाइन में बैठा है, वह जागिरी जमा के बैठा है। जब जागिरी उन्मूलन कानून इस विधान सभा में खत्म हो गया परन्तु इन अधिकारियों ने, लाइन-मैन से लेकर उच्च अधिकारियों ने आज तक भी गांव में जागिर राज जमा रखा है। लोगों से गेहूं वसूल करते हैं। मर्जी आयें तब लाइट देते हैं। कई जगह नहीं देते। मैं एक मामूली सी बात कहना चाहता हूं, एक काश्तकार जिसने तुरन्त योजना के अन्तर्गत कनेक्शन लिया, उसका डिमाण्ड नोट निकल गया, उसने भर दिया। एम. सी. ओ. निकल गया। लाइनमैन ने कनेक्शन दे दिया और दो महीने लाइट जली। ए. ई. एन. और जे. ई. एन. का पैसा नहीं पहुंचा इसलिये लाइट जलने के बाद उस कनेक्शन को काट दिया गया। कटने के बाद में वह काश्तकार जयपुर आया अभी 12-13 मार्च को। तो मैं बोर्ड में गया। चेयरमैन साहब यहां नहीं थे, चेयरमैन साहब के नहीं होने से मैं रायसिंघानी साहब से मिला। उन्होंने कहा, मैं नीचे से फाइल मंगाऊंगा। वे फाइल मंगायेंगे और उधर उसका खेत सूखेगा। तो भी क्या करें, हमारे वस की बात नहीं थी। उस काश्तकार की फसल सूख गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

काश्तकार को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के अन्दर फैसला हुआ कि चार दिन के अन्दर इसको कनेक्शन दो वरना आप पर दावा किया जायेगा। तो ये बोर्ड के नियम हैं, यह बोर्ड, यह कार्यवाही कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब ठीक है। एक आमदनी के ठीक होने से सारा मामला सुधरने वाला नहीं है और थोड़ा अंकुश रखे। मैं यह चाहता हूं कि अगर काश्तकार का आप को भला करना है, देश का उत्पादन बढ़ाना है और यहां खुशहाली लानी है तो पानी की कुओं में कमी है, आप कम से कम 16 घण्टे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो काश्तकार अपना उत्पादन बढ़ा सकेगा और खेती में उनको ठीक ढंग से पानी मिलेगा क्योंकि कुओं में पानी कम है। 16 घण्टे इलेक्ट्रिसिटी देने से पानी का उपयोग 3 बार कर सकेगा। इसके अन्दर अगर पैसा भी बढ़ा दिया

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

जाय, आप यह कहते हैं कि उद्योग वाले 1·14 रुपया देते हैं, हम 50 पैसे देते को तैयार है, आप हमें लाइट 16 घण्टे दीजिये हम 50 पैसे भी देंगे। इसके अन्दर काश्तकार कभी आनाकानी नहीं करेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 50 पैसे भी कर दिये जायं और हमें लाइट 16 घण्टे दी जाय जिससे हम पानी का उपयोग दिन में 3 बार करेंगे और हमारे देश का उत्पादन बढ़ायेंगे। यही निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरधारामजी।

श्री बिरधाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली और बिजली विभाग पर वादविवाद हो रहा है। वैसे यह बिजली का जो मामला है, यह देश और प्रान्त के विकास के लिये प्रथम है। यदि देश और प्रान्त का विकास चाहिये तो इस बिजली पर विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। विशेष तौर से जो पहले तुरन्त कनेक्शन योजना लागू की थी और थोड़े दिन के अन्दर जनता की भावना देखी और देखने के बाद वापस लिया, उसके लिये मैं धन्यवाद दूंगा। एक आम किसान को बिजली नहीं मिलकर, उस बिजली को बेचा जा रहा है। गरीब आदमी को बिजली नहीं मिल रही है। बिजली को आज ऐसी स्थिति है कि बिजली की खपत ज्यादा है और उत्पादन कम है। इसलिए खपत ज्यादा है तो कई पैसे वाले लोग बिजली लेंगे तो गरीब आदमी महरूम रह जायेंगे। उस नीति को खतम किया, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, पिछले साल विद्युत के अन्दर कटौती कम हुई इसलिए किसानों की कटौती भी कुछ कम हुई लेकिन कटौती कम होना ही विभाग का सही आधार नहीं है। कटौती कम हुई इसके बावजूद भी विद्युत कम मिलना, वोल्टेज नहीं आना, किसानों की मोटरें जल जाना और कुएं नहीं चलना, इस स्थिति में सुधार लाना होगा। आज स्थिति यह है कि आज भी लोगों की कतारें लगती जा रही है, सालों साल उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जब तक जो लोग उपभोक्ता की लाइन के अन्दर हैं, जिनको कनेक्शन दे रखा है उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक हर आदमी की लालसा रहती है कि कनेक्शन मेरे को भी मिले। लेकिन पहले जिन लोगों ने बिजली ले रखी है, उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विस्तार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज चाहे 132 के. वी. की बात हो, चाहे 33 के. वी. की लाइन की बात हो और चाहे 11 के. वी. की बात हो, सारी लाइनें ओवर लोडेड चल रही हैं उसके बावजूद भी जनता की मांग ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। विद्युत कनेक्शन आवंटन कर रहे हैं और पिछली साल 25 हजार कनेक्शन आवंटन करने का टार्गेट था और उसके अन्दर मेरे मकराना क्षेत्र के अन्दर 247 कनेक्शन के करीब आवंटन के करीब आवंटन हुए हैं लेकिन जब हम विद्युत विभाग के अन्दर जाते हैं और हम मांग करते हैं कि हमें कनेक्शन दिये जायं और एक गांव जो इन्टीरियर में है उसकी प्रायोरिटी पहले

(श्री बिरधा राम चौधरी)

होती है वहां पर कनेक्शन मिलना चाहिए। परन्तु बिजली विभाग के अन्दर जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं वह क्या करते हैं कि साहब लाइन पहुंचती है वहां पर 40 पर्सेन्ट से 50 पर्सेन्ट के बीच में छीजत होती है। जबकि बिजली विभाग के यह सर्कुलर्स हैं कि यदि 8 पर्सेन्ट से ज्यादा छीजत है तो उस लाइन के अन्दर कनेक्शन न दिये जायं, तो फिर यह विरोधाभास क्यों है? जब आपके पास उस गांव में पहुंचाने के लिए विद्युत नहीं है तो पहले आप व्यवस्था यह कीजिए कि उस गांव के अन्दर विद्युत देने के पहले बिजली की व्यवस्था करें। और व्यवस्था कैसे हो सकती है? मैं आपसे मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, मकराना औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर करीब 500 के आस-पास औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें, अध्यक्ष महोदय, करीब 50 हार्स पावर की कहीं मोटर्स लगी हुई हैं, कहीं 100 हार्स पावर्स की लगी हुई हैं और 25 होर्स पावर्स से कम की कोई भी मोटर नहीं है औद्योगिक इकाइयों के अन्दर। उसके साथ-साथ परबतसर सब डिवीजन पड़ता है, 132 के. वी. की लाइन है उससे पूरी बिजली नहीं मिल सकती। मैं आपसे निवेदन करूं कि मकराना से लाइन जाती है बूड़सू। बूड़सू की आबादी 6 हजार की है और उसके आस-पास जो गांव हैं, इन्टीरियर के अन्दर, वहां पर मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं कि मकराना से विद्युत लाइन जायेगी लेकिन जाते-जाते इन्टीरियर में, अन्तिम छोर के गांव में, 45 पर्सेन्ट छीजत पड़ती है। 45 पर्सेन्ट छीजत पड़ती है तो कतई विद्युत की मोटर पानी नहीं उठायेगी और ना ही चलेगी। उससे क्या होता है कि किसानों की मोटरें जल जाती हैं, किसानों की फसल जल जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सबसे पहले इसके अन्दर व्यवस्था की जाय। व्यवस्था कैसे हो सकती है और सुधार कैसे हो सकता है, केन्द्र में एक्सटेंशन किया जाय। हमने बार-बार मांग की है कि बूड़सू के अन्दर 33 के. वी. की उप चौकी नहीं होगी तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सन्दर्भ में तारांकित प्रश्न भी रखा था। तारांकित प्रश्न के उत्तर में मुझे जवाब दिया गया था कि एस. डी. कोर्ड नम्बर इतना मार्च, 1971 में स्वीकृत की थी लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में उसको 1991-92 की योजना में लेना सम्मिलित नहीं है। तो फिर यह स्वीकृति काहे के लिए की गई है जब विद्युत विभाग के पास पैसा नहीं है, वित्तीय संसाधन नहीं है तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा निवेदन है कि किसानों के साथ....

श्री अध्यक्ष : इतना फायदा है कि आप लाइन में लगे हुए हैं। फायदा यह है कि स्वीकृती के बाद आप लाइन में लगे हुए हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : लाइन में लगे हुए हैं लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इसको अगर बनानी है, किसानों को राहत देनी है तो आर. ई. सी. स्कीम के अन्दर इसको स्वीकृत किया जाय और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम किया जाय ताकि किसानों को फायदा हो सके।

श्री परसराम मदेरणा : बिजली की लाइन तो है मगर वोल्टेज नहीं है। बात तो यह है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जब भी फाइनेंसियल पोजीशन इम्प्रूव होगी तो पहले यह स्वीकृत है उनमें पैसा लगेगा यह कह रहा हूं। पैसे के लिहाज से जो-जो स्वीकृत योजनाएं हैं वह प्रायोरिटी से जाती हैं, तो आपकी प्रायोरिटी फिक्स है जब भी पैसा आयेगा उसमें उसको लिया जायेगा।

श्री बिरधाराम चौधरी : मेरा निवेदन यह था कि इस स्कीम से लगे चाहे दूसरी स्कीम से, जहां से भी पैसा आ सके, सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है उस स्कीम से लिया जाय ताकि वह पूरी हो जाय।

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि मकराना की आज की स्थिति यह है कि बिजली की 220 के. वी. की लाइन है, नागौर जिला पूरा उसमें आता है। मकराना की ऐसी स्थिति है कि सबसे ज्यादा बिजली की खपत उसमें होती है। बार-बार जनता ने मांग की है कि 220 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाय। जब तक वह नहीं लगेगा तब तक इसका फायदा नहीं हो सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आज किसानों को कुओं के लिए कनेक्शन आबंटित किये जाते हैं और आबंटन करते हैं अप्रेल के अन्दर और काम कब शुरू होता है, अध्यक्ष महोदय, काम उनका शुरू होता है जनवरी के अन्दर। मैं निवेदन करूं कि इनके टार्गेट्स हैं, इनके सर्कुलर्स यह हैं, यह तो सर्कुलर्स निकाल देते हैं और मौखिक यह कह देते हैं कि यह काम नहीं करना है। सर्कुलर्स यह है 15 फरवरी तक इसका कम से कम 80 पर्सेन्ट एचीवमेंट पूरा हो जाना चाहिए। मैं निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में 15 फरवरी तक 20 पर्सेन्ट एचीवमेंट पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने यहां पर काल-अटेंशन मोशन लगाया उसके बावजूद भी आज तक 50 पर्सेन्ट वहां पर एचीवमेंट पूरा नहीं हुआ, तो उसका फायदा क्या हुआ? बार-बार सर्कुलर्स बदले जाते हैं, उनसे किसानों को परेशानी होती है। पहले यह था कि मीटर से पैसा लेंगे। उसके बाद में यह रहा कि मीटर से नहीं फ्लेट रेट से लेंगे और आज यह कह रहे हैं कि कम्प्लीटली हम फ्लेट रेट से पैसा लेंगे। आप तो जानते हैं, आप नागौर जिले के गांव-गांव से वाकिफ हैं और आपको पता है कि मकराना में पानी ज्यादा नहीं है और कुछ पानी खारा भी है, हर फसल नहीं हो सकती है उसके लिए आप फ्लेट रेट लगायेंगे तो कई किसानों को····(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : बस में जो बात हुई थी आपसे वह शायद नहीं है?

श्री बिरधाराम चौधरी : मैं वही बात कह रहा हूं आप वाली।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि जहां पर ऐसा क्षेत्र है, पूरे राजस्थान को समान नहीं मानेंगे और जब आप बिजली की नीति बनाते हैं उसके अन्दर कम से कम ऐसे क्षेत्र का बंटवारा करें कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ज्यादा पानी नहीं है, 4 घण्टे

(श्री बिरधाराम चौधरी)

मोटर चलती है और कौनसा क्षेत्र ऐसा है 24 घण्टे बिजली से मोटर चलती है। जिन क्षेत्रों में 4 घण्टे मोटर नहीं चल सकती है वहां पर यह फ्लेट रेट वाली स्कीम से किसानों और अन्य लोगों को फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कम से कम आप ऐसे गांवों और क्षेत्रों का सर्वे करवायें और जहां पर पानी ज्यादा है और जहां कम है और यदि 3 घण्टे मोटर चलती है वहां पर किसानों को आप्शन दीजिए कि यहां पर फ्लेट रेट और मीटर दोनों है।

थोड़ी-सी बात और कहना चाहूंगा कि हमारे मकराना के अन्दर काफी उद्योग लगे हुए हैं और भी औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए लोग तैयार हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। जो हमारा एम. आई. सी. का केन्द्र था उसके लिए यह सर्कुलर था कि एल. टी. लाइन बाक्स में से इनको कनेक्शन देंगे। वहां पर लोगों ने इन्स्टाल्ड करवा लीं, वहां पर कोठरी बना ली, बाक्सेज बना लिए और सारी कनेक्शन की तैयार कर ली। अध्यक्ष महोदय, दो महीने हो गये, लोगों ने 20-20 लाख रुपये का लोन ले लिया, 20 लाख रुपये का दो महीने का कितना ब्याज होता है। लेकिन उन्होंने वापस सर्कुलर निकाल दिया कि नहीं हम एल. टी. बाक्स से कनेक्शन नहीं देंगे और हम एच. टी. बाक्स कोई और होता है, उससे बड़ा, उससे वह कनेक्शन देंगे। मैंने चीफ इंजीनियर महोदय से निवेदन किया था। उन्होंने लिख दिया कि ठीक है, जब तक दूसरे बाक्सेज अवेलेबल नहीं करवायें, विडम्बना इसमें क्या है कि इनके पास एच. टी. बाक्सेज अवेलेबल नहीं है और हमें लगाने नहीं देते हैं। हमने निवेदन किया तो आदेश दिये कि अवेलेबल होंगे तब लगा देंगे। तब तक एल. टी. लाइन से लोगों को कनेक्शन दे दिये जायं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इनके जो मीटर इंजीनियर हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम इन इंजीनियर की बात नहीं मानते हैं। यह विरोधाभास क्यों है? यह सर्कुलर बार-बार बदलते हैं। इससे इनका हित होने वाला नहीं है, उससे अहित होने वाला है।

मेरा विशेष तौर से निवेदन है कि जो विद्युत की लाइन हैं उनको सुधारा जाय, उनमें सुधार लाया जाय और जहां पर पानी ज्यादा है उस क्षेत्र का सर्वे करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप सुमित्रा जी पहले बोलना चाहती हैं?

मदन दिलावर (अनुपस्थित)।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आपने तो लास्ट में बोलने के लिए कहा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : यह थोड़े ही कहा था कि मैं अन्तिम बोलूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में बहस चल रही है। बिजली का ताल्लुक क्या कृषि से, क्या उद्योगों से, क्या गृहों से, सबसे है। सच पूछिए तो हमारे आर्थिक ढांचे की समृद्धि की बुनियाद भी पावर है। इसलिए इसे जितना महत्वपूर्ण आज के बजाय पहले करवाते और अब भी यदि पावर मिनिस्टर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

साहब हम सब लोगों के सुझावों को मध्य नजर रखते हुए, यदि मन्त्री महोदय कुछ सुधार करने की बात करें तब तो बहस करने का यहां कोई सार निकलेगा वरना केवल बहस करने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं पावर मिनिस्टर साहब उन सबको गम्भीरता से लेंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह बार-बार कृषि नीति जो चेन्ज की जाती है, कनेक्शन्स देने के बारे में, उससे बहुत अधिक गड़बड़ होती है। कांग्रेस की हुकूमत गई, यहां पर बी. जे. पी. और जनता दल की हुकूमत जब बनी तो 1990 के एक अप्रैल में कृषि कनेक्शन देने की नई नीति की घोषणा के अन्तर्गत, "तुरन्त अपना कनेक्शन पाओ" योजना चालू की गई। उसमें लोगों ने चाहे किसी भी तरीके से पेट बांधकर के, परेशान हो करके भी कहीं से कर्जा और उधार लेकर के भी, लोगों ने रुपया जमा कराया। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि आवेदक थे 19 हजार 921, इन आवेदकों में से 10,380 को 1991 की एक फरवरी तक कनेक्शन दिया गया। 22 सितम्बर, 1991 को यह योजना बन्द कर दी गई। अप्रैल, 1990 को कोई एक नई नीति बनाई और फिर वापस 26 अप्रैल, 1991 को अपने उस नीति में परिवर्तन कर दिया, 11-11, 12-12 साल से बैठे हुए थे लोग, जिन्होंने अपने कुओं के ऊपर पचास-पचास हजार रुपया इनवेस्ट कर दिया था। जिन्होंने कुओं बनाने के लिए उसके ऊपर सारी फिटिंग कराने में, मोटर लगाने में पचास हजार रुपये से कम नहीं दिया, मिनिमम बता रही हूं मैं आपको। इतना रुपया खर्च करने के बाद बारह-बारह साल से लोग बैठे हुए थे। इसलिए मैंने सन् 1982 तक के कनेक्शन्स को, सन् 1982 तक के साधारण आदमी को कनेक्शन मिल जाए और हरिजन भाई को, अनुसूचित जाति और जनजाति को 31 मार्च, 1985 तक किसी का आवेदन बकाया नहीं रहे, यह फैसला किया गया। साधारण योजना के अन्दर आज आपकी कोई नीति नहीं है। सन् 1982 के बाद 1983 तक तो हो गए लेकिन 1983 को भी आज, जैसे कहना चाहिए 9 साल हो गए। 9 साल में आप यह नहीं कर पा रहे हो। आपने लम्बी चौड़ी केटेगरी कर दी 26 अप्रैल के बाद फिर यह अनुसूचित जाति या जनजाति, या फौजी या विकलांग या जलधारा यह जीवन-धारा, लेकिन जनरल प्रायोरिटी को आपने यह नहीं किया कि हम 1985 तक या 1984 तक का तो डिमारकेशन करते तो आज इस तरह से 9–9 वर्ष तक एक लाख 92 हजार प्रार्थी आपके सामने आज भी हैं जिनको आपको कनेक्शन देना है और आप साल में देते हो 25 हजार।

मैं निवेदन करना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के जरिए इस बात को सिद्ध करना चाहूंगी कि सन् 1980 से लेकर 1992 तक 1980-81 के लक्ष्य थे 20 हजार, 24 हजार 844 कनेक्शन दिये गये। सन् 1981-82 के थे पच्चीस हजार, उसके अगेन्स्ट में 26,143 दिये गये। 1982-83 में दस हजार के अगेन्स्ट में 11,487 दिये गये। 1983-84 में 11 हजार के अगेन्स्ट 12,912 दिये गये। 1984-85 में 11

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हजार के अगेन्स्ट 18,227 दिये, 1985-86 में दस हजार के अगेन्स्ट 10,944 दिये गये कनेक्शन, 1986-87 में दस हजार के अगेन्स्ट में 10,819 कनेक्शन दिये। 1987-88 में दस हजार के अगेन्स्ट में 12,279, 1988-89 में 17 हजार के अगेन्स्ट में 19,417 और 1989-90 में तीस हजार के अगेन्स्ट कनेक्शन दिये गये 29,768 और 1990-91 में 35 हजार के अगेन्स्ट 33,987 कनेक्शन दिये गये लेकिन उसके बाद 1991-92 में 700 ग्रामों का आपका जो लक्ष्य था उसके बजाए तो था 570 ग्रामों का विद्युतीकरण किया और पच्चीस हजार कुओं के स्थान पर 12,996 का कनेक्शन आपने दिये। यह आंकड़े हैं 1992 तक के, और दो महीने में क्या प्रगति की है, यह मैं निश्चित तौर से कह सकती हूं कि प्रगति चाहे आपने कितनी ही की हो लेकिन आपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर देना चाहती हूं कि कहां आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं।

सदन के नेता जब यहां प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बैठते थे तो इस बात पर बहुत कुछ कहा करते थे, उनके नेतृत्व में आन्दोलन भी चला था। आज मैं बताना चाहती हूं कि आज कृषि के क्षेत्र में क्या हालत है एक स्टेट के अलावा, केवल एक स्टेट है हिन्दुस्तान में पूरी, उसके अलावा सबसे ज्यादा आपकी बिजली की दर है, कृषि कनेक्शन की बात कर रही हूं मैं, सबसे ज्यादा पैसा आप वसूल करते हो। माननीय अध्यक्ष जी, यदि मुझे घंटी का डर रहेगा तब तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगी....

एक माननीय सदस्य : घण्टी तो बजेगी ही।

श्री अध्यक्ष : आप बता दीजिए कितने टाइम बोलेंगी आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कम से कम बीस मिनट तो मुझे दिए जाएं।

श्री अध्यक्ष : मैं बीस मिनट के पहले घण्टी बजाऊंगा नहीं। इस समय आपको 8 मिनट हो चुके हैं। वैसे भी आप मंत्री रही हैं इसलिए आप बीस मिनट बोलिए।... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारहीन भाषण दे रही हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सारहीन कह रही हूं लेकिन मेरा अधिकार है। वह अपनी आदत से लाचार हैं और मेरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि एग्रीकल्चर टेरिफ राजस्थान में एक स्टेट के अलावा सबसे ज्यादा है। हरियाणा में 39 पैसा था जब अब बढ़ाकर के कर दिया 42 पैसा, रिबेट देकर आये साहब 37 पैसा। गुजरात में है 29 38 पैसा, उत्तरप्रदेश में 26.98 पैसा, पंजाब में 24.67 पैसा, देसूरी में 21 पैसा, महाराष्ट्र में 20.40 पैसा और मध्यप्रदेश में 16 पैसा और तमिलनाडू में कृषि के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लिए कोई भी टेरिफ नहीं है कृषि कनेक्शन के लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह तो है आज की हालत और विद्युत मन्त्रियों की कांफ्रेंस में जाकर के आप इस बात से स्वयं एग्री होकर आये हैं कि कृषि कनेक्शन की टेरिफ पचास पैसे की जाएगी। मैं आपसे कहना चाहती हूं आपने तो वैसे ही मार रखा है। यह मरुस्थल का इलाका 200 फीट, 250 फीट इससे पानी निकालकर के जो आदमी अन्न का उत्पादन करता है, बाड़मेर और जैसलमेर जैसी जगह में 500 फीट से भी निकलता है, उसके ऊपर आप कितना बोझ डालना चाहते हो।

श्री परसराम मदेरणा : इनके क्षेत्र में तो चार सौ से भी ज्यादा निकलता है,.... (व्यवधान)........यह समझते-समझते ही नासमझ हो रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो यह समझते हैं तो फिर क्या करेंगे। तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब और बातों के लिए मुख्य मंत्रीजी सैण्टर के साथ अपनी बात की जोरदार वकालत करते हैं तो आपने यह बात क्यों नहीं कही कि हम इसके अन्दर पचास पैसे कैसे कर देंगे ? एक साथ 32 पैसे से 50 पैसे, आप बढ़ाएंगे, तो क्या जनता के अन्दर इस बात से आक्रोश नहीं होगा, इस आक्रोश को हम कैसे सहन कर पाएंगे और मुख्य मंत्रीजी तो जानते हैं कि दो पैसे की बढ़ोतरी के ऊपर जो जन आन्दोलन किया था, सत्ता का परिवर्तन कर दिया उससे उन्होंने। इसलिए मैं आपसे कहती हूं राजस्थान की इन परिस्थितियों के अन्दर, आज राजस्थान में 23 पर्सेन्ट पर इरिगेशन होता है, उस 23 पर्सेन्ट इरिगेशन का 60 पर्सेन्ट जो इरिगेशन है, वह कुओं के जरिए होता है और इतनी मेहनत के साथ जो आदमी सर्दी में, गर्मी में,

(7.00 सायं)

बरसात में, किसी की परवाह नहीं करते हुये अन्न का उत्पादन करता है, कहते तो हो अन्नदाता, धरती का पेट चीरता है वह और उसके ऊपर आप वहां जाकर एग्री कर आयें कि हम पचास पैसे कृषि कनेक्शन के लिये लेंगे। मैं कहती हूं कि यह आपकी सरासर ज्यादती होती और राजस्थान के किसान के साथ विश्वासघात होगा। यदि आपने पचास पैसे दिये तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह बात सही है कि आर. एस. ई. बी. धीरे-धीरे बहुत घाटे में जा रहा है और उसको घाटे से उबारने के सरकार ने कई प्रयत्न किये। 613 करोड़ रुपये के ऋण को तो सरकार ने अपनी हिस्सा पूंजी में बदल दिया, 148.54 करोड़ रुपये राइट आफ कर दिये और उसके अलावा इस बार 1992-93 की हमारी जो योजना है, उसमें 212.29 करोड़ रुपये अनुदान देने का फैसला भी किया है लेकिन बिजली बोर्ड की हालत क्या है, यह मैं आपको बताना चाहूंगी। बिजली बोर्ड की हालत, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर बड़ा दुःख होगा, सदन के सदस्यों को बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि यह मई, 1990 के अन्दर जो एक्चुअल रेवेन्यू का कलेक्शन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हुआ करता था, रेवेन्यू टारगेट थे 58.18 लेकिन उसके अगेंस्ट में हुआ 64.5, जून में 59.67 के बजाय हुआ 71.36, जुलाई में 76.29, अगस्त में 77.40 सितम्बर में 78.58, अक्टूबर में 90.91, नवम्बर 1990 के अन्दर 88, मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रान्ड टोटल 1990-91 के अन्दर कुल मिलाकर जो आपकी रेवेन्यू का टारगेट था, उससे एक्सेस हुआ—176.47 करोड़। उसके पीछे एक तो तुरन्त योजना थी, तुरन्त योजना के तहत कुछ पैसा लिया गया था लेकिन पूरा 176 47 करोड़ रुपया एक्सेस था। लेकिन धीरे-धीरे मई 1991 के बाद क्या हालत हो रही है, यह मैं निवेदन करना चाहूंगी। मई 1991 के अन्दर-12 52, जून में-12.81, जुलाई में-4.89, अगस्त में-1.61, सितम्बर में-5.99, अक्टूबर में-2.40 और नवम्बर में-16.09, दिसम्बर में-12.90, जनवरी, 1992 में-23.72 और फरवरी में-27.34 करोड़। फिर 1992 के अन्दर तो रेट बढ़ा दी। सबकी। रेट बढ़ा दी आपने और रेट बढ़ाने के बाद में आपके मांइनस आ गया 115.47। मैं कहना चाहती हूं कि यह सारे मार्च तक नेट लोसेज जो है वह 220.47 करोड़ हो जाते हैं। 105 करोड़ तो आपने माना है कि पिछले साल लोस था। यह एक्सपेक्टेड लोस जो है मार्च में 220.47 करोड़ रुपये हैं, इसके कई कारण हैं। मैं तो यह बताना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात में किसी को एतराज नहीं हो सकता कि टेक्नोक्रेट को हम आर. एस. ई. बी. का चेयरमैन बनाये जिससे कि वह अपनी तकनीकी ज्ञान की वजह से उसको ठीक तरीके से चला सके। इसमें किसी को एतराज नहीं है लेकिन विद्युत मण्डल को पिंजरापोल बना दिया जाय। रिटायर्ड आदमियों का, मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हूं। मैं इसलिये पक्ष में नहीं हूं इस बात के....(व्यवधान) बिल्कुल पिंजरापोल बना दिया गया। आज 17 आदमी ऐसे हैं जिनको रिटायर होने के बाद में विद्युत मण्डल के अन्दर वापस नियुक्ति मिली है। उसकी वजह से विद्युत मण्डल का इतना खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहती। मैं.... (व्यवधान) पी. एन. भण्डारी के पक्ष में मैं हूं या चाहे नहीं हूं, बोर्ड मुनाफे में चले मैं तो इसके पक्ष में हूं। आखिर हमने सेवा-निवृत्ति की एक उम्र रखी है और सेवा-निवृत्ति के बाद में हर आदमी, हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा हो, इंडिस्पेसेबल, जिसको हम ले सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारे के सारे ऐसे लोगों को लेकर के बोर्ड को चलाना चाहें, मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं। मैं ही नहीं, राजस्थान की जनता भी इस बात के पक्ष में नहीं होगी कि उनके गाढ़े पसीने की कमाई इस तरह से सेवा-निवृत्ति के बाद आप बांटें खैरात के रूप में। मैं इस चीज के कतई पक्ष में नहीं हूं। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप इस बात को देखिये। आप क्या लिखने में व्यस्त हैं? मैं आपको ऐसे सुझाव दे रही हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप यह सोचिये, कल्पना करिये कि विद्युत मण्डल के अन्दर जब 17 सेवा-निवृत्त आदमियों को रख रखा हो तो यह विद्युत मण्डल आपको किस तरीके से लाभ दे सकेगा।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1990 के बाद में जो कनेक्शन दिये, उसमें आपने नीति निर्धारित की थी कि हम उनको फ्लेट रेट पर दें लेकिन विद्युत के ऊपर एक राज्य अध्यक्ष कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने फ्लेट रेट के पक्ष में अपनी राय नहीं बताई और यह कहा कि फ्लेट रेट देने से विद्युत का अननेसेसरी उपयोग करते हैं, लोग जलाये ही रखते हैं। इसलिये फ्लेट रेट को उन्होंने नहीं माना है। मैं आपसे कहती हूं कि आप घंटे तो आठ ही दोगे और यह घंटे भी आपने इस साल दे दिये, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपकी नोलेज में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं निश्चित तौर से इस बात को जानती हूं कि 1991-92 में आप आठ घंटे बिजली इसलिये दे सके थे कि पावर मिनिस्टर सेन्टर में कल्याणसिंह जी कालवी थे और उन्होंने आपको सेन्टर पूल से एक्सट्रा बिजली दिलवाई। इसलिये आठ घंटे की आपूर्ति आपने कर दी। जितनी संख्या में आप कनेक्शन दे रहे हैं, यदि आप उस तरीके से करते रहे तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर 45 प्रतिशत हमारी कमी हो जायेगी ऊर्जा उपलब्धि में और ऊर्जा के उपयोग में। तो क्या होगा? इसलिये आप इस बारे में विचार कीजिये। अपने स्वयं के भी, आप यहां जनरेट कर सकते हो, अपनी जनरेशन के बारे में आप सोचिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।....(व्यवधान) कल्याणसिंह जी के बाद में अब क्या होगा। हम तो चिन्तित है इस बात के लिये। 1990-91 में मैंने दे दी किसी तरीके से और 1991-92 में कल्याणसिंह जी कालवी ने दे दिया आपको लेकिन आप अब क्या करोगे? आप मुझे यह तो बताओ।.... (व्यवधान) किसी के पास जाओ, कहीं कल्पो, कहीं कुछ करो लेकिन इतना तो हमें विश्वास दिला दो कि हम....(व्यवधान) कहीं कल्पो इतना तो विश्वास दिलाओ हमें आप कि आपको हम आठ घंटे विद्युत फिर भी देते रहेंगे। यह तो विश्वास दिला दो।

श्री अध्यक्ष : बीस मिनट हो गये पूरे।

श्री बिरधाराम चौधरी : कल्याणसिंह जी की तो जमानत जब्त हो गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले साल जो हमारी योजना थी, उसका 28 प्रतिशत इस पावर सेक्टर के अन्दर था और इस साल हमने 28 प्रतिशत से कर दिया है 27.39। यह हमारी इस बात को इंगित करता है कि हम कितने गम्भीर हैं इस ऊर्जा के मामले के अन्दर। कितनी गम्भीर है यह सरकार, इस बात को यह इंगित करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आप एक्स्ट्रा जनरेट नहीं करेंगे तो आपकी हालत बड़ी खराब हो जायेगी। जिस समय सूरतगढ़ ताप घर को बनाने की योजना थी, उस समय उसका जो बजट था वह 400 करोड़ रुपये से कम था लेकिन आज उस योजना के ऊपर 1403.15 करोड़ रुपये खर्च होगा और आज जो है इस बारे में कोई भी,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मुझे कहना चाहिये कि नये जनरेशन के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। नये जनरेशन के प्राइवेटाइजेशन की बात मत सोचिये। बरसिंगसर तो चला गया नेवेली लिग्नाइट को। सूरतगढ़ एक केवल आपके पास बचा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पावर सेक्टर पर भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष की जो रिपोर्ट है, इसके पेज नम्बर 73 से लेकर पेज नम्बर 168 तक इनमें आब्जेक्शन्स हैं। कितने सुनाऊं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इतने पेजों के अन्दर लिखा है लेकिन आखिरी बात मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। इतने सारे आब्जेक्शन्स उन्होंने दिये हैं और आडिट आब्जेक्शन्स हैं। क्योंकि समय नहीं है, बहुत कुछ कह सकती थी, केवल एक सेन्टेंस मैं बता देना चाहती हूं कि "उपर्युक्त मामला मण्डल और सरकार को नवम्बर, 1990 को प्रतिवेदित कर दिया गया था लेकिन उनका जवाब मार्च, 1991 तक नहीं आया"। यह इसमें लिखा है। कितना सीरियसली लेना है आडिट आब्जेक्शंस को यह मण्डल, यह इसका एक उदाहरण है। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि आप एक्स्ट्रा जनरेशन के बारे में थोड़ा प्रिकॉशन लीजिये। कहीं कोई और तो आपके पास गुंजाइश है नहीं। धौलपुर के बारे में मुख्य मंत्रीजी हर बार सदन को गुमराह करते रहते हैं। हालांकि मुझे मालूम नहीं है वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। 4 करोड़ रुपये का प्रोवीजन कर दिया है इस बार, 4 करोड़ का कर दिया। मंजूरी अभी आई नहीं, अभी तो उसमें 10 अड़चनें हैं। आपने चार करोड़ का प्रोवीजन उसके ऊपर कर दिया। यह कर करके सदन को गुमराह ही करना चाहते हैं ना आप कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

धौलपुर की परियोजना स्वीकृति होने जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात निवेदन कर देना चाहती हूं। आपके पास टेक्निकल नो-हाऊ की कमी नहीं है। आपके पास सब चीजों की क्षमता है, लोगों के प्रमोशनल एवेन्यूज रुके पड़े हैं। सूरतगढ़ के बारे में आप प्राइवेटाइजेशन के बारे में नहीं सोचकर, भुगत चुके हैं आप चित्तौड़ को, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब जाकर के तैयार हुई है। 5 वर्ष में तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई है। 1988 में दिया था आपने उनको लाइसेंस और 1988 के बाद में 4 वर्ष बाद तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई है। आपको मालूम है, 10 वर्ष की देरी का मतलब ये प्राइस कहां से कहां पहुंच जायेगी। आज जितना नियोजन करना है, उससे 5 टाइम्स आपको नियोजन करना पड़ेगा। इसलिए आप क्यों नहीं अपने मण्डल के इंजीनियर्स से करवाते हैं आपको कई इंटरनेशनल एजेंसीज से इस मामले में पैसा मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करते हुए कि विद्युत मण्डल के अन्दर एक सतर्कता के नाम से एक नई योजना निकली है, वह यह है कि जो कोई बिजली चोरी को पकड़ेगा, उसको एक या दो पर्सेन्ट के हिसाब

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

से सिस्सा उसको भी मिलेगा। आपके जो कर्मचारी है, जिनको आप तनख्वाह देते हैं, जो है ही इस बात के लिए, सतर्कता के लिए अलग विंग आपकी बनी हुई है उनको एक या दो प्रतिशत आप एक्स्ट्रा पुरस्कार के रूप में किस बात का देना चाहते हो ? मैं आपसे कहती हूं, यह प्रशंसा नहीं है, ये उद्योगपतियों को एक नहीं पकड़ते हैं, जो वास्तव में चोर हैं, उनको बिल्कुल नहीं पकड़ते हैं और केवल अपने आंकड़ों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गरीब किसानों के पास जाते हैं, उन्हें पकड़ते हैं। मैं 295 के जरिये एक मुद्दा उठा चुकी हूं और उस मुद्दे पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने हस्तक्षेप करके....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्योंकि, यह बात तो पूरी कर लूं कम से कम। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना तो मत करिये।

श्री अध्यक्ष : आपके और हमारे बीच में 20 मिनट का एग्रीमेंट था। मैंने उसको निभाया। अब मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। 25 मिनट हो गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो बात मैं पूरी कर लूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बात तो पूरी कर लूं।

मैं निवेदन कर रही थी, अध्यक्ष महोदय, कम से कम गरीब को लूटने की इजाजत तो हम नहीं दे सकते, यह सदन को सोचना चाहिये कि मैंने 295 के जरिये उठाया था। एक तरफ तो सरकार कहती है जिस समय काश्तकार की फसल आने का समय हो, हम फरवरी बाद कोई कनेक्शन नहीं काटेंगे। मैंने उदाहरण दिया है। 2 फुलेरा तहसील में हैं जिनके अन्दर 15 फरवरी को आपने कनेक्शन काटा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि किसी का मीटर खराब हो जाय, अगला दरख्वास्त दे दे, मीटर का पैसा जमा करा दें, उसके बाद चोरी किस बात की है ? मीटर का पैसा उनका जमा था, उनको पकड़कर कहा कि तुमने चोरी की है, केस बनायेंगे, हम 7,500 रुपया जमा कराओ। 7500 रुपया भी जमा करा दिया। एक चला गया कोर्ट में, उसका तो क्या करते, उसने तो कोर्ट से स्टे ले लिया और दूसरा जो कोर्ट नहीं जा सका, उसने....

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा जी, अब मेरा धैर्य चूक गया है। अब आप बैठिये। क्योंकि अब आप बात कहेंगी and there will be no end to it. आप रिपीट कर रही हैं। 295 दे चुकी हैं, उसका जवाब मिलेगा आपको। कोई मतलब नहीं। देखिये, अभी केवल 25 लोग हुए हैं। मैंने आपको बीच में बुलाया है। बाकी सारे लोग बैठे हैं.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है। महोदय, मुझे एक बात और निवेदन करना है। आज मण्डल के अन्दर यह व्यवस्था है कि जो काश्तकार मर जाता है, उसका यदि कोई वारिस हो तो उस वारिस को भी सिक्योरिटी मनी दुबारा से जमा करानी पड़ती है। मैं बता रही हूं। अब मान लो मेरी बात।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उसको 3,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है। 3,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देकर के नाम चेंज करा सकता है। यह 3,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लेना बिल्कुल गलत है। नहीं लेनी चाहिये। नहीं, आज तो यह व्यवस्था है, देना पड़ता है उसको। इसलिए उसको नहीं लेनी चाहिये। वैसे ही आपको उसको सक्सेशन कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सेन्टेंस तो कम्प्लीट कर दूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सेन्टेंस ही कम्पलीट नहीं करने दे रहे हो।

श्री अध्यक्ष : I am sorry। श्री चुन्नी लाल गरासिया। (व्यवधान) आ रहा है आपका नाम। आप नहीं बोलना चाहते?

श्री रामस्वरूप मीणा : बोलना चाहता हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष : बैठे रहिये फिर। भगवान के यहां भी नम्बर आएगा। आप अभी से भगवान से कह दो कि उठा लो; कैसे उठा लेगा? नम्बर आएगा तब उठायेगा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विद्युत पर चर्चा चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं भी अपने विचार रखना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय नोट कर रहे हैं। विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है। माही के द्वारा जो विद्युत पैदा की जाती है और उस विद्युत पर जो खर्च होता है। पैदावार जनजाति क्षेत्र में जरूर होती है, प्रोडक्शन जनजाति क्षेत्र में होता है लेकिन जनजाति क्षेत्र में प्रोडक्शन का लाभ मिलना चाहिये, वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि जनजाति क्षेत्र में प्रोडक्शन होने के कारण जनजाति के हैड में खर्चा होता है, उस पर उस प्रोडक्शन से लेकिन जिस तरह से विद्युतीकरण जनजाति क्षेत्र में जाल के रूप में बिछाना चाहिये क्योंकि एलोकेशन जो प्रोडक्शन का दिखाया जाता है, उसके कारण से जनजाति क्षेत्र जो बिखरा हुआ है, बिखरी हुई आबादी है। एक घर दूसरे घर से डिस्टेंस पर बने हुए हैं और ऐसी भौगोलिक स्थिति होने के कारण गांव में विद्युतीकरण जरूर होता है। एक डी. पी. गांव के बीच में जरूर लग जाती है लेकिन हर घर में लट्टू जलना चाहिये। इस तरह का एक कार्यक्रम, आज तक हमारे सामने बैठे हुए भाई-बंधु उन्होंने भी नहीं अपनाया लेकिन मैं आशा करता हूं हमारी यह सरकार जिस तरह से दो साल का आउट पुट है, उसको देखते हुए इसको हम कुछ चेंज कर रहे हैं कि वास्तव में जनजाति क्षेत्र में जो 12 प्रतिशत खर्च होता है, उसके विद्युतीकरण का खर्च है, जनजाति क्षेत्र के गांव में हर घर में लट्टू जलें, उस तरह का भी अगर।

माननीय मंत्री महोदय करेंगे तो मैं समझता हूं जनजाति क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आज जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां बनवासी एक दूसरे से इतने दूर-दूर

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

रहते हैं, वे अपना स्वयं का व्यक्तिगत खर्च उठा नहीं सकते। एक घर और दूसरे घर के बीच कम से कम एक या दो पोल लगते हैं और जिस तरह का खर्च एक पोल पर लगता है और आर्थिक स्थिति उसकी इतनी है नहीं जिससे वह खर्चा कर सके, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कनेक्शन लेना चाहते हैं बनवासी बंधु और जो पोल लेते हैं. वह पोल लेते हैं, वह पोल अनुदान के रूप में सरकार वहन करें और जो एलोकेशन हम प्रोडक्शन का देखते हैं, वह हम विद्युतीकरण से या जनजाति क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन लेना चाहते उसमें दिखायेंगे तो मैं समझता हूं आज जो 40 साल से उपेक्षित क्षेत्र रहा है, हमारे शासन में बनवासी बंधुओं के लिए काफी सहयोग का माध्यम बनाया जाय। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, प्रोडक्शन के एलोकेशन को देखते हुए भी वनवासी क्षेत्र में 12 प्रतिशत खर्च होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं आप मेरे इन विचारों पर ध्यान देंगे तो आदिवासी क्षेत्रों में, बनवासी क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अब तक जो कार्य किये हैं वे सराहनीय हैं उसके लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसानों की जो महत्वपूर्ण समस्या बिजली की है, उसके बारे में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं एक किसान का बेटा हूं....

श्री अध्यक्ष : तुरन्त दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान का बेटा हूं, किसान के क्षेत्र से चुनकर आया हूं, अनुसूचित जन जाति का हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि आपने मुझे प्राथमिकता दी, मैंने जैसे ही नाम दिया आपने मुझे अवसर दिया। मुझे इस बात का भी गर्व है कि यह सदन जिस दिन से शुरू हुआ है, उस दिन से लेकर चाहे रात के 12 बजे तक चला हो मैं हमेशा सदन में उपस्थित रहा हूं लेकिन आज किसानों की समस्या को लेकर पता चल रहा है कि कितने किसान यहां बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य जो बिराजमान हैं उस संख्या से ही पता चल जायेगा कि कौन किसानों का हित चाहने वाला है और कौन नहीं चाहने वाला है। हमारे सामने जो सत्ता पक्ष बैठा हुआ है, मैं इस बात का निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : तब तो सबसे बड़ा किसान मैं ही हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सबसे बड़े किसान आप हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। हां, यह बात सच है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज जो बिजली पर बहस हो रही है उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी पार्टी रही हो लेकिन जिसने किसानों का हित किया है, इस बात को तो कहना ही पड़ेगा, माननीय सदस्य जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वे सुन लें कि कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस

(श्री रामस्वरूप मीणा)

ने किसानों का हित किया, कांग्रेस ने किसानों के बारे में सोचा, इस बात को सर्वप्रथम कहूंगा कि कांग्रेस के टाइम में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कनेक्शन में प्राथमिकता दी गई। उनकी प्रायरटी बनाई जाती थी और उसके बाद में और लोगों का नम्बर आता था। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार के आने के बाद सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर आघात किया गया है। मुझे इस बात का दुःख है।

दूसरा मैं निवेदन करूं कि पहले किसानों को कनेक्शन देने में क्या होता था....

श्री अध्यक्ष : आप यह कहते तो अच्छा रहता कि बिजली गिराई।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि पहले किसान जो कनेक्शन लेते थे, कोई किसान 5 हार्स पावर की मोटर लगाते थे तो उसके साथ 5 लट्ठे फ्री मिलते थे लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस सरकार ने एक लट्ठे की कीमत 3200 रुपये कर दी है। यह किसानों की हितैषी सरकार जो अपने आपको कहती है लेकिन मैं कहता हूं यह किसानों का खून चूसने वाली सरकार है और इस बात को आपने साबित कर दिया। 3200 रुपये का एक लट्ठा आता है तो वह किसान जैसे बिजली लगायेगा? लेकिन करे क्या? वह मर रहा है। कनेक्शन के लिए उसने फाइल लगा दी लेकिन जब बड़ा बिल नजर आता है तो उसकी कनेक्शन लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपने प्रायरटी के आधार पर कनेक्शन देना शुरू कर दिया कि जो ज्यादा पैसा देगा उसको तुरन्त प्रायोरटी के अंदर कनेक्शन मिलेगा। इस प्रकार की परिपाटी आपने ही चलाई थी। इसमें गरीबों का तो कहीं नम्बर ही नहीं था। अनुसूचित जनजाति के लोग गरीब लोग, जो ज्यादातर किसान हैं, आपने उन लोगों के बारे में बिलकुल नहीं सोचा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार सबसे पहले विद्युत नीति की घोषणा करे। आपने कौनसी नीति अपना रखी है, किसान को क्या हक दे रहे हो, क्या आपने बनाया है, क्या आपने घटाया है, इसके बारे में किसान को कोई मालूम नहीं है। इसलिए मेरा पहला निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि आप अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सबसे पहले आप अपनी नीति की घोषणा करें कि यह पैसा लिया जायेगा, इन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, यह किया जा रहा है। आपने कई नीतियां वर्ष भर में बदल दीं। किसान परेशान हैं। ये अधिकारी जो नीचे बैठे हैं ये इनकी आड़ में खेल खेल रहे हैं। किसी से कह देते हैं कि यह नियम है, किसी से कह देते हैं कि 11 हजार रुपया जमा कराओ, किसी से कह देते हैं कि 8 हजार जमा कराओ, किसी से क्या कह देते हैं और किसी को क्या कह देते हैं और पैसा ऐंठ लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि विद्युत नीति की घोषणा की जाय तथा प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर, पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर, तहसील

(श्री रामस्वरूप मीणा)

लेवल पर उसका प्रचार किया जाय, यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारा किसान जो रात्रि में बिजली को काम में लेता है रात्रि को बिजली मिलती है, ऊपर से ठण्ड पड़ती है तो सर्दी में अनेक किसान बीमार हो जाते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को दिन में बिजली दी जाय। बड़े कारखानों को तो दिन में बिजली दी जाती है और किसानों की रात्रि में बिजली दी जाती है जिससे वह बीमार होकर मौत के घाट उतर जाते हैं।

इसके साथ-साथ मेरा एक और सुझाव है कि किसानों को ट्रांसफार्मर दिया जाता है लेकिन उसको ट्रांसफार्मर न दिया जाकर डी. पी. लगा दी जाती है। यह उसके लिए बहुत बड़ा रोग है। ट्रांसफार्मर जब खराब हो जाता है, फसल पकने को आती है लेकिन उस ट्रांसफार्मर के ठीक होने में 15-20 दिन लग जाते हैं। इसके ठीक होने की लम्बी प्रक्रिया है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप लगातार लिखते जा रहे हो, पता नहीं आप मेरा लिख रहे हो या किसी और का लिख रहे हो, मुझे पता नहीं लेकिन आप किसान हो, आप कम से कम मेरी बात पर ध्यान दो।

श्री रामनारायण विश्नोई : आप ही का लिख रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक ट्रांसफार्मर जब खराब होता है तो ठीक होने में 15 दिन लग जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मीटर किसान खरीद सकता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय मैं निवेदन करूंगा, सुझाव भी दूंगा कि 5 काश्तकार मिलकर ट्रांसफार्मर खरीदने की स्थिति में कमी हैं क्योंकि वे परेशान हैं, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए यदि कोई किसान ट्रांसफार्मर खरीदना चाहे तो आप उस प्रकार की घोषणा करें। इस प्रकार की नीति अपनायें कि जो भी 5 किसान अपने पैसे से मिलकर ट्रांसफार्मर खरीदना चाहते हैं तो उनको पावर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उसे ठीक कराने के लिए जयपुर या अलवर ले जाना पड़ता है। आप उसको वहीं पर ठीक करवाइये जहां वह खराब होता है ताकि आने-जाने का खर्चा और किसान को जो यहां तक आना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, उससे वह बच सके।

टोडाभीम के अंदर कॉ-आपरेटिव सोसाइटी के जरिए बिजली दी जाती है। कॉ-आपरेटिव

Page No. 230

(230)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

तो आपने जनता की बना दी लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कॉ-आपरेटिव को बिजली तो आप ही देते हो, बिजली तो मण्डल से मिलती है। उसको वक्त पर माल मिलता नहीं है, किसान परेशान होता है। ठीक है, आप कॉ-आपरेटिव चलाइये लेकिन उसको पैसा भी दीजिए, उसको पावर भी दीजिए। कॉ-आपरेटिव का आपने दिवाला निकाल दिया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन कि अगर आप कॉ-आपरेटिव बनना चाहते हो, आप उनके लिए कॉ-आपरेटिव की व्यवस्था करिए, उनको आप वक्त पर सामान दीजिए।

मेरा एक आखरी निवेदन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चीफ इंजीनियर यहां विराजमान हैं, मेरा सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान जो चोरी कर रहा है, वह मजबूरी में कर रहा है। मेरे क्षेत्र में केवल 300 कनेक्शनों की जरूरत है और 300 कनेक्शन मेरे क्षेत्र में आज भी लगे हुए हैं। आपके नियमों में कहीं नहीं लग रहे हैं। आपके कहते हैं बिजली की कमी है, कनेक्शन नहीं दे सकते। मैं आपको हकीकत निवेदन कर रहा हूं कि बिजली के कनेक्शन लग रहे हैं। किसान ने बिजली मजबूरी में लगा रखी है। वह 2-3 साल से इंतजार कर रहा है, फाइल लगा रखी है और उनकी फसल सूखने को है और आप कहते हैं हमारे पास बिजली नहीं है, सरकार आदेश देगी तब देंगे। कनेक्शन तो किसान ने ले रखा है, वह चला रहा है। यह हकीकत है यदि आप स्वीकार करो तो।

श्री अध्यक्ष : यह आपका पाइन्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर बिजली बोर्ड को प्रायरटी करने की जरूरत ही नहीं है, जो लगा लेगा उसी का हो जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप उनको कनेक्शन दीजिए, उनसे पैसा लीजिए ताकि बिजली की चोरी भी रूकेगी।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आपने जो खुली लाइनें लगा रखी हैं उनकी बजाय आप अण्डरग्राउण्ड लाइनें लगाने का कार्य शुरू करो।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल (राजसमन्द) (अनुपस्थित)। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री रामस्वरूप मीणा : अण्डरग्राउण्ड लाइनें लगाने से बिजली की चोरी नहीं होगी।

आखिर में यही कहता हुआ कि मेरे यहां की जो कॉ-आपरेटिव सोसाइटी है, उसकी सुविधायें आप बढ़ायेंगे, उसके जरिए किसानों को बिजली दिलायेंगे और उसमें जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको आप स्थायी करेंगे ताकि वे लगन और मेहनत से काम कर सकें और यह सोसाइटी आगे चल सकें। अगर आपका उसको चलाने का इरादा है तो आप उसको सुविधा दीजिए। किसानों के जो बिजली कनेक्शन बकाया हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनको आप तुरन्त कनेक्शन दीजिए और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को प्रायरटी के आधार पर कनेक्शन देकर

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पुनः जो पहले कांग्रेस ने घोषणा कर रखी थी जो नीति अपना रखी थी वही नीति आप अपनायें। माननीय चीफ इंजीनियर यहां बैठे हुए हैं, चेयरमैन साहब यहां पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के टाइम में आपने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन रिटायर होने के बाद दुबारा जब इस सरकार ने आपको लिया है तब आपके दिमाग का भी दिवाला निकल चुका है। माननीय मंत्री महोदय, आपके दिमाग में तो वोल्टेज आते ही नहीं हैं। पावर आपके दिमाग में है ही नहीं। या तो अधिकारी आपकी नहीं मानते हैं या अधिकारियों की आप नहीं मानते हैं, इसलिए इस मण्डल का तो भट्टा बैठ गया। इसलिए मैं ज्यादा न कहता हुआ यही निवेदन करूंगा कि किसानों की बात पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, Power is equal to prosperity, यानि विद्युत होगी तो ही विकास होगा। उस दृष्टि से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारे लिए विद्युत का बहुत महत्व है। आज हमने चाहे अपनी इन्स्टाल केपेसिटी 2721 मेगावाट कर ली हो लेकिन वह हमारी पूर्ति के अनुरूप नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में सी. ई. ए. के एस्टीमेट्स के मुताबिक ही 44.9 प्रतिशत डेफिसियेट में हम रहेंगे। और जिस प्रकार से प्रोजेक्ट्स की गति चल रही है उस प्रकार से अगर देखें तो वह डेफिसियेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने में, उनको चील करने में अपनी बेताबी दिखाती रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन पावर प्रोजेक्टस के बहुत लम्बे समय तक लम्बित रहने के कारण, इनकी मंजूरी नहीं मिलने के कारण कभी यह सी. ई. ए. में पड़े रहते हैं, कभी यह प्लानिंग कमीशन में पड़े रहते हैं, कभी पर्यावरण विभाग में पड़े रहते और राजस्थान का विकास अवरुद्ध होता नजर आता है। आप आश्चर्य करेंगे अध्यक्ष महोदय, सन् 1984 से जो पावर प्रोजेक्ट्स हमने केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजे उनमें से कोटा स्टेज थर्ड और सूरतगढ़ के अलावा हमारे किसी पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी हमें मंजूरी प्राप्त नहीं हुई। हमने जो पावर प्रोजेक्ट्स भेजे हैं वह 2880 मेगावाट के केन्द्र सरकार को भेजे और उनमें से जो हमें आज तक मंजूरी मिली है कोटा स्टेज थर्ड और सूरतगढ़ की, सिर्फ 710 मेगावाट की मंजूरी हमको मिली।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बरसिंहसर की मिली है।

श्री यदुनाथ सिंह : बरसिंहसर की मिली है। यहां वो इसमें नहीं है जो मैं गिना रहा हूं। 2880 मेगावाट। यहां बात की जाती है कि हमारी जो कीमत है बिजली की, वह ज्यादा कीमत आती है और हम किसान को और उद्योग को कम पैसे में सब्सिडी देकर बिजली देते हैं इसलिए आर. एस. ई. बी. में घाटे का काम होता है। अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता की गलती की वजह से कीमत नहीं बढ़ती है और आप इन प्रोजेक्ट्स की कीमतों के एस्कलेशन का हिसाब अगर लगायें तो आप देखेंगे, मैं

Page No. 232

232

(श्री यदुनाथ सिंह)

ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, यह कोटा स्टेज, थई, सूरतगढ़, चित्तौड़गढ़, माण्डलगढ़, बरसिंहसर, मथानिया, अन्ता स्टेज सैकण्ड, धौलपुर-इनके जो ओरिजनल एस्टीमेट्स थे उनको अगर समय पर मंजूरी मिल गई होती तो आज जो 3336.68 करोड़ रुपये की राजस्थान को अतिरिक्त खर्चा करने को मजबूर होना पड़ेगा, उससे बचा जा सकता था और राजस्थान को सस्ती बिजली मिल सकती थी। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार इनकी समय पर मंजूरी देती नहीं और एक साथ सारे ओबजेक्शन्स लगा कर राज्य सरकारों को भेजती नहीं, कभी एक ओबजेक्शन भेजा—उसकी पूर्ति करके भेजते हैं तो दूसरा ओबजेक्शन आ जाता है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि जितने भी ओबजेक्शन किसी प्रोजेक्ट्स के बारे में है उनको एक बार में, जितनी भी कमियां हैं उनको राज्य सरकार को वापस भेजें कि इनकी पूर्ति करके आप भेजिये, राज्य सरकार समय पर उनकी पूर्ति करके भेजेगी और वह पावर प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होने के काम होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी केन्द्र सरकार से मिले नहीं, केन्द्र सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो हिस्से का सवाल है, उस हिस्से का जो फार्मूला अध्यक्ष महोदय, बनाया है वह राजस्थान के हितों के बहुत विपरीत है। वह फार्मूला इस प्रकार का है कि राजस्थान कभी भी, जो हमसे राज्य आगे हैं, उनके बराबर कभी आ नहीं सकता बल्कि उनसे पीछे धीरे-धीरे पिछड़ता हुआ चला जायेगा और बहुत पिछड़े राज्यों में राजस्थान का नाम हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, उस फार्मूले में व्यवस्था की गई है कि थर्मल में दस प्रतिशत तो मिलेगी जिस स्टेट में पावर प्लांट लगेगा, उसको और 75 प्रतिशत तो बिजली का वितरण होगा अन्य जो रीजन के राज्य हैं उनके बीच में, इस आधार पर कि उस राज्य में कितनी बिजली की खपत है पर कैपिटा और कितना सेन्ट्रल असिस्टेंस प्लान असिस्टेंस उस राज्य को है। राजस्थान आठवें नम्बर पर है बिजली की पर कैपिटा खपत के मामले में और प्लान इनवेस्टमेंट के मामले में बहुत नीचे है। इस प्रकार से अगर हमको बिजली में जो अपना हिस्सा मिलेगा उस हिस्से में राजस्थान के साथ हमेशा के लिए अन्याय और अत्याचार होता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हाइडल की पावर में जो फार्मूला फ्रेम किया गया है उस फार्मूले में 15 प्रतिशत तो अनअलोकेटेड बिजली रहेगी और होम स्टेट को 12 प्रतिशत मिलेगी और 73 प्रतिशत जो राज्यों के बीच बिजली बांटी जायेगी उसके लिए भी फिर यही फार्मूला लागू होगा। कहने का मेरा तात्पर्य अध्यक्ष महोदय, यह है कि राजस्थान में जहां प्लान असिस्टेंस की, हमारे यहां इनवेस्टमेंट कम, हमारे यहां बिजली की पर कैपिटा खपत कम और उस आधार पर केन्द्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनमें से हमको बिजली मिलने का काम होगा तो हम हमेशा के लिए पिछड़ते चले जायेंगे और राजस्थान में कभी भी न खेती में तरक्की होगी, न उद्योग में तरक्की होगी। अध्यक्ष महोदय, यही हाल हमारी अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं का हो रहा है और आप आश्चर्य करेंगे, 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी परियोजना,

(श्री यदुनाथ सिंह)

वह नाथपा झाकड़ी हाइडल कार्पोरेशन को दे दी गई। उसमें हमारे हिस्से के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है, हमारे हिस्से को नहीं दिया जा रहा है जबकि रावी-व्यास के पानी के सिद्धान्त पर जो बिजली का हिस्सा हमारा तय हुआ है 15.22 प्रतिशत, अगर हिस्सा उसमें हमारा तय किया जाता है तो वह हिस्सा होता है 218.30 मेगावाट। यानि नाथपा झाकड़ी परियोजना चल रही है उसमें अगर हमारे साथ न्याय किया जाये तो हमारे लिए 218.30 मेगावाट बिजली आज राजस्थान को प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय, एक समझौता हुआ था 81 में, कोल डेम, संजय और पार्वती के बारे में और 800 मेगावाट की इस परियोजना में राजस्थान को 75 प्रतिशत तो कॉस्ट और 65 प्रतिशत बिजली, यह मिलने का प्रावधान था। लेकिन उस परियोजना को भी राजस्थान से बिना पूछे, राजस्थान से बिना सलाह किये नाथपा झाकड़ी हाइडल कार्पोरेशन को दे दिया गया है और राजस्थान को एक इतना बड़ा हिस्सा 800 मेगावाट में से मिलता जिसका एम. ओ. यू. हो गया, जिसका एग्रीमेंट हिमाचल सरकार के साथ हो गया और जिसके लिए राजस्थान की सरकार ने एक करोड़ साठ लाख रुपये सर्वे और इनवेस्टीगेशन के लिए हरियाणा को दे दिया हो, उस बिजली में से अचानक राजस्थान को हटा दिया जाय, यह राजस्थान के साथ घोर अन्याय करने का काम किया गया। इसमें से हमको 504 मेगावाट बिजली मिलती। अध्यक्ष महोदय, 2400 मेगावाट बिजली का हाइडल प्रोजेक्ट टिहरी डेम बन रहा है जिसमें पन्द्रह हजार करोड़ रुपये की असिस्टेंस मिले रसियन, बाकी सात हजार करोड़ रुपये में यह बाकी प्रोजेक्ट पूरा होने का काम होगा इसमें। जो दस प्रतिशत का हिस्सा हम 74 से मांग रहे हैं वह हिस्सा अगर हमें मिले— 240 मेगावाट हमारा हिस्सा होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ 10 मई, 1984 को जिस प्रकार का समझौता करके राजस्थान के साथ घोर अन्याय और अत्याचार किया गया उसकी हिन्दुस्तान में किसी समझौते में मिसाल नहीं मिलेगी। राजस्थान रावी-व्यास नदियों में, सतजल नदी में हिस्सेदार, उसके जो सिस्टम हैं उनमें जो भी प्रोफिट बेनिफिट-लौस होगा उनमें बराबर का हिस्सेदार, उसके बावजूद पंजाब के तुष्टिकरण के लिए राजस्थान के हितों की बलि जिस प्रकार से इस समझौते के माध्यम से उठाई गई है अध्यक्ष महोदय, उसकी मिसाल आपको हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके एक-एक क्लॉज को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चुन-चुन कर राजस्थान के हितों पर इस समझौते के माध्यम से चोट की गई है। अध्यक्ष महोदय, कहते क्या हैं—

"God cusecs of water will be snpplied from the Nangal Hydel Channel to cater the opening cooling cycle system already installed for Stage-I of the Roper Thermal Station."

यानि जो पंजाब ने बिना प्लानिंग कमीशन की मंजूरी के, बिना सी. ई. ए. की मन्जूरी के उनके पास पैसा है, पूंजी है उनको राजस्थान की तरह केन्द्र सरकार से

(श्री यदुनाथ सिंह)

पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होती उन्होंने अपना एक थर्मल पावर प्लांट बना लिया। उस थर्मल पावर प्लांट को जब चालू करने का सवाल आया और उसके लिए कूलिंग सिस्टम के लिए पानी देने का सवाल आया तो यह समझौता किया गया। अध्यक्ष महोदय, पहला एतराज तो इसमें मेरा यही है कि जब जिस चैनल से नांगल हाइडल चैनल से कूलिंग के लिए पानी दिया जा रहा है उसमें राजस्थान हिस्सेदार है और जब राजस्थान जिस सिस्टम में हिस्सेदार है उससे आप चाहे थर्मल बनाइये या हाइडल बनाइये 600 क्यूसेक्स पानी दिये बिना थर्मल काम नहीं कर सकता। इसलिए राजस्थान की हिस्सेदारी को किसी सूरत में नकारा नहीं जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरे आगे कहा है। पंजाब ने किया क्या? यह क्लोज कूलिंग साइकिल सिस्टम का प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुई। उन्होंने ओपन कूलिंग साइकिल सिस्टम बना लिया। इसमें बहुत ज्यादा पानी का उपयोग होता है। उसको बना लिया। दूसरे क्लाज में व्यवस्था की गयी कि जल्दी ही पंजाब स्टेज-फर्स्ट के ओपन कूलिंग सिस्टम को क्लोज साइकिल कूलिंग सिस्टम करेगा। साथ ही सेकिण्ड स्टेज में वह क्लोज कूलिंग साइकिल सिस्टम ही लगाने का काम करेगा। 84 से आज अध्यक्ष महोदय कितने साल हो गये? 8 साल हो गये लेकिन आज तक न उन्होंने पहली स्टेज में क्लोज साइकिल सिस्टम किया है और न दूसरी स्टेज में क्लोज सिस्टम का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। इसमें यह व्यवस्था की गई थी इसी एग्रीमेन्ट के सब-क्लाज 3 में :—

"(iii) Punjab will further take expenditious steps to complete restoration of Bhakra Main Line to its designen capacity of 12,500 cusecs not later than 31st May, 1985."

याने 12500 क्यूसेक्स में भाखरा मेन लाइन की कैपेसिटी को रेस्टोर करने का काम पंजाब करेगा ताकि हमारे राजस्थान में नोहर और भादरा इलाके में इस पानी का खेती के लिए पीने के लिए उपयोग हो सके। अध्यक्ष महोदय, उसमें व्यवस्था यह की गयी थी कि जो एस्टिमेट्स बनेगा सी. डब्ल्यू. सी. देखेगी, बी. बी. एम. बी. देखेगी लेकिन आगे एक व्यवस्था और की गयी थी कि :—

"Pending finalisation of the estimates by CWC, Punjab will start the work of restoration for which funds will be made available by the three States. CWC will separately monitor the progress of work of restoration of BML by Punjab. On restoration of BML to its designed capacity, or November 1985, whichever is earlier, any drawal of cooling water as determined by the BBMB from NHC by Punjab will be out of Punjab's share."

याने जब आप भाखरा मेन लाइन को रेस्टोर कर देंगे और नोहर भादरा में पानी

(श्री यदुनाथ सिंह)

आने का काम हो जायेगा तब आप अपने हिस्से का पानी को कूलिंग सिस्टम के पानी को उपयोग में लेंगे। लेकिन भाखरा मेन लाइन का आज तक कोई मरम्मत का काम नहीं किया गया। परिणाम यह निकला है कि पंजाब निर्विवाद रूप से राजस्थान के पानी के हिस्से को पीने का काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो समझौता है दूसरे हिस्से में जिस प्रकार से करारी चोट राजस्थान के हितों पर की गयी है उसकी मिसाल भी मिलना बहुत कठिन है। अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात है कि रावी, व्यास और सतलज इन नदियों में जो भी कामन केरियर्स हैं, कॉमन वर्क्स हैं उनमें राजस्थान स्वतः ही हिस्सेदार है और जब यह आनन्दपुर साहब हाइडल प्रोजेक्ट बनने वाला था तब राजस्थान ने 1971 में ही अपना प्रस्ताव भेजा था लेकिन वह प्रस्ताव कहीं अटकता चले गये, कहीं उन प्रस्तावों पर चर्चा होती रही, कभी विवाद होते गये। अध्यक्ष महोदय दूसरा जो समझौते का पार्ट है वह बहुत खतरनाक राजस्थान के लिए है :

"In view of the claims raised by Haryana and Rajasthan to sharing of power in Anandpur Sahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, Thein Dam Project, UBDC Stage-II and Shahpur Kandi hydel scheme, it is hereby agreed that the Government of India shall refer the matter to the Supreme Court for its opinion The Supreme Court's opinion obtained by the Government of India shall be remitted to the signatory States and shall be binding on them. The terms of reference to the Supreme Court shall be as under:-

(A) Are the States of Haryana ann Rajasthan entitled to a share in the power generated in Anandpur Sahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, Thein Dam Project, UBDC Stage-II and Shahpur Kanbi hydel scheme and, (B) If they are, what would be the share of each state ? In case no opinion on the above terms is expressed...."

याने अध्यक्ष महोदय इसके लिए पहले व्यवस्था की गयी कि आपस में बात करेंगे। तय यह हुआ था कि सुप्रिम कोर्ट में क्लाज बाई क्लाज चलेगा। सुप्रिम कोर्ट में यह मामला आखिर में रेफर करना था गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को लेकिन आज दिन तक सुप्रिम कोर्ट को यह मामला रेफर नहीं किया गया और अध्यक्ष महोदय इसके तीन प्रोजेक्ट्स में 10080 मेगावाट के यह प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से राजस्थान का हिस्सा है 536 मेगावाट और आज आनन्दपुर साहब में, मुकेरिया में और यू. बी. डी. सी. स्टेज, सेकिण्ड में प्रोडक्शन चालू है आज और इसमें 386 मेगावाट का जो प्रोडक्शन चालू है उसमें राजस्थान का हिस्सा 171.6 मेगावाट है। उस हिस्से से आज राजस्थान

(श्री यदुनाथ सिंह)

महरूम है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान अपनी परियोजनाओं को भेजे उनको मन्जूरी मिले नहीं, राजस्थान जो केन्द्रीय प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से हिस्सा लेना चाहे उस हिस्से का फार्मूला गलत हो और जो हमारे समझौते हुए उन समझौतों के अनुसार हमको हिस्सा मिले नहीं, अध्यक्ष महोदय इसलिए इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं अपील करना चाहते हैं कि राजस्थान बहुत पिछड़ा प्रदेश है। राजस्थान के पास रिसोर्सेस नहीं हैं। इन फार्मूलों से राजस्थान को बहुत नुकसान होगा। राजस्थान के हिस्से के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उसका हिस्सा दिलाया जाये। यह कहते हुए आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर (अनुपस्थित)।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा।

श्री परसराम मदेरणा : नदवई से आने वाले माननीय सदस्य जब पंजाब गवर्नमेंट यह कह रही है 10 मई, 1984 के एग्रीमेन्ट को आप रिसीन्ड कीजिए यही तो शर्त रख रहे हैं वह क्लोजर के सम्बन्ध में और फिर इसकी वजह से आपको बिजली नहीं दे रहा है पंजाब क्योंकि आपने एग्रीमेन्ट कर लिया। (व्यवधान) आप जाकर ले आइये ना बिजली। आपको एक यूनिट बिजली नहीं मिलने वाली है। (व्यवधान) यह नहीं जा सकते हैं और वह इनको क्लोजर ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप ग्राउण्ड रियेलिटी को समझ ही नहीं रहे हैं और नाथपा झाकड़ी में दे दीजिए और उसमें दे दीजिए, जो कुछ भी किया गया वह राजस्थान के इन्टरेस्ट में है और आज स्टेट गवर्नमेन्ट जो पहले यहां पर कह रही थी कि This Agreement is against the interests of the State of Rajasthan. वह खुद ही कह रहे हैं कि आप रेफर कीजिए सुप्रिम कोर्ट को। यह परसों 4 अप्रेल को पावर मिनिस्टर कह कर आये हैं यह पड़ी है स्पीच। उसके बाद में 23 और 24 दिसम्बर, 1991 को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर एन. डी. सी में कहकर आये हैं। उससे पहले 19 अक्टूबर, 1990 को मीटिंग में उन्होंने कहा है कि इसको रेफर कीजिए। वह रेफर नहीं किया। भारत सरकार को वह और बात है क्योंकि यह सरकार तो पहले वाली घुटने टेक देती थी और आप घुटने टेकते नहीं हैं। आप बहुत मजबूत हैं, घुटने मत टेकिये। रेफर करवाइये। मैं यह कह रहा हूं कि वह तो रिसीन्ड चाहते हैं और बहुत आसान हो जायेगा। पंजाब चाह रहा है रिसीन्ड कर दो। आपका कहना मान लो। यह सरकार क्यों नहीं मानती है माननीय सदस्य का कहना ?....

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने कभी नहीं कहा। केन्द्र सरकार को तुरन्त सौंपना चाहिए सुप्रिम कोर्ट को। मैंने कहा है कि केन्द्र सरकार ने अभी तक सौंपा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आज तो आपके पास गोल्डन अपार्चुनिटी है और रिसीन्ड वह कराना चाहते हैं। आप एग्रीमेन्ट कर दीजिए। बेअंतसिंह भी यही चाहते हैं। आप भी यही चाहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं नहीं चाहता। आप गलत इनफरेन्स ले रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं। मैंने एक शब्द नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के इन्टरेस्ट के खिलाफ रिसीन्ड करते ही रेस्टोर हो जाओगे आप।

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने मांग ही नहीं की रिसीन्ड करने की। केन्द्र सरकार बैठी है दिल्ली में आप जाइये ना।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, माननीय मुख्य सचेतक जी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, मुख्य सचेतक जी कुछ कह रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय 1 घन्टे के लिए और बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 1 घन्टे के लिए बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 1 घन्टे के लिए और बढ़ाया गया।

विद्युत मण्डल के आय-व्यय अनुमान पर विचार

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, विद्युत के बारे में काफी देर से चर्चा हो रही है। इस वर्ष जो किसानों को समय पर बिजली दी गयी, इसके लिए तो मैं सरकार को और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इस वर्ष इन्होंने 8 घण्टे सुचारू रूप से किसानों को बिजली दी। इसके साथ ही सरकार की उन घोषणाओं पर भी मैं आप को अपनी ओर से दो शब्द कहना चाहता हूं। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार हमेशा गरीबों को, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ट्राइबल एरिया के लोगों को ऊंचा उठाने की बात, हरिजनों की बस्तियों को विद्युतीकृत करने की बात, उनके कुओं को कनेक्शन देने की बात कहती है लेकिन सरकार ने अभी जो आंकड़े दिये हैं, उन आंकड़ों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं।

श्रीमान, 1990-91 में 700 गांवों को विद्युतीकृत करने की घोषणायें थी, 25 हजार कुओं को कनेक्शन देने की बात कही थी जिसमें से इन्होंने 700 में से 772 ग्रामों का विद्युतीकृत किया और 33987 कुओं को इन्होंने विद्युतीकृत किया है। महोदय, अभी हमारी पूर्व सदस्य श्रीमती सुमित्रा सिंहजी ने यह कहा था कि मैंने 33 हजार का लक्ष्य रखा था और मैंने इसे प्राप्त किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

कि यह पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है। 31 मार्च, 1990 से पहले 22 हजार डिमाण्ड जमा थे, इस सरकार ने केवल मात्र 11987 कनेक्शन दिये हैं, जो अभी बात कह रहे थे। .. (व्यवधान)

अब मैं 1991-92 की बात कहता हूं। इन्होंने विशेष कम्पोनेण्ट के तहत 1990 में एक हजार हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत घोषित करने की बात कही थी, अब ईश्वर जाने इनका लग क्या रहा था, मात्र 831 हरिजन बस्तियों को इन्होंने विद्युतीकृत किया। 1991-92 में 700 हरिजन बस्तियों को इन्होंने विद्युतीकृत करने की बात कही थी जिसमें मात्र 349 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया है। यह कर रहे हैं हरिजनों और एस. टी. के लोगों के काम? इस प्रकार से हरिजन बस्तियों को यह विद्युतीकृत कर रहे हैं। लक्ष्य से भी आधे से कम इन्होंने हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया है। इसी प्रकार ट्राइबल एरिये में भी इनकी योजना 1990-91 में 155 ग्रामों को और 1850 कुओं को विद्युतीकृत करने के बजाय इन्होंने मात्र 74 ग्रामों को और 1850 के लक्ष्य के मुकाबले 1177 कुओं को इन्होंने विद्युतीकृत किया। 1991-92 में 100 ग्रामों का और 1560 कुओं का लक्ष्य था जिसके मुकाबले इन्होंने 33 गांवों को और मात्र 174 कुओं को विद्युतीकृत किया। यह है इनकी एस सी., एस. टी. और ट्राइबल एरिया की योजना। मैं तो शोषक कह सकता हूं, उनको उठाने वालों में से नहीं। मुख्य मंत्रीजी हमेशा गरीब को गणेश बनाना चाहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी गरीब को गोबर-गणेश बनाना चाहते हैं। इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, जो पूर्व सरकार ने योजना में जिन हरिजन बस्तियों को, एस. सी., एस. टी के मोहल्लों को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य रखे थे, उसमें कोताही के लिये इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिये। मैं तो कहूंगा कि आप सुप्रिम पावर हैं, आप विद्युत मंत्रीजी के खिलाफ भी एक्शन लीजिए कि इन्होंने योजना में जो लक्ष्य रखे गये थे, उन लक्ष्यों को क्यों नहीं प्राप्त किया? क्यों नहीं अधिकारियों को इन्होंने डांट पिलाई? इसमें मैं अपनी ओर से एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हरिजन 3792 ऐसे ग्राम हैं जिनको इन्होंने विद्युतीकृत घोषित किया है और इन्होंने कहा है कि 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामों में विद्युत जा चुकी है, जो यह पेपर में इन्होंने दिया है, इस प्लान में लिखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, मेरी कांस्टीट्वेंसी में 1989-90 से कम से कम 20 गांव ऐसे हैं जहां केवल पोल खड़े हैं और ट्रांसफार्मर तक नहीं लगे। लाइन खींच दी और विद्युतीकृत कर दिया। एक ट्रांसफार्मर नहीं है तो कनेक्शन क्या होगा? मात्र खम्बे खड़े हैं और उस गांव को विद्युतीकृत घोषित कर दिया। इनकी योजना में भी है कि हर गांव को, जिसमें लाइन खींच गयी है, विद्युतीकृत कर दिया जाय।

कृषि नीति के तहत 2 कनेक्शन देने की बात भी इन्होंने कही है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इनकी कृषि नीति बिल्कुल रद्दी और बेकार है। इस कृषि नीति पर यह चलना नहीं चाहते। बार-

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

बार इस योजना को बदल कर इसका सत्यानाश कर रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) इसलिए सारे काश्तकार भी भ्रमित हो रहे हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 सब-ग्रिड 33 के. वी. के बनने चाहिए थे जो 1985-86 से स्वीकृत हैं। दोनों की लाइनें खींचे हुए 4 साल हो गये और 4 साल होने के बाद आज तक वह चालू नहीं हो पा रहे हैं। चाकसू तहसील में कादेड़ा सब-ग्रिड, फागी तहसील में पीपला सब-ग्रिड, दोनों सब-ग्रिड के लिये जब-जब भी मैं एक्स. ईएन. साहब से, चीफ साहब से मिलता हूं, एक ही बात कही जाती है कि रेलवे से परमिशन नहीं मिली। मैं कहना चाहता हूं कि डेढ़ साल हो गये रेलवे से परमिशन मिले हुए, क्यों नहीं आपके अधिकारी काम करते? क्यों नहीं आपके यह लोग काम करना चाहते? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह दोनों सब-ग्रिड अविलम्ब रूप से चालू होने चाहिए। इसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। मेरी खुद की पंचायत में, फागी तहसील से 30 किलोमीटर लाइन जा रही है और 9 गांव इससे जुड़े हुए हैं। बार-बार वहां पर लाइट चली जाती है। गांवों में रात को सारी लाइटें डिम रहती हैं। मोटरें जल जाती हैं। मीटर जल जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर पीपला और कादेड़ा, दोनों सब-ग्रिड अगर चालू हो जाय तो हमारे क्षेत्र की सारी समस्यायें मिट सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं, श्रीमन्, फागी सहायक अभियन्ता के कार्यालय में न तो वहां पर कोई (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) साधन है ट्रक का, न वहां कोई जीप का साधन है, 30-30, 40-40 किलोमीटर तक वहां कोई आने-जाने का साधन नहीं है। सड़कें नहीं हैं, साधन नहीं है, कैसे इनके अधिकारी वहां पर काम करेंगे? किसी गांव में फाल्ट हो जाता है, 3 नदियां क्षेत्र में पड़ती है, बरसात के मौसम में 15-15 दिन तक लाइट चली जाती है. लाइनें खराब हैं, लाइनें सारी ढीली पड़ी हुई है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि फागी में मीटर, करीबन 10-15 साल से तो मैं खुद इसका कन्जूमर हूं, जल जाते हैं, देखने वाला कोई नहीं है। मीटर बदलने के लिए आपके विभाग की ओर से प्रावधान है लेकिन मीटर बदलने की भी कोई व्यवस्था नहीं। उस पर लाखों रुपये, वह कहां जाता है, यह भी मेरी समझ में नहीं आता और काश्तकारों को मनचाहे बिल बना कर भेज देंगे, रीडिंग नहीं करके। मीटर जले हुए हैं, 10-10 साल से मीटर जले हुए हैं और रीडिंग कर देते हैं और बिल बना कर भेज देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो मीटर जले हुए हैं, खराब पड़े हैं विभाग की ओर से इन मीटर को तुरन्त बदला जाना चाहिए। इनके मीटर रीडिंग करने के लिए जो कर्मचारी जाते हैं, मौके पर जाकर मीटरों की रीडिंग करें और सही मूल्यांकन करके बिल बनने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस. सी., एस. टी. के जो इन्होंने 25 हजार कुओं के कनेक्शन देने की बात कही थी, मैं कहना चाहता हूं कि 20 प्रतिशत कनेक्शन एस. सी. के लोगों को मिलना चाहिए था लेकिन आज तक एक

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

भी कनेक्शन इन्होंने नहीं दिया और दिया है तो मंत्रीजी बतायें कि एस. सी., एस. टी. के लोगों को कितने कनेक्शन दिये ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक बात और अपनी ओर से कहना चाहता हूं। काश्तकारों को रात में बिजली दी जाती है। ग्रामीण एरिये में रात को कुओं पर जब खेतों में पानी देने के लिए जाते हैं काश्तकार और जब बिजली चली जाती है तो सांपों का और कई प्रकार के डर रहते हैं। भयंकर सर्दी में बड़ी परेशानी होती है। तो मेरा निवेदन है कि जो काश्तकारों को दी जाने वाली बिजली है, वह दिन में दी जावे और उद्योगपतियों को दी जाने वाली बिजली रात में दी जावे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री नवनीतलाल निनामा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : ट्रांसफार्मर जलने वाली मेरी साथी ने अभी एक बात कही थी कि काश्तकारों को खरीदने चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि बोर्ड की ओर से ट्रांसफार्मर खराब होते ही जब भी इनको इत्तला मिले अविलम्ब रूप से ऐसे एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर रखने चाहिए जिससे तुरन्त उसी दिन जाकर के ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाय और जिससे काश्तकारों का काम सही हो सके। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये आप। आप शुरू करिये।

श्री नवनीतलाल निनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके, जिला बांसवाड़ा के सम्बन्ध में ही विद्युत की मांग का विधान सभा में मैं रखूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकृति पर इस कला ने या वैज्ञानिकों ने हावी होना चाहा। जब हमारे देश में वन थे, वनों से पानी प्राप्त होता था लेकिन वन बर्बादी के कारण आज पानी जमीन के अन्दर गया और जिसकी तलाशी के लिए वह पानी बाहर लाने के लिए विद्युत की मांग हुआ करती है।

(रात्रि 8.00)

मान्यवर, निवेदन यह है कि जिला बांसवाड़ा में माही डैम बना जिसका कार्य सन् 1985 में पूर्ण हुआ। उस माही डैम के घेरे में, डूब में 112 गांव प्रभावित हुए और कई गांवों के किसान जिले से अन्य जिलों में जा करके आज दिन तक भटक रहे हैं। यह स्थिति होने के बावजूद भी बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों और किसानों को बराबर कुओं पर कृषि कनेक्शन प्राप्त नहीं हो रहे। इस सम्बन्ध में, मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय जी से मेरा यह निवेदन है कि आज दिन तक बांसवाड़ा जिले में आठ पंचायत समितियां हैं, 42 फाइलें पैंडिंग पड़ी हैं आनन्दपुरी में, 289 कुशलगढ़ में, 9 फाइलें सज्जनगढ़ में 85 फाइलें तलवारा पंचायत समिति, 34 फाइलें बागोदरा में, 29 फाइलें घाटोल में, 127 फाइलें पीपलखूंट में, 70 फाइलें गढ़ी में और दो फाइलें बांसवाड़ा नगर में। इस तरह से 687 फाइलें कुओं पर कनेक्शन देने के लिए जो आवेदन कर रखे हैं किसानों ने, वह पैंडिंग पड़ी हैं। तो

(श्री नवनीतलाल निनामा)

मेरी यह माग है माननीय मंत्रीजी से व राज्य सरकार से कि इन पेंडिंग पड़ी फाइलों को तत्काल बांसवाड़ा जिला अधिकारियों निर्देश दिया जाकर कनेक्शन दिलाने की व्यवस्था करायी जाय। मान्यवर, यह फाइलें अधूरी क्यों पड़ी हैं ? इसका एक कारण जो है, सरकार ने आदिवासी व ट्राइबल इलाके में अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को जो पोल लगाने में सब्सिडी देने का कायदा बनाया, कानून बनाया है वह बांसवाड़ा जिले के इलाके में लागू नहीं हो रहा है। सरकार ने एक पोल की 4250 रुपये कीमत रख दी है जिसमें से चार हजार रुपये सब्सिडी देने का पांच खम्मों तक प्रावधान रखा गया है लेकिन वह कायदा बांसवाड़ा जिले के देहाती इलाके में पहुंच नहीं पाया है और वहां के अधिकारी ट्राइबल व आदिवासी किसानों, हरिजन किसानों को यह जानकारी न देकर पूरे 4250 रुपये मांगा करते हैं और कनेक्शन के लिये लाइन डालने का जो कार्य है वह अधूरा रहता है। अतः मेरी यह मांग है कि दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा में जो विद्युत कार्यालय है,....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन अधिकारियों के नाम यह आदेश जारी हो कि इस प्रकार की जो कमियां हैं उसे स्मरण कराया जाकर बांसवाड़ा जिले के किसानों को कुएं के कनेक्शन अपूर्ण हैं वह दिलाये जायं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री नवनीतलाल निनामा : मान्यवर, निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आपने निवेदन कर दिया ना।

श्री नवनीतलाल निनामा : बांसवाड़ा जिले की तहसील घाटोल में ए.ईएन. कार्यालय है। दानपुर इलाका दो सौ किलोमीटर की दूरी पर सड़क के घेरे में है। तो दानपुर इलाके के जो गांव है वह घाटोल ए. ईएन. कार्यालय में डाल रखे हैं। अतः मेरी यह मांग है कि या तो ए. ईएन. कार्यालय दानपुर में खोला जाय या दानपुर के इलाके को बांसवाड़ा के विद्युत कार्यालय में मिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बहुत-बहुत धन्यवाद। बैठिये, अब बिराजिये।

श्री नवनीतलाल निनामा : ताकि वहां के किसानों को आवागमन के लिये और मांग व प्रार्थना-पत्र देने में सुविधा हो, ऐसी मेरी मांग है। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़ (अनुपस्थित)

डा. सांवरलाल (अनुपस्थित)।
श्री रामकरण चौधरी (अनुपस्थित)।
श्री गुलाबसिंह (अनुपस्थित)।
श्री हरिसिंह महुआ (अनुपस्थित)।
श्री मोहम्मद माहिर आजाद (अनुपस्थित)
श्री राजेन्द्र गहलोत (अनुपस्थित)।
श्री कालीचरण सराफ (अनुपस्थित)।
श्री मोहनलाल चौहान (अनुपस्थित)।
श्री हेतराम बेनीवाल। कहां थे आवाज दी तब। बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने पुकार लिया है ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : उसका भी नाम है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसका नाम है तो बोल लेगा । कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लीजिये तो आपके बाद बोल लेंगे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी ने परमिशन दे दी है, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष : आपके बाद बोल लेंगे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, मैं मंत्रियों से आज्ञा ले रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में जिस समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं वह आज बिजली का सम्बन्ध सिर्फ किसी प्रान्त के लोगों की सुविधा से नहीं है । अगर जीवन स्तर को हम सुधारना चाहते हैं तो निश्चित तौर से बिना बिजली के किसी प्रान्त का जीवन स्तर सुधर नहीं सकता । जिस प्रान्त में बिजली का उत्पादन कम है, जिसके पास कोई साधन नहीं है वह उतना ही पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में हम राजस्थान के लोग काफी पिछड़े हुए हैं । राजस्थान में जो हमने दूसरे प्रान्तों से बिजली ली है वह साधन हमारे सिकुड़ रहे हैं, चाहे वह पंजाब के हों, चाहे हमने अपने प्रान्त के अन्दर चम्बल में जो योजनाएं बनायीं उनकी मध्य प्रदेश से पानी नहीं मिलने से स्थिति वही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो उपक्रम लगे, रावतभाटा में अणु बिजली घर, उनकी भी स्थिति यही है कि उनकी एक यूनिट हमेशा डांवाडोल रहती है । अब उसकी स्थिति नहीं है कि हमारे राजस्थान की बिजली का पूरा उत्पादन दे सके । हमारे पास एक ही साधन रहा है, वह है राजस्थान का थर्मल पावर स्टेशन कोटा का । दूसरे जो पावर स्टेशन राजस्थान की सरकार ने बनाये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास एक बहुत लम्बा चौड़ा बोर्ड है जिसके 17 मैम्बर्स हैं और मैम्बर्स भी हमारे राजस्थान के मंत्री महोदय कहेंगे कि बड़े अनुभवी हैं यानि उनको पांच-पांच दस-दस साल रिटायर हुए हो गये, वह इस बोर्ड के मेम्बर बने हैं । एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि राजस्थान की दो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, एक योजना नवेली लिग्नाइट की है उसको केन्द्रीय सरकार बना रही है, हमारे पास सूरतगढ़ का जो थर्मल पावर स्टेशन है, उसके लिये इस साल 22 करोड़ रुपये रखे हैं, 22 करोड़ रुपये लेकर हम ढूंढ़ रहे हैं कि उसको कौन बनाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा हाउस के सामने यह निवेदन है कि राजस्थान की सरकार की जिस तरह केन्द्र सरकार की नीतियां है कि बिजली के उद्योग में प्राइवेट लोगों को मौका दिया जाय मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है क्योंकि राजस्थान सरकार ने उसी रास्ते पर चल लिया तो निश्चित तौर से राजस्थान की हालत बुरी होगी । आज दुनिया में एकअमेरिका ऐसा देश है जिस देश में पावर में प्राइवेट लोग कामयाब हुए हैं अन्यथा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सारे देशों में जहां पावर को प्राइवेट लोगों ने इस्तेमाल किया है उस देश को बरबाद किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्राइवेट लोगों ने खर्चा बताया, अभी हमारा सिंगरोली का जो खर्चा है वह 6200 रूपया पर किलोवाट है और जो प्राइवेट लोगों की हमारे पास आफर है यानि संयुक्त क्षेत्र में 23 हजार और जो मल्टी नेशनल्स हमको आफर दे रहे हैं, 35 हजार रूपये पर किलोवाट उनका खर्चा है। अगर यही रेट रहे तो उसका नतीजा यह होगा, आज जो 65 पैसे या एक रूपया सवा रूपया जो खर्चा आता है, टेरिफ आता है वह टेरिफ पांच रूपये से ऊपर होगा। तो इसलिये अगर हमने मल्टी नेशनल्स को और दूसरे लोगों की तरफ देखकर इन योजनाओं को उनके हाथों में सौंप दिया तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो गरीब जनता है, विशेष तौर से किसान और मध्यम श्रेणी के लोग हैं वह इस बिजली के टेरिफ से बरबाद हो जायेंगे। मुझे यह निवेदन करना है कि इस मामले में संयुक्त उद्योग की बजाय राज्य की सरकार अपने इंजीनियर्स को हौसला दे कि जो बीस करोड़ इसमें रख रहे है सूरतगढ़ का थर्मल पावर स्टेशन शुरु किया जाय। दूसरा मुझे कहना है कि राजस्थान में जितना बिजली का उत्पादन आज है वह आज डिमाण्ड से 31 प्रतिशत कम है। यह गैप धीरे-धीरे बढ़ेगा। मुझे यह निवेदन करना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री महोदय एक बात का ध्यान महोदय कि माननीय मंत्री महोदय एक बात का ध्यान रखें कि इस देश की जनता ने जो ट्यूब वैल के कनेक्शन के लिए डिमाण्ड की है, हाउस कनेक्शन की डिमाण्ड की है, जिस तरह घरों में और दूसरे उद्योग धन्धों में डिमाण्ड की है, सिस्टम पर लोड है वह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा है बिजली विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो ऐसी स्थिति में होता है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मेरे जिले में यह स्थिति है कि एक नागरिक को घर के कनेक्शन लेने हैं, मीटर भी लेना है तो अध्यक्ष महोदय, मीटर की सप्लाई भी नहीं होती। जिसके पास मीटर नहीं हो, ट्रान्सफारमेर नहीं खुर्द के, खुद की लाइनिंग नहीं, अगर खम्भे हैं तो खम्बों हैं तो खम्बों पर पर लाइन लगाने के लिए नहीं है। तीन-तीन से खम्बे खड़े हैं; लाइन खींची हुई है परन्तु कनेक्शन करने के लिए मीटर्स नहीं हैं। ऐसी स्थिति है बोर्ड की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता तक बोर्ड का रिश्ता बने और बोर्ड कमर्शियल....

श्री अध्यक्ष : आप सीधे सुझाव दें। समय निकल जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं अध्यक्ष महोदय, सुझाव इसलिए पेश कर रहा हूं कि आपने जो समय की सीमा बांध रखी है।

श्री अध्यक्ष : कारण में समय निकल जायेगा। इसलिए सीधे सुझाव दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं चाहूंगा एक तो हमारे क्षेत्र में विशेष तौर पर पूरे जिले में लोग ढाणियों में बसे हुए हैं। तीन चार घर बनाकर रखे हैं। किसान के कनेक्शन

Page No. 244

244

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हैं, ट्रान्सफार्मर हैं उनसे तीन चार किलो मीटर पर हैं। बोर्ड को चाहिए कि इन लोगों को कनेक्शन देने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करे। पंजाब में लकड़ी के खम्बे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस्तेमाल किये गये हैं। इसी तरह जो जिस गांव को इलेक्ट्रीफाई नहीं किया। हमारे यहां बहुत छोटे-छोटे चक हैं। एक गांव को बीच में इलेक्ट्रीफाई कर दिया उसके सारे पार्ट्स पड़े हैं। पार्ट्स को भी जनरल आर्डर निकाल कर इलेक्ट्रीफाई किया जाय। नहीं तो इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए पांच-पांच साल रगड़ना पड़ता है। इसी तरह निवेदन करूंगा कि जो ट्यूब वैल के कनेक्शन हैं उसके अन्दर लक्ष्य रखे हैं कि प्रायोरिटी से एक गांव को दो-दो कनेक्शन दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा यह गांवों में कनेक्शन की प्रायोरिटी, जो इस बोर्ड के इंजीनियर तय करते हैं वहां के कलक्टर की रिपोर्ट पर, डी. आर. डी ए द्वारा इस तरह से रास्ते निकाल रखे हैं जिससे भ्रष्टाचार पनपता है बोर्ड में। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में भी क्लियर इन्स्ट्रक्शन होने चाहिए। एक कमेटी बनी है। जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा

(रात्रि 8,14)

(श्री हीरासिंह चौहान उपाध्यक्ष, पदासीन)

था कि कमेटी एक एक्स ई. एन. लेवल पर बनेगी, जिला लेवल पर बनेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि इस तरह की कोई कमेटी किसी जिले में होगी परन्तु मेरे जिले के लिए कह सकता हूं न तो कोई मीटिंग हुई, न कन्सल्ट किया गया। पूरा का पूरा बोर्ड के इंजीनियर हैं, उनके हाथ में है किसको कनेक्शन दें। किसको नहीं दे। मेरा आज हाउस में, सदन में कहना है कि जिन लोगों ने इसकी खिलाफत की, मैं भी उसके खिलाफ हूं कि पैसे देकर बोर्ड के अन्दर बिजली का उत्पादन होने पर पैसे देने पर जो तुरन्त कनेक्शन योजना थी, किसान को फोरन कनेक्शन देने की योजना बनायी। पैसा देओ, खर्चा पूरा देओ और बिजली के कनेक्शन ले लो। आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह स्थिति तो चाहे नहीं है, मैं समझता हूं कि बोर्ड ने उस नीति को बदला अच्छी बात है। लेकिन बोर्ड से नीति को बदलने के बाद भी जो राजस्थान के लाखों किसान हैं। आज दो लाख किसान इस इन्तजार में हैं कि उनको बिजली मिले और दो लाख के इन्तजार की वजह से ही बोर्ड के अन्दर भयंकर भ्रष्टाचार है। कोई भी कनेक्शन, ट्यूब वैल कनेक्शन बिना पैसे के नहीं मिल सकता, ऐसी स्थिति बना रखी है। मुझे निवेदन करना है कि इसके बारे में राज्य सरकार निश्चित करे कि ट्यूब वैल के कनेक्शन किस तरह से मिले।

एक यह हमारे पास आया कि 25 हजार कनेक्शन दिये, 20 हजार कनेक्शन दिये, मैं कह सकता हूं कि हमारे जिले में कोई 350-400 कनेक्शन मिले हैं पूरे जिले में राजस्थान भर में कितने मिले हैं? 350-400 जिस जिले के अन्दर पूरा आधा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जिला ऐसा हैं जिसमें ट्यूब वैल लगे हैं। पानी की कमी की वजह से ट्यूब वैल के कनेक्शन के कारण जो खेती को फायदा हो सकता है निश्चित तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वह भी अनइक्वल दिया है। यह इस बात पर तय कर दिया कि एप्लीकेशन दे दो। किसी ने कुछ किया, या नहीं किया ट्यूब वैल बनाया या नहीं बनाया। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसके बावजूद एप्लीकेशन देदी और रजिस्ट्रेशन करा लिया उन लोगों का नम्बर आ गया। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। पचास-पचास हजार एक-एक लाख रूपया किसान ने ट्यूब वैल पर लगाया पर कनेक्शन नहीं मिला। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को चाहिए, राजस्थान में हम समझते हैं कि राजस्थान तरक्की करे तो निश्चित तौर पर देना चाहिए। दूसरी बात मुझे कहनी है जो पक्षपात बिजली उत्पादन के बाद बिजली देने में होता है। गांवों के नागरिको को दूसरी श्रेणी का नागरिक माना जाता है बिजली देने के वक्त....(व्यवधान) गांव में रात के अन्दर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बेनीवाल साहब औरों को भी समय देना है।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो निश्चित तौर पर इस मामले में भी राज्य सरकार जो किसानों की हितैषी सरकार है इस मामले में भी तय करेगी कि बिजली में प्रायोरिटी किसानों को दी जायेगी उसके बाद उद्योगपतियों को दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो ना। आपका भी आ जायेगा। अब इसमें क्या डिसप्यूट हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कहकर गया था, दवाई लेने जा रहा हूं। लिखकर देकर गया हूं।

श्री नत्थीसिंह : दवाई लेकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रह गये तो आ जायेगा।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम माननीय मुख्य मंत्रीजी को, उर्जा मंत्रीजी को, चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष काश्तकारों को जो व्यवस्थित रूप से बिजली दी है और काश्तकार अपनी फसल पैदा कर सकें हैं उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

हमेशा काश्तकार पिछली सरकार के टाइम में, कांग्रेस के जमाने में रात को पानी देता था। चाहे ठण्ड हो, चाहे कोई और मौसम हो जानवर निकलते थे खेत में उनका शिकार भी काश्तकार होता था लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ सुचारू रुप से बिजली मिलती रही साथ में इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मिनिमम चार्जेज थे वह खत्म किये गये हैं। मेरे इलाके में बेगू विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में छोटे-छोटे काश्तकार हैं और कई बार ऐसा होता था कि दो-दो साल तक किसान कुओं पर मोटर नहीं ले

Page No. 246

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

जाते थे कांग्रेस के जमाने में बिना पिलाई किये ही मिनिमम चार्जेज देने पड़ते थे। वह आज खत्म हुआ और किसान इस बात से खुशी मना रहे हैं। साथ ही जो फ्लेट रेट थी वह भी खत्म होने से छोटे-छोटे काश्तकारों को जो एक्चुअल मीटर लग जाने से उसका चार्ज देना पड़ता है इससे भी किसान सुखी अनुभव कर रहा है।

इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो पांच आदमियों को मिलाकर सार्वजनिक ट्यूब वैल लगाये उसको कनेक्शन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रावधान नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह से जो सार्वजनिक ट्यूब वैल लगे उसको कनेक्शन देने में। प्राथमिकता दी जाय साथ ही जिन लोगों को नम्बर से कनेक्शन मिल रहे हैं, कई जगह ऐसा हुआ है कि लाइन ओवर लोड होने से उन के ऊपर ट्रान्सफार्मर का भार भी रख दिया गया है। मैं चाहता हूं कि जैसे 83 के कनेक्शन दे रहे हैं, 84 के दे रहे हैं और जिनका नम्बर आ रहा है उनसे ट्रान्सफर्मरों की कीमत वसूल नहीं करनी चाहिये। एक मेरा सुझाव और है कि जैसे 1992-93 में जो पहले से ही गांव विद्युतीकृत हैं उन गांवों में हमने सोच लिया कि इस साल 100 कनेक्शन देने हैं। तो उन कनेक्शन के लिये किन-किन का नम्बर आ रहा है, उसकी सूची आफिस के बाहर लगी रहे ताकि उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो। एक सुझाव और है कि जो नये गांव घोषित किये जाते हैं उसमें केवल दो ही कनेक्शन दिये जाते हैं। मान लीजिये गांव में 10 आदमी लेने वाले हैं। अब किन को दिया जाय, किन को नहीं दिया जाय। इस बात को लेकर के भ्रष्टाचार होता है और कई लोगों की नाराजगी होती है। इसलिये दो कनेक्शन की सीमा हटायी जाय, 8-10 कनेक्शन कम से कम रखे जाय ताकि उस गांव विद्युतीकरन हो सके और भ्रष्टाचार नहीं पनपे। किस की फाइल पहले गयी और किस को कनेक्शन दिया, इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत से उसमें भ्रष्टाचार करने की काफी गुंजाइश है। दूसरा, कई कुएं हैं जो सीजनल है और सूख जाते हैं थोड़े टाइम चलने के बाद। तो उन कुओं पर अस्थाई कनेक्शन की सुविधा काश्तकारों को मिलनी चाहिये। जब काश्तकार का सीजन का टाइम आता है उस टाइम पर काश्तकार के लिये विशेष रूप से यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि उसको बराबर बिजली जैसे गर्मियों के दिन में कोई जरूरत नहीं लेकिन जिस टाइम पर, कार्तिक के टाइम पर खेत के टाइम पर और पीक सीजन होता है पिलाने का उस टाइम पर काश्तकार के लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि आपका खेत नहीं सूखने दिया जायेगा। कई बार काश्तकार संकड़ाई में जाकर के इंजिन खरीदता है और काफी आर्थिक भार उन परपड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है जब ट्रान्सफार्मर जल जाता है तो कई दिन तक व्यवस्था नहीं होती और इससे काश्तकार को भारी नुकसान होता है। मैं सुझाव देता हूं कि कम से कम जिले में या हर पंचायत समिति में 2-4 छोटे मोटे ट्रान्सफार्मर रखे जाय एक्स्ट्रा ताकि उनको महीने भर, 15

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

दिन तक बिजली बन्द रहने का नुकसान नहीं भुगतना पड़े। मेरे बेगू विधान सभा क्षेत्र में जो बिजली मांडलगढ़ होकर के आती है और मांडलगढ़ और बिजोलिया के बराबर करीब बेगू की खपत है लेकिन माण्डलगढ़ टाइम-बे-टाइम काट देते हैं और बेगू इससे घाटे में रहता है। मेरा सुझाव है कि माण्डलगढ़ में बेगू के लिये अलग से ट्रान्सफार्मर कायम किया जाय। साथ ही बेगू में आवलखेड़ा ग्राम में जो एक प्रस्तावित सब स्टेशन है उसे अति शीघ्र स्वीकृति देकर बनाया जाय तो बेगू गांव का भला हो सकता है। एक सुझाव और है कि पिछले कांग्रेस के जमाने में अभी बढ चढ़ कर जो भाई कह रहे थे कि हमने इतने कनेक्शन, इतने कर दिये, वह सिर्फ कागजों में किये हैं। वहां खम्भे डालने से ही कनेक्शन नहीं हो पाते। कई गांवों में खम्भे पडे हैं, खम्भे ठूंठ के ठूंठ पडे हैं, तार नहीं है, ट्रान्सफार्मर नहीं है, कोई मैटीरियल नहीं होने की वजह से आज भी गांव वंचित है। तो उनको सामान की पूर्ति की जाय ताकि वह लाभ उठा सकें....

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिये, सारी जनरल बातें आ गयी है। माननीय प्रोफेसर केदारजी।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : दो मिनट में।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट क्या दस मिनट हो गये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : सिर्फ दो मिनट और। कुछ मगरे ढाणी ऐसे रह गये जहां कनेक्शन नहीं होने की वजह से मौजूदा ट्रान्सफार्मर पर ज्यादा लोड हो गया इसलिये बड़े ट्रान्सफार्मर लगा कर पूर्ति की जाय। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : प्रोफेसर साहब ने कह दिया, पहले मेरे को बुलवा दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, जब पहले सूचना दे दी, परमिशन लेकर दवाई लेने गया ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफेसर केदारनाथजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह कह रहे है, प्रोफेसर साहब कह रहे है पहले मुझे बुलवा दीजिये पांच मिनट सिर्फ।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस चलाना है, हो जायेगा, मैं नाम ले रहा हूं, माननीय प्रोफेसर केदारनाथजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लक्ष्मीनारायण दवे की जगह आपने उनको बुलवाया था। पाली जिले का मामला था क्या।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा कोई पाली जिला नहीं है। कौन सा पाली जिला था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप कह दीजिये मुझे बुलवायेंगे या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। आज आखिरी दिन है माहिर आजादजी इस प्रकार की बात मत कीजिये। कौन सा पाली जिले का मामला था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने व्यवस्था दी, मैंने निवेदन किया उसके बाद यदि आप इस तरह की बात....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा सा इन्तजार नहीं कर सकते। जब आपको कह दिया। अब तुरन्त आपको बुलवायें यह कौन सा तरीका है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बाहर भी चले जावे, सुविधा के अनुसार आ भी जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : परमिशन लेकर, सूचना देकर गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगा। पहले माननीय प्रोफेसर केदारनाथजी।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, मुझे काफी एक अर्से से इस हाउस में पावर्स पोलिसीज पर बहस सुनने का मौका मिला है। नेशनल डवलपमेण्ट में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया उसके बाद बजट स्पीच पर और बजट डिबेट पर जो जवाब दिया और उसके बाद जो इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेण्ट ने कुछ टाइटन किया अपनी रेवेन्यू कलेक्शन की मशीनरी को, और कुछ स्ट्रीमलाइन किया है एफिसिएंसी के लिये, जेनरेशन के फेस को बढ़ाने के लिये कुछ लोसेस कम किये और एक सिनेरियो हमारे सामने पेश की। इसमें इतना ही कह सकता हूं कि सरकार पहले से काफी एलर्ट हुयी है इस पोलिसी पर। मान्यवर, यहां पर हमारी बैन्चेज की ओर से इन्टर स्टेट मसले भी उठाये गये। हमारी बहिन पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने बहुत अच्छी, रीयल पिक्चर पेश की, यहां पर हमारे नेताजी ने भी काफी अच्छे फैक्ट्स पेश किये। जहां प्राइवेट सैक्टर वालों की तरफ से क्या बुरा असर पड़ेगा और इंजीनियर्स हड़ताल के बारे में कुछ रिफ्लेक्शन रखे। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी जब हमारे नदबई से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मदेरणाजी ने एक आब्जेक्शन किया कि 1984 के एग्रीमेण्ट को रिसिंड किया जाय तो सरकार का अच्छा कदम होगा। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलता मगर अभी पावर्स मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुयी थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां गये, 1984 के एग्रीमेण्ट के बारे में काफी चर्चायें हुयी हैं और सब से पढ़ा। मान्यवर, मैं उस एग्रीमेण्ट को वर्थ एग्रीमेंट में मानता ही नहीं। इसमें यह और सेन्टर रेफर करें। सुप्रीमकोर्ट के सामने यह रेफरेंसेज किया गया इन पांचों प्रोजेक्टस में राजस्थान स्टेट का हिस्सा, स्टेट का कोई हिस्सा है कि नहीं। पहले यह तय करें। यह है कि नहीं और अगर यह है तो कितना शेयर हिस्से में आता है। यह जो सारा सिनोप्सिस है उस एग्रीमेण्ट का है। मान्यवर, उस वक्त हमारी सरकार एलर्ट होती, विजिलेंट होती अपने इन्टरेस्ट के प्रति तो एग्रीमेण्ट 1984 का था। इन पांचों प्रोजेक्ट्स में जितना पानी का पर्सेण्टेज है उतना बिजली मिलता हो, जैसे हमारा रावी व्यास में 52 पर्सेण्ट, भाखरा में 50 पर्सेण्ट अगर यह हिस्सा आप माननीय मदेरणाजी ले आते तो एग्रीमेण्ट को मैं वर्थ एग्रीमेण्ट मानता। आपने सारी चीज उस वक्त सेन्टर पर छोड़ दी। उस सेन्टर के साथ आप मेज पर बैठ कर नेगोसिएशन करें अगर नेगोसिएशन फैल हो जाय तो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंसेज इस बात का किया

(श्री केदारनाथ शर्मा)

जाय कि इन दोनों स्टेट का हिस्सा है कि नहीं। अब यह एग्रीमेण्ट तो नहीं माना जायेगा। खैर, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी आपने इन्टर स्टेट कौन्सिल में, डवलपमेण्ट कौन्सिल में अभी पावर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, आपने क्या स्टेण्ड लिया और फाइनल स्टेण्ड क्या है? मान्यवर, हमारी भी सरकार रही, 11 माह, हम भी अपनी सरकार को मनवा नहीं पाये कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को रेफर करें। आज माननीय राव साहब हैं, पंजाब के बारे में हम उनको आज तक कन्वीस नहीं कर पाये अपना केस पेश ही नहीं कर पाये। इसको मैं कमजोरी मानता हूं। मान्यवर, आज पंजाब यह कह रहा है उसको रिसिड किया जाय। खैर, माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारी सब की इस हाउस की भावनाओं के मुताबिक आपने क्लोजर की तारीख तय कर दी इसका तो धन्यवाद। मगर पंजाब की अभी भी शर्त यही है जैसे मदेरणाजी ने कहा जो 10 मई, 1984 को एग्रीमेण्ट किया गया है पंजाब के साथ, जो वर्थ एग्रीमेण्ट है उसको रिसिड कर दिया जाय ताकि पंजाब आयंदा आपसे बातचीज कर पाये। तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि एक तो कांफ्रेंस में क्या आप रुरल सेक्टर में 50 परसेंट बिजली की रेट हो पर यूनिट, क्या आप ही भर आये क्या वहां? दूसरा, जो सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट का पूल है बिजली का वह स्टेट को बांटती है उसमें जब पेटेंट फार्मूला तय किया हुआ है उसमें कोई बेसिक चेंज हुया या यही फार्मूला रहेगा। मीटर्स के बारे में क्या फैसला किया है? कोर्ट के बारे में क्या फैसला किया है? क्या आप यह तय कर आये कि नार्थन इंडिया में जो टेरिफ हो वह एक यूनिफॉर्म हो। यह 4-5 बातें ऐसी आयी हैं. मैं पूछना चाहता हूं इसके बाद अब आप छह माह में मीट करेंगे और एक जो पोलिसी मैटर है कि प्राइवेट सैक्टर को किस एक्सटेण्ट तक यहां आपरेट करने की इजाजत दी जाय, उसके मुनाफे पर रेट्स तय करने पर क्या कोई पाबंदी होगी कि आपकी बिना मन्जूरी वह काम नहीं करें। क्या फ्लड गेट खोल देंगे, जो मर्जी टेरिफ करें, वह जब मर्जी मुनाफा करें, मर्जी आये काम करें। यह आपने किस एक्सटेण्ट तक तय कर दिया। यह 3-4 इश्यूज है। चौथा इश्यू मैं पेश कर रहा हूं। हमारे ज्यादातर इंजीनियर्स हड़ताल पर है। यहां पर यह भी आया कि बोर्ड के चेयरमैन के इन्टेग्रेटी के बारे में सवाल आया। मान्यवर, जहां पर्सनली मैं जानता हूं। उस शख्स की इंटीग्रिटी अबवे बोर्ड है। उसकी टेलेन्ट भी अबोव बोर्ड है और बैचलर आदमी कभी बूढ़ा नहीं हुआ करता। बैचलर आदमी पर बुढ़ापे की शेडो कम पड़ती है। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंजीनियर्स हड़ताल पर हैं, उनसे बैठकर बात तो करिये। उनके लिए आस-पास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके जो रनिंग स्केल्स हैं, वह नहीं देना चाहते आप। नम्बर भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं और प्रमोशनल एवेन्यूज नहीं बढ़ाना चाहते हैं। एक्सप्लायटेशन काफी हो गया। या उनकी सेलेरी कम है, इसलिए आप देखकर बात तो कीजिए, कोई रास्ता निकालिये। इंजीनियर्स में फस्ट्रेशन आ गया है। हड़ताल लगातार

(श्री केदारनाथ शर्मा)

डेढ़, दो माह से चल रही है, आप एफीशियेंसी इम्प्रूव करना चाहते हो, लोसेज कम करना चाहते हो। जो रिकवरी में थोड़ा बहुत फिलअप मिला है, वह सारा का सारा सैट आफ हो जायेगा, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन हैं। मान्यवर, गंगानगर की पोजीशन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा इलाका सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है। 13 सौ करोड़ में से हम लोग 50 करोड देते हैं। हर साल, और हमारी जो पोजीशन है, कुल गांव 61 की सेन्सस के हिसाब से 4 हजार 516 हैं। बोर्डर का इलाका है और झुंझुनूं में, सीकर में सेण्ट पर्सेण्ट दिया है। रेवेन्यू हम देते हैं 50 करोड़ और बिजली का पर्सेण्टेज हमारा यह है। दूसरी मैं यह बात कह रहा था कि अगर एक साल में आप पांच सौ गांव लोगे, तब पूरे फाइव ईयर प्लान में हमारा जो बैकलाग है, उसे आप पूरा कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा जो बोर्डर स्टेटस हैं, उसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। मान्यवर, हमारी गंगानगर की बिजली तीन सोर्सेज से आती है। एक कोटा से, मुक्तसर से और हिसार से, यह तीन लाइनें हैं। वोल्टेज की बड़ी कमी रहती है। हिसार से ठीक चल रही है और मुक्तसर से हमें बड़ी लिमिटेड बिजली मिलती है, केवल 8 मेगावाट मिलती है। अब तीन ही सोर्सेज हैं। अब आपने हमें सूरतगढ़ में जो 200 का एक ट्रांसफार्मर दिया है, वह सौ मेगावाट का है, लोड है 150 का, 220 के. बी. लाइन है आपकी और इसके साथ-साथ जुड़ी 132 के. बी. लाइन जो गंगानगर आती है, पदमपुर जाती है, अनूपगढ़ जाती है। एक प्रपोज कर रहे हो आप रावतसर के लिए, एक प्रपोज कर रहे हो रावला के लिए। बताइये आज 100 मेगावाट का ट्रांसफार्मर इतना लोड कैसे ले सकता है। इसलिए सौ का और लगाइये आप। हम कहते हैं हमारे रीको में एक अलग 132 का सब स्टेशन बने। रावला में बने और रावतसर में, तो इसलिए आप बोर्डर के आस पास फ्लड लाइट दे रहे हो। फ्लड लाइट का आपने इंतजाम कर दिया। कुछ कर दिया, कुछ करने वाले हो। वोल्टेज कम रही तो मान्यवर क्या होगा, वही होगा कि मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज की रफ्तार तेज हो गई। मूमेंटस बढ़ गये हैं उनके, इसलिए हमारे यहां ब्रेक डाउन होना, बिजली का कम रहना, वोल्टेज कम रहना, हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि बोर्डर का इलाका है।

मान्यवर, कुओं की बात तो सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दी थी इसलिए मैं ज्यादा न कहता हुआ कुछ मसले मैंने आपके सामने पेश किये हैं, उनके बारे में बैठकर कुछ तय हो जाये ताकि हमको भी मालूम पड़ जाये कि राजस्थान सरकार का इसके बारे में क्या स्टेण्ड है। मैं यही बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(रात्रि 8.35)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। डा. चन्द्रभान।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज आप हाउस नहीं छोड़ रहे हैं क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : बात यह है रुचि तो है नहीं आप लोगों की। हाउस सारा खाली पड़ा है....(व्यवधान)....बाकी लोगों की आपको कौन कह रहा है ? आप तो बैठे वही हैं, जो बोलेंगे।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के या प्रदेश के चाहे वह औद्योगिक विकास हो, चाहे कृषि का विकास हो और मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि दिनचर्या पूरी करने का सवाल हो, बिजली की अहम् भूमिका है। सभी माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपने विचार रखे। मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूंगा कि आज न केवल राजस्थान में बल्कि समूचे देश भर में एक वातावरण बन रहा है। यह हकीकत है कि जितने भी बिजली बोर्ड है, उनकी अर्थव्यवस्था खराब है और वह घाटे की स्थिति में है लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख और अफसोस हो रहा है कि इस घाटे के लिए जिम्मेदार देश के किसानों को माना जा रहा है। चाहे वह केन्द्र की हुकूमत हो, चाहे वह राजस्थान की सरकार हो, वह तैयारी कर रही है। किसानों की माली हालत जो पहले से ही खराब है, उस पर हमला करने की। माननीय मुख्य मंत्रीजी आप भी लम्बे समय तक विरोध पक्ष में रहे हैं और किसानों की राजनीति भी आपने की है। जब कांग्रेस की हुकूमत ने बिजली के दाम दो पैसे प्रति यूनिट बढ़ाये थे, तो हम सब लोगों ने मिल कर उसके खिलाफ राजस्थान में एक जबर्दस्त आन्दोलन खड़ा किया था। उसके बाद भी आपने थोड़े दिन पहले 5 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ायी, हम लोगों ने विरोध तो किया लेकिन जिस तरह का विरोध किसानों में होना चाहिए था, वह विरोध नहीं हुआ और देश भर में भी अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा चाहे उसकी वजह कोई भी रहे हों, किसानों की संगठित ताकत जो पिछले दशक में उभरी थी, वह बिखराव की स्थिति में पहुंच गई। इसीलिए चाहे वह राजस्थान की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, वह यह हिम्मत जुटा रही है....

श्री अध्यक्ष : डा. साहब हिन्दुस्तान के किसान बहुत समझदार हैं। वह जब बाजार में जाते हैं तो जानते हैं कि इस महंगाई में भाव क्या है। वह पूरा पैसा देते हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं ऐसी बात नहीं है। हां, वह ठीक है अध्यक्ष महोदय। वह पेरिटी प्राइस की जो बात आप कह रहे हैं, उस पर भी मैं कहना चाहूंगा। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं आपने जो कहा है कि हिन्दुस्तान के किसान को दाम मिल रहा है। काहे का दाम मिल रहा है ? सरसों का दाम मिला....

श्री अध्यक्ष : यह नहीं कह रहा हूं मैं। यह कह रहा हूं मैं जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो वह इतने रियलिस्टक हैं। वह जानते हैं कि जिस भाव में इस महंगाई में माल बिक रहा है, उससे कम में नहीं मिल सकता, इसलिए पूरा दाम देते हैं।

डा. चन्द्रभान : ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह यह झगड़ा नहीं करते कि दाम कम दो।

डा. चन्द्रभान : वह ठीक है। आप अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हो कि वह रियलिस्टक हैं और मैं इस बात से मना नहीं करता कि बिजली के प्रोडक्शन पर कोई कोस्ट कम आ रही हो, वह बढ़ रही है। पावर प्लाण्ट जो भी लगायेंगे। इस पर कोस्ट बढ़ेगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में जो तबका मेहनत करता है, जो पैदावार करता है और कहना चाहिए जिसको सब्सिडी की या रियायत की जरूरत है, उस तबके को सब्सिडी और रियायात मिलनी चाहिए। यह बात सही है कि पहले भी किसान को 21 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती थी, या आज राजस्थान में दुगुनी दरों पर 42 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है, वह भी सब्सिडी की वजह से है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग, मैं शुरू से यह कहता आ रहा हूं कि जो सम्पन्न वर्ग के लोग हैं, उन पर तो सरकार को टैक्स लगाना चाहिये और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये।

मैं तो अब भी कहता हूं कि अमीर लोगों पर खुशहाली टैक्स लगाना चाहिए। जब गंगानगर के किसानों पर खुशहाली टैक्स लग सकता है तो देश भर में जो अमीर और सम्पन्न वर्ग के लोग हैं, उन पर क्यों नहीं ज्यादा टैक्स लग सकता? अब सरकार यह कहेगी कि टैक्स हम किन पर लगाये? उनकी लिस्ट बतायें, तो यह तो लम्बी बहस हो जायेगी, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है, और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का किसान हो चाहे राजस्थान का किसान हो, उसकी माली हालत इतनी मजबूत नहीं है कि उसकी बिजली की दरें बढ़ायी जायें। राजस्थान के सन्दर्भ में इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचाई का साधन जो मुख्य रूप से है, वह बिजली है। कुए यहां पर गहरे हैं। ज्यादा हार्स पावर की मोटरें यहां पर लगती हैं। पूरे पश्चिमी, जो रेगिस्तान का इलाका है, इसमें विशेष रूप से और उनकी कोस्ट आफ प्रोडक्शन जो है, वह कम नहीं आती, बाजार में कोई विशेष दाम भी नहीं मिलते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड में जो घाटा है, इसे दूर करने के लिए आप दूसरे विकल्प भी तलाश करें। केवल राजस्थान या, देश भर के किसान को जिम्मेदार न मानें। बिजली बोर्ड में फिजूलखर्ची जो होती है, अथवा भ्रष्टाचार है, जो ट्रांसमीशन के लोसेज हैं, जो टेक्निकल फाल्ट्स हैं, उनकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने पिछली बार भी एक सुझाव दिया था। दो बार यह सुझाव दे चुका हूं। चाहे वह दिल्ली में इनके रेस्ट हाउसेज हों, चाहे राजस्थान में इनके रेस्ट हाउसेज हों, इनके रख-रखाव पर कितना खर्चा आता है अध्यक्ष महोदय। मैं कहता हूं आज के दिन बाजार का मूल्य क्या है? पी. डब्ल्यू. डी. का रेस्ट हाउस, मैं कहना चाहूंगा वन विभाग के हाउसेज, इनको बेच देना चाहिए और....

श्री अध्यक्ष : सबसे पहले शिकायत आप करेंगे कि वहां पर दूध बंद कर दिया है और वह बंद कर दिया।

डा. चन्द्रभान : मैं यह नहीं कहता कि पी. डब्ल्यू. डी. के....

श्री अध्यक्ष : नहीं शिकायत नहीं करोगे आप।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके बिजली विभाग के इंजीनियर हैं, वह भी पी. डब्ल्यू. डी. के डाक बंगलों में जाकर रूकते हैं। आर. एस. ई. बी. के रेस्ट हाउसेज में क्या होता है? इसकी जांच करा ले कृपया सरकार। उनका कोई उपयोग भी नहीं होता है। इसलिए जो तीन-तीन तरह के बंगले फोरेस्ट के लगे हैं, इरिगेशन के अलग से डाक बंगले चल रहे हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के हैं जब इतना घाटा है तो फिर इनकी क्या जरूरत है? इनको सरकार को बेच देना चाहिए। इसी के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य रूप से मैं मेरे जिले के बारे में थोड़ा सा कह दूं।

पिछले वर्ष आपका 2 हजार किलोमीटर 33 के. वी. लाइन लगाने का लक्ष्य था अध्यक्ष महोदय, मुझे चिन्ता और अफसोस हो रहा है कि मेरा क्षेत्र झुन्झुनू जिले में पड़ता है और क्षेत्र का जो प्रमुख कस्बा जो म्युनिसीपल टाउन है उसमें बिजली सप्लाई होती है चूरू जिले से और झुन्झुनू और चूरू की 33 के. वी. लाइन तीन साल से मंजूर है और उसमें हर बार, मैंने 295 भी रखा, उसका भी जवाब आ गया कि कार्य प्रगति पर है और कार्य की कोई प्रगति नहीं है। तीन साल में तो पूरा हुआ नहीं और हमारे क्षेत्र के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि मण्डावा क्षेत्र का सहायक अभियन्ता का दफ्तर झुन्झुनू में लगता है। मण्डावा में एक ए. इ. एन. का दफ्तर है जिसमें 50 गांव उसके कार्य-क्षेत्र के हैं बाकी 150 गांव है वहां के लोगों को 60 किलोमीटर, चूरू के बार्डर से कहिये या राजगढ़ के गांव वालों को चूरू जाना पड़ता है तो सहायक अभियन्ता का दफ्तर आप मलसीसर में खोलिए, आप बिसाऊ में खोलें....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

लेकिन कृपया खोलें तो सही उसको झुन्झुनू में रखने की जरूरत ही नहीं है। झुन्झुनू में रखना है तो झुन्झुनू में रखिये लेकिन उसका आपको एक नया दफ्तर खोलना चाहिये। इसी के साथ में, चूंकि समय का अभाव है अध्यक्ष महोदय, अन्त में यह कहना चाहता हूं। जनतांत्रिक व्यवस्था है सरकार के आफिसेज हों चाहे बोर्ड वगैरा हों यहां पर इन्जीनियर्स ने बड़े लम्बे समय से हड़ताल कर रखी है और क्यों हो रही है यह माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मालूम है....

श्री नत्थी सिंह : अभी हड़ताल नहीं की है, हड़ताल का नोटिस दिया है वर्क टू रूल है हड़ताल होगी तो क्या बनेगा।

डा. चन्द्रभान : हड़ताल या आन्दोलन इसके कई स्वरूप होते हैं। अभी उन्होंने काम बन्द नहीं किया है लेकिन यह बात सही है उन लोगों ने धरने दिये हैं उन लोगों ने रैली निकाली है, वह लोग मुख्य मंत्री जी से मिले हैं विद्युत मण्डल के अध्यक्ष महोदय से मिले हैं और उनकी मांग क्या है अध्यक्ष महोदय? उनकी मांग यह

(डा. चन्द्रभान)

है कि सार्वजनिक क्षेत्र में या कहना चाहिये कि बिजली बोर्ड के जो इन्जीनियर्स इनका उपयोग सही किया जाना चाहिए और पावर प्लांट हैं उसमें यह जो लोग हैं इन लोगों का उपयोग किया जाना चाहिए ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

निजी क्षेत्र में न दे करके, उन्हीं की माध्यम से, अगर निजी क्षेत्र में भी देना हो यह सरकार दे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि मुख्य मंत्री जी ने इन्जीनियर्स के नेताओं को आश्वासन दिया और इन्जीनियर्स का नेता श्री बी.एस. मिल राजस्थान का एक ईमानदार इन्जीनियर है, मेहनती इन्जीनियर है उसको इसके बदले में यह इनाम दिया गया कि उसका ट्रांसफर पंजाब में कर दिया गया। और यदि इसी तरह से जनतान्त्रिक आन्दोलन करने वाले लोगों को कुचला जाएगा....

श्री अध्यक्ष : ताकि वहां जाकर कर सके, अच्छा है। माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : यह माहिर आजाद लिख कर दे गये थे....

श्री अध्यक्ष : 9 बजे तक का टाइम है, मैंने सब का नाम पुकारा, मेरे को किसी ने नहीं कहा....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष जी, सिर्फ सुझाव दे दूंगा....

श्री अध्यक्ष : मेरे को किसी ने लिखा नहीं। यदि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरे टाइम बहस होती तो छः घण्टे होते आप 7 घंटे बहस कर चुके हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी अनुकम्पा होगी। दो मिनट बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बोल लें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद(झुन्झुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव माननीय ऊर्जा मंत्री जी को देना चाहूंगा। विद्युत की मांग और उपलब्धता में जो खाई है उसको पाटा जाना चाहिए। जो अन्तर चल रहा है वह काफी बढ़ गया है उसको कम किया जाना चाहिये। जो लीकेज है, लीकेज से तात्पर्य मेरा यह है अध्यक्ष महोदय, जो विद्युत की चोरी हो रही हैं, उसको रोकना चाहिये। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि विगत वर्ष झुन्झुनूं जिले में विद्युत मण्डल के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 5-7 केस रेड हैन्डेड विद्युत की मोटरें लगाकर के कुओं से पानी निकालने और काम में लेने के पकड़े, पाइप पकड़ी, मोटर पकड़ी, फोटोग्राफ्स लिए और उसके बावजूद आज तक एक केस में भी कार्यवाही नहीं हुई, उसमें मिली भगत करके उन सबको बचाया जा रहा है। अगर इस तरीके से लीकेज को नहीं रोका जायेगा तो आपका घाटा जो चल रहा है वह चलता रहेगा....

एक माननीय सदस्य : बोर्ड और सरकार दोनों मिल कर उनको बचा रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे ही बिजली कनेक्शन के लिए, चाहे वह कृषि कनेक्शन के लिए हो, चाहे डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए हो, आवेदन किया जाये, वहां एक रजिस्टर रखा रहना चाहिये, उसमें उसका प्रायरिटी नम्बर जो आपने क्लासिफिकेशन कर रखा है अनुसूचित जाति को या भूतपूर्व सैनिक को या जिसको प्रायरटी दी जायेगी, उस रजिस्टर में आप उसका क्रमांक दर्ज कर दें ताकि उसमें हेरा-फेरी की संभावना नहीं रहे और कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता को कनेक्शन के लिए अधिकारियों को अधिक पैसा नहीं देना पड़े।

विद्युतिकरण, अध्यक्ष महोदय, कागजों में दिखाया जाता है। आपको याद होगा किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो सत्ता पक्ष से आते हैं, यह सुझाव रखा था कि उनके क्षेत्र के अन्दर सात गांवों का विद्युतीकरण कागजों में दिखा गया जबकि वहां लाइन ही नहीं डाली गई और उन्होंने जब सहायक अभियन्ता से बात की कि आपने यहां विद्युतीकरण दिखा रखा है, यहां लाइन ही नहीं है, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी कि यहां के तार और खम्भे चोरी चले गये। आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कागजों में विद्युतिकरण दिखा रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, माननीय सदस्य, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, अभी दो मिनट नहीं हुए हैं। पावर प्लांट के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में दिल्ली में ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और उसमें यह तय किया था कि पिट हैड्स पर ही हम इस तरह के संयन्त्र लगाएं ताकि लदान की, आवागमन की और जो दूसरे खर्च होते हैं, वह नहीं हों। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है? दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डोमेस्टिक लाइस से क्यों वंचित किया जा रहा है? 24 घंटे आप शहर के लोगों को लाइट दे रहे हैं। शहर और ग्रामीण में अन्तर नहीं होना चाहिए, उनको भी कम से कम घरेलू उपयोग में ली जाने वाली बिजली को 24 घंटे दी जानी चाहिए उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्तिम सुझाव अध्यक्ष महोदय, यह देना चाहता हूं कि वेतन की विसंगतियों के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में जो सांख्यक काम कर रहे हैं आप उनको 1400 से 2600 का ग्रेड दे रहे हैं जबकि दूसरे राज्य सरकार के अन्य विभागों में सहायक सांख्यक काम कर रहे हैं उनको 1640 से 2900 का ग्रेड दिया दिया जा रहा है और विद्युत बोर्ड क्या कहता है कि 1 से लेकर 6 ए तक में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान राज्य सरकार से विभिन्न है यानि उसमें कोई समानता नहीं है। इस विसंगति को दूर करिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी....

श्री मोम्मद माहिर आजाद : अब अन्त में मैं यह कहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : अब अन्त कुछ नहीं है 9 बजे हाउस एडजार्न हो जायेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे क्षेत्र में मण्डावा में जे. ई. एन. का दफ्तर खोल दीजिए। मण्डावा में जे. इ. एन. के दफ्तर से बहुत दूर रहते हैं और झुन्झुनू जिले के गांवों को जो चूरू से बिजली मिलती है चूरू का जो 131 के. वी. है दो तीन साल से स्वीकृत हुआ है, उसका वर्क आर्डर टेन्डर पास हो गये ठेकेदार काम शुरू नहीं कर रहा है आप इसका काम भी शुरू कराइये। धन्यवाद।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं आभार प्रदर्शित करूंगा कि करीब 30 माननीय सदस्यों ने बहुत ही मेहनत के साथ विद्युत विभाग के सम्बन्ध में जो भी समस्यायें थीं उनके ऊपर प्रकाश डाला और अपने सुझाव रखे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष तौर पर जो मुद्दे उठाए गये हैं माननीय सदस्यों की तरफ से और यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि राजस्थान के अन्दर विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध को लेकर के कुछ विद्युत कर्मचारी भी आंदोलन पर उतरे हुए हैं और उनकी एक मुख्य मांग यह है कि राजस्थान में विद्युत का उत्पादन विद्युत मण्डल की तरफ से राजस्थान सरकार की तरफ से होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले दो साल से बराबर इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार में भेजे हुए है उन प्रोजेक्ट्स की जल्दी स्वीकृति लेकर के ज्यादा से ज्यादा काम शुरू करें और इसी सम्बन्ध में बरसिहसर प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिलने के बाद जब राजस्थान सरकार, विद्युत मण्डल के पास वितीय संसाधन नहीं थे तो नेवीली निगलाइट कार्पोरेशन को यह काम सौंपा गया और हमने जो इस ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया है सूरतगढ़ के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का है कि 250 मेगावाट का सबसे अच्छा थर्मल प्लांट है और हमने उस थर्मल प्लांट के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि इसको राज्य के वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा करके विद्युत मण्डल की तरफ से इसका काम करवाएंगे जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान इस दफा रख दिया गया है।

हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार के पास वित्तीय संसाधन नहीं है कि हम कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले सकें। धौलपुर प्रोजेक्ट के लिए माननीय सदस्यों को अच्छी तरह ज्ञात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बार-बार इस मुद्दे को उठाया है। पर्यावरण मत्रालय की तरह से जो अड़चनें पैदा की जा रही थीं उसके सम्बन्ध में इस दफा 4 अप्रेल, को ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग हुई थी। उसमें बहुत से राज्यों के मुख्य मंत्री भी गये थे। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां

(श्री रामनारायण विश्नोई)

उपस्थित हुए। उन्होंने बहुत ही पुरजोर शब्दों में इस बात का विरोध किया कि पर्यावरण मन्त्रालय की तरफ से जिस प्रकार बार-बार ग्राब्जेक्शंस उठाये जा रहे हैं उससे हमारे प्रदेश की गति रुक जायेगी। दूसरे मुख्य मंत्रियों ने भी इस बात में सहयोग दिया। ग्राखिर में यह निर्णय हुग्रा कि जल्दी से जल्दी, एक महीने के ग्रन्दर पर्यावरण सम्बन्धी जो एतराज हैं उनको क्लीयर कर योजनाग्रों की हम स्वीकृति दे देंगे। माननीय सदस्यों ने इस बात का निवेदन किया ग्रौर यह बिलकुल सही बात है कि केन्द्र सरकार में पिछले सालों जो नीति रही कि बार-बार प्रोजेक्ट भेजे जायें ग्रौर प्रोजेक्ट को वापस लौटा दें, कभी एक ग्राब्जेक्शन तो कभी दूसरा ग्राब्जेक्शन, उसकी वजह से टाइम गैप लग रहा था प्रोजेक्ट की स्वीकृति में ग्रौर उससे प्राइस एस्केलेशन होने की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट बीच में रह गये। ये तमाम कठिनाइयां ग्राज हमको देखने को मिल रही हैं कि हम महंगी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, हमें बराबर बिजली का उत्पादन नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण समय पर हमारी योजनाग्रों को स्वीकृति नहीं दिया जाना है।

दूसरी बात, माननीय ग्रध्यक्ष जी, जो यहां पर विशेष तौर से उठायी गयी है ग्रौर जिससे राजस्थान का ग्राम काश्तकार सम्बन्धित है, यह है कि राजस्थान की कृषि नीति की बराबर इस प्रकार से घोषणा कर दी जानी चाहिए कि राजस्थान के काश्तकार को इस बात का ग्रहसास हो कि इस साल में इस नीति के तहत ही कनेक्शन दिये जाएंगे। मैं, माननीय ग्रध्यक्ष जी, ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1990–91 के ग्रन्दर नयी कृषि नीति लागू की गयी। उस कृषि नीति के मुताबिक एक प्रयोग किया गया कि हम सबसे पहले मार्च, 1982 तक के जो साधारण श्रेणी के काश्तकार हैं उनको कनेक्शन दें ग्रौर शिड्यूल्ड कास्ट ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 1985 तक के जो साधारण काश्तकार हैं उनको कनेक्शन दें। इस प्रयोग के साथ ग्राई. पी. एस., तुरन्त प्राथमिकता योजना की नीति ग्रौर लागू की गई। ग्रभी पिलानी से ग्राने वाली माननीय सदस्य श्रीमती सुमित्रा सिंह ने कहा कि 1982 के मार्च तक के कनेक्शन देने की जो नीति थी वह बिलकुल सही थी।

मैं, माननीय ग्रध्यक्ष जी, ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कोई भी नीति ऐसी नहीं लागू की जा सकती जिससे राजस्थान के तमाम काश्तकार ग्रौर सभी सदस्य सहमत हों ग्रौर उस नीति का कोई किसी तरह से क्रिटिसिज्म नहीं हो। इस नीति का भी क्रिटिसिज्म हुग्रा कि 1982 तक के काश्तकारों को, जिनकी एप्लीकेशंस पेण्डिग हैं, कनेक्शन दिये गये तो बाड़मेर के बहुत से गांवों में जहां 1985–86 तक बिजली ही नहीं लगी थी उन गांवों को 4–4, 5–5 साल तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। ऐसी स्थिति ग्रा गयी ग्रगर हम 1982 की नीति को लेकर चलते, कि जिन इलाकों में सबसे पहले 1985-86-87 या 1988 में विद्युतिकरण किया गया था उन गांवों में ग्राने वाले 4–5 सालों में एक भी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता था। इस नीति को बदला गया। इस नीति को

(श्री रामनारायण विश्नोई)

बदल कर वापस उस नीति पर आये हैं कि जिन जिलों में पुरानी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस की प्रायोरिटी के मुताबिक टार्गेट लागू किये जाएंगे। नीति बदल कर इसी आधार पर 1990–91 की नीति लागू की गयी।

तुरन्त प्राथमिकता योजना का विरोध किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 50 प्रतिशत माननीय सदस्य आज भी इस बात से सहमत हैं कि तुरन्त प्राथमिकता योजना बिलकुल सही थी, इस को दुबारा लागू कीजिए चाहे किसी रूप में कीजिए। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : बिलकुल नहीं।

श्री कन्हैया लाल मीणा : आप यह बताइये, तुरन्त प्राथमिकता योजना में 7–7 हजार रिश्वत देकर कनेक्शन....(व्यवधान).. चक्कर काट रहे हैं, लोग कनेक्शन के लिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्री महोदय के जवाब तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का वक्तव्य समाप्त होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन लम्बा भाषण नहीं देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, कोई लम्बा नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं देंगे। हाउस एडजार्न होने के बाद भी आप लोगों को पांच मिनट के लिए और बैठना है।

विद्युत मण्डल के आय-व्ययक पर विचार

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता था कि तुरन्त प्राथमिकता योजना से भी बहुत-से सदस्य सहमत थे। बहुत-से सदस्यों ने कई बार कहा है कि इस योजना में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इसका क्रिटिसिज्म केवल एक आधार पर किया गया कि इस योजना के तहत वे लोग जो ज्यादा पैसे खर्च करेंगे कनेक्शन लेते जाएंगे और बाकी लोगों को कनेक्शन नहीं मिलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि साधारण श्रेणी के जो लोग लाइन में लगे हुए थे, 5-7-10 साल से इन्तजार कर रहे थे उनके हकों को बिलकुल ध्यान में रखकर कुछ सीमित संख्या में, वित्तीय संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, तुरन्त प्राथमिकता योजना में कनेक्शन देने की योजना बनायी गयी थी। इस

(श्री रामनारायण विश्नोई)

योजना के तहत करीब 20 हजार काश्तकारों को दो साल में कनेक्शन दिये जा सके हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बोर्ड को इससे पैसे भी मिले हैं और काश्तकारों को इससे कनेक्शन मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब 20 हजार काश्तकार तो बहुत पैसे वाले हैं।

डा. चन्द्रभान : यह तो मजबूरी है उन 20 हजार की।

श्री रामनारायण विश्नोई : पैसे वाले नहीं. मैं आपको निवेदन कर दूं कि कुछ लोगों ने इस वजह से इस नीति की सराहना की कि आज अगर कोई अच्छी मेहनत करने वाला काश्तकार है और वह मेहनत करने वाला काश्तकार लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदता है 3-4 लाख में, तो कोई भी दूसरा काश्तकर उस पर आब्जेक्शन नहीं कर सकता कि आपने 3-4 लाख का ट्रैक्टर खरीदकर अच्छा नहीं किया और आपने अच्छा पैसा क्यों कमाया ? यह उसकी मेहनत की बात थी। इसी प्रकार कोई आदमी किसी तरह पैसा प्राप्त करके तुरन्त प्राथमिकता योजना में कनेक्शन लेकर अच्छी खेती का उत्पादन करता है तो इससे किसी को नुकसान होने वाली बात नहीं थी। इसमें सबसे बड़ा नुकसान यही था कि जो लोग नम्बर में लगे हुए थे, 5-7-8 साल से इन्तजार कर रहे थे उनके नम्बर में कुछ देरी होने की सम्भावना थी। इसी बात को देखकर इस नीति को बंद कर दिया गया। पर जब हमने लोगों से पैसे ले लिये, जब हमने यह कमिटमेण्ट कर लिया कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उनको हम कनेक्शन देंगे, तो इसी कमिटमेंट को निभाने के लिए पिछले साल 12 हजार कनेक्शन दिये जा चुके थे और 10 हजार बाकी बच गये थे। उनमें से 7-8 हजार इस साल मार्च तक दे दिये गये हैं। करीब 1500 कनेक्शन और रहे हैं, उन सब लोगों को कनेक्शन दिये जाएंगे। यह हमारा कमिटमेंट है, इसको हम पूरा करेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : ये 25 हजार में ही हैं ?

श्री रामनारायण विश्नोई : इस दफा के 5-7 हजार इस 25 हजार में शामिल हैं। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। इस दफा हमने 25 हजार का जो टार्गेट दिया था उस 25 हजार में ये शामिल हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सुजानगढ़) : आगे तो चालू नहीं रहेगी ?

श्री रामनारायण विश्नोई : अगले साल के लिए हमने यह घोषणा की है कि 25 हजार कनेक्शन हम और देंगे।

श्री नत्थी सिंह : अगले साल तुरन्त प्राथमिकता योजना रहेगी कि नहीं रहेगी ?

श्री रामनारायण विश्नोई : नहीं रहेगी। अगले साल तुरन्त प्राथमिकता योजना लागू करने का अभी कोई विचार नहीं है।

चौमू से आने वाले माननीय सदस्य अभी नहीं हैं रामेश्वर दयाल जी यादव, उन्होंने और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने

(श्री रामनारायण विश्नोई)

सुझाव दिया सर्विस लाइन कनेक्शन का। वन पोल, टू पोल के कनेक्शन में बोर्ड को भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, वह कनेक्शन आप तुरन्त दें। मैं, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और एक-दो सदस्यों ने कहा भी था कि वैसे देखने में यह योजना बहुत अच्छी लगती है, पर वन पोल, टू पोल वाला काश्तकार तो आज का आज कनेक्शन पा लेगा और दस साल से इन्तजार करने वाला काश्तकार फिर भी इन्तजार करता रहेगा। जैसा मैंने निवेदन किया, ऐसी कोई नीति कोई भी माननीय सदस्य इस हाउस में नहीं बता सकता कि जिसमें सब लोग बराबर खुश हों और जो सबके ऊपर समान लागू हो। इस नीति में भी यह कमी है कि वन पोल, टू पोल वाला आदमी आज कनेक्शन ले लेगा, पैसे देकर ले लेगा, किसी तरह से ले लेगा, पर वे आदमी फिर कहेंगे कि यह तो कल का कल कनेक्शन ले गया और मैं दस साल से इन्तजार कर रहा हूं। कोई ऐसी नीति न माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह ने बतायी न किसी और सदस्य ने बतायी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कनफ्यूजन हो रहा है। आपने कहा कि वन पोल, टू पोल वाला पैसे देकर कनेक्शन ले लेगा, इसमें भी कोई पैसे का अलग प्रावधान है क्या ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : प्रेशर देकर।

श्री रामनारायण विश्नोई : नहीं, नहीं, पैसे देने का नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि सर्विस लाइन में या जहां पर ट्रांसफार्मर लगा हो उससे एक पोल या दो पोल की दूरी पर जिन काश्तकारों के खेत आये हुए हैं उनको कनेक्शन दे दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : आप असमानता की बात कर रहे हैं। दोनों स्थितियों में असमानता है।

श्री रामनारायण विश्नोई : दोनों स्थितियों में असमानता रहेगी, दोनों स्थितियों में कुछ लोगों को जरूर ग्रीवांसेज रहेंगी। ऐसी कोई भी नीति नहीं है। सबसे उचित नीति यही है कि जिन इलाकों में पुरानी एप्लीकेशंस पेण्डिग हैं उनको टार्गेट में बांटकर, जो हम अब नीति अपना रहे हैं उस नीति के मुताबिक किया जाएगा।

(9·00 रात्रि)

माननीय अध्यक्ष जी, कई जगह से यह मांग भी आई, कि पहले भूतपूर्व जो सैनिक हैं, उनको कनेक्शन दिये जाने चाहिए। इस दफा 1991–92 की नीति के अन्दर नहीं था। एक्स सोल्जसर के लिए अब की दफा कुछ रिजर्वेशन कोटा करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हैण्डीकेप्स के लिए भी कुछ कोटा रिजर्व करेंगे, राजस्थान के अन्दर उनको कोटा रिजर्व होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नोखा से आने वाले माननीय सदस्य श्री चुन्नीलाल जी इंदलिया ने तथा पश्चिमी राजस्थान के दूसरे कुछ सदस्यों ने भी यह कहा कि हमारे यहां अकाल की स्थिति हमेशा बनी रहती

(श्री रामनारायण विश्नोई)

है और टार्गेट्स डिसाइड करने का जो तरीका है, जहां ज्यादा एप्लीकेशन्स पेन्डिग हैं तो उनको उतने ज्यादा कनेक्शन दिये जायेंगे। इन जिलों के अन्दर आज तक गांव विद्युतीकृत कम हुए थे, यहां पर एप्लीकेसन्स कम थीं, चूरू है, बीकानेर है। और बाड़मेर है। ये जिले विशेष तौर पर अकाल से पीड़ित रहते हैं। इनमें दरख्वास्तें कम हैं इसलिए टार्गेट्स कम आते हैं। तो हम यह विचार कर रहे हैं कि इन जिलों के अन्दर कुछ स्पेशल टार्गेट्स देकर अकाल में लोगों को कुछ राहत दी जाय। बाकी इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव आये हैं उन सुझावों को विशेष तौर से ध्यान रखा जायेगा।

मैं यह मानकर चलता हूं, और इस सिद्धान्त का हूं कि विद्युत विभाग के अन्दर आज उपभोक्ता को कनेक्शन देने के अन्दर लूट मची हुई है। अभी ऐसा कोई इलाका नहीं है जिस इलाके में यह शिकायत नहीं आती हो। विशेषत: कनेक्शन देने के अन्दर ए. ईएन, जे. ईएन. या दूसरे जो भी अधिकारी, जैसा कि कहीं लाइनमैन की शिकायत की गई है, वह बराबर इसके अन्दर लिप्त हैं, इसमें माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस किसी भी क्षेत्र के जन प्रतिनिधि जागरूक हैं उस क्षेत्र के अन्दर ऐसी शिकायत नहीं आ सकती। यह सारा जिम्मा जन प्रतिनिधि को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, जन प्रतिनिधि जिस किसी भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत करेंगे, उसके खिलाफ बराबर एक्शन लिया जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : जन प्रतिनिधि क्या करें ?

श्री रामनारायण विश्नोई : उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ बराबर एक्शन लिया जायेगा। हम एक ऐसा तरीका अपना रहे हैं, उसके मुताबिक जन प्रतिनिधि जहां पर भी जागरूक हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी शिकायत किससे करें? मंत्रीजी से ?

श्री रामनारायण विश्नोई : शिकायत राज्य सरकार से कीजिये, शिकायत बोर्ड के अन्दर कीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक चिट्ठी अध्यक्ष जी को दिया करेंगे फिर।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष जी, मुझे यह बात नहीं कहनी चाहिये लेकिन आर. एस. ई. बी. के अधिकारी लोग हैं, वे अपने आपको इन्डिपेन्डेन्ट आथोरिटी मानते हैं। मंत्रीजी, आपकी भी बहुत सारी बात नहीं मानते हैं। उनसे शिकायत करें या आपसे शिकायत करें, यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके लिए कानून बना हुआ है। अब जो कानून में इनको अधिकार है, वह रहेगा। उसे आप छीन थोड़े ही सकते हैं। जो कानून बना हुआ है, कानून के हिसाब से.... (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : ए. ईएन. के ऊपर एक्स. ईएन. होता है। अब बात चल रही है तो कह रहा हूं। मैंने चर्चा छेड़ी नहीं थी, छोटी-छोटी बातें हैं, मेरे यहां ए. ईएन.

(श्री यदुनाथ सिंह)

तीन महीने से रहता नहीं है और मैं पच्चीस बार शिकायत एक्स ईएन. को कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए जागरुक रहिये।

श्री यदुनाथ सिंह : माफ करें। 25 बार शिकायत की है। फिर आपका करूं मैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जागते रहो।

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप। आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सदस्य अच्छी प्रकार से जानते हैं कि स्टेट्यूट के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक बोर्ड एक आटोनोमस बाडी है। उसके अन्दर राज्य सरकार का या किसी दूसरे आदमी का कितना दखल हो सकता है, माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पर इन्क्वायरी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ किस प्रकार से होनी चाहिये, निर्देश संख्या 78 (ए) के मुताबिक जहां-जहां आवश्यकता होती है, राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिये जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर विशेष तौर से काफी दिनों से यह शिकायत भी आ रही थी कि दो-तीन जगह, कोटपूतली में महुआ में और टोडामीम के अन्दर जो ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उन ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों का कार्य ठीक तरीके से नहीं चल रहा था, वहां पर अव्यवस्था फैली हुई थी। इसलिए राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है, इन्क्वायरी करके कि महुआ की और कोटपूतली की ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति का लाइसेंस सैक्शन 3 के अन्दर जो दिया हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया जायेगा और 5–8–10 दिन के अन्दर इन्क्वायरी कम्प्लीट होकर यह निर्णय दे दिया जायेगा। यह काफी अर्से से....

श्री रामकरण सिंह : कब तक हो जायेगा ?

श्री रामनारायण विश्नोई : 15 दिन के अन्दर आर्डर कर दिया जायेगा। इसके आर्डर हो चुके हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : टोड़ामीम के बारे में क्या निर्णय है ?

श्री रामनारायण विश्नोई : टोड़ामीम की अभी इन्क्वायरी पूरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : वह ही होगा। जो इनका हश्र हुआ है, उसका हो जायेगा। बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप व्यवस्था सुधारने का सामान दो उनको।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसका पैसा तो भारत सरकार देती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुमित्रा जी, अब इनको पूरा करने दीजिये। आप तो 20-25 मिनट बोली हैं।....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप एक को संरक्षण दें, दूसरे को नहीं दें, आप तो सबको समान....

श्री अध्यक्ष : नहीं मैं सबको कह रहा हूं, आप सुनिये। इनको भी यही कहा था मैंने। डाक्टर साहब तो डाक्टर साहब है। आप जानती है।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने यह भी एतराज उठाया कि बोर्ड के अन्दर रिटायर्ड आदमी नहीं लगाये जाने चाहिये थे। आज बोर्ड में सबसे उच्च पद पर बैठे हैं बोर्ड के अध्यक्ष श्री दवे साहब। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि techically he is very sound person जहां तक इस बोर्ड का सम्बन्ध है। पिछले बहुत सालों से इनका बोर्ड से डाइरेक्ट सम्बन्ध है, हर जगह की इनको पता है, किस तरह की क्या ट्रांसमिशन लाइन क्या डवलपमेंट होना चाहिये और अच्छी तरह कार्य-कुशलता से पिछले साल बोर्ड की कार्य क्षमता को बढ़ाया है, बोर्ड की इन्कम को बढ़ाया है और उत्पादन भी बढ़ाया है। के. टी. पी. एस. का प्लांट लोड फेक्टर, माननीय सदस्य जानते हैं, 42 प्रतिशत से आज 66-67 प्रतिशत तक पहुंचा है। उसी का कारण है कि इस साल हमने लोगों को बिजली देने की कोशिश की, आप भी यह कहते हैं कि इस वर्ष हमने 8 घण्टे बिजली रेगुलर देने की बराबर कोशिश की है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिये मैं बोर्ड अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा और यही निवेदन करना चाहूंगा कि आइन्दा भी इसी स्पीड को हम बनाये रखें। काश्तकार की फसल को बिजली के अभाव में जलने नहीं देंगे, यह हमारी पूरी कोशिश होगी।

माननीय अध्यक्षजी, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, डा. चन्द्रभान जी, सुमित्रा सिंहजी और दूसरे कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि 4 अप्रेल की मीटिंग के अन्दर यह मंजूर करके आ गये कि 50 पैसे प्रति यूनिट कर देंगे, कुछ बढ़ा देंगे। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक राजस्थान की सरकार का प्रश्न है, राजस्थान की सरकार कभी यह नहीं चाहेगी कि किसी काश्तकार के ऊपर हम इस प्रकार का कोई टेरिफ बढ़ाकर मार डाले जिससे काश्तकार की स्थिति जो पहले से बदतर है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी पहले से ऊंची है, आलरेडी ऊंची है।

श्री रामनारायण विश्नोई : परिस्थितियां ऐसी है, माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि 1991-92 के अन्दर एग्रीकल्चरिस्ट कंज्यूमर्स को बिजली देने के लिये 266 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एग्रीकल्चरिस्ट को 1991-92 में कनेक्शन देने के लिये 266 करोड़ रुपये और 61 करोड़ रुपये डोमेस्टिक कनेक्शन देने के अन्दर बोर्ड को घाटा हुआ है।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ सदस्यों ने यह ऐतराज किया है कि किसानों को बिजली दिन के अन्दर दी जानी चाहिये, बिजली किसानों को 8 घन्टे से ज्यादा दी जानी चाहिये, जिस प्रकार उद्योग के अन्दर बिजली दी जाती है, उसी प्रकार से उस क्षमता के अनुसार काश्तकार को बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिये। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हाई-टेंशन के जो बड़े उद्योग हैं, उन उद्योगों से हम 151 पैसे प्रति यूनिट चार्ज कर रहे हैं। 117 पैसे उनकी फैक्टरी तक बिजली पहुंचाने के अन्दर खर्चा पड़ता है, 151 पैसे उनसे ले रहे हैं जो एच. टी कन्ज्यूमर्स हैं। एस्टेट ड्यूटी, सरचार्ज सब मिलाकर 151 पैसा देना पड़ता है। इसी प्रकार से जो एम. आई. पी कन्ज्यूमर्स हैं, उनसे 144 पैसे प्रति यूनिट ले रहे हैं। इनके एच. टी, एम. आई. पी. से 118 करोड़ रुपये कमा रहे हैं जो सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरिस्ट का घाटा पूरा करने के लिये लिया जा रहा है। इसी वजह से हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उद्योगों के अन्दर बिजली की सप्लाई बराबर हो, ताकि हमारी जो इन्कम है वह बराबर बनी रहे और सब्सिडी द्वारा काश्तकारों का घाटा पूरा कर सकें। राजस्थान सरकार के पास और ऐसे कौनसे साधन हैं जिनकी वजह से ज्यादा अनुदान देकर के हम ज्यादा और बिजली सस्ती दे सकें।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, जो उन्होंने ग्रिवेन्सेज बताये हैं और विशेष तौर से एक चर्चा चली कि कुछ इंजीनियर्स आन्दोलनरत हैं। इंजीनियर्स की दो मांग हमारे सामने आई हैं। एक मांग तो यह है कि राजस्थान के अन्दर नये प्रोजेक्ट्स लगाये जा रहे हैं, शुरू किये जा रहे हैं या किये जाने वाले हैं उन प्रोजेक्ट्स को सरकार की तरफ से और बोर्ड की तरफ से ही चालू किया जाय प्राइवेट एजेन्सीज से नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मौजूदा केन्द्रीय सरकार की भी यह नीति है और राजस्थान सरकार की भी यह स्पष्ट नीति है कि हम हमारे वित्तीय संसाधनों के अन्दर रह कर के ही इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को हम चला पायेंगे। आज हम केवल एक सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट को ही चलाने की स्थिति में हैं। उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक को फाइनेंस कमीशन के जरिए लोन लेने के लिए सिफारिश के कागजात भेजे हुए हैं। अगर वहां से भी लोन मंजूर होकर नहीं आया तो शायद हो सकता है कि हमें सूरतगढ़ के प्लांट को चलाने के अन्दर भी बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो आगे बढ़ाने के लिए। इन स्थितियों के अन्दर इंजीनियर्स की यह डिमांड जायज है कि हमारे ऐवेन्यूज बढ़ने चाहिए राजस्थान के अन्दर, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिलने चाहिए, कमीशन हमको ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। परन्तु आज जिस प्रकार की परिस्थितियों के अन्दर राजस्थान चल रहा है उनकी इस मांग से हम बिल्कुल सहमत हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को हम हमारे लेवल पर चलायें, पर जो परिस्थिति वित्तीय

(श्री रामनारायण विश्नोई)

संसाधनों के मुताबिक कर पा रहे हैं वह कम करेंगे। यह राजस्थान सरकार की तरफ से इंजीनियर्स को आश्वासन देना चाहते हैं और इस आश्वासन के ऊपर उनको अपनी हड़ताल बन्द कर देनी चाहिए।

दूसरी मांग इंजीनियर्स की यह है कि नार्दन रीजन के जो दूसरे इंजीनियर्स हैं उनके बराबर वेतनमान दिये जाने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात पर काफी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है, एग्जामिन भी करवाया गया है। समानता पे-स्केल के अन्दर किया जाना यह कोई सम्भव नहीं है। किसी स्टेट में कुछ पे है, कुछ स्टेट में कुछ पे है, हमने यहां पर बिजली बोर्ड के जो वित्तीय संसाधन हैं, उन साधनों के मुताबिक कुछ एक्स्ट्रा ऐवेन्यूज इंजीनियर्स को दे रखे हैं और आज हम इस के अन्दर नहीं हैं कि आज की मौजूदा परिस्थितियों के अन्दर हम कोई चेंज कर सकें और आइन्दा आने वाली जो स्थिति होगी, बोर्ड की कोशिश करके हालत सुधारने हम जा रहे हैं, जब भी बोर्ड की हालत सुधरेगी और हमारे कर्मचारी मिल कर बोर्ड की आमदनी को बढ़ायेंगे तो हम हमेशा कभी भी इसके अन्दर संकोच नहीं करेंगे कि हमारे कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाहें दे सकें। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने उनके आन्दोलन को दबाने के लिए ट्रांसफर कर दिये वह तो कैंसिल करें।

श्री दिलसुखराय चौधरी : वह ट्रांसफर वाली बात बताई थी उस सम्बन्ध में तो कुछ कहिये साहब....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सेवा-निवृत्त अधिकारी जो बोर्ड में लगे हुए हैं उनके बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। और चेयरमैन के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं था उसका जवाब दिया। 17 और अधिकारी लगा रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या, श्रीमती सुमित्रा सिंह ने अपने ऐतराज में यह भी कहा कि 12-13 रिटायर्ड अधिकारियों को बोर्ड में ले लिया गया है। बोर्ड के अन्दर उन्हीं अधिकारियों को लिया गया है, आपके टाइम से चले आ रहे थे मिस्टर चौधरी या कोई दूसरे आदमी, जिनकी आवश्यकता थी, जो अनुभवी आदमी थे उनको आवश्यकतानुसार लिया गया है और उन्होंने कार्य करके.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम जी, प्लीज। There will be no end to it. This is very bad. आप सुन तो लीजिए। यह क्या है? आपने अच्छी तरह से बहस की है और अन्त में खड़े होकर इस तरह से आप करेंगे यह ठीक नहीं है। Sumitra Singhji, let him complete.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये मेरा लेकर कोई बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई नाम नहीं लिया है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कैसे नहीं लिया है, नाम लिया है उन्होंने मेरा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लिया है ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि आपके समय से....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे नाम बताने पड़ेंगे कौन-कौन अधिकारी....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आपके समय से कहा है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने पहले बताया नहीं था लेकिन यह जैसे बता रहे हैं चैलेंज किया है मुझे । यह मेरे पर चार्ज लगाया है कि मेरे समय से चले आ रहे हैं । मुझे बताना पड़ेगा कि कितने अधिकारी हैं ।

श्री जगतसिंह दायमा (राज्य मंत्री) : पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या, जब आप मंत्री थीं तब आपने क्या किया था ? यह बता दें, मैं तो एक काम के लिए आपके पास आया था ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री जगतसिंह दायमा : कुछ भी नहीं किया, एक भी काम आपने करके नहीं दिया । आपके ध्यान में है ना....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसलिए नहीं किया था कि आप भ्रष्टाचार करोगे ।

श्री जगतसिंह दायमा : मैं शिकायत लेकर आपके पास गया था । आपने क्या किया । आपने कह दिया था कि मैं तो अक्षम हूं दूसरों के लिए ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.15 पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट–1

अतारांकित प्रश्न संख्या 885 की सूची

ग्राम सालासर:—

ग्राम सालासर में वर्तमान में एक निजी कुएं में विभागीय पम्प लगाया जाकर पेयजल वितरण किया जा रहा है। ग्रामवासियों के विरोध के कारण इस पम्प को निकाला जाकर नये सार्वजनिक बोरिंगयुक्त कुए में लगाया जाना सम्भव नहीं हो सका है जिसके कारण इसके परीक्षण में विलम्ब हुआ है।

ग्राम पुन्दलसर

ग्राम पंचायत पुन्दलसर के अधीन संधारित परम्परागत स्रोत योजना में उपलब्ध अतिरिक्त पम्पसैट विभाग को दिये जाने पर ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है अतः इस पम्प की उपलब्धता न होने से नये स्रोत का परीक्षण सम्भव नहीं हो सका है। तीस जिला तीस का कार्यक्रम के अन्तर्गत पम्पसैट लगाया जाना स्वीकृत है व पम्पसैट शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं।

डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में बोरिंग कराये जाने संबंधित विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	बोरिंग युक्त कुओं की संख्या
1.	कातर बड़ी	1
2.	कातर छोटी	1
3.	ढाणी कालेरान	1
4.	मोमासर	1
5.	डीभंगा	3
6.	ठुकरियासर	1

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

डूंगरपुर-बांसवाड़ा की पंचायतों में ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी के रिक्त पद

890. श्री चुन्नी लाल (उदयपुर ग्रामीण): क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की किन-कन पंचायत समितियों में ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों के पद कब से व क्यों रिक्त चल रहे है सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की जिन-जिन पंचायत समितियों में ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त है उनकी सूची परिशिष्ट "ए" सदन के पटल पर प्रस्तुत है। ये पद प्रसासनिक कारणों से नहीं भरे जा सके।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर।

ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों की जानकारीः—

डूंगरपुरः—

1. पंचायत समिति, बिछीवाड़ा 25-9-86 से 1
2. पंचायत समिति, सिमलवाड़ा वर्ष 81-82 से 1

बांसवाड़ा:—

1. पंचायत समिति, घाटोल सितम्बर 91 से 1
2. पंचायत समिति, बागीदौरा अप्रेल 85 से 1

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 1992 बुधवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1992)

अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध लम्बित प्रकरण

489. श्री लक्ष्मीनारायण (आसीन्द): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित है ? यदि हां तो किस-किस अधिकारी के विरूद्ध कब से लम्बित है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विभागीय जांच लम्बित होने के कारण ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति का मामला रूका हुआ है ? क्या ऐसे भी मामले हैं जिनके विरूद्ध जांच विचाराधीन होते हुए भी पदोन्नति हुई ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) विभागीय जांच लम्बित होने पर भी जिन्हें पदोन्नति दी गई है उन की सूची निम्न प्रकार है ?

1. श्री वी. के अग्रवाल ।

278

न्यायिक अधिकारियों के नाम जिन के खिलाफ उनके सामनें लिखे वर्षों से विभागीय जांच लम्बित है

क्रम संख्या	नाम अधिकारी	विभागीय जांच लम्बित होने के वर्ष
1.	श्री चन्द्रसिंह	1991
2.	श्री आर. पी. मित्रुका	1991
3.	श्री देव चन्द्र मीणा	1991
4.	श्री सरत चन्द्र शर्मा	1990
5.	श्री जे. एस. गर्ग	1987, 1991
6.	श्री अमृत लाल शाह	1991
7.	श्री विनोद कुमार अग्रवाल	1983
8.	श्री गोविन्द नारायण शर्मा	1986, 1989, 1990
9.	श्री एम. पी. पालीवाल	1990
10.	श्री विष्णु कुमार सक्सैना	1991, 1992
11.	श्री एल. आर. लोतन	1991
12.	श्री बी. एस. चन्द्रावत	1991
13.	श्री बी. एस. माटी	1987
14.	श्रीमति सुषमा जैन	1989
15.	श्री बी. एस. शक्तावत	1990
16.	श्री हरि प्रसाद वर्मा	1990
17.	श्री भरत राम मीणा	1991
18.	श्री किशन लाल शर्मा	1991
19.	श्री अनिल कुमार सुरोलियां	1991
20.	श्री अब्दुल कल्लाम	1991
21.	श्री प्रमोद कुमार माथुर	1991
22.	श्री के. सी. खण्डेलवाल	1992
23.	श्री मंगाराम	1990

उपनिदेशक (मत्स्य) का रिक्त पद

891. श्रीकिशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

श्री श्री हरीश भामनानी अजमेर (पश्चिम) : क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5-9-1990 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर मत्स्य विभाग के उप-निदेशक का मुख्यालय अजमेर क्षेत्र का अजमेर शहर में खोलकर वहीं कार्य करने के आदेश दिये थे ?

(2) क्या उक्त आदेश के पालन में उपनिदेशक का कार्यालय अजमेर में खोला गया ? यदि हां, तो कब एवं किस स्थान पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि लगभग 18 माह का समय बीतने पर भी उप-निदेशक का अजमेर में कार्यालय नहीं खोला गया है और न स्वयं वहां जाकर अपना कार्य चालू किया है ? सरकार की योजना अनुसार अब उक्त कार्यालय कब तक खुल जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 5-9-90 के राज्यादेश के अनुसार उप निदेशक, स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का पुनः निर्धारण किया गया था। जिसके अनुसार अजमेर क्षेत्र मुख्यालय अजमेर के अन्तर्गत अजमेर व नागौर जिलों को शामिल किया गया था।

(2) जी नहीं। अजमेर में उप निदेशक स्तर के अधिकारी के लिए पद सृजित करना आवश्यक था। जिसका प्रस्ताव विभाग से आना था। विभागीय स्तर से इस प्रस्ताव में विलम्ब को देखते हुए इसके कारणों की जांच के आदेश सरकार द्वारा शासन सचिव, मत्स्य को दिये गये हैं।

(3) जी हां। कार्यालय शीघ्र खोल दिया जायेगा।

कारखाना एवं बायलर्स के अधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरण

892. अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कारखाना एवं बायलर्स विभाग में वर्ष 1990-91-92 के दो वर्षों में किन-किन अधिकारियों के कहां-कहां और किन-किन तारीखों में स्थानान्तरण किये गये ? क्या उनमें से अधिकांश के स्थानान्तरण निरस्त किये गये ? यदि हां, तो कब-कब निरस्त किये और निरस्त करने के क्या कारण थे ?

(2) उक्त विभाग में उप मुख्य निरीक्षक एवं वरिष्ठ निरीक्षक के कितने पद वर्ष 1991-92 में रिक्त हैं और उनके भरने की अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? ये रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 90-91 की सूची परिशिष्ट "अ" पर व वर्ष 91–92 की सूची परिशिष्ट "ब" पर सलग्न है।

(श्रम राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स का कोई भी पद रिक्त नहीं है। वरिष्ठ निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स के 4 पद रिक्त हैं इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र ही कर दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सुजानगढ़ क्षेत्र की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

893. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सुजानगढ़ सब डिवीजनल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सेठों की ढाणी न्यामा में कितने ट्यूबवैल बने हुए हैं? कितने ट्यूबवैलों पर विद्युत कनेक्शन हो चुका है? यदि सभी ट्यूबवैल्स पर नहीं हुआ तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के लिए बना हुआ एक ट्यूबवैल बेकार पड़ा है?

(3) इस योजना द्वारा कितने गांवों को पानी दिया जाना बताया जा रहा है और वास्तव में कितने गांवों को पानी मिल रहा है? क्या सन् 1978-79 से चालू इस योजना में लिये गये गांवों को अब तक भी पानी नहीं पहुंचाया गया? यदि हां तो क्यों?

(4) इस योजना में गांवों को पानी पहुंचाने के लिए सी. डब्ल्यू. आर. में कितने बूस्टर लगे हुए हैं तथा उनकी केपेसिटी क्या है?

(5) क्या क्या यह सही है कि जब से यह योजना चालू हुई है उसके बाद से आज तक कोई भी पुनर्गठित योजना नहीं बनाई है? यदि हां, तो क्यों?

(6) इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमानुसार 40 लीटर से 70 लीटर के प्रावधान के अन्तर्गत पुनर्गठित योजना कब तक बनाकर स्वीकृत कर सम्बन्धित गांवों को नियमित रूप से लाभान्वित किया जावेगा?

उत्तर

(1) संदर्भित योजना में कुल 6 नलकूप निर्मित किये जाकर सभी नलकूपों हेतु विद्युत संबंध लिये जा चुके हैं।

(2) उपरोक्त 6 नलकूपों में से एक नलकूप अत्यधिक मिट्टी आने के कारण उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।

(3) संदर्भित योजना से 8 ग्राम लाभान्वित हैं। वर्तमान में 4 ग्रामों में नियमित रूप से, दो ग्रामों में दो दिवस के अन्तराल पर तथा शेष दो ग्रामों में तीन दिवस में एक बार जल वितरण किया जा रहा है।

(4) सेठों की ढाणी स्थित स्वच्छ जलाशय पर दो बूस्टर क्रमशः 30 किलोलीटर एवं 15 किलोलीटर प्रतिघंटा जल निस्तारण क्षमता के हैं। ग्राम खारिया कानीराम में भी एक बूस्टर लगा है,

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जिसकी निस्तारण क्षमता 30 किलोलीटर प्रति घन्टा है। इन तीनों बूस्टरों का अश्व शक्ति क्रमशः 12, 5, 7,5 एवं 12.5 हैं।

(5) जी हाँ। इस योजना की स्वीकृति वर्ष 1979 में 15 वर्ष की अभिकल्पित अवधि के लिए की गई थी। अब आवर्धन योजना बनाई जानी प्रस्तावित है।

(6) संदर्भित योजना के आवर्धन के प्रस्ताव बनाये जाने हैं जिनकी धन उपलब्धतानुसार क्रियान्विति प्रस्तावित हैं।

चूरु जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सक/कर्मचारियों के रिक्त पद

894. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं ? तहसीलदार अस्पतालों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद कब से रिक्त हैं ? उन्हें सरकार कब तक भरने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) तहसीलवार विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों, कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक रिक्त पद कब से रिक्त हैं इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य पद प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होने पर भरे जा सकेगें।

चूरू जिले में चिकित्सक व अन्य कर्मचारियां के तहसीलवार स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण

तहसील सुजानगढ

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत पद चिकित्सा अधिकारी	अन्य	रिक्त पद चिकित्सा अधिकारी	अन्य
1	2	3	4	5	6
1.	राज. चिकित्सा सुजानगढ मा. शि. क. केन्द्र.	7	25	—	—
2.	राज. चिकित्सा एवं मा. शि. का केन्द्र, छापर	4	7	—	1
3.	यथा-बीदासर	2	9	—	—
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र एवं ग्रा. पा. क. केन्द्र साण्डवा	6	29	1	3
5.	राज. चिकित्सा सालासर,	2	12	—	3
6.	प्रा. स्वा. केन्द्र खूडी	1	10	—	6
7.	राज, डिस्पे. लालगढ	1	5	—	2
8.	राज. डिस्पं, सडूबडी	1	5	—	2
9.	राज. डिस्पं. चाडवास	1	9	—	3
	योग :-	25	111	1	20

तहसील सरदार शहर

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत पद चिकित्सा अधिकारी	स्वीकृत पद अन्य	रिक्त पद चिकित्सा अधिकारी	रिक्त पद अन्य
1	2	3	4	5	6
1.	राज. चिकि. सरदार शहर	10	31	—	6
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र एवं ग्रा. प. क. के. पुलासर	2	10	—	1
3.	राज. डिस्पै. शिमला	1	5	—	3
4.	राज. डिस्पै. जैतसीसर	1	9	—	4
5.	राज. डिस्पै. बोगेरा	1	7	—	5
	योग :-	15	62	—	19

तहसील श्रीडूंगरगढ

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत पद चिकित्सा अधिकारी	स्वीकृत पद अन्य	रिक्त पद चिकित्सा अधिकारी	रिक्त पद अन्य
1	2	3	4	5	6
1.	राज. चिकित्सा श्रीडूंगरगढ	5	16	—	4
	राज. नेत्र चिकित्सा	1	11	—	4
	पी. पी. सी	2	5	—	—
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र, बिग्गा	2	12	—	3
3.	राज. चिकित्सा मोमासर	2	13	—	6
4.	राज. चिकित्सा लखासर	1	5	—	2
5.	राज. चिकित्सा तोलियासर	1	5	—	2
6.	राज. चिकित्सा दुलचासर	1	5	—	2
7.	राज. चिकित्सा पुनरासर	1	7	—	5
	योग :-	16	79	—	28

तहसील तारानगर

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत पद चिकित्सा अधिकारी	स्वीकृत पद अन्य	रिक्त पद चिकित्सा अधिकारी	रिक्त पद अन्य
1	2	3	4	5	6
1.	राज. चिकित्सा तारानगर	5	18	2	7
2.	पी. पी. सेन्टर तारानगर	2	—	1	—
3.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तारानगर	1	—	—	—
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र साहवा	2	11	—	2
5.	ग्रा. प. क. केन्द्र साहवा	1	—	—	—
6.	प्रा. स्वा. केन्द्र भालेरी	1	9	—	6
7.	प्रा. स्वा केन्द्र बांय	1	7	—	2
8.	प्रा. स्वा. केन्द्र धीरवास	1	9	—	5
	योग :–	14	54	3	22

तहसील राजगढ़

1	2	3	4	5	6
1.	राजकीय चिकित्सा राजगढ़	5	20	—	8
2.	पी. पी. सेन्टर राजगढ़	2	—	—	—
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र सांखू	2	17	—	—
4.	ग्रा. कल्याण केन्द्र सांखू	1	—	—	—
5.	प्रा. स्वा. केन्द्र मेसली	2	8	—	3
6.	प्रा. स्वा. केन्द्र रामपुराबेरी	1	11	—	7
7.	प्रा. स्वा. केन्द्र घानोठी बड़ी	1	8	—	7
8.	प्रा. स्वा. केन्द्र सिथमुख	1	9	—	2
	योग :–	15	73	—	27

तहसील रतनगढ़

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत पद चिकित्सा अधिकारी	स्वीकृत पद अन्य	रिक्त पद चिकित्सा अधिकारी	रिक्त पद अन्य
1	2	3	4	5	6
1.	सामान्य चिकित्सा रतनगढ	21	84	4	13
2.	पी. पी. सेन्टर, रतनगढ	3	4	—	—
	टी. बी. क्लीनिक, रतनगढ	3	29	—	5
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र एवं ग्राम प. क. के. पडिहारा	3	12	—	4
3.	ग्राम ,, ,, टीडियासर	1	5	—	2
4.	राण. डिस्पे. राजलदेसर	5	6	—	—
5.	राज. डिस्पे. दाऊदसर	1	11	—	1
6.	राज. डिस्पे. बीनादेसर	1	7	—	4
7.	राज. डिस्पे. नोसरियां	2	12	—	4
	योग :–	40	170	4	33

तहसील चूरू

1	2	3	4	5	6
1.	राज. चिकित्सा चुरू	24	37	3	10
2.	सी. एस. सी. व मा. शि क. के. रतन नगर	7	19	—	7
3.	राज. डिस्पे. जांडी	1	5	—	2
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र व ग्रा. प. क. के. दूदवाखारा	2	5	—	2
5.	राज. डिस्पे. लोसनावडा	1	5	—	3
6.	राज. डिस्पे. सोमासी	1	9	—	4
7.	राज. डिस्पे. बीनासर	1	6	—	2
	योग :–	37	93	3	34

मैसर्स सम्राट बोटलर्स भिवाड़ी

895. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स सम्राट बोटलर्स भिवाड़ी को मदिरा देश से बाहर भेजने की अनुमति दी गई ? यदि हां, तो कितनी निर्यात शुल्क पर निर्गमन करने की अनुमति दी है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में आबकारी शुल्क 55/– रुपये प्रति एल. पी. एल. है ? यदि हां, तो सम्राट बोटलर्स भिवाड़ी को 3 रुपये प्रति एल. पी. एल. निर्गमन शुल्क के हिसाब से स्वीकृति क्यों दी गई है तथा राज्य सरकार का जान-बूझ कर आर्थिक हानि उठाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि 55/– रुपये प्रति एल. पी. एल. के हिसाब से आबकारी शुल्क पर स्वीकृति देने के आयुक्त के बार-बार आग्रह के विपरीत भी मात्र 3/– रुपये प्रति एल. पी. एल. के हिसाब से स्वीकृति दी गई है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा लाखों की आर्थिक क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। रुपये 3/– प्रति एल. पी. एल. निर्यात शुल्क वसूल कर संयुक्त अरब अमीरात को भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्यात करने की अनुमति दी गई।

(2) जी हां। भारत निर्मित विदेशी मदिरा का राज्य से बाहर निर्यात किये जाने पर रुपये 3/– प्रति एल. पी. एल. निर्यात शुल्क वसूल करने का राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 28 में प्रावधान है लेकिन भारत निर्मित विदेशी मदिरा को राज्य से बाहर विदेश में निर्यात करने का आबकारी अधिनियम व नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा विदेश में निर्यात करने की स्वीकृति आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करवायी जाकर इस शर्त के साथ दी गई थी कि यदि भविष्य में राज्य सरकार निर्यात शुल्क रुपये 3/– प्रति एल. पी. एल. से अधिक लेने का निर्णय करती है तो फर्म को अन्तर की देय राशि भी चुकानी पड़ेगी। इस बाबत फर्म से एक शपथ पत्र भी लिखवा लिया गया है। परमिट जारी करते समय फर्म के अन्डर टेंकिग भी लिये जाने के निर्देश थे।

इस स्वीकृति से राज्य सरकार को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है क्योंकि यदि फर्म द्वारा राजस्थान राज्य से अन्य राज्य को भी अन्डर बोन्ड मदिरा का निर्यात किया जाता तो भी राज्य को केवल रुपये 3/– प्रति एल. पी. एल. की दर से ही निर्यात शुल्क मिलता।

(2) जी नहीं। आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसा कोई आग्रह नहीं किया गया था।

उपरोक्त वर्णित अनुसार राज्य सरकार को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है।

2-79

...च. ओ. तथा ए. एस. आई ... थाना डूंगर (सवाई माधोपुर) के विरुद्ध शिकायत

896. श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर के एस. एच. ओ. श्री नारायण शर्मा तथा ए. एस. आई. महताब सिंह के खिलाफ एक शिकायत परिवाद पुलिस महानिदेशक, जयपुर के आदेश से गया था, जिसमें फेरियादी रामसिंह मीणा, निवासी निमोद, तहसील बौंली, थाना मलारना डूंगर ने दोनों पुलिस कर्मचारियों पर 4500/- रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था ?

(2) इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई तथा इस जांच में किन-किन गवाहों के बयान लिये गये ? बयान व जांच का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रान्तीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाईगर संस्थान, जयपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को प्रेषित परिवाद जिसमें थानाधिकारी एवं सहायक उप निरीक्षक द्वारा 4500/- रुपये रिश्वत लेने के आरोप लगाये गये थे, की जांच उप अधीक्षक, सवाई माधोपुर से कराई गई। जांच से रिश्वत के आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जालोर जिले के विद्युत ट्रांसफार्मर्स

897. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92 में जालोर जिले में 33 के. वी. ए. एवं 11 के. वी. ए. के सब स्टेशनों में लगे हुए कुल कितने ट्रान्सफार्मर जल गये ?

(2) जलने के कितने दिनों बाद में पुनः लगा दिये गये ?

(3) इनके बार-बार जलने के क्या कारण रहे तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में जालोर जिले में 33 के. वी. ए. के प्रतिस्थापित ट्रांसफार्मर में से 8 एवं 11 के. वी. ए. के प्रतिस्थापित ट्रांसफार्मर्स में से 389 ट्रांसफार्मर्स जले।

(2) उक्त जले हुए ट्रांसफार्मर जलने की तिथि से उपलब्धिनुसार 1 दिवस से $1\frac{1}{2}$ माह की अवधि में बदल दिये गये, सिवाय दो मामलों में जिनमें एक में 4 माह व दूसरे में 8 माह का समय लग गया।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का अनाधिकृत उपयोग करने पर ट्रांसफार्म पर क्षमता से अधिक भार आ जाने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। अतः इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

साहवा सिंचाई व जलोत्थान योजना

898. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) साहवा सिंचाई व जलोत्थान योजना में झुन्झुनूं जिले के कितने गांव शामिल किये गये हैं ? किन-किन गांवों में उक्त योजना द्वारा पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था किये जाने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना शुरू होने से अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है अतः अगली पंचवर्षीय योजना में इसे कायान्वित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से विशेष धनराशि दिये जाने का क्या प्रावधान है ?

(3) क्या यह सही है कि योजना के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है तथा झुन्झुनूं जिले के गांवों की संख्या कम करके चूरू जिले के कुछ और गांवों को लिया जा रहा है ?

उत्तर

...हवा लिफ्ट नहर योजना का ...ी नहर परियोजना विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जा चु... से जर्मन सहायता के अन्तर्गत... एक प्रारूप के अनुसार, आंशिक... चूरू, श्री गंगानगर एवं झुन्झुनू... ग्रामों हेतु पेयजल उपलब्ध कराने... सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है, जिनकी सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(2) जर्मन सहायता से प्रस्तावित उपरोक्त प्रस्ताव का अतरिम प्रारूप तैयार किया गया है तथा इस पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। आठवीं पंच-वर्षीय योजना में इस परियोजना हेतु 30 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान राज्य मद में प्रस्तावित है। भारत सरकार से प्रस्तावित प्रावधान अभी सूचित नहीं है। परियोजना हेतु जर्मन सरकार से वित्तीय सहायता प्रस्तावित है जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है।

(3) योजना विभिन्न चरणों में क्रिया-न्वित की जानी प्रस्तावित है एवं इन चरणों को अन्तिम रूप दिया जाना शेष है। सलाह कर द्वारा बनाये गये मूल प्रारूप प्रस्ताव के स्वरूप में परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

सांचोर (जालौर) के पीर की दरगाह

899. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जालौर के सांचौर तहसील में पीर की दरगाह का रजिस्ट्रेशन

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

हो चुका है व बोर्ड का गठन भी हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि दरगाह पर रखी पेटियों में दान के रूप में प्राप्त पैसा एवं दरगाह में चढ़ाये गहने बोर्ड की सम्पत्ति है।

(3) क्या ऐसी वस्तुओं के उपयोग का अधिकार किसी दरगाह के पुजारी या उसकी देख-रेख करने वाले को नहीं है व सिर्फ प्रसाद के रूप में चढ़ाया, मिष्ठान, फल का ही उपयोग वह कर सकता है ? यदि हां, तो दरगाह पर चढ़ाये जेवर व पैसा पुजारी, वक्फ बोर्ड के सदस्यों को क्यों नहीं देते ?

(4) क्या धर्मादा से प्राप्त पैसा पुजारी के पास रखना अपराध है ? यदि हां, तो वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। दरगाह पीर की जाल, सांचोर वक्फ सम्पत्ति है एवं वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है।

इस दरगाह के इन्तजाम के लिए एक वक्फ कमेटी का गठन भी किया जा चुका है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। दरगाह में चढ़ावे की वस्तुओं, राशि और आय का उपयोग दरगाह के खादिमों, फकीरों आदि की मदद मआश एवं हककुल खिदमत के लिए भी यथा स्थान प्रचलित व्यवस्थाओं, परम्पराओं एवं परिस्थितियों के अनुसार वक्फ बोर्ड की अनुमति से किया जा सकता है।

(4) जी नहीं। वक्फ बोर्ड की अनुमति से राशि खादिमीन, फकीरों के पास भी रखी जा सकती है।

ग्राम विरमसर (श्री डूंगरगढ़) का ट्यूबवैल

900. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ग्राम विरमसर तहसील श्री डूंगरगढ़ का ट्यूबवैल कितने समय से बन्द पड़ा है और इसका कारण क्या है ?

(2) सरकार का इसे कितने समय में ठीक करवाकर इसे चालू करने का विचार है ?

(3) क्या यह ट्यूबवैल एक वर्ष से बन्दा पड़ा है जिसे कई बार अधिकारियों से निवेदन करने के बावजूद आज तक शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित नलकूप में पम्प सैट व पाइप लाइन फंसे होने के कारण यह सितम्बर 1990 से बन्द पड़ा है।

(2) नलकूप को चालू करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। अतः ग्राम में

(282)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वर्तमान में कार्यरत कुएं में जल वृद्धि हेतु बोरिंग किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। नलकूप को चालू करने हेतु अभी तक किये गये प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

रूपवास-राजगढ़ (वैर) सड़क का निर्माण

901. श्री रामप्रसाद लड्ढा (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील वैर से रूपवास रामगढ़ होते हुए कैलादेवी को रास्ता निकलता है और यहां से प्रत्येक वर्ष झील का वाडा देवी के दर्शनार्थ व्यक्ति मेले में इसी मार्ग से गुजरते हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त सड़क को बनवाने का इरादा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग में यात्रियों को जाते समय अनेक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वर्ष 1992-93 के बजट में सड़क निर्माण का प्रावधान रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस मार्ग का निर्माण करना वर्तमान योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सम्भव नहीं हो सकेगा।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। वर्ष 1992-93 में उक्त सड़क का निर्माण करना वर्तमान योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के औषधालय में कार्यरत स्टाफ

902. श्री शिवजीराम (जहाजपुर) एवं **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के औषधालयों में वैद्य और स्टाफ नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहते हैं? यदि हां, तो अब तक कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या ग्रामीण औषधालयों में मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध नहीं रहती हैं? यदि हां, तो कितने ऐसे औषधालय हैं जहां पर औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने की सूचना सरकार के पास है?

(3) इन औषधालयों को पयाप्त मात्रा में औषधियां सरकार कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(4) क्या पर्याप्त मात्रा में औषधियां नहीं होने, वैद्य एवं अन्य स्टाफ अनुपस्थित रहना सरकार की आयुर्वेदिक चिकित्सा

(श्री शिवजीराम)

पद्धति के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है ? यदि हां, तो सरकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए इसमें सुधार के क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के औषधालयों में अनुपस्थित पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण (परिशिष्ट-1) सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) आर्थिक संकोच के कारण सभी औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पाता है । व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है ।

(3) औषधि क्रय, निर्माण व औषधालयों में औषध सप्लाई का कलेन्डर बना कर औषधालयों को नियमित समय पर औषधि सप्लाई वित्तीय संसाधनों के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने का प्रयास रहेगा ।

(4) सरकारी ड्यूटी में समय पर उपस्थित नहीं रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही होना अपेक्षित होता है ।

पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जड़ी बुटियां एवं घटक द्रव्यों के समय से एवं समुचित क्रय हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । निर्माण व सप्लाई के मध्य समुचित तालमेल रखने हेतु वर्षभर का समयबद्ध कलेन्डर निर्धारित किया जा रहा है ।

औषधालयों एवं चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध अधिक सुचारू चलाने की दृष्टि से एक सलाहकार समिति भी बनाई गई है ।

वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपस्थित रहे अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

विवरण	कुल	चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर	अन्य
1	2	3	4	5
वर्ष 1990–91				
दण्डित किये गये				
(क) नियम 16 व 17 में	7	5	2	–
(ख) चेतावनी दी गयी	5	5	–	–
योग दण्डित	12	10	2	–
कार्यवाही चल रही है				
(क) प्राथमिक जांच में	9	7	2	–
(ख) स्पष्टीकरण में	58	38	19	1
(ग) नियम 16 में वृहद दण्ड हेतु	3	2	1	–
(घ) नियम–17 में लघु दण्ड हेतु	6	5	1	–
योग :	76	52	23	1
सर्व योग :	88	62	25	1

1	2	3	4	5
वर्ष 1991–92 (दिनांक 29-2-92 तक)				
दण्डित किये गये				
(क) नियम 16 व 17 में	1	1	–	–
(ख) चेतावनी दी गई	34	26	8	–
योग दंडित :	35	27	8	–
कार्यवाही चल रही है—				
(क) प्राथमिक जांच में	27	20	7	–
(ख) स्पष्टीकरण में	138	85	47	6
(ग) नियम-16 में वृहद दण्ड हेतु	7	–	–	–
(घ) नियम-17 में लघु दण्ड हेतु	10	9	1	–
योग :	182	114	62	6
सर्व योग :	217	141	70	6

थाना विज्ञान नगर (कोटा) में दर्ज ट्रक के फर्जी हस्तानान्तरण का प्रकरण

903. श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) एवं **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पुलिस थाना विज्ञान नगर, कोटा में एक ट्रक आर. पी. एम. 7836 के फर्जी कागजात बनाकर हस्तानान्तरण करने का मामला दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 62/92 दिनांक 13-2-92 धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना विज्ञान नगर, कोटा पर पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण किया जा रहा है। अभियुक्त भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक के दस्तावेज जब्त किये गये। अभियुक्त का हैण्ड राइटिंग परीक्षण करवाया जा रहा है। अन्वेषण जारी है।

खैरवाड़ा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

904. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के शेष रहे 59 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए स्कीम तैयार की जानी थी ? यदि हां, तो अभी तक इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ? अब कब तक स्कीम तैयार कराने का विचार है ?

उत्तर

जी हां। इस क्षेत्र की स्वीकृत चल रही योजना में अभी भी 30 ग्रामों का विद्युतीकरण करना शेष है। अतः क्षेत्र के शेष 69 अस्वीकृत ग्रामों की योजना नहीं बनाई जा सकी। अस्वीकृत 69 ग्रामों की नई योजना स्वीकृत योजना के बचे हुए ग्रामों के विद्युतीकरण की प्रगति के अनुसार बनाई जायेगी।

जिला झालावाड़ में हैण्ड पम्प

905. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1980 से अब तक कितने-कितने हैण्ड पम्प किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में किन-किन ग्रामों, कस्बों, शहरों में लगे ? उनमें कितने वर्तमान में चालू हैं तथा कितने खराब पड़े हुए हैं ? खराब हैण्ड पम्प कब तक ठीक कर दिये जावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भवानी मण्डी क्षेत्र में जनता की सुविधा देखते हुए 15 हैण्ड पम्प की मंजूरी देने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में अभी पूर्ण हुए अठारहवें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के पश्चात् शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 4268 हैण्ड पम्प स्थापित पाये गये हैं जिनमें से वर्तमान में 3514 कार्यरत एवं 754 खराब हैं। इनकी विस्तृत सूची अभी उपलब्ध

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

नहीं है परन्तु पिछले वर्ष सत्रहवें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के पश्चात् 4014 हैण्ड पम्प स्थापित पाये गये थे। जिनकी वांछित सूची संलग्न है।

(2) मामला विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम आंधी (जमवारामगढ़) में रेफरल चिकित्सालय भवन

906. श्री रामेश्वर दयाल यादव (जमवारामगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम आंधी (जमवारामगढ़) में रेफरल अस्पताल है? यदि हां, तो वहां वर्तमान में कितने डाक्टर नियुक्त हैं?

(2) क्या सरकार इस रेफरल अस्पताल का भवन बनाना चाहती है? यदि हां, तो कब तक बना दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। आंधी स्थित रेफरल अस्पताल में 5 डाक्टर के पद हैं एवं पांचों पदों पर डाक्टर नियुक्त/पदस्थापित हैं।

(2) योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ इस पर भी विचार किया जा सकेगा।

होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति

907. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत 2 वर्षों में राजस्थान राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सकों के पदों पर नियुक्तियां 52.50% अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थियों को दे दी गई हैं और 58.75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को नहीं? यदि हां, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके कम प्रतिशत है और नियुक्ति दे दी गई और उससे अधिक अंक वालों को नियुक्ति नहीं दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। यह सही है कि गत 2 वर्षों में नियुक्तियां दी गई थी परन्तु यह सही नहीं है कि 58.75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले की नियुक्ति नहीं दी गई।

नियुक्त व्यक्तियों की प्रतिशत के अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

चयनित जूनियर होम्योपैथिक चिकित्सकों की सूची

क्र. सं.	नाम मय पिता/पति का नाम	प्रतिशत
1.	श्री सुरेन्द्रसिंह तड़ागी पुत्र श्री देवीसिंह तड़ागी	63.51
2.	श्रीमती रेणु बंसल पत्नि श्री सुनील कुमार बंसल	62.03
3.	श्री जयकिशन शर्मा पुत्र रेखाराम शर्मा	61.05
4.	,, दीवान अली पुत्र श्री युसूफ	59.39
5.	,, मनोजकुमार खुराना पुत्र श्री गुरचरनजीत खुराना	57.62
6.	,, रामप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गिर्राज शरण	55.52
7.	,, लालचन्द शर्मा पुत्र श्री कल्याणसहाय शर्मा	54.96
8.	,, राजबहादुरसिंह राठौर पुत्र श्री जालमसिंह राठौर	54.63
9.	,, राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री सोबरन सिंह	54 47
10.	,, दिनेशचन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री जयदत्त पाण्डेय	54.43
11.	,, बजरंगसिंह राठौर पुत्र श्री लादूसिंह राठौर	54.36
12.	,, बनवारीलाल मित्तल पुत्र श्री रामकरण मित्तल	54 24
13.	,, विजय शर्मा पुत्र श्री ईश्वरनारायण शर्मा	54.00
14.	कुमारी राजरानी यादव पुत्री श्री हीरालाल भारतीय	53.01
15.	कुमारी आभा मित्तल पुत्री श्री सुरेश मित्तल	52.94
16.	श्री दलेलसिंह राजावत पुत्र श्री ईश्वरसिंह	52.90
17.	,, नरेन्द्रसिंह राठौर पुत्र श्री तुलसीराम	52.67
18.	,, रविन्द्र वत्स पुत्र श्री पी. एन. वत्स	52.50
19.	,, दीपक श्रीवास्तव पुत्र श्री ब्रजकिशोर श्रीवास्तव	52.48
20.	,, धीरेन्द्रसिंह बंसल पुत्र श्री खेमचन्द्र बंसल	52.37
21.	,, विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा	52.22
22.	कुमारी कमलेश यादव पुत्री श्री हीरालाल भारतीय	52.07
23.	श्री विजयसिंह मीणा पुत्र श्री रामजीलाल मीणा	46 43 अनु. जनजाति
24.	,, श्री प्यारासिंह पुत्र श्री रामसिंह	45.84 अनुसूचितजाति
25.	,, बाबूलाल मीणा पुत्र श्री तुलसीराम मीणा	45.84 ,, ,,
26.	,, सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री रघुवीरसिंह गोठवाल	43.24 ,, ,,

टौंक में सुविधा युक्त बस स्टेण्ड

908. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टौंक जिला मुख्यालय पर निगम का अपना सुविधा युक्त बस स्टेण्ड नहीं है ?

(2) यदि हां, तो बस स्टेण्ड के निर्माण के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और इसका काम कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा, उस पर कितनी राशि व्यय होना अनुमानित है, कब तक पूरा हो जायेगा ? सम्पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत 10–11 वर्षों से टौंक शहर में भूमि अवाप्ति/भूमि आवंटन के प्रयास किये गये हैं जो वर्तमान में भी जारी हैं। भूमि अवाप्ति/भूमि आवंटन के पश्चात् निर्माण निगम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कराया जाना सम्भव होगा। अनुमानित राशि भूमि अवाप्ति/आवंटन से पूर्व बताया जाना सम्भव नहीं है।

विद्युत कनेक्शन्स हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/चयनित परिवारों को प्राथमिकता

909. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जो विद्युत नीति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, सीमांत व लघु कृषक, चयनित परिवार आदि को प्राथमिकता से बिजली कनेक्शन देने के क्या प्रावधान किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त श्रेणी के किसानों को वर्तमान नीति से कनेक्शन लेना आर्थिक विषमता के कारण असम्भव हो गया है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त श्रेणी के कितने व्यक्तियों को कुओं पर बिजली कनेक्शन से लाभान्वित दिनांक 1-3-90 से 31-12-91 तक किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि 5 एम. पी. की मोटर पांच खम्भों की दूरी पर अपने कुएं पर कनेक्शन लगाने हेतु पूर्व में केवल रु. 25/- की राशि जमा करानी होती थी, जबकि वर्तमान नीति के अनुसार करीब रुपये 25025/- जमा कराने पर कनेक्शन मिल पाना सम्भव होगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान घोषित विद्युत नीति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अलग से प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के सीमान्त व लघु कृषक आवेदक जो कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा चयनित किये गये हैं उन्हें उच्च प्राथमिकता पर कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को नियमानुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 में दिसम्बर 1991 तक अनुसूचित जाति के लगभग 1085 कृषि कनेक्शन दिये गये।

(3) जी नहीं। वर्तमान कृषि नीति के अन्तर्गत 5 एच. पी. की मोटर एवं पांच खम्भों की दूरी पर कनेक्शन जारी कराने के लिए कृषक को केवल 2,475/- रु. ही जमा कराने पर कनेक्शन दिया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ट्यूबवैल्स

910. श्री मनोहर सिंह इन्दा (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में करीब 18 ट्यूबवैल्स एक वर्ष से खुदे हुए पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की 54 मील चाबा योजना एक वर्ष से चाबा व भीमसागर से पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है तथा वहां आस-पास पानी खारा है ?

(3) 54 मील से लाल भाखरी तक कितने लिकेज हैं तथा उनको बन्द करने के लिये क्या साधन लगा रखे हैं ? लिकेज कब तक बन्द कर दिये जायेंगे ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) संदर्भित नलकूपों हेतु पम्पिग मशीनरी प्राप्त कर इन्हें वित्तीय वर्ष 1992-93 में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उल्लेखित योजना से ग्राम चाबा को 48 घन्टे में एक बार जल उपलब्ध कराया जा रहा हैं। योजना के अन्तिम छोर पर स्थित नव सृजित राजस्व ग्राम भीमसागर में अनियमित विद्युत आपूर्ति एवं पाइप लाइन में लिकेज होने के कारण पेयजल आपूर्ति सम्भव नहीं हो रही है। इस ग्राम के निकट पानी खारा है।

(3) संदर्भित पाइप लाइन में काफी लिकेज है। इन्हें ठीक किये जाने हेतु आवश्यक सामान उपलब्ध करा दिया गया है तथा इन्हें एक माह की अवधि में ठीक किया जाना लक्षित है।

(4) जी नहीं। लिकेज ठीक किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अटरू क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

911. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एडपोस्ट, डिस्पेन्सरी, सब सेन्टर्स में कहां कहां कब-कब से कितने-कितने पद रिक्त है ?

(श्री मदन दिलावर)

(2) सरकार द्वारा अब उपरोक्त रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट, डिस्पेन्सरी, सब सेन्टर में रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(2) चिकित्सों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर अन्य रिक्त पदों को भरना सम्भव हो सकेगा।

क्र.सं.	संस्था का नाम	पद नाम	संख्या	कब से रिक्त हैं
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र, आढोन	मेल नर्स-II	2	दिनांक की जानकारी की जा रही है।
		लेब टेक्नी.	1	30-8-90
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	30-8-90
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र, मोठपुर	मेलनर्स श्रेणी-II	1	15-11-90
		प्रसाविका	1	15-11-90
		लेब टेक्नी.	1	15-11-90
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	15-11-90
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कवई	मेलनर्स श्रेणी-II	1	दिनांक की जानकारी की जा रही है।
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कुन्जेड़	मेलनर्स श्रेणी-II	2	1-9-91
		प्रसाविका	1	1-9-91
		सेनेटरी इन्सपेक्टर	1	1-9-91
		लेब टेक्नी.	1	1-9-91
5.	सालपुरा एडपोस्ट	मेलनर्स श्रेणी-II	1	दिनांक की जानकारी की जा रही है।

नगरपालिका क्षेत्र सागवाड़ा में सड़क निर्माण

912 श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सागवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष ने विभिन्न मोहल्लों में गत दो वर्षों में सड़क निर्माण की योजनाएं बनाकर निर्माण करवाया है ?

(2) क्या यह सही है कि आदिवासी एवं हरिजन मोहल्लों में सड़कों का निर्माण नहीं करवाकर भेदभाव किया ?

(3) क्या इस प्रकार भेदभावपूर्ण नीति की जांच करवाई गई है ?

(4) यदि हां, तो किसके माध्यम से ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

जयपुर शहर में वाहन दुर्घटनाओं प्रकरण

913. श्री रिछपाल सिंह (डेगान) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 के दौरान जयपुर शहर में वाहन दुर्घटनाओं से कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

(2) दुर्घटनाओं से हुई मौतों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी थी ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान वाहन दुर्घटनाओं में गम्भीर रुप से घायल या अपाहिज कितने लोग हुए ? इनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी थी ? पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वाहन दुर्घटनाओं में वर्ष 1988-89 में 307 व्यक्तियों की वर्ष 1989-90 में 500 व्यक्तियों एवं 1990-91 में 377 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(2) जयपुर शहर में घटित वाहन दुर्घटनाओं में हुई मौतों में 14 वर्ष से कम उम्र के वर्ष 1988-89 में 31, 1989-99 में 38 एवं 199-91 में 43 बच्चों की मृत्यु हुई। सूची परिशिष्ठ "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त तीनों वर्षों में घटित वाहन दुर्घटनाओं में कुछ 1005 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए। अपाहिज हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है गम्भीर रुप से घायल हुए 14 वर्ष से कम उम्र के 80 बच्चे हैं। सूची परिशिष्ठ "ख" सदन की मेज पर दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी समिति बीकानेर द्वारा दुकानों का आवंटन

914. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नवनिर्मित कृषि उपज मण्डी (अनाज) बीकानेर की दुकानों का आवंटन करते समय आवंटन कमेटी के निर्णय के अनुसार औद्योगिक संस्थानों को दुकानों एवं गोदामों का आवंटन द्वितीय चरण में निर्मित होने वाली दुकानों में से करने का निर्णय लिया गया ? क्या दिनांक 9 अप्रेल, 1983 को इस सम्बन्ध में कुछ संस्थानों को इस आशा के पत्र भी जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त संस्थानों को द्वितीय चरण में बनने वाली दुकानों का आवंटन कब तक दिया जावेगा ?

(2) दिनांक 9 अप्रेल 1983 को जिन-जिन औद्योगिक संस्थानों को पत्र दिया है क्या उनके पास अनाज के विक्रय एवं क्रय करने के लाइसेंस भी हैं ? यदि हां तो क्या आवंटन के समय ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी ? दिनांक 9 अप्रेल, 1983 के जारी पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । यह सही नहीं है कि नवनिर्मित मण्डी प्रांगण, बीकानेर की दुकानों के आवंटन के समय आवंटन समिति द्वारा औद्योगिक संस्थानों को दुकानों एवं गोदामों का आवंटन द्वितीय चरण में निर्मित होने वाली दुकानों में से करने का निर्णय लिया गया था । अपितु आवंटन समिति की बैठकों में औद्योगिक संस्थाओं को प्रथम चरण के आवंटन में सम्मिलित नहीं करने का निर्णय लिया गया था । सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर द्वारा दिनांक 9-4-83 को 38 संस्थाओं को पत्र जारी किये गये थे इनमें यह उल्लेख किया था कि द्वितीय चरण में दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता दिया जाना संभव होगा, परन्तु यह आश्वासन आवंटन समिति के निर्णय के अनुरूप नहीं था । आवंटन समिति के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी ।

(2) दिनांक 9-4-83 को जिन औद्योगिक संस्थाओं को पत्र लिखे गये थे उनके पास व्यापारी वर्ग का अनुज्ञापत्र है । दुकानों के आवंटन हेतु वर्ष 1988 में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं एवं अब इन दिशा निर्देशों के अनुरूप वरीयता निर्धारित कर दुकानों का आवंटन किया जावेगा । अतः औद्योगिक संस्थाओं को प्राथमिकता दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । 9-4-83 को जारी पत्रों की प्रतियां (परिशिष्ठ "क") संलग्न है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम सेमारी की पानी की टंकी

915. श्री गमीर लाल मीणा (सराड़ा): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गमीर लाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि सेमारी गांव में निर्मित पानी की टंकी का उपयोग पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा तथा टंकी गिरने की स्थिति में है ? यदि हां तो इस टंकी को कब तक हटाया जायेगा और नहीं, तो भविष्य में हादसा होने की स्थिति में कौन जिम्मेदार रहेगा ?

(2) क्या नई टंकी बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण संदर्भित उच्च जलाशय का उपयोग वर्ष 1987 से नहीं हो रहा है। परन्तु वर्तमान में खाली जलाशय गिरने की स्थिति में नहीं है ऐसी राय जाँच हेतु गठित अभियंताओं की कमेटी ने दी है तथा इसे घटाया जाना अभी प्रस्तावित नहीं है।

(2) जलाशय की क्षति एवं मरम्मत कर पुनः उपयोग में लिये जाने की संभावनाओं की जाँच की जा रही है। नया जलाशय बनाने का निर्णय इस जाँच के पश्चात् लिया जाना संभव होगा।

सामुदायिक विकास केन्द्र गोगुन्दा की व्यवस्था

916. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) :क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गोगुन्दा मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों के लिए आवासीय सुविधा एवं चिकित्सक बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त सामुदायिक केन्द्र के लिए ऐम्बूलेंस की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां कब तक ?

उत्तर

(1) गोगुन्दा में पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत था जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप भवन व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही अतिरिक्त भवन निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

(2) योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही रोगीवाहन की व्यवस्था करना संभव हो सकेगा।

ग्राम हिंगोनिया (फुलेरा) में विद्युत् सब स्टेशन

917. श्री हरिसिंह (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हिंगोनिया, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में 132 के. वी. का विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त विद्युत सब स्टेशन के कार्य की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम हिंगोनिया तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में 132 के. वी. विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति योजना आयोग ने 7 मार्च, 90 को प्रदान की थी।

(2) इस योजना को वर्ष 1991-92 में शुरु किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन वित्तीय साधनों की अनुपलब्धि के कारण शुरू नहीं किया जा सका। अब इस योजना के लिये वर्ष 1992-93 में 200 लाख रू. का प्रावधान है व इसे इसी वर्ष (1992-93) में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

पचाणनपुरा (भीलवाड़ा) की पेयजल योजना

918. श्री भंवरलाल जोशी (माण्डलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह भी सही है कि भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पचाणनपुरा सिंचाई परियोजना के स्रोत से 40 गांवों की कोई 2- करोड़ रुपये की लागत की पेयजल क्षेत्रीय योजना 4 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो इस योजना पर अब तक किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी राशि व्यय होकर कितना-काम पूरा हो चुका है? इसको सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण योजना पर कितना-कितना कार्य होकर कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत समस्याग्रस्त गम्भीर स्थिति के ग्रामों की पेयजल जैसी प्राथमिक आवश्यकता त्वरित उपलब्ध करने की दृष्टि से यह योजना तैयार की गई थी? यदि हां, तो इस योजना को पूरी न होने में क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि 40 ग्रामों में से अब तक एक भी गांव में पानी वितरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो कब तक इस योजना से पानी किस-किस गांव को उप-. हो सकेगा?

(4) क्या सरकार ने इस वर्ष इस योजना के लिए धनराशि का प्रावधान किया है? यदि हां, तो इस वर्ष कितनी राशि स्वीकृति के अनुसार व्यय नहीं होने के क्या कारण हैं?

(5) क्या यह सही है कि विलम्ब होने से इस योजना पर लागत दुगुनी हो गई है? उसके लिए किसका दायित्व है और विलम्ब से व्यय की वृद्धि को सरकार कब और कैसे पूरी कर योजना को क्रियान्वित करने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पचाणनपुरा बांध से संदर्भित विधान सभा क्षेत्र के 42 ग्रामों हेतु 145.95 लाख रूपये की अनुमानित राशि की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना वर्ष 1988 में स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत योजना के विभिन्न कार्यों की अनुमानित राशि एवं किये गये व्यय का विवरण "परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। योजना में ग्रामवार राशि व्यय करने का प्रावधान नहीं है।

296

(श्री भंवरलाल जोशी)

(2) योजना की क्रियान्विति धन उपलब्धतानुसार की जानी लक्षित थी। योजना के पूर्ण होने में विलम्ब वान्छित मात्रा में पाइपों की आपूर्ति न होने एवं ठेकेदारों द्वारा कार्य अधूरे छोड़ दिये जाने के कारण हुआ है।

(3) सन्दर्भित योजना से ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो सका है। परन्तु 5 ग्रामों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नलकूप बनाये जा कर जोड़ दिया गया है। योजना में बन्द पड़े हुए कार्यों को पुनः चालू कराने के प्रयास किये जा रहे है।

(4) वर्ष 1991-92 में उपरोक्त योजना के लिए आवंटित लगभग 5 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(5) योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब होने के कारण लागत वृद्धि का अनुमान योजना पूर्ण होने के पश्चात् लगाया जाना सम्भव होगा। योजना की पूर्ण क्रियान्विति हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

क्षेत्रीय जल योजना पचानपुरा में सम्मिलित कार्यों पर व्यय सम्बन्धित विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (31-3-92) तक (लाखों में)	प्रगति
1	2	3	4	5
1.	इनटेक वैल पचानपुरा बांध पर	2.30	3.33	कार्य प्रगति पर।
2.	स्वच्छ जलाशय क्षमता 3.40 लाख लीटर ग्राम चांदजी की खेड़ी।	2 20	2 08	पूर्ण हो चुका है।
3.	आर.सी.सी. एस. आर. क्षमता 1.46 लाख लीटर ग्राम चांद जी की खेड़ी।	1.60	2.18	पूर्ण हो चुका है।

1	2	3	4	5
4.	आर. सी. सी. एस. आर. क्षमता 0.90 लाख लीटर ग्राम सलावटिया में।	1.08	1.60	पूर्ण हो चुका है।
5.	जी. एल. आर. (भूतल जलाशय) पहाड़ी पर 2.0 लाख लीटर ग्राम गोपालपुरा में।	2.10	1.20	पूर्ण हो चुका है।
6.	भूतल जलाशय सभी 42 ग्रामों में।	6.28	10.02	पूर्ण हो चुका है।
7.	**पाइप लाईन (राईजिंग मेन)**			
	1. इनटेक वैल (पचानपुरा बांध) से स्वच्छ जलाशय (चांदजी की खेड़ी)।			पूर्ण हो चुकी है।
	2. पाइप लाईन स्वच्छ जलाशय से गोपालपुरा (भूतल जलाशय) तक।			पूर्ण हो चुकी है।
	3. स्वच्छ जलाशय से एस. आर. सलावटिया तक।			पूर्ण हो चुकी है।
8.	**वितरण पाइप लाइन**			
	चांदजी की खेड़ी एस. आर. से रसदपुरा आरोली तक।			पाइप उपलब्ध हो चुके हैं जोड़ने एवं बिछाने का कार्य शेष है।
	चांदजी की खेड़ी एस. आर. से कास्या गांव तक।			
	सलावटिया एस. आर. से खड़ीपुर लक्ष्मी निवास बेरी	—	—	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पाइप लाइन

1	2	3	4	5
	साल व कल्याणपुरा तक।			टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। तथा सलावटिया चांदजी की खेड़ी, जोलास ग्रामों में जल वितरण किया जा रहा हैं।
	गोपालपुरा से मालीसाव का खेड़ा।	—	—	पाइप उपलब्ध हो चुके हैं जोड़ने एवं बिछाने का कार्य शेष है।
	उमाजी का खेड़ा व अमर निवास फीडर तक।			
	(राईजिंग मेन एवं वितरण पाइप लाइन पर कुल व्यय)।	81.97	54.23	
9.	सिविल निर्माण कार्य			
	क्वाटर्स पचानपुरा, चांदजी की खेड़ी, सलावटिया ग्राम में चार दीवारी सहित।	8.84	3.71	कार्य प्रगति पर है।
10.	नलकूप खुदवाने का कार्य चांद जी की खेड़ी व इन्द्रपुरा में।	—	0.52	कार्य पूर्ण हो चुका है।
11.	पम्प मशीनरी एवं टी.एन.पी. इत्यादि।	—	—	मेटेरियल उपलब्ध हो चुका है।
12.	पावर कनेक्शन हेतु ट्रांसमीशन लाइन।	6.48	3.99	कार्य पूर्ण हो चुका है।
			82.83	

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़, अलवर में बस डिपो

919. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बस डिपो खोलने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इस निर्णय की क्रियान्विति अब तक क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या जिला अलवर तहसील तिजारा में बस डिपो खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था ? यदि हां, तो बस डिपो खोलने के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य विधान सभा के गत बजट सत्र (मार्च, 1991 में) के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन माननीय यातायात मंत्रीजी द्वारा घोषणा की गई थी कि अगले वित्तीय वर्ष में पाली, नगर, तिजारा, बहरोड़ एवं राजगढ़ में आगार स्थापित किये जायेंगे। इस घोषणा के अनुसरण में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए तिजारा में आगार की स्थापना हेतु मत देने पर दिनांक 1-8-91 को तिजारा डिपो की स्थापना की गई। शेष स्थानों पर आगारों की स्थापना के सम्बन्ध में भूमि आदि के सम्बन्ध में अध्ययन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निगम मण्डल के निर्णय अनुसार एक कमेटी गठित की गई है। उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए अन्य स्थानों पर आगार खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) तिजारा में भी आगार खोले जाने के सम्बन्ध में गत विधान सभा के बजट सत्र में तत्कालीन माननीय यातायात मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी। तत्सम्बन्धी घोषणा के अनुसरण में प्राप्त आश्वासन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

यातायात विभाग
10-3-1991

आश्वासन संख्या/वर्ष : 10/91

विषय	प्रदत्त आश्वासन
1	2
जोधपुर—सोजत मार्ग पर द्रुतगामी बस सेवा विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 49 (17/यातायत मं.) श्री प्रभूराम गरासिया (82) श्री लक्ष्मीनारायण दवे (155)	

के मूल प्रश्न पर चर्चा के दौरान सर्व-श्री लक्ष्मीनारायण दवे व श्री हीरासिंह चौहान द्वारा यह अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने पर कि—

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जोधपुर से वाया राजोता, सोजत होकर बुलाद जो प्राइवेट बस के मालिक जो बसें चलाते हैं, मनमाने तरीके से वह भाड़ा वसूल करते हैं। यह सोजत की सबसे पुरानी सड़क है और मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस रूट पर राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलानी चाहिये ताकि यात्रियों का जिस प्रकार शोषण हो रहा है, यात्रियों को जिस प्रकार की असुविधा हो रही है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, पाली मुख्यालय पर रोडवेज के डिपो बनाने के लिए जमीन भी बहुत पहले

1	2

अलाट कर दी है। निरन्तर हमारी यह मांग रही है कि हमारे जिले में प्राइवेट बसों का साम्राज्य है, मनमाना किराया लेते हैं और मनचाहे चलाते हैं, मनचाहे बंद कर देते हैं।

मैं अध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में सोजत रोड़ से रायपुर बसें चलती थी, पांच बसों को बंद कर दी। बीस ग्राम पंचायतों के लोगों के आने-जाने के लिये वहां कोई साधन नहीं है। इसलिये, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पाली में हमारा डिपो खुल जाता है तो हमारी ग्रामीण सेवाएं हम अपने आप ले लेंगे। आज हमें जोधपुर और ब्यावर पर निर्भर रहना पड़ता है और कोई भी बस नहीं चलाते हैं। इसलिये यहां के जिले के लोगों को यातायात के तौर पर भारी असुविधा होती है इसलिये मेरी मांग है कि आज ही पाली में डिपो खोलने की घोषणा की जाय।

के उत्तर में यातायात मंत्री ने बताया कि—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां स्पष्टीकरण की बात कही इसका सर्वे करवा कर लोड फैक्टर सही बैठा तो राज्य सरकार कहीं भी संकोच नहीं करेगी किसी भी रुट पर राष्ट्रीयकरण करने की। उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा। जहां तक पाली में डिपो खोलने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, निगम इस बात को

1	2
	महसूस करती है कि डेढ़ किलोमीटर हमको बहुत चलना पड़ता है। विचार किया जा रहा है, पाली में डिपो खोलने का विचार सरकार रखती है, विचाराधीन है।
आगे पुनः श्री रामेश्वर दयाल यादव द्वारा यह अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने पर कि— तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिन क्षेत्रों में आई. पी. के. एम. अधिक बैठती है, क्या उन क्षेत्रों में रोड़वेज के डिपो खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है ? इस संदर्भ में यह पूछना चाहूंगा कि चौमूं क्षेत्र की जो रुट्स हैं, आपका आई. पी. के. एम. करीब पांच रुपये बैठता है। चौमूं के क्षेत्र के जितने भी रुट है उनका कहीं भी आई. पी. के. एम. नौ रुपये से लेकर तेरह रुपये के बीच में बैठता है, क्या चौमूं में आपका डिपो खोलने का मानस रखती हैं ?	
के उत्तर में यातायात मंत्री ने पुनः बताया कि—	अध्यक्ष महोदय, पाली के अलावा नगर, तिजारा, बहरोड़, राजगढ़ विचाराधीन जो डिपों हैं उनको भी अगले वित्तीय वर्ष में जैसे ही होगा उनको खोल दिया जायेगा।

सरमथुरा (धौलपुर) में चिकित्सा व्यवस्था

920. **श्री दलजीत सिंह (बाड़ी)** : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरमथुरा जिला धौलपुर में चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर केवल मात्र एक मिनी पी. एच. सी. ही कार्यरत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पी. एच. सी. में एक ही चिकित्सक कार्यरत है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरमथुरा की जनता द्वारा 30 लाख रुपये की लागत का भवन एवं जमीन सरकार को उपलब्ध कराई हुई है ?

(4) क्या सरकार यहां रेफरल हॉस्पिटल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम सरमथुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र दो संस्थाएं स्वीकृत हैं।

(2) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक ही डाक्टर का पद होता है।

(3) श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री सत्यजीत सिंह व श्री रोशनलाल पुत्र श्री रामलाल गर्ग ने 117" × 180" भूमि में निर्मित भवन जिसकी लागत 5 लाख रुपये हैं, दान में विभाग को दिया था।

(4) सरमथुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

थाना लाडनूं में दर्ज प्रकरण संख्या 82/90

921. **श्री मनोहर सिंह (लाडनूं)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुकदमा नम्बर 82/90 पुलिस थाना लाडनूं में कुर्कशुदा माल की चोरी हो जाने बाबत नाम जद रिपोर्ट से दर्ज हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस ने सांठ-गांठ कर मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी जबकि रिकार्ड पर साक्ष्य उपलब्ध है ?

(3) क्या यह भी है कि पूर्व में भी उक्त मामले के तथाकथित अभियुक्त के विरुद्ध कुर्कशुदा खान काटने व माल चुराने की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी तथा इस मामले को भी रफा-दफा कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार, मुकदमा 82/90 की जांच पुनः किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी सी. आई. डी. से जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अपराध सं. 82/90 दर्ज नहीं हुआ था बल्कि तहसीलदार लाडनूं द्वारा कुर्कशुदा भूमि से सर्वश्री पूनाराम, भगवाना,

(गृह मंत्री)

रामचन्द्र, बद्री, शंकर एवं नानू द्वारा अनाधिकृत रूप से पट्टियां खनन कर ले जाने बाबत अपराध सं. 82/91 दिनांक 2-9-91 को धारा 447/379/188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना लाडनूं पर पंजीबद्ध हुआ था।

(2) अन्वेषण के साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अभियोग में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकूआ के अन्तर्गत लगाया गया था।

(3) जी हां, दर्ज हुई। पूर्व में अ. सं. 82/89 धारा 447/379/188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दिनांक 7-7-89 को अनाधिकृत खनन करने के आरोपों पर पंजीबद्ध हुआ था जिसमें अन्वेषण से साक्ष्य नहीं पाये जाने पर अंतिम प्रतिवेदन अदम पता में लगाया जाकर अन्वेषण समाप्त कर दिया गया था।

(4) स्थानीय पुलिस के दो अधिकारियों द्वारा अभियोग सं. 82/91 की जांच की गई है। जांच परिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

जैतारण मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित रायपुर-दीपावास सड़क का डामरीकरण

922 श्री खंगार सिंह (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा के पूर्व बजट सत्र (चतुर्थ) में कृषि मंत्री द्वारा सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि जिले में मण्डी समितियों की आय में से हिस्सा लेकर प्रत्येक जिले का एक कोष बनाया जावेगा ? इस विषय में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या मण्डी समिति के सचिव गण को विधिवत प्रस्ताव भेजने के निर्देश विपणन बोर्ड द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो गलत प्रस्ताव भेजने पर सचिवों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जैतारण मण्डी समिति के डामरीकरण को प्रस्तावित सड़क रायपुर के दीपावास तथा रामगढ़धांग से रेलड़ा व सोजत रोड़ मण्डी समिति की प्रस्तावित सड़क बगड़ी नगर से देवली हुल्ला, मुरडावा से दोनरडी तथा ब्यावर मण्डी समिति की प्रस्तावित सड़कें कोटड़ा से पाली जिला, सीमा, सराधना से प्रतापगढ़ सड़कों के डामरीकरण का कार्य कब प्रारम्भ किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला स्तर पर मण्डी कोष स्थापित करने हेतु राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 में संशोधन प्रावधान के समावेश हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। विपणन बोर्ड के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्रों में सचिवों द्वारा सूचना नहीं भेजे जाने पर, निर्धारित प्रपत्रों में सूचना भेजने के लिये सचिवों को निर्देश दिये जाते हैं। ऐसे मामलों में किसी सचिव के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती। जान-

(कृषि मंत्री)

बूझकर विलम्ब किया जाता है, तभी कार्यवाही की जाती है।

(3) सम्पर्क सड़क रामगढ़चांग से रेलड़ा में से स्वीकृत भाग चांग से रेलड़ा 3 कि. मी. का डामरीकरण किया जा चुका है। सराधना से प्रतापगढ़ सम्पर्क सड़क कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर के मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। शेष सड़कें स्वीकृत नहीं होने के कारण डामरीकरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

गुढ़ामालानी व सिवाना (बाड़मेर) की अनुसूचित जाति/जनजातियों की बस्तियों हेतु पेयजल व्यवस्था

923. **श्री हुक्मीराम मेघवाल** (सिवाना): एवं **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ामालानी): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की तहसील गुढ़ामालानी व सिवाना में नये राजस्व ग्रामों; ढाणियों व अनुसूचित जाति व जन जातियों की बस्तियों के लिये पेयजल योजनायें कब तक बनकर स्वीकृत हो जायेंगी ?

(2) उक्त नये राजस्व ग्रामों, ढाणियों व अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों को कब तक पीने के पानी से लाभान्वित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) संदर्भित तहसीलों में नये राजस्व ग्राम, ढाणियां एवं अनुसूचित जाति-जनजाति की बस्तियां निम्नानुसार हैं :—

तहसील	नये राजस्व ग्राम	ढाणियां	अनु. जाति/जनजाति
गुढ़ामालानी	195	15	36
सिवाना	10	258	23

उपरोक्त में से गुढ़ामालानी तहसील के 25 नये राजस्व ग्राम व 1 ढाणी तथा सिवाना तहसील के 3 नये राजस्व ग्राम एवं 14 अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुढ़ामालानी तहसील के 20 नये राजस्व ग्रामों की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

शेष ग्रामों, ढाणियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में योजनाएं धन उपलब्धता के अनुसार बनाई जाकर स्वीकृत करवाई जावेंगी।

(2) क्रियान्विति धन उपलब्धतानुसार की जानी प्रस्तावित है।

ए तथा बी श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण के नियम

924. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में ए व बी श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए अस्थाई व स्थाई पंजीकरण के क्या नियम हैं ? प्रदेश में किन-किन जिलों में कितने-कितने ए व बी श्रेणी के पंजीकृत

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ठेकेदार हैं तथा अस्थाई पंजीकरण कितने समय तक लागू होता है ?

(2) क्या ए श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीयन में फर्म के अनुभव प्रमाण-पत्र व एक ग्रेजुएट इंजीनियर को अनुबंधित किया जाना नियमानुसार आवश्यक है ? क्या चन्द्र कन्स्ट्रक्शन कं. श्री डूंगरगढ़ (चूरू) को बिना फर्म के अनुभव प्रमाण-पत्र के पंजीकृत कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त आधार पर अन्य ठेकेदारों का भी पंजीकरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि बिना ग्रेजुएट इंजीनियर को अनुबन्ध किये मोहनलाल शर्मा, सादुलपुर का पंजीकरण भी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ।

(4) क्या सरकार पिछड़े जिलों में पंजीकरण का सरलीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 'ए' एवं 'बी' श्रेणी ठेकेदारों के पंजीकरण के नियमों की प्रति संलग्न है । 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के ठेकेदारों का पंजीयन पूरे राजस्थान के लिए होता है, जिलेवार नहीं । 'ए' एवं 'बी' श्रेणी पंजीकृत ठेकेदार की सूची संलग्न है । अस्थाई पंजीकरण 6/12 माह के लिये किया जाता है ।

(2) जी हां । उल्लेखित फर्म को नियमानुसार आवश्यक अनुभव के आधार पर ही 'ए' श्रेणी में पंजीकृत किया गया है ।

(3) ठेकेदारों का पंजीकरण नियमानुसार ही किया जाना सम्भव है । उल्लेखित फर्म का 'ए' श्रेणी में पंजीकरण ग्रेजुएट इंजीनियर लगाने की शर्त सम्बन्धी सन्तुष्टि प्रमाण-पत्र के आधार पर किया गया है । अतः इस विषय में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(4) जी नहीं । वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 1411 का विवरण

कार्यालय नगर परिषद्, बीकानेर

बीकानेर नगर परिषद् के वार्ड नं. 1 से 20, 25, 26, 27, 33, 34, 35 में प्रस्तावित की गई नालियों की सूची

क्र.सं.	वार्ड नं. व मोहल्लों का नाम	अनुमानित लागत राशि	नालियों की लम्बाई (मीटरों में)
1.	वार्ड सं. 1, 2, 3	85,000	600.00
2.	वार्ड नं. 5, 6, 7, 8	1,00,000	700.00
3.	वार्ड नं. 10	20,000	250.00
4.	वार्ड नं. 11, 12, 13, 14	61,000	500.00
5.	वार्ड नं. 8 में मोहनलाल जी बोहरा की गली में नाली निर्माण	30,000	300.00
6.	वार्ड नं. 15, 16, 17 व 19	50,000	550.00
7.	वार्ड नं. 18 लक्ष्मीनाथ जी मन्दिर के पास वाली नाली निर्माण	17,800	70.00
8.	वार्ड नं. 4 व 7 में कुम्हारों का मोहल्ला	18,500	150.00
9.	वार्ड नं. 20	50,000	200.00
10.	वार्ड नं. 9 में पुष्करणा स्कूल के आसपास	17,000	150.00
11.	वार्ड नं. 35 में हरिजन बस्ती में नाली निर्माण	1,00,000	335.00
12.	वार्ड नं 25 में विनोबा बस्ती में नाली निर्माण का कार्य	17,000	200.00

ह०/–
आयुक्त,
नगर परिषद्, बीकानेर

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 की सूची

नगरपालिका, प्रतापगढ़ (राज.)

सूची 45 दूकानें जो नगरपालिका प्रतापगढ़ द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित की गई

1. श्री भागचन्द्र/रामचन्द्र खटीक
2. ,, रामचन्द्र/मोड़ा खटीक
3. ,, परमानन्द/भैंरूलाल धोबी
4. श्रीमती हुड़ी बाई/कनीराम मेघवाल
5. श्री जानकी लाल/मोहन लाल मांड
6. ,, बगदीराम/गबूरजी रैदास
7. ,, घनश्याम/रूस्तम जी हरिजन
8. श्रीमती गुलाब बाई/कालु बलाई
9. श्री माधु लाल/नन्दा मांमी
10. ,, महेन्द्र प्रसाद/उंकार लाल मोची
11. ,, कैलाशचन्द्र/चिमन लाल मोची
12. ,, लक्ष्मीनारायण/कचरमल मोची
13. ,, मुन्ना/नारायण हरिजन
14. ,, राजाराम/ताराचन्द हरिजन
15. ,, आजाद कुमार/गोपी लाल हरिजन
16. ,, सतीश कुमार/बाबु लाल हरिजन
17. ,, देवेन्द्र कुमार/मथुरा लाल सालवी
18. ,, भैंरूलाल/देवीलाल खटीक
19. ,, जगदीश/भैंरा खटीक
20. ,, प्रकाश चन्द्र/रामचन्द्र खटीक
21. ,, राजेश कुमार/गणपत धोबी
22. ,, सौभागमल/लक्ष्मण खटीक
23. ,, ओंकार लाल/चम्पालाल खटीक

24. श्री कालुराम/धन्ना मोची
25. ,, कैलाश/धन्ना मोची
26. ,, गणराज/ओंकारलाल मोची
27. ,, ओंकारलाल/मोतीलाल धोबी
28. ,, श्यामलाल/फकीरचन्द गांछा
29. ,, मोड़ीराम/रामलाल चमार
30. ,, शान्तिलाल/कालुराम मोची
31. ,, बद्रीलाल/भैरूलाल मोची
32. ,, रामचन्द्र/मांगीलाल रैदास
33. ,, रामलाल/पीरू मोची
34. ,, चैनराम/भागीरथ चमार
35. ,, प्यारेलाल/भेरा गांछा
36. ,, प्रकाशचन्द्र/ओंकारलाल धोबी
37. ,, फकीरचन्द/गोतम गांछा
38. ,, भैरूलाल/पुना गांछा
39. ,, भगवानलाल/ताराचन्द मोची
40. ,, रमेशचन्द्र/केशवलाल मोची
41. ,, देवीलाल/रामप्रसाद धोबी
42. ,, मदनलाल/चम्पालाल धोबी
43. ,, बरदीचन्द/चम्पालाल धोबी
44. ,, लाभचन्द/चम्पालाल धोबी
45. ,, राजेश/रामलाल मोची

ह०/–
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका, प्रतापगढ़

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1416 की सूची

कार्यालय नगर पालिका सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी पद	बजट व पेटर्न में स्वीकृत पद जिस पद पर पदोन्नति दी गई। पद रिक्त है/नहीं	पद की योग्यता	धारित योग्यता	वरिष्ठता सूची में क्रम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री मालाराम स. क.	सफाई जमादार स्वीकृत हैं।	5 साल का सफाई कर्मचारी का अनुभव	17 साल का सफाई कर्मचारी का कार्यानुभव	प्रथम	25-9-91
2.	श्री मानाराम सब नाकेदार	नाकेदार पद स्वीकृत है।	मिडिल पास	सब नाकेदार के पद का 15 वर्ष का अनुभव	प्रथम	21-1-92
3.	श्री प्रताप राम सब नाकेदार	नाकेदार पद स्वीकृत है।		मैट्रिक पास 14 वर्ष का अनुभव	प्रथम	3-12-91

ह०/–
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका, सुमेरपुर

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1418 की सूची

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष 1991–92 में लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	बस्ती का नाम	स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या
	अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियां				
1.	करंजी	210	खोपाड़ा	1	1
2.	थापड़ा	74	वाला/परयेंग	2	2
3.	मडकोला	56	चलीया/नारजी	1	1
	मजरा/ढाणी				
4.	अरथूना	144	बटवाड़ा	2	2
5.	चांदरवाड़ा	27	बोरतलाई	2	2
6.	लंकाई	224	उपलापाड़ा	1	1
7.	सेवना	209	आंगन बाड़ी केन्द्र	1	1
			योग :	10	10

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1419 का विवरण

तीस जिले तीस काम के अन्तर्गत जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृति राशि (रुपये लाखों में)		31-3-92 तक व्यय (रुपये लाखों में)	कार्य के प्रगति का विवरण	विशेष विवरण
		स्वीकृति अक्टूबर, 1991 को	स्वीकृति फरवरी, 1992 को			
1	2	3	4	5	6	7
1.	इटुहडा पहाड़ी पर जलाशय (100 लाख लीटर) का निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य	2.00	1.00	1,00	कार्य पूर्ण किया जा चुका है।	

1	2	3	4	5	6	7
2.	अमरवासी में उच्च जलाशय (60,000 लीटर क्षमता) का निर्माण एवं पाइप लाइन का कार्य	2.00	2.00	1.22	उच्च जलाशय के टॉप डोम का कार्य प्रगति पर है तथा पाइप लाइन के क्रय एवं बिछाने के आदेश दिये जा चुके हैं।	
3.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना रोपां का स्रोत सुधार	0.60	0.60	0.10	कुएं की ध्वस्त चिनाई का कार्य प्रगति पर है।	
4.	जल योजना रोपां (अरवेपुरा) का पाइप लाइन का कार्य	0.50	0.50	—	कार्य आरम्भ किया जाना शेष है।	पूर्व में मांग के अनुसार स्वीकृत राशि के अन्तर्गत इस कार्य को पूर्ण किया सम्भव नहीं है। संशोधित अनुमान लागत 2.50 लाख रुपये जिला कलक्टर को प्रेषित किया जा चुका है व स्वीकृति प्राप्त होनी शेष है।

1	2		3		4 5	6
5.	जल योजना बिलेठा का स्रोत सुधार कार्य	0.20	0.20	—	कार्य प्रारम्भ किया जाना शेष है।	
6.	जालमपुरा में भूतल जलाशय का निर्माण एवं पम्प सैट तथा पाइप लाइन का कार्य	0.70	1.35	—	भूतल जलाशय के निर्माण के कार्यादेश 21-2-92 को दे दिये गये हैं।	संशोधन स्वीकृति राशि 1.35 लाख को जिला कलक्टर से 26-2-92 को ही प्राप्त हुई।
	कुल राशि (लाखों रुपये)	6.00	5.65	2.32		

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1421 का विवरण

प्रतवर्ष दी जाने वाली दवाइयों का मापदण्ड

प्रा. स्वा. केन्द्र		12000/–प्रति वर्ष
		2000/–प्रति वर्ष प्रत्येक उपकेन्द्र को।
राजकीय चिकित्सालय/ डिस्पेन्सरी	1—बिना शैयाओं वाली	8000/–प्रति वर्ष
	2—10 से कम शैयाओं	10,000/–प्रति वर्ष
	3—10 अधिक शैयाओं वाले चिकित्सालय।	1200/–प्रति शैया प्रति वर्ष
		1.50 रु. प्रति वाह्य रोगी प्रतिदिन दवा आदि के लिये
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र		7750/–प्रति वर्ष।

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1422 की सूची

जहरीली दवा पीने, जलने, आत्म हत्या के प्रयत्न के कारण भर्ती एवं मृत्यु

वर्ष	जिला मुख्यालय अस्पताल		जिले के अन्य अस्पताल	
	भर्ती	मृत्यु	भर्ती	मृत्यु
1987	13	6	175	40
1988	49	26	147	30
1989	48	33	203	30
1990	48	26	225	51
1991	47	23	168	41

दुर्घटना से घायल मरीज

वर्ष	जिला मुख्यालय अस्पताल		जिले के अन्य अस्पताल	
	भर्ती	मृत्यु	भर्ती	मृत्यु
1987	757	102	255	19
1988	602	96	226	15
1989	692	90	270	22
1990	604	83	230	16
1991	572	53	307	27

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1423 की सूची

नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	डॉक्टर डिस्पेन्सरी	उच्चीकृत उपकेन्द्र
कोटा	1. सागोद 2 सुल्तानपुर	1. अरनखेडा 2. मानसगांव 3. बर्डौद 4. सिमललिया, 5. खेडारूदा 6. अयाना 7. कनवास	1. महावीरनगर, कोटा 2. तलवन्डी कोटा	1. सावनभादो 2. कमोलर 3. रानपुर 4. किशनपुरा ठकीया 5. निमोदा 6. कोटसुवा 7. खेडली तवराग 8. पडासल्या 9. सहरावदा 10. पिपाखेडी
बारां	1. अन्ता 2. किशनगंज 3. छिपाबडोद	1. पचेलकला 2 पलायथा 3. कस्वाथाना 4. सेतूकोलू 5. मोठपुर 6. पाली 7. बोहत 8. कोयला 9. अटोन 10. कबई 11. घट्टा घट्टी	×	1. बडोरा 2. कुन्डी 3. बडा 4. बोरदा 5. सिमली 6. सेमलीफाटक 7. बामनगांव 8. जलवाडा 9. रेलावन 10. रामगढ 11. रायथल 12. सोरसन 13. जसनगर 14. गगचनस
झालावाड	1. डग	1. पनवाड 2. झावर 3. मालता 4. हरीगढ 5. उन्हेल (नागेश्वर) 6. चोमहला 7. सरडा 8. घाटोली 9. मन्डावर		1. आमेठा 2. करलागांव 3. मोगरा 4. दिवलखेडा 5. सिमलिया 6. छछलाव

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1030 की सूचियां

श्री आर. के. मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता को फर्नीचर स्टोर से जारी किये गये सामान की सूची ।

1.	सिंगल बैड	एक
2.	पेग टेबिल साईज 18" × 15"	चार
3.	राईटिंग टेबल 3-6" × 2	एक
4.	वुडन अलमीरा (मीट सेफ) 64" × 42" × 24	एक
5.	सोफा सेट इन 3 पीस केन्ड आर्मड	एक
6.	स्टील ट्यूबलर बेड विथ निवार	दो
7.	सेन्ट्रल टेबिल 3" × 1–6"	एक
8.	डाइनिंग टेबिल 5" × 3" × 2--6"	एक
9.	डाइनिंग चेयर आर्मलेस	पांच
10.	डायनिंग चेयर आर्मलेस	एक

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1431 की सूची

	सड़क का नाम	व्यय राशि (लाखों में)
1.	सम्पर्क सड़क माना की बाडी से सूरसागर	1.32
2.	,, रूणवतों के बास से सूरसागर	0.19
3.	,, आर्य समाज सूरसागर से मोती जी का मकान	0.27
4.	,, भाकरा बास सूरसागर से अदाजी का मकान	1.27
5.	,, गणेश पुरी कॉलोनी	1.95
6.	,, बासनी गांव	2.15
7.	,, शान्तिप्रिय कॉलोनी कमला नेहरू नगर	0.72
8.	,, सम्पर्क सड़क रावतों का बास	0.35
9.	,, मरावतों की गली जालप मौहल्ला	0.33
10.	,, निहारियों की मस्जिद से कबूतरों का चोक पोस्ट ऑफिस गली	0.51
11.	,, सर्राफा बाजार से भजन चौकी	
12.	भीमजी की हथाई बनिया बाड़ा कटकल	0.65
13.	,, कबूतरों का चौक से गंगाराम की गली	0.05
14.	,, उम्मेद चौक से पुरवियों का बास साइड गलियां	2.53
15.	,, मालियों की गली मोती चौक खापटा	0.12
16.	,, डबगरों का कुआँ से कटला बाजार साइड गलिया	0.40
17.	,, दफ्तरियों का बास मोती चॉक से त्रिपोलिया	0.49
18.	,, ठठारों की गली	0.11
19.	,, सम्पर्क सड़क अचलनाथ जी का मन्दिर	0.06
20.	,, ,, ,, सादों की गली	0.11

320

1	2 3	4
21.	सम्पर्क सड़क सोजती गेट बाटा दुकान से नई सड़क	0.22
22.	सम्पर्क सड़क चारभुजा से थलियों का बास	0.31
23.	,, चांदपोल चौका से चांदपोल गेट	1.29
24.	,, दरगाह से पदमसर	0.38
25.	,, सोनारों की घाटी से राधा वल्लभ जी का मन्दिर से श्याम सदन गांधी गली के पीछे	0.39
26.	जूनी धान मंडी से क्षेत्रपाल चबूतरा मंशी की हवेली, कायरयों की घाटी नवचौकिया	2.99
27.	ओसवाल स्थायी नोहरा से हरडियों का चौक वाया इशाखिया स्कूल मोदियों की गली एवं साइड गलिया	0.48
28.	पेवर कार्य पर जोब सं. 8 में किए अधिक कार्य समायोजन	2.12
	योग:–	21.75

321 587 360

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1443 की सूची

RAJASTHAN AGRICULTURE UNIVERSITY : BIKANER

Advt. No. 3/91 Date : 4.19.1991

ESSENTIAL QUALIFICATION

1. **PROFESSOR**

An eminent scholar with published work of high quality actively engaged in research. About Ten years experience of teaching and/or research out of which minimum of about five years experience should be in the rank of Associate Professor or in an iquivalent position. Experience of guiding research at doctoral level.

2. **ASSOCIATE PROFESSOR**

Good academic research with a Doctoral Degree or equival'ent published work. Evidance of being actively engaged in (i) Research (ii) Extension or (iii) Invovation in teaching methods or (iv) Production of teaching materials. About five years experience of teaching research & or extension provided that atleast three of these years were as Assistant Professor or in an equivalenta position.

This condition may be relexed in the case of candidates with out-standing record of Teaching/Research/Extension.

EXPLANATION :

For determining Good academic record", the following criteria shall be adopted:—

(i) A candidate holding a Ph. D. Degree should possess atleast a cecond class Master's Degree ;

(ii) A candidate without a Ph. D. Degree should possass a high Second Class (55% marks or an equivalent OGPA) Master's Degree and Second Class in the Bachelor's Degree or ;

(iii) A candidate not possessing Ph. D. Degree but possessing Second class Master's Degree should have Class in the achelor's Degrre.

3. **ASSISTANT PROFESSOR**

(a) Good academic record with high second class (55% marks or an ebuivalent OGPA) B. Sc. (Ag.)/B. V. Sc. & A. H./B. Sc. (H. Sc.)/B. Sc. (D. T.)/B. Sc. (B. Sc. for Bio-chemistry, Plant Physiology, Fishries & Limnology, Nematology, Soil Physic, only) followed by atleast High Second Class Master's dagree in the relevant subject from an Indian University or equivalent de8ree from the foreign University.

Having regard to the need for developing inter disciplinary programme the degree should be in relevant subject or specialization :

(i) Desirable : A doctorate degree or research work of equal high standard.

Provided that if the selection committee is of the view that the research work of a candidate as evident either from his thesis from his published as qualifications prescribed in (a) above.

EXPLANATION

For determining % "Good Academic record" the following criteria shall be adopted.

(i) A candidate holding a Ph. D. degree should possess atleast a Second Class Master's degree or :

(ii) A candidate without a Ph. D. degree should possess a high Second Class Master's Degree and second class in the Bachelor's Degree or

(iii) A candidate without a Ph. D. degree but possessing second class master's Degree should have obtained First class in the Bachelor's degree.

ASSISTANT PROFESSOR (AGROFORESTRY)

Master's degree in Agrofo estry/Forestry followed by Ph. D. Degree of M. Sc. Agril. With research/teaching experience of five year in Agroforestry.

FADULTY OF AGRICULTURE ENGINCCRING

1. **ASSOCIATC PROFCSSOR**

Candidate should have good Second Class in B. E. & M. E. level with a minimum of Five Years experience in teaching/research/extension out of which three years should be in the rank of Asstt. Professor of equivalent position.

2. **ASSISTAMT PROFBSSOR**

Candidate having B. E. degree in the relevant subject in Frist Division.

Candidate having Second Class B. E. degree followed by Second Class M. E. may also be consdered for the post of Asstt. Professor.

ASSISNANT LIBRBRIBN :

First or Second Class B. E./B. Sc./B. Com./Degree and first or second class M. Lib. Sc. Degree or second class

M. A./M. Sc./M. Com, degree and first/second class B. Lib. Sc. or a diploma in Library Science.

SUPERIDTENDENT PHYSICAL EDUCATION

Post-graduate or degree in Physical Education plus 5 year. experience as phyeiol Training Instructors in Degree Collage.

OR

Master's degree in Physical Education plus 5 years experience as phycioal Training Instructor in Degree Collage.

VSSESTANT ENGINEER

B. E. (Civil) or qualification decleared equivalent by the State Government with three years service as Engincening subordinate (Civil) or if diploma holder (Civil) from a recoagnised Institution with 10 years requisite eaperience as Fngineering subordinate (civil) or Matriculation with 15 years requisite experience as Fngineering subordinate (Civil)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1457 की सूची व प्रति

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	नियुक्ति स्थान	विवरण
1	2	3	4
1.	श्री सुनील गोस्वामी, क. लि.	राज्य सैनिक बोर्ड	सामान्य प्रशासन विभाग से नियुक्ति से पूर्व अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया।
2.	श्री छाजु लाल शर्मा, च. श्रे. कर्म.	,, ,,	न्यायालय के निर्णयानुसार प्रकरण विचाराधीन है।
3.	श्री मुराद अली, च. श्रे. कर्म	जि. सै. बो. अजमेर	सामान्य प्रशासन विभाग से नियुक्ति से पूर्व अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया।
4.	श्री मोहम्मद याकूब, च. श्रे कर्म.	जि. सै. बो. चुरू	,,
5.	श्री रामसिंह कल्याण, संगठक	जि. सै. बो., जोधपुर	,,

PROCEEDING OF THE XXTH MEETING OF THE STATE MANAGEMENT COMMITTEE OF THE AMALGAMATED FUND FOR THE BENEFIT OF EX-SERVICEMEN HELD ON 27TH JUNE, 1991 AT RAJASTHAN.

Item No. 1 to 8

Item No. 9

CREATION OF NEW POSTS OF SAINIK VISHRAM GRAHS

The proposal was discussed and approved with the conditions that the ex-servicemen employed should not be able to claim permanancy and he should be financially poor condition and unemployed.

Item No. 10

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1458 की प्रति

सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें निम्नानुसार है :—

1. नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी। संविदा समय जो कि 3 वर्ष का होगा, के उपरान्त वर्ष बार-बार समय-समय पर तब तक वृद्धि की जा सकेगी जब तक कि अधिकारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त न करले या उक्त पद पर संविदा की अन्य शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा काल जो भी पूर्वतर हो, पूर्ण न करले तथा उसकी सेवायें सन्तोषप्रद हो, उसके बाद उसे सेवा में नहीं रखा जायेगा।

2. चयनित होने के उपरान्त नियुक्त व्यक्ति का मासिक वेतन भारत सरकार की सैन्य सेवा से निवृत्ति से पूर्व प्राप्त वेतन में 300/– रुपये जोड़कर पेंशन, यदि भारत सरकार द्वारा देय हो एडहाक/रिलीफ व डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन को इसमें से कम कर निर्धारित किया जायेगा। यह राज्य सरकार के नियमानुसार मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा।

3. प्रथम तथा नियुक्ति एक वर्ष के परिवीक्षा काल के लिये होगी और परिवीक्षा काल के दौरान अधिकारी की सेवायें सन्तोषजनक न होने पर बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती है।

4. संविदा काल में यदि राज्य सरकार यह पाये कि अधिकारी अपने पद का कुशलता पूर्वक कार्य करने योग्य नहीं है तो तीन माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

5. चयनित व्यक्ति मकान किराया और यात्रा भत्ता राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत लेने का पात्र होगा।

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 372 की सूची

अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी आशुलिपिक ग्रेड I व II की स्वीकृत, कार्यरत स्थायी और अस्थायी पदों की विवरण तालिका

क्र.सं.	नाम जिला व न्याय क्षेत्र	स्वीकृत		कार्यरत		स्थायी		अस्थायी	
		ग्रेड-I	ग्रेड-II	ग्रेड-I	ग्रेड-II	ग्रेड-I	ग्रेड-II	ग्रेड-I	ग्रेड-II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	4	24	4	24	–	–	4	24
2.	अलवर	5	20	4	19	–	–	4	19
3.	बालोतरा	1	1	1	6	–	–	2	6
4.	बांसवाड़ा	–	9	–	9	–	5	–	3
5.	बांरा	3	10	1	5	–	–	1	3
6.	भरतपुर	3	13	3	12	–	–	3	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	भीलवाड़ा	2	14	2	14	–	6	2	8
8.	बीकानेर	2	10	2	10	–	5	2	5
9.	बूंदी	1	9	1	3	–	–	1	3
10.	चूरू	3	9	3	9	2	–	1	9
11.	दौसा	1	7	1	5	–	–	1	3
12.	धौलपुर	3	7	3	6	1	–	2	6
13.	डूंगरपुर	1	4	–	3	–	1	1	2
14.	श्रीगंगानगर	7	21	7	19	1	1	5	18
15.	जयपुर सिटी	7	34	7	34	–	–	7	34
16.	जयपुर, जिला	7	19	2	14	–	–	2	14
17.	जालौर	1	5	1	2	–	–	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	जैसलमेर	1	2	1	1	–	–	1	1
19.	झालावाड़	2	7	2	7	–	–	2	7
20.	झुन्झुनूं	–	8	–	8	–	1	–	7
21.	जोधपुर	4	19	4	19	–	–	4	19
22.	कोटा	4	20	3	15	–	1	3	14
23.	मेड़ता	1	15	1	15	–	–	1	15
24.	पाली	2	14	2	10	–	–	2	10
25.	प्रतापगढ़	1	14	3	9	–	–	3	9
26.	राजसमंद	1	8	1	8	–	–	1	8
27.	सवाई माधोपुर	4	15	4	15	1	–	3	15
28.	सीकर	3	10	2	10	–	–	2	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	सिरोही	1	7	–	5	–	–	–	5
30.	टौंक	1	7	1	7	1	–	–	7
31.	उदयपुर	3	22	–	20	–	–	–	20
	योग :	82	389	67	340	6	20	61	320

परिशिष्ट–17

सदन में पढ़े हुए माने गये नियम 295 के प्रस्ताव

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) :

अजमेर जिले के सबसे बड़े अस्पताल जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय दिन प्रति दिन अव्यवस्थाओं के कारण काफी चर्चित होता जा रहा है। सरकार द्वारा रोग निदान हेतु कई प्रकार के अत्यन्त उपयोगी आधुनिक उपकरण उपलब्ध करा रखें हैं। उनमें बहुत से उपकरण साधारण तकनीकी कारण से खराब हो गये हैं या खराब कर दिए गए हैं अथवा नकारा पड़े हैं।

अजमेर चिकित्सालय में डायलेसिस मशीन, ट्रेड मिल मशीन, डेन्टल एक्सरे मशीन, मिनी इवेचर मशीन, सोनोग्राफी मशीन आदि खराब पड़ी हैं, इनके कारण रोगियों को काफी परेशानी हो रही है अब उन्हें अपनी जांच कराने हेतु प्राइवेट क्लिनिकों पर जाना पड़ता है। जहां उनसे मनमाने तौर पर ऊंची रकम ली जा रही है। यह कार्य चिकित्सालय प्रशासन व प्राइवेट क्लिनिकों की मिली भगत से हो रहा है। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि चिकित्सालय में स्थापित इमेज इन्टेसिफायर, ग्लूकोज प्लांट, कम्प्यूटराइज को जोरी मीटर, ई. ई. जी. मशीन आदि करोड़ों रुपये के बेकार पड़े उपकरण चिकित्सालय प्रशासन की अकर्मणयता व उदासीनता को जग जाहिर कर रहे हैं।

इसी प्रकार इस चिकित्सालय परिसर में पेयजल हेतु 10 कूलर लगे हुए हैं इनमें से आठ खराब पड़े हुए हैं। रोगियों को ऊपर-नीचे लाने, ले जाने की लिफ्ट भी काफी समय से खराब पड़ी है। यही नहीं इनसेंटिव केयर वार्ड का एयर कंडीशन का यन्त्र भी लम्बे समय से काम नहीं आ रहा है।

उक्त सभी अव्यवस्थाओं से रोगियों को काफी कष्ट व नुकसान हो रहा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे अयोग्य, हास्पिटल प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन करें, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिये चिकित्सा उपकरणों के रख-रखाव हेतु बायोइन्जीनियरिंग विभाग की स्थापना करावें, जिससे कि खराब पड़े उपकरणों को प्रशिक्षित इन्जीनियरों व कर्मचारियों द्वारा समय पर भली-भांति ठीक किया जा सके तथा उत्पन्न अव्यवस्था को सुधारा जा सके।

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

मैं आशा करता हूं कि आप उक्त विभाग खोलकर करोड़ों रुपयों के उपकरणों का सही रख-रखाव कराकर उन्हें समय पर से पूर्व नकारा होने से बचा लेंगे। वर्तमान में अप्रशिक्षिकों द्वारा उपकरण ठीक कराये जाते हैं इससे उपकरण ठीक होने के बजाय और अधिक खराब हो जाते हैं जिससे राज्य सरकार को बिना वजह आर्थिक हानि होती है।

सरकार उक्त सुझाव पर क्या विचार रखती है, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

कोटा, जोधपुर एवं जयपुर में कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण कर दुकानें, आवास, आवासीय कालोनियों का निर्माण एवं पत्थर के स्टाक बोडीयों लगाने से मुस्लिम बन्धुओं के सामने अजीब स्थिति पैदा हो गई है। किसी परिवार में स्वर्गवासी होने पर परिवार के दुःखी सदस्य मृत शरीर को दफनाने के लिए लेकर घूमते रहते हैं। परन्तु अतिक्रमण की वजह से कब्रिस्तानों में दफनाते हेतु जगह नहीं मिलती फिर वह दुःखी परिवार सार्वजनिक उद्यान व अन्य सरकारी जमीन व व्यक्तिगत जमीन पर दफनाता है। इससे दो समुदायों के बीच वैमनस्यता पैदा होने की सम्भावना रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तानों पर असामाजिक तत्व, भूमिखोर-कब्जे कर करोड़ों की जमीन हथिया रहे हैं। कोटा में सोफिया स्कूल के पास कब्रिस्तान पर पत्थरों के स्टाक, मकान, दुकानें तथा चम्बल गार्डन के पास दुकानों का निर्माण, आवासीय कालोनी का निर्माण, करबला, घन्टाघर के पीछे मकानों को निर्माण कर लिया गया। इसी प्रकार जोधपुर, जालौर और जयपुर के कब्रिस्तान में भी मकानों का निर्माण कर लिया गया है।

यह अरबों रुपये की जमीन हड़पने का एक समुदाय का योजनाबद्ध तरीके से षड़यन्त्र है। यह लोग षड़यन्त्र पूर्वक कब्रिस्तानों के बाहर दफनाकर दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ती जा

(334) 6604

(श्री मदन दिलावर)

रही है। जिन्हें रहने के लिए लोगों को जमीन नहीं मिल पा रही। लोग सड़कों पर पड़े हैं। एक मकान में चार-चार परिवार रहते हैं। दूसरी तरफ कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण करने पर जगह नहीं रहती। यदि कब्रिस्तानों से यह अतिक्रमण नहीं हटाया गया एवं इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। अतः इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जावे। अतिशीघ्र अतिक्रमण तुड़वाकर कब्रिस्तानों हेतु ही उसका उपयोग करें, तथा कब्रिस्तान का पूर्ण रूपेण सदुपयोग नहीं किया जाये। वहां तक आगे कब्रिस्तान हेतु जमीन आवंटित नहीं की जावें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सहायक अभियन्ता कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में तुरन्त प्राथमिक योजना के तहत, जब से यह योजना लागू हुई तब से कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये, कितने व्यक्तियों के डिमाण्ड नोटिस जमा हो गये व कितने व्यक्तियों के कनेक्शन कर दिये गये व कितने कनेक्शन बकाया है। उन्होंने जिनके कनेक्शन हो गये उनसे पहले डिमाण्ड नोटिस जमा करवाये थे, परन्तु उनकी प्राथमिकता तोड़कर कनेक्शन दे दिये गये और अब ट्रांसफार्मर का अभाव बताकर कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। जिससे काश्तकार बहुत परेशान हैं व एक पोल व दो पोल के कनेक्शन वाले काश्तकार को भी कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान हैं। सामान्य कनेक्शन जो प्राथमिकता के आधार पर दिये जाते हैं जो राज्य सरकार के नियमों में आने वाले कनेक्शन हैं, इन काश्तकारों को भी लाइन पर लोड ज्यादा होना बताकर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उक्त सभी मामलों में काश्तकारों को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे, बताने की कृपा करें।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) :

राज्य सरकार में प्रतिनियुक्तियों के पदों पर रोक लगाने व प्रतिनियुक्ति पदों को निरन्तर कर देने की घोषणाएं माननीय चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार करते आये हैं फिर भी चिकित्सा विभाग में प्रतिनियुक्तियां की जा रही है जैसे

(श्री बिरधाराम चौधरी)

सीनियर मेडिकल आफिसर के चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर या विरुद्ध (Aganist the Post) लगा रखे हैं जैसे उदाहरण के तौर पर डाक्टर मोहन धारीवाल सी. एम. एण्ड एच. ओ. डूंगरपुर तथा डाक्टर विजय कुमार विरा सी. एम. एण्ड एच. ओ. बांसवाड़ा के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं तो क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु चिकित्सा विभाग के पास वांछित योग्यता रखने वाले Super time Scale के चिकित्सक नहीं है और अगर Supertime scale के चिकित्सकों को अन्य जगह देकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद ऐसे कनिष्ठ लोगों अर्थात एस. एस. ओ. को लगाना जो वांछित योग्यता भी नहीं रखने का क्या औचित्य हैं, जबकि ऐसा करने से Supertime वालों को मानसिक आघात पहुंचता है। इसी प्रकार राज्य के करीब-करीब सभी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) के पद पर डिप्लोमा स्वास्थ्य या एस. एम. ओ. (एम. बी. बी. एस.) को लगाया गया है, परन्तु कार्यविधि से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ या शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल रोग विशेषज्ञ या फिर जनरल सर्जन जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रायः नसबन्दी करते हैं ऐसे विशेषज्ञों को ही क्यों नहीं लगाया जाता जो इसी कार्य के विशेषज्ञ है फिर डी. पी. एच. को इस पद पर लगाने का क्या औचित्य है जबकि उनके Subjeet के लिए अलग से उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) है या फिर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी "मलेरिया" का पद है या फिर Universal in munisation Programe of ficel का जिला मुख्यालय पर पद है।

क्योंकि सम्बन्धित विशेषज्ञ को उसके विषय के हिसाब से ही पद नियुक्त की जाती है अगर डाक्टर M. S. (Ophltirmodogy) में है तो उसे नेत्र विशेषज्ञ ही बनाया जाता है, इसी प्रकार यदि एम. एस. जनरल सर्जन है तो उसे संर्जरी में ही लगाया जाता है एम. डी. मेडिसीन है तो उसे मेडिसीन विभाग में ही लगाया जाता है तो फिर डी. पी. एच. को मात्र स्वास्थ्य, मलेरिया, immuvisaluin विभाग में क्यों नहीं ? न कि परिवार कल्याण में ?

इसी प्रकार डिप्लोमा प्राप्त विशेषज्ञों को राज्य लोक सेवा आयोग तथा राज्य सरकार पदोन्नति हेतु सिर्फ कनिष्ठ विशेषज्ञ तक ही पदोन्नति देती हैं फिर आगे की पदोन्नति के लिए डिग्री (Post Graduali) होना जरूरी है तो स्पष्ट नहीं

(श्री बिरधाराम चौधरी)

है कि फिर डिप्लोमा पब्लिक हैल्थ (डी. पी. एच.) डाक्टरों को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) एस. एम. ओ. समकक्ष (कनिष्ठ विशेषज्ञ) के ऊपर किस आधार पर प्रमोशन दिये जाते हैं जैसे कि सी. एम. एण्ड एच. ओ. डिप्टी डाइरेक्टर, ज्वाइंट डाइरेक्टर, ऐडिशनल डाइरेक्टर, जो फिर मात्र डिप्लोमा की योग्यता ही रखते हैं और ये सभी पद सुपर टाइम स्केल या वरिष्ठ विशेषज्ञ बनने के बाद ही प्राप्त किये जा सकते हैं और वरिष्ठ विशेषज्ञ के लिए सम्बन्धित विषय में डिग्री अनिवार्य है उदाहरण के लिए डाक्टर गोविन्द सिंह Add. Director तथा Dr. P. C. Swami, Joint Director के पद पर कार्य कर रहे हैं जो सिर्फ डिप्लोमा की योग्यता ही रखते हैं जबकि अन्य विषय के डिग्री किये हुए वरिष्ठतर क्रम में उनसे ऊपर डाक्टर मात्र चिकित्साधिकारी या फिर मेडिकल आफिसर या कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर ही कार्यरत है तो क्यों ?

इस प्रकार गलत प्रतिनियुक्तियां डिग्रीधारक चिकित्सकों के खिलाफ अन्याय है एवं उनमें रोष व्याप्त हैं। अतः प्रतिनियुक्तियां रद्द की जावें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

माननीय अध्यक्ष महोयय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का सर्वे करवा कर सड़क से जोड़ने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

ग्रामों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) ग्राम पंचायत रामरतनपुरा

(2) ग्राम पंचायत खिजूरिया ब्राह्मण

(3) ग्राम पंचायत बेनाड़ा

(4) ग्राम पंचायत काशीपुरा

(5) ग्राम पंचायत गरुडवासी

(6) ग्राम पंचायत जीतावाला

(7) ग्राम पंचायत करणगढ़

(8) ग्राम पंचायत खेतपुरा

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

(9) ग्राम पंचायत राडोली

(10) ग्राम पंचायत टोडा भाटा

(11) ग्राम पंचायत लालगढ़ लक्ष्य

इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि सामरिया ग्राम से ग्राम देहलावाड़ जो 20 कि. मी. सड़क है तथा करीब 15 वर्ष पूर्व से अकाल के मध्य से करीब 50 लाख रुपये अकाल के तहत खर्च कर मिट्टी व ग्रेवल का कार्य करवाया गया था अब वो सड़क बिना रख-रखाव के कारण धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है। तथा खर्च की गयी राशि बेकार जा रही है।

माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क को बनवाने से ग्राम पंचायतों के 54 गांव व 45 अन्य आस-पास के गांवों को इससे लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क के अभाव में इस क्षेत्रों की जनता को अनेक बार मौत का मुंह देखना पड़ा है जिनमें अनेक माताएं प्रसव पीड़ा से जयपुर आते वक्त रास्ते में ही मृत्यु की शिकार हो जाती है।

अतः मुझे आशा है कि सड़क की जांच कराकर डामरीकरण का कार्य प्रारम्भ करवाने की कृपा करेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) :

श्रीगंगानगर जिले में गांव एस. एस. तहसील करणपुर में हरिजनों की भूमि को स्वर्ण जाति के धनी किसानों ने धोखाधड़ी से जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है। उस गांव से गरीब हरिजन भागसिंह की मृत्यु के पश्चात 20-8-82 को हुई उसकी एक मात्र लड़की जीतो के नाम 9-2-83 को इकरार किया गया पर जमीन पर बचन सिंह वल्द जगासिंह सिख जमींदार काबीज था उसने 21-5-83 को जीतो का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके उस गरीब हरिजन की 24 बीघा कीमती जमीन को रणजीत सिंह हरिजन वल्द भाग सिंह हरिजन बनकर मलकाना पंचायत में करवा लिया और बीकानेर गंगानगर रेवेन्यु अथोरिटी के पास 9-2-83 के इंतकाल का खारिज करने की अपील की। आर. एस. ए. ने तहसीलदार करणपुर की जांच के आदेश दिये। तहसीलदार ने जांच का काम मलकाना पंचायत को दे दिया व पंचायत मलकाना ने 17-12-83 को रणजीत सिंह हरिजन के

(श्री हेतराम बेनीवाल)

नाम इंतकाल कर दिया। वह सवर्ण हिन्दू होते हुए भी भाग सिंह हरिजन का फर्जी बेका बनकर जीतों की भूमि को हड़पने में कामयाब हो गया परन्तु दिनांक 1-11-1990 को गंगानगर के आर. ए. ए. ने भूमि को जीतो के नाम कर दिया। हरिजन सैल गंगानगर में भी गंगानगर के ए. डी. एम. ने भी यह भूमि का इंतकाल 19-11-1990 को जीतो के नाम कर देने का फैसला किया है। जीतो ने केसरी-सिंहपुर थाने में रणजीत सिंह, पटवारी गिरदावर व सरपंच इत्यादि के खिलाफ 420/967 468 इत्या मुकदमा किया। हाईकोर्ट तक से मुल्जिमों की जमानत अभी तक नहीं हुई पर हाईकोर्ट एक रिट में जाकर उन्होंने स्टे ले रखा है। यह स्टे केवल क्रिमिनल मुकदमे में मिला है। जिला कलक्टर के पास इस गरीब हरिजन ने प्रार्थना पत्र दिया उन्होंने तहसीलदार के पास भेजा। यह गरीब कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। 10 वर्ष से इसके पिता की मौत के बाद 25 लाख रूपये की कीमती भूमि से यह गरीब हरिजन वंचित है। इसका मृत्यु प्रमाण पत्र हनुमानगढ़ तहसील के गांव बशीर से लिया गया। तहसीलदार व रेवेन्यु के उच्च अधिकारी फैसले को टाल गये और जिस पंचायत में असरदार जमींदार प्रभाव रखते हैं फैसला करवाया गया है। इसी गांव में प्रकाश कौर पुत्री जीत सिंह हरिजन की आधा मुरब्बा भूमि भी इसी बचन सिंह के चचेरे भाई बलवंत सिंह बल्द बग्गा सिंह ने भी बलवंत सिंह वल्द जीत सिंह नाम से हरिजन बनकर भूमि काबू में कर ली हैं। इस प्रकार एक ही गांव में दो गरीब हरिजन परिवारों की भूमि को सवर्ण जमींदारों ने हरिजन बनकर हजम कर दिया है। हरिजनों की लडकी का एक भी जगह मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश कर दिया दूसरी जगह एक गरीब हरिजन लड़की का जबरदस्ती नकली भाई बनकर भूमि हडप ली है। इस प्रकार के बहुत से मामले करणपुर तहसील में हैं परन्तु यह मामला विचित्र है जिला प्रशासन इस धोखा-धड़ी व लूट के मामले में मौन है, राजस्थान की सरकार उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे व गरीब हरिजनों को राहत पहुंचायें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :—

राजस्थान प्रदेश पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। वर्ष 1988 की पशु गणना के अनुसार राज्य की पशुधन सम्पदा 409.01 लाख है और प्रदेश का 55 प्रतिशत क्षेत्र मरुस्थलीय है जिसके 95 प्रतिशत हिस्से में एक फसलीय कृषि होती है। वर्तमान में राज्य की 2 करोड़ 89 लाख जनसंख्या तथा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

2.71 करोड़ पशुधन अकाल एवं अभाव की स्थितियों से प्रभावित हैं। प्रदेश के 16,562 गांवों में 75 प्रतिशत से अधिक फसलें खराब हुई हैं परन्तु 31 मार्च, 92 तक प्रदेश में श्रमिकों की अधिकतम संख्या एक लाख राहत कार्यों हेतु स्वीकृत की गई तथा 98,314 पशुओं को लाभान्वित किया गया है जिनमें से 80 हजार पशुओं को अनुदानित चारा तथा 15,314 पशुओं को पशु शिविरों में रखा गया है जबकि प्रदेश में गोवंश 1 करोड़ 9 लाख से ऊपर है तथा भैंस-वंश 63 लाख 40 हजार है। अकाल प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की भारी कमी है। बीकानेर में 583 में से 11 गांवों में ऊंट गाड़ों के माध्यम से पिलाई होती है। जैसलमेर में 575 में से 166 गांवों में तथा बाड़मेर में 1636 गांवों में से 267 गांवों में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि शेष गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वहां के ग्रामीणजन भारी परेशानियों का सामना कर रहे है और गांवों के लोग पलायन कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार के माध्यम से सन् 1991 से लेकर 1992-93 के अन्त तक 279 करोड़ रूपये प्रकृतिक आपदाओं से राहत हेतु प्राप्त होंगे तथा प्रतिवर्ष 93 करोड़ के हिसाब से तथा 31 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से इस अवधि में 93 करोड़ रूपये राज्य सरकार को व्यय करने होंगे। राजस्थान सरकार ने वर्ष 90-91 में 50-81 करोड़ तथा 91-92 में लगभग 25 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इस प्रकार वर्ष 92-93 के लिए 296.18 करोड़ तथा 2.38 करोड़ रूपये 89-90 का शेष मिलकर 298.56 करोड़ रूपये चालू वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए प्राप्त होगा जबकि अकाल की शेष अवधि केवल तीन महीने बाकी रही है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी अकाल राहत कार्यों को समय पर नहीं खोल कर अकाल पीड़ित जनता को राहत प्रदान नहीं की जिसके कारण हजारों पशुओं की अकाल मौत तथा फलौदी, कोलायत व राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में वहां की जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई।

फलौदी तहसील के गांवों में हाल ही में ओरी एवं अन्य बीमारियों से चिमना गांव में गत एक महीने में 7 ग्रामीण बच्चों की विभिन्न बीमारियों से मौत हुई, मोहरा गांव में एक महीने में 6 बच्चों की अकाल मृत्यु हुई। इन गांवों के घोकलाराम मेघवाल के घर में एक सप्ताह में 4 वर्ष का पुत्र व एक वर्ष की पुत्री की मृत्यु हो गई। इसी गांव में लालाराम मेघवाल की 9 वर्ष की पुत्री व जेठाराम

श्री बुलाकीदास कल्ला)

मेघवाल की 2 वर्ष की पुत्री तथा गफूर खां पुत्र यासीन 2 वर्ष की मरीना पुत्री घोसे खां की मृत्यु हो गई। यही स्थिति पड़ौस की तहसील कोलायत की है जहां कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु हो रही है एवं लोग पशु लेकर पलायन कर रहे हैं। इन गांवों में कृषि ऋण-ग्रस्तता बढ़ती जा रही है। राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहयता नहीं दी जा रही है।

अकाल एवं अभाव की स्थितियों के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश में अकालग्रस्त क्षेत्र में वृक्षारोषण हेतु सर्वाधिक प्रयास की आवश्यकता है। उक्त क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कोलायत, गजनेर, पोकरण, साहवा (चूरू) और फलौदी जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं को अविलम्ब पूरा कर लेफ्ट बैंक स्कीम के माध्यम से चरागाहों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। प्रदेश में चारे की कमी को दूर करने के लिए फीडर बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। प्रदेश के मरूस्थलीय क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योगों एवं खादी ग्रामोद्योग से संबंधित कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उक्त कार्यों को करने में राज्य सरकार विफल रही है। क्या राज्य सरकार अकाल की स्थिति का स्थायी समाधान करने के लिए मरूस्थल में स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को और इससे संबंधित जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं को राहत कार्यों के अन्तर्गत लेकर इसे युद्धस्तर पर पूरा करने का प्रयास करेगी। अकाल ग्रस्त जिलों में एवं बीकानेर शहर में प्रति इकाई गेहूं। जो पहले 10 किलोग्राम प्रतिमाह थी वह घटाकर 5 किलो प्रति इकाई करदी तथा यह स्थिति बाड़मेर एवं जैसलमेर की है इसे कब तक 10 किलो प्रति इकाई दिया जावेगा।

आशा है राज्य सरकार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, नागौर, जोधपुर तथा आदिवासी क्षेत्रों में अभाव की स्थितियों का सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर अकाल राहत समितियों के माध्यम से रोजगार के अवसर सुलभ कराने का प्रयास करेगी।

श्री किशनलाल नाई (श्री डूंगरगढ़) :-

जिला चूरू में ग्राम ऊंटालड तहसील सुजानगढ़ को पिछले वर्ष विद्युतीकरण कर दिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा डिमाण्ड नोटिस 1 जनवरी 1992 को

(श्री किशनलाल नाई (डूंगरगढ़)

जारी किये गये थे जिनके विरूद्ध दिनांक 25 जनवरी 1992 को रु. 16218/- विभाग में जमा करवा दिये गये थे परन्तु आज यह ग्राम न तो विद्युतीकृत हो पाया है और न ही किसी कुएं को प्राथमिकता अथवा उच्च प्राथमिकता के नियमानुसार कनेक्शन दिया गया है। जबकि एक कुए पर बोरिंग काफी दिनों पूर्व ही किया जा चुका था।

इसी प्रकार ग्राम रेडा तहसील सुजानगढ़ को भी पिछले वर्ष विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया था। इसी प्रकार इस ग्राम में एक कुआ जिसका बोरिंग पिछले वर्ष किया गया था में विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया है जबकि डिमाण्ड नोटिस के अन्तर्गत रकम जमा करवाई जा चुकी है।

अत: मेरी मांग है कि उक्त दोनों ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में विभाग तत्काल आवश्क कार्यवाही करवाये ताकि पेयजल के संकट की समस्या का समाधान हो सके तथा घरों में बिजली कनेक्शन हो सके।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) :–

आज के युग में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। इससे अकर्मण्यता, उदासीनता आतंकवाद, ब्लेकमेल, ब्लैक मार्केट, प्रदर्शन, हड़ताल, चोरी, डकैती, चाटुकारिता, गुन्डागर्दी बढ़ रही है।

सबका जीवन शांतिमय नहीं रहा, हर समय मनुष्य चिन्ताग्रस्त रहता है। बच्चे के धन्धे की चिन्ता, शादी विवाह की चिन्ता, सदा मस्त धर्ममय जीवन जीने वाला मानव स्वभाव आज असुरता की ओर बढ़ रहा है। बीमारिया बढ रही हैं। अनैतिक कर्म किये जा रहे हैं। राष्ट्र विरोधी कार्य करने में भी नहीं हिचकता पहले पेट पीछे सेठ एवं भूखे भजन नहीं होय गोपाला। उपदेश तभी अच्छे लगते हैं जब पेट में भोजन हो। अपराध की जड़ बेरोजगारी है। बिना पढ़े लोग तो फिर भी श्रमजीवी हो जाते हैं। निर्धनता सबसे बुरी है। आज लाखों करोड़ों लोग आकाश के नीचे सोते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जीवन-यापन करते हैं कठिन से कठिन मजदूरी करते हैं। घूम-फिर कर पेट भरते है। जहां मजदूरी हो वहां चले जाते हैं। थोड़ा-बहुत-धन्धा मिले वे कर लेते हैं। रिक्शा चलाते हैं, साग-सब्जी बेचते हैं या कोई दस्तकारी करते हैं। कोई उनकी सुध लेने वाला भी नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोग नारकीय-सा जीवन जीते रहते हैं। अपराध भी कर जाते हैं।

(श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) :–

पर आज पढ़े लिखों की फौज कई तरह की डिग्री-डिप्पलोमा प्राप्त कर लेती है और फिर वे मारे-मारे फिरते हैं। उन्हें केवल नौकरी चाहिए। अंग्रेज अंग्रेजी पढ़ाकर बाबू बना गये। हमारा पौरूष प्रधान जीवन नष्ट कर गये। हम पढ़े-लिखे लोग गांव में रह नहीं सकते, हमारा शहरीकरण हो गया। गांव की सेवा हो नहीं सकती, मां-बाप की बात मान नहीं सकते, श्रम प्रधान कार्य नहीं सकते। आजादी के 45 वर्ष बाद भी हमने पढ़ाई का स्वरूप नहीं बदला, बाबू ही बाबू पैदा किये हैं।

चरित्र व कर्म प्रधान शिक्षा हमने राजनीतिक दी नहीं। अब सरकारी नौकरी हमारे पास है नहीं। डाक्टर, इंजीनियर अन्य तकनीकी अधिकारी भी हमने पैदा तो किये पर वे भी अंग्रेजी और शहरी बाबूगिरी ओत-प्रोत। अब भी समय है हमें जागना चाहिए, सोचना चाहिए। यह सब क्या हो रहा है? हमारा स्वराज्य भ्रष्टाचार और अनैतिकता के गर्त में डूब तो नहीं रहा है। सबके सुख में हमारा सुख है।

हम सब यहां कुछ बनाने कुछ करने को आये हैं। सारे अपराध जो बढ़ रहे हैं उनकी जड़ बेरोजगारी है। उनको दूर करने के उपाय हमें करने पड़ेंगे। मेरे अनुभव से हमें निम्न कार्य करने चाहिए :–

हमें व्यक्तिवादी की जगह समाजवादी, राष्ट्रवादी बनाना होगा।

(1) हमारी शिक्षा रोजगार देने वाली एवं चरित्र प्रधान होनी चाहिए। पढ़-लिख कर छात्र सरकारी नौकरी की तरफ नहीं देखे।

(2) हमारा कार्य समस्त हमारी भाषा में होना चाहिए। हिन्दी में या प्रान्तीय भाषा में या हिन्दी में इससे हमारी मातृभाषा से प्रतिभाओं का जन्म होगा, हम हमारी बात सबको कह सकेंगे, हमें तुरन्त ही करना चाहिए। बहुत देर हो गई है।

(3) गृह उद्योग कुटीर उद्योग पनपाने चाहिए, ग्रामीण अचल में सुख सुविधाएं पहुंचाने का कार्य योजना बद्ध तरीके से करना पड़ेगा। जिससे शहर नहीं बढ़ें, गांव ही सम्पन्न होवें।

सरकारी नौकरी में अभी कोई काम नहीं है। एक किसान का बेटा 40-50 बीघा जमीन बेचकर भी चपरासी बनाना चाहता है क्योंकि जीवन भर बैठे-बैठे खाना है। भ्रष्टाचार और कर सकता है। सरकारी सर्विस भी जितना काम उतना वेतन के आधार पर बनानी चाहिए ताकि लोगों का मोह निजी कार्य पर लगे।

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

(4) मेरा सुझाव है कि सरकारी नौकरी परिवार में एक को मिलनी चाहिए, यदि पत्नी नौकरी में है तो पति कोई निजी व्यवसाय करे। पति सरकारी नोकरी में है तो पत्नी निजी सर्विस या निजी धन्धा करे, इससे राहत मिल सकती है। बड़े उद्योगों का मोह छोड़ना होगा बड़े अधिकारी व बड़े नेता स्वदेशी अपनाए ताकि हमें विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़े। हमारा माल ही हम उपयोग करें जिससे रोजगार बढ़े। गृह कुटीर उद्योग की गुणवता का ध्यान हमें करना पड़ेगा ताकि हमारा सामान सर्वश्रेष्ठ हो यह कार्य हमने हस्त कला के कई क्षेत्रों में किया है। पर उसमें हमारी पहचान बनाना आवश्यक है।

(5) कृषि उद्योग हमारा मूलस्त्रोत है, इसमें हम बहुत कर सकते है। लाखों का कोष दे सकते है। पर हमारी पढ़ाई कृषि प्रधान हो, पढ़ा लिखा समुदाय खेती करें, गांव में रहना सीखें। यह प्रवृति हमें पैदा करनी पड़ेगी।

हम पूरे समाज को देखकर चिन्तित हैं। जीवन यापन के मापदण्ड देने होगें, नीचे वाले को देखकर चलना सीखना चाहिए। उमर तो अथाह है, भोग की सीमा नहीं है। बेरोजगारी हमारी कृषि मिटा सकती है, कुटीर उद्योग मिटा सकता है।

उक्त कार्य तभी पूरा हो सकता है जब हमारी शिक्षा चरित्र व रोजगार प्रधान निजी मातृ भाषा में हो तथा हमारा समस्त कार्य हिन्दी में हो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :—

निवेदन है कि "दैनिक नवज्योति" पत्रिका दिनांक 19-2-88 को आई. टी. आई. जयपुर में 20.5 लाख रु. का गबन घोटाला बनीपार्क स्थित प्रशिक्षण संस्थान में पकड़ा गया। यह घपला जोधपुर स्थित प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के आडिट दल ने कच्चे माल की खरीद के बाबत पकड़ा गया। इसकी रिपोर्ट 10 नवम्बर 87 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई। आई. टी. आई. में उस घपले के लिये तत्कालीन निदेशक श्री के. एन. शर्मा व जयपुर आई. टी. आई. के उपाचार्य श्री के. एन. धई. को जिम्मेदार ठहराया गया था। आडिट रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में केस दर्ज हुआ इसके नं. 13/89 है। इसी आधार पर ए. सी. डी. के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पत्रांक 750

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

दिनांक 18-2-92 को एक पत्र जारी हुआ उसमें 20 आदमियों के नाम है उसमें श्री के. एन. धाई का नाम भी क्र. सं 18 पर अंकित है और एक पत्र पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से पत्रांक 785-86 दिनांक 20-2-92 को जारी हुआ उसके निदेशक महोदय से प्रबन्ध कार्यालय के डिटेल आडिट रिपोर्ट हेतु लिखा है। जिससे के. एन. धई के विरूद्ध आरोपों की जांच हो सकें।

इसके उपरान्त भी निदेशक के वरदहस्त होने के कारण मार्च 92 में उनको सर्वेसर्वा समझकर 25 लाख का बजट आवंटित किया जबकि उनको 5000/–से अधिक की खरीद का ही अधिकार है। और तो और सचिव प्रावैधिक शिक्षा के आर्शीवाद से 31-3-92 को श्री पारीक प्रधानाचार्य आई. टी. आई. जयपुर के सेवानिवृत होने से पहले पत्रांक 11/1/उ शि/92–पार्ट दिनांक 30-3-92 को श्री के. एन धई को प्रधानाचार्य का चार्ज भी दिला दिया गया। इसलिये निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनके विरूद्ध इतने गंभीर आरोप है जिसकी जांच भी विचाराधीन है जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी लिया है फिर भी उसको प्रधानाचार्य का कार्य देकर लाभ पहुंचाया है एवं ईमानदार अधिकारियों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि तुरन्त श्री के. एन धई को पदमुक्त कर उनके विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही करावें व ईमानदार अधिकारी को उक्त पद पर पदस्थापित करावें।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) :–

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र टोडारायसिंह में कृषि उपज मंडी समिति देवली व टोडारायसिंह दो मंडी समितियां हैं लेकिन इन दोनों मंडी समितियों ने अपने क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में उदासीनता बरती है। जिससे अपने गांवों से मंडी तक अपनी कृषि उपज को मंडी तक रास्ते खराब होने की वजह से किसानों को बैलगाड़ियां लाने में भारी दिक्कते उठानी पड़ती है। यहां तक कि बैलगाड़ियां टूट कर रास्तें में ही खड़ी हो जाती हैं तथा बैलों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इस मंहगाई के युग में एक बैलगाडी करीब 8 से 10 हजार रुपयों में बनती है तथा बैलों की जोड़ी कें भी आठ-दस हजार रुपये लगते हैं। गरीब काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ता है। जो गरीब काश्तकार कड़ी धूप, सर्दी व वर्षा तक में कड़ी मेहनत करके खुद तो भूखा नंगा रखता है लेकिन औरों का पेट भरता है कपड़े के लिये कपास पैदा करता है। खाद्यान खाध तेल के लिये तिलहन पैदा

(श्री घासीलाल चौपडा)

करता है, मिर्च, जीरा, धनिया हल्दी, प्याज लहसन पैदा करता है। लेकिन इसके बदले में सरकार द्वारा इनको कोई भी सुविधाऐं नहीं दी जाती है। जिससे उसको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि भू मंत्रीजी से निवेदन है कि मंडी समिति टोडारायसिंह द्वारा अलियारी हमीरपुर, इन्दोकिया से हमीरपुर, टोडारायसिंह से सालगावास वाया काफलवाड़ा मूडिया से दाबड दूम्बा व कृषि उपज मंडी समिति देवली द्वारा कुशालपुरा लाखोपाई से राजमहल देव खेडा से गांवड़ी इन्द्रपुरा से नेगडीया बीजवाड से रागथला चोकी वाया बड़ला मानपुरा से पावला आदि सड़कों का निर्माण करवाने हेतु इसी बजट वर्ष में प्रावधान रखकर उक्त सड़कों का निर्माण कार्य चालू करवाकर किसानों को सुविधा प्रदान करने की कृपा करें।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) :–

कोटा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण की दशा अत्यन्त ही दयनीय है चार-चार, पांच-पांच दिन तक ग्रामीण अंचलो के गांव में विद्युत सप्लाई बन्द रहती है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का प्रशासन का अपने स्टाफ पर कोई नियंत्रण नहीं है। कृषि-कनेक्शनों की हालत तो बडी खराब है। काश्तकारों को सर्दी के मौसम में रात के समय बिजली दी जाती है, वह भी केवल मात्र 4-5 घण्टे। जो बीच-बीच में सप्लाई बन्द होने से बन्द कर देते हैं। बार-बार बन्द होने से इस कारण काश्तकारों की मोटरें जलकर खराब हो जाती है। ग्रामीण अंचलो में खींची हुई बिजली की लाइनों को देखने का तो विद्युत मण्डल को समय ही नहीं है। गांवों में जो लाइनें खींची हुई हैं, उनके तार जमीन से कहीं-कहीं तो 8-10 फीट ऊंचे ही रह गये हैं। गांवों के ट्रेक्टर ट्रोलिया तारों के भिड़ जाती है जिससे आग लगने का पूरा-पूरा अंदेशा रहता है। इन लाइनों की कोई देखरेख नहीं की जाती है। ग्रामीण अंचलों के कनेक्शनों का बहुत बुरा हाल है। विद्युत मण्डल के दलाल विद्युत कनेक्शनों के सम्बन्ध में वसूली के लिए गांवों-गांवों में उगाई के लिए घूमते रहते हैं तथा जो ज्यादा पैसा देता है उनके पहले कनेक्शन दे देते हैं। विद्युत मण्डल सब डिवीजन सुल्तानपुर के यहां से करीब सौ-सवा सौ बिजली के खम्बे सुल्तानपुर आफिस से सीमल्या जे. ईएन. आफिस के लिए रवाना किए गये थे। सुल्तानपुर के स्टाक रजिस्टर के मुताबिक सीमल्या में उक्त खम्बों की एन्ट्री होनी

346

(श्री बृजराज मीणा)

चाहिए थी लेकिन सहायक अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता एवं स्टाफ की मिलीभगत से बिना किसी डिमाण्ड नोटिस के जारी हुए, बिना डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा किए हुए उपरोक्त सौ-सवा सौ खम्बों को सीधे काश्तकारों के खेतों में पहुंचा दिया गया। इसकी शिकायत कुछ काश्तकारों के द्वारा एक्स. ईएन. डिस्टिक्ट डिवीजन कोटा को की गई थी। परन्तु इन दोनों दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। कृषि विद्युत कनेक्शनों के सम्बन्ध में काश्तकारों के डिमाण्ड नोटिस 25-25, 30-30, 40-40 हजार रुपये के निकाले जाते हैं। बाद में मिलकर काश्तकारों से ले देकर कम कर दिया जाता है।

इस प्रक्रिया से दुःखी होकर काश्तकार को मजबूरन पैसा देना पड़ता है। काश्तकार विद्युत विभाग की व्यवस्था से काफी परेशान है। कृषि कनेक्शनों की प्राथमिकता की सूची कार्यालय के बाहर चश्मा की जानी चाहिए तथा उसकी एक प्रति जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जावे। जिससे कृषि कनेक्शनों की सही स्थिति का पता चल सके।

सांगोद पंचायत समिति में सबसे ज्यादा विद्युत कनेक्शनों के आवेदन पत्र लम्बित हैं। कृषि कनेक्शनों के कोटे के अभाव में ट्यूबवेल्स और कुंओं को विद्युत-कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। सांगोद-सब डिवीजन के अन्तर्गत हिंगोणिया ग्राम में सांगोद कस्बे से 20 कि. मी. दूरी से सप्लाई लाइन जाती है। जिससे आये-दिन विद्युत सप्लाई की समस्या रहती है और काश्तकारों की मोटरें दिन-प्रतिदिन जल जाती हैं जबकि हिंगोणियां ग्राम के पास केवल $1\frac{1}{2}$ कि. लो. मीटर दूरी कनवास ग्रिड-सब स्टेशन है। यदि वहां हिंगोणियां गांव की विद्युत सप्लाई को जोड़ दिया जाए तो गांव वालों को घरेलू उपयोग व उपयोग हेतु बिजली आसानी से मिल सकती है। कनेक्शनों के कोटे के अभाव में प्रभाव-शाली लोग तो अवैधानिक रूप से सीधी सप्लाई चोरी छुपे लेते है। परन्तु गरीब काश्तकार सप्लाई के लिए परेशान रहते है। आर. एस. ई बी. के प्रशासन की अकर्मण्यता की वजह से गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाता है। बड़ी मुश्किल से तो 2-4 गांवों का विद्युतीकरण करने का मौका आता है। परन्तु उनमें

(श्री बृजराज मीणा)

भी समय पर लाइनें नहीं खिंच पाती है। विद्युत विभाग का लाइनें खींचने का कार्य बड़ी धीमी गति से चलता है जो एक चिन्ता का विषय है। बूढ़ादीत ग्रिड सब स्टेशन का कार्य कई समय से चल रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इससे ग्रामीण जनता में आक्रोश है। ग्रामीण अंचलों की विद्युत व्यवस्था में जल्दी से जल्दी सुधार किया जावे। तथा सांगोद सब डिवीजन के लिए कृषि कनेक्शनों का कोटा बढ़ाया जावे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि नागौर जिले की डेगाना तहसील में पेयजल की विकट समस्या वर्ष के करीब 7–8 महीनों तक बनी रहती हैं। विशेष तौर पर गर्मी के मौसम में इस समस्या का उग्र रूप देखने को मिलता है तथा ग्रामीण जनता एवं क्षेत्र के मवेशी पूर्णतया परेशान रहते हैं। तहसील के अधिकांश ग्रामों का पानी खारा हैं तथा पीने के योग्य नहीं है। कई स्थानों पर पानी के स्रोत नहीं है। इसी समस्या से अधिकांश रूप से ग्रस्त ग्रामों में आ. के बी. बी, सिघलवास तथा बुटाटी ग्राम है। ग्राम सिघलवास में अभी हाल ही में केन्द्रीय भू-जल विभाग द्वारा एक ट्यूबवैल खोदा गया है, उसमें पानी बहुतायत से है तथा मीठा है। इसको जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा अभिग्रहीत किये जाने से आस-पास के कई ग्राम लाभान्वित हो सकते हैं तथा पेयजल की समस्या का निवारण 5–6 ग्रामों में हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय से मिला था तब उन्होंने मुझे शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है फिर भी मैं आपके माध्यम से विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये माननीय जन स्वास्थ्य अभि-अभियान्त्रिक मंत्री महोदय से पुनः पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि ग्राम सिघलवास के ट्यूबवैल को विभाग द्वारा शीघ्र अभिग्रहीत करके पेयजल योजना स्वीकृत कराकर ग्राम सिघलवास, आ. के. बी. बी. एवं बुटाटी को पेयजल उपलब्ध करायें। अब चूंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है इस योजना के चालू कर दिये जाने से इन ग्रामों की पेयजल समस्या का निराकरण सम्भव हो सकेगा।

श्री फूलचन्द गूर्जर (नीमकाथाना) :

खनि अभियन्ता जयपुर कार्यालय के अन्तर्गत श्री मोहनलाल अग्रवाल को अजीतपुरा तहसील कोटपूतली में डोलोमाइट खनिज के लिए एक खनन पट्टा अवैध

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

रूप से आवंटित किया गया है। इस क्षेत्र में डोलोमाइट का नामोनिशान भी नहीं है। यह इस बात से स्पष्ट है कि पार्टी को पट्टा स्वीकृत किये जाने के बाद से आज तक एक किलो पत्थर भी क्षेत्र से नहीं निकाला गया है।

कुछ समय पश्चात् इसी क्षेत्र में तीन अन्य मार्बल व लाइमस्टोन के खनन पट्टे अनुसंधान खनिज नियमावली में स्वीकृत कर दिये गये। राज्य सरकार ने यह प्रावधान बना रखा है कि मार्बल के पट्टे 100 × 100 मीटर से बड़े क्षेत्र के लिए स्वीकृत नहीं किए जाते हैं तो इस पार्टी को 225 × 100 मीटर का पट्टा किस आधार पर दे रखा है ? सरकार का यह भी प्रावधान है कि किसी एक खनिज अभियन्ता के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दो पट्टे से ज्यादा स्वीकृत नहीं किये जायेंगे तो इस पार्टी को तीन पट्टे कैसे स्वीकृत किये गये। यदि पट्टे यह प्रावधान बनाने से पहले स्वीकृत किये जा चुके थे प्रावधान बनने पर पार्टी को उसकी सीमाओं में लाने के प्रयास क्यों नहीं किए गये ? यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि पार्टी द्वारा मार्बल के नाम से स्वीकृत खनन पट्टों में मार्बल का खनन नहीं किया जा रहा है, पार्टी यहां से लाइमस्टोन निकाल कर बेच रही है।

उक्त मार्बल व लाइमस्टोन के पट्टे स्वीकृत किये जाने के पश्चात् डोलामाइट के नाम से स्वीकृत खनन पट्टे में खनन योग्य भूमि भूमि शेष ही नहीं रही है।

उक्त बातों से स्पष्ट है कि पार्टी ने यहां लाइमस्टोन का क्षेत्र हथियाने के लिए इस प्रकार का घोटाला किया जिसमें विभाग ने भरपूर सहयोग किया है तथा कर रहा है।

इसी के नजदीक पवाना गांव में खनन पट्टा श्री नन्दलाल अग्रवाल को सीमेंट उद्योग हेतु स्वीकृत किया गया था पार्टी द्वारा सीमेन्ट उद्योग न लगाये जाने पर क्षेत्र को निरस्त कर दिया गया। इस पर पार्टी ने न्यायालय में वाद-प्रस्तुत किया। इस वाद में सरकार की स्थिति बहुत अच्छी होने के बावजूद अनावश्यक रूप से समझौता पत्र पेश कर पार्टी को क्षेत्र आवंटित कर दिया गया।

पिछली सरकारों की इस क्षेत्र में एक परिवार विशेष व उससे जुड़े लोगों को येन-केन प्रकारेण लाभ पहुंचाने की नीति रही है। इसके लिए कई घोटाले, कई अनियमितताएं की गयी, कई नियमों को तोड़ा गया। इनके खिलाफ किसी ने न्यायालयों की शरण ली तो सरकारी वकील भी उनसे सांठगांठ कर विभाग को नुकसान पहुंचा उनको लाभ पहुंचाने पर तुले हैं। इस परिवार विशेष के शत प्रतिशत मामलों में

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

सरकार हारने का भी यही कारण है। फिर भी इन वकीलों को नहीं बदला गया है।

अतः सरकार को इन खान माफियाओं के खिलाफ, जो सरकार के समानान्तर सरकार चलाते हैं, सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। इनको आवंटित खानों की अनियमिताओं की जांच करवाकर सख्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) :

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पूर्व पांच वर्षों से कक्षा ग्यारहवीं की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करता रहा है पुस्तकों के बदलने से बोर्ड को भारी राजस्व का नुकसान भुगतना होता है, इसके साथ ही विद्यार्थियों को भी भारी नुकसान होता है तथा पुस्तकों के व्यापारियों को भी पुस्तकें पड़ी रहने से आर्थिक नुकसान हो रहा है।

जहां राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शत प्रतिशत शिक्षा का प्रसारण हेतु प्रयत्न शील है वहीं छात्रों पर पुस्तकों के मूल्य बढ़ने से आर्थिक परेशानी हो रही है तथा इससे गरीब छात्रों को पुस्तकें नहीं खरीद पाने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ती है।

हर बार, हर वर्ष पूर्ण पुस्तकों के पुनः छपाने के टेण्डर्स होने से पुरानी पुस्तकों पर किया गया व्यय बोर्ड को भुगतना पड़ता है तथा बेकार किताबों में काम में लिया गया पेपर (जिसके लिये विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है) बेकार हो जाता है तथा नई किताबों हेतु पुनः पेपर खर्च करने होते हैं।

अगर पुस्तकों में कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक हो तो उन्हें अलग से पूरक अतिरिक्त छोटी पुस्तक छपवाकर पुरानी पुस्तकों के साथ बेची जावें तो पेपर व भारी राजस्व की हानि से तो बचा ही जा सकता है तथा विद्यार्थी को भी पुस्तक के मूल्य से राहत मिल सकेगी।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की पुस्तकों में हर वर्ष संशोधन की क्या नीति है, बताने का श्रम करावें ? गत वर्ष जो पुस्तकें बदली गई उससे कितने राजस्व की हानि राज्य सरकार को उठानी पड़ी। इसी प्रकार व्यापारियों के पास भी पुरानी पुस्तकों का स्टाक रहने से उन्हें जो हानि हुई उसके लिये क्या व्यापारियों ने बोर्ड के

(श्री अमृतलाल परमार)

विरुद्ध न्यायालय की शरण ली ? अतः मेरी पुर जोर शब्दो से मांग है कि इस प्रकार प्रक्रिया की जांच कर अविलम्ब बदला जावें ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न होवें ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

राज्य सरकार की जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि पुलिस के 8 उप अधीक्षक पुलिस, 4 निरीक्षक, 8 उप निरीक्षक एवं 86 आरक्षियों को रोडवेज फलाईंग में तैनात किया गया था, जो पिछले डेढ़-दो वर्ष से फलाईंग का कोई कार्य न होने के कारण (सी. आई. डी.) (सी. बी. आई.) में फालतू बैठे वेतन उठा रहे हैं ऐसी सूरत में फलाईंग का कार्य तुरन्त चालू कर इनका उपयोग किया जावें या फिर इन पदों को (सी. आई. डी.) (सी. बी.) से समाप्त कर स्टाफ को अन्यत्र समायोजित किया जावें ।

इस प्रकार 8 उप अधीक्षक पुलिस, 18 निरीक्षक, 44 उप निरीक्षक, 114 आरक्षियों को स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (कम्प्यूटर) में तैनात कर रखा है, जिनके पास कोई कार्य नहीं है । यह मात्र पुलिस लाइन के समकक्ष विभाग है । अतः इन पदों को भी समाप्त कर दिया जावे तो उचित होगा क्योंकि इस कम्प्यूटर की अभी तक कोई उपलब्धि नजर नहीं आयी । इससे मात्र सरकार को वित्तीय नुकसान हो रहा है ।

पुलिस बजट की चर्चा के साथ जो पुलिस स्टाफ बढ़ाने की सरकार ने घोषणा की हैं । वह आंख बन्द करके की हैं । स्टाफ और कार्य का सुचारु रूप से अवलोकरन किये बिना ही घोषणा कर दी । या फिर माननीय गृह मंत्री जी को पुलिस विभाग का अनुभव नहीं है । इनको पुलिस विभागाध्यक्ष ने अनुभवहीन समझ कर गलत तथ्य पेश कर स्टाफ को बढ़ाने की पेशकश की है । इस प्रकार पुलिस स्टाफ बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जब पहले से ही स्टाफ. बिना काम के फालतू बैठ कर सरकार को वित्तीय हानि पहुंचा रहा है इन्हीं को बढ़ाये स्टाफ के स्थान पर समायोजित किया जावे । अन्यथा एक समय ऐसा आ सकता है जब स्टाफ सरपल्स होगा जिसे समायोजित करने की समस्या सरकार के सामने आयेगी । फिर भी अवैध वाहनों की चैकिंग का कार्य तुरन्त लागू कर दिया जावे जिससे कि सरकार के वित्तीय स्रोत में बढ़ोतरी हो सके यदि इस प्रकार फालतू स्टाफ को बैठाया रखा तो इससे दोराय नहीं कि बाड़ खेत का खाती रहेगी और सरकार एक दिन गर्त में डूब जायेगी ।

(श्री परसादीलाल मीणा)

माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त स्टाफ के कार्य से सदन को अवगत करावे कि इन्होंने पिछले साल में क्या काम किया। इसी से पता चल जायेगा कि फालतू स्टाफ है या नहीं; दूसरे, फलाइंग बन्द करने के बाद सरकार को कितनी वित्तीय हानि हुई, उससे सदन को तुरन्त अवगत कराया जाय। सारा कार्य बिना जानकारी के मंत्री जी कर रहे हैं।

इसी प्रकार जोधपुर रेंज में 8 उप पुलिस अधीक्षक, लीव एण्ड रिजर्व लगा रखें हैं जबकि स्वीकृत पद दो हैं, छः को बिना कार्य के बैठा रखा है।

यह उक्त पद आई. पी. एस. अधिकारियों की चापलूसी के आधार पर संचालित हैं। इन्हें तुरन्त कार्य दिया जावे या पद समाप्त कर स्टाफ को अन्यत्र समायोजित कर लिया जावे। जिससे राज्य सरकार को वित्तीय हानि से बचाया जा सकें।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) :

कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के केचमेन्ट एरिया में स्थित नहरें व केरियर एवं मेन ड्रेन्स की हालत बड़ी खराब है। आज से करीब 13–14 वर्ष में केचमेन्ट एरिया में केरियर एवं मेन ड्रेन्स को खोदा गया था परन्तु इतने लम्बे अंतरकाल के बाद आज तक भी केचमेन्ट एरिया की ड्रेन्स की सफाई नहीं की गई है, सफाई नहीं होने के कारण वाटर लोगिंग समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं तथा भूमि की उत्पादन क्षमता भी लगातार घटती जा रही है। सीपेज बढ़ने के कारण पैदावार काफी कमजोर होती है तथा काश्तकार को उसके लागत मूल्य की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। सीपेज के कारण काश्तकारों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है, 14–15 वर्षों से लगातार ड्रेन्स की सफाई नहीं होने कारण सिल्ट जमा हो चुकी है तथा खेतों में तथा रास्तों में पानी भरा रहता है। सिल्ट जमा होने के कारण नालियां बिल्कुल अवरुद्ध हो गयी है। खेतों में पानी भरा रहने के कारण हकाई, जुताई नहीं हो पाती है तथा वाटर लोगिंग की वजह से सिंचित क्षेत्र की भूमि पड़त घटती जा रही है।

पंचायत समिति सुल्तानपुर के केचमेन्ट एरिया में बमोरी, खेड़ली, महादीत, गड़पान, ढाबा, रीछाहेड़ी, किशोरपुरा, बूदादीत, सनीजावदण, टाकरवाड़ा केचमेन्ट से 15 वर्ष पूर्व ड्रेन्स बनाई गई थी। उक्त ड्रेनों को प्राथमिकता के आधार पर खुदवाने

352

(श्री बृजराज मीणा)

की आवश्यकता है। यदि शीघ्र ही केचमेन्ट एरिया में स्थित नालियों में भी सफाई शीघ्र नहीं हुई तो वाटर लोगिंग की समस्या विकट रूप से बढ़ जायेगी। पंचायत समिति सुल्तानपुर के केचमेन्ट एरिया की नहरों की सफाई भी पच्चीस सालों से नहीं हो पा रही है। नहरों की सफाई नहीं होने से नहरें ओवर-फूलों होती है तथा पानी नहरों के ऊपर होकर बहता है तथा टेल पोरसन में पानी नहीं पहुंच पाता है। घोरी माइनर, किशनगंज माइनर, नरपत खेड़ी माइनर, पीलल्या माइनर, प्लायता माइनर आदि नई नहरों की सफाई, जब से नहरें खुदी, तब से आज तक नहीं हुई।

अतः सुल्तानपुर केचमेन्ट एरिया स्थित नहरों, केरियर व मेनड्रेन्स की सफाई प्राथमिकता के आधार पर करवाने की व्यवस्था करें।

प्रश्न लोक महत्व का है।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

31 मार्च, 1991 को करीब 7 बजे शाम एक मनहूस शाम थी। गूजर छात्रावास में रविवार को मीटिंग निर्धारित पर अन्य रविवारों की भांति शान्ति से चल रही थी। अचानक करीब 7 बजे शान्त चल रही बैठक पर पत्थरों की वर्षा की जाने लगी। बैठक में भगदड़ मच गई, भागते लोगों को गोलियों से भूनने लगे, करीब 35 लोग गोलियों से घायल हुये एक छात्र वीर विक्रम सिंह के छः गोलियां लगीं जिसे उसी रास्ते में भागते हुए को ढेर कर दिया. यह गोलियां जिन हथियारों से चलाई गई उनको बरामद एक वर्ष बाद भी नहीं किया जो बहुत शर्म की बात है। यही नहीं उन हत्यारों की भी जमानत कराने में पुलिस ने खुली मदद करके जमानत करा दी है।

उसी रात को पुलिस अधिकारी पी. डी. शर्मा ने अपनी गाड़ी में डाल कर गायब करा दिया। आज तक यह भी जानकारी नहीं की कि वे किस टाइप के हथियार थे लाइसेन्स शुदा भी थे या बिना लाइसेन्स के, किस-किस व्यक्ति के थे। मुख्य पार्टी को एफ. आई. आर. भी पुलिस अधिकारी श्री पी. डी. शर्मा ने दूसरे थाने में फर्जी आदमी से फर्जी रिपोर्ट, फर्जी समय 4 बजे लिखाई गई जिसमें शर्मा की भावना साफ जाहिर होती है जो अपने आप में स्पष्ट है जबकि एक व्यक्ति भी मुलाजिम पार्टी का घायल नहीं हुआ एक की भी डाक्टरी नहीं हुई फिर भी उनके पत्र में 307, 435 आदि आई. पी. सी. की धाराएं लगवा दी गई। यही नहीं आग लगाने में भी मेरा नाम लिया गया है। बन्दूकों से तलवारों, से भालों आदि से हमला किया गया दर्शाया गया है जो

(श्री रामकरण सिंह)

अपने आप ही साफ झूठा साबित होता है क्योंकि एक व्यक्ति के चोट नहीं आई और एक की भी डाक्टरी से साबित नहीं हुई।

दूसरी महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि श्री राजकुमार पाण्डे ने इस माफिया गैंग को किस तरह किस अधिकार से अधिकृत किया कि इस प्लाट पर कब्जा करके निर्माण कार्य चालू किया, क्या इस माफिया गैंग को ठेका दिया था? क्या श्री पाण्डे ने इस माफिया गैंग को बेच दिया था या लाखों रुपये देकर श्री पी. डी. शर्मा से इन प्लाटों पर कब्जा कराने से बुरी नीयत से तैयार किया।

पुलिस को बहुत पहले से ही इस घटना और झगड़े का मालूम था। कई केस श्री पाण्डे व पाण्डे पर कर रखे थे। और पाण्डे ने अन्य पर। यही नहीं 31 मार्च, 1991 को चार बजे पहले मुकदमा नं. 313/83 को अपर जिला न्यायाधीश क्रमांक–3 जयपुर नगर ने 13-2-1984 को निरस्त कर दिया और कब्जा पाण्डे का नहीं माना बल्कि मन्दिर, छात्रावास और देवा का कब्जा कर करार रखा जिसकी सूचना पुनः मैंने मय नकल आदेश भिजवा दिया था।

पुलिस का क्या जाब्ता था पहले से लगा हुआ था, थाने की रोजनामचा रवानगी से, पहले कौनसा जाब्ता लगा हुआ था? वह झगड़े के समय जाब्ता कहां चला गया था? पुलिस ने 116/3 की कार्यवाही क्यों नहीं की, न पी. डी. शर्मा और गुप्ता पुलिस अधिकारी ने कभी मौका देखने का भी कष्ट किया और थाना अधिकारी को लिखित में कभी आदेश दिया ही नहीं। झगड़े की प्रथम रिपोर्ट पहुंचने के बाद कन्ट्रोल रूम या थाने में कब हलचल हुई और कब रवानगी झगड़ा स्थल पर पहुंचे और पहुंचने के बाद एक लड़के को चाकू मारा वह पी. डी. शर्मा की गाड़ी से उतर कर गया क्योंकि यह एक घण्टे बाद हुआ। झगड़े से पूर्व 2 माह की लाग बुक से जाहिर हो जायेगा कि यह शर्मा और गुप्ता कहां गये इनकी साप्ताहिक डायरी से साफ हो जायेगा।

यही नहीं इस मुकदमे का चालान भी 10 दिन के अन्दर-अन्दर नहीं किया जाना साफ जाहिर करता है कि सरकार मुलजिमों का पूरा-पूरा पक्ष लेकर उन्हें पूरी मदद बेल कराने में की है। मेरी बात डी. जे. साहब से हुई उन्होंने विभाग के अधिकारियों से 10 दिन पहले केस नम्बर 70/91 थाना मोती डूंगरी का करने का आदेश दिया। मैंने सी. आई. डी., एस. पी. पाटनी से की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 10 दिन पूरे होने के पहले मुकदमे का चालान कर देंगे मगर न जाने क्यों इस केस को बिगाड़ने के लिए हत्यारों की जमानत कराने के लिए यह कार्यवाही की गई। इसके

(श्री रामकरण सिंह)

लिए बार-बार माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव, डी. जी. साहब, आई. जी., जिलाधीश महोदय पर किसी तरह का कोई आज तक सन्तोष नहीं दिलाया।

हत्या के दिन पर कृषि मंत्री श्री सम्पतसिंह जी को मुख्य मंत्री जी ने कुछ मदद और सार्वजनिक घोषणा के लिए केमरी भेजा इसके बाद मंत्री श्री कालूलाल को भी कुछ आश्वासनों के साथ केमरी शोक सभा में भेजा जिन्होंने घोषणा की। लोक सभा के चुनाव से ठीक 15 दिन पूर्व शहीद वीर विक्रम सिंह के पिता श्री और भाई को नाथूसिंह पूर्व विधायक और खान मंत्री श्री कालू लाल की मार्फत बुलाया, 7 आदमियों का एक ग्रुप आया। मुख्य मंत्री जी ने केमरी में वीर विक्रम सिंह के नाम से कालेज खोलने, छात्रावास के लिए जमीन देने और अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया, वह पूरा कराया जावे।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) :

मकराना पंचायत समिति के करीब-करीब सभी ग्राम विद्युतीकृत हैं जो मकराना के 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन से जुड़े हैं एवं परबतसर पंचायत समिति के सभी ग्राम भी मकराना से ही जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ मकराना बोरावड़ एवं बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र एवं मकराना परबतसर कस्बे भी इसी 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार इस विद्युत ग्रिड स्टेशन पर ज्यादा लोड होने से तथा विद्युत के सही वोल्टेज नहीं मिलने से किसानों व उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है इसलिए मकराना में 220 के वी. के ग्रिड स्टेशन की मांग की जाती रही है इसकी स्वीकृति दिलाई जावे।

द्वितीय, मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बूडसू की आबादी करीब 6000 है एवं इस ग्राम की सीमा में ही करीब 70 कुओं पर कनेक्शन हैं एवं इसके आस-पास भी ग्रामों में 150 से अधिक कृषि कुओं पर 10 हार्स पावर के कनेक्शन हैं, यह बूडसू व आस-पास के ग्रामों में विद्युत लाइन मकराना से ही जाती है लेकिन बूडसू, रामपुर, गेलासन बरवाल, भरनाई, चाण्डी, चिपडालिया, कूकडोद, बरवाली, नान्दोली, चान्दावता दूरस्थ ग्राम होने से इन ग्रामों में लम्बी लाइनें होने से वोल्टेज सही नहीं मिलते हैं जिससे किसानों की फसल जल जाती है एवं स्थानीय जल प्रदाय योजना भी बन्द हो जाती है। मकराना से बूडसू जाने वाली लाइन से विद्युत छीजत 8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिये लेकिन लाइन की लम्बाई ज्यादा हो जाने से 40% से 50% के बीच

(श्री बिरधाराम चौधरी)

छीजत चली जाती है एवं किसानों को विद्युत नहीं मिलने व कम वोल्टेज से मोटर व ट्रान्सफार्मर्स जल जाते हैं जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। इसके निराकरण हेतु क्षेत्र की जनता व मैंने बार-बार ग्राम बूडसू में 33 के. वी. का सब स्टेशन स्वीकृत करने की मांग की है एवं इसी सत्र में मेरे द्वारा रखे गये तारांकित प्रश्न पर जवाब दिया गया है कि इस बूडसू के 33 के. वी. सब स्टेशन को वि. ओ. वाई. टी. स्कीम के तहत स्वीकृत करना बताया है। वित्तीय संसाधन उपलब्धता पर शुरू करवाना बताया है जिससे स्पष्ट है कि इससे किसानों को जल्द ही राहत देने की बोर्ड एवं सरकार की मंशा नहीं है। कारण कि कब वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे स्पष्ट नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि ग्राम बूडसू में 33 के. वी. सब स्टेशन को आर. ई. सी स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाकर अविलम्ब चालू करवाया जावे ताकि किसानों को राहत स्थानीय जल प्रदाय योजनाओं को लाभ मिल सके। साथ ही मीचावा में 33 के. वी. सब स्टेशन भी स्वीकृति शुदा है। कार्य दो साल से अपूर्ण है उसको भी पूर्ण करवाया जावें।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) :

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं उदयपुरवाटी तहसील (झुन्झुनू) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को नये मार्गों पर चलाये जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुरवाटी तहसील में राजस्थान राज्य पथ परिवहन द्वारा नगण्य बसें संचालित की जा रही हैं। सीकर, झुन्झुनू, नीम का थाना, कोटपूतली, जयपुर, दिल्ली, हरिद्वार, अजमेर, पुष्कर, नागौर, ज़िला तथा अन्य स्थानों से व्यापारिक, प्रशासनिक, पारिवारिक दृष्टि से बार-बार आना-जाना पड़ता है।

मान्यवर, उदयपुरवाटी गुढ़ा से उपरोक्त स्थानों से सम्पर्क हेतु बहुत कम मार्गों पर सीमित बसें चलायी जाती हैं। इस क्षेत्र की जनता को इधर-उधर विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए उन्हें निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में निजी वाहनों की हालत बड़ी खराब होती है। पुराने, टूटे-फूटे वाहन, बिना परमिट, फिटनेस, अन्धाधुन्ध गति, ओवर लोडेड दौड़ते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। यात्रियों के समय एवं जन-धन की भयंकर क्षति हो रही है। इन सभी को रोकने के लिए आवश्यक है कि निम्न मार्गों पर बसें चलाने का कार्यक्रम करें :–

(1) जयपुर से गुढ़ा सांय बन्द की गई बस पुनःप्रारम्भ की जावे।

(श्री मदनलाल सैनी)

(2) झुन्झुनूं से वाया गुढ़ा, उदयपुरवाटी, नीम का थाना, कोटपूतली, दिल्ली, हरिद्वार तक।

(3) झुन्झुनूं से पुष्कर वाया गुढ़ा उदयपुरवाटी, खण्डेला, रींगस, खाटू श्याम जी, दांता रामगढ़,नावां, परबतसर, थावला, पुष्कर।

(4) झुन्झुनूं अजमेर—झुन्झुनूं गुढ़ा, उदयपुरवाटी, सीकर, लोसल, परबतसर, रूपनगढ़, अजमेर।

(5) झुन्झुनूं से नीमका थाना वाया गुढ़ा उदयपुरवाटी, मालावास, बागोली नीमका थाना।

(6) जयपुर से सराया बस को जयपुर से मणकसास तक बढ़ायी जाय।

(7) झुन्झूनूं वाया गुढ़ा उदयपुरवाटी, जयपुर रात्रि वाहन।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय यातायात मंत्री महोदय का ध्यान इस क्षेत्र में बसें चलाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे शीघ्र उपरोक्त स्थानों पर बसें प्रारम्भ कर अनुगृहीत करें।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) :

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में व्याप्त अव्यवस्था तथा अनियमितता से मरीजों को वर्तमान में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल एक मात्र बड़ा अस्पताल है। जहां प्रायः उपलब्ध उपकरणों को मरीजों के उपचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता। सामान्यतया इन उपकरणों को खराब बता दिया जाता है एवं बाहर के क्लिनिकों में जांच हेतु भेजा जाकर डाक्टरों द्वारा कमीशन कमाया जाता है। इनमें से कुछ को डाक्टरों द्वारा ही सचालित किया जाता है।

कुछ समय पूर्व महात्मा गांधी अस्पताल में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डायलिसिस मशीन स्थापित की गई थी। किन्तु वहां अकुशल डाक्टरों द्वारा गलत तरीके से इसका उपयोग किया गया। जिससे मशीन खराब हो गई। तभी से यह मशीन बेकार पड़ी है। जिससे मरीजों को अनावश्यक वित्तीय तथा शारीरिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

महात्मा गांधी अस्पताल में आॅर्थोपेडिक्स विभाग में विशेषज्ञ के पद पर अनुभवी डाक्टरों का पदस्थापन नहीं किया हुआ है तथा आर्थोपेडिक्स विभाग में प्राय: एक्सरे मशीन तथा अन्य उपकरणों की समुचित मात्रा में व्यवस्था नहीं होने से भी आर्थोपेडिक्स विभाग में मशीनों की दुर्दशा देखी जा सकती है। यहां मरीजों के लिए बैड्स का अभाव है जिसके कारण मरीजों को जमीन पर बिना बिस्तर के तड़पना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में डाक्टरों तथा कर्मचारियों की मिलीभगत से ग्लूकोज स्लाइन जो कि वहीं फार्मास्यूटिकल प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, वहां न बनाया जाकर गत पांच वर्षों से बाजार से खरीदा जा रहा है जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपये की क्षति प्रति वर्ष हो रही है।

फार्मास्यूटिकल प्रयोगशाला के लिए स्वीकृत फार्मेसिस्ट के पदों पर तकनीकी कर्मचारियों को अन्यत्र पदस्थापित किया जा रहा है जिससे भी उक्त प्रयोगशाला का कार्य समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि महात्मा गांधी अस्पताल में फार्मास्यूटिकल प्रयोगशाला में स्वीकृत पदों के अनुसार डाक्टरों, फार्मेसिस्ट तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों का पदस्थापन शीघ्र किया जावे।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) :

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री गुजरमल सरपंच ग्राम पंचायत भावरू पंचायत समिति विराट नगर (जयपुर) ने अपने कार्यकाल में पद का दुरुपयोग सरकारी धन का गबन फर्जी दस्तावेज तैयार करना एवं अनेक ऐसे कार्य किये हैं जिनकी विभागीय जांच करवाकर उक्त सरपंच के भ्रष्ट कार्यों का पर्दाफाश किया जावे। जो निम्न है :—

(1) निर्माण कार्यों में फर्जी कर्मचारियों के नाम भरकर सरकारी धन राशि हड़प की है, जो सम्बन्धित मस्टरोलों में देखा जा सकता है।

(श्री गोपीराम जाट)

(2) निर्माण कार्यों में मनमाने ढंग से सामान खरीद कर गबन किया जिसका कोई व्यवस्थित लेखा-जोखा भी नहीं है, न ही टेण्डर लिये गये हैं। कई बिल फर्जी बनवाये गये हैं। उदाहरणार्थ बिल नम्बर 786 दिनांक 17-4-1991 एवं बिल नम्बर 786 दिनांक 22-4-1991 एक ही बिल ऐसा मालूम होता है, जो दो बार अलग-अलग तारीखों में दर्शाया जाकर राशि का गबन किया है।

(3) न तो मस्टरोल अनुमोदित किये गये हैं और न ही उपस्थिति करने वाले के हस्ताक्षर हैं और न पंचायत के सदस्यों को ही कोई जानकारी है।)

(4) माध्यमिक विधालय मामरू एवं प्राथमिक विद्यालय ढाणी जैसकान में जो निर्माण कार्य हुये है। वे खर्चे के मुताबिक भी नहीं हैं आदि निर्माण कार्यों में कमजोर एवं कभी भी क्षतिग्रस्त हो जाने वाली पट्टियां आदि लगायी गयी हैं जो बच्चों के जीवन के साथ एक खिलवाड़ है।

(5) मस्टररोल नं. 293, 294, 498, 499 आदि में श्रमिकों की जाति एवं घर का पता आदि का कोई उल्लेख न होने से ऐसा लगता है कि काफी गोल-मोल करके गबन किया गया है।

(6) कई मस्टररोल ऐसे हैं जिनमें कर्मचारी के राशि प्राप्तकर्ता के स्थान पर हस्ताक्षर ही नहीं हैं, जैसे मस्टरोल संख्या 406 दिसम्बर, 1989 में दिनांक 22-4-1989 से 31-12-1989 तक श्री राम पुत्र श्री घीसाराम के हस्ताक्षर नहीं है। इस तरह वाउचर संख्या 66 रोकड़ पाना 91 में मालीराम पुत्र श्री रतीराम के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(7) उक्त कराये गये समस्त कार्यों की जानकारी सरपंच ने न तो सदस्यों को ही दी है और न उनके द्वारा कार्यों का अनुमोदन कराया गया है। स्पष्ट रूप से मनमानी करके सरपंच ने पद का दुरुपयोग किया है। जो मस्टररोल संख्या 18026, 18027, 18097, 18022, 18011 एवं 230, 328, 374, 435, 445, 375, 410, 377, 406, 404, 273, 292, 293, 294, 498, 499, 232 आदि में देखा जा सकता है।

(श्री गोपीराम जाट)

(8) सीतापुर (माबरू) में जोहड़ खुदवाया जाना बताया गया है। जबकि वहां जोहड़ खुदवाने जैसा कोई कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है।

(9) वाऊचर संख्या 53 रोकड़ पाना 85, वाऊचर संख्या 51 रोकड़ पाना 85, वाऊचर संख्या 22 रोकड़ पाना 73 में न तो भुगतान प्राप्त कर्ता के है हस्ताक्षर और न ही रेवेन्यु टिकट लगा हुआ है। ऐसे फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन राशि का खुले रूप में इसमें गबन किया गया है।

(10) प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एवं नाबालिग बच्चों को सरकारी काम पर लगाकर राशि का गबन किया है। उदाहरणार्थ अर्जुन लाल गुर्जर पुत्र श्री हनुमान गुर्जर जो कि प्राइमरी स्कूल माबरू की चौथी कक्षा में पढ़ता है। जिनकी स्कूल में उम्र 11 वर्ष है। जन्म तिथि स्कूल में 10-5-1980 लिखी हुई है। श्री सरपंच गुरमल ने अपने पद का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग करके सरकारी धनराशि का गबन किया है। व इसी स्कूल समय में भी अर्जुनलाल उपस्थित रहा है।

(11) वाऊचर संख्या 68 एवं 70 रोकड़ पाना 43 में न तो भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है न ही नीचे बिल काटने वाले के हस्ताक्षर है। इससे प्रतीत होता है कि जवाहर रोजगार में कराये गये कार्यों में श्री गुजरमल सरपंच ने सरकारी धन राशि का खुले रूप से गबन किया है। गुजरमल सरपंच द्वारा किये गये गबन के सारे दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ, संलग्न हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि पंचायत द्वारा कराये गये उक्त रिकार्ड को तुरन्त सीज करवा कर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

दिनांक 13-3-92 को सुरेन्द्र सिंह प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू अध्यापक अभय सिंह तथा सवाईसिंह ग्राम सेवक के साथ खेतड़ी बैंक से अपने स्टाफ का फरवरी माह का वेतन लेने के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लिए पहुंचे । यह दोनों व्यक्ति पंचायत समिति के पास उतर गये और सुरेन्द्रसिंह ने करीब 1.30 बजे वेतन लिया और वहां से चलकर ए. डी. ओ. कार्यालय में गये वहां पर उन्होंने माह मार्च, 1992 के बिल जमा करवाये और फिर करीब दो या सवा दो बजे खेतड़ी के पोपुलर स्टोर की दुकान पर पहुंचें । वहां पहुंचने के तीन चार मिनट बाद ही एक व्यक्ति जो नीली पेन्ट और सफेद शर्ट पहने था आया और बोला नंगली सलेदी सिंह हैड मास्टर कौन से है तब दुकान मालिक बनारसी लालजी ने कहा कि यह रहे एच. एम. साहब तब सुरेन्द्र कुमार जी ने कहा क्या बात है ? तब उसने कहा कि आपके साथ जो अध्यापक अभयसिंह जी आये थे उनका पंचायत समिति के पास एक्सीडेंट हो गया है उन्हें कॉपर के अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और आपको वहां बुलाया है तो उन्होंने पूछा कि आपका कौन-सा ग्राम है, तो उसने जवाब दिया कि मैं खुडोत का रहने वाला हूं । फिर यह दोनों वहा से चले तो किशोर वाच कम्पनी के पास जीप खड़ी थी । प्रधानाध्यापक जी जीप की अगली सीट पर बैठने लगे तो ड्राइवर ने कहा मास्टरजी आप पीछे बैठ जावें एक जनाना सवारी आगे बैठेगी । मास्टरजी पीछे बैठ गये उसके बाद जीप ए. ईएन. कार्यालय मोड़ से करीब 300–400 मीटर पहले रुकी और उसमें तुरन्त सुभाष पुत्र श्री गोविन्दा, धर्मपाल पुत्र हरनारायण और महेन्द्र पुत्र मामराम निवासी नाटास उस जीप में बैठ गये और बैठते ही सुभाष पुत्र श्री गोविन्दा ने प्रधानाध्यापक की छाती पर रिवाल्वर लगा दिया और एक हाथ सुभाष ने पकड़ा और दूसरा हाथ धर्मपाल पुत्र हरनारायण ने पकड़ लिया और सीट से नीचे उतार कर बीच में बैठा दिया । महेन्द्र गाली बोलता रहा लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया । इस बीच धर्मपाल ने प्रधानाध्यापक से रुपयों का थैला छीन लिया, इस थैले में 15415 रु. वेतन के थे । फिर निजामपुर मोड़ से पहले ढाणी जागड़कावाली पंचायत भवन से थोड़ा पहले प्रधानाध्यापक जी को गाड़ी से नीचे पटक दिया प्रधानाध्यापक गाड़ी के नम्बर भी नहीं पढ़ सके केवल आर. एस. क्यू. मात्र पढ़ पाये । वहां से प्रधानाध्यापक पंचायत समिति कार्यालय में गये वहां से मास्टर अभयसिंह एवं ग्राम सेवकजी को साथ लेकर खेतड़ी थाने में गये । थानेदार को पूरा वर्णन बताया फिर थानेदार साहब ने कहा गाड़ी लाओ तो वे गाड़ी लाये फिर 3.30 बजे थाने से चले । कॉपर, सिघाना, चिड़ावा, सुलताना केरपुरा, इस्लामपुर होते हुए डकैतों के घर पर उनके खेत में जहां वे रहते हैं करीब सात बजे पहुंचे । वहां पर सुभाष एवं धर्मपाल को पकड़ कर खेतड़ी ले गये खेतड़ी करीब 9 बजे पहुंचे । थाने में बिठाने के दो घन्टे बाद अर्थात 11 बजे प्रधानाध्यापकजी को डिप्टी एस. पी. (उप पुलिस अधीक्षक)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

खेतड़ी ने अलग कमरे में बुलाया। पूछताछ की और बुरी तरह से एक-एक कर पीटते रहे। थानेदार खेतड़ी, दोनों ए. एस. आई. तथा अन्य हवलदार इत्यादि भी पिटाई करते रहे कई कागजों पर बिना पढ़ाये ही दस्तखत भी करवाये। 14 तारीख को घावों को सहलाया शरीर पर मालिश भी करवाई कुछ गोलियां भी खाने को दी 14 तारीख की रात्रि को 11 बजे अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी खेतड़ी ने थाने में जाकर प्रधानाध्यापक को छुड़ाया। थाने में प्रधानाध्यापक की पिटाई इन डकैतों अर्थात् लूटपाट करने वालों के सामने होती रही उन्हें थाने में कुछ भी नहीं कहा गया।

इस मामले में दो-तीन प्रश्न अनुत्तरित हैं जिन पर मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

जब रिपोर्ट नामजद थी और 2.30 बजे, एफ. आई. आर. लॉज हुई तब पुलिस 7 बजे लूटपाट करने वालों के गांव पहुंची। थाने में एस. एच. ओ. एवं डिप्टी एस. पी. की गाड़ी मौजूद होते हुए भी लूटपाट करने वालों का पीछा करने हेतु जीप किराये की क्यों मंगवाई गई? 2.30 बजे रिपोर्ट होने पर 3.30 बजे तक पुलिस दल ने किसका इन्तजार किया? अपराधियों को 13-3-92 को सायं 7 बजे पकड़ा लेकिन कोई पूछताछ नहीं की और प्रधानाध्यापक को दो दिन तक हिरासत में रखकर बेरहमी से पीटा गया।

यदि प्रधानाध्यापक दोषी थे तो दो दिन तक पिटाई के बाद उन्हें छोड़ा क्यों गया? 24 घन्टे बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश क्यों नहीं किया गया?

उक्त प्रकरण को लेकर सुरेन्द्रसिंह प्रधानाध्यापक आमरण अनशन पर 1-4-92 से उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के कार्यालय के सम्मुख बैठे हैं और इस परिक्षेत्र के शिक्षक संगठन भी 1-4-92 से आन्दोलनरत हैं और 7-4-92 को शिक्षकों का विशाल प्रदर्शन भी उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के कार्यालय के सामने होने जा रहा है इस प्रकार से आम जनता भी सहमी हुई आन्दोलित हैं।

अतः मैं विशेष उल्लेख के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

1. प्रार्थी के साथ ज्यादतियाँ करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर न्यायिक जांच करवाई जावे।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

2. लूटमार करने वाले अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर, लूटी रकम वापिस सुरेन्द्र कुमार को दिलाकर उन्हें दण्डित किया जावे।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

राजस्थान के प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों का धरना 250 दिन से चला आ रहा है और आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। पूर्व में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रस पिलाकर इनका धरना तुड़वाया था और कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार ये बेरोजगार इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कई तो बेचारे ओवरएज भी होने जा रहे हैं। रिक्त पद भी स्वास्थ्य विभाग में पड़े हुए हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है तथा इस प्रक्रिया के माध्यम से इनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार इन शिक्षित बेरोजगारों को शीघ्र रोजगार दे।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) :

ग्राम साण्डेराव के खसरा नं. 171 पूर्ण व खसरा नं. 753, 1120, 1703, 1704, 1705, 1119, 1701 व 1702 का 1/2 हिस्सा बंदोबस्त के पूर्व की खेवट खतौनी में उगमसिंह वल्द मानसिंह राजपूत निवासी साण्डेराव के नाम दर्ज थे। उगमसिंह की पुत्र वधुओं श्रीमती मिटु कंवर तथा श्रीमती राजेन्द्र कंवर के प्रार्थना-पत्र के आधार पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा श्री उगम सिंह के बयान लिये जाकर उक्त भूमि उनकी पुत्र वधुओं के नाम करने हेतु दिनांक 10-2-84 पत्रावली संख्या 317/89 निर्णय जारी किया गया। इसी निर्णय के आधार पर तरमीम पर्चा जारी किया गया।

उक्त नियमन सहायक बन्दोबस्त अधिकारी श्री हनवंत सिंह राठौड़, वर्तमान जिला कलक्टर, जालौर द्वारा केवल मात्र बयानों के आधार पर किया गया जो कि गैर-कानूनी तथा नियम विरुद्ध था एवं जो श्री उगम सिंह को अवांछित लाभ पहुंचाने हेतु किया गया था।

(श्री प्रभुराम गरासिया)

इस प्रकार खातेदार के जिन्दा होते हुए कृषि भूमि उनकी पुत्र वधुओं के नाम केवल बयानों के आधार पर किया जाना सर्वथा गैर-कानूनी है। कृपया इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करावें। मात्र सीलिंग से बचने हेतु ऐसी कार्यवाही की गई है।

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) :

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्राम बालिया तहसील डीडवाना (नागौर) के राजस्व अभिलेखा के खसरा नं. 437, 440, 442, 486, 488 के अन्तर्गत कुल जमा 18½ बीघा भूमि गै. मु. श्मशान के रूप में दर्ज थी। बाद में इनमें से 991/6 भूमि अलग-अलग व्यक्तियों के नाम नियमन कर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। इस कार्यवाही के पश्चात् उक्त भूमि में मात्र 6/1 भूमि श्मशान के लिए उपलब्ध रह गई किन्तु निहित स्वार्थी लोगों ने इसको भी सुरक्षित नहीं छोड़ा और इस पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से अपना कब्जा जमा लिया। इन अतिक्रमियों के नाम और विवरण इस प्रकार से है :—

(1) इस्माइल पुत्र श्री रमजानी 11/3

(2) कमालू पुत्र श्री जमाल 9/9

(3) अजीज पुत्र श्री रजाक 91/

2911/4

इस प्रकार 6/1, 6/1 भूमि में से 9111/4 भूमि पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है और अब मात्र 5/2 ही भूमि शेष बची है जो श्मशान के लिए पर्याप्त नहीं है। ग्रामवासियों को अपने परिजनों के देहावसान पर उनके अन्तिम संस्कार के लिए भी इन भूमि अतिक्रमणों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में गांव के लोगों द्वारा तहसीलदार डीडवाना को शिकायत की गई। पटवारी हल्का बालीया द्वारा अतिक्रमियों पर धारा 91 भू-राजस्व

(श्री गुलाब सिंह)

कानून 1959 के तहत कार्यवाही की गई। तहसीलदार डीडवाना के कोर्ट में मुकदमा सं. 6/91 दर्ज हुआ जिसका निर्णय दिनांक 22-11-91 को सुनाया गया जिसमें आदेश दिया गया कि खसरा नं. 486 गै. मु. श्मशान नहीं है और इसके अतिक्रमियों के नियमन करने का कोई औचित्य नहीं है अतः अतिक्रमियों को बेदखल किया जावे साथ ही उन्होंने अतिक्रमियों पर जुर्माना भी लागू किया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर नागौर ने भी अपनी तरफ से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् अपने पत्र क्रमांक एफ-12/226/राज./90/4527 दिनांक 17-9-90 द्वारा किया था कि उक्त अतिक्रमण अतिशीघ्र हटवा दिया जाएगा अफसोस की बात है कि इस विषय भर अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और जन भावना को उद्वेलित करने वाला मामला हो इस मामले में तुरन्त प्रभावी कार्यवाही अत्यन्त आवश्यक है। उक्त अतिक्रमण शीघ्र हटवाया जाने की कार्यवाही कर असंतोष को भड़कने से रोका जाना अपेक्षित है।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

झालावाड़ जिले में भयंकर रूप से अपराध वृत्तियां बढ़ रही है। दिनांक 20 मार्च को भवानी मंडी कस्बे में अनुसूचित जाति के लोगों पर प्राण घातक हमला हुआ। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 20 मार्च को ही पचपहाड़ कस्बे में भंवरलाल मेहर अनु. जाति के व्यक्ति पर एक बदमाश ने तलवार से प्राण घातक हमला किया। उसकी रिपोर्ट भी थाना भवानी मंडी में कराई गई। अपराधी सरे आम घूम रहा है। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया इसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत है। दिनांक 27 मार्च की रात्रि को करावन ग्राम में कुएं पर सोये हुए अनु. जाति के साधुलाल तथा बालाराम पर प्राण घातक हमला कर दिया। अपराधियों को पहचान लिया और नामजद रिपोर्ट थाना पगारिया में दर्ज कराई, थानेदार की अपराधियों से मिली-भगत तथा रिश्वत लेने से अपराधी अभी भी जान से मारने

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

की धमकी दे रहे हैं। घायल बालाराम व राधुलाल का इलाज भवानी मण्डी अस्पताल में चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उनको सहायता राशि दी जाये। पन्द्रह दिन पूर्व वाचरनी ग्राम में बदमाशों द्वारा डग निवासी शोभाग जैन की मोटर साइकिल दिन-दहाड़े छीन ली, डग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। दिनांक 20 को भवानी मंडी के नगर पालिका पार्षद अशोक गर्ग के निवास पर धारिया-बल्लम लेकर प्राण घातक हमला किया कोई कार्यवाही नहीं हुई। झालावाड़, झालरापाटन, पिड़ावा, भवानी मंडी कस्बों में सरेआम चाकू मारने की घटनाएं हो रही हैं। अपराधियों को किसी प्रकार का भय नहीं, डग-चौमेला-भवानी मंडी-सुनेल-झालावाड़-झालरापाटन में जुआ-सट्टे के सरेआम अड्डे चल रहे हैं। भवानी मंडी कस्बे में खुले आम स्मैक का व्यापार हो रहा है। इससे नवयुवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनका जीवन खराब हो रहा है। स्मैक पीने वालों की बहुत जल्दी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। भवानी मंडी-डग-चौमेला-पिड़ावा-झालावाड़-झालरापाटन कस्बों मे स्मैक का धन्धा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है।

दिखावे की दृष्टि से कुछ केस बनाते और भारी रिश्वत लेकर रफा-दफा कर देते हैं। इसमें पुलिस विभाग व आबकारी के अधिकारियों की पूरी-पूरी मिली भगत है। इससे जिले में गुण्डा-गर्दी, चोरियां, जेब काटना, बसों ट्रेनों में लूट-पाट करने के अपराध भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं और अच्छे लोगों का जीना दूभर हो रहा है।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का गम्भीर प्रस्ताव है, तथा गृह मंत्रीजी से सम्बन्ध रखता है।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरनसर) :–

उपनिदेशन तहसील पूगल के भूमिहीन आवंटी काश्तकारों को काफी वर्षों के बाद भी आज तक कब्जा नहीं मिला हैं जिसकी वजह से पीड़ित कुछ व्यक्ति विशेष का उल्लेख करना चाहूंगा। उदाहरणार्थ श्री खेमाराम पुत्र श्री सांवतराम जाट निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर को आर. डी 656 जो सी. ए.

(श्री मनीराम सियाग)

डी. की सर्वे के अनुसार कालान्तर में आर डी. 650 के नाम से कहलाया में मुरब्बा नं. 232/64 20 बीघा बीस्वा कमाण्ड भूमि का (भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में) सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ के पट्टे क्रमांक रीडर 11/4138 दिनांक 16-10-1990 द्वारा जो पूर्व में 30-4-1981 का आवंटी था।

उक्त जमीन का कब्जा तहसीलदार छतरगढ नं. 2 के आदेश क्रमांक 359 दिनांक 14-11-1990 के अनुसार तत्कालीन हल्का पटवारी ने उसी साथ मौके पर जाकर दे दिया था। उसी समय से खेमाराम उक्त जमीन में ढाणी बांधकर काबिज था उसने प्रथम किश्त चालन सं. 534 दिनांक 27-1-1990 को राज खजाने में जमा करवा दी थी। व बरसात होते ही उसने खेत में ग्वार की फसल बो दी थी।

बाद में खेमराम का नामान्तरण तत्कालीन हल्का पटवारी तहसीलदार पूगल वव ऑफिस कानूनगो ने अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से रिकार्ड में हेराफेरी कर नामान्तकरण करने के दो सप्ताह बाद पिछली दिनांक 5-8-1991 में खारिज कर दिया। नामान्तरकरण रद्द करने का कारण ए. सी. सी. के डी. ओ. क्रमांक 2958 दिनांक 24-7 1991 को बनाकर लिखा गया कि उक्त रकबा चरागाह हेतु वन विभाग को आवंटित है। जबकि वास्तविकता यह है कि नामन्तरकरण व गिरदावरी में रकबा वन विभाग को आवंटित नहीं होकर आराजी राज अंकित है। तत्कालीन तहसीलदार पूगल, तत्कालीन हल्का पटवारी व आफिस कानूनगो पूगल अनुचित लाभ के प्रभाव में माधोसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह को एक जाली पट्टे के आधार पर काबिज कराना चाहते थे। इधर तो इन्होंने खेमाराम का नामान्तरकरण रद्द किया, उधर इनकी सह पर माधोसिंह वगैरह ने मिलकर खेमाराम की ढाणी नष्ट कर उसकी झोपड़ी व उसमें रखा घरेलू सामान ले गये जिसकी रिपोर्ट खेमाराम ने छतरगढ थाने में दर्ज करवाई जो एफ. आई. आर. नं. 73 दिनांक 21-8-1991 पर दर्ज है। छतरगढ थानेदार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की तब पुलिस अधीक्षक ने जांच महाजन थानेदार को दी जिससे माधोसिंह को दिनांक 22-2-92 को गिरफ्तार किया अन्य मुलजिमान अभी पकडे ही नहीं हैं। इस प्रकार राजस्व अधिकारीगण व थानेदार छतरगढ के सहयोग से माधोसिंह ने खेमाराम को जबरन उस जमीन से बेधकल कर दिया।

दिनांक 16-9-1991 को खेमाराम ने नामान्तरणकरण को बहाल कराने व रिकार्ड में नाम इन्द्राज करवाने के संबंध में माननीय राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री राजस्थान सरकार को पत्र लिखा जिस पर दिनांक 18-9-1991 को आयुक्त उप-

(श्री मनीराम सियाग)

निवेशन बीकानेर को आदेश दिये कि अविलम्ब जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें एवं परिणाम से राज्य सरकार को अवगत करावें।

इस आदेश पर तत्कालीन आयुक्त उपनिवेशन ने जांच कराकर अपनी रिपोर्ट क्रमांक 970 दिनांक 4-12-1991 राज्य सरकार को प्रस्तुत की जिसमें लिखा गया कि प्रार्थी खेमाराम की भूमि के आवंटन को खारिज किये जाने षडयन्त्र किया गया हैं तत्कालीन हल्का पटवारी, आफिसर कानूनगो एवं तहसीलदार उपनिवेशन पूगल द्वारा उक्त नामान्तरकरण खारिज किये जाने में शामिल कार्यवाही की गई हैं।

और अतः इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हैं। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने दिनांक 28-12-1991 को अपने पत्र क्रमांक 3 (150) उप/91 के जरिये आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को निम्न आदेश दिये "उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि दोषी अधिकारीगण/कर्मचारीगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अनियमित आवंटन निरस्त किया जावें तथा अधिकृत आवंटी को कब्जा दिया जाकर शासन को तत्काल सूचित करे।

राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भी आज तक न तो किसी दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही गई है और न ही अधिकृत आवंटी श्री खेमाराम को पुनः कब्जा दिलाया गया है। इस प्रकार अनेक काश्तकार ऐसे हैं जो भूमि हडपने की नियत से बने गिरोह के सरगनाओं से परेशान है और विधिवत अलोटी होने के बावजूद भी अपनी भूमि से हाथ धोये बैठे हैं। सरकार की तरफ याचक बन कर अपनी दयनीय हालात पर गौर फरमाते हुए सरकार से याचना कर रहे हैं इतः समय रहते सरकार आवश्यक कदम उठावें।

धन्यवाद।

श्री रामकरण चौधरी (मेड़ता) :–

भारत में जन संख्या नियंत्रण हेतु सभी चिंतित हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम पर विशेष प्रयास कर रही है इस कार्यक्रम को जन आन्दोलन का रूप देने के प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा इस कार्य की सफलता के लिये व्यय किया जा रहा है। "नसबंदी" कार्यक्रम के जगह-जगह विशेष शिविर लगाये जा रहे है। मगर कई बार चिकित्सकों

(श्री रामकरण चौधरी)

की घोर लापरवाही अथवा अयोग्यता से इस नसबन्दी के कार्यक्रम में रूकावट आती हैं। ग्राम जनता में भय व्याप्त हो जाता है। मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के ग्राम वासनी सेज्जा की औरत के साथ घटित घटना सुनकर आपको इस नसबन्दी के कार्यक्रम में डाक्टरों की लापरवाही अथवा अयोग्यता का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होगा। दिनांक 24-2-92 को स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग, नागौर द्वारा ग्राम गोटन तहसील मेड़ता में नसबन्दी आपरेशन का शिविर आयोजित किया गया। उस शिविर में ग्राम बासनी सैज्जा तहसील मेड़ता की श्रीमती सुप्यारी देवी धर्मपत्नी श्री छोटूराम जाति जाट अपनी सासू के साथ नसबंदी कराने गई। मेड़ता सिटी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक श्री अशोक मेघवाल (सर्जन) ने श्रीमती सुप्यारी के नसबंदी ऑपरेशन में बहुत लापरवाही से कार्य किया और अपनी अयोग्यता का प्रमाण प्रस्तुत किया। नसबंदी में पूरी बच्चादानी काट दी जिससे दिनांक 24-2-92 को ही सायंकाल करीब साढे चार बजे शिविर में ही श्रीमती सुप्यारी की मृत्य हो गई। इस पर सुप्यारी की सासू ने चिकित्सक श्री अशोक मेघवाल को रोते हुए दुःख व्यक्त किया। मगर चिकित्सक श्री अशोक मेघवाल ने इस मामलात को दबाने की नियत से सुप्यारी की सासू को अंधेरे में रखा और सुप्यारी की तबियत बिगड़ने का बहाना बताकर उसकी लाश को तत्काल मेड़तासिटी चिकित्सालय में लाये। मेड़तासिटी चिकित्सालय में सुप्यारी की सासू को धोखा देने व अंधकार में रखने की नियत से लाश के झूठी ग्लूकोज की बोतले लटका दी और अपने विभाग के उच्च अधिकारियों की साजिश से रात को सुप्यारी के पति व श्वसुर को उनके गांव जीप भेजकर बुलाया और सुप्यारी की लाश सौंप दी भोले भाले अज्ञान परिवार की अनपढ़ महिला श्रीमती सुप्यारी के जीवन के साथ यह घिनौना खिलवाड़ करके उसकी हत्या की गई है। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में भयंकर आक्रोश है। इससे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को बडा भारी धक्का लगेगा।

अतः दोषी चिकित्सक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाकर दंडित किया जावे। श्रीमति सुप्यारी के प्रति व छोटे-छोटे मासूम बच्चों को मुआवजा राज्य सरकार देवें। अतः इसे आज ही सदन में रखा जावे व ग्राह्यता की स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) :

(1) बांसवाड़ा जिला की तहसील घाटोल क्षेत्रीय जन जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं तथा इस क्षेत्र में भयंकर बेरोजगारी व्याप्त है। कई लम्बे समय से स्थानीय जनता की मांग है कि तहसील मुख्यावास पर लघु व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जावे।

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

(2) यह है कि तहसील घाटोल में 316 गांव है व 40 ग्राम पंचायतें एवं 44 पटवार मण्डल क्षेत्रीय घेरे में जन-जाति व अनुसूचित जाति के लड़के पढ़ाई करने के बाद रोजगार की इन्तजार में भटक रहे है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि तत्काल तहसील घाटोल की जानकारी ली जाकर मिनी आई. टी. आई खुलवाई जाकर जनजाति के बेरोजगार युवकों को औद्योगिक व्यवसाय में लगाया जाकर रोजगार दिलाने की व्यवस्था कराई जाने बाबत नियम 295 के तहत प्रस्ताव द्वारा मांग करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा आर्य (नोहर) :—

नोहर से साहवा सड़क का निर्माण कार्य सन् 1990 में प्रारम्भ किया था जो अभी तीव्र गति पर है। इस सड़क के तकमीने में स्वीकृत निरीक्षण गृह का निर्माण इसी सड़क की बजट राशि से 1991 में ही पूर्ण कराया गया है जिसका उद्देश्य इस सड़क के निरीक्षण हेतु आये अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों आदि के लिये विश्राम गृह है।

मुझे मालूम पड़ा है कि इस विश्राम गृह में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर का कार्यालय स्थानान्तरित कर दिया गया हैं जो नियम विरूद्ध है। सहायक अभियन्ता का कार्यालय पिछले 25 वर्षों से पी डब्लू. डी. कॉलोनी के एक क्वार्टर में स्थित था परन्तु इस क्वार्टर को निजी उपयोग के लेने के स्वार्थ के कारण यहां से विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यालय को बिना उच्चधिकारियों की स्वीकृति के हटा दिया गया है। इस कार्यालय में जनता के लोग संरपच ठेकेदार व जनता के प्रतिनिधियों का अक्सर काम पड़ता है व अब इस कार्यालय को शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर विश्राम गृह में नियमों के विरुद्ध स्थानान्तरण करना जनता व कार्यालय से सम्बद्ध लोगों के साथ अन्याय है।

अतः निजी स्वार्थों के कारण स्थान्तरित कार्यालय भवन सहायक अभियन्ता, सा. नि. विभाग नोहर को तुरन्त विश्राम गृह से हटाकर वापिस पहले के सरकारी क्वार्टर में ही रखने के आदेश प्रसारित करें व उच्चाधिकारियों व संबधित अधिकारियों को निर्देश देवे कि विश्राम गृह नोहर साहवा सड़क को केवल अधिकारियों व जन-प्रतिनिधियों के निरीक्षण के दौरान ही काम में लिया जावे। इस मामले में नियम विरूद्ध कार्यवाही हेतु भी उचित कार्यवाही करें।

इसके अतिरिक्त निरीक्षण गृह नोहर में ठहरने हेतु आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करने के निर्देश प्रदान करें।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :—

डूंगरपुर से खैरवाडा वाया मेताली रोड पर मेताली के पास दो नदी का पुल नहीं बनने से यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेताली वाले पूल के नहीं बनने से यात्रियों को बरसात में मेताली रोगनवाडा, उचकी (खैरवाडा छेला) घोडी छोडी आदि गावों में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस पुल के नहीं बनने से डूंगरपुर से उक्त गांवों में जाने के लिये पैदल जाना पड़ता है बरसात के दिनों में उक्त गावों में आठवी कक्षा के उपर के छात्रों को भी डूंगरपुर जाने के लिये 10 से 15 कि. मी. चलकर जाना पड़ता है।

श्रीमान् वर्ष 1985 से 88 के अकालों में इस पुल के लिये स्वीकृति भी की गई थी और यहां तक कि इस नदी पर पुल बनाने के लिये नीव भी खुदवाई गई थी और इस नींव के नहीं भरने से कई पशु नींव में गिरकर मर गये थे। श्रीमान् इस रोड पर यात्रियों के आने जाने के लिये प्राइवेट बसे भी बरसात के समय को छोड़ कर चलती है। इस पुल को बनाने के लिये कई बार निवेदन किया है लेकिन आज दिन तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है ऐसी सूरत में चूंकि इस वर्ष भयंकर अकाल है। इस अकाल में लेबर और मेटेरियल के लिये अलग-अलग राशियां भी स्वीकृत हो रही है।

अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेताली (दो नदी) पुल की स्वीकृति इसी साल करने की कृपा करावे ताकि जनता को सामने आने वाले समस्याओं का समाधान हो सके और बरसात में जो गाड़ियों का आना जाना बन्द रहता है तथा बच्चों को बरसात में आने जाने की समस्या है, उसे दूर किया जा सके।

धन्यवाद।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) :—

सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल का बहुत बड़ा संकट आ चुका है वर्षा की कमी के कारण यहां के झरने, कुंए व नदी नाले सूख चूके हैं जो कहीं-कहीं डाग क्षेत्र में हैन्ड पम्प लगाये गये थे, वो अधिकतर सूख गये हैं तथा खराब होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ऐसी सूरत में सब तहसील मंडरायल व सब तहसील करनपुर में पानी के अभाव के कारण जन साधारण का जन जीवन मुश्किल हो रहा है पानी की तकलीफ से ग्रामीणों को इधर-उधर भटक करके

(श्री प्रभुलाल पटेल)
गंदा पानी उपलब्ध हो पाता है। इस क्षेत्र की सारी मवेशियों को पानी की तलाश में इधर उधर ले जाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। और आधी से ज्यादा मवेशी निकल चुकी है तथा पानी का इस क्षेत्र में शीघ्र इन्तजाम नहीं किया गया तो इस क्षेत्र के ग्रामवासी पानी के अभाव में पलायन करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा जो की क्षेत्र व सरकार के लिये बड़ी शर्म की बात बन जायेगी। अतः सरकार समय रहते हुये शीघ्र से शीघ्र निम्नलिखित पेयजल समस्या ग्रस्त गावों में पेयजल मुहैया करावें।

झांकरी, चडेलीपुरा, मनोखुरा, गुरदेह, बहादुरपुर, चूरियाकी, चोंडियाखोता डागरियां, करनपुर, नानपुर, कानरडा, महाराजपुरा, भरतून, सिंदरपुर, गोठरा मिश्रोरा, ग्रांडाडूगर, लेडियां, मंडावरा, डावरा, सपोटरा आदि में जलपूर्ति करावें।

मैंने पूर्व में भी कई बार पेयजल उपलब्ध कराने के लिये निवेदन किया था परन्तु कोई गौर नहीं फरमाया गया यदि अब समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जनता के लिये जन आन्दोलन करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अतः जल आपूर्ति कराके इस क्षेत्र की जनता को विशेष आभारी करेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :—

जोधपुर शहर में रानीसा, पडमसर ईाईजा का तालाव, गुलाब सागर फतेहसागर, जालप वावड़ी, तापी बावड़ी नरसिंग घड़े का कुआ अचल नाथ का कुआ, गंगलाव के अन्दर कुआ, नहर आदि जल स्रोतों की सफाई नहीं हो रही है। इस कारण शहर में पेयजल का गहरा संकट है जो आगामी गर्मियों में और संकट उत्पन्न करेगा। शहर के अधिकांश हैण्ड पम्प खराब पडे हैं, शहर की अधिकांश पुरानी पाइप लाईनें लीक हो रही है, इनका तत्काल बदलना जरूरी है। जैसे तेजसिंह की हवेली, मोती चौक, माणक चौक, पूरबियों का बास, भिश्तीयों बास, राजमहल स्कूल इत्यादि उदाहरण है अतः जलहित में तत्काल व्यवस्था करे जोधपुर की जनता को पेयजल संकट से उभार इसके साथ ही जोधपुर शहर की सड़को को तार विभाग द्वारा भयंकर रूप तोड़ी गयी है जिससे दुघर्टनाओं की संभावना बन

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

गयी है जैसे गुलजारपुरा हडमण जी की भाखरी थलियों का बास, गुलाब सागर, गऊ घाट, वेलदारों का मौहल्ला, घोड़ों का चौक, दर्जियों का चौक, मेघवालों की बस्ती, जोशियों का करकल, मोचियों की गली, सड़क, सोजती गेट का भीतरी भाग बोडो की घाटी सिद्धवयो की मौहल्ला खस्ता हाल को लेकर जनता में भारी रोष है। अतः इनको तत्काल दुरस्त करवा कर सरकार राहत पहुंचायें।

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) :

सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी समिति, व्यवसाय और आय की दृष्टि से राजस्थान में अपना अग्रणीय स्थान रखती है। जवाई बांध से सिचाई होने से राइडा, चना, गेहूं, मोटे धान की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। मण्डी समिति की वार्षिक आय 1 करोड़ से ऊपर है।

सुमेरपुर कृषि मण्डी में सिरोही, पाली जालौर, बाड़मेर, जोधपुर आदि दूर-दराज जिलों से कृषि उत्पादन विक्रय से आता है। किन्तु इसके बावजूद कृषि मण्डी अधि. के अन्तर्गत जो सुविधाएं काश्तकारों, व्यापारियों को मिलनी चाहिये जो विकास होने चाहिये वह मुहैया नहीं करवाई जा रही है। मैं बिन्दुवार आपका ध्यान आकृष्ट कर इनके निराकरण की अपेक्षा करता हूं :—

1. तोल-कांटा (वे ब्रीज) पिछले तीन वर्ष से बन्द पड़ा है जिससे जिन्सों की तुलाई के लिए किसानों को इधर-उधर भटकना पड़ता है और अनावश्यक समस्या कृषकों के लिये उत्पन्न होती है। इसे तुरन्त ठीक करवाकर काश्तकारों को सुविधा प्राप्त की जाये।

2. पिछले करीब 10 वर्षों से समिति में खाने-पीने की केन्टीन बन्द पड़ी है जिसे शीघ्र आरम्भ किया जावे। इस केन्टीन का विवाद चल रहा है या तो उसे निपटाया जावे या अन्य व्यवस्था की जाये।

3. किसानों को ठहराने के नाम पर कृषक विश्राम गृह बना हुआ है किन्तु किसानों को उसमें नहीं ठहराया जाता बल्कि सरकारी अधिकारी वी. आई. पी. ठहरते हैं। किसान तो बेचारे खुले में ही सोते हैं।

4. काश्तकारों का माल उसी दिन नीलाम किया जाता है किन्तु तुलाई उसी दिन नहीं होकर तीन-चार दिन बाद की जाती है। अतः "सेम डे" तुलाई की व्यवस्था की जावे।

(श्री गुलाब सिंह)

5. सैंकड़ों की तादाद में किसान रात को ठहरते हैं किन्तु मनोरंजन इत्यादि के कोई साधन नहीं है । अतः यहां पर इनके मनोरंजन के लिये टी. वी., वी. सी. आर. की समुचित व्यवस्था की जाये ।

6. आग, पानी के कपास राईडा व अन्य कृषि जिन्सों को क्षति पहुंचती है किन्तु, उनके रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है, न उचित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है । अतः कृषि जिन्सों को परिसर में रखने की उचित व्यवस्था की जावे तथा उचित क्षतिपूर्ति या बीमा की व्यवस्था की जावे ।

7. कैटल शेड की उचित व्यवस्था की जावे ।

8. पुरानी दुकानों का किराया 650 रुपये है जो कि काफी बड़ी भी दुकानें है किन्तु, छोटी दुकानों का किराया 1400/–रुपये है जो कि काफी छोटी दुकानें हैं, इस प्रकार नये व्यवसायी जो कि अधिकांश मध्यम वर्गीय लोग है, प्रतिस्पर्धा में टहर नहीं पाते और आर्थिक दृष्टि से समस्या ग्रस्त रहते है । निर्माण व्यय के आधार पर किराया तय किया जाता है जोकि व्याव-हारिक दृष्टि से अनुचित है, कृपा कर किराया दरो की विसंगति को दूर कर छोटे, मध्यमवर्गीय व्यापारियों को अपने पैरों पर खड़ा करने की दृष्टि से किराये की दरों में कमी की जावें ।

9. कृषि आप का 65 प्रतिशत सड़कों एवं ग्रामीण सुविधाओं पर खर्च करने का प्रावधान है, किन्तु एक्स. ई. एन. कार्यालय उदयपुर होने से सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत में अनावश्यक देरी होती है । अतः मेरी मांग है कि सुमेरपुर एक्स. ई. एन. का पद सृजित किया जावे ।

10. कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर में सलाहकार समिति की बैठकें प्रतिमाह बुलाई जावे क्योंकि मण्डी प्रशासन ने पिछले एक वर्ष में मात्र एक बार सलाहकार समिति की बैठक बुलाई, इस समिति द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मण्डी प्रशासन ने किसी तरह कार्यवाही नहीं की है ।

मुझ द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्याग्रस्त बिन्दुओं में से अधिकांश के प्रस्ताव सलाहकार समिति द्वारा भी अपने प्रस्ताव में लिये जा चुके है । अतः मेरा निवेदन है कि कृषिमण्डी समिति, प्रशासन को स्पष्ट निर्दिष्ट करे कि सलाहकार समिति के

(श्री गुलाबसिंह)

प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही की जावे और प्रतिमाह होने वाली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह बिन्दुवार विवरण लोक महत्व का होने से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही कार्यवाही की जाकर क्षेत्र के काश्तकारों एवं छोटे व्यापारियों को लाभान्वित करें।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) :

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 20·3·92 को दो सम्प्रदायों में झगड़ा हुआ जिसमें करीब 10 लोगों की आगजनी करके दुकानों को जलाया गया व करीब 15 लोगों के चोटें आई। जिनकी अभी तक किसी भी व्यक्ति को दुकानें जलने व दुकानों का सामान जलने व लूट खसोट हुई जिसमें करीब पांच लाख रुपयों का नुकसान हुआ तथा 15 लोगों के गम्भीर चोटें आई है। उन लोगों के नुकसान की सर्वे करवाकर जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलवाया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि घटना घटे करीब 20 रोज होने जा रहे है। लेकिन जिन गरीबों की दुकानें जलाई गई जिन गरीबों के चोटें आई, अभी तक भी प्रशासन द्वारा उनके मुआवजे का दुकानदारों को बुलाकर आगजनी में हुये नुकसान का कोई सर्वे नहीं करवाया गया न ही उनसे नुकसान की जानकारी नहीं ली गई तथा न ही मुआवजे देने की कोई कार्यवाही की गई। अतः मेरा निवेदन है कि जिन दुकानदारों की साम्प्रदायिक झगड़े में दुकानें जली व नुकसान हुआ उनका नुकसान तुरन्त दिलवाने की कार्यवाही करने की कृपा करें तथा जिन्हें चोटें आई है उन्हें भी मुआवजा दिलाया जावे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झूनूं) :

विनम्र निवेदन है कि बिहानी शिक्षा न्यास श्रीगंगानगर में सरकारी अनुदान में हेराफेरी व भ्रष्टाचार इतना सुनियोजित रूप से व्याप्त हो चुका है जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि संस्थान के स्थायी अध्यक्ष द्वारा सरकारी अनुदान में से लाखों रुपया हस्तान्तरित कर अन्यत्र प्रयोग किया जा रहा है। अंकेक्षित लेखों से भी यह बात स्पष्ट हुई है कि बिहानी चिल्ड्रन एकेडमी में पी. जी. कॉलेज व समाज कल्याण से प्राप्त अनुदान राशि हस्तान्तरित की गई।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कर्मचारियों की झूठी हाजिरी दिखाकर अनुसूचित जाति इकाई की सी, लिब. कक्षाओं में प्राध्यापकों के नाम से वेतन उठाया गया। छात्रावास की आय को ट्रस्ट की आय मानते हैं लेकिन व्यय को अनुदान में से समायोजित किया जाता है। बी. एड. कक्षाओं के प्राध्यापकों का भविष्य निधि काट लिया गया लेकिन सरकारी विभाग में जमा नहीं कराया। फलस्वरूप प्राध्यापकों को मुकदमा दायर करवाना पड़ा। माह मार्च, 1991 में तदर्थ अनुदान के पांच लाख रुपयों में से चयनित व वरिष्ठ वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया तथा सितम्बर, 1991 तक तदर्थ अनुदान व दो लाख रुपये प्रतिमाह से बारह लाख रुपया वेतन भुगतान हेतु काम नहीं लिया गया। एन. एल. एस. के झूठे बिल बनवाकर प्रभारी को भुगतान कर दिया।

इस महा विद्यालय में यदि कोई प्राचार्य आपत्ति उठाता है तो उसे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया जाता है। पिछले पन्द्रह साल में सात प्राचार्य बदले जा चुके हैं। हाल ही के प्राचार्य भटनागर द्वारा भ्रष्टाचार व हेराफेरी के विरुद्ध आवाज उठाने पर चाकू की नौक पर त्यागपत्र लेकर पद से हटाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। इससे गंगानगर के छात्रों तथा शिक्षा जगत में अत्यन्त रोष है।

श्रीमान् हम इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चर्चा की मांग करते हैं।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा)

मण्डावा झुन्झुनू जिले का एक पुराना कस्बा है तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। मण्डावा से फतेहपुर शेखावाटी, झुन्झुनू और मुकुन्दगढ़ डूण्डलोद और बिसाऊ सीधे सड़कों से जुड़े हुए है। इनमें से तीन मार्गों का गत वर्षों में राष्ट्रीयकरण हो चुका हैं तथा चौथे मण्डावा-बिसाऊ पर भी परमिट के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं। मण्डावा से निगम की दो दर्जन से ज्यादा बसें रोज काफी संख्या में परिक्रमा करती हैं जिसमें से चार बसें बीकानेर, दिल्ली और जयपुर भी जाती है। लेकिन स्थानीय जनता द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद आज तक भी वहां निगम का बस स्टेण्ड नहीं बन पाया है।

(डा. चन्द्रभान)

महोदय, पूर्व में जब मण्डावा से जुड़ने वाली सड़कों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो प्राइवेट बसों के द्वारा ही लोग यात्रा करते थे और उस समय से ही मण्डावा कस्बे के भीतर नगर पालिका भवन के समय एक छोटा बस स्टेण्ड भी बना हुआ है। परिवहन सेवाओं के विस्तार, वाहनों की बढ़ती हुई संख्या तथा भारी तादाद में देशी एवं विदेशी पर्यटकों के इस कस्बे में आते रहने के कारण यह पुराना बस स्टेण्ड न केवल अपर्याप्त है बल्कि इसकी वजह से कई बार भयंकर सड़क दुर्घटनाएं भी हो गई हैं।

पुराना बस स्टेण्ड कस्बे के बीचों बीच है तथा झुन्झुनू से फतेहपुर-शेखावाटी को जाने वाली पुरानी सड़क भी कस्बे के बीचों-बीच होकर निकलती हैं। पुराने समय की इस सड़क की चौड़ाई बहुत कम है तथा इसके दोनों ओर बाजार बसा हुआ है इसलिए उक्त सड़क को चौड़ा किया जाना भी सम्भव नहीं है। उक्त सड़क काफी पुरानी है तथा कई जगह से टूट गई है जिसकी मरम्मत होना भी इसलिए सम्भव नहीं है कि इस सड़क का निर्माण नगर पालिका के द्वारा हुआ था और वर्तमान में नगर पालिका की वित्तीय स्थिति भी काफी खराब है। पुराने समय की इस संकरी सड़क पर प्राइवेट रूट की छोटी बसें तो फिर भी आ-जा सकती थी। लेकिन निगम की बसों का तो इस सड़क पर भीड़ भरे बाजार में से निकला पाना भी सम्भव नहीं है तथा कई बार यातायात अवरुद्ध हो जाता हैं।

स्थानीय जनता की परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कस्बे के दक्षिण की ओर झुन्झुनूं से फतेहपुर रोड को जोड़ने हेतु एक बाईपास मंजूर किया था। जिसका निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है।

अतः महोदय कस्बे के बाहर और बाईपास के नजदीक किसी जगह पर निगम का बस स्टेण्ड बनाया जाना जनहित में होगा। बस स्टेण्ड हेतु यहां पर सार्वजनिक भूमि उपलब्ध है तथा यदि जरूरी हो तो कस्बे को दानदाता भी जमीन देने को तैयार हैं। इतना ही नहीं यदि राज्य सरकार जनता को इस वाजिब मांग को पूरा करने हेतु पहल करे तो स्थानीय जनता आंशिक रूप से आर्थिक सहयोग भी देने को तैयार है। निगम का बस स्टेण्ड बनने से न केवल सड़क दुर्घटनाएं घटेगी, जनता को राहत मिलेगी व परिवहन सेवाएं व्यक्तिगत होगी। बल्कि पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री अमीन खां (शिव) :

सीमावर्ती जिला बाड़मेर के गांवों में सरकारी अनाज सिर्फ 4 किलो प्रति व्यक्ति ही मिल पाता है।

आम बाजार में बाजरे के भाव करीब 6 रुपये किलो हो गये हैं अभी तक गांवों में रोजगार सरकार को प्रतिशत लोगों को दे नहीं पा रही है। जिससे आम गरीब लोगों में भुखमरी आ गई है जिससे भारी असन्तोष है व भय व्याप्त है कि कैसे जियेंगे।

शिव तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र में 30 ग्राम ऐसे हैं जिसमें बरसात भी कुछ नहीं हुई और इस क्षेत्र में गत साल भी सभी भागों में बरसात नहीं हुई बल्कि लेट हुई जिसमें गत वर्ष भी अनाज भी नहीं हुआ था और उससे पूर्व भी इस क्षेत्र में चार-चार साल लगातार अकाल का और इस साल भी भयंकर अकाल है। लोगों में भुखमरी शुरू हो गई है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है कि बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज व प्रति गाय 2 किलो दाना वितरित करने की व्यवस्था करें।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) :

हबीब खां पुत्र अजीम खां जाति मुसलमान, निवासी दुधिया, थाना फलसूंड तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर की मवेशी सात भेड़ें व 2 भेड़ (नरभेड़) पड़ौसी गांव के ही भाखर सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह, कुशलसिंह पुत्र जगमाल सिंह व मेघसिंह पुत्र हमीर सिंह सभी जाति राजपूत, निवासी लूणा खुर्द थाणा सांकड़ा (जैसलमेर) हबीब खां गैर मौजूदगी से उक्त मवेशी हबीब की ढाणी के पास से लेकर चले गये। यह वारदात 15 फरवरी, 1992 के लगभग की है। जब 22/2/92 को हबीब खाँ मजदूरी पर से घर आया तो उसको मालूम हुआ कि उसकी मवेशी गायब है। पास पड़ौस के लोगों ने जिसमें मिश्री खां पुत्र वलीददा खां व मेहर खां निवासी दुधिया ने बताया कि उसकी भेड़ें भाखरसिंह वगैरह हांक कर ले गये हैं।

इस पर हबीब भाखरसिंह वगैरह की ढाणी गया तथा अपनी मवेशी वापिस मांगी, भाखरसिंह ने स्वीकार किया कि हम तुम्हारी भेड़ें जरूर लाये हैं लेकिन 150/- खर्चे के दे दो तो मवेशी तुम्हाररे घर पहुंची जायेगी। उस समय भी गांव

(श्री महेन्द्र कुमार परमार)

के पंच मौजूद थे । जिस समय पैसे दिये थे यह पंचायती हुई । दो-तीन दिन तक मवेशी नहीं पहुंचायी तो बेचारा हबीब वापिस उनके पास गया तथा अपनी बात दोहरायी, इस पर भाखरसिंह वगैरह बोले कि तुम अब भी नहीं समझे कि तुम्हारे बाप-दादे व स्वयं तुम दशहरा पर बकरा भेंट करते थे. अबकी बार गांव के मुखिया हमीर सिंह पुत्र महादान सिंह को मांगने पर भी बकरा देने से इन्कार किया था अब भेड़ें नहीं मिलेगी, जो जी में आए करो ।

बेचारा हबीब इधर-उधर खूब भागा लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था आखिर 28-2-92 को थाना फलसूंड गया तो एफ. आई. आर. दर्ज करायी । लेकिन तत्कालीन एस. एच. ओ. ने भी कहा कि पहले ठाकुर साहब से पूछेंगे, आखिर बात सत्य जानकर 3-3-92 को थाने में मुकदमा क्रमांक 12 दिनांक 3-3-92 समय 3.30 पी. एम. धारा 379 व 215 आई. पी. सी. पर दर्ज किया जिसमें उक्त जीनों को अभियुक्त बताया गया है । लेकिन कार्यवाही नहीं होती देख कर हबीब 6-3-92 को महामहिम राज्यपाल महोदय के जैसलमेर आगमन के समय पुलिस कप्तान से मिला एवं पूरी स्थिति से अवगत कराया, पुलिस कप्तान ने भी तुरन्त मवेशी दिलाने का आश्वासन भी दिया था । लेकिन इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के पश्चात् कुछ भी हाथ नहीं लगा । अब थानेदार भी बदल गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । हबीब ने 3-4-92 को गृह उप मंत्री शांतिलाल चपलोत को भी पत्र लिखकर न्याय की गुहार की ।

चूंकि वहां पर अभी भी सामन्दवाद का शिकंजा हैं, सामन्त लोग गरीब व असहायों पर वहीं पुरानी हेंकड़ी झाड़कर जो जी में आता है करते हैं । जब हबीब ने मुकदमा दर्ज कराया तो उक्त लोगों ने धमकी दी की अब तुम भेड़ें भी ले लेना एवं अपनी जान की खैर भी मना लेना, उन्होंने धमकी दी कि सांकड़ा निवासी झण्डसिंह पुत्र हाथीसिंह राजपूत से तुम्हारे व तुम्हारे बच्चों को मरवा डालेंगे ।

झण्डसिंह कुख्यात तस्कर अरबिया का निकट सहयोगी रह चुका है । वह हत्याएं, चोरी, डकैती व तस्करी के सैकड़ों मामलों में पुलिस बी. एस. एफ. आदि में वांछित है । वह करीब 20 वर्षों से फरार है तथा अब अरबिया की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हो गयी थी उसके पश्चात् सांकड़ा के आस-पास रहकर छोटी-मोटी चोरी कर अपना गुजारा कर रहा है । लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पा

(श्री महेन्द्र कुमार परमार)

रही है। अब बेचारे हबीब को धमकी अनुसार बाकी रही भेड़ों का डर है कि भण्डसिंह के माध्यम से ये लोग मवेशी पार करवा देंगे तथा घर के लोग डरते हैं कि भण्डसिंह कभी भी उनकी मौत का पैगाम लेकर आ सकता है। उक्त कुख्यात डकैत हर समय 303 बोर की राइफल एवं एक बेजोड़ ऊँट अपने पास रखता है।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) :

राजस्थान प्रदेश में कुल पाँच मेडिकल कालेज हैं और प्रत्येक मेडिकल कालेज में एक-एक प्रोफेसर (बायो केमेस्ट्री) का पद है। इस राजस्थान में कुल पाँच बायो केमेस्ट्री के प्रोफेसर के पद हैं जिनमें से तीन पदों पर नियमित रूप से चयनित व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। जबकि एक पद पर डॉ. डी. आर. सिंघवी को बिना नियमित चयन के ही पदोन्नति दे रखी है जबकि उनका चयन असोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी नियमित रूप से नहीं हुआ था। पता नहीं किन कारणों के चलते उस व्यक्ति को जो कि असोसिएट प्रोफेसर (बायो केमेस्ट्री) के पद पर नियमित रूप से चयनित नहीं हुआ था प्रोफेसर बना दिया गया।

दूसरी तरफ एक पद जयपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर (बायो केमेस्ट्री) का 1-12-1990 से रिक्त चला आ रहा है, और पिछले 16 महीने से इस पद को योग्य अभ्यार्थी उपलब्ध होते हुए भी नहीं भरा जा रहा है। जहाँ तक डी. पी. सी. का प्रश्न है वह तो राजस्थान में 1978 के पश्चात् से अब तक हुई ही नहीं है।

प्रोफेसर के उक्त पद के पिछले 16 महीने से रिक्त चले आने के कारण जहां एक तरफ छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान आया हुआ है वहीं पर इस पद पर पदोन्नति के योग्य डाक्टरों की पदोन्नति नहीं होने से उनके भी भारी रोष है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तुरन्त डी. पी. सी. कराकर उक्त पद को भरा जाय और जब तक डी पी. सी. नहीं हो तब तक अरजेण्ट टैम्प्रेरी बेसिस पर कनिष्ठ पद पर कार्यरत वरिष्ठतम डाक्टर को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी जाय।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर (आसीन्द) :

नगर विकास न्यास बीकानेर में कार्यरत श्रमिकों में से एक श्रमिक छः वर्ष से कार्यरत है बाकी शेष 48 श्रमिक पिछले 8 से 11 वर्ष तक नियमित सेवाएं नगर सुधार न्यास को दे रहे हैं। उक्त श्रमिकों से दिन में 12–12 घंटे कार्य लिया जाता है और उन्हें मजदूरी केवल मात्र 22/– रुपये प्रतिदिन दी जाती है तथा छुट्टियों के पैसे और रविवार के पैसे काट लिये जाते हैं। उक्त श्रमिकों में लगभग 12 स्नातक एवं 15 श्रमिक 10वीं पास हैं तथा उनसे टाइप का कार्य व आफिस वर्क तथा उनसे कुंची फावड़े भी चलवाये जाते हैं परन्तु इतने कठिन परिश्रम के बावजूद उन्हें न तो नियमित व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मजदूरी दी जा रही है। जिसके कारण इन कारण श्रमिकों में रोष व्याप्त हैं और उन्होंने मिलकर उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट दायर कर दी। जिसका फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 4-1-1992 को श्रमिकों के पक्ष में फैसला दे दिया है और फैसले में लगभग 2 साल जिस श्रमिक ने पूरे कर लिए हैं उन्हें उसी दिन से सेमी परमानेंट और 20-5-1989 से आज तक का पिछला एरियर देने का न्यास को आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने नगर विकास न्यास को छः माह में उपरोक्त श्रमिकों की नियुक्ति एवं पिछला ऐरियर देने के निर्देश दिये थे। लेकिन उच्च न्यायाधीश जी के फैसले के 4 माह बाद भी न्यास ने इस उपरोक्त विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है जिसके कारण श्रमिकों में भारी रोष है। राज्य सरकार को चाहिए कि श्रमिकों को आन्दोलनात्मक पथ पर चलने से रोककर उपरोक्त समस्त प्रकरण को अपने स्तर मंगवाकर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर उक्त श्रमिकों को स्थायी कर्मचारी बनाने के आदेश अविलम्ब जारी किये जाने चाहिए।

नगर विकास न्यास के अध्यक्ष, न्यासी अथवा कौन-कौन से अधिकारी हैं जो मामले में विलम्ब उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना नहीं है? न्यास के दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी? क्या नगर विकास न्यास के न्यासी जानबूझ कर इस प्रकरण पर विलम्ब कर रहे हैं? उक्त 49 श्रमिकों को कब तक स्थायी बना दिया जावेगा?

आशा है राज्य सरकार उक्त 49 कर्मचारियों को जो 10–11 वर्षों से नियमित कार्यरत है। नियमित कर्मचारी बनाकर इनके शोषण को समाप्त करेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. जो कि राज्य सरकार का प्रतिष्ठान है। इसके प्रबन्धकों ने जामसर जिप्सम खान को 2 साल से बन्द कर रखा है तथा अब लीज छोड़ने जा रहे हैं। इस वजह से जामसर खान में काम करने वाले सैंकड़ों ग्रामीण जो यहां जिप्सम खोदकर अपना परिवार का जीवन-यापन करते थे। वे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। प्रबन्धकों का यह कहना है कि जामसर खान में अब जिप्सम का भण्डार नहीं रहा है। सरासर गलत है। जबकि असल में हकीकत यह है कि जामसर खान में अभी भी 7–8 लाख टन जिप्सम भण्डार, सीमेंट ग्रेड क्वालिटी का 40–50 हजार टन स्पेशल ग्रेड क्वालिटी का मौजूद है। कम्पनी प्रबन्धकों द्वारा खान का काम बन्द कर दिये जाने की वजह से यहां जामसर खान से रोजाना 10–15 ट्रक बढ़िया जिप्सम चोरी से खुदाई कर अनधिकृत तौर पर जा रहा है जिसको पकड़ने में स्थानीय पुलिस व माईनिंग विभाग असफल हो रहे हैं। कारण साफ है कि इन सबकी मिली भगत से सरकार को लाखों रुपयों का चूना लगाया जा रहा है।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. कम्पनी प्रबन्धक दूसरी जिप्सम की लीज लेने के लिए प्रयासरत है। ऐसी जिप्सम भण्डार लीज जो रेलवे स्टेशन लदान के लिए 80–100 किलोमीटर खान से दूर है जहां से खान से रेलवे स्टेशन तक ट्रान्सपोर्ट करके ले जाना पड़ेगा। वो जिप्सम निकाल कर कितना महंगा पड़ेगा और दूसरी तरफ जामसर खान में 7–8 लाख टन जिप्सम को डिपो के भाव में उपलब्ध है क्योंकि जामसर में रेलवे स्टेशन खान से मात्र 3–4 किलोमीटर दूर है तथा खान हैड तक पक्की सड़क मैन हाइवे गुजरती है।

कम्पनी के अफसर इस खान को चालू करने में इसलिए रूचि नहीं रखते हैं कि इस खान में बड़े ठेकेदारों को मशीनें व ट्रक लगा कर नियुक्त नहीं कर सकते क्योंकि इस खान में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा मैन्युअल खुदाई करके ऊंट गाड़ों से ढुलाई करके जिप्सम खान से रेलवे साईडिंग तक लाते हैं। बड़े ठेकेदारों को जब भी मशीनें देकर यहां नियुक्त किया है। उसका हमेशा विरोध किया गया है और अफसरों को निजी फायदा बड़े ठेकेदारों से ही हो सकता है।

इस सम्बन्ध में स्थानीय मजदूर संगठनों ने मुख्य मंत्री व खान मंत्रीजी को भी कई दफा ज्ञापन इस जामसर खान को चालू करके स्थानीय लोगों को अकाल राहत में रोजगार दिलाने की मांग की। मगर कम्पनी प्रबन्धकों द्वारा खान चालू

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करने में आना-कानी करते हुए इन्कार कर दिया गया तथा बताया यहां जिप्सम इस खान को चालू करके निकालना लाभप्रद नहीं है। बड़े अचम्भे की बात है कि जिस खान के 80 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करके जिप्सम रेलवे स्टेशन तक ट्रकों में भर कर ले जाया जाता है वह तो लाभप्रद है और जामसर में सिर्फ खान से 3-4 किलोमीटर दूर स्टेशन है वो इनको अलाभप्रद लगता है।

बीकानेर जिले में भयंकर अकाल पड़ा है। लोग मजदूरी प्राप्त करने के लिए गांवों को छोड़कर अन्यत्र पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांव में अवैध खनन हो रहा है। परन्तु राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा खनन कार्य न करवाने से लोग बेरोजगारी के शिकार हो गये हैं। क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में पुनः मजदूरों को खनन कार्यों में लगा कर रोजगार देगी ?

उक्त क्षेत्र में अवैध खनन के कार्यों को अविलम्ब रोका जावे एवं राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा रोजगार दिया जावे।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अलग से खोलने की घोषणा बजट सत्र में की गई है। देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था उस समय अलग-अलग रियासतें अलग-अलग विभागों के मुख्यालय में रखे गये थे। जैसे—अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग, रेवेन्यु बोर्ड, आयुर्वेद निदेशालय व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उदयपुर में देवस्थान विभाग का निदेशालय तथा एक्साइज विभाग। इसी प्रकार बीकानेर में शिक्षा विभाग से सम्बन्धित निदेशालय बीकानेर में रखा गया है। अभी हाल ही में अलग-अलग स्थानों से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को बीकानेर से अन्यत्र खोलने की मांगें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की मांगें करवा कर राज्य सरकार षड़यन्त्र पूर्ण तरीके से इस निदेशालय को बीकानेर से अलग करना चाहती है। इससे बीकानेर की आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। बीकानेर में इस निदेशालय के लिए भूमि की स्वीकृति हो चुकी है तथा भवन के लिए राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है।

अतएव जनहित में उक्त निदेशालय वहीं बनाना उचित होगा। जोधपुर,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जयपुर के विभिन्न संगठन इस निदेशालय को बीकानेर से अन्यत्र ले जाने की जो मांग कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) :

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग) ने रसद विभाग जयपुर के एक कथित उड़न दस्ते के तीन अधिकारियों को जोधपुर में दिनांक 9 जनवरी, 1992 को व्यापारियों से करीब डेढ़ लाख रुपये ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार किया एवं इनके पास खाद्य उपायुक्त एस. एस. सिघवी के नाम बनाया गया पचास हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट व 27 हजार रुपये नकद बरामद किये।

रसद विभाग जयपुर उड़न-दस्ते के तीन अधिकारी, प्रर्वतन अधिकारी हरीराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक के. के. पारीक व सत्यवीर सिंह सिसोदिया को दिनांक 9 जनवरी, 1992 को जोधपुर रेल्वे स्टेशन पर पकड़ा गया। ये लोग जयपुर रवाना हो रहे थे। बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

ये तीनों अधिकारी गत 6 जनवरी को जोधपुर गये थे। जोधपुर में इन अधिकारियों ने वहां के जिला रसद अधिकारी से भेंट की तथा वहां के एक निरीक्षक के साथ मण्डी के व्यापारियों की जांच करने गये। इन लोगों ने छः फर्मों की जांच की तथा इसके अलावा कई व्यापारियों से रुपये ऐंठ लिये। कुछ व्यापारियों ने इसकी शिकायत अन्वेषण ब्यूरो से की तथा बताया कि इन लोगों ने करीब डेढ़ लाख रुपये व्यापारियों से ऐंठ लिए हैं और 9 जनवरी, 1992 को ये लोग रात को जयपुर रवाना होंगे। इस सूचना के आधार पर अन्वेषण ब्यूरो के दल ने रात को रेल्वे स्टेशन पर इन्हें पकड़ा और रेल्वे पुलिस थाने ले जाकर इनकी तलाशी ली। तलाशी में इनके पास से 27 हजार रुपये नकद 50 हजार रुपये का का बैंक ड्राफ्ट और एक पास बुक बरामद की।

परन्तु अत्यन्त खेद है कि खाद्य विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा इन तथ्यों की जांच नहीं की गई। दिनांक 26 जून, 1991 को स्वयं खाद्य मंत्री जी ने

(श्री कालीचरण सराफ)

शिकायतों पर जयपुर से सत्यवीर सिंह सिसोदिया व के. के. पारीक का स्थानान्तरण किया था। इन अधिकारियों ने उड़न-दस्ते के माध्यम से राज्य के अन्य जिलों में भी दौरा किया और विभिन्न स्थानों से करोड़ों रुपये व्यापारियों से इसी प्रकार डरा धमका कर वसूल किये।

इतना ही नहीं जब ये अधिकारी जयपुर में नियुक्त थे तो जयपुर शहर के राशन विक्रेता एसोसियेशन द्वारा अनेकों बार शिकायतों के ज्ञापन मंत्री जी एवं अधिकारियों को दिये। मंत्री जी ने इन अधिकारियों के खिलाफ इन ज्ञापनों में वर्णित शिकायतों की जांच के आदेश भी दिए परन्तु अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यही नहीं राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इन अधिकारियों के खिलाफ की गई जांच रिपोर्ट खाद्य विभाग से बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं भेजी गई।

उपरोक्त सब तथ्यों से स्पष्ट है कि इन तीनों अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है एवं इनको जानबूझ कर बचाया जा रहा है।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इन तीनों भ्रष्ट अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया जाए एवं जांच कर उचित कार्यवाही की जाए।

धन्यवाद।

शुद्धि पत्र

क्र.सं.	स्कम्म सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	21	फोलियों	अतारांकित	तारांकित
2.	65	5	2	4
3.	165	फोलियों	पर विधेयक	विधेयक पर
4.	533	2	अतारांकित	तारांकित
5.	146	फोलियों	वक्यक्तव	वक्तव्य
6.	148	फोलियों	वक्यक्तव	वक्तव्य
7.	155	फोलियों	30 मार्च	8 अप्रेल